



Hkkj r ds fu; æd&egkys[kki jh{k d dk
i fronu

31 ekpZ 2006 dks I ekIr gq o"kZ ds fy,

(fl foy)
mRrj i ns'k I jdkj

Hkkj r ds fu; æd&egkys[kki jh{k d dk
i fronu

31 ekpZ 2006 dks l eklr gq o"kl ds fy,

(fl foy)
mRrj i n\$ k l j dkj

©
Hkkj r ds fu; æd&egkys[kki j h{kd
l okf/kdkj l gj{kr
2007
eW; %#- 65 Mkyj 5

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।
2. इस प्रतिवेदन के अध्याय 1 और 2 में 31 मार्च 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखे और विनियोग लेखे की जांच से उत्पन्न मामलों तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित उपक्रमों के कार्यकलापों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां सम्मिलित है।
3. शेष अध्याय निष्पादन लेखा परीक्षा के निष्कर्षों, लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग सहित विभिन्न विभागों में लेन-देनों की लेखापरीक्षा तथा स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा से सम्बंध रखते हैं।
4. सांविधिक निगमों, बोर्डों, सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा और राजस्व प्राप्तियों से सम्बंधित टिप्पणियों वाले प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किये जाते हैं।
5. प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले उनमें से हैं जो वर्ष 2005-06 के दौरान लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये तथा उनमें से जो पूर्व वर्षों में ध्यान में आये थे परन्तु पूर्व प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किये जा सके।

fogakoykdu

इस प्रतिवेदन में वर्ष 2005-06 हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखा तथा विनियोग लेखा पर आधारित लेखा परीक्षा टिप्पणी के दो अध्याय तथा तीन अन्य अध्याय जिसमें सात समीक्षाएँ और 29 प्रस्तर जो कुछ चयनित योजनाओं, कार्यक्रमों तथा राज्य सरकार के वित्तीय लेन-देनों पर आधारित हैं, शामिल हैं।

भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग हेतु नियत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा संपादित की गई है। सांख्यिकी नमूना पद्धति के साथ निर्णय के आधार पर लेखा परीक्षा नमूना विरचित किया गया है। कार्यक्रमों एवं योजनाओं हेतु अपनाई गयी विशिष्ट लेखा परीक्षा प्रणाली को समीक्षाओं में दर्शाया गया है। शासन के अभिमत जो उपलब्ध थे को दृष्टिगत रखते हुए लेखा परीक्षा निष्कर्ष निकाला गया है एवं अनुशंसा की गई है।

राज्य की वित्तीय स्थिति एवं कुछ कार्यक्रमों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन पर शासन के निष्पादन के साथ-साथ चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर लेखा परीक्षा टिप्पणियों का सारांश निम्नवत है:

1- jkT; l jdkj dh foRrh; fLFkfr

राज्य का राजस्व घाटा वर्ष 2004-05 के 6993 करोड़ रुपये से घटकर वर्ष 2005-06 में 1268 करोड़ रुपये रहा जो मुख्यतया कर राजस्व में वृद्धि (20 प्रतिशत) तथा पिछले वर्ष में कुल व्यय के सापेक्ष के राजस्व व्यय 88 प्रतिशत की तुलना में 83 प्रतिशत पर सीमित करने के कारण था। वर्ष में राज्य के राजकोषीय घाटा (10078 करोड़ रुपये) में 2919 करोड़ रुपये की घटोत्तरी, पूंजीगत व्यय (8711 करोड़ रुपये) में 3058 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी के बावजूद हुई। केन्द्रीय ऋण के पुर्ननिर्धारण में औसत ब्याज दर के भुगतान में कमी के कारण प्राथमिक घाटा में 144 करोड़ रुपये की कमी हुई। एम टी एफ आर पी 2005 के अनुमानित 12 प्रतिशत वृद्धि दर के विरुद्ध अग्रिम आकलन पर आधारित जी एस डी पी वृद्धि दर 10.23 प्रतिशत थी। 7.70 प्रतिशत आकलन के विरुद्ध वर्ष का कर-जी एस डी पी अनुपात 7.26 प्रतिशत था। पूंजीगत व्यय वर्ष के जी एस डी पी लक्ष्य 3.56 प्रतिशत के विरुद्ध 3.35 प्रतिशत था।

राज्य का राजस्व, कर एवं कर-भिन्न राजस्व, कर हस्तांतरण एवं भारत सरकार द्वारा दिये गये अनुदान को सम्मिलित करते हुए वर्ष 2000-01 में 24743 करोड़ के सापेक्ष 2005-06 में 83 प्रतिशत बढ़कर 45349 करोड़ रुपये हो गया। बिक्री, व्यापार कर आदि राज्य के राजस्व के मुख्य स्रोत थे, जिनका योगदान 60 प्रतिशत था, उसके बाद राज्य आबकारी (16 प्रतिशत), स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क (16 प्रतिशत) तथा वाहनों पर कर (5 प्रतिशत) का योगदान रहा। राजस्व अवशेष वर्ष 2000-01 में 7152 करोड़ रुपये से वर्ष 2005-06 के अन्त में 23 प्रतिशत बढ़कर 8772 करोड़ रुपये हो गया। राजस्व व्यय वर्ष 2000-01 में 31030 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2005-06 में 46617 करोड़ रुपये हो गया (वृद्धि : 50 प्रतिशत)। बारहवें वित्त आयोग की संस्तुति सीमा 35 प्रतिशत के विरुद्ध शुद्ध ब्याज भुगतान एवं पेंशन भुगतान सहित राजस्व व्यय के सापेक्ष कुल वेतन बिल का भुगतान 47 प्रतिशत रहा। राजस्व व्यय में ब्याज एवं पेंशन भुगतान का भाग 29 प्रतिशत था। 27 अपूर्ण परियोजनाओं में 3551 करोड़ रुपये अवरुद्ध था।

राजकोषीय दायित्व (148868 करोड़ रुपये) का जीएसडीपी से अनुपात वर्ष 2005-06 में 57 प्रतिशत था। संवैधानिक निगमों, शासकीय कम्पनियों आदि की तरफ से शासन द्वारा प्रत्याभूति के विरुद्ध मार्च 2006 तक कुल राशि 8433 करोड़ रुपये असमायोजित रही। शासकीय कम्पनियों में निवेश का प्रतिफल वर्ष 2005-06 में नाम मात्र की बनी

रही (1 प्रतिशत से कम) जबकि शासन द्वारा लिए गये उधार पर औसत ब्याज दर 6.5 प्रतिशत था।

(iLrj 1-1 l s 1-10)

2. vko\uh; i kfkfedrk, a , oa fofu; ksx

कुल प्रावधान 83965 करोड़ रुपये जिसमें अनुपूरक अनुदाने भी शामिल थीं, के विरुद्ध वास्तविक व्यय 70646 करोड़ रुपये था। 14345 करोड़ रुपये की कुल बचत अनुदानों एवं विनियोगों के 166 मामलों में 13319 करोड़ रुपये शुद्ध बचत के परिणामस्वरूप थी जिसका आंशिक प्रतिसंतुलन अनुदानों एवं विनियोगों के 29 मामलों में 1027 करोड़ रुपये के अधिक व्यय के द्वारा हुआ।

(iLrj 2-2)

3. vuq fpr tkfr; ka , oa vuq fpr tutkfr; ka dk 'kfk{kd fodkl

भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, निःशुल्क छात्रावास सुविधा तथा बुक बैंक की योजनाएं एवं उनके चतुर्मुखी विकास एवं मुख्य धारा में जोड़ने के लिए व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश परीक्षा के लिए उनके मेरिट को उच्चिकृत करना, प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के लिए पूर्व-परीक्षा की कौचिंग की योजनाएं प्रारम्भ की गईं। योजनाओं के मौलिक उद्देश्य प्राप्त नहीं किये जा सके क्योंकि निम्नतम स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन में कमी थी एवं इन योजनाओं के प्रति जागरूकता की कमी थी। अप्रभावी अनुश्रवण के कारण कमजोर क्षेत्र पहचाने नहीं गये। फलस्वरूप प्राथमिक स्तर पर नामांकन में थोड़ी वृद्धि के उपरान्त भी उन नामांकितों को रोका नहीं जा सका। इस प्रकार इन योजनाओं का क्रियान्वयन अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों के शैक्षिक विकास पर प्रभाव डालने में असफल रहा।

(iLrj 3-1)

4. vl; fi NMk oxl , oa vYi l a; ; dk dk 'kfk{kd fodkl

केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यकों के शैक्षिक विकास के लिए छात्रवृत्ति एवं निःशुल्क छात्रावास की सुविधा की योजना प्रारम्भ की गयी थी। योजना का क्रियान्वयन दोषपूर्ण था। प्राप्तियों का उपयोगिता प्रमाणपत्र एवं अवशेष राशि की वापसी का अनुश्रवण स्कूलों/कालेजों द्वारा नहीं किया गया। छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों की दोषपूर्ण जांच होने के कारण अपात्र लाभार्थियों के भुगतान को प्रश्रय मिला। अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र एवं अल्प संख्यक छात्राओं को छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्यक्रम छात्रावास हेतु स्थल के चयन में विलम्ब एवं अनुचित चयन किये जाने के कारण वृहद रूप से निष्फल रहा। वर्ष 2003-04 से मदरसों में लघु औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए प्रारम्भ की गयी योजना का क्रियान्वयन समुचित रूप से नहीं किया गया।

(iLrj 3-2)

5. l ol f' k{kk vfHk; ku

भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान (एस एस ए) को जनवरी 2001 में प्रारम्भ किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य वर्ष 2003 तक सभी बच्चों को स्कूलों, शिक्षा गारंटी केन्द्रों एवं वैकल्पिक शिक्षा शिविरों में रखना था और यह सुनिश्चित करना था कि 2007 तक

पांच वर्षों की प्राथमिक स्कूली शिक्षा और 2010 तक आठ वर्ष के एलिमेंट्री स्कूली शिक्षा पूरी करें। कार्यक्रम कई दिशाओं में प्रभावित रहा जैसे ड्राप आउट दर का अत्यधिक होना, प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर में कम पारगमन होना, अध्यापकों की तैनाती अनुपातिक रूप से न किया जाना, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों (डाइट्स) का सशक्तीकरण न किया जाना तथा विद्यालय स्तर पर आधार भूत सुविधाओं में कमी जैसे विद्यालय का भवन, अतिरिक्त कक्ष, कक्ष शौचालय पेयजल की सुविधाएँ न होना, 2010 तक प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाये जाने के उद्देश्य की प्राप्ति में अवमन्दक था।

(i Lrj 3-3)

6. [kk | l g {kk} | fcl Mh , oa [kk | klu dk i cl/ku

भारत सरकार द्वारा वर्ष 1997-98 में लागू की गयी विकेन्द्रीकृत उद्ग्रहण योजना का क्रियान्वयन खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा राज्य में 1999-2000 से किया गया। योजना का उद्देश्य स्थानीय कृषकों से अधिकतम खाद्यान्न उद्ग्रहीत कर उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ प्रदान करना एवं गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना था। न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ प्राप्त करने वाले कृषकों की संख्या में कमी आयी जबकि मिल मालिकों से चावल उद्ग्रहण में वृद्धि हुयी। मिल मालिकों को सांविधिक शुल्कों की क्षतिपूर्ति का भुगतान बिना यह सुनिश्चित किये किया गया कि उनके द्वारा शासन को उक्त भुगतान करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था। मिल मालिकों से कम वसूल किये गये कस्टम मिल्ड चावल की लागत एवं परिवहन/भण्डारण हानियों और खाद्यान्न के दुर्विनियोग की वसूली नहीं की गयी। गेहूँ का उद्ग्रहण कम था, आवश्यक मात्रा के सापेक्ष खाद्यान्न का वितरण कम था और बी पी एल परिवारों का चिन्हीकरण समुचित रूप से नहीं किया गया।

¼ Lrj 3-4½

7. ck?k i fj ; kst uk

वन विभाग द्वारा क्रियान्वित केन्द्रीय पुरोनिधानित बाघ परियोजना का उद्देश्य वैज्ञानिक, आर्थिक, सौन्दर्य, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय मूल्यों को बनाये रखने तथा हर समय जैव वैज्ञानिक महत्व के क्षेत्रों को जनता के लाभ, शिक्षा एवं आनन्द प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संरक्षित करना था। परियोजना असंतोषजनक भूमि प्रबंधन, परियोजना अधिकारियों की परिक्षेत्रों में बफर जोन उपलब्ध करवाकर संरक्षित क्षेत्र में जैविक दबाव को रोकने की विफलता एवं नियम लागू करवाये जाने की अकुशल व्यवस्था को इंगित करने वाली अनिर्णीत वन अपराधों की बढ़ती संख्या से कुप्रभावित रही। परिक्षेत्रों में उपलब्ध बाघों की संख्या का आंकलन संदिग्ध रहा। राज्य वन्य जीव बोर्ड का गठन जुलाई 2005 तक नहीं किया गया था। अकुशल अनुश्रवण, सुरक्षा, संरक्षा एवं नियमों को लागू करवाने की प्रक्रियाओं ने परियोजना को अप्रभावी बना दिया।

¼ Lrj 3-5½

8. l Ei wkl xkeh. k jkst xkj ; kst uk

केन्द्र पुरोनिधानित सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर एवं खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही उपयोगी परिसम्पत्तियों का निर्माण करना था। विभिन्न स्तरों पर निधियों का प्रवाह समय से न किये जाने से निधियों का कम उपयोग और केन्द्रांश में कटौती हुई। लक्षित जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई जा सकी क्योंकि मानव दिवसों के सृजन हेतु निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सका, मजदूरों को उनकी मजदूरी का समय से भुगतान नहीं

किया गया और उनमें से कुछ को भुगतान नहीं किया गया। परिसम्पत्तियों का सृजन मुख्यतया कच्ची सड़क एवं खड़जा कार्य तक सीमित था। खाद्यान्न वितरण पंजिका का समुचित रख रखाव नहीं किया गया था। जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों द्वारा न तो रोजगार रजिस्टर और न ही सृजित सम्पत्तियों की सूची ही बनायी गयी।

(iLrj 3-6)

9. fpfdRI k f'k{kk , oa i f'k{k.k foHkkx ea vkUrfjd fu; U=. k

आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा एक संगठन अपने उद्देश्यों को प्रभावी व कुशलता पूर्वक प्राप्त करने के लिए अपनी गतिविधियों को निर्देशित करता है। विभाग के आन्तरिक नियंत्रण के मूल्यांकन में बजट नियंत्रण की कमियां उद्घाटित हुईं, जिससे वर्ष के अन्त में निधियों को समर्पण करना पड़ा और धनराशियों को वैयक्तिक लेखा खातों में जमा किया गया। व्यय नियंत्रणों की कमी से अनियमित भुगतान और निधियों का विचलन हुआ। महाविद्यालयों/चिकित्सालयों में रिक्तियों की स्थिति का प्रभावपूर्ण अनुश्रवण नहीं किया गया और चिकित्सा/उपचारिका परिषद की मान्यता के बिना ही महाविद्यालयों/चिकित्सालयों में स्नातकोत्तर एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को चलाया गया।

(iLrj 5-1)

10- yunsuka dh ys[kk i jh{kk fu"d"kl

nfofu; ksx@gkfu; ka

छ: फर्जी चिकित्साधिकारियों, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी रायबरेली कार्यालय से सम्बद्ध नहीं थे, के वेतन भत्तों के कपटपूर्ण आहरण के द्वारा 53.42 लाख रुपये का गबन हुआ।

(iLrj 4-1-1)

इलाहाबाद, फिरोजाबाद, गौतमबुद्ध नगर, हाथरस एवं मुरादाबाद स्थित चिकित्सा विभाग में फर्जी स्थानान्तरण आदेशों पर 42 कर्मचारियों की तैनाती के फलस्वरूप 35.24 लाख रुपये का कपटपूर्ण भुगतान हुआ।

(iLrj 4-1-2)

I fonkRed ck/; rk dk mYya@ku@Bcdnkj ka dks vufpr ykhk@i fjgk; l 0; ;

शासकीय आदेशों की उपेक्षा कर शिकोहाबाद-भोगांव मार्ग के सुदृढीकरण में महंगी सामग्री के उपयोग पर 2.42 करोड़ रुपये का परिहार्य अधिक व्यय किया गया।

(iLrj 4-3-1)

fuf"Ø; fuos'k@fuf"Ø; LFkki uk@/ku dk vojks'ku] mi Øeka dh LFkki uk ea foyEc] 0; ; orL@/ku dk nq i ; ksx

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत उपक्रमों की स्थापना न होने व कुशल संचालन, स्टाफ की तैनाती न होने के कारण संभार तंत्र समर्थन व्यवस्था क्रियाशील नहीं हुई एवं उस पर किये गये 9.19 करोड़ रुपये का व्यय अलाभकारी रहा।

(iLrj 4-4-1)

चौकनिया नाला एवं सुसवार बन्धी परियोजना की मुख्य नहर का निर्माण कार्य उनके संरेखण में पड़ने वाली वन भूमि के अधिग्रहण के बिना कराये जाने के कारण उनके निर्माण पर किये गये 13.05 करोड़ रुपये का व्यय अलाभकारी रहा।

(iLrj 4-4-3)

इटियाथोक ब्रांच नहर के किमी 26.804 पर रेलवे नहर पुल एवं स्पिलवे का निर्माण न होने के कारण ब्रांच के किमी 26.804 से आगे (धारा के बहाव की ओर) किये गये निर्माण पर 8.54 करोड़ रुपये का व्यय अलाभकारी रहा।

(iLrj 4-4-4)

पहुंच मार्ग का निर्माण अपूर्ण होने से 3.39 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित सेतुओं के उपयोग न होने के फलस्वरूप उसके निर्माण पर किया गया व्यय अलाभकारी रहा।

(iLrj 4-4-7)

पालेटेक्निक भवन मरु के पूर्ण करने में अप्रत्याशित विलम्ब एवं पर्याप्त शैक्षणिक/अशैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति न होने के कारण पालेटेक्निक पर किया गया व्यय 5.63 करोड़ रुपये अलाभकारी रहा, इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम इच्छुकों को पांच से अधिक वर्षों तक अवसर से वंचित रहना पड़ा।

(iLrj 4-4-11)

fu; ferrk , oa vll; i dj .k

स्थानान्तरित वन भूमि पर देय 95.73 करोड़ रुपये शुद्ध वर्तमान मूल्य की राशि उपभोक्ता इकाईयों से वसूल नहीं की गयी। भूमि का स्थानान्तरण भारत सरकार के निर्देशों तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन करते हुए किया गया।

(iLrj 4-5-2)

भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार क्षतिपूरक वानिकी निधि एवं शुद्ध वर्तमान मूल्य का विनिवेश न किये जाने के कारण 12.61 करोड़ रुपये ब्याज की हानि हुई। क्षतिपूरक वानिकी भी प्रभावित हुई।

(iLrj 4-5-3)

मार्ग के चौड़ीकृत भाग के तटबन्ध पर डाली गयी मिटटी की कुटाई अपेक्षित घनत्व के स्तर तक न करने से 6.06 करोड़ रुपये की लागत का मिटटी एवं बेसकोर्स का कार्य अपर्याप्त था।

(iLrj 4-5-9)

l f{klr : ijs[kk

शासन द्वारा उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2004 (यू पी एफ आर बी एम) के प्रावधान के अनुसार मध्यकालिक राजकोषीय पुर्नसंरचना नीति 2005 बनाई गयी जिसमें राज्य सरकार अपने राजकोषीय सुधार पथ वर्ष 2005-10 द्वारा प्रत्येक वर्ष राजकोषीय सुधार के उद्देश्य से लक्ष्य निर्धारित किया गया। राजस्व घाटा वर्ष 2004-05 के 6993 करोड़ रुपये से वर्ष 2005-06 में 1268 करोड़ रुपये लाया गया। यह मुख्यतया कर राजस्व में 20.17 प्रतिशत वृद्धि तथा वर्ष 2004-05 के कुल व्यय का 88 प्रतिशत राजस्व व्यय को 2005-06 में 83 प्रतिशत पर सीमित करने के कारण हुआ। राजकोषीय घाटे (10078 करोड़ रुपये) में 2919 करोड़ रुपये की कमी सामान्य थी जो मुख्यतया गत वर्ष के सापेक्ष पूंजीगत व्यय (8711 करोड़ रुपये) में 3058 करोड़ रुपये की वृद्धि के कारण रहा। केन्द्रीय ऋण के पुर्ननिर्धारण के कारण 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर कम ब्याज के भुगतान से प्राथमिक घाटा 144 करोड़ रुपये कम हुआ। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 12 प्रतिशत अनुमानित वृद्धि दर के विरुद्ध अग्रिम आकलन पर आधारित वास्तविक वृद्धि मात्र 10.23 प्रतिशत थी। मध्यकालिक राजकोषीय पुर्नसंरचना नीति में लक्षित 3.56 प्रतिशत के विरुद्ध पूंजीगत व्यय 3.35 प्रतिशत था अतः बारहवें वित्त आयोग के अनुमोदन के अनुसार वर्ष 2009-10 तक 7 प्रतिशत पहुंचाने में मन्दक था। राजकोषीय सुधार पथ में आकलित 7.70 प्रतिशत के विरुद्ध वर्ष में कर-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात 7.26 प्रतिशत था। राजस्व घाटा में कमी तथा राजकोषीय घाटा पर नियंत्रण के कारण ऋण अपलेखन योजना के तहत केन्द्रीय ऋण में 1063.71 करोड़ रुपये का अपलेखन हुआ।

राज्य का राजस्व कर एवं कर-भिन्न राजस्व, कर हस्तांतरण एवं भारत सरकार द्वारा अनुदान को सम्मिलित करते हुए वर्ष 2000-01 में 24743 करोड़ रुपये के सापेक्ष वर्ष 2005-06 में 83 प्रतिशत बढ़कर 45349 करोड़ रुपये हो गया। बिक्री एवं व्यापार पर कर इत्यादि राज्य के कर राजस्व के मुख्य स्रोत थे जिसका 60 प्रतिशत का योगदान रहा जिसके बाद राज्य आबकारी (16 प्रतिशत), स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क (16 प्रतिशत) एवं वाहन कर (5 प्रतिशत) का योगदान था। राजस्व अवशेष वर्ष 2000-01 में 7152 करोड़ रुपये से वर्ष 2005-06 में 23 प्रतिशत बढ़कर 8772 करोड़ रुपये हुआ। राजस्व व्यय वर्ष 2000-01 के 31030 करोड़ रुपये के सापेक्ष बढ़कर वर्ष 2005-06 में 46617 करोड़ रुपये हो गया (वृद्धि : 50 प्रतिशत)। बारहवें वित्त आयोग की संस्तुति सीमा 35 प्रतिशत के विरुद्ध राजस्व व्यय के सापेक्ष वेतन बिल पर कुल व्यय तथा शुद्ध ब्याज भुगतान एवं पेंशन भुगतान का व्यय 47 प्रतिशत रहा। 3551 करोड़ रुपये की धनराशि 27 अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध रहीं। राजकोषीय दायित्व (148868 करोड़ रुपये) का स रा घ उ का अनुपात वर्ष 2005-06 में 57 प्रतिशत रहा। उधार निधि की शुद्ध उपलब्धता दायित्वों के पुर्नभुगतान में कमी के कारण बढ़ गयी। संवैधानिक निगमों, शासकीय कम्पनियों आदि की तरफ से शासन द्वारा प्रत्याभूति की धनराशि मार्च 2006 तक 8433 करोड़ रुपये असमायोजित थीं।

शासकीय कम्पनियों में निवेश का प्रतिफल वर्ष 2005-06 में शासन द्वारा लिये गये उधार पर औसत ब्याज दर 6.5 प्रतिशत के विरुद्ध नाम मात्र बनी रही (1 प्रतिशत से कम)।

1-1 i Lrkouk

राज्य सरकार का लेखा तीन भागों में रखा जाता है। (1) समेकित निधि (2) आकस्मिकता निधि (3) लोक लेखा (ifff'k"V 1-1&Hkkx v) उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे में उन्नीस विवरण होते हैं जो राज्य सरकार की समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे में प्राप्तियों एवं व्यय, राजस्व तथा पूंजी को प्रदर्शित करते हैं। वित्त लेखा की रूपरेखा ifff'k"V 1-1&Hkkx c में दर्शायी गयी है।

1-1-1 ikflr; ka , oa l forj .kka dk l kjka k

l kj .kh&1 में उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2005-06 के वित्त का सारांश दिया गया है जिसमें वित्त लेखा के विवरण-1 तथा अन्य विस्तृत विवरणों से उद्धरित राजस्व प्राप्तियों एवं व्यय, पूंजीगत प्राप्तियों एवं व्यय, लोक लेखा प्राप्तियों एवं संवितरण को आच्छादित किया गया है।

l kj .kh&1 % o"kl 2005&06 ds fy; , ikflr; ka , oa l forj .kka dk l kjka k

(djkm+: i ; se)

| 2004-05 | ikflr; ka | 2005-06 | 2004-05 | Lforj .k | 2005-06 | | |
|----------------|---------------------------|-----------|-----------|----------------------------|--------------|-------------|-----------|
| Hkkx&v % jktLo | | | | | Vk; kstulBrj | Vk; kstulxr | ; ksx |
| 37617.44 | राजस्व प्राप्तियां | 45349.15 | 44610.35 | राजस्व व्यय | 40172.33 | 6444.81 | 46617.14 |
| 15692.67 | कर राजस्व | 18858.10 | 22761.43 | सामान्य सेवायें | 20875.07 | 44.61 | 20919.68 |
| 2720.29 | कर-भिन्न राजस्व | 2930.32 | 13089.72 | सामाजिक सेवायें | 10878.56 | 4731.14 | 15609.70 |
| 15055.20 | संघीय करों/शुल्कों का अंश | 18202.93 | 6976.27 | आर्थिक सेवायें | 6086.78 | 1669.06 | 7755.84 |
| 4149.28 | भारत सरकार से अनुदान | 5357.80 | 1782.93 | सहायक अनुदान एवं अंशदान | 2331.92 | ---- | 2331.92 |
| Hkkx&c % i ath | | | | | | | |
| ---- | विविध पूंजीगत प्राप्तियां | ---- | 5653.35 | पूंजीगत परिव्यय | 539.22 | 8172.01 | 8711.23 |
| 277.63 | ऋण एवं अग्रिमों की वसूली | 585.05 | 628.98 | ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण | 105.19 | 578.65 | 683.84 |
| 17463.25 | लोक ऋण प्राप्तियां* | 14257.46 | 9156.70 | लोक ऋणों का पुर्नभुगतान** | 5252.34 | ---- | 5252.34 |
| 75.69 | आकस्मिकता निधि | 298.52 | 43.31 | आकस्मिकता निधि | 182.77 | ---- | 182.77 |
| 45212.58 | लोक लेखा प्राप्तियां | 52528.51 | 40262.49 | लोक लेखा संवितरण | 43171.84 | ---- | 43171.84 |
| (-)196.25 | प्रारम्भिक अवशेष | 95.16 | 95.16 | अंतिम अवशेष | 8494.69 | ---- | 8494.69 |
| 100450.34 | ; ksx | 113113.85 | 100450.34 | ; ksx | 97918.38 | 15195.47 | 113113.85 |

* अर्थापय अग्रिमों एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर।

** 25.48 करोड़ रुपये का अर्थापय अग्रिम के अंतर्गत शुद्ध लेनदेन भी सम्मिलित है।

राज्य की राजस्व प्राप्तियों में मुख्यतया कर राजस्व (20.17 प्रतिशत), संघीय कर/शुल्क अंश (20.91 प्रतिशत) एवं भारत सरकार से सहायता अनुदान (29.13 प्रतिशत) में वृद्धि के कारण गत वर्ष की अपेक्षा 20.55 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। वर्ष 2005-06 में 548.99 करोड़ रुपये (30.79 प्रतिशत) सहायक अनुदान में, 11.17 प्रतिशत आर्थिक क्षेत्रों एवं 2519.98 करोड़ रुपये (19.25 प्रतिशत) सामाजिक क्षेत्रों में वृद्धि एवं सामान्य सेवा में (8.10 प्रतिशत) व्यय में कमी के कारण गत वर्ष की तुलना में राजस्व व्यय में 4.50 प्रतिशत की अल्प वृद्धि हुई। वर्ष 2004-05 की तुलना में वर्ष 2005-06 में 54.09 प्रतिशत की वृद्धि के साथ पूंजीगत व्यय भी बढ़कर 8711.23 करोड़ रुपये हो गया।

1-1-2 mRrj insk jktcdk'skh; mRrjnkf; Ro ,oa ctV ixU/ku (, Q vkj ch , e) vf/kfu; e 2004

राजकोषीय स्थिरता एवं निरन्तरता, प्रचुर मात्रा में राजस्व आधिक्य प्राप्त करके सामाजिक एवं भौतिक ढांचा एवं मानव विकास में सुधार करके कार्य क्षेत्र में वृद्धि, राजकोषीय घाटे में कमी, राजकोषीय नीति के प्रभावी संचालन की रूकावटों को दूर करने, उधार की सीमा, शासकीय प्रतिभूति, ऋण एवं घाटा को सीमित करके राजकोषीय कार्यों में वृहत्तर पारदर्शिता एवं मध्यकालिक राजकोषीय ढांचा एवं उसमें सम्बन्धित कार्यों में कुशल ऋण प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2004 लागू किया गया।

अधिनियम में प्राविधानित राजकोषीय प्रबंध सिद्धान्त को प्रभावी करने हेतु राज्य सरकार के लिये निम्न लक्ष्य निर्धारित किये गये।

- एक अप्रैल 2004 से प्रारम्भ होने वाले और 31 मार्च 2009 को समाप्त होने वाले 5 वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर राजस्व घाटा शून्य करना।
- 31 मार्च 2009 की अवधि के भीतर प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अनधिक तक राजकोषीय घाटे में कमी लाना।
- एक अप्रैल 2004 से प्रारम्भ होने वाले और 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले 14 वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर सुनिश्चित करना कि अन्तिम वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कुल दायित्व, उस वर्ष के लिए प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 25 प्रतिशत से अधिक न हो।
- सुनिश्चित करना कि इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के समय विद्यमान राज्य सरकार के किसी नियम या विधि या इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले किसी नियम या विधि के अधीन नियम सीमा से अधिक किसी धनराशि के लिए प्रत्याभूति नहीं देगी।

1-1-3 jktcdk'skh; uhfr fooj.k 2005&06

शासन द्वारा समयबद्ध तरीके से राजकोषीय सुधार के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु यू पी एफ आर वी एम अधिनियम के अधीन मध्यकालिक राजकोषीय पुनर्संरचना नीति 2005 (एम टी एफ आर पी) लागू की गयी। एम टी एफ आर पी 2005 का लक्ष्य निम्न उद्देश्यों को प्राप्त करना था।

- (i) वैज्ञानिक तरीके से कर ढांचा एवं अच्छी वसूली में सुधार को इस सीमा तक करना कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं स्व कर राजस्व का अनुपात वर्ष 2008-09 तक 8.3 प्रतिशत रहे।
- (ii) घाटे वाले उपक्रमों के सहायता बजट में कमी वेतन पेंशन को नियंत्रित करके एवं परिदान कम करके प्रारम्भिक-प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई एवं सड़क ढांचे में खर्च को वरीयता देना।
- (iii) कार्यक्रम संचालन एवं प्रतिफल के लिए प्रभावी नियोजन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु प्रक्रिया के आधुनिकीकरण एवं सुधार हेतु व्यय प्रबंधन सुधार।

तथापि राजकोषीय सुधारों के कार्यान्वयन हेतु अक्टूबर 2006 तक उपाय प्रतिपादित नहीं किये गये।

1-1-4- ,Q vkj oh ,e vf/kfu; e ea ikfo/kkfur jkt dks'kh; y{; ka dh ikflr gsrq ekxl ekufp=

भारत सरकार ने बारहवें वित्त आयोग (टी एफ सी) हेतु राज्यों की आंकलित वार्षिक घाटा निर्धारण टी एफ सी पंचाट अवधि हेतु राजकोषीय लक्ष्य एफ आर वी एम ऐक्ट को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित किया। 12वें वित्त आयोग की संस्तुतियों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा अपना राजकोषीय सुधार पथ तैयार किया गया जिसमें वर्ष 2004-05 से 2009-10 के मध्य कार्यान्वयन की लक्षित तिथि के प्रतिफल सूचक मील के पत्थर दर्शित थे। (ifj'k"V&1-2) राजकोषीय सुधार पथ का उद्देश्य राजस्व घाटे को 2008-09 तक समाप्त किया जाना तथा सकल राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत के स्तर तक कम करना था। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्नवत मील के पत्थर निर्धारित किये गये :

| | okLrfod 2003-04 | okLrfod 2004-05 | vkj-bl 2005-06 | ik; kftr 2006-07 | ik; kftr 2007-08 | ik; kftr 2008-09 | ik; kftr 2009-10 |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| राजस्व घाटा (स रा घ उ % के साथ) | 6306 2.9% | 6992.91 3% | 3132 1.2% | 1658 0.6% | 1112 0.4% | (-1199) (-0.3%) | (-3659) (-0.9%) |
| राजकोषीय घाटा (स रा घ उ % के साथ) | 10776 5.0% | 12997.61 5.7% | 13167.53 5.1% | 11745 4.1% | 11725 3.6% | 10830 3% | 10617 2.6% |

प्रायोजना निर्मित करने के लिए पूर्व-वास्तविक व्यय 2004-05 को आधार वर्ष बनाया गया। 12 प्रतिशत औसत वार्षिक वृद्धि के साथ वर्ष 2009-10 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) 404305 करोड़ रुपये लक्षित था।

1-1-5 jkt dks'kh; fLFkfr dh e/; dkfyd l eh{kk

यू पी एफ आर वी एम अधिनियम के अन्तर्गत वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री को प्रत्येक छःमाही बजट से सम्बंधित प्राप्ति एवं व्यय की समीक्षा करना था, बजट लक्ष्य प्राप्त करने के लिये सुधारात्मक कदम उठाना था तथा विधायिका के दोनों सदनों में समीक्षा के प्रतिफल को रखा जाना था। यद्यपि, माह अक्टूबर 2006 तक सदन में प्रस्तुत छःमाही समीक्षा प्रतिवेदन में राजकोषीय सुधार के लक्ष्य को प्राप्त करने की रणनीतियां नहीं दिखायी दीं।

1-2 jkT; dh jkt dks'kh; fLFkfr dk fogakoyksdu

1-2-1 jkT; ea jkt dks'kh; l ewgka dh iofrr

गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति l kj.kh&2 मे दी गयी है।

I kj . kh&2

¼d j k M+ : i ; s e#

| 2004-05 | Øe l 0 | eq; l eg | 2005-06 |
|---------|--------|-------------------------------|---------|
| 37617 | 1. | jktLo i kflr; ka(2+3+4) | 45349 |
| 15693 | 2. | कर राजस्व (शुद्ध) | 18858 |
| 2720 | 3. | कर भिन्न राजस्व | 2930 |
| 19204 | 4. | अन्य प्राप्तियाँ | 23561 |
| 278 | 5. | __ .k jfgr i mthxr i kflr; ka | 585 |
| 278 | 6. | जिसमें ऋणों की वसूली | 585 |
| 37895 | 7. | clj i kflr; ka(1+5) | 45934 |
| 40688 | 8. | vk; kstuRrj 0; ; | 40816 |
| 39512 | 9. | राजस्व लेखे पर | 40172 |
| 11873 | 10. | जिसमें ब्याज भुगतान | 9098 |
| 1035 | 11. | पूँजीगत लेखे पर | 539 |
| 141 | 12. | ऋणों के संवितरण पर | 105 |
| 10204 | 13. | vk; kstuxr 0; ; | 15196 |
| 5098 | 14. | राजस्व लेखे पर | 6445 |
| 4618 | 15. | पूँजीगत लेखे पर | 8172 |
| 488 | 16. | ऋणों के संवितरण पर | 579 |
| 50892 | 17. | clj 0; ; (13+8) | 56012 |
| 6993 | 18. | राजस्व घाटा (9+14-1) | 1268 |
| 12997 | 19. | राजकोषीय घाटा (17-1-5) | 10078 |
| 1124 | 20. | प्राथमिक घाटा (19-10) | 980 |

राज्य की राजकोषीय स्थिति की समीक्षा यह दर्शाती थी कि गतवर्ष की तुलना में चालू वर्ष में मुख्यतया सरकार की राजस्व प्राप्ति में वृद्धि (7732 करोड़ रुपये ; 20.55 प्रतिशत) एवं ब्याज भुगतान में कमी (2775 करोड़ रुपये ; 23.37 प्रतिशत) के कारण सुधार हुआ। परिणामस्वरूप गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2005-06 में राजस्व एवं राजकोषीय घाटे में क्रमशः 5725 करोड़ रुपये एवं 2919 करोड़ रुपये की कमी दर्ज की गयी।

1-3 ys[kk ijh{kk iz.kkyh

वर्ष 2005-06 के वित्त लेखों पर आधारित लेखा परीक्षा निष्कर्ष प्राप्ति एवं व्यय के मुख्य राजकोषीय समूहों को दर्शाते हैं जिसमें विगत वर्षों की तुलना में समकालीन आंकड़ों का विश्लेषण किया गया (iff'k"V&1-3 /s 1-6)। वृहद राजकोषीय समूहों जैसे कर एवं कर-भिन्न राजस्व, राजस्व एवं पूँजीगत व्यय, आंतरिक एवं बाह्य ऋण तथा राजस्व एवं राजकोषीय घाटे की वर्तमान बाजार भाव पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित किया गया है। वर्ष 1993-94 पर आधारित स रा घ उ श्रृंखला जो राज्य सरकार के निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा प्रकाशित की गयी थी, का उपयोग किया गया है। कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, राजस्व व्यय इत्यादि के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में होने वाले उतार चढ़ाव परास के अग्रततर आकलन हेतु उत्प्लावकता प्रक्षेप को भी दिया गया है। इस उद्देश्य के लिए : (i) परिमाण एवं साधनों द्वारा संसाधन (ii) संसाधनों का उपयोग (iii) परिसम्पत्तियाँ एवं देयतायें तथा (iv) घाटों का प्रबंधन मुख्य सूचक के रूप में अपनाये गये। लेखा परीक्षा संवीक्षा में संसाधन संग्रहण उपलब्धियों का संचयी प्रयास, ऋण सेवा तथा शोधक राजकोषीय मापदण्ड को भी सम्मिलित किया गया। राज्य सरकार को एक कारपोरेट बाडी मानते हुए उसके समस्त वित्तीय प्रदर्शन को, अनुपातों के समूह जिसे सामान्यतया राजकोषीय समूहों को परस्पर व्याख्या हेतु किया जाता है, द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार के वित्तीय प्रदर्शनों को भी इस अनुभाग में सूचीबद्ध किया गया है जिसमें प्रयोग में लाये गये कुछ शब्दों को iff'k"V&1-1 Hkkx&1 में विस्तारित किया गया है।

1-4 eq; l pdka ds vuq kj jkT; ds foRr

1-4-1 ifjek.kka , oa l k/kuka }kjk l d k/ku

राज्य सरकार के संसाधनों में राजस्व प्राप्तियां एवं पूंजीगत प्राप्तियां शामिल होती हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर भिन्न राजस्व, भारत सरकार के करों एवं शुल्कों में राज्यांश तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान सम्मिलित हैं। पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे विनिवेश से प्राप्तियां, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (जैसे बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों इत्यादि से लिये गये उधार) लोक लेखा से सम्भूति तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। l kj.kh&3 दर्शाती है कि वर्ष 2005-06 में राज्य सरकार की कुल प्राप्तियां 113019 करोड़ रुपये थी। इसमें राजस्व प्राप्तियां 45349 करोड़ रुपये थी जोकि कुल प्राप्तियों का 40.13 प्रतिशत था। अवशेष उधार, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा प्राप्तियों से पूरित हुआ।

l kj.kh&3 % mRrj i ns'k ds l d k/ku

%dj kM+: i ; se%

| | | |
|-----------------------------------|-------|--------|
| I jktLo ikflr; ka | | 45349 |
| II i wthxr ikflr; ka | | 14842 |
| ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां | 585 | |
| लोक ऋण प्राप्तियां | 14257 | |
| विविध पूंजीगत प्राप्तियां | ---- | |
| III vkdfLedrk fuf/k | | 299 |
| IV ykd ys'kk ikflr; ka | | 52529 |
| अ. लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि | 3605 | |
| ब. आरक्षित निधि | 3182 | |
| स. निक्षेप एवं अग्रिम | 16549 | |
| द. उचन्त एवं विविध | 20952 | |
| य. प्रेषण | 8241 | |
| dy ikflr; ka | | 113019 |

1-4-2 jktLo ikflr; ka


वित्त लेखे का विवरण-11 सरकार के राजस्व प्राप्तियों को वर्णित करता है। राजस्व प्राप्तियों में स्व कर एवं कर भिन्न राजस्व, केन्द्रीय कर हस्तांतरण एवं भारत सरकार से अनुदान सम्मिलित है। समग्र राजस्व प्राप्तियां, इसकी वार्षिक वृद्धि दर, इन प्राप्तियों का राज्य की सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष अनुपात तथा इसकी उत्प्लावकता को l kj.kh&4 में प्रदर्शित किया गया है।

l kj.kh&4 % jktLo ikflr; k&ikFkfed ikpy

| | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 |
|---|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| jktLo ikflr; ka %vkj vkj% %dj kM+: i ; se% | 24743 | 25598 | 27821 | 31638 | 37617 | 45349 |
| स्व कर (प्रतिशत) | 44.38 | 40.35 | 45.89 | 42.99 | 41.72 | 41.58 |
| कर भिन्न राजस्व (प्रतिशत) | 7.86 | 6.98 | 6.88 | 7.21 | 7.23 | 6.46 |
| केन्द्रीय कर हस्तांतरण (प्रतिशत) | 36.56 | 39.80 | 38.93 | 41.95 | 40.02 | 40.14 |
| सहायक अनुदान (प्रतिशत) | 11.21 | 12.86 | 8.30 | 7.85 | 11.03 | 11.82 |
| jktLo ikflr; ka dh of) nj %i fr'kr% | 15.11 | 3.46 | 8.68 | 13.72 | 18.90 | 20.55 |
| jktLo ikflr; k@l jk ?k m %i fr'kr% | 14.30 | 14.12 | 14.09 | 14.54 | 15.96 | 17.46 |
| jktLo mRlykodrk %vuq kr% | 3.229 | 0.728 | 0.976 | 1.345 | 2.271 | 2.010 |
| jkT; ds Lo dj dh mRlykodrk %vuq kr% | 3.589 | (-1.246) | 2.654 | 0.640 | 1.848 | 1.971 |
| jkT; ds Lo dj ds l nHkz ea jktLo mRlykodrk %vuq kr% | 0.900 | (-) 0.584 | 0.368 | 2.102 | 1.229 | 1.026 |
| l dy jkT; ?kjsy mRi kn of) %i fr'kr% | 4.68 | 4.75 | 8.89 | 10.20 | 8.32 | 10.23 |

I kekl; iofRr

विश्लेषण प्रवृत्ति दर्शाती है कि राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर वर्ष 2000-01 में 15.11 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2001-02 में 3.46 प्रतिशत हो गई यद्यपि, वर्ष 2002-03 से इसमें बढ़ोतरी की प्रवृत्ति दर्शात हुई तथा वर्ष 2003-04 में 8.68 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2005-06 में 20.55 प्रतिशत हो गई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशत्ता में वर्ष 2000-01 के 14.30 के सापेक्ष वर्ष 2005-06 में 17.46 प्रतिशत का सुधार हुआ। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के विकास दर में भी वर्ष 2004-05 को छोड़कर वृद्धि की प्रवृत्ति दिखी जो वर्ष 2000-01 के 4.68 प्रतिशत के सापेक्ष 2005-06 में 10.23 प्रतिशत हुई। वर्ष 2003-04 के 10.20 प्रतिशत के सापेक्ष वर्ष 2004-05 में यह वृद्धि दर गिरकर 8.32 प्रतिशत रही।



dj jktLo

राज्य का कर राजस्व गत वर्ष की तुलना में 2004-05 में 15693 करोड़ रुपये के सापेक्ष 20.17 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2005-06 में 18858 करोड़ रुपये हुआ यह वृद्धि मुख्यतया व्यापार कर में 2397 करोड़ रुपये (27 प्रतिशत) वृद्धि के कारण हुयी। यद्यपि, सरकार द्वारा मध्यकालिक राजकोषीय पुर्नसंरचना नीति 2005 के अंतर्गत वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष स्वरुप राजस्व में 922 करोड़ रुपये की कमी रही।

dj&fHkUu jktLo

राजस्व प्राप्तियों में कर भिन्न राजस्व का अंश वर्ष 2004-05 के 7 प्रतिशत के सापेक्ष घटकर वर्ष 2005-06 में 6 प्रतिशत रह गया। मुख्य योगदान ब्याज प्राप्तियां (16 प्रतिशत) शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति से प्राप्तियां (32 प्रतिशत) अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग (12 प्रतिशत) का था। राज्य द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं की लागत की अल्प वसूली के कारण कुल राजस्व प्राप्तियों में कर भिन्न राजस्व का भाग अपेक्षित रूप से कम था। सरकार द्वारा योग्य वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लागत वसूली¹ का वर्तमान स्तर लोक निर्माण, शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति में से प्रत्येक में 11 प्रतिशत, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य में 1.85 प्रतिशत जलापूर्ति एवं सफाई में 0.3 प्रतिशत, वृहद एवं मध्यम सिंचाई में 19.48 प्रतिशत एवं ऊर्जा में 10.70 प्रतिशत था। यद्यपि, राज्य की स्व राजकोषीय सुधार पथ में इस वर्ष के लिए आंकलन से कर-भिन्न राजस्व में 683 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

I gk; rk vupku

भारत सरकार से सहायता अनुदान वर्ष 2004-05 के 4149 करोड़ रुपये में 29 प्रतिशत वृद्धि के साथ वर्ष 2005-06 में 5358 करोड़ रुपये हो गया। जबकि आयोजनेत्तर अनुदान प्रचुर रूप से वर्ष 2004-05 के 334.90 करोड़ रुपये के सापेक्ष बढ़कर वर्ष

¹ इन क्रियाकलापों से प्राप्त राजस्व से भागित राजस्व व्यय, लागत वसूली को परिभाषित करती है।

2005-06 में 2026.50 करोड़ रुपये¹ हुआ, राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान 2399.95 करोड़ रुपये से कम होकर 1916.24 करोड़ रुपये हो गया। पुनश्च, राज्य के राजकोषीय सुधार पथ में वर्ष के 3712.91 करोड़ रुपये आंकलन के विपरीत भारत सरकार से आयोजनागत सहायता अनुदान में 48 प्रतिशत की कमी रही।

jktLo vo'kSk

राजस्व अवशेष गत वर्ष की तुलना में 850.50 करोड़ रुपये बढ़कर 31 मार्च 2006 को 8772.07 करोड़ रुपये हो गया। न्यायालयों द्वारा स्थगित वसूलियों को सम्मिलित करते हुए वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में विभागवार लम्बित वसूली के विवरण निम्न तालिका में दर्शित है :

jktLo vo'kSk

(djkm+: i; se)

| foHkx dk uke | 2004-05 | | | 2005-06 | | |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|----------------------|----------------|
| | U; k; ky; ka }kj k LFfxr | vU; dkj . kka l s | ; ksx | U; k; ky; ka }kj k LFfxr | vU; dkj . kka l s | ; ksx |
| व्यापार कर | 1018.06 | 6191.62 | 7209.68 | 930.07 | 7526.26 | 8456.33 |
| मनोरंजन कर | अप्राप्त | 12.17 | 12.17 | 4.44 | 7.53 | 11.97 |
| राज्य आबकारी | 16.81 | 43.32 | 60.13 | 12.62 | 43.24 | 55.86 |
| वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर | अप्राप्त | 639.59 | 639.59 | 0.27 | 23.43 | 23.70 |
| स्टॉप एवं निबंधन शुल्क | अप्राप्त | अप्राप्त | अप्राप्त | 145.83 | 64.98 | 210.81 |
| भू-राजस्व | अप्राप्त | अप्राप्त | अप्राप्त | 1.69 | 11.71 | 13.40 |
| ; ksx | 1034.87 | 6886.70 | 7921.57 | 1094.92 | 7677.15 | 8772.07 |

1-4-3 i kflr; ka ds l kr

वर्ष 2000-06 के मध्य विभिन्न लेखाशीर्षों में प्राप्तियों के स्रोत तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद को l kj . kh&5 में दर्शाया गया है।

l kj . kh&5 % i kflr; ka ds l kr & idfRr

(djkm+: i; se)

| o"kl | jktLo i kflr; ka | i wthxr i kflr; ka | | | | dy i kflr; ka | l dy jkt; ?kj syw mRi kn |
|----------------|---------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|
| | | ... k fHkUu i kflr; ka | ... k i kflr; ka | vkdfLedrk fuf/k i kflr; ka | ykd ys[kk ea mi kftR | | |
| 2000-01 | 24743 | 296 | 9251 | 92 | 37567 | 71949 | 173068 |
| 2001-02 | 25598 | 366 | 11383 | 81 | 36965 | 74393 | 181303 |
| 2002-03 | 27821 | 219 | 12390 | ---- | 37327 | 77757 | 197426 |
| 2003-04 | 31638 | 12498 | 22110 | 52 | 46875 | 113173 | 217573 |
| 2004-05 | 37617 | 278 | 17463 | 76 | 45213 | 100647 | 235678 |
| 2005-06 | 45349 | 585 | 14257 | 299 | 52529 | 113019 | 259778 |

वर्ष 2000-01 में राज्य की कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का भाग 34.39 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2005-06 में 40.13 प्रतिशत हो गया। शेष मुख्यतया ऋण, ऋण भिन्न एवं लोक लेखा प्राप्तियों से आया। सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजस्व प्राप्तियों का अनुपात भी वर्ष 2000-01 में 14.30 प्रतिशत से बढ़कर 2005-06 में 17.46 प्रतिशत हो गया। ऋण प्राप्तियों में वर्ष 2001-04 में स्थिर गति से वृद्धि हुई एवं वर्ष 2003-04 में ऊंचाई पर पहुंचने के पश्चात उसमें कमी आयी।

¹ शिक्षा : 736.87 करोड़ रुपये, विकित्सा : 367.63 करोड़ रुपये, स्वायत्त निकाय : 689.00 करोड़ रुपये, प्राकृतिक आपदायें : 221.95 करोड़ रुपये एवं अन्य : 11.05 करोड़ रुपये


1-5 I d k/kuka dk mi ; ksx

1-5-1 0; ; dh of)

वित्त लेखे का विवरण 12 राजस्व व्यय को लघु लेखा शीर्षवार तथा पूंजीगत व्यय को मुख्य लेखा शीर्ष द्वारा दर्शाता है। राज्यों द्वारा अपने सार्वभौमिक प्रयोजनों के संपादन, वर्तमान प्रवित्ति की सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं को बनाये रखने, इन सेवाओं के जाल को पूंजीगत व्यय एवं निवेश द्वारा विस्तारित करने तथा ऋण सेवाओं के दायित्व के निर्वहन हेतु अपने संसाधनों की वृद्धि की जाती है। राज्य का कुल व्यय वर्ष 2000-01 के 35216 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2005-06 में 56012 करोड़ रुपये हो गया। कुल व्यय, उसकी वार्षिक वृद्धि दर एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद से व्यय का अनुपात एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद से इसकी उत्प्लावकता एवं राजस्व प्राप्तियां I kj.kh&6 में दर्शित हैं।

I kj.kh&6 % dgy 0; ; & i kFkfed i kpy

| | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 |
|--|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
| कुल व्यय (टी.ई.)* (करोड़ रुपये में) | 35216 | 35875 | 37537 | 60783 | 50892 | 56012 |
| वृद्धि दर (प्रतिशत) | 7.18 | 1.87 | 4.63 | 61.93 | (-16.27) | 10.06 |
| कुल व्यय/स रा घ उ अनुपात (प्रतिशत) | 20.35 | 19.79 | 19.01 | 27.94 | 21.59 | 21.56 |
| राजस्व प्राप्तियां/कुल व्यय अनुपात (प्रतिशत) | 70.26 | 71.35 | 74.12 | 52.05 | 73.92 | 80.96 |
| dgy 0; ; dh mRlykodrk Wufu ds I nkh/ e% | | | | | | |
| स रा घ उ (अनुपात) | 1.534 | 0.394 | 0.521 | 6.072 | -- | 0.983 |
| राजस्व प्राप्तियां (अनुपात) | 0.475 | 0.542 | 0.533 | 4.514 | -- | 0.490 |



* कुल व्यय में राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय एवं ऋण तथा अग्रिम सम्मिलित हैं।

कुल व्यय से राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 2000-01 में 70.26 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2005-06 में 80.96 प्रतिशत हो गया। यह प्रदर्शित करता था कि वर्ष 2005-06 में 80.96 प्रतिशत व्यय वर्तमान राजस्व से वहन किया गया तथा शेष उधार से पूर्ण किये जाने हेतु छोड़ दिया गया। सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं राजस्व प्राप्तियों से कुल व्यय की उत्प्लावकता वर्ष 2003-04 में क्रमशः तेजी से बढ़कर 6.072 एवं 4.514 हो गयी जो मुख्यतया ऊर्जा क्षेत्र के ऋण (12277 करोड़ रुपये) के अपलेखन एवं ब्याज भुगतान में 3064 करोड़ रुपये की वृद्धि कुल व्यय में असमान्य बढ़ोत्तरी के कारण हुई। वर्ष 2001-02 एवं 2005-06 की अवधि में यह अनुपात एक से कम था।

dk; dgyki ds vk/kkj ij dgy 0; ; dh i dRr


कार्यकलापों के संदर्भ में कुल व्यय के अंतर्गत ब्याज भुगतान, सामान्य सेवाओं पर हुए व्यय को सम्मिलित करते हुए सामाजिक एवं आर्थिक सेवायें, सहायता अनुदान तथा

ऋण एवं अग्रिम पर व्यय आता है। कुल व्यय में इन घटकों के अनुपाती अंश को 1.22 में दर्शाया गया है।

1.22 % 0; ; संसदीय प्रतिवेदन

(प्रतिशत)

| | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| व्याज भुगतान | 43.34 | 45.45 | 42.39 | 32.52 | 45.23 | 37.91 |
| सहायता अनुदान | 21.16 | 22.91 | 18.81 | 16.66 | 23.33 | 16.24 |
| व्यय | 26.92 | 26.61 | 28.23 | 17.58 | 26.70 | 29.94 |
| व्यय | 24.06 | 23.88 | 24.13 | 45.63 | 23.34 | 26.77 |
| अग्रिम | 3.07 | 2.59 | 3.11 | 2.23 | 3.49 | 4.16 |
| ऋण | 2.61 | 1.47 | 2.14 | 2.04 | 1.24 | 1.22 |



व्यय के इन घटकों के अनुपाती अंश का चलन यह इंगित करता है कि जबकि कुल व्यय में आर्थिक सेवाओं एवं सामाजिक सेवाओं का अंश वर्ष 2000-01 में 24.06 एवं 26.92 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2005-06 में 26.77 एवं 29.94 प्रतिशत हो गया, सामान्य सेवाओं का अनुपाती अंश वर्ष 2000-01 में 43.34 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2005-06 में 37.91 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2005-06 में ब्याज भुगतान का अनुपाती अंश न्यूनतम 16.24 प्रतिशत था। जबकि सहायता अनुदान का अनुपाती अंश वर्ष 2000-01 में 3.07 से नाम मात्र बढ़कर वर्ष 2005-06 में 4.16 प्रतिशत हुआ, कुल व्यय में ऋण एवं अग्रिम की प्रतिशतता 2.61 प्रतिशत से घटकर 1.22 प्रतिशत हो गयी।

1-5-2 कुल व्यय के घटकों

कुल व्यय में राजस्व व्यय मुख्य अंश था। राजस्व व्यय को सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाये रखने के लिये एवं पुराने आभारों के भुगतान हेतु किया जाता है जिससे राज्य के ढांचागत एवं सेवा क्षेत्र में वृद्धि का कोई परिलक्षण नहीं होता है। समस्त राजस्व व्यय, इसकी वृद्धि दर, राजस्व व्यय का राज्य के सारा घउ तथा राजस्व प्राप्तियों से अनुपात एवं इसकी उत्प्लावकता को 1.22 में दर्शाया गया है।

I kj.kh&8 % jktLo 0; ; % ikFkfed ikpy

(dkM+: i; se)

| | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 |
|--|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
| राजस्व व्यय (रा.व्यय) जिसमें | 31030 | 31793 | 32939 | 50221 | 44610 | 46617 |
| आयोजनेत्तर राजस्व व्यय (आयो. रा. व्यय) | 27344 | 28232 | 29364 | 46945 | 39512 | 40172 |
| आयोजनागत राजस्व व्यय (आयो. रा. व्यय) | 3686 | 3561 | 3575 | 3276 | 5098 | 6445 |
| वृद्धि दर (प्रतिशत) | | | | | | |
| आयो. रा. व्यय | 10.90 | 3.25 | 4.01 | 59.87 | (-)15.83 | 1.67 |
| आयो. रा. व्यय | (-)9.90 | (-)3.39 | 0.39 | (-)8.36 | 55.62 | 26.42 |
| आयो. रा. व्यय / स रा घ उ (प्रतिशत) | 15.80 | 15.57 | 14.87 | 21.58 | 16.77 | 15.46 |
| कुल व्यय से आयोजनेत्तर राजस्व व्यय का प्रतिशत | 77.65 | 78.70 | 78.23 | 77.23 | 77.64 | 71.72 |
| राजस्व प्राप्तियों से आयोजनेत्तर राजस्व व्यय का प्रतिशत | 110.51 | 110.29 | 105.55 | 148.38 | 105.04 | 88.58 |
| jkTLo 0; ; dh mRlykodrk | | | | | | |
| सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात) | 1.696 | 0.518 | 0.405 | 5.144 | (-)1.343 | 0.440 |
| राजस्व प्राप्तियां (अनुपात) | 0.525 | 0.712 | 0.415 | 3.824 | (-)0.591 | 0.219 |

आयोजनेत्तर राजस्व व्यय की वृद्धि दर वर्ष 2000-06 के मध्य वर्ष 2004-05 को छोड़कर वर्ष 2005-06 में न्यूनतम 1.67 प्रतिशत थी। योजनागत व्यय भी वर्ष 2000-06 के मध्य वर्ष 2004-05 (55.62 प्रतिशत) को छोड़कर वर्ष 2005-06 में उच्चतम 26.42 प्रतिशत थी।

स रा घ उ से राजस्व व्यय की उत्प्लावकता वर्ष 2000-01(1.696) व 2003-04 (5.144) को छोड़कर समस्त वर्षों (2000-06) में एक से कम थी। राजस्व प्राप्तियों के साथ भी यह अनुपात वर्ष 2003-04 (3.824) को छोड़कर वर्ष 2000-06 के मध्य एक से नीचे था। यद्यपि, आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में वृद्धि वर्ष 2005-06 में स्थिर किया गया एवं वर्ष के लिये सरकार द्वारा राजकोषीय सुधार पथ में आंकलित 44021.08 करोड़ रुपये से नीचे बनाये रखा गया। किन्तु बाहरवें वित्त आयोग द्वारा आंकलित 34494.83 करोड़ रुपये से 5677.50 करोड़ रुपये बढ़कर आयोजनेत्तर व्यय 40172 करोड़ रुपये हो गया। गत वर्ष की तुलना में मुख्यतया सामाजिक सेवाओं में 1263 करोड़ रुपये की वृद्धि के कारण योजनागत राजस्व व्यय में 1347 करोड़ रुपये (26 प्रतिशत) की वृद्धि हुयी।

1-5-3 opuc) 0; ;

oru ,oaetnjh ij 0; ;

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा प्रदत्त वर्ष 2001-06 के वी एल सी डाटा के आधार पर वेतन एवं मजदूरी व्यय सहायता अनुदान से वेतन भुगतान को सम्मिलित करते हुये हेतु लिया गया है और वर्ष 2000-01 हेतु डाटा स्रोत, वित्त विभाग है। नीचे दी गयी I kj.kh&9 में योजनागत एवं आयोजनेत्तर शीर्षों में वेतन एवं मजदूरी व्यय की स्थिति दर्शित है और इसकी राजस्व प्राप्तियों एवं स रा घ उ से प्रतिशतता को भी दर्शाता है। बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राजस्व व्यय के सापेक्ष कुल वेतन बिल पेंशन एवं ब्याज भुगतान का शुद्ध व्यय 35 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये जबकि वर्ष 2005-06 में यह अनुपात 47 प्रतिशत रहा।

I kj.kh&9 % oru ij 0; ;

(dkM+: i; se)

| 'kh"KZ | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 |
|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| oru ,oaetnjh ij 0; ; जिसमें | 11243.96 | 12348.12 | 13603.83 | 14332.85 | 15652.87 |
| आयोजनेत्तर शीर्ष | 10804.50 | 11895.75 | 13107.81 | 13767.48 | 15125.08 |
| योजनागत शीर्ष | 439.46 | 452.37 | 496.02 | 565.37 | 527.79 |
| स रा घ उ से प्रतिशत | 6.20 | 6.25 | 6.25 | 6.08 | 6.03 |
| राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत | 43.93 | 44.38 | 43.00 | 38.10 | 34.52 |

वर्ष 2001-06 की अवधि में वेतन एवं मजदूरी पर व्यय स रा घ उ का लगभग 6 प्रतिशत था जबकि राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में यह वर्ष 2001-02 के 43.93 प्रतिशत से घटकर 2005-06 में 34.52 प्रतिशत रह गया। फिर भी मध्यकालिक राजकोषीय पुर्नसंरचना नीति में आकलित (15380.20 करोड़ रुपये) धनराशि से वेतन एवं मजदूरी पर व्यय में 272.67 करोड़ रुपये की वृद्धि हुयी ।

i dku Hkqrku

I kj.kh&10 % i dku ij 0; ;

(djkm+: i; se)

| ' kh"kl | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| पेंशन पर व्यय | 2163.27 | 2391.74 | 2751.13 | 2900.10 | 3561.15 | 3990.80 |
| स रा घ उ से प्रतिशत | 1.25 | 1.32 | 1.39 | 1.33 | 1.51 | 1.54 |
| राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत | 8.75 | 9.34 | 9.89 | 9.17 | 9.47 | 8.80 |

पेंशन भुगतान पर व्यय वर्ष 2000-01 में 2163.27 करोड़ रुपये से वर्ष 2005-06 में 84 प्रतिशत बढ़कर 3990.80 करोड़ रुपये हुआ। स रा घ उ से पेंशन भुगतान का अनुपात वर्ष 2000-01 में 1.25 की तुलना में वर्ष 2005-06 में बढ़कर 1.54 हो गया। राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में पेंशन भुगतान वर्ष 2001-04 में 9 प्रतिशत के ऊपर रहा लेकिन वर्ष 2005-06 में मामूली रूप से घटकर 8.8 प्रतिशत रह गया। वर्ष 2005-06 में पेंशन भुगतान राज्य सरकार द्वारा अपने राजकोषीय सुधार पथ एवं मध्यकालिक राजकोषीय नीति विवरण में अनुमानित सीमा के अंदर था। इसके अतिरिक्त बारहवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष में अनुमानित पेंशन पर व्यय 4557.58 करोड़ रुपये से 566.78 करोड़ रुपये कम हुआ।


C; kt Hkqrku

कुल राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय में ब्याज भुगतान एवं उसकी प्रतिशतता निम्न सारणी में दर्शित है:

I kj.kh&11 % C; kt Hkqrku

| o"kl | dy jktLo i kflr; ka | C; kt Hkqrku | fuEu ds l nHkZ ea C; kt Hkqrku dk ifr'kr | |
|---------|---------------------|--------------|--|------------|
| | | | dy jktLo i kflr; ka | jktLo 0; ; |
| | | | %djkm+: i; se# | |
| 2000-01 | 24743 | 7452 | 30 | 24 |
| 2001-02 | 25598 | 8220 | 32 | 26 |
| 2002-03 | 27821 | 7060 | 25 | 21 |
| 2003-04 | 31638 | 10124 | 32 | 20 |
| 2004-05 | 37617 | 11873 | 32 | 27 |
| 2005-06 | 45349 | 9098 | 20 | 20 |

वर्ष 2004-05 में ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्तियों का 32 प्रतिशत एवं कुल राजस्व व्यय का 27 प्रतिशत था। यद्यपि, यह वर्ष 2004-05 में 11873 करोड़ रुपये से घटकर वर्ष 2005-06 में 9098 करोड़ रुपये रह गया जोकि कुल राजस्व प्राप्तियों एवं कुल राजस्व व्यय का 20 प्रतिशत था। राज्य के अपनी राजकोषीय सुधार पथ में वर्ष के लिये किये गये आंकलन की तुलना में वर्ष 2005-06 में ब्याज भुगतान 994 करोड़ रुपये कम था। ब्याज भुगतान में कमी डेट स्वैप एवं भारत सरकार के उच्च लागत ऋणों को पुर्ननिर्धारित करके बारहवें वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर ब्याज दर 7.5 प्रतिशत करने के कारण हुई।



i fjnku

यद्यपि, राज्य सरकार विभिन्न निगमों को परिदान देती रही और बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य के वित्त लेखे में परिदान लेनदेनों का लेखा रखना था, तथापि राज्य बजट में परिदान को अलग मद के रूप में प्रदर्शित नहीं किया गया।

1-6 vko\uh; i kFkfedrkvk }kj k 0; ;

1-6-1 0; ; dh xq koRrk

अच्छे सामाजिक एवं भौतिक ढांचे की उपलब्धता राज्य के व्यय की गुणवत्ता प्रदर्शित करती है। इसलिये पूंजीगत व्यय का कुल व्यय के साथ-साथ स रा घ उ से अनुपात एवं वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के दक्षतापूर्वक एवं सुचारु संचालन हेतु किये जा रहे राजस्व व्यय का समानुपात व्यय की गुणवत्ता निर्धारित करेगा। कुल व्यय एवं स रा घ उ से इन मदों का उच्चतर अनुपात ही गुणवत्ता परक व्यय है। I kj .kh&12 वर्ष 2000-06 के मध्य इनके अनुपात कों दर्शित करती है।

I kj .kh&12 % xq koRrk ijd 0; ; ds l pd

(dkm+: i; se)

| | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| it hxr 0; ; | 3268 | 3556 | 3794 | 9320 | 5653 | 8711 |
| jktLo 0; ; | 31030 | 31793 | 32939 | 50221 | 44610 | 46617 |
| जिसमें | | | | | | |
| सामाजिक एवं आर्थिक सेवायें | 14791.00 | 14686.32 | 16191.25 | 29324.05 | 20066.00 | 23365.55 |
| (i) वेतन एवं मजदूरी घटक | अप्राप्त | 3347.61 | 3643.65 | 3987.05 | 4161.84 | 4377.92 |
| (ii) गैर वेतन एवं मजदूरी घटक | अप्राप्त | 11338.71 | 12547.60 | 25337.00 | 5904.16 | 18987.63 |
| clj 0; ; l sifr'krk | | | | | | |
| पूंजीगत व्यय | 9.28 | 9.91 | 10.11 | 15.33 | 11.11 | 15.55 |
| राजस्व व्यय | 88.11 | 88.62 | 87.75 | 82.62 | 87.66 | 83.23 |
| l jk ?k m l sifr'kr | | | | | | |
| पूंजीगत व्यय | 1.89 | 1.96 | 1.92 | 4.28 | 2.40 | 3.35 |
| राजस्व व्यय | 17.93 | 17.54 | 16.68 | 23.08 | 18.93 | 17.94 |

उपरोक्त सारणी दर्शाती है कि कुल व्यय का 88.11 प्रतिशत 2000-01 में राजस्व व्यय पर किया गया है शेष केवल 9.28 प्रतिशत पूंजीगत व्यय के लिए छोड़ा गया। यद्यपि, वर्ष 2001-02 से राजस्व व्यय में घटोत्तरी की प्रवृत्ति रही है (वर्ष 2004-05 की 87.66 प्रतिशत छोड़कर) जो वर्ष 2005-06 में घटकर 83.23 प्रतिशत हुई परिणामस्वरूप पूंजीगत व्यय में 15.55 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। सड़कों एवं पुलों, सिंचाई, ऊर्जा एवं जलापूर्ति, शिक्षा एवं जन स्वास्थ्य इत्यादि पर अधिक निवेश सुनिश्चित करने के लिए मध्यकालिक राजकोषीय पुर्नसंरचना नीति 2005 में पूंजीगत व्यय के अंतर्गत 14 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर लक्षित थी। तथापि, राजकोषीय सुधार पथ में वर्ष के लिए आंकलित

3.56 प्रतिशत के विपरीत वर्ष 2005-06 में पूंजीगत व्यय स रा घ उ का 3.35 प्रतिशत पर ही सीमित था। राजकोषीय सुधार पथ में आंकलित 9154.47 करोड़ रुपये के विपरीत पूंजीगत व्यय में भी 443.24 करोड़ रुपये की कमी रही। इसलिए वर्ष 2009-10 तक स रा घ उ के सापेक्ष पूंजीगत व्यय का अनुपात 7 प्रतिशत किये जाने का उद्देश्य पूरा कर पाना संदेहास्पद था।

1-6-2 I kekftd l okvka ij 0; ;

यह तथ्य की मानव विकास सूचकों यथा प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवायें, पेयजल, सफाई सुविधाओं आदि का मजबूत संबंध गरीबी हटाने एवं आर्थिक प्रगति से है अतः यह विवेकपूर्ण होगा कि राज्य में इन सेवाओं के प्रभावी प्राविधान एवं विस्तार के संदर्भ में मूल्यांकन किया जाय। राज्य में वर्ष 2000-06 के मध्य सामाजिक सेवाओं के विस्तार एवं सुदृढीकरण पर राज्य सरकार द्वारा किये गये व्यय का सारांश I kj.kh&13 में इंगित है।

I kj.kh&13 % I kekftd l okvka ij 0; ;

(djkM+: i; se)

| | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 |
|---|---------|----------|----------|----------|----------|
| f'k{kk} [ksydin] dyk , oa l dfr | | | | | |
| jktLo 0; ; | 6042.38 | 6067.05 | 6254.58 | 7272.46 | 8789.90 |
| जिसमें | | | | | |
| (अ) वेतन एवं मजदूरी घटक | 321.88 | 370.91 | 379.32 | 392.47 | 426.20 |
| (ब) गैर वेतन एवं मजदूरी घटक ¹ | 5720.50 | 5696.14 | 5875.26 | 6879.99 | 8363.70 |
| intlxr 0; ; | 45.72 | 70.23 | 61.19 | 106.62 | 322.13 |
| LokLF; , oa ifjokj dY; k.k | | | | | |
| jktLo 0; ; | 1356.11 | 1565.01 | 1753.85 | 2037.25 | 2595.61 |
| जिसमें | | | | | |
| (अ) वेतन एवं मजदूरी घटक | 1009.24 | 1128.86 | 1306.75 | 1395.56 | 1497.28 |
| (ब) गैर वेतन एवं मजदूरी घटक | 346.87 | 436.15 | 447.10 | 641.69 | 1098.33 |
| intlxr 0; ; | 20.40 | 14.26 | 142.72 | 217.64 | 471.82 |
| tyki fr] l Okb] vkokl rFkk 'kgjh fodkl | | | | | |
| jktLo 0; ; | 614.39 | 484.32 | 528.18 | 564.64 | 753.34 |
| जिसमें | | | | | |
| (अ) वेतन एवं मजदूरी घटक | 5.39 | 5.78 | 6.46 | 6.88 | 7.24 |
| (ब) गैर वेतन एवं मजदूरी घटक | 609.00 | 478.54 | 521.72 | 557.76 | 746.10 |
| intlxr 0; ; | 95.65 | 30.66 | 65.13 | 127.77 | 267.17 |
| vl; I kekftd l ok; a | | | | | |
| jktLo 0; ; | 1323.71 | 2191.66 | 1817.74 | 3215.37 | 3470.86 |
| जिसमें | | | | | |
| (अ) वेतन एवं मजदूरी घटक | 190.81 | 213.72 | 222.52 | 232.94 | 257.11 |
| (ब) गैर वेतन एवं मजदूरी घटक | 1132.90 | 1977.94 | 1595.22 | 2982.43 | 3213.75 |
| intlxr 0; ; | 49.29 | 173.04 | 59.82 | 44.18 | 97.71 |
| dy % kekftd l ok; % | | | | | |
| jktLo 0; ; | 9336.59 | 10308.04 | 10354.35 | 13089.72 | 15609.71 |
| जिसमें | | | | | |
| (अ) वेतन एवं मजदूरी घटक | 1527.32 | 1719.27 | 1915.05 | 2027.85 | 2187.83 |
| (ब) गैर वेतन एवं मजदूरी घटक | 7809.27 | 8588.77 | 8439.30 | 11061.87 | 13421.88 |
| intlxr 0; ; | 211.06 | 288.19 | 328.86 | 496.21 | 1158.83 |

¹ सरकार द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के वेतन पर व्यय सम्मिलित है। (2001-02 : 4163.08 करोड़ रुपये ; 2002-03 : 4746.39 करोड़ रुपये; 2003-04 : 5394.08 करोड़ रुपये; 2004-05 : 5687.06 करोड़ रुपये तथा 2005-06 : 6385.66 करोड़ रुपये)

व्यय के विभिन्न मदों की प्रवृत्ति से दर्शित था कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में गैर वेतन एवं मजदूरी मद में 216.64 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद जो वर्ष 2001-02 में 346.87 करोड़ रुपये से वर्ष 2005-06 में बढ़कर 1098.33 करोड़ रुपये हो गयी, तथापि यह सामाजिक सेवाओं के गैर वेतन एवं मजदूरी मद का केवल 8.18 प्रतिशत था। वर्ष 2001-02 में 73.25 प्रतिशत के विरुद्ध 2005-06 में गैर वेतन एवं मजदूरी मद में कुल व्यय का 62.31 प्रतिशत व्यय सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर किया गया। यद्यपि, इन वर्षों में वेतन एवं मजदूरी में व्यय के अंतर्गत केवल मामूली वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शित थी। सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत पूंजीगत व्यय 2001-02 के 211.06 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2005-06 में 1158.83 करोड़ रुपये हो गया।

1-6-3 vkfFkd I okvk ij 0; ;

राज्य की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादक क्षमता में वृद्धि हेतु किये जाने वाले व्यय आर्थिक सेवाओं के व्यय में सम्मिलित होते हैं। आर्थिक सेवाओं पर व्यय (14994.70 करोड़ रुपये) कुल व्यय का 26.77 प्रतिशत था ¼ kj.kh&14½। इनमें कृषि एवं सहायक क्रियाकलाप, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, ऊर्जा तथा यातायात पर व्यय कुल व्यय का 19.38 प्रतिशत था।

I kj.kh&14 % vkfFkd {ks=ka ij 0; ;

(djkm+: i; se)

| | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 |
|-----------------------------|---------|---------|----------|---------|---------|
| dF"kJ vU; I Ec) fØ; kdyki | | | | | |
| jktLo 0; ; | 1335.14 | 1319.21 | 1342.36 | 1397.11 | 1480.40 |
| जिसमें | | | | | |
| (अ) वेतन एवं मजदूरी घटक | 555.00 | 607.96 | 664.70 | 696.54 | 801.15 |
| (ब) गैर वेतन एवं मजदूरी घटक | 780.14 | 711.25 | 677.66 | 700.57 | 679.25 |
| iWthxr 0; ; | 988.93 | 595.72 | 173.34 | 954.33 | 231.56 |
| fl pkbL , oa ck<+fu; Æ.k | | | | | |
| jktLo 0; ; | 1338.05 | 1536.82 | 1480.41 | 1580.34 | 1390.73 |
| जिसमें | | | | | |
| (अ) वेतन एवं मजदूरी घटक | 511.11 | 550.18 | 605.33 | 645.29 | 636.53 |
| (ब) गैर वेतन एवं मजदूरी घटक | 826.94 | 986.64 | 875.08 | 935.05 | 754.20 |
| iWthxr 0; ; | 770.10 | 728.20 | 740.98 | 878.66 | 1641.27 |
| AtkL , oa 'kfDr | | | | | |
| jktLo 0; ; | 350.00 | 413.76 | 13438.68 | 1443.89 | 1401.05 |
| जिसमें | | | | | |
| (अ) वेतन एवं मजदूरी घटक | --- | --- | --- | --- | --- |
| (ब) गैर वेतन एवं मजदूरी घटक | 350.00 | 413.76 | 13438.68 | 1443.89 | 1401.05 |
| iWthxr 0; ; | 741.36 | 332.02 | 6234.81 | 1046.19 | 760.08 |
| ifjogu | | | | | |
| jktLo 0; ; | 564.65 | 704.48 | 709.22 | 517.42 | 764.53 |
| जिसमें | | | | | |
| (अ) वेतन एवं मजदूरी घटक | 21.58 | 23.34 | 25.41 | 27.09 | 28.95 |
| (ब) गैर वेतन एवं मजदूरी घटक | 543.07 | 681.14 | 683.81 | 490.33 | 735.58 |
| iWthxr 0; ; | 218.20 | 849.57 | 903.92 | 1192.16 | 3186.99 |
| vU; vkfFkd I ok; Æ | | | | | |
| jktLo 0; ; | 1761.89 | 1908.94 | 1999.03 | 2037.51 | 2719.13 |
| जिसमें | | | | | |
| (अ) वेतन एवं मजदूरी घटक | 732.60 | 742.90 | 776.57 | 765.06 | 723.46 |
| (ब) गैर वेतन एवं मजदूरी घटक | 1029.29 | 1166.04 | 1222.46 | 1272.45 | 1995.67 |
| iWthxr 0; ; | 497.68 | 670.84 | 714.41 | 830.36 | 1418.96 |
| ; ks %vkfFkd I ok; Æ | | | | | |
| jktLo 0; ; | 5349.73 | 5883.21 | 18969.70 | 6976.27 | 7755.84 |
| जिसमें | | | | | |
| (अ) वेतन एवं मजदूरी घटक | 1820.29 | 1924.38 | 2072.01 | 2133.98 | 2190.09 |
| (ब) गैर वेतन एवं मजदूरी घटक | 3529.44 | 3958.83 | 16897.69 | 4842.29 | 5565.75 |
| iWthxr 0; ; | 3216.27 | 3176.35 | 8767.46 | 4901.70 | 7238.86 |

वर्ष 2005-06 में आर्थिक सेवाओं के क्षेत्र में कृषि एवं सहायक क्रिया कलापों पर 1711.96 करोड़ रुपये व्यय हुआ जो आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत कुल व्यय (14994.70 करोड़ रुपये) का 11.42 प्रतिशत भाग था जो वर्ष 2001-02 के 27.13 प्रतिशत से पर्याप्त मात्रा में कम था। जबकि, वर्ष 2005-06 में 86.47 प्रतिशत निधि का उपयोग, वेतन एवं मजदूरी पर 801.15 करोड़ रुपये (46.79 प्रतिशत) को सम्मिलित करते हुये, राजस्व व्यय पर किया गया वर्ष 2001-02 में आर्थिक सेवाओं पर कुल व्यय में 27.13 प्रतिशत भाग राजस्व व्यय पर था। सम्पूर्ण रूप में पूंजीगत व्यय वर्ष 2001-02 के 988.93 करोड़ रुपये से कम होकर वर्ष 2005-06 में मात्र 231.56 करोड़ रुपये रह गया। कृषि सेवाओं पर पूंजीगत व्यय की घटोत्तरी प्रवृत्ति से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास बाधित रहा।

इसके अतिरिक्त, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पर व्यय के साथ आर्थिक सेवाओं पर कुल व्यय का अनुपात वर्ष 2001-02 के 24.61 प्रतिशत से भी घटकर वर्ष 2005-06 में 21.55 प्रतिशत हो गया। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पर कुल व्यय के साथ पूंजीगत व्यय का अनुपात वर्ष 2001-05 के मध्य 32.15 प्रतिशत से 40.83 प्रतिशत के बीच रहा लेकिन वर्ष 2005-06 में थोड़ा सुधर कर 54.13 प्रतिशत हुआ। राजस्व व्यय से सम्बंधित वेतन एवं मजदूरी पर व्यय वर्ष 2001-02 के 38.20 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2005-06 में 28.24 प्रतिशत हुआ।

वर्ष 2001-06 के मध्य आर्थिक सेवाओं के कुल व्यय में ऊर्जा एवं शक्ति का अनुपात वर्ष 2003-04 को छोड़कर जिसमें यह 70.96 प्रतिशत था 8.23 प्रतिशत एवं 20.96 प्रतिशत के मध्य था, जोकि मुख्यतया ऊर्जा क्षेत्र के ऋण (12277.40 करोड़ रुपये) अपलेखन के कारण था। पुनश्च, वर्ष 2002-06 के मध्य पूंजीगत निवेश हेतु थोड़ा छोड़कर 55 से 68 प्रतिशत निधियों का उपयोग राजस्व व्यय को पूरा करने पर किया गया।

आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत वर्ष 2001-02 में कुल व्यय का 9.14 प्रतिशत यातायात पर व्यय था। जबकि वर्ष 2002-03 में 17.15 प्रतिशत बढ़ने के पश्चात वर्ष 2003-04 में गिरकर 5.81 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2005-06 के दौरान गत वर्ष की तुलना में पूंजीगत व्यय में 1192.16 करोड़ रुपये से बढ़कर 3186.99 करोड़ रुपये होने के कारण सार्थक रूप से सुधर कर वर्ष 2004-05 के 26.35 प्रतिशत के सापेक्ष वर्ष 2005-06 में 14.39 प्रतिशत हो गया।

1-6-4 LFkkuh; fudk; ka , oa vl; l LFkkvka dks foRrh; l gk; rk

वर्ष 2003-06 के तीन वर्ष की अवधि में स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को दी गयी अनुदान एवं ऋण सहायता की मात्रा l kj.kh&15 में प्रदर्शित की गयी है।

l kj.kh&15 % foRrh; l gk; rk

(djkM+ : i ; se)

| | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| शैक्षिक संस्थायें (सहायता प्राप्त स्कूल, सहायता प्राप्त विद्यालय, विश्वविद्यालय इत्यादि) | 703.08 | 181.00 | 100.11 |
| नगर निगम एवं नगर पालिका परिषदें | 68.73 | 89.99 | 452.01 |
| जिला परिषदें एवं पंचायती राज संस्थायें | --- | 1115.18 | 1691.31 |
| विकास अभिकरण | 835.46 | 288.49 | 361.02 |
| चिकित्सालय एवं अन्य चैरिटेबल संस्थाएं | 244.66 | 248.13 | 504.33 |
| अन्य संस्थाएं ¹ | 1600.90 | 1617.02 | 1851.11 |
| ; kx | 3452.83 | 3539.71 | 4959.89 |
| राजस्व व्यय के सापेक्ष सहायता का प्रतिशत | 7 | 8 | 11 |

यह दृष्टव्य होगा कि मुख्यतया जिला परिषदों एवं पंचायतीराज संस्थाओं को 576.13 करोड़ रुपये तथा नगर निगमों एवं नगर पालिका परिषदों को 360.02 करोड़ रुपये की

¹ उत्तर प्रदेश विद्युत निगम : 1137.61 करोड़ रुपये, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड : 29.08 करोड़ रुपये, कृषि संस्थान : 240 करोड़ रुपये, चीनी उद्योग : 125 करोड़ रुपये, इत्यादि

वित्तीय सहायता में वृद्धि के कारण गत वर्ष के 3539.71 करोड़ रुपये की तुलना में स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता पर्याप्त वृद्धि के साथ 4959.89 करोड़ रुपये हो गयी। यद्यपि, शैक्षिक संस्थाओं को सहायता अनुदान में गत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2005-06 में 80.89 करोड़ रुपये की कमी हुई।

1-6-5 mi ; kfxrk iæk.k i=k dk foyEc l si ðk.k

वर्ष 2005-06 तक अनुदान एवं ऋण से सम्बंधित किये गये कुल 1404 करोड़ रुपये के भुगतान से सम्बंधित 1935 प्राप्य उपयोगिता प्रमाण पत्र में से, 207 करोड़ रुपये के 865 यू सी अवशेष थे। विभागवार वर्गीकृत बकाया प्रमाण पत्रों के विवरण *ijff'k"V&1-7* में दर्शाये गये है।

1-6-6 ys[kka dk viLrqhdj.k

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के अधीन धारा 14 व 15 में आकर्षित होने वाली संस्थाओं को चिन्हित करने के लिये, सरकार/विभागाध्यक्ष को विभिन्न संस्थाओं को दी गयी वित्तीय सहायता का विवरण, सहायता का उद्देश्य एवं संस्था के कुल व्यय का विस्तृत विवरण लेखा परीक्षा को प्रतिवर्ष प्रस्तुत करना चाहिये। जून 2006 तक सरकार के पांच विभागों द्वारा वर्ष 2005-06 का, तीन विभागों द्वारा वर्ष 2004-06 का एवं एक विभाग द्वारा वर्ष 2003-06 का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसे *ijff'k"V&1-8* में प्रदर्शित किया गया है।

1-6-7 Lok; Rr fudk; ka ds fu"i knu dk l kjka k

राज्य द्वारा 8 निकायों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सौंपी गयी है। सितम्बर 2006 तक लेखा परीक्षा सौंपे जाने की स्थिति, लेखों को लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये जाने, अलग लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के निर्गमन एवं विधायिका में प्रस्तुत किये जाने की स्थिति *ijff'k"V&1-9* में दर्शित है।

1-6-8 nfofu; ksx] gkfu] xcu bR; kfn

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1966-67 से अक्टूबर 2006 के अंत तक दुर्विनियोग, गबन इत्यादि के 98 मामले रिपोर्ट किये गये जिनमें 5.04 करोड़ रुपये का सरकारी धन निहित था। जिस पर अंतिम कार्यवाही नहीं की गयी थी। विभागवार वर्गीकृत बकाया मामलों का विवरण *ijff'k"V&1-10* में दिया गया है।

1-6-9 gkfu; ka vkfn dk vi ys[ku

वर्ष 2005-06 के मध्य हानियों आदि के अपलेखन का कोई प्रकरण माह अक्टूबर 2006 तक लेखा परीक्षा को प्रतिवेदित नहीं था।

1-7 ifj l Ei fRr; kW, oans, rk; a

सरकारी लेखा प्रणाली में सरकार के अपने भूमि भवनों इत्यादि जैसी अचल परिसम्पत्तियों को समग्र रूप से लेखा बद्ध नहीं किया जाता है फिर भी सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं तथा व्यय द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों को समाहित करते हैं। *ijff'k"V&1-3* 31 मार्च 2006 को ऐसी देयताओं एवं परिसम्पत्तियों के सार को प्रस्तुत करता है जो 31 मार्च 2005 के समतुल्य स्थिति से तुलना करती है। जबकि इस परिशिष्ट में देयतायें, जिसमें मुख्य रूप से आन्तरिक ऋणों, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखे एवं रक्षित निधियों से प्राप्तियां दर्शायी गयी हैं, परिसम्पत्तियों में मुख्यरूप से पूंजीगत परिव्यय, राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम तथा रोकड़ तथा रोकड़ अवशेष का विवरण दिया गया है। *ijff'k"V&1-6* 2000-06 की अवधि के लिये राज्य सरकार के वित्त पर समयबद्ध आंकड़ें दर्शाता है।

1-7-1 fl pkbz fuekz k dk; kd ds foRrh; i fj .kke

वर्ष 2005-06 के वित्तीय लेखे के अनुसार मार्च 2006 के अंत तक 16 वृहद सिंचाई परियोजनाओं पर 3982.89 करोड़ रुपये का परिव्यय किया गया जो यह दर्शाता है कि वर्ष 2005-06 की अवधि में, इनमें राजस्व की प्राप्ति (133.26 करोड़ रुपये) पूंजीगत परिव्यय की तुलना में नगण्य (3.35 प्रतिशत) थी जो वर्ष 2005-06 के दौरान पूंजीगत निवेश पर ब्याज को भी पूरा करने में अक्षम थी। कार्यशील एवं अनुरक्षण व्यय (110.03 करोड़ रुपये) तथा ब्याज व्यय (210.62 करोड़ रुपये) को पूरा करने के उपरांत योजनाओं पर 187.39 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ।

1-7-2 vi wkz i fj; kst uk; a

सिंचाई एवं लोक निर्माण विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार 31 मार्च 2006 को अपूर्ण परियोजनाओं को स्थिति l kj.kh&16 में दी गयी है।

l kj .kh&16 % vi wkz i fj; kst ukvka dk foHkkxokj i k' oT p=

(djkM+: i; se)

| foHkkx | vi wkz i fj; kst ukvka dh l d; k | i kj fEHkd ctVh; ykxr | ykxr of) | i fj; kst ukvka dh d; i qjhf(kr ykxr | 31-3-2006 dks ; kfxd okLrfod 0; ; |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| सिंचाई | 22 | 750.82 | 3973.15 | 4723.97 | 3509.24 |
| लोक निर्माण ¹ | 5 | 65.54 | 9.44 | 74.98 | 41.45 |
| ; ksx | 27 | 816.36 | 3982.59 | 4798.95 | 3550.69 |

परिणामस्वरूप 3982.59 करोड़ रुपये लागत वृद्धि के बावजूद इन परियोजनाओं पर (मार्च 2006) 3550.69 करोड़ रुपये का व्यय अनुत्पादक रहा। अग्रेत्तर, वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण होने में एक से 38 वर्षों के समय का फैलाव हुआ जबकि लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं पर समय का यह फैलाव पांच से 16 वर्ष का था।

1-7-3 foHkkxh; okf.kfT; d mi Øe

अर्द्ध वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों को कुछ सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रम पूरा करते हैं। इन उपक्रमों को वित्तीय प्रक्रिया के परिणाम दर्शाते हुए नियत किये फारमेट में प्रोफार्मा लेखे प्रत्येक वर्ष बनाना आवश्यक है जिससे सरकार उनकी कार्यविधि के परिणाम का आंकलन कर सके। प्रोफार्मा लेखे की तैयारी में विभागवार अवशेषों की स्थिति तथा सरकार द्वारा उनमें निवेश के विवरण क्रमशः ifjf'k"V&1-11 0 1-12 में दिये गये हैं। इन उपक्रमों के वित्तीय विवरण का सारांश ifjf'k"V&1-13 में दिया गया है।

दृष्टव्य होगा कि मार्च 2006 तक राज्य सरकार के अधीन 11 विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम थे। इनमें से एक उपक्रम² ने उसकी स्थापना से अपना लेखा तैयार नहीं किया था, दो उपक्रमों³ द्वारा दस से अधिक वर्षों के लिये एवं एक उपक्रम⁴ ने एक से अधिक वर्ष के लेखे तैयार नहीं किये थे। राज्य सरकार द्वारा इन 11 उपक्रमों में 65.12 करोड़ रुपये वित्तीय वर्ष के अंत तक निवेश किया गया है जिसके लिए लेखे पूर्ण किये गये थे (एक उपक्रम को छोड़कर जिसके लेखे स्थापना से अवशेष है)।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की राज्य के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवर्ष विभागाध्यक्षों एवं उपक्रमों के प्रबंधकों द्वारा समय से प्रोफार्मा लेखा तैयार किये जाने की विफलता पर की गयी टिप्पणियों के बावजूद अधिकतर प्रकरणों में लेखे अभी भी अवशेष

¹ उग्र सेतु निर्माण निगम द्वारा निर्मित सेतुओं का निर्माण छोड़कर

² विरघन खण्ड, फैजाबाद

³ आपराधिक जनशक्ति व्यवस्था सिलाई कारखाना, कानपुर एवं राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि फार्मसी, लखनऊ

⁴ खाद्यान्न की सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना

थे। परिणामस्वरूप इन उपक्रमों द्वारा लोक निधि से किये गये व्यय की जवाबदेही प्रबंधकों एवं सरकार द्वारा सुनिश्चित नहीं की गयी है।

सरकार के वाणिज्यिक एवं अर्द्धवाणिज्यिक उपक्रमों के वित्तीय परिणाम सार के विवरण से दर्शित हुआ कि पशुपालन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं स्वास्थ्य विभागों के अधीन प्रत्येक के एक उपक्रम द्वारा वर्ष 2005-06 के मध्य अपने नगण्य पूंजी (18.85 करोड़ रुपये) का कोई प्रतिफल नहीं बनाया। सिंचाई विभाग के छः सिंचाई कार्यशाला प्रखंडों द्वारा यद्यपि वर्ष के मध्य अपनी नगण्य पूंजी का 28.23 प्रतिशत प्रतिफल बनाया गया।

1-7-4 fuo\$ k , oa ifrQy

31 मार्च 2006 तक सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त पूंजी कम्पनियों तथा सहकारिता में 15465 करोड़ रुपये का निवेश किया था ¼ kj .kh&17½। विगत छः वर्षों में इन निवेशों पर प्रतिफल अतिन्यून एवं एक प्रतिशत से कम था जबकि इनके उधारों पर सरकार द्वारा वर्ष 2000-06 के मध्य 9.58 से 6.49 प्रतिशत की औसत दर पर ब्याज का भुगतान किया गया था।

I kj .kh&17 % fuo\$ k ij ifrQy

| o"l | o"l ds vr rd fuo\$ k | ifrQy | ifrQy dh ifr'krk | I jdkj }kjk __.k yus ij C; kt dh v\$ r nj | C; kt nj rFk ifrQy ds e/; vrj |
|---------|----------------------|-------|------------------|---|-------------------------------|
| | %dkM+ : i ; se# | | | % fr'kr% | |
| 2000-01 | 3962.89 | 6.27 | 0.16 | 9.58 | 3.31 |
| 2001-02 | 4033.27 | 6.24 | 0.15 | 9.49 | 3.25 |
| 2002-03 | 9049.70 | 7.26 | 0.08 | 7.22 | (-)0.04 |
| 2003-04 | 9412.65 ¹ | 7.40 | 0.07 | 9.13 | 1.73 |
| 2004-05 | 9535.57 ² | -- | -- | 9.47 | 9.47 |
| 2005-06 | 15464.60 | 0.15 | 0.001 | 6.49 | 6.34 |

कुल निवेश 15464.60 करोड़ रुपये में से सरकारी कम्पनियों में मार्च 2006 तक 14627.38 करोड़ रुपये (94.59 प्रतिशत) का निवेश किया गया। इसमें से 11341.95 करोड़ रुपये (कुल निवेश का 73.34 प्रतिशत) उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लि लखनऊ को किया गया। वर्ष 2005-06 में 6634.50 करोड़ रुपये के नये निवेश को सम्मिलित करते हुये वर्ष 2001-02 से विद्युत निगम में 12863.13 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी थी। यद्यपि, इन निवेशों से कोई प्रतिफल नहीं प्राप्त हुआ।

1-7-5 jkT; I jdkj }kjk fn; s x; s __.k , oa vfxæ

सहकारी समितियों, निगमों एवं कम्पनियों में निवेशों के अतिरिक्त इनके बहुत से संगठनों/संस्थाओं को सरकार ऋण एवं अग्रिम दे रही है। 31 मार्च 2006 को ऋण एवं अग्रिमों का कुल बकाया 8160 करोड़ रुपये था ¼ kj .kh&18½। गत वर्ष के 1.31 प्रतिशत के विरुद्ध दिये गये इन ऋण अग्रिमों पर वर्ष 2005-06 में प्राप्त ब्याज 0.76 प्रतिशत था।

¹ 4044.60 करोड़ रुपये लम्बित समाधान को सम्मिलित कर

² 1834.60 करोड़ रुपये लम्बित समाधान को छोड़कर

1.18% की दर से; 1.18% की दर से; 1.18% की दर से; 1.18% की दर से; 1.18% की दर से; 1.18% की दर से

| | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| प्रारम्भिक अवशेष | 17596 | 18218 | 18379 | 18965 | 7709 | 8061 |
| वर्ष में दी गई अग्रिम धनराशि | 918 | 527 | 805 | 1242 | 629 | 684 |
| वर्ष में पुनर्भुगतान की गई राशि | 296 | 366 | 219 | 12498 | 278 | 585 |
| अन्तिम अवशेष | 18218 | 18379 | 18965 | 7709 | 8060 | 8160 |
| शुद्ध बढ़ोत्तरी | 623 | 161 | 586 | (-11256) | 351 | 99 |
| प्राप्त ब्याज | 39 | 51 | 42 | 187 | 106 | 62 |
| बकाया ऋणों एवं अग्रिमों से प्राप्त ब्याज का प्रतिशत | 0.21 | 0.28 | 0.22 | 2.43 | 1.31 | 0.76 |
| राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण पर औसत ब्याज दर भुगतान (प्रतिशत) | 9.58 | 9.49 | 7.22 | 9.13 | 9.47 | 6.49 |
| औसत ब्याज भुगतान तथा प्राप्ति में अंतर (प्रतिशत) | (-) 9.37 | (-) 9.21 | (-) 7.00 | (-) 6.70 | (-) 8.16 | (-) 5.73 |

वर्ष 2000-06 के मध्य कुल दिये गये ऋण एवं अग्रिमों की राशि 4805 करोड़ रुपये में से 3434.70 करोड़ रुपये (71.48 प्रतिशत) आर्थिक सेवाओं को गया। आर्थिक सेवाओं के कुल ऋणों में से उद्योग एवं खनिजों (1470.71 करोड़ रुपये) (42.81 प्रतिशत) के साथ मुख्य भाग (1538.61 करोड़ रुपये) ऊर्जा को दिया गया (44.80 प्रतिशत)।

1-7-6 ऋणों की दर

यह सामान्यतया आवश्यक है कि राज्य के संसाधन प्रचुर मात्रा में हो जो उसके व्यय के दायित्वों को पूरा कर सकें। फिर भी, संसाधनों की प्रचुरता एवं व्यय के दायित्वों में किसी अस्थायी असंगति की देखभाल हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से एक साधारण एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिम (डब्लू एम ए) के तंत्र को साधन बनाया गया है। तीन वर्ष की औसत राजस्व प्राप्तियों को ध्यान में रखकर साधारण अर्थोपाय अग्रिमों की क्रियाशील सीमा एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिमों हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर धारित सरकारी प्रत्याभूतियों के आधार पर संचालन सीमा का निर्धारण किया जाता है।

1 अप्रैल 2005 से साधारण एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिमों की अधिकतम सीमा 920 करोड़ रुपये तथा 251.02 करोड़ रुपये है। वर्ष 2005-06 में विशेष अर्थोपाय अग्रिमों (251.02 करोड़ रुपये) की अधिकतम राशि 19 दिनों के लिये थी। किन्तु अधिकतम 175.92 करोड़ रुपये के दस दिनों के लिए, लिये गये साधारण अर्थोपाय अग्रिम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सीमा के अंतर्गत थे।

उपयोग किये गये अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट, उपयोग किये गये अवसरों की संख्या तथा राज्य द्वारा किये गये ब्याज भुगतान का विवरण 1.19 में दिया गया है।

1.19% की दर से; 1.19% की दर से; 1.19% की दर से; 1.19% की दर से; 1.19% की दर से; 1.19% की दर से

| | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|
| वर्ष में लिया गया | 2217.57 | 6146.49 | 7663.83 | 11526.87 | 13982.12 | 2707.99 |
| अवसरों की संख्या | 83 | 91 | 115 | 147 | 158 | 30 |
| बकाया अर्थोपाय अग्रिम यदि कोई | 609.82 | 746.12 | ----- | ----- | 25.48 | ----- |
| ब्याज भुगतान | 27.56 | 21.70 | 28.67 | 34.08 | 40.91 | 4.56 |
| दिवसों की संख्या | ----- | ----- | 224 | 322 | 324 | 48 |
| वर्ष में लिया गया | 7696.62 | 3282.11 | 3753.64 | 4904.18 | 6268.88 | 373.16 |
| दिवसों की संख्या | 161 | 88 | 88 | 100 | 98 | 11 |
| ब्याज भुगतान | 12.04 | 4.79 | 4.31 | 9.56 | 8.23 | 0.57 |

1-8 v; Ør ns rk; a

एम टी एफ आर पी-2005 के अनुसार सरकार की कुल बकाया ऋण एवं देयतायें वर्ष 2003-04 में 107490.04 करोड़ रुपये थी। एवं वर्ष 2005-06 हेतु इनका प्रक्षेपण 134497.50 करोड़ रुपये था।

1-8-1 jktdk'skh; ns rk; & ykd __.k , oa i R; khkfr; ka


लोक ऋण एवं अन्य देयतायें नाम से दो तरह की देयतायें होती है। लोक ऋण में समेकित निधि-पूँजीगत लेखा के अधीन वार्षिक वित्तीय विवरणों में प्रत्यावेदित राज्य के आंतरिक ऋण सम्मिलित होते हैं। इसमें बाजार ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत विशेष प्रत्याभूतियां एवं केन्द्र सरकार के ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित होते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत राज्य समय-समय पर उसकी विधायिका द्वारा पारित अधिनियम के अनुसार निर्धारित सीमा के अंतर्गत अपनी समेकित निधि की प्रत्याभूति पर भारत की सीमा के अंदर उधार ले सकता है एवं उस सीमा के अंदर जो निर्धारित की गई हो, गारंटी दे सकता है। अन्य देयताओं में, जो लोक लेखा का भाग होती है, में लघु बचत योजना में निक्षेप, भविष्य निधि तथा अन्य निक्षेप सम्मिलित हैं।

I kj.kh&20 राज्य की राजकोषीय देयतायें¹, इसकी वृद्धि दर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, राजस्व प्राप्तियां तथा अपने संसाधनों से इन देयताओं का अनुपात एवं इनके प्राचल के संबंध में वित्तीय देयताओं की उत्प्लावकता को भी प्रदर्शित करती है।

I kj.kh&20 % jktdk'skh; ns rk; & i kFfed ikpy

| | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| राजकोषीय देयतायें (करोड़ रुपये में) | 80331 | 92982 | 102485 | 119240 | 131401 | 148868 |
| वृद्धि दर (प्रतिशत) | 6.69 | 15.75 | 10.22 | 16.35 | 10.20 | 13.29 |
| jktdk'skh; ns rk; dk vuuj kr | | | | | | |
| स रा घ उ से (प्रतिशत) | 46.4 | 51.3 | 51.9 | 54.8 | 55.8 | 57.3 |
| राजस्व प्राप्तियां से (प्रतिशत) | 324.7 | 363.2 | 368.4 | 376.9 | 349.3 | 328.30 |
| अपने संसाधनों से (प्रतिशत) | 621.5 | 767.4 | 698.1 | 750.7 | 713.6 | 683.90 |
| jktdk'skh; ns rk; dh mRi ykodr k | | | | | | |
| स रा घ उ से (अनुपात) | 1.429 | 3.316 | 1.150 | 1.603 | 1.226 | 1.300 |
| राजस्व प्राप्तियों से (अनुपात) | 0.443 | 4.558 | 1.177 | 1.192 | 0.540 | 0.647 |
| अपने संसाधनों से (अनुपात) | 0.505 | * | 0.483 | 1.995 | 0.640 | 0.730 |

* वर्ष 2001-02 में अपने संसाधनों में वृद्धि नकारात्मक हो गयी थी।



राज्य की कुल राजकोषीय देयतायें वर्ष 2000-01 में 80331 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2005-06 में 148868 करोड़ रुपये हो गयी। गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2005-06 में यह वृद्धि दर 13.29 प्रतिशत थी। स रा घ उ से राजकोषीय देयताओं का अनुपात भी 2000-01 में 46.4 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2005-06 में लगभग 57.31 प्रतिशत हो गया। यह देयतायें वर्ष 2005-06 के अंत में राजस्व प्राप्तियों से तीन गुना अधिक तथा राज्य

¹ आंतरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम, अल्प बचतें एवं भविष्य निधियां, जमा एवं आरक्षित निधियों को सम्मिलित करके

के अपने संसाधनों से सात गुना अधिक थी। राजकोषीय देयतायें राज्य के स रा घ उ की वृद्धि दर की तुलना में अधिक तीव्रता से बढ़ गयीं। वर्ष के दौरान स रा घ उ के सापेक्ष देयताओं की उत्पलावक्ता 1.300 थी जो प्रदर्शित करती है कि स रा घ उ में प्रत्येक एक प्रतिशत वृद्धि के लिये राजकोषीय देयतायें 1.3 प्रतिशत बढ़ी।

1-8-2 i R; kHkfr; ka dh fLFkr&vkdflEd ns rk; a

राज्य के समेकित निधि के ऊपर प्रत्याभूतियां वे आकस्मिक देयतायें हैं जो उधार लेने वाले, जिनके लिये प्रत्याभूति विस्तारित की गई थी, द्वारा अदायगी न करने के कारण उत्पन्न होती हैं।

वित्त लेखा के विवरण-6 के अनुसार वर्ष 2000-01 से राज्य द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि एवं बकाया प्रत्याभूतियां जो वर्ष के अंत में थीं, l kj.kh&21 में दी गयी हैं।

l kj.kh&21 % miz l jdkj }kj k inRr i R; kHkfr; ka

(djkm+: i; se)

| o"kl | i R; kHkfr dh vf/kdre jkf'k | vf/k'k'k i R; kHkfr; ka dh jkf'k | dj jktLo ikflr; ka l s i R; kHkfr dh vf/kdre jkf'k dh ifr'kr+k |
|---------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 2000-01 | 16934 | 7421 | 68.44 |
| 2001-02 | 11013 | 6997 | 43.02 |
| 2002-03 | 10840 | 6270 | 38.96 |
| 2003-04 | 10549 | 3601 | 33.34 |
| 2004-05 | 22770 | 10354 | 60.53 |
| 2005-06 | 15073 | 8433 | 33.24 |

विभिन्न निगमों एवं अन्वयों द्वारा लिये गये ऋण पर सरकार द्वारा वर्ष 2005-06 में दी गयी प्रत्याभूति 8433 करोड़ रुपये थी। यह प्रत्याभूतियां उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम (486.37 करोड़ रुपये) को क्रियाशील पूंजी बढ़ाने, सांविधिक निगमों एवं बोर्डों द्वारा ऋणों, ऋण पत्रों, बाण्ड्स आदि को बढ़ाने हेतु (2814.60 करोड़ रुपये) सरकारी कम्पनियों (1381.21 करोड़ रुपये) सहकारी बैंकों एवं समितियों को (3241.98 करोड़ रुपये) आदि के लिए दी गयी थी। संविधान के अनुच्छेद 293(1) के अंतर्गत राज्य विधान मण्डल द्वारा वर्ष 2003-04 तक कोई कानून पारित नहीं किया गया था जिसकी सीमा के अंदर राज्य की समेकित निधि की प्रत्याभूति पर सरकार प्रत्याभूति दे सके। सरकार द्वारा देयताओं को पूरा करने के लिये ऐसी कोई निधि नहीं बनाई गयी है जो प्रत्याभूतियों की याचना की स्थिति में उत्पन्न हो। सरकार द्वारा यद्यपि उन प्रत्याभूति प्राप्तकर्ता समूहों से प्रति-प्रत्याभूति लेकर अपने हित की सुरक्षा कर लिया गया है।

1-8-3 ctV l sbrj __.k

भारत के संविधान का अनुच्छेद 293 राज्य के ऋण को शासित करता है। सारिणी-20 में दर्शित देयताओं के अतिरिक्त, सरकारी कम्पनियों/निगमों द्वारा लिये गये ऋणों पर सरकार ने प्रत्याभूति दी थी। इन कम्पनियों/निगमों द्वारा राज्य के वित्तीय योजनागत कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु राज्य बजट से बाहर बाजार/वित्तीय संस्थाओं से निधियां उधार ली गयी थी। यद्यपि, राज्य सरकार की परियोजनाओं के आयोजनागत कार्यक्रमों के आंकलन में यह दर्शाया जाता है कि उनका वहन कम्पनियों/निगमों द्वारा राज्य बजट के बाहर अपने स्रोत से किया जायगा जबकि वास्तविकता में इनमें से कई प्रतिष्ठानों द्वारा लिये गये ऋण अन्ततः बजट राज्य सरकार की देयतायें बन जाती हैं। जिसे आफ बजट बारोइंग कहा जाता है। यद्यपि, वित्त विभाग द्वारा (अक्टूबर 2006) बताया गया कि सरकार द्वारा कोई बजट से इतर ऋण नहीं लिया गया।

1-8-4 .k fvdka u

ऋण टिकाऊपन एक समयावधि में ऋण-स घ उ के अनुपात को स्थिर बनाये रखने की योग्यता के रूप में परिभाषित है। सामान्य रूप में, लोक ऋण तभी तक टिकाऊ समझा जाता है जब तक कि आय की वृद्धि दर ब्याज दर या लोक उधारों के मूल्य से बढ़कर इस शर्त के साथ रहे कि प्रारम्भिक अवशेष सकारात्मक या शून्य हो। दिये गये दर विस्तार (स रा घ उ वृद्धि दर-ब्याज दर) एवं मात्रा विस्तार (ऋण x दर विस्तार), ऋण टिकाऊपन की स्थिति यह बताती है कि यदि प्राथमिक घाटा के साथ मात्रा विस्तार शून्य हो तो, ऋण-स घ उ अनुपात स्थिर या टिकाऊ होगा। दूसरे रूप में यदि प्राथमिक घाटा मात्रा विस्तार से अधिक हो ऋण-स घ उ का अनुपात बढ़ेगा और यदि प्राथमिक घाटा मात्रा विस्तार से कम हो, इसके अनुपात में कमी आयेगी।

I kj.kh&22 % .k fvdka u&c; kt nj , oa I jk ?k m of)

¼i fr'kr e½

| | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| vK r C; kt nj | 9.58 | 9.49 | 7.22 | 9.13 | 9.47 | 6.49 |
| I jk ?k m of) | 4.68 | 4.75 | 8.89 | 10.20 | 8.32 | 10.23 |
| C; kt foLrkj | (-4.90) | (-4.74) | 1.67 | 1.07 | (-1.15) | 3.74 |
| jkt dks kh; ns rk; ¼ dj kM+ : i; ½ | 80331 | 92982 | 102485 | 119240 | 131401 | 148868 |
| i ek=k foLrkj ¼ dj kM+ : i; ½ | (-3936) | (-4407) | 1711 | 1276 | (-1511) | 5568 |
| i k fked ?kV k ¼ dj kM+ : i; ½ | 2725 | 1691 | 2437 | 6523 | 1124 | 980 |

वर्ष 2000-05 के मध्य मात्रा विस्तार से प्राथमिक घाटा अधिक था जो यह दर्शित करता था कि इन वर्षों के दौरान ऋण-स रा घ उ अनुपात वृद्धि पर था। मात्रा विस्तार एवं प्राथमिक घाटा का योग वर्ष 2000-02 एवं 2004-05 के मध्य नकारात्मक था और इस प्रकार इन वर्षों में ऋण-स रा घ उ अनुपात टिकाऊ नहीं था। यद्यपि, वर्ष 2005-06 में मात्रा विस्तार की तुलना में कम प्राथमिक घाटा ऋण-स रा घ उ अनुपात में घटोत्तरी का सूचक था।

1-8-5 fuf/k; ka dh 'kq) mi yC/krk

ऋण के टिकाऊपन का एक अन्य महत्वपूर्ण सूचक पूर्व में किये गये करार की देयताओं एवं ब्याज के मूल के भुगतान के बाद निधि की शुद्ध उपलब्धता है।

नीचे दी गयी I kj.kh&23 में राज्य के विगत पांच वर्षों से अधिक के आंतरिक ऋण एवं अन्य राजकोषीय देयताओं के प्राप्ति एवं भुगतानों की स्थिति दर्शित है।

I kj.kh&23 % m/kkj fuf/k; ka dh 'kq) mi yC/krk

¼ dj kM+ : i; se½

| | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| vK r fjd .k | | | | | | |
| प्राप्तियाँ | 6734 | 7935 | 9282 | 19029 | 14597 | 13931 |
| पुर्नभुगतान (मूलधन + ब्याज) | 2641 | 4467 | 3895 | 7545 | 10412 | 10286 |
| उपलब्ध शुद्ध निधि | 4093 | 3468 | 5387 | 11484 | 4185 | 3645 |
| उपलब्ध शुद्ध निधि (प्रतिशत) | 61 | 44 | 58 | 60 | 29 | 26 |
| Hkkjr I jdkj I s i klr .k , oa vfxæ | | | | | | |
| प्राप्ति | 3317 | 2757 | 3106 | 3081 | 2841 | 326 |
| पुर्नभुगतान (मूलधन + ब्याज) | 5080 | 5378 | 7747 | 10673 | 9640 | 3110 |
| उपलब्ध शुद्ध निधि | (-1763) | (-2621) | (-4641) | (-7592) | (-6799) | (-2784) |
| उपलब्ध शुद्ध निधि (प्रतिशत) | (-53) | (-95) | (-149) | (-246) | (-239) | (-854) |
| vL; ck; rk; ¼ | | | | | | |
| प्राप्ति | 10561 | 12602 | 8440 | 14901 | 15013 | 19578 |
| पुर्नभुगतान (मूलधन + ब्याज) | 8263 | 9640 | 7403 | 13163 | 13063 | 13169 |
| उपलब्ध शुद्ध निधि | 2298 | 2962 | 1037 | 1738 | 1950 | 6409 |
| उपलब्ध शुद्ध निधि (प्रतिशत) | 21.76 | 23.50 | 12.29 | 11.66 | 12.99 | 32.74 |
| clj ns rk; ¼ | | | | | | |
| प्राप्ति | 20612 | 23294 | 20828 | 37011 | 32451 | 33835 |
| पुर्नभुगतान (मूलधन + ब्याज) | 15984 | 19485 | 19045 | 31381 | 33115 | 26565 |
| उपलब्ध शुद्ध निधि | 4628 | 3809 | 1783 | 5630 | -664 | 7270 |
| उपलब्ध शुद्ध निधि (प्रतिशत) | 22.45 | 16.35 | 8.56 | 15.21 | -2.05 | 21.49 |

राज्य सरकार का आंतरिक ऋण वर्ष 2000-01 में 6734 करोड़ रुपये से 7197 करोड़ रुपये (106.87 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2005-06 में 13931 करोड़ रुपये हुआ। यद्यपि, आंतरिक ऋण में लगातार वृद्धि के बावजूद उधार निधि के मूल एवं ब्याज के पुर्नभुगतान के पश्चात शुद्ध धन की उपलब्धता वर्ष 2000-01 के 61 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2005-06 में 26 प्रतिशत रह गयी। एम टी एफ आर पी 2005 के अनुसार वर्ष 2002-03 में ऋण अदला बदली योजना के तहत कम लागत के अल्प बचत ऋण (573 करोड़ रुपये) एवं अतिरिक्त बाजार ऋण (1448 करोड़ रुपये) से भारत सरकार के पुराने तथा मंहगे 2021 करोड़ रुपये (14.50 प्रतिशत) ऋणों को बदला गया। इसी प्रकार, अल्प बचत ऋण की प्रतिशत्ता बनाये रखते हुये (वर्ष 2003-04 में 30 प्रतिशत एवं 2004-05 में 40 प्रतिशत) वर्ष 2003-04 में 4885 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2004-05 में 4458 करोड़ रुपये के उच्च लागत वाले ऋण की अदला बदली कम लागत के ऋणों से की गई। इसका परिणाम था कि वर्ष 2002-05 में ब्याज संदाय में 711.81 करोड़ की बचत हुयी। ऋण को बट्टे खाते में डालने की योजना के अंतर्गत वर्ष 2005-06 से 2009-10 के मध्य देय समेकित केन्द्रीय ऋणों पर पुर्नभुगतान के अपलेखन से सम्बद्ध किया जाना था जिससे राजस्व घाटा लगातार वर्ष दर वर्ष कम किया जाय। वित्त विभाग के अनुसार ऋण अपलेखन योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने 1063.71 करोड़ रुपये केन्द्रीय ऋण का अपलेखन अनुमोदित किया।

भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिमों की शुद्ध उपलब्धता वर्ष 2004-05 में (-) 239 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2005-06 में (-) 854 प्रतिशत हो गयी। समस्त वर्षों (2000-06) में भारत सरकार के ऋणों एवं अग्रिमों का पुर्नभुगतान वास्तविक प्राप्तियों से अधिक तथा बढ़ोत्तरी के प्रवृत्ति के साथ थी।

1-9 ?kkVs dk i zll/ku


सरकारी लेखे में घाटे प्राप्तियों एवं व्यय के अंतर को दर्शाते है। घाटे की प्रकृति सरकार के राजकोषीय प्रबंधन में सावधानी का सूचक है। इसके अतिरिक्त जिस विधि से घाटे का वित्त पोषण किया गया तथा पैदा किये गये संसाधनों का उपयोग किया गया वे राजकोषीय स्वास्थ्य के संकेतक हैं।

राज्य का राजस्व घाटा जो राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय की अधिकता को प्रदर्शित करता है, वर्ष 2000-01 में 6287 करोड़ रुपये से घटकर वर्ष 2005-06 में 1268 करोड़ रुपये हो गया। राजकोषीय घाटा, जो सरकार के कुल ऋणों एवं कुल संसाधनों में अंतर को दर्शाता है, वर्ष 2000-01 में 10177 करोड़ रुपये से नाम मात्र घटकर वर्ष 2005-06 में 10078 करोड़ रुपये हुआ। राज्य का प्राथमिक घाटा भी वर्ष 2000-01 के 2725 करोड़ रुपये से घटकर वर्ष 2005-06 में 980 करोड़ रुपये था जैसाकि I kj .kh&24 में दिखाया गया है।

राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से अनुपात वर्ष 2005-06 में 12.58 प्रतिशत था जो यह दर्शाता था कि लगभग 1268 करोड़ रुपये की उधार निधियां चालू उपयोग में लगाई गयीं। वर्ष 2005-06 में स रा घ उ की तुलना में राजस्व घाटा 0.49 प्रतिशत पहुंच गया एवं राजकोषीय घाटा 3.88 प्रतिशत पर पहुंच गया। सतत्, राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे का उच्च अनुपात प्रदर्शित करता था कि राज्य की परिसम्पत्तियों का आधार लगातार सिकुडता जा रहा था एवं बढ़ता हुआ उधारों के एक भाग (राजकोषीय देयतायें) वर्ष 2000-05 के मध्य कोई परिसम्पत्ति सृजित नहीं कर रहा था। यद्यपि, वर्ष 2004-05 के 53.80 प्रतिशत से यह अनुपात वर्ष 2005-06 में चार गुना घटा।

I kj.kh&24 % jkt dks'kh; vl rgyu&ikFkfed ikpy

| ikpy | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| jktLo ?kkVk %djkm+: i; % | 6287 | 6195 | 5118 | 18583 | 6993 | 1268 |
| jkt dks'kh; ?kkVk %djkm+: i; % | 10177 | 9911 | 9497 | 16647 | 12997 | 10078 |
| ikFkfed ?kkVk %djkm+: i; % | 2725 | 1691 | 2437 | 6523 | 1124 | 980 |
| jktLo ?kkVk@ I jk ?k m %ifr'kr½ | 3.63 | 3.42 | 2.59 | 8.54 | 2.97 | 0.49 |
| jkt dks'kh; ?kkVk@ I jk ?k m %ifr'kr½ | 5.88 | 5.47 | 4.81 | 7.65 | 5.51 | 3.88 |
| ikFkfed ?kkVk@ I jk ?k m %ifr'kr½ | 1.57 | 0.93 | 1.23 | 3.00 | 0.48 | 0.38 |
| jktLo ?kkVk@jkt dks'kh; ?kkVk %ifr'kr½ | 61.78 | 62.51 | 53.89 | 111.63 | 53.80 | 12.58 |



जैसा कि एफ आर वी एम अधिनियम एवं एम टी एफ आर पी 2005 में राजस्व घाटे के वार्षिक घटोत्तरी लक्ष्य निर्धारित किये गये थे वर्ष 2005-06 में प्रचुर रूप से प्राप्त हुये जो मुख्यतया कर राजस्व में 3165 करोड़ रुपये; संघीय करों में 3148 करोड़ रुपये का राज्यांश एवं भारत सरकार से 1209 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान में वृद्धि राजस्व व्यय को कुल व्यय के सापेक्ष तथा वर्ष 2004-05 में 88 प्रतिशत को 83 प्रतिशत पर सीमित करने के कारण रहा। यद्यपि, राजस्व घाटा में प्रचुर घटोत्तरी के बावजूद राजकोषीय घाटा में घटोत्तरी सामान्य थी जो सिर्फ पूंजीगत व्यय में बढ़ोत्तरी के कारण थी। गत वर्ष से प्राथमिक घाटे में घटोत्तरी ब्याज भुगतान में घटोत्तरी के कारण थी। राजकोषीय घाटा-स रा घ उ अनुपात भी वर्ष 2004-05 के 5.51 प्रतिशत से घटकर 3.88 प्रतिशत पर था। जो गत वर्ष के कुल व्यय पर राजस्व व्यय के 83 प्रतिशत के स्तर पर लाने के कारण हुआ। इसके बावजूद कर-स रा घ उ अनुपात एम टी एफ आर पी में लक्षित अनुपात 7.70 प्रतिशत के विरुद्ध वर्ष 2005-06 में केवल 7.26 प्रतिशत था।

यद्यपि, राज्य के राजकोषीय असंतुलन के सुधार में उत्तर प्रदेश विद्युत निगम एवं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का कोई योगदान नहीं था जबकि सरकार द्वारा इनके आधारभूत ढांचा में भारी निवेश किया गया था।

1-10 jkt dks'kh; vuq kr

राज्य की वित्त व्यवस्था टिकाऊ लचीली एवं अभेद्य होनी चाहिये। नीचे दी गयी I kj.kh&25 मुख्य संकेतकों के संदर्भ में वर्ष 2000-06 तक सरकार की वित्त व्यवस्था की संक्षिप्त रूप रेखा प्रस्तुत करती है जो उपलब्ध संसाधनों एवं उनके प्रयोग की उपयुक्तता तथा क्षमता को आंकने में सहायक होता है, चिन्ता वाले विषयों को उजागर करता है एवं इसके महत्वपूर्ण पहलुओं को अभिग्रहीत करता है।

I kj.kh&25 % jkt dks'kh; LokLF; ds l pd

% fr'kr%

| jkt dks'kh; l pd | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 |
|---|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I l d k/kuk dh xfr'khyrk | | | | | | |
| राजस्व प्राप्ति/स रा घ उ | 14.30 | 14.12 | 14.09 | 14.54 | 15.96 | 17.46 |
| राजस्व उत्प्लावकता | 3.229 | 0.728 | 0.976 | 1.345 | 2.271 | 2.010 |
| स्व कर /स रा घ उ | 6.34 | 5.70 | 6.47 | 6.25 | 6.66 | 7.26 |
| II 0; ; i d'ku | | | | | | |
| कुल व्यय/स रा घ उ | 20.35 | 19.79 | 19.01 | 27.94 | 21.59 | 21.56 |
| राजस्व प्राप्तियां/कुल व्यय | 70.26 | 71.35 | 74.12 | 52.05 | 73.92 | 80.96 |
| राजस्व व्यय/कुल व्यय | 88.11 | 88.62 | 87.75 | 82.62 | 87.66 | 83.23 |
| सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं / राजस्व व्यय पर वेतन एवं मजदूरी व्यय | अप्राप्त | 10.53 | 11.06 | 7.94 | 9.33 | 9.39 |
| सामाजिक एवं आर्थिक सेवायें/ राजस्व व्यय पर गैर वेतन एवं मजदूरी व्यय | अप्राप्त | 35.66 | 38.09 | 50.45 | 35.65 | 40.73 |
| पूजीगत व्यय/ कुल व्यय | 9.53 | 10.06 | 10.33 | 15.65 | 11.25 | 15.74 |
| सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूजीगत व्यय/ कुल व्यय | अप्राप्त | 9.55 | 9.23 | 14.97 | 10.61 | 14.99 |
| कुल व्यय की उत्प्लावकता राजस्व प्राप्तियों के साथ | 0.475 | 0.542 | 0.533 | 4.514 | (-0.861) | 0.489 |
| राजस्व प्राप्ति के साथ राजस्व व्यय की उत्प्लावकता | 0.525 | 0.712 | 0.415 | 3.824 | (-0.591) | 0.219 |
| III jkt dks'kh; v l rgyu dk i d'ku | | | | | | |
| राजस्व घाटा (करोड़ रुपये) | (-6287) | (-6195) | (-5118) | (-18583) | (-6993) | (-1268) |
| राजकोषीय घाटा (करोड़ रुपये) | (-10177) | (-9911) | (-9497) | (-16647) | (-12997) | (-10078) |
| प्राथमिक घाटा (करोड़ रुपये) | (-2725) | (-1691) | (-2437) | (-6523) | (-1124) | (-980) |
| राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा | (-61.78) | (-62.51) | (-53.89) | (-111.63) | (-53.80) | (-12.58) |
| IV jkt dks'kh; ns rkva dk i d'ku | | | | | | |
| राजकोषीय देयतायें/स रा घ उ | 46.4 | 51.3 | 51.9 | 54.8 | 55.8 | 57.3 |
| राजकोषीय देयतायें/राजस्व प्राप्तियां | 324.7 | 363.2 | 368.4 | 376.9 | 349.3 | 328.3 |
| राजस्व प्राप्ति के साथ राजकोषीय देयताओं की उत्प्लावकता | 0.443 | 4.558 | 1.177 | 1.192 | 0.540 | 0.647 |
| स्व प्राप्ति से राजकोषीय देयताओं की उत्प्लावकता | 0.505 | (-2.519) | 0.483 | 1.995 | 0.640 | 0.730 |
| प्रमात्रा विस्तार के साथ-साथ प्राथमिक घाटा | (-0.06) | (-0.03) | 0.12 | 0.28 | (-0.06) | 0.02 |
| उपलब्ध शुद्ध निधियां | 71949 | 74393 | 77757 | 113173 | 100647 | 113019 |
| V vl; jkt dks'kh; LokLF; l pd | | | | | | |
| निवेश पर प्रतिफल | 6.27 | 6.24 | 7.26 | 7.40 | -- | 0.15 |
| चालू राजस्व से अवशेष (करोड़ रुपये) | (-3895) | (-4147) | (-1918) | (-15401) | (-3413) | 4482 |
| वित्तीय परिसम्पत्तियां/ देयतायें | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.46 | 0.45 | 0.51 |

1-11 fu"d"kl

मध्यकालिक राजकोषीय पुर्नसंरचना नीति 2005 का लक्ष्य कर ढांचा को विवेकपूर्ण बनाकर स रा घ उ से स्वकर राजस्व में सुधार करने के उद्देश्य को प्राप्त करने शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सिंचाई व सड़क में व्यय को प्राथमिकता, वेतन पेंशन आदि को स्थिर करके परिदान में कमी करके करना था। फिर भी राजकोषीय सुधार के क्रियान्वयन के तरीके का अभी तक उपाय प्रतिपादित नहीं किया गया था। राजकोषीय सुधार की मध्यकालिक समीक्षा से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2005-06 के एम टी एफ आर पी में किये गये आकलन के विरुद्ध स्व कर राजस्व वसूली में 922 करोड़ रुपये की कमी रही। 12 प्रतिशत आंकलित वृद्धि दर के विरुद्ध अग्रिम आंकलन के आधार पर स रा घ उ की

वृद्धि केवल 10.23 प्रतिशत थी। एम टी एफ आर पी में आंकलित राजस्व घाटा 3597 करोड़ रुपये के विरुद्ध 1268 करोड़ रुपये पर लाया गया। वर्ष के लिये राजकोषीय सुधार पथ में स रा घ उ के पूंजीगत व्यय में 3.56 प्रतिशत लक्ष्य के विरुद्ध 3.35 प्रतिशत था। एम टी एफ आर पी में प्रक्षेपित 7.70 प्रतिशत के विरुद्ध वर्ष 2005-06 में कर- स रा घ उ का अनुपात केवल 7.26 प्रतिशत था। वर्ष 2002-05 के मध्य ऋण अदला बदली योजना के अंतर्गत भारत सरकार के उच्च लागत ऋण 11364.31 करोड़ रुपये के स्थानापन्न होने के परिणामस्वरूप 711.81 करोड़ रुपये की ब्याज बचत हुयी। बारहवें वित्त आयोग की 35 प्रतिशत संस्तुत सीमा के विरुद्ध राजस्व व्यय के सापेक्ष कुल वेतन बिल शुद्ध पेंशन एवं ब्याज भुगतान 47 प्रतिशत पर था। जबकि राजस्व घाटे में राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि एवं राजस्व व्यय के स्थिर रखने के कारण गुणात्मक कमी आयी, पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण गत वर्ष की तुलना में राजकोषीय घाटे में मामूली कमी हुयी। राजस्व घाटा में कमी के कारण ऋण अपलेखन योजना के तहत केन्द्रीय ऋण 1063.71 करोड़ रुपये के पुर्नभुगतान को अपलेखित किया गया था।

3982.59 करोड़ रुपये की लागत वृद्धि के बावजूद मार्च 2006 तक 27 अपूर्ण परियोजनाओं पर 3550.69 करोड़ रुपये अवरुद्ध था। सांविधिक निगमों, ज्वाइंट स्टाक कम्पनियों, सहकारिता इत्यादि पर 15464.60 करोड़ रुपये के निवेश का प्रतिफल नगण्य था।

v/; k; &2

vkC/uh; i kFkfedrk; 9 , oa fofu; ksx

2-1 iLrkouk

विनियोग लेखे विभिन्न विशिष्ट सेवाओं पर पूंजीगत एवं राजस्व व्यय को दर्शाते हुए विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत व्यय के दोनों भारत एवं दत्तमत मदों सहित प्रतिवर्ष तैयार किये जाते हैं।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक विनियोग के लेखापरीक्षा द्वारा यह सुनिश्चित करते हैं कि विभिन्न अनुदानों में किये गये व्यय वास्तव में प्राधिकृत विनियोग अधिनियम के अन्तर्गत है या नहीं और जो व्यय भारत के लिये आवश्यक है वह अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप भारत किये गये हैं। यह, यह भी निश्चित करता है कि जो व्यय किया जा रहा है वह विधि, प्रासंगिक नियमों, अधिनियमों एवं निर्देशों के अनुरूप है।

2-2 fofu; ksx ys[ks dk l f{klr foj . k

वर्ष 2005-06 में अनुदानों/विनियोगों के विरुद्ध वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति निम्नवत थी :

1/2j kM+ #i ; s e#

| | 0; ; dk Lo: i | ewy vupku@ fofu; ksx | vuij d vupku@ fofu; ksx | ; ksx | okLrfod 0; ; | cpr 1/21/2 vkf/kD; 1/21/2 |
|--------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| दत्तमत | I- राजस्व | 34579.26 | 4710.56 | 39289.82 | 34562.25 | (-) 4727.57 |
| | II- पूंजीगत | 12493.88 | 2559.34 | 15053.22 | 14948.37 | (-) 104.85 |
| | III- ऋण तथा अग्रिम | 592.71 | 242.81 | 835.52 | 683.84 | (-) 151.68 |
| | ; ksx & nrRer | 47665.85 | 7512.71 | 55178.56 | 50194.46 | (-) 4984.10 |
| भारित | IV- राजस्व | 14288.50 | 218.93 | 14507.43 | 12109.59 | (-) 2397.84 |
| | V- पूंजीगत | 9.97 | 1.30 | 11.27 | 8.81 | (-) 2.46 |
| | VI- लोक ऋण | 13767.53 | 500.20 | 14267.73 | 8333.49 | (-) 5934.24 |
| | ; ksx & Hkkfj r | 28066.00 | 720.43 | 28786.43 | 20451.89 | (-) 8334.54 |
| | Dy ; ksx | 75731.85 | 8233.14 | 83964.99 | 70646.35 | (-) 13318.64 |

नोट:- वास्तविक व्यय के आंकड़े सकल आंकड़े हैं जिसमें दत्तमत राजस्व व्यय 54.70 करोड़ रुपये तथा पूंजीगत व्यय 6241.18 करोड़ रुपये तथा भारत पूंजीगत व्यय 4.77 करोड़ रुपये के अन्तर्गत वसूलियां को व्यय में से घटाकर समायोजित करते हुए सम्मिलित किया गया है।

अनुदान एवं विनियोगों के 166 प्रकरणों में 14345.42 करोड़ रुपये की बचत का शुद्ध परिणाम कुल बचत 13318.64 करोड़ रुपये उपरोक्तानुसार थी 1/2j kM+ #i ; s e# 2-1/2 जिससे अनुदानों एवं विनियोगों के 29 प्रकरणों में 1026.78 करोड़ रुपये के आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया था 1/2j kM+ #i ; s e# 2-2/2 13318.64 करोड़ रुपये की शुद्ध बचत अनुपूरक प्रावधान 8233.14 करोड़ रुपये से 62 प्रतिशत अधिक थी। बचत/आधिक्य के ब्योरे (ब्योरेवार विनियोग लेखा) नियंत्रण अधिकारी को महत्वपूर्ण विचलनों की व्याख्या के लिये भेजे गये थे जो अभी तक (अक्टूबर 2006) प्राप्त नहीं हुये।

2-3 vkç/uh; i kFkfedr; a }kjk ofu; ksx

2-3-1 vuqku tgka cpr 400 djkm+ #i; s, oa vf/kd dh Fkha

vuqku I a[; k 61&foÜk foHkkx ¼_.k I ok; a rFkk vU; 0; ; ½

%djkm+ #i; s e%

| i thxr %Hkkfjr½ | | ; ksx %emy \$vuq ij d½ | okLrfod 0; ; | cpr |
|-----------------|----------|---------------------------|--------------|---------|
| मूल | 12824.08 | 12824.08 | 6894.82 | 5929.26 |
| अनुपूरक | शून्य | | | |

कुल बचतें मुख्यतया शीर्ष 6003—राज्य सरकार का आन्तरित ऋण—अर्थोपाय अग्रिम का पुनर्भुगतान (6893.37 करोड़ रुपये) के अन्तर्गत थीं, जो 101—बाजार ऋण के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित की गयी।

vuqku I a[; k 61&foÜk foHkkx ¼_.k I ok; a rFkk vU; 0; ; ½

%djkm+ #i; s e%

| jktLo %Hkkfjr½ | | ; ksx %emy \$vuq ij d½ | okLrfod 0; ; | cpr |
|----------------|----------|---------------------------|--------------|---------|
| मूल | 13772.80 | 13772.80 | 11590.85 | 2181.95 |
| अनुपूरक | शून्य | | | |

कुल बचतें मुख्यतया शीर्ष 2049—ब्याज अदायगियों—राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र की योजनागत परियोजनाओं के ऋणों पर ब्याज—एकमुश्त ऋणों (2554.31 करोड़ रुपये) के अन्तर्गत थीं, जो 101—बाजार ऋण पर ब्याज तथा 305—ऋण प्रबन्धन के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित की गयी।

vuqku I a[; k 61&foÜk foHkkx ¼_.k I ok; a rFkk vU; 0; ; ½

%djkm+ #i; s e%

| jktLo %nrer½ | | ; ksx %emy \$vuq ij d½ | okLrfod 0; ; | cpr |
|--------------|---------|---------------------------|--------------|--------|
| मूल | 3271.45 | 3271.54 | 2341.69 | 929.85 |
| अनुपूरक | 0.09 | | | |

बचतें मुख्यतया शीर्ष 2052—सचिवालय सामान्य सेवायें—वेतन पुनरीक्षण तथा मंहगाई भत्ता में बढ़ोत्तरी के लिए एकमुश्त प्रावधान, इत्यादि (293.56 करोड़ रुपये) के कारण थीं।

vuqku I a[; k 83&l ekt dY; k.k foHkkx (vuq fpr tkfr; ka ds fy, fo'k'sk ?kVd ; kstuk)

%djkm+ #i; s e%

| jktLo %nUker½ | | ; ksx %emy \$vuq ij d½ | okLrfod 0; ; | cpr |
|---------------|---------|---------------------------|--------------|--------|
| मूल | 1677.88 | 1700.48 | 1150.30 | 550.18 |
| अनुपूरक | 22.60 | | | |

बचतें मुख्यतया शीर्ष 2505—ग्राम्य रोजगार—केन्द्रीय योजना/केन्द्रीय पुरोनिधानित परियोजनाओं (155.82 करोड़ रुपये) के अन्तर्गत थीं।

vupku l a[; k 21&[kk | , oa j l n foHkkx

%djkm+ #i; se%

| i thxr %nrer% | | ; kx %ey\$vuqj d% | okLrfod 0; ; | cpr |
|------------------|---------|----------------------|--------------|--------|
| मूल | 5080.64 | 5322.23 | 4915.01 | 407.22 |
| अनुपूरक | 241.59 | | | |

बचतें मुख्यतया शीर्ष 4408-खाद्य भण्डारण तथा मालगोदामों पर पूंजीगत व्यय-खाण्डसारी चीनी परियोजनाओं (257.73 करोड़ रुपये) के अंतर्गत थीं।

2-3-2 iR; d i dj.k ea cpr , d djkm+ #i; s l s vf/kd , oa dy i ko/kku ds 10 i fr'kr l s Hkh vf/kd Fkh

राजस्व; दत्तमत के 29 अनुदानों, पूंजीगत; दत्तमत के 19 अनुदानों, राजस्व; भारत के 5 अनुदानों तथा पूंजीगत; भारत के 3 अनुदानों के प्रत्येक प्रकरण में 1 करोड़ रुपये से अधिक एवं कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से भी अधिक की बचत थी। इस प्रकार की बचतों की कुल धनराशि 13016.11 करोड़ रुपये थी $\%fff'k"V 2-3\%$ जो कुल बचत का 91 प्रतिशत था $\%fff'k"V 2-1\%$ तथा यह प्रदर्शित करता है कि बजट आकलन अवास्तविक था एवं वास्तविक आवश्यकता से उसका कोई सामन्जस्य नहीं था।

2-3-3 vuojr cpra

छः प्रकरणों में जिनमें पाँच अनुदान/विनियोग सम्मिलित थे, विगत चार वर्षों से प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ रुपये से अधिक की अनवरत बचत थी, जिसका विवरण निम्नवत है :

%djkm+ #i; se%

| dē l a[; k | vupku l a[; k | vupku@fofu; kx dk foj .k | cpr dh /kujkf'k i fr'kr l fgr dk'Bd ea | | | |
|---------------|------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 |
| | | jktLo&nUkelk | | | | |
| 1 | 40 | नियोजन विभाग | 4.55 (12) | 5.02 (12) | 4.41 (10) | 6.71 (12) |
| 2 | 49 | महिला एवं बाल कल्याण विभाग | 30.75 (07) | 41.76 (10) | 62.64 (8) | 37.33 (4) |
| 3 | 61 | वित्त विभाग (ऋण सेवायें एवं अन्य व्यय) | 993.68 (46) | 511.59 (27) | 156.95 (8) | 929.85 (28) |
| | | i thxr&nUkelk | | | | |
| 4 | 7 | उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) | 3.00 (03) | 87.39 (73) | 19.47 (23) | 20.35 (15) |
| 5 | 26 | गृह विभाग (पुलिस) | 43.81 (18) | 77.79 (52) | 108.80 (49) | 135.55 (50) |
| 6 | 61 | वित्त विभाग (ऋण सेवायें एवं अन्य व्यय) | 47.58 (82) | 39.42 (68) | 38.61 (67) | 25.97 (20) |

2-3-4 vkf/kD; ds fu; eu dh vko'; drk

foxr o"kk& ds vkf/kD; i ko/kku ds fu; eu dh vko'; drk

भारत के संविधान की धारा 205 के अन्तर्गत, राज्य सरकार के लिए आवश्यक है कि वह अनुदान/विनियोग से आधिक्य को राज्य विधान मंडल द्वारा विनियमित करा ले। किन्तु 1990-91 से 2004-05 तक के 32395.42 करोड़ रुपये आधिक्य व्यय का अभी तक (अक्टूबर 2006) नियमन नहीं कराया गया। यह विनियोग पर विधायकी नियंत्रण का उल्लंघन था। विवरण $ifff'k"V 2-4$ में दिया गया है।

o"kl 2005&06 ds nkjku vkf/kD; i ko/kku ds fu; eu dh vko'; drk

संविधान की धारा 205 के अन्तर्गत, 29 अनुदानों एवं विनियोगों के अन्तर्गत, वर्ष के दौरान 1026.78 करोड़ रुपये के आधिक्य के नियमन की आवश्यकता है। विवरण *ifff'k"V 2-2* में दिया गया है।

2-3-5 emy ctV , oa vuqj d i ko/kku

इस वर्ष के दौरान अनुपूरक प्रावधान (8233.14 करोड़ रुपये) था जो गत वर्ष के 29 प्रतिशत के सापेक्ष मूल प्रावधान (75731.85 करोड़ रुपये) का 11 प्रतिशत था।

2-3-6 vuko'; d vuqj d i ko/kku

वर्ष के दौरान 51 प्रकरणों में अनुपूरक प्रावधान 1481.76 करोड़ रुपये अनावश्यक सिद्ध हुये क्योंकि इन प्रकरणों में व्यय मूल अनुदान से भी कम था तथा बचतों को या तो अभ्यर्पित करना पड़ा या पुनर्विनियोजित करना पड़ा। ऐसी बचतें (4406.11 करोड़ रुपये) कुल बचतों की लगभग 31 प्रतिशत थी। विवरण *ifff'k"V 2-5* में उपलब्ध है।

2-3-7 vkf/kD; 0; ; ds vkPNknu grq vi; klr vuqj d vuqku

23 प्रकरणों में, 1023.70 करोड़ रुपये का अधिक व्यय था क्योंकि अनुपूरक अनुदान 1924.25 करोड़ रुपये अपर्याप्त सिद्ध हुये। अन्य 6 प्रकरणों में भी 3.08 करोड़ रुपये के अधिक व्यय के बावजूद भी अनुपूरक अनुदान की मांग का आकलन नहीं किया गया। यह न केवल अतिरिक्त निधि की आवश्यकता के अनुमान हेतु विभाग की असफलता को दर्शाता है अपितु व्यय की प्रवृत्ति के अनुश्रवण की कमी को भी दर्शाता है *% fff'k"V 2-6/A*

2-3-8 vuojr vkf/kD;

महत्वपूर्ण आधिक्य जैसा कि नीचे दिया गया है लोक निर्माण विभाग (भवन) अनुदान संख्या 55-पूँजीगत-दत्तमत के अन्तर्गत था। विगत 6 वर्षों में यह 448 से 1030 प्रतिशत के मध्य रहा। अनवरत आधिक्य बजट नियंत्रण के कमी को दर्शाता है जिसकी सरकार के द्वारा जांच आवश्यक है।

%djkM+ #i ; s e%

| o"kl | vkod/u | 0; ; | vkf/kD; %i fr' kr½ |
|---------|--------|--------|--------------------|
| 2000-01 | 28.50 | 194.04 | 581 |
| 2001-02 | 18.75 | 120.12 | 540 |
| 2002-03 | 13.41 | 151.57 | 1030 |
| 2003-04 | 26.19 | 170.57 | 551 |
| 2004-05 | 29.53 | 161.70 | 448 |
| 2005-06 | 20.64 | 198.34 | 861 |

2-3-9- vH; fi r u dh xbl i wkLepk fur cpra

नियमानुसार जब कभी बचतों की प्रत्याशा हो व्यय करने वाले विभागों को अनुदान/विनियोग या आंशिक बचतों को वित्त विभाग को अभ्यर्पित कर देना चाहिये। फिर भी, वर्ष 2005-06 के अन्त में 58 ऐसे प्रकरण थे जिसमें 2847.07 करोड़ रुपये की बचतें जो प्रत्येक प्रकरण में 1 करोड़ रुपये से अधिक की थी, अभ्यर्पित नहीं की गईं। 21 प्रकरणों में आंशिक अभ्यर्पण के पश्चात भी 8013.34 करोड़ रुपये जिसमें बचतें प्रत्येक प्रकरण में 1 करोड़ रुपये से अधिक की थी, का अभ्यर्पण नहीं किया गया। विवरण *ifff'k"V 2-7* में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, 43 प्रकरणों में 4054.56 करोड़ रुपये मार्च 2006 में अभ्यर्पित किये गये जो व्यय पर अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण दर्शाता है। विवरण *ifff'k"V 2-8* में दिया गया है।

2-3-10 vfooxdi w kZ vH; i Zk

निम्नलिखित प्रकरणों में, 6 अनुदानों के अन्तर्गत मार्च 2006 में अविवेकपूर्ण एवं अवास्तविक अभ्यर्पण किये गये जबकि उनमें कुल प्रावधानों से अधिक का व्यय पहले ही किया गया था।

(djkm+ #i; se)

| vupku l d; k rFkk vupku dk uke | i ko/kkukã ds foi jhr vkf/kD; | ekpl 2006 ea vH; fi r /kujkf' k |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| jktLo&nRrer | | |
| 19-कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण एवं अन्य व्यय) | 12.82 | 9.54 |
| 53-राष्ट्रीय एकीकरण विभाग | 0.48 | 0.05 |
| 55-लोक निर्माण विभाग (भवन) | 0.16 | 0.41 |
| 58-लोक निर्माण विभाग (संचार-सड़क) | 58.63 | 4.27 |
| i wthxr&nRrer | | |
| 55-लोक निर्माण विभाग (भवन) | 198.34 | 0.45 |
| 57-लोक निर्माण विभाग (संचार-पुल) | 8.04 | 8.50 |
| 58-लोक निर्माण विभाग (संचार-सड़क) | 502.05 | 95.39 |
| 96-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) | 2.84 | 304.67 |
| i wthxr Hkkfjr | | |
| 55-लोक निर्माण विभाग (भवन) | 0.27 | 0.01 |

2-3-11 mi yC/k cprka l s vf/kd dk vH; i Zk

निम्नलिखित प्रकरणों में बचतों से अधिक अभ्यर्पण था। पूर्वानुमानित बचतों से अधिक धनराशियों का अभ्यर्पण नियंत्रण अधिकारियों द्वारा व्यय पर कमजोर अनुश्रवण और नियंत्रण को प्रतिबिम्बित करता है। परिणामी आधिक्य का नियमन अपेक्षित होगा।

(djkm+ #i; se)

| vupku l d; k rFkk vupku dk uke | cpra | vH; i Zk |
|--|--------|----------|
| jktLo&nRrer | | |
| 2-आवास विभाग | 13.86 | 24.12 |
| 9-ऊर्जा विभाग | 49.80 | 50.69 |
| 42-न्याय विभाग | 34.59 | 36.81 |
| 43-परिवहन विभाग | 3.49 | 3.60 |
| 91-संस्थागत वित्त विभाग (टिकट एवं पंजीकरण) | 6.16 | 9.79 |
| i wthxr&nRrer | | |
| 21-खाद्य एवं रसद विभाग | 407.22 | 551.70 |
| 42-न्याय विभाग | 16.41 | 21.62 |
| jktLo&Hkkfjr | | |
| 42-न्याय विभाग | 4.77 | 5.06 |

2-4 vl ek/kkfur 0; ;

प्रत्येक माह में व्यय के विभागीय आंकड़ों का समाधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के आंकड़ों से किया जाना चाहिये। फिर भी विभिन्न विभागों में समाधान कराया जाना बाकी था। नियंत्रण अधिकारियों की संख्या जिन्होंने अपने आंकड़ों एवं धनराशियों का गत तीन वर्षों से समाधान नहीं कराया, का विवरण निम्नवत था:

%djkM+ #i ; s e%

| o"kl | fu; æ.k vf/kdkfj; ka dh l a[; k ftUgkaus vkadMka dk l ek/kku ugha dj;k; k | vl ek/kkfur /kujkf'k |
|---------|---|----------------------|
| 2003-04 | 71 | 40152.99 |
| 2004-05 | 57 | 30314.72 |
| 2005-06 | 48 | 16816.78 |

वर्ष 2005-06 के अन्तर्गत 166 नियंत्रण अधिकारियों में से 48 नियंत्रण अधिकारियों ने कुल 16816.78 करोड़ रुपये के व्यय के आंकड़ों का समाधान नहीं कराया।

2-5 0; ; dk ckgf;

वित्तीय नियमानुसार व्यय का वितरण समान रूप से पूरे वर्ष में करना चाहिये तथा माह के अन्त में व्यय के बाहुल्य से बचना चाहिये। फिर भी, ऐसा देखा गया कि मार्च 2006 में 28 लेखा शीर्षों में व्यय कुल व्यय का 55 प्रतिशत रहा। विवरण *ifj'k"V 2-9* में दिया गया है।

अध्याय—3

fu"i knu | eh{kk; ३

इस अध्याय में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का शैक्षिक विकास, पिछड़ी जाति एवं अल्प संख्यकों का शैक्षिक विकास, सर्व शिक्षा अभियान, खाद्य सुरक्षा, सब्सिडी एवं खाद्यान्न का प्रबन्धन, बाघ परियोजना एवं सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना पर छः निष्पादन समीक्षाएं शामिल हैं।

| ekt dY; k.k foHkx

3-1 vuq |pr tkfr; ॐ , oa tutkfr; ॐ dk 'kF{k d fodkl

अनुसूचित जाति (एस सी) एवं जनजाति (एस टी) के छात्रों के चतुर्मुखी विकास एवं उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिये भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति योजनाएं, निःशुल्क आवासीय सुविधाएं, बुक-बैंक, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु मेरिट उच्चीकरण, प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु परीक्षापूर्व कोचिंग आदि योजनाएं प्रारम्भ की गयी। योजनाओं की समीक्षा से परिलक्षित हुआ कि योजनाओं का क्रियान्वयन निचले स्तर तक लागू नहीं करने एवं उसके सम्बन्ध में जागरूकता का अभाव होने से योजना के वांछित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका।

ef; vdk

नमूना जांच किये गये 12 जनपदों की विभिन्न संस्थाओं से वर्ष 2001-06 की अवधि में 30.97 करोड़ रुपये (41 प्रतिशत) के उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुए।

छात्रवृत्ति योजना का निष्पादन वास्तविक वितरणों पर न होकर संस्थाओं को अवमुक्त की गयी धनराशि पर आधारित था। नमूना जांच किये गये 12 जनपदों में समीक्षा अवधि के दौरान 2.86 करोड़ रुपये समर्पित किये गये/छात्रों में वितरित नहीं किये गये।

॥ Lrj 3-1-8-1॥

कर्मचारियों की कमी के कारण वर्ष 2001-06 की अवधि में 71 से 86 प्रतिशत संस्थाओं की छात्रवृत्तियों का सत्यापन एवं अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं किया गया।

॥ Lrj 3-1-9॥

बुक बैंक योजना का लाभ लाभार्थियों तक नहीं पहुँच सका, क्योंकि न तो पुस्तकों की आवश्यकता का आकलन किया गया एवं न ही उनका समुचित वितरण किया गया।

॥ Lrj 3-1-10-1 , oa 3-1-10-2॥

कर्मचारियों के पद स्वीकृत न होने के कारण उनहत्तर छात्रावास क्रियाशील नहीं थे, छः बालिका छात्रावास अनाधिकृत कब्जे में थे एवं छात्रों की अनुपलब्धता के कारण वर्ष 1993-94 में निर्मित बालक छात्रावास क्रियाशील नहीं थे एवं जीर्णशीर्ण अवस्था में थे।

॥ Lrj 3-1-11-2॥

एस सी/एस टी छात्रों की परीक्षा पूर्व कोचिंग पूर्ण क्षमता से नहीं चली थी एवं कोचिंग पाठ्यक्रमों में भाग लेने वाले छात्रों के सफलता की दर कम होने के कारण योजना प्रभावी नहीं थी। 7.48 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित आवासीय कोचिंग केन्द्र कर्मचारियों के अभाव में क्रियाशील नहीं थे।

॥ Lrj% 3-1-12-1 , oa 3-1-12-2॥

योजनाओं के क्रियान्वयन का अनुश्रवण प्रभावी नहीं था। योजनाओं के प्रभाव का आकलन भी नहीं किया गया था।

॥ Lrj 3-1-16॥

3-1-1 iLrkouk

एस सी एवं एस टी के छात्रों के शैक्षिक विकास एवं उनमें आत्म विश्वास तथा आत्म निर्भरता पैदा करने के लिये भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विभिन्न शैक्षिक योजनाओं जैसे छात्रवृत्ति, छात्रावासों का निर्माण, बुक-बैंक, मेरिट उच्चीकरण एवं जनजाति क्षेत्रों में आश्रम पद्धति विद्यालयों (ए टी एस) की स्थापना आदि को प्रारम्भ किया गया। दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित थी। छात्रावासों के निर्माण की लागत, एस टी छात्रों के लिये ए टी एस, दशमोत्तर छात्रों के लिये बुक बैंक की योजना, मेरिट उच्चीकरण एवं कोचिंग योजना की लागत भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 50 : 50 अनुपात में वहन की जानी थी। पूर्व दशम् छात्रवृत्ति योजना, एस सी छात्रों के लिये छात्रावास एवं ए टी एस के रख रखाव एवं कक्षा नवीं एवं दसवीं की एस सी एवं एस टी छात्राओं के लिये बुक बैंक योजना राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित थी।

राज्य में 21.10 प्रतिशत एस सी एवं 0.10 प्रतिशत एस टी की जनसंख्या है। तेरह जिलों में एस टी की जनसंख्या राज्य की कुल एस टी जनसंख्या का 84 प्रतिशत है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार एस सीज एवं एस टीज की साक्षरता दर राज्य में औसत साक्षरता दर 56.3 प्रतिशत के सापेक्ष क्रमशः 46.3 एवं 35.1 प्रतिशत थी। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य के एस सी एवं एस टी जनसंख्या के मध्य साक्षरता दर का विवरण *ifj'k"V&3-1-1* में प्रदर्शित है।

3-1-2 I xBukRed <kpk

शासन स्तर पर एस सीज एवं एस टीज से सम्बन्धित शैक्षिक एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का सम्पूर्ण नियन्त्रण प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग में सन्निहित है। इन योजनाओं का क्रियान्वयन निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र० लखनऊ द्वारा अतिरिक्त निदेशक, वित्त नियंत्रक, दो उप निदेशक, समाज कल्याण अधिकारी एवं योजना समन्वय अधिकारी की सहायता से किया जाता है।

मण्डल स्तर पर, उप निदेशक, समाज कल्याण एवं जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी (डी एस डब्ल्यू)/अतिरिक्त जिला समाज कल्याण अधिकारी (समाज कल्याण) क्रमशः मंडल के आयुक्त एवं जनपद के जिलाधिकारी के पर्यवेक्षण में योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी थे।

निदेशक समाज कल्याण के पास निदेशक जनजाति विकास का भी प्रभार था एवं उनकी सहायता हेतु मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, उपनिदेशक, परियोजना अधिकारी, अधीक्षक एवं सहायक निदेशक नियुक्त थे। जनपद स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन डी एस डब्ल्यू एवं ए टी एस के अधीक्षकों द्वारा किया जाता था।

3-1-3 ys[kk i jh{kk ds mnns ;

लेखा परीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि :

- योजनाओं के क्रियान्वयन की योजना दक्ष एवं विश्वसनीय आंकड़ों पर आधारित थी।
- विभिन्न योजनाओं के लिये चिन्हित निधियों का आबंटन, उनका अवमुक्त एवं उपभोग किया जाना न्याय संगत, पर्याप्त एवं प्रभावी था।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संकलित शैक्षिक संकेतकों जैसे साक्षरता दर, कुल नामांकन अनुपात (जी ई आर), कुल ड्राप आउट दर (जी डी आर) एवं जेण्डर पैरिटी इण्डेक्स (जी पी आई) (परिभाषाएं *ifj'k"V&3-1-2* पर) में सुधार हुआ।

- विभिन्न स्तरों पर अनुश्रवण प्रणाली प्रभावी रूप से क्रियाशील थी।

3-1-4 ys[kk ijh{kk dk eki n.M

मापदण्ड के आधार थे :

- शासन के वित्तीय नियम,
- विभिन्न कार्यक्रमों की योजनाओं के दिशा-निर्देश,
- भारत सरकार द्वारा संकलित जी डी आर में वृद्धि/कमी एवं जी ई आर तथा जी पी आई के रुझानों से सम्बन्धित आंकड़े,
- संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में वृद्धि का विस्तार,
- अनुश्रवण की आवृत्ति एवं विस्तार।

3-1-5 ys[kk ijh{kk dk; [ks= , oa ifdz; k

एस सी एवं एस टी की जनसंख्या को आधार मानकर प्रतिदर्श चयन की पी पी एस डब्ल्यू आर पद्धति द्वारा लखनऊ एवं 17 जिलों¹ के डी एस डब्ल्यू कार्यालयों एवं निदेशक, समाज कल्याण के माह जून 06 से सितम्बर 06 के मध्य वर्ष 2001-06 की अवधि के एस सी एवं एस टी छात्रों के लिये शैक्षिक योजनाओं जैसे छात्रवृत्ति, छात्रावास, बुक बैंक, मेरिट उच्चीकरण, कोचिंग एवं ए टी एस की स्थापना की योजनाओं के क्रियान्वयन से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच की गयी। शिक्षा विभाग के साथ समन्वय के पक्ष की भी जांच की गयी थी।

लेखा परीक्षा के उद्देश्य एवं मापदण्ड मई 2006 में शासन को सूचित किये गये एवं जुलाई 2006 में शासन द्वारा स्वीकार किया गया। चयनित कार्यालयों के अभिलेखों की जांच के अतिरिक्त विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, स्कूलों, छात्रावासों एवं परीक्षा पूर्व कोचिंग केन्द्रों से विभिन्न शैक्षिक योजनाओं से सम्बन्धित सूचनाओं का संकलन भी किया गया। इसके साथ ही डी एस डब्ल्यू के प्रतिनिधियों के साथ 45 छात्रावासों, दो कोचिंग केन्द्रों एवं 22 आश्रम पद्धति विद्यालयों का निरीक्षण भी किया गया।

ys[kk ijh{kk fu"d"kl

3-1-6 dk; lde fu; kstu

विभिन्न योजनाओं के लिये निधियों की आवश्यकता जिलों से प्राप्त मांग के आधार पर आकलित किया जाना था, जो विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या के आधार पर होनी थी। इसके विपरीत, लाभार्थियों की वास्तविक संख्या का आकलन किये बिना ही विगत वर्षों की उपलब्धि के आधार पर निदेशालय को मांग पत्र प्रेषित किये गये थे। छात्रवृत्ति के लिये निधियों के प्रावधान हेतु प्रस्ताव फरवरी एवं जून के मध्य भेजे गये जबकि संस्थाओं में प्रवेश जुलाई से प्रारम्भ होते थे। पुनश्च, यद्यपि भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष मई-जून में सभी योजनाओं के विवरण का प्रचार करने हेतु मुख्य समाचार पत्रों में विज्ञापन देने के लिये एवं लाभार्थियों से आवेदन पत्र आमन्त्रित करने के लिये निर्देशित किया था, परन्तु इस प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया।

आठ² जनपदों की नमूना जांच में पाया गया कि योजनाओं की जानकारी के अभाव तथा उसमें समय-समय पर परिवर्तन के कारण संस्थाएं योजना का देय लाभ एस सी एवं एस टी के छात्रों को नहीं दे सकीं। विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया (जून 2006,

cpkj&i;l kj ds
vHkko es ; kst ukvka
ds ckjs ea
tkx: drk dh del

¹ आजमगढ़, बदायूं, फतेहपुर, हरदोई, जालौन, झॉंसी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कुशीनगर, लखीमपुर-खीरी, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, रामपुर, सुल्तानपुर, सीतापुर तथा वाराणसी

² आजमगढ़, फतेहपुर, हरदोई, कानपुर नगर, लखनऊ, मुरादाबाद, रायबरेली, तथा रामपुर

3-1-7 विज्ञापन के निम्नलिखित विवरण

3-1-7-1 विज्ञापन के निम्नलिखित विवरण

यह योजना परम्परागत रूप से अस्वच्छ पेशे में संलिप्त अभिभावकों, जो मैला ढोने, चमड़ा उतारने के कार्य में लगे थे, को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये थी, जिससे उनके बच्चे हाईस्कूल स्तर तक शिक्षा प्राप्त कर सकें। राज्य सरकार वचनबद्ध देयता¹ वहन करती थी तथा इससे अधिक व्यय को भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 50 : 50 के अनुपात में वहन किया जाना था। योजना के अन्तर्गत बच्चों को दस माह की छात्रवृत्ति के अतिरिक्त अभिभावकों को 500 रुपये (अप्रैल 2003 से 550 रुपये) प्रति वर्ष की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी। वर्ष 2001-06 के मध्य योजना के अन्तर्गत बजट आबंटन एवं व्यय का विवरण निम्नवत था:

लक्षित विवरण

| वर्ष | अनुपात | व्यय | अनुपात | | | कुल व्यय | अनुपात | कुल व्यय |
|---------|--------|----------------------|--------|---------------------|---------------------|----------|--------|----------|
| | | | राज्य | केंद्र शासित प्रदेश | केंद्र शासित प्रदेश | | | |
| 2001-02 | 5.03 | कोई मांग नहीं की गयी | 4.03 | - | - | 4.03 | 3.55 | |
| 2002-03 | 5.03 | कोई मांग नहीं की गयी | 3.81 | - | - | 3.81 | 3.81 | |
| 2003-04 | 5.88 | 0.93 | 4.01 | 0.29 | 0.29 | 4.59 | 3.32 | |
| 2004-05 | 5.03 | 0.88 | 4.03 | 0.47 | 0.47 | 4.97 | 4.97 | |
| 2005-06 | 6.40 | 0.44 | 4.03 | 0.79 | 0.79 | 5.61 | 4.89 | |
| कुल | 27.37 | 2.25 | 19.91 | 1.55 | 1.55 | 23.01 | 20.54 | |

वर्ष 2003-06 के मध्य केन्द्रशासित प्रदेश का 70 लाख रुपये राज्य द्वारा अवमुक्त न किये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। भौतिक प्रगति 2.86 लाख के लक्ष्य के सापेक्ष 2.49 लाख (87 प्रतिशत) थी। निदेशालय में लाभार्थियों का वर्गवार विवरण उपलब्ध नहीं था।

योजना के अभिलेखों की नमूना जांच में निम्न तथ्य प्रकाश में आये :

केंद्र शासित प्रदेश के निदेशालय द्वारा जारी किए गए विवरण

- वर्ष 2005-06 के मध्य बिना मांग के निदेशालय द्वारा आबंटित दो लाख रुपये की धनराशि में से डी एस डब्ल्यू, लखनऊ ने 37 हजार रुपये एक संस्था² को स्थानान्तरित कर शेष 1.63 लाख रुपये समर्पित कर दिया। इसी प्रकार, डी एस डब्ल्यू, सुल्तानपुर ने वर्ष 2005-06 में सम्पूर्ण आबंटित दो लाख रुपये की धनराशि शिक्षा विभाग की मांग के अभाव में वापस कर दी।
- 13³ जनपदों के डी एस डब्ल्यूओं द्वारा वर्ष 2001-06 के मध्य वितरकों की वित्तीय और भौतिक प्रगति 5.68 करोड़ रुपये का 48233 लाभार्थियों को वितरण बढ़ा चढ़ा कर सूचित की गयी, क्योंकि संस्थाओं द्वारा केवल 5.44 करोड़ रुपये, 42797 लाभार्थियों को वितरित किया गया था, 18 लाख रुपये डी एस डब्ल्यूओं को वापस किये गये थे तथा छः लाख रुपये संस्थाओं के पास बिना उपयोग के पड़े हुए थे।

¹ वचनबद्ध देयता वह राशि है जो कि 9वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष (2001-02) में राज्य सरकार द्वारा व्यय की गयी थी जो 4.03 करोड़ रुपये थी

² मुन्नी देवी बाल्मीकी स्मारक विद्यालय, इन्दिरानगर, लखनऊ

³ आजमगढ़, बदायूँ, हरदोई, जालौन, झोंसी, कानपुर देहात, लखीमपुर-खीरी, लखनऊ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रामपुर, सीतापुर तथा वाराणसी

3-1-7-2 vLoPN i s kka ea l fylr ds vfrfjDr vl; vuq fpr tkfr ds Nk=

एस सी छात्रों हेतु वर्ष 2001-06 की अवधि में पूर्व दशम् छात्रवृत्ति से सम्बंधित 1645.61 करोड़ रुपये व्यय से सम्बंधित बजट आबंटनों, लक्ष्य और उपलब्धियों से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। यद्यपि नमूना जॉच के जिलों में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये :

- अवमुक्त 499.86 करोड़ रुपये में से इन जनपदों में 483.74 करोड़ रुपये वितरित की गयी थी। नौ¹ जनपदों में व्यय किये गये 233.64 करोड़ रुपये से संबंधित लक्ष्य और उपलब्धि के अभिलेख नहीं बनाये गये थे। शेष जिलों में 60.70 लाख रुपये के लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि 56.92 लाख रुपये (94 प्रतिशत) थी।
- उपलब्धि संस्थाओं को अवमुक्त की गयी धनराशि के आधार पर दर्शायी गयी थी, जबकि तीन जिलों² में संस्थाओं द्वारा 1.64 करोड़ रुपये वापस कर दिया गया तथा छः जिलों³ में 1.36 करोड़ रुपये विभिन्न संस्थाओं के पास अवितरित पड़ा था। इसके अतिरिक्त अवमुक्त किये गये 122.57 करोड़ रुपये के विरुद्ध 63.82 करोड़ रुपये (52 प्रतिशत) के उपभोग प्रमाण-पत्र छः जिलों⁴ से प्राप्त नहीं हुये थे। इस प्रकार, उपलब्धि बढ़ाकर सूचित की गयी थी।

3-1-7-3 Ldnyka ds Nk=ofRr ds vfhkys[k

13 जिलों में अस्वच्छ पेशे तथा अन्य के छात्रवृत्तियों से संबंधित स्कूल अभिलेखों की नमूना जॉच में निम्नलिखित तथ्य पाये गये :

- स्वामी विवेकानन्द उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कानपुर देहात नें वर्ष 2005-06 के लिये पूर्ण धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र डी एस डब्ल्यू को प्रेषित किया था परन्तु कक्षा 9 तथा 10 के छात्रों को 13 हजार रुपये मूल्य के 18 चेक निर्गत नहीं किये गये थे तथा 13 रिक्त चेक, प्रत्येक 720 रुपये के, संस्था के पास पड़े थे।
- प्राथमिक विद्यालयों, रायपुर तथा डेरापुर, कानपुर देहात एवं डॉ० अम्बेडकर प्राथमिक विद्यालय, मुरादाबाद में कक्षा 2 तथा 3 के 15 छात्रों के अगूठे के निशान को छात्रवृत्ति की प्राप्ति के रूप में लिया गया था जिससे स्पष्ट था कि या तो छात्र लिख नहीं सकते थे या भुगतान संदिग्ध थे।
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, आजमगढ़ द्वारा ग्राह्य 140 रुपये प्रति माह के स्थान पर 50 रुपये प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति की माँग तथा वितरण कर लाभार्थियों को योजना के पूर्ण लाभ से वंचित किया गया था।

ये अनियमिततायें जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा योजना क्रियान्वयन के पर्यवेक्षण और अनुश्रवण में कमी को दर्शाती थी।

3-1-8 n'kekRrj Nk=ofRr

इस केन्द्र पुरोनिधानित योजना का उद्देश्य दशमोत्तर कक्षाओं के स्तर में अध्ययनरत उन एस सी एवं एस टी के ऐसे छात्रों को आर्थिक बाधा रहित अध्ययन पूर्ण करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक न हो। इस सहायता के अन्तर्गत रख-रखाव लागत का भुगतान, वापस न की जाने वाली अनिवार्य शुल्क की प्रतिपूर्ति, शोध पत्र का टंकण/मुद्रण तथा शैक्षिक

¹ आजमगढ़, बदायूं, फतेहपुर, हरदोई, जालौन, झॉंसी, कानपुर देहात, सुल्तानपुर तथा वाराणसी

² फतेहपुर, लखीमपुर-खीरी तथा वाराणसी

³ आजमगढ़, बदायूं, बलरामपुर, हरदोई, कानपुर नगर तथा कुशीनगर

⁴ बदायूं, बलरामपुर, फतेहपुर, कानपुर नगर, रामपुर तथा सीतापुर

Nk=ofRr; k;
vfu; fer #i l s
forjhr dh x; h
Fkh

यात्रा भत्ता, पत्राचार पाठ्यक्रम के छात्रों को पुस्तकीय भत्ता तथा विकलांग छात्रों को सहायता प्रदान करना भी सम्मिलित है।

3-1-8-1 वुड प्र त्कर Nk=

योजना पर होने वाले सम्पूर्ण व्यय को भारत सरकार द्वारा वहन किया जाना है तदनुसार राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से प्रायोजित धन की अवमुक्ति हेतु मांग लाभार्थियों की अनुमानित संख्या के आधार पर की जानी थी। वर्ष 2001-06 की अवधि में एस सी छात्रों हेतु योजना की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति निम्नवत् थी :

1 क्ज. क्क&2

| 0k'kz | Hkkjr I jckj I s i k r fuf/k; k; | j k T; I j d k j } k j k voeDr /kujkf'k | | dly mi yC/k /kujkf'k | 0; ; | YkHkkfFkz; ka dh I d; k | |
|---------|---|--|----------------------------|----------------------------|--------|--------------------------------------|--|
| | | dlnh; I gk; rk dh v'j | Okpuc) ns rk' dh v'j | | | YkHkkfFkz; ka dh vupfur I d; k | YkHkkfFkz; ka dh OkkLrfod I d; k 1/1 fr' kr 1/2 |
| 2001-02 | 23.05 | 18.59 | 38.33 ² | 56.92 | 56.64 | 360148 | 351000(97) |
| 2002-03 | 19.94 | 27.98 | 58.00 | 85.98 | 85.98 | 428830 | 403425(94) |
| 2003-04 | 51.38 | 22.16 | 58.00 | 80.16 | 80.16 | 423565 | 387680(92) |
| 2004-05 | 59.38 | 76.55 | 58.00 | 134.55 | 134.55 | 505594 | 481804(95) |
| 2005-06 | 110.83 | 120.68 | 64.92 | 185.60 | 185.60 | 511122 | 562290(110) |
| ; 'x | 264-58 | 265-96 | 277-25 | 543-21 | 542-93 | 2229259 | 2186199(98)½ |

यद्यपि वार्षिक वचनबद्ध देयता वर्ष 2002-03 से 64.92 करोड़ रुपये थी, परन्तु शासन द्वारा वर्ष 2002-05 की अवधि में प्रतिवर्ष मात्र 58 करोड़ रुपये की राशि ही उपलब्ध करायी गयी जिसके परिणामस्वरूप 20.76 करोड़ रुपये की राशि कम अवमुक्त हुई।

mi yfC/; ka dk
i k. k okLrfod
Nk=ofr forj. k
ds vk/kkj ij u
gkdjj I d Fkkvka
dks voeDr jkf'k
ij vk/kkfjr Fkk

➤ सोलह जिलों³ के अभिलेखों 1/1 f'f' k'V 3-1-3½ की जाँच में पाया गया कि डी एस डब्ल्यू ओ द्वारा निदेशालय को उपलब्धियों के जो आँकड़े प्रेषित किये गये थे, वह संस्थाओं को अवमुक्त धनराशि के आधार पर थे न कि वास्तविक छात्रवृत्ति वितरण के आधार पर, क्योंकि 1.38 करोड़ रुपये की राशि संस्थाओं के पास अवितरित पड़ी थी (सितम्बर 2006) तथा 1.48 करोड़ रुपये संस्थाओं द्वारा वापस कर दिया गया था। कुछ संस्थाओं को आवश्यकता से अधिक धनराशि अवमुक्त किये जाने के कारण 2.86 करोड़ रुपये या तो वापस कर दिया गया था या अवितरित पड़ा था जबकि बजट के अभाव में छः जनपदों⁴ के 361 संस्थाओं को कोई धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जा सकी थी।

voeDr
/kujkf'k ds 41
ifr'kr dk
mi Hkkx
i ek. k&i =

➤ वर्ष 2001-06 की अवधि में 12 जिलों को अवमुक्त राशि 76.44 करोड़ रुपये के विरुद्ध संस्थाओं द्वारा 30.97 करोड़⁵ रुपये (41 प्रतिशत) का उपभोग प्रमाण पत्र अप्राप्त रहने के कारण सूचित वितरण महत्वहीन था।

➤ पाँच जिलों के डी एस डब्ल्यूओ द्वारा वर्ष 2001-06 की अवधि में 9.07 लाख रुपये की धनराशि सात संस्थाओं⁶ को लाभार्थियों की सूची प्रेषित किये बिना

¹ वचनबद्ध देयता वह राशि है जो कि 9वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में शामिल की गयी तथा राज्य सरकार द्वारा 10वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में वहन करना था

² वचनबद्ध देयता 8वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वित्तीय वर्ष पर आधारित थी। वर्ष 2002-03 से 2005-06 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना में वचनबद्ध देयता 64.92 करोड़ रुपये थी

³ आजमगढ़, बदायूँ, बलरामपुर, फतेहपुर, हरदोई, झॉंसी, कानपुर नगर, कुशीनगर, लखनऊ, लखीमपुर-खीरी, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, रामपुर, सुल्तानपुर तथा वाराणसी

⁴ बदायूँ, हरदोई, कानपुर नगर, लखनऊ, मुरादाबाद तथा रामपुर

⁵ 2001-02 : 2.96 करोड़ रुपये, 2002-03 : 5.64 करोड़ रुपये, 2003-04 : 5.75 करोड़ रुपये, 2004-05 : 8.11 करोड़ रुपये तथा 2005-06 : 8.51 करोड़ रुपये

⁶ रानी सुषमादेवी महिला महाविद्यालय, अमेठी, सुल्तानपुर, वी पी शुक्ला इण्टर कालेज, रेहर बलरामपुर, श्री गुरुकिशन डिग्री कालेज, झॉंसी, डॉ राम मनोहर लोहिया डिग्री कालेज, एस एन सेन इण्टर कालेज तथा नगर निगम महिला इण्टर कालेज, कानपुरनगर तथा जनता इण्टर कालेज, लखनऊ

सीधे उनके बैंक खातों में हस्तान्तरित कर दिया गया था जिसके परिणाम स्वरूप वितरण में विलम्ब हुआ तथा धन का उपयोग न हो सका। जो वित्तपोषक एवं कार्यदायी संस्थाओं के मध्य संवादशून्यता दर्शाती है।

23-45 djkm+ : i ; s
Nk=ofRr dk
vf/kd Hkqrku
fd; k x; k

- योजना के अनुसार सभी अंतः वासी जो राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावासों में निःशुल्क निवास करते हैं, को छात्रावासीय दर¹ का एक तिहाई छात्रवृत्ति का ही भुगतान अनुमन्य था। इसके विपरीत, निदेशालय द्वारा दशमोत्तर छात्रावासियों को पूर्ण दर से छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया था। आठ जनपदों² एवं चार संस्थाओं³ के अभिलेखों से छात्रावासों में निवासरत छात्रों को पूर्ण दर से छात्रवृत्ति के भुगतान की पुष्टि हुई। इस मद पर किये गये सम्पूर्ण व्यय के आधार पर राज्य में कुल 23.45⁴ करोड़ रुपये का व्ययाधिक्य हुआ था।

3-1-8-2 vuq fpr tutkfr ds Nk=

वर्ष 2001-06 के मध्य एस टी छात्रों के संदर्भ में वित्तीय एवं भौतिक प्रगति निम्नवत् थी :

l kj . kh&3

| Ok"z | CktV i ko/kku | voeDr /kujkf'k | | dy mi yC/k /kujkf'k | OkkLrfod 0; ; ¼ fr'kr½ | vo'k'k | YkHkFFkZ; ka dh l a ; k | |
|---------|------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|--------|---|---|
| | | dlnh; l gk; rk | Okpuc) ns rk | | | | ykHkFFkZ; ka dh vupkfr l a ; k | ykHkFFkZ; ks dh OkkLrfod l a ; ka ¼ fr'kr½ |
| 2001-02 | 0.16 | 0.06 | 0.04 | 0.10 | 0.08(50) | 0.02 | 1037 | 387(37) |
| 2002-03 | 0.10 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.05(50) | 0.02 | 667 | 354(53) |
| 2003-04 | 0.10 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.07(70) | 0.00 | 667 | 468(70) |
| 2004-05 | 1.20 | 1.08 | 0.07 | 1.15 | 0.88(73) | 0.27 | 4241 | 5079(120) |
| 2005-06 | 1.07 | 0.85 | 0.07 | 0.92 | 0.90(84) | 0.02 | 5183 | 4986(96) |
| ∑ X | 2.63 | 1.99 | 0.32 | 2.31 | 1.98(75½) | 0.33 | 11795 | 11274(96½) |

निम्नलिखित बिन्दु संज्ञान में आये :

वित्तीय एवं भौतिक प्राप्तियों में कुल मिलाकर असमानता थी क्योंकि वर्ष 2001-06 के मध्य केवल 75 प्रतिशत धनराशि का उपभोग करके 96 प्रतिशत लाभार्थियों को आच्छादित किया गया, जिसकी जाँच नहीं की गयी।

- बारह अतिरिक्त आच्छादित जनपदों में से पांच जनपदों⁵ द्वारा वर्ष 2004-05 की छात्रवृत्ति की धनराशि का उपभोग नहीं किया गया था जिसका प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किया गया था। निदेशक, समाज कल्याण (जनजाति) ने सूचित किया (सितम्बर 2006) कि वर्ष 2004-05 की धनराशि का उपभोग न कर पाना उसके वित्तीय वर्ष के अन्त में आबंटित किये जाने के कारण था। इसप्रकार धनराशि की अवमुक्ति में विलम्ब के फलस्वरूप उसका उपभोग नहीं किया गया जो लक्ष्य प्राप्ति की रिपोर्ट को भी अवास्तविक सिद्ध करता है।
- पुनः, निदेशालय द्वारा बताया गया कि एस टी बाहुल्य जनपदों जैसे आजमगढ़, बलिया, सिद्धार्थनगर तथा जौनपुर के डी एस डब्ल्यू ओ द्वारा वर्ष 2005-06 में छात्रवृत्ति की धनराशि की मांग न किये जाने के कारण उन्हें धनराशि अवमुक्त नहीं की गई थी। इस प्रकार, डी एस डब्ल्यू ओ की शिथिलता के कारण इन जनपदों के एस टी छात्र छात्रवृत्ति योजना के लाभ से वंचित रहे।

¹ चार श्रेणियों की छात्रावासीय दरें अ-740 रुपये, ब-510 रुपये, स-355 रुपये तथा द-235 रुपये

² लखनऊ-323, हरदोई-103, बदायूँ-48 फतेहपुर-110, आजमगढ़-123, वाराणसी-96, कुशीनगर-19, रामपुर-45

³ हिन्दू कालेज-मुरादाबाद, लखनऊ विश्वविद्यालय, डा0 बी आर अम्बेदकर विश्वविद्यालय-लखनऊ तथा राजा पी जी कालेज रामपुर

⁴ वर्ष 2001-06 के दौरान छात्रावासियों को छात्रवृत्ति का 35.18 करोड़ रुपये दो तिहाई भुगतान

⁵ गोरखपुर, बलिया सिद्धार्थनगर, जौनपुर और मिर्जापुर

3-1-9 foHkkxh; vf/kdkfj; k' }kj k l R; ki u

निदेशालय के मानक के अनुसार जिला स्तर पर तैनात सहायक विकास अधिकारियों तथा समाज कल्याण पर्यवेक्षकों को प्रतिमाह 10 तथा वर्ष में कुल 100 विद्यालयों में छात्रवृत्ति वितरण एवं अन्य शैक्षणिक योजनाओं में निहित लाभ का सत्यापन करना था।

vfu; ferrkv'a d'
j'dus grq
; 'tukv'a dk
l R; ki u u fd; k
tkuk

वर्ष 2001-06 के मध्य 71 से 86 प्रतिशत तक संस्थाएं असत्यापित रह गईं। कर्मचारियों की उपलब्धता के विषय में विश्लेषण करने पर पाया गया कि संस्थाओं के निरीक्षण हेतु निर्धारित मानक के अनुसार कर्मचारियों की आवश्यक संख्या 1192 (2001-02) तथा 1886 (2005-06) के विरुद्ध उनकी उपलब्धता वर्ष 2004-05 जिसमें 553 थी को छोड़कर, 536 (2001-02) और 529 (2005-06) के मध्य थी। कर्मचारियों की कमी से संस्थाओं के निरीक्षण में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। निदेशक द्वारा योजनाओं के अनुश्रवण के दौरान पाया गया (मई 2006) कि जनपद एवं क्षेत्रिय स्तर के अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता या दुरुपयोग का उल्लेख नहीं किया गया था, जबकि औचक निरीक्षण में गम्भीर अनियमितताएं पाई गईं।

डी एस डब्ल्यू वाराणसी ने बताया (मई 2006) कि कर्मचारियों की कमी, उन्हें अपने सामान्य कार्यों के अतिरिक्त समाज कल्याण की विभिन्न योजनाओं के सत्यापन हेतु लगाये जाने से, और गम्भीर हो गई और यह भी इंगित किया कि उनको दिया जा रहा 100-100 रुपये मासिक यात्रा भत्ता अपर्याप्त था।

3-1-10 cpl c'd ; kstuk

भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु बुक बैंक योजना का कियान्वयन।

3-1-10-1 n'kekRrj Nk=ofRr ; kstuklrxlr cpl c'd ; kstuk

दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत बुक बैंक योजना की परिकल्पना, एस सी एवं एस टी के छात्रों के उच्च एवं व्यवसायिक शिक्षा में गिरते प्रतिशत को कम करने के लिए एवं उन्हें नवीनतम, पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु की गयी थी। योजना में होने वाले व्यय भार को भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 50 : 50 के अनुपात में वहन किया जाना था। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिये प्रति छात्र पुस्तकों का एक सेट एवं चार्टर्ड एकाउण्टेसी तथा अन्य कोर्स के लिए प्रति दो छात्र पुस्तकों का एक सेट क्रय किया जाना था। पुस्तकों का चयन प्रधानाचार्य/रजिस्ट्रार (अध्यक्ष) वित्त/लेखाधिकारी, एक एस सी एवं एक एस टी छात्र तथा डी एस डब्ल्यू (सदस्य) की समिति के द्वारा किया जाना था। वर्ष 2001-06 की अवधि में उपलब्ध धन एवं उसके उपभोग से सम्बन्धित विवरण निम्नवत हैं

l kj . kh&4

| Ok"kl | CktV i ko/kku | voePr /kujkf'k | | ; 'x | 0; ; | vo' kSk |
|-----------------|------------------|-----------------|----------------|-------|-------|-----------------------------------|
| | | Tkh vks vkbZ | jkT; l jdkj | | | |
| %djkm+: i ; seh | | | | | | |
| 2001-02 | 2.06 | 1.03 | 1.03 | 2.06 | 1.95 | 0.11 (समर्पित) |
| 2002-03 | 2.16 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | - |
| 2003-04 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 1.72 | 2.28 (2004-05 में उपभोग किया गया) |
| 2004-05 | 3.16 | शून्य | शून्य | शून्य | 2.28 | शून्य |
| 2005-06 | 1.00 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| ; 'x | 12.38 | 3.11 | 3.11 | 6.22 | 6.11 | 'kll; |

=fVi wkl fdz; kll; u
ds dkj .k n'kekRrj
cpl c'd ; kstuk
ykhkkfFkz; 'a d' ykhk
Anku djus ea
vl Qy jgh

इस प्रकार 2001-06 की अवधि में प्राविधानित धनराशि 12.38 करोड़ रुपये के सापेक्ष मात्र 6.22 करोड़ रुपये का ही उपभोग किया गया। यद्यपि निदेशक द्वारा बताया गया कि माँग जिलों द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर थी परन्तु जनपदों में किये गये भौतिक

सत्यापन में यह बात प्रकाश में आई कि अधिकांश शिक्षण संस्थाओं में सामान्यतया जागरूकता का अभाव था तथा विद्यालयों द्वारा कोई मांग नहीं की गयी थी।

आवश्यकता से अधिक क्रय की गयी पुस्तकों (मूल्य 31.53 लाख रुपये) की आपूर्ति छः विद्यालयों को कर दी गयी ॥ f j f ' k " V 3-1-4 ॥ विद्यालयों द्वारा ये पुस्तकें या तो एस सी छात्रों को निर्गत नहीं की गयी अथवा कुछ ही छात्रों को निर्गत की गयी। बी एच यू एवं काशी विद्यापीठ, वाराणसी में पुस्तकालय की अन्य पुस्तकों के साथ रखी थी तथा उसकी सामान्य प्रक्रिया के अनुसार ही एस सी छात्रों को भी निर्गत की जा रही थी। इस प्रकार त्रुटिपूर्ण क्रियान्वयन के कारण बुक बैंक योजना असफल रही एवं योजना का अपेक्षित प्रभाव भी नहीं हुआ।

3-1-10-2 d{k;k 9 ,oa 10 dh , l l h@, l Vh Nk=kvka ds fy; s cpl cfd ; kst uk

Nk=kvka gsrq cpl
cfd ; kst uk
okfNr mif; Akr
djus ea vl Qy
jgh

राज्य सरकार द्वारा कक्षा 9 एवं 10 की एस सी/एस टी छात्राओं को पाठ्यक्रम सम्बन्धी पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु बुक बैंक योजना 2002-03 प्रारम्भ की गयी एवं इस हेतु 5.84 करोड़ रुपये (मार्च 2003) स्वीकृत किया गया था। निदेशक समाज कल्याण उ0प्र0, लखनऊ की अध्यक्षता वाली क्रय समिति द्वारा किये गये अनुबन्ध (जुलाई 2003) के अनुरूप आगरा स्थित एक फर्म द्वारा 144707 सेट पुस्तको (मूल्य : 4.27 करोड़ रुपये) की आपूर्ति वर्ष 2003-04 (आपूर्ति की निर्धारित अवधि : अगस्त 2003 का मध्य) में डी एस डब्ल्यू ओ को जिला विद्यालय निरीक्षकों के निर्देशानुसार वितरण करने के लिये की गयी। निदेशक द्वारा अगस्त 2006 तक 2.20 करोड़ रुपये का भुगतान फर्म को कर दिया गया था। वर्ष 2002-03 के लिए संस्तुत पुस्तकों की आपूर्ति अगस्त 2003 के पश्चात की गयी तब तक छात्राएं पुस्तकें खरीद चुकी थी। इसके अतिरिक्त शैक्षणिक सत्र 2003-04 में पाठ्यक्रम में बृहद् परिवर्तन के कारण पुस्तकें अनुपयोगी हो गयी थी। इस बात की पुष्टि छः¹ जनपदों के प्रधानाचार्यों द्वारा की गयी। यद्यपि पुस्तकों के चयन हेतु गठित समिति के सदस्य के रूप में माध्यमिक शिक्षा के अतिरिक्त निदेशक को भी सम्मिलित किया गया था, इसके पश्चात भी पाठ्यक्रम परिवर्तन को अनदेखा किया गया। परिणाम स्वरूप 2.20 करोड़ रुपये का व्यय निरर्थक सिद्ध हुआ।

2-39 djkm+
: i; seW; dh
vf/kd i qrd'a
dk dz

इसके अतिरिक्त डी एस डब्ल्यूओ के अनुसार (नवम्बर 2002) योजनान्तर्गत 146052 एस सी एवं एस टी छात्राओं को लाभान्वित किया जाना था जबकि निदेशक शिक्षा विभाग द्वारा कराये गये सर्वे के अनुसार वर्ष 2002-03 की अवधि में कक्षा 9 एवं 10 में मात्र 63823 एस सी एवं एस टी छात्राएं ही उपलब्ध थी। इस प्रकार 2.39 करोड़ रुपये मूल्य की 80884 सेट पुस्तके अनावश्यक क्रय की गयी। जनपदों में भौतिक सत्यापन में निम्नांकित तथ्य संज्ञान में आये :

- छः जनपदों में अवितरित पुस्तकें प्लास्टिक की बोरियों में भर कर राजकीय इण्टर कालेज बालक/बालिका छात्रावासों, विद्यालयों के प्रांगण एवं कार्यालय में रखा गया था। राजकीय बालिका छात्रावास, रायबरेली के दो कमरों में रखी पुस्तकों को दीमक द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया था।



j k ; c j y h ds n k s d e j k a e a j [k h i q r d a n h e c k a j k j k { k f r x l r



j k t d h ; d k f y d k b . V j d k y s t | h r k i j ds d e j a e a i f k i l r d a

¹ आजमगढ़,, बदरौं, फतेहपुर, रायबरेली, सुल्तानपुर एवं वाराणसी

² आजमगढ़,, फतेहपुर, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर एवं सुल्तानपुर

- मुजपफर नगर एवं आजमगढ़ में योजना में अनाच्छादित, असहायतित विद्यालयो को भी अनियमित रूप से पुस्तकों का वितरण किया गया। विद्यालयो द्वारा छात्रों को पुस्तकें या तो निर्गत नहीं की गयी अथवा यदि निर्गत की गयी तो योजनानुसार पुस्तकें पुर्नर्निगत करने हेतु वापस नहीं ली गयी।

इस प्रकार जिला विद्यालय निरीक्षकों से आवश्यकता सुनिश्चित किए बिना ही पुस्तकों को क्य किए जाने के परिणामस्वरूप 2.39¹ करोड़ रुपये की पुस्तकों की आपूर्ति ली गयी एवं एससी/एसटी की छात्राओं को वाँछित लाभ से वंचित कर दिया गया।

3-1-11 , l l h@ , l Vh ds Nk=ka grq Nk=kokl

भारत सरकार द्वारा एस सी एवं एस टी छात्रों को पूर्व माध्यमिक विद्यालय से विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा ग्रहण करने हेतु निःशुल्क छात्रावास की सुविधा प्रदान करने की एक योजना संचालित की गयी थी। इस योजना पर किये गये व्यय को भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 50 : 50 के अनुपात में वहन किया जाना था। जबकि केन्द्रीय विश्वविद्यालय में 90 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा तथा शेष राशि सम्बन्धित संस्था द्वारा वहन किया जाना था। अन्य विश्वविद्यालयों में भारत सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य 45 : 45 के अनुपात में व्यय करना था तथा शेष व्यय का वहन सम्बन्धित संस्था द्वारा किया जाना था। छात्रावास के अनुरक्षण का व्यय राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालय जैसा भी प्रकरण हो, के द्वारा वहन किया जाना था। इन छात्रों को मुख्य धारा में लाने के लिये छात्रावास की कुल सीटों का 10 प्रतिशत एस सी के अतिरिक्त अन्य छात्रों को, भुगतान के आधार पर अनिवार्य रूप से आबंटित किया जाना था। एस सी के सभी छात्रों को समायोजित करने के पश्चात शेष रिक्त सीटों को अन्य जाति के छात्रों को आबंटित किया जा सकता था। लेकिन अन्य जातियों का कुल प्रतिशत किसी भी परिस्थिति में 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये था।

3-1-11-1 Nk=kokl ka dk fuekZk

Lk d fu fu dks fuekZk
grq vkcfVr 41
Nk=kokl ka ea l s 17
Nk=kokl fu/kk'j r
vof/k l s 1 l s 17 ekg
foyEc l s i wkl fd; s x; s

शासन द्वारा छात्रावासों के निर्माण कार्य की जिम्मेदारी समाज कल्याण निर्माण निगम (स क नि नि) को दी गयी थी। वर्ष 2001-06 की अवधि में स क नि नि को अवमुक्त की गयी धनराशि एवं निर्माण की प्रगति का विस्तृत विवरण *ifj'k"V 3-1-5* में उल्लेखित है। स क नि नि द्वारा कुल 41 छात्रावासों में से 27 छात्रावासों, जिसके लिये धन वर्ष 2001-06 की अवधि में उपलब्ध कराया गया था, का निर्माण पूर्ण किया गया था। इनमें से 17 छात्रावासों के निर्माण कार्य एक से सत्रह माह विलम्ब से पूर्ण किये गये थे, जबकि आवश्यक धनराशि समय से अवमुक्त कर दी गयी थी।

यह भी पाया गया कि :

- स क नि नि ने छात्रावासों का निर्माण पूर्ण होने के पश्चात् अवशेष धनराशि 1.28 करोड़² रुपये वापस नहीं किया और न ही समायोजित किया। छात्रावासों पर व्यय की प्रगति तथा स क नि नि को अवमुक्त की गयी अतिरिक्त धनराशि (7.57 करोड़ रुपये) का स्रोत निदेशालय के पास उपलब्ध नहीं था।
- स क नि नि ने छाउछ (लखीमपुर खीरी) में मार्च 1994 में एस टी बालिका छात्रावास का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया था। निर्माण कार्य भू-तल तक पूर्ण करने के पश्चात् धन के अभाव में बन्द कर दिया गया क्योंकि कार्य की प्राक्कलित राशि 29.52 लाख रुपये के सापेक्ष केवल 7.30 लाख रुपये ही अवमुक्त की गयी थी (दिसम्बर 1996)।

¹ क्य आदेश के मूल्य के आधार पर पुस्तकीय मूल्य

² 2001 तक 89.93 लाख रुपये तथा 2001-06 तक 37.88 लाख रुपये

27 fufeir Nk=kokl ka
es l s dby 10
l pkyr ?kks"kr fd; s
x; s

- वर्ष 2001-06 की अवधि में स क नि नि द्वारा निर्मित एवं हस्तान्तरित किये गये 27 छात्रावासों में से 10 छात्रावास संचालित घोषित किये गये थे जिनमें से आठ में आवश्यक कर्मचारी, फर्नीचर तथा फिक्शचर नहीं थे। 7.04 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित शेष 17 छात्रावास संचालित नहीं थे (अक्टूबर 2006)।

3-1-11-2 Nk=kokl ka dk l pkyu

ckfydk Nk=kokl

21 ckfydk
Nk=kokl vA; Or
rFk 10 vukf/kdr
dCts es Fks

नमूना जॉच के जनपदों में इक्कीस छात्रावासों में से अठारह छात्रावास निर्माण तिथि (1982 से 2003) से अब तक छात्राओं की अनुपलब्धता, छात्रावासों के दूरस्थ क्षेत्र में स्थित होने तथा आवश्यक कर्मचारियों के पद स्वीकृत न होने के कारण उपयोग में नहीं थे। जिसके फलस्वरूप इनमें से कुछ छात्रावास अनाधिकृत उपयोग/कब्जे में थे। विवरण निम्नानुसार था :

- वाराणसी के छात्रावास का भिक्षु गृह के रूप में उपयोग किया जा रहा था। फतेहपुर का छात्रावास मरम्मत के लिये वर्ष 2001 में खाली कराया गया था, तब से अप्रयुक्त था।
- कानपुर देहात के छात्रावास को पालीक्लीनिक द्वारा कब्जा किया गया था, बदायूँ तथा कादीपुर (सुल्तानपुर) के छात्रावास को अनाधिकृत रूप से छात्रों द्वारा कब्जा किया गया था और आजमगढ़ के एक छात्रावास को वर्ष 1991 से राजकीय बालगृह द्वारा कब्जा किया गया था।



fkk{kpd xg }kjk dCtk fd; k x; k okj.kl h dk
Nk=kokl

i kyhDyhfud }kjk dCtk fd; k x; k dkuij ngkr
dk Nk=kokl

- आजमगढ़ के एक अन्य छात्रावास में 15 बालिकायें प्रथम तल पर रह रहीं थी तथा भू-तल के तीन कमरे बालकों द्वारा कब्जा किये गये थे।
- वर्ष 1985-86 में लखीमपुर में बालिकाओं हेतु निर्मित छात्रावास अनाधिकृत रूप से वर्ष 1992 से दिसम्बर 2003 तक बालको के कब्जे में था। इसके खाली होने के पश्चात एक चौकीदार की तैनाती की गयी थी जिसने दरवाजों एवं खिड़कियों को बेच दिया तथा छात्रावास जीर्ण-शीर्ण स्थिति में था।



Yk[kheig & [khjh dk th.k&' kh.kz ckfydk Nk=kokl

- मुरादाबाद में विमुक्त¹ जाति के लिये बसाये गये स्थान के पास दो बालिका छात्रावासो का निर्माण मार्च 2003 (लागत : 0.59 करोड़ रुपये) में कराया गया था। इनमें से एक भवन प्राथमिक विद्यालय के रूप में प्रयोग किया जा रहा था जबकि दूसरा खाली पड़ा था।
- सीतापुर में अगस्त 1982 में निर्मित व विभाग को हस्तान्तरित बालिका छात्रावास दिसम्बर 1992 से जनवरी 2002 तक केन्द्रीय विद्यालय के कब्जे में था, उसके पश्चात 2004-05 तक छात्राओं की अनुपलब्धता कारण खाली पड़ा था। 50 छात्राओं की स्वीकृत संख्या के सापेक्ष वर्ष 2005-06 से 24 छात्राये निवासरत थी। छात्रावास का शौचालय अत्यन्त खराब स्थिति में था।
- खुशीपुर, झांसी स्थित बालिका छात्रावास फरवरी 1991 में विभाग को हस्तान्तरित किया गया था। तत्कालीन जिलाधिकारी के आदेशानुसार एस सी के एटीएस के कब्जे में था क्योंकि उसके भवन का निर्माण प्रारम्भ नहीं हुआ था।
- मोहान रोड, लखनऊ में निर्मित दो बालिका छात्रावास दूरस्थ क्षेत्र (नजदीकी विद्यालय: 10 किमी दूर थे) में होने के कारण संचालित नहीं थे जबकि दो अधीक्षिकाएं पदस्थापित थीं। इसी प्रकार कोरियांन, घाटमपुर, कानपुर में वर्ष 2003 में निर्मित छात्रावास ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने के कारण संचालित नहीं था क्योंकि छात्राएं वहाँ रहने के लिए तैयार नहीं थीं।
- कल्याणपुर, कानपुर नगर में वर्ष 2001 में निर्मित छात्रावास का प्रथमतः ल उन्नयन बस्ती के कार्यालय के अनाधिकृत कब्जे में था तथा भूतल विभागीय प्राथमिक विद्यालय द्वारा उपयोग में लाया जा रहा था।
- एस सी की छात्राओं की अनुपलब्धता के कारण निर्मित छात्रावास खाली थे, फिर भी विभाग द्वारा फैजाबाद, कानपुरनगर, लखनऊ, मुरादाबाद तथा शाहजहाँपुर में अतिरिक्त छात्रावासो (लागत 1.67 करोड़ रुपये) का निर्माण (1993-2005) कराया गया था।

ckyd Nk=kokl

Pkk&hl ckyd
Nk=kokl n; uh;
fLFkfr ea Fka

चौबीस बालक छात्रावास मरम्मत एवं अनुरक्षण के अभाव में दयनीय अवस्था में थे। यद्यपि अनुरक्षण का व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना था, फिर भी सम्बन्धित समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा वर्तमान स्थिति का कारण धन की कमी होना बताया गया। प्रकाश में आये अन्य बिन्दु निम्नवत थे :

- वर्ष 1993-94 में बड़ागांव वाराणसी में 19 लाख रुपये की लागत से निर्मित छात्रावास ग्रामीण क्षेत्र में होने के कारण अनुपयोगी पड़ा था। विभाग द्वारा उपेक्षित होने के कारण छात्रावास जीर्णशीर्ण स्थिति में था।



cMlxko ojk.kl h fLFkr th.k&'h.k. k ckyd Nk=kokl

- छा ऊ छ, लखीमपुर खीरी में स्थित छात्रावास, अगस्त 1982 से संचालित था। छात्रावास प्रांगण स्वच्छ नहीं था तथा भवन की वर्ष 2001 से रंगाई-पुताई नहीं हुई थी। छात्र खाना बनाने के लिए प्रत्येक कमरे में हीटर का उपयोग अवैध विद्युत कनेक्शन लेकर कर रहे थे।



y[khei j [khjh fLFkr ckyd Nk=kokl

¹ जातियाँ जैसे- अहेरिया, बहेलिया, करवाल, पासी आदि को विमुक्त जाति का नाम दिया गया है

- फतेहपुर में स्थित एस सी बालिका एवं बालक छात्रावासों में रहने वाले छात्रों से कमशः 200 रूपये एवं 300 रूपये प्रति छात्र धरोहर राशि के रूप में उपनिदेशक, समाज कल्याण, इलाहाबाद क्षेत्र के आदेशानुसार लिया गया था एवं समाजकल्याण अधिकारी, फतेहपुर के डाकघर के बचत खाते में जमा किया गया था। धरोहर धनराशि लेना योजना के नियमों का उल्लंघन था। वर्ष 2001-06 के मध्य छात्रावास छोड़ चुके छात्रों को 28 हजार रूपये की धरोहर धनराशि उन्हें वापस नहीं गयी थी। इसी प्रकार उपनिदेशक, समाज कल्याण, लखनऊ क्षेत्र द्वारा अनुरक्षण मद में 100 रूपये प्रति छात्र डा अम्बेडकर परास्नातक छात्रावास, लखनऊ के अन्तःवासियों से लिया जा रहा था। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा योजना में उल्लेखित नियमों के विरुद्ध 1760 रूपये प्रति छात्रा प्रतिवर्ष छात्रावास शुल्क लिया गया था।
- निदेशालय द्वारा असंचालित छात्रावासों को, आवश्यक पद स्वीकृत होने तक निकटस्थ राजकीय विद्यालयों को हस्तान्तरित करने का प्रस्ताव (मई 2006) शासन को भेजा गया था क्योंकि छात्रावास भवन उपयोग न होने कारण खराब हो रहे थे। निर्णय अगस्त 2006 तक लम्बित था।
- इस प्रकार 39 जिलों में मार्च 2006 तक निर्मित 223 छात्रावासों में से 69 छात्रावास (34 बालिका एवं 35 बालक) पद स्वीकृति के अभाव में अकार्यशील थे *ifj'k"V& 3-1-6*। शेष छात्रावासों में बुनियादी सुविधाओं की कमी थी। यह दर्शाता है कि आवश्यकता का सही आकलन किये बिना ही छात्रावासों का निर्माण कराया गया था।

69 Nk=kokl
fuekZ k ds
l e; l sgh
vA; Or Fks

3-1-12 , l l h@, l Vh grq i jh{kk i wZ dkfpax ; kst uk

इस योजनान्तर्गत एस सी एवं एस टी छात्रों को संघ लोक सेवा आयोग, उ प्र लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, भर्ती बोर्ड, भारत सरकार के उपक्रमों एवं अन्य भारत सरकार की इकाइयों द्वारा विभिन्न पदों हेतु आयोजित प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में उनके प्रतिनिधित्व एवं दक्षता में वृद्धि हेतु परीक्षा पूर्व कोचिंग प्रदान की जाती है। यह योजना उन छात्रों के लिये थी जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय एस सी के लिये एक लाख रूपये से अधिक तथा एस टी के लिये 44,500 रूपये से अधिक न हो। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में व्यय वहन किया जाना था।

3-1-12-1 i jh{kk i wZ dkfpax dlnks dk l pkyu

योजना के अन्तर्गत खुले सात में से चार¹ कोचिंग केन्द्र वर्ष 2001-02 में बन्द हो चुके थे। वर्ष 2001-06 की अवधि में इन कोचिंग केन्द्रों द्वारा शासन से उपलब्ध 3.90 करोड़ रूपये में से 3.28 करोड़ रूपये का व्यय किया गया था। वर्षवार एवं संस्थावार कोचिंग प्रदान करने का विवरण *ifj'k"V&3-1-7* में दर्शाया गया है। वर्तमान में क्रियाशील केन्द्रों में निम्नांकित तथ्य पाये गये :

i jh{kk i wZ
dkfpax dlnz
fu/kkj'r {kerk
ds vuq kj
mi ; ks ugha
fd ; s x ; s

- पर्याप्त प्रचार प्रसार के अभाव में शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (आर टी आई) एवं आदर्श परीक्षा पूर्व केन्द्र लखनऊ में उपलब्ध क्षमता कम थी। संकाय पर व्यय स्थापना के कुल व्यय का केवल दो से चौदह² प्रतिशत ही था।
- आर टी आई लखनऊ से 789 में से केवल आठ³ एस सी छात्र राज्य लोक सेवा आयोग में चयनित हुए तथा जी सी सी इलाहाबाद से 103 एस सी में से केवल तीन एवं तीन एस टी में से केवल एक छात्र उ प्र पी सी एस (जे)

¹ गोरखपुर, वाराणसी, झांसी और इलाहाबाद

² 2001-06 के दौरान-पीसीएस (जे) इलाहाबाद :31.22 लाख रूपये के दो प्रतिशत से कम, आर टी आई लखनऊ 2.36 करोड़ रूपये , 14 प्रतिशत और आदर्श लखनऊ 60 लाख रूपये का 10 प्रतिशत

³ 2001-02 में पाँच, 2002-03 में दो और 2004-05 में एक

परीक्षा में अन्तिम रूप से चयनित हुए थे जो सफलता के कम दर को दर्शाता है। आदर्श परीक्षा पूर्व कोचिंग केन्द्र से विगत 5 वर्षों में 243 में से केवल एक छात्रा ने उ0प्र0 लोक सेवा आयोग परीक्षा में सफलता पाई थी।

3-1-12-2 d k f p x d l n k s d k f u e k l k

de p k f j ; k a d h d e h
d s d k j . k 7-48
d j k m + : i ; s l s
f u f e a r v k o k l h ;
d k f p x d l n z
v d k ; z k h y

समाज कल्याण निर्माण निगम द्वारा आगरा, अलीगढ़ एवं वाराणसी में भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य सिविल सेवा के प्रतिभागियों हेतु तीन परीक्षा पूर्व आवासीय कोचिंग केन्द्रों (लागत 7.48 करोड़ रुपये) को क्रमशः फरवरी 2004, मई 2004 एवं अगस्त 2004 में हस्तान्तरित किया गया था।

ये केन्द्र आवश्यक कर्मचारियों की स्वीकृति का प्रस्ताव जनवरी 2005 से शासन के पास लम्बित होने के कारण अकार्यशील थे (अक्टूबर 2006)

3-1-13 , l l h @ , l V h N k = k a d h e f j V m P p h d j . k ; k s t u k

एस सी एवं एस टी छात्रों की मेरिट उच्चिकरण हेतु कक्षा 9 से 12 में सुधारात्मक तथा विशेष कोचिंग प्रदान किया जाना था जिसमें 30 प्रतिशत छात्राएं और तीन प्रतिशत विकलांग छात्र भी सम्मिलित किये जाने थे। योजना शतप्रतिशत केन्द्र द्वारा वित्त पोषित तथा 15000¹ रुपये प्रति छात्र प्रतिवर्ष एकमुश्त अनुदानित थी।

e f j V m P p h d j . k
; k s t u k v i H k k o h
F k h

छः राजकीय इण्टर कालेजों² जहाँ आवासीय सुविधा उपलब्ध थी को कुल 480 छात्र (120 छात्र प्रति कक्षा 9 से 12 तक) प्रतिवर्ष कोचिंग प्रदान करने हेतु चिन्हित किया गया था। कक्षा-9 में प्रवेश के लिये प्रतिवर्ष एक परीक्षा द्वारा छात्रों का चयन किया जाना था। एक भी एस सी छात्रा का चयन वर्ष 2001-06 की अवधि में नहीं किया गया क्योंकि विभाग द्वारा कोई भी बालिका/सह-शिक्षा आवासीय विद्यालय का चिन्हीकरण नहीं किया जा सका था। उक्त अवधि में कोई विकलांग छात्र भी चयनित नहीं हुआ था।

प्रतिवर्ष 480 सीटों के उपलब्धता के बावजूद कम वार्षिक लक्ष्य का निर्धारण किया गया था तथा संस्थाएँ इस घटे लक्ष्य को भी प्राप्त करने में असफल रहीं। वर्ष 2001-06 की अवधि में 1554 छात्रों के लक्ष्य के विरुद्ध 1186 छात्रों (76 प्रतिशत) को 1.80 करोड़ रुपये व्यय करके लाभान्वित किया जा सका था। W f f ' k " V 3-1-8%

वर्ष 2001-06 की अवधि में छः जिलों³ से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण कम सफलता दर दर्शाता है जिसका विवरण निम्नवत था :

l k j . k h & 5

| tuin | d { k k 9 d s f y ; s p ; f u r i k = l a ; k | d { k k 12 e a i g h s N k = k a d h l a ; k | f v l i f . k ; k |
|-----------|---|---|--|
| आगरा | 100 | 73 | इंजीनियरिंग कोर्स में 10 उत्तीर्ण हुये |
| इलाहाबाद | 92 | 17 | कक्षा 12 के उपरान्त सूचना उपलब्ध नहीं |
| गोरखपुर | 97 | 48 | 14 व्यावसायिक कोर्स में उत्तीर्ण हुये |
| झांसी | 27 | शून्य | कक्षा 11 में 5 पहुँचे |
| लखनऊ | 64 | 07 | कक्षा 12 के उपरान्त सूचना उपलब्ध नहीं |
| मुरादाबाद | 87 | शून्य | कक्षा 11 में 16 पहुँचे |

झांसी एवं मुरादाबाद में कोई छात्र कक्षा 11 उत्तीर्ण नहीं कर सका जबकि इलाहाबाद एवं लखनऊ में केवल 18 एवं 11 प्रतिशत छात्र ही कक्षा 12 में पहुँच सके थे।

यद्यपि राजकीय इण्टर कालेज, इलाहाबाद स्थित कोचिंग केन्द्र द्वारा वर्ष 2000-02 के मध्य छात्रों को कोचिंग नहीं प्रदान किया गया था फिर भी छात्रों को 3.36 लाख रुपये

¹ छात्रों हेतु 8000 रुपये एवं पाँच अध्यापकों तथा प्रधानाचार्य हेतु 7000 रुपये
² आगरा, इलाहाबाद, झांसी, मुरादाबाद, गोरखपुर और लखनऊ
³ आगरा, इलाहाबाद, गोरखपुर, झांसी, लखनऊ, और मुरादाबाद

कोचिंग अनुदान के रूप में भुगतान एवं 0.33 लाख रुपये लेखन सामग्री पर व्यय किया गया था।

व्यापक प्रचार प्रसार में कमी, वार्षिक प्रवेश परीक्षा आयोजन में विलम्ब तथा आधुनिक तकनीकों को न अपनाना, लक्ष्य पूर्ति में कमी के कारण रहे। इस प्रकार योजना का प्रभाव न्यूनतम था तथा योजना का लाभ निर्धारित लाभार्थियों तक नहीं पहुँच सका था।

3-1-14 vkJe i) fr fo | ky; ¼, Vh , l ½

3-1-14-1 , l Vh Nk=ka grq

केन्द्र सरकार द्वारा पुरोनिधानित यह योजना आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाओं के प्रोत्साहन एवं विस्तार हेतु गुरुकुल पद्धति पर संचालित है। विद्यालय भवन, छात्रावास एवं कर्मचारी आवास के निर्माण की लागत भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 50:50 अनुपात में वहन की जानी थी। ए टी एस के संचालन एवं अनुरक्षण का व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना था। ए टी एस में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, आवासीय सुविधा, भोजन एवं युनीफार्म उपलब्ध कराया जाता है।

विभाग द्वारा वर्ष 1989 से 1994 की अवधि में सात आश्रम पद्धति विद्यालयों के निर्माण हेतु समाज कल्याण निर्माण निगम को 5.60 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये थे। परन्तु 5.24 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय करके मात्र दो ए टी एस का निर्माण पूर्ण किया गया एवं शेष पाँच का निर्माण धन की अनुपलब्धता के कारण अपूर्ण था। इसके अतिरिक्त वर्ष 2001-06 की अवधि में ए टी एस के अनुरक्षण पर 7.26 करोड़ रुपये की उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष 6.60 करोड़ रुपये (91 प्रतिशत) व्यय किये गये $\frac{1}{4} f j f' k' V$ 3-1-9 यह भी देखा गया कि :

- श्रावस्ती, बिजनौर एवं महाराजगंज स्थित ए टी एस में छात्रों की उपस्थिति क्रमशः 32 एवं 77, 8 एवं 56 और शून्य एवं 34 प्रतिशत के मध्य थी। निदेशक द्वारा बताया गया (अगस्त 2006) कि शिक्षकों की कमी के कारण उपस्थिति कम थी।
- बलरामपुर के बिशुन पुर विश्राम स्थित ए टी एस (बालिका) में चहारदीवारी नहीं थी, कक्षाओं एवं छात्रावास के कमरे अत्यन्त सीलन भरे थे, खिड़कियाँ बिना काँच के थीं, विद्युत वायरिंग पूर्णतया क्षतिग्रस्त थी एवं कमरों में सीलिंग पंखे नहीं लगे थे। शौचालयों का निर्माण बिना विद्युत व्यवस्था के छात्रावास के बाहर कराया गया था। छात्राओं के युनीफार्म की आपूर्ति भी नहीं की गयी थी तथा बर्तन एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं थी क्योंकि विद्यालय भवन के पास स्थित चार में से केवल एक हैण्डपम्प क्रियाशील था।

fufet , Vh, l
vLokLF; dj
fLFkfr ea , oa
emOr
l fo/kkv' a l c
ofpr F'



fc'ku i g foJke| cyjkei g fLFkr ckfydk , Vh , l ¼ ck, ½ rFkk ml dk Mkbfuax g,y ¼nkfgu½

- लखीमपुर खीरी के छाउछ स्थित ए टी एस के छात्रावासों में रह रहे 175 अन्तःवासी छात्रों के लिये मात्र दो शौचालय निर्मित थे। कमरों में काफी समय से रंगाई-पुताई नहीं करायी गयी थी तथा खिड़कियों में शीशे भी नहीं थे।

- पदों की स्वीकृति न होने के कारण (मार्च 2005) 2.50 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित एवं डी एस डब्ल्यू को हस्तांतरित (जून 2005) सोहना, लखीमपुर खीरी स्थित ए टी एस को संचालित नहीं किया जा सका था।

3-1-14-2 , l l hs Nk=ks grq

एस टी की भाँति ही राज्य सरकार द्वारा एस सी छात्रों के लिये 41 ए टी एस संचालित किया जा रहा था जिनमें तीन¹ जनपदों में निम्नांकित बिन्दु प्रकाश में आये :

- रामपुर स्थित ए टी एस जिसमें कक्षा 12 तक के छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती है के दो छात्रावास भवन अत्यन्त जर्जर अवस्था में थे। छात्रावास हेतु नवनिर्मित भवन विद्यालय के रूप में उपयोग में लिया जा रहा था तथा उसके 34 कमरों में 290 छात्र रह रहे थे। विद्यालय में स्वीकृत 32 पदों के सापेक्ष मात्र 19 अध्यापक कार्यरत थे।

- इस ए टी एस के प्रत्येक छात्र को एक लोटा एवं थाली उपलब्ध कराये गये थे। लोटे का उपयोग बहुद्देशीय कार्यो यथा दाल/कढ़ी आदि खाने के लिये एवं नहाने आदि के लिए किया जाता था। जिससे छात्रों को स्वास्थ्यपरक वातावरण के ज्ञान अच्छे आचरण एवं समाज की मुख्यधारा से जोड़ने जैसे उद्देश्य पूर्णतया असफल रहे।



, Vh ,l jkeij ea yp forj.k

- सातो महुआ (पूर्व में सारनाथ में) वाराणसी स्थित ए टी एस यद्यपि नये भवन में संचालित था, किन्तु भवन का प्रथम तल अत्यन्त सीलनभरा था एवं जल निकासी का अभाव था। छात्रावास में 169 छात्रों के लिये मात्र 78 बिस्तर थे जिसमें प्रत्येक पर दो से तीन छात्र सोते थे। चिकित्सकीय सुविधा के नाम पर विद्यालय में एक अप्रशिक्षित अध्यापक द्वारा छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण आदि कराया जाता था। ए टी एस चांदपुर, वाराणसी में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं औषधि वितरण का कार्य फार्मासिस्ट पद होने के बाद भी एक अप्रशिक्षित कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था।
- लालगंज, आजमगढ़ में 70 लाख रुपये की लागत से निर्मित ए टी एस मार्च 2004 में विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया था परन्तु कर्मचारियों एवं साजसज्जा के अभाव में उसका संचालन (अगस्त 2006) नहीं किया जा सका था।

इस प्रकार योजना के उद्देश्यों को, विद्यालय भवनों के खराब अनुरक्षण, अस्वास्थ्यकर वातावरण, अपर्याप्त शिक्षकों एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं के अभाव में पूरा नहीं किया जा सका।

3-1-15 vuqJo.k

निदेशक, समाज कल्याण, उ प्र, लखनऊ द्वारा गत माह की प्रगति एवं अगामी माह की कार्य योजना की समीक्षा, मासिक बैठको द्वारा अनुश्रवण की जानी अपेक्षित थी। वर्ष 2001-06 की अवधि में आवश्यक 60 बैठकों के विरुद्ध कुल 34 बैठके निदेशक द्वारा आयोजित की गयी थी। इन बैठको में से पाँच की अध्यक्षता मंत्री, समाज कल्याण द्वारा एवं सात की प्रमुख सचिव द्वारा की गयी थी। निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि बैठको की तारीख क्षेत्रों एवं जिलों से निर्धारित प्रारूप में सूचनायें प्राप्त होने पर निश्चित की जाती थी तथा कभी-कभी प्रशासनिक कारणों जैसे चुनाव या अन्य

¹ आजमगढ़, रामपुर तथा वाराणसी

आकस्मिक परिस्थितियों के कारण बैठकें सम्भव नहीं हो सकी थी। इस प्रकार, योजनाओं का अनुश्रवण प्रभावी ढंग से नहीं किया गया था।

3-1-16 vkUrfjd ys[kk&i jh{kk

समस्त जिलों की क्षेत्र इकाईयों की आन्तरिक लेखा-परीक्षा हेतु निदेशालय स्तर पर वित्त नियन्त्रक के अधीन एक लेखा-परीक्षा अधिकारी एवं चार वरिष्ठ लेखा-परीक्षक की आन्तरिक लेखा परीक्षा इकाई कार्यरत थी। यद्यपि इकाईयों की नियमित रूप से वार्षिक लेखा-परीक्षा की जा रही थी फिर भी अधिक धन अवमुक्त किया जाना, उपभोग प्रमाण-पत्रों की अप्राप्ति/लेखाकनं न करना, संस्थाओं के पास अवशेष धनराशि कापड़े रहना आदि आपत्तियाँ वर्षवार पायी जा रही थी। अधिकतर इकाईयों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रथम उत्तर भी वर्ष 1981-82 से प्रेषित नहीं किया गया था। निदेशालय स्तर पर आन्तरिक लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन पर कोई भी प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी थी।

3-1-17 eW; kdu

निदेशक समाज कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा वर्ष 2001-06 की अवधि में किसी भी शैक्षिक योजना का न तो मूल्यांकन किया गया था, न ही किसी वाहय एजेन्सी को इस कार्य हेतु लगाया गया था। निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग में सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन हेतु कोई भी तन्त्र उपलब्ध नहीं था। सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन हेतु कोई तन्त्र उपलब्ध न होने पर भी विभाग द्वारा अन्य सरकारी एजेन्सियों जैसे राज्य योजना संस्थान, लखनऊ के अधीन मूल्यांकन प्रभाग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ का इस कार्य हेतु उपयोग किया जा सकता था।

3-1-18 ; kstukvka dk i Hkko

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संकलित आकड़ों पर आधारित एस सी एवं एस टी छात्रों के परिपेक्ष्य में व्यय की स्थिति, कुल नामांकन अनुपात (जी ई आर), कुल ड्राप आउट अनुपात (जी डी आर) तथा लिंग समानुपात सारणी (जी पी आई) *ijff'k"V 3-1-10 , oa 3-1-11* में दर्शाया गया है, इससे पता चलता था कि :

- कक्षा एक से आठ में एस सी छात्रों का नामांकन अनुपात 2001-02 में 62.14 से घटकर 2003-04 में 61.25 रह गया तथा कक्षा एक से दस में उनकी जीडीआर वर्ष 2001-02 में 68.06 से बढ़कर 2003-04 में 79.25 हो गया था, जो दर्शाता था कि एक तरफ नामांकन घट रहा था तथा दूसरी तरफ ड्राप आउट बढ़ रहा था। इसी प्रकार एस टी छात्रों का नामांकन अनुपात 2001-02 में 68.90 से घटकर 2003-04 में 62.37 तथा कक्षा एक से दस में जीडीआर वर्ष 2001-02 में 43.22 से बढ़कर 2003-04 में 52.11 हो गया था।
- एस सी छात्रों के संबन्ध में जी पी आई वर्ष 2001-02 में 0.53 से बढ़कर 2003-04 में 0.61 हो गयी जो लिंगानुपात में सुधार दर्शाता है। फिर भी यह आदर्श अनुपात "एक" से कम था। एस टी छात्रों में यह 2001-02 में 0.65 से बढ़कर 2002-03 में 0.94 हो गया फिर 2003-04 में घटकर 0.65 पर आ गया, जो दर्शाता है कि वर्ष 2002-03 में लगभग आदर्श स्थिति तक पहुँचने के बाद भी आगामी वर्षों में इसे कायम नहीं रखा जा सका।

इस प्रकार, एस सी एवं एस टी हेतु शैक्षिक योजनाओं पर वर्ष 2001-02 की तुलना में वर्ष 2003-04 में 20 एवं 28 प्रतिशत की व्यय वृद्धि के पश्चात भी नामांकन में वृद्धि अथवा ड्राप आउट में कमी के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका।

3-1-19 fu"d"kl

अपर्याप्त प्रचार प्रसार के कारण कई संस्थाओं ने छात्रवृत्ति हेतु आवेदन ही नहीं किया तथा कई अन्य संस्थाओं ने देय दर से कम दर पर छात्रवृत्ति का वितरण किया। इससे लक्षित लाभार्थी पर्याप्त आच्छादन से वंचित रह गये। आच्छादन, अवमुक्त धनराशि पर आधारित था न कि वास्तविक वितरण पर। पुस्तकों का क्रय संस्थाओं में चल रहे एवं प्रचलित पाठ्यक्रमों का ध्यान रखे बिना किये जाने से बुक बैंक योजना का लाभ नहीं मिल सका। पुस्तकों का वितरण भी योजना के नियमों के अनुरूप नहीं किया जा रहा था। बालिका छात्रावास आबादी से दूर बनाये जाने के कारण बालिकाओं को आकर्षित करने में असफल रहा। मेरिट उच्चीकरण योजना के अन्तर्गत एक भी एस सी छात्रा का चयन नहीं किया गया क्योंकि छात्रा/सह-शिक्षा आवासीय विद्यालय का चिन्हीकरण नहीं किया जा सका था। अप्रभावी अनुश्रवण के कारण निर्बल क्षेत्रों की पहचान नहीं की गयी थी। परिणामस्वरूप, प्राथमिक स्तर पर नामांकन में आंशिक वृद्धि के पश्चात भी इसको कायम न ही रखा जा सका। इस प्रकार, अनेक शैक्षिक योजनायें एस सी एवं एस टी छात्रों के शैक्षिक विकास पर वांछित प्रभाव डालने में असफल रहीं।

3-1-20 l lrf; kW

- जागरूकता एवं सह-भागिता के स्तर को बढ़ाने के लिये योजनाओं का पर्याप्त प्रचार-प्रसार समय से किया जाना चाहिए।
- लाभार्थियों की सूची संस्थाओं को सीधे भेजनी चाहिए तथा संस्थाओं द्वारा समय से उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- एस सी/एस टी छात्रावासों में एस सी/एस टी तथा अन्य अन्तःवासियों को मिश्रित कर के रखते समय योजना में दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए, जिससे उन्हें मुख्य धारा में लाया जा सकें।
- छात्रावासों के निर्माण स्थल का चयन उनकी आवश्यकता एवं उपयुक्तता का आकलन करके किया जाना चाहिये एवं पुराने छात्रावासों के रख-रखाव पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। अन्तःवासियों की चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- एस सी एवं एस टी की छात्राओं की मेरिट उच्चीकरण हेतु पर्याप्त संख्या में आवासीय बालिका/सह-शिक्षा कालेजों का चयन किया जाना चाहिए।
- केवल विनिर्दिष्ट समिति द्वारा अनुमोदित पुस्तकों को ही कालेजों के प्राचार्यों एवं विभागाध्यक्षों द्वारा क्रय किया जाना चाहिए एवं छात्रों को पूर्ण सेट निर्गत किया जाना चाहिए।
- आन्तरिक लेखा परीक्षा को प्रभावी बनाया जाना चाहिए तथा क्षेत्रीय एवं निदेशालय स्तर पर अनुश्रवण को अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए।

प्रकरण शासन को सन्दर्भित (सितम्बर 2006) किया गया। उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2006) बहुत प्रयासों के उपरान्त भी शासन द्वारा इक्विट कांफ्रेंस के लिये तिथि सुनिश्चित नहीं की गयी।

fi NMk oxl dY; k.k foHkkx , oa vYi I a[; d dY; k.k , oa oDQ foHkkx

3-2 vU; fi NMk oxka , oa vYi I a[; dka dk 'kF{kd fodkl

भारत सरकार एवं राज्य सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों के शैक्षिक विकास हेतु छात्रवृत्ति, मुफ्त छात्रावास सुविधा योजनायें प्रारम्भ की थीं। इसके अतिरिक्त मदरसों को उनके आधुनिकीकरण हेतु अनुदान भी प्रदान किया गया था। वर्ष 2001-02 से 2005-06 की अवधि में योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा लेखा परीक्षा से उद्घटित हुआ कि अदक्ष क्रियान्वयन के कारण कार्यक्रम प्रतिकूल रूप से प्रभावित रहें। संज्ञान में आये विशेष बिन्दु निम्न प्रकार हैं।

Ekq[; vdk

विद्यालयों, कालेजों एवं मदरसों को हस्तान्तरित राशि के उपभोग का प्रभावी अनुश्रवण विभागों के द्वारा नहीं किया गया। शैक्षिक संस्थाओं के पास पड़े अप्रयुक्त शेषों की वापसी सुनिश्चित नहीं की गयी।

¼ Lrj 3-2-6-2 rFkk 3-2-6-3½

वर्ष 2004-06 की अवधि में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारियों एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों ने निदेशालय को भौतिक उपलब्धि 8 से 14 प्रतिशत तक बढ़ाकर सूचित किया था।

¼kLrj 3-2-7-1½

छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्रों की जांच उचित प्रकार से नहीं की गयी थी। वर्ष 2004-06 की अवधि में अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के 41 प्रतिशत प्रकरणों में छात्रवृत्ति बिना उनकी पात्रता सुनिश्चित किये वितरित की गयी थी। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों एवं जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारियों द्वारा वर्ष 2004-06 में 17 से 62 प्रतिशत प्रकरणों में अधिक भुगतान किया गया था।

¼ Lrj 3-2-7-2 , oa 3-2-7-4½

12 छात्रावासों के निर्माण में निर्माण स्थलों/निर्माण अभिकरणों के चयन में विलम्ब के फलस्वरूप 1.91 करोड़ रुपये (45 प्रतिशत) की लागत वृद्धि हुयी। छात्राओं हेतु छात्रावास के निर्माण एवं उनमें निवास की स्थिति की सूचना अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को नहीं थी।

¼ Lrj 3-2-10½

अपात्र मदरसों को सहायता अनुदान हेतु चुना गया जिसके फलस्वरूप ऐसे 45 मदरसों को 5.46 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का अनियमित भुगतान किया गया।

¼ Lrj 3-2-11-1½

मदरसों में लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु नीति निर्धारण में विलम्ब करने तथा प्रशिक्षकों की नियुक्ति न करने के कारण 140 लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से 59 का संचालन विलम्बित था।

¼ Lrj 3-2-11-4½

योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु विभागों के पास प्रभावी अनुश्रवण प्रणाली नहीं थी। योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन भी नहीं कराया गया था।

¼ Lrj 3-2-12½

3-2-1 iLrkouk

भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्गों (अ पि व) एवं अल्पसंख्यकों के शैक्षिक विकास हेतु वर्ष 1994 से 2004 के मध्य समय-समय पर छात्रवृत्ति, निःशुल्क छात्रावास सुविधा तथा इसके अतिरिक्त मदरसों को सहायता अनुदान देने की योजना प्रारम्भ की गयी थी।

3-2-2 l xBukRed <kpk

शासन स्तर पर सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (पि व क विभाग) एवं सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग (अ क विभाग) क्रमशः अ पि व एवं अल्पसंख्यकों की योजनाओं के नियंत्रण एवं अनुश्रवण हेतु उत्तरदायी थें। विभाग स्तर पर, निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ, निदेशालय एवं जोनल स्तर पर अपने उप निदेशकों की सहायता से योजनाओं के संचालन हेतु उत्तरदायी थे। जनपद स्तर पर, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी (जि प व क अ) एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी (जि अ क अ) अपने से सम्बन्धित लक्षित वर्गों हेतु योजनाओं के संचालन के लिए उत्तरदायी थे।

3-2-3 ys[kk i jh{kk mÍs ;

लेखा परीक्षा का उद्देश्य यह आकलित करना था कि क्या :

- योजनायें समुचित रूप से संचालित की गयी थीं।
- लक्षित वर्गों का आच्छादन उतना था जितना विचार किया गया था।
- वांछित उद्देश्यों हेतु पर्याप्त संख्या में छात्रावास, जितना विचार किया गया था, निर्मित एवं प्रयुक्त हुये।
- योजनाओं का प्रभावी अनुश्रवण हुआ।

3-2-4 ys[kk i jh{kk eki nM

लेखा परीक्षा मापदंड थे :

- शासकीय वित्तीय नियम।
- छात्रवृत्ति वितरण हेतु लाभार्थियों के चयन के निर्धारित मानक।
- छात्रवृत्ति अनुदान एवं छात्रावासों के निर्माण योजनाओं के लिए दिशा-निर्देश।
- मदरसों को सहायता अनुदान देने के लिए योजना में निर्धारित मानक।

3-2-5 ys[kk i jh{kk dk vkPNknu , oa fØ; kfof/k

दोनों विभागों के निदेशालयों तथा राज्य के 70 जि पि व क अ/जि अ क अ कार्यालयों में से 15¹ जि पि व क अ/जि अ क अ जिनका चयन पी पी एस डब्लू आर² विधि से किया गया, के वर्ष 2001-06 के अभिलेखों की जांच की गयी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विभाग के 112³ विद्यालयों तथा 45⁴ मदरसों की भी नमूना जांच मार्च 2006 से सितम्बर 2006 के मध्य की गयी।

जून 2006 में आयोजित परिचयात्मक गोष्ठी में दोनों विभागों द्वारा लेखा परीक्षा उद्देश्यों एवं मापदंडों पर सहमति व्यक्त की गयी थी। योजनाओं के नियोजन तथा

¹ इलाहाबाद, अम्बेदकरनगर, अलीगढ़, बहराइच, बस्ती, बिजनौर, गाजीपुर, झाँसी, ज्योतिबाफुलेनगर (जे पी नगर) कानपुर नगर, कुशीनगर, मुरादाबाद, सन्तरविदास नगर, शाहजहाँपुर एवं वाराणसी

² सम्भावित अनुपातिक आकार के साथ प्रतिस्थापन

³ 14 जनपदों में प्रत्येक में 8 विद्यालय / कालेज / ग्रीष्मावकाश के कारण कुशीनगर जनपद के विद्यालयों/कालेजों को नहीं लिया जा सका

⁴ प्रत्येक जनपद से तीन मदरसा

उनके क्रियान्वयन से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच की गयी तथा लेखा परीक्षा निष्कर्षों को लेखा परीक्षा टिप्पणी के माध्यम से विभागों को भेजा गया। फोकस समूह की एक गोष्ठी, जिसमें लाभार्थियों, गैर शासकीय संस्थानों को प्रतिनिधि, योजनाओं के क्रियान्वयन अधिकारियों एवं शिक्षाविदों ने भाग लिया, योजनाओं पर उनके विचार जानने हेतु माह अगस्त 2006 में आयोजित की गयी। लेखा परीक्षा परिणामों एवं अनुसंशाओं को टिप्पणी हेतु शासन को भी प्रेषित किया गया तथा अक्टूबर 2006 में आयोजित समापन गोष्ठियों में भी उन पर चर्चा की गयी।

ys[kk ijh{kk fu"d"kl

3-2-6 foRrh; 0; oLFkk; 9

3-2-6-1 ctV vkcà/u , oa 0; ;

अ पि व हेतु छात्रवृत्ति एवं छात्रावास निर्माण तथा अल्पसंख्यकों हेतु छात्रवृत्ति एवं मदरसों को सहायता अनुदान योजनाओं के क्रियान्वयन पर वर्ष 2001-06 की अवधि में वर्ष-वार आबंटन एवं व्यय की स्थिति अलग से निम्न सारणी में दी गई है।

vU; fi NMk oxl

I kj.kh&1 ½ctV vkcà/u , oa 0; ; ½

½djkm+: i; se½

| वर्ष | छात्रवृत्ति | | | छात्रावास निर्माण | | |
|---------|-------------|---------|-------|-------------------|-------|-------|
| | बजट आबंटन | व्यय | बचत | बजट आबंटन | व्यय | बचत |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2001-02 | 59.67 | 48.69 | 10.98 | शून्य | शून्य | शून्य |
| 2002-03 | 63.59 | 52.28 | 11.31 | 2.00 | 2.00 | शून्य |
| 2003-04 | 55.62 | 55.40 | 0.22 | 3.91 | 3.91 | शून्य |
| 2004-05 | 585.89 | 568.95 | 16.94 | 5.91 | 5.91 | शून्य |
| 2005-06 | 584.80 | 570.82 | 13.98 | 4.98 | 1.42 | 3.56 |
| ; kx | 1349.57 | 1296.14 | 53.43 | 16.80 | 13.24 | 3.56 |

वर्ष 2004-06 की अवधि में पूर्व वर्षों की तुलना में आबंटन से भारी बढ़ोतरी अ पि व के लगभग सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति से आच्छादित करने, जैसा कि सूचित किया गया, के कारण हुई।

छात्रावास निर्माण मद में दर्शित 13.24 करोड़ रुपये के व्यय में वर्ष 2004-05 से सम्बन्धित 1.23 करोड़ रुपये की वह राशि सम्मिलित थी जो माह अप्रैल 2006 तक उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के वैयक्तिक खाते में अवशेष थी। अतः इस सीमा तक व्यय बढ़ा हुआ दिखाया गया था।

vYi l d; d

I kj.kh&2 ½ctV vkcà/u , oa 0; ; ½

½djkm : i; se½

| वर्ष | छात्रावास | | | अध्यापकों के वेतन के लिए मदरसों को सहायता अनुदान | | |
|---------|-----------|--------|-------|--|--------|------|
| | आबंटन | व्यय | बचत | आबंटन | व्यय | बचत |
| 2001-02 | 107.02 | 106.72 | 0.30 | 40.78 | 40.37 | 0.41 |
| 2002-03 | 107.00 | 107.00 | शून्य | 42.90 | 42.28 | 0.62 |
| 2003-04 | 114.73 | 114.73 | शून्य | 45.00 | 44.83 | 0.17 |
| 2004-05 | 139.47 | 133.25 | 6.22 | 47.13 | 46.54 | 0.59 |
| 2005-06 | 115.49 | 115.49 | शून्य | 58.16 ¹ | 56.50 | 1.66 |
| ; kx | 583-71 | 577-19 | 6-52 | 233-97 | 230-52 | 3-45 |

यद्यपि वर्ष 2001-06 की अवधि में निधि का उपभोग अधिक था, चयनित जनपदों में नमूना जांच में निम्नलिखित अनियमिततायें प्रकाश में आयी:-

¹ वर्ष 2004-05 की तुलना में आबंटन में वृद्धि वर्ष 2005-06 में 67 अन्य मदरसों को अनुदान देने के कारण रहा

3-2-6-2 i r hf{kr mi Hkksx i æk.k i =

fo | ky; @dkystka
l s 14 l s 47
ifr'kr rd
mi Hkksx i æk.k i =
vi klr Fks

विद्यालयों/कालेजों से छात्रवृत्ति हेतु मांग प्राप्त होने पर जि पि व क/जि अ क अधिकारियों को मांगों के परीक्षणोपरांत धनराशि हस्तान्तरित करके धन के उपभोग पर दृष्टि रखनी थी। अ क विभाग में प्रत्येक जि अ क अ को अगले वर्ष की छात्रवृत्ति की धनराशि हस्तान्तरित करने के पहले, गतवर्ष से सम्बन्धित उपभोग प्रमाणपत्र प्राप्त करना था, अन्यथा छात्रवृत्ति धनराशि का भुगतान नहीं किया जाना था। फिर भी जि अ क अ द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया। पि व क विभाग ने इस प्रकार की कोई व्यवस्था विकसित नहीं की तथा बिना पूर्व में हस्तान्तरित धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किये आगामी वर्षों में वर्ष-दर-वर्ष विद्यालयों/कालेजों को छात्रवृत्ति की राशि का हस्तान्तरण अनुमन्य करते रहे।

उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था विद्यमान न होने अथवा विद्यमान व्यवस्था को कार्यरूप में न लाने के फलस्वरूप छात्रवृत्ति की धनराशि के उपभोग/वितरण को सुनिश्चित करने पर कोई नियंत्रण नहीं था तथा योजना के अर्न्तगत हुये वास्तविक व्यय को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था। 15¹ जि पि व क अ तथा 13² जि अ क अ के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घटित हुआ कि वर्ष 2001-02 से वर्ष 2005-06 की अवधि में 14 से 47 प्रतिशत उपभोग प्रमाण पत्र अभी भी (मई-अक्टूबर 2006) विद्यालयों/कालेजों से प्रतीक्षित थे जैसाकि नीचे दिखाया गया है :

l kj . kh&3 %i r hf{kr mi Hkksx i æk.k i =½

%djkm+: i; s e%

| o"kl | gLrkUrfjr /kujkf'k; ka | | i klr mi Hkksx i æk.k i = | | lkarhf{kr mi Hkksx i æk.k i = | |
|----------------|------------------------------------|----------|--------------------------------|----------|------------------------------------|------------------------|
| | fo ky; @ dkystka dh l d; k | /kujkf'k | fo ky; @dkystka dh l d; k | /kujkf'k | fo ky; @ dkystka dh l d; k | /kujkf'k %dkye 3&5½ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| vU; fi NMk oxl | | | | | | |
| 2001-02 | 28752 | 10.19 | 25034 | 8.67 | 3718 | 1.52(15) |
| 2002-03 | 29498 | 11.92 | 25429 | 10.27 | 4069 | 1.65(14) |
| 2003-04 | 32342 | 13.96 | 27217 | 11.84 | 5125 | 2.12(15) |
| 2004-05 | 39139 | 146.24 | 32368 | 122.02 | 6771 | 24.22(17) |
| 2005-06 | 34628 | 140.54 | 25629 | 103.96 | 8999 | 36.58(26) |
| ; ksx | 164359 | 322.85 | 135677 | 256.76 | 28682 | 66.09%20½ |
| vYi l d; | | | | | | |
| 2001-02 | 11681 | 25.93 | 5982 | 14.45 | 5699 | 11.48(44) |
| 2002-03 | 14581 | 27.96 | 9680 | 21.52 | 4901 | 6.44(23) |
| 2003-04 | 15835 | 30.68 | 11116 | 25.05 | 4719 | 5.63(18) |
| 2004-05 | 18571 | 38.65 | 11649 | 26.57 | 6922 | 12.08(31) |
| 2005-06 | 13725 | 34.84 | 6164 | 18.55 | 7561 | 16.29(47) |
| ; ksx | 74393 | 158.06 | 44591 | 106.14 | 29802 | 51.92%33½ |

3-2-6-3 vforfjr /kujkf'k oki l u fd; k tkuk

शासन के निर्देशों के अनुसार छात्रवृत्ति वितरण के तुरन्त बाद अवितरित रह गयी छात्रवृत्ति राशि, यदि कोई हो, को विद्यालयों/कालेजों द्वारा तत्काल कोषागार में जमा कराकर सम्बन्धित कोषागार चालान की एक प्रति जि पि व क अ/जि अ क अ को सूचनार्थ एवं अभिलेख हेतु प्रेषित कर देना था। विभागों ने अप्रयुक्त धनराशि के शीघ्रातिशीघ्र शासकीय खाते में वापस जमा कराये जाने को सुनिश्चित करने हेतु कोई व्यवस्था विकसित नहीं की।

¹ वर्ष 2001-02 से वर्ष 2003-04 में जि पि व क अ सन्त रविदास नगर के आकड़ों के अतिरिक्त

² जि अ क अ अलीगढ़, एवं कुशीनगर ने उपभोग प्रमाण पत्र से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये

15 जि पि व क अधिकारियों के कार्यालयों में, 5796 विद्यालयों/कालेजों, जिन्हें 2004-06 में अ पि व के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरित करने हेतु 21.87 करोड़ रुपये की धनराशि हस्तान्तरित की गयी थी, में से 1966 (34 प्रतिशत) ने 2.48 करोड़ रुपये (11 प्रतिशत) वितरित नहीं किया तथा इन 1966 विद्यालयों/कालेजों में से 1357 (69 प्रतिशत) ने 1.26 करोड़ रुपये (51 प्रतिशत) की अवितरित धनराशि माह मई-अक्टूबर 2006 तक वापस नहीं की थी।

इसी प्रकार 13 जि अ क अधिकारियों के कार्यालयों में, वर्ष 2004-06 में 3183 विद्यालयों/कालेजों, जिन्हें 11.49 करोड़ रुपये की धनराशि अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति हेतु हस्तान्तरित किया गया था, में से 1105 (35 प्रतिशत) ने 1.07 करोड़ रुपये (9 प्रतिशत) की धनराशि माह मई-अक्टूबर 2006 तक वितरित नहीं किया तथा इन 1105 विद्यालयों/कालेजों/मदरसों में से 656 (59 प्रतिशत) ने उक्त तिथि तक 0.58 करोड़ रुपये (54 प्रतिशत) की अवितरित राशि वापस नहीं किया था।

जहाँ एक तरफ विद्यालयों/कालेजों में काफी धनराशि अवितरित पड़ी थी वहीं दूसरी तरफ नमूना जांच किये गये जनपदों में अ पि व छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में 18 से 32 प्रतिशत विद्यालय/कालेज तथा अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में 9 से 19 प्रतिशत विद्यालय/कालेज वर्ष 2001-06 की अवधि में धनाभाव के कारण छात्रवृत्ति योजना से आच्छादित नहीं किये जा सके थे *॥ fff'k"V 3-2-1॥*

यद्यपि उपरोक्त विद्यालयों/कालेजों ने अप्रयुक्त धनराशि वापस नहीं किया फिर भी जि पि व क/जि अ क अधिकारियों ने माह मई-अक्टूबर 2006 तक अवितरित धनराशि को कोषागार में जमा कराने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी।

3-2-7 Nk=ofRr dk forj .k

3-2-7-1 y{; , oa mi yfC/k

वर्ष 2001-02 से वर्ष 2005-06 की अवधि में छात्रवृत्ति वितरण के भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं :

I kj.kh&4 ½y{; , oa mi yfC/k½

½yk[k : i ; se#

| o"l | y{; | mi yfC/k | deh¼i fr'kr½ |
|----------------|--------|----------|--------------|
| vU; fi NMk oxL | | | |
| 2001-02 | 14.62 | 11.38 | 3.24(22) |
| 2002-03 | 43.13 | 12.73 | 30.40(70) |
| 2003-04 | 39.86 | 13.52 | 26.34(66) |
| 2004-05 | 142.36 | 127.48 | 14.88(10) |
| 2005-06 | 194.37 | 127.71 | 66.66(34) |
| ; ksx | 434-34 | 292-82 | 141-52¼33½ |
| vYi l d; d | | | |
| 2001-02 | 42.57 | 30.07 | 12.50(29) |
| 2002-03 | 46.76 | 31.18 | 15.58(33) |
| 2003-04 | 50.66 | 33.09 | 17.57(35) |
| 2004-05 | 53.39 | 34.41 | 18.98(36) |
| 2005-06 | 35.59 | 24.70 | 10.89(31) |
| ; ksx | 228-97 | 153-45 | 75-52¼33½ |

Nk=ofr forj .k dh
Hkksrd mi yfC/k; ka
c<k dj fn[kk; h
x; h Fkh

नमूना जांच किये गये जनपदों में संज्ञान मे आया कि वर्ष 2004-06 की अवधि की भौतिक उपलब्धि आठ से 14 प्रतिशत तक बढ़ाकर दिखायी गयी थी। विवरण निम्न प्रकार था :

vU; fi NMk oxl

वर्ष 2004-06 की अवधि में 15 जि पि व क अ ने 73767 विद्यालयों/कालेजों के 60.83 लाख विद्यार्थियों हेतु 286.77 करोड़ रुपये हस्तान्तरित किया गया तथा उसे ही उपलब्धि के रूप में दर्शाया गया। इसके विरुद्ध 57997 विद्यालयों/कालेजों (79 प्रतिशत) मात्र ने वितरित छात्रवृत्ति लेखा प्रस्तुत किया। उपरोक्त में से लेखापरीक्षा द्वारा 5796 विद्यालयों/कालेजों जिसमें 4.83 लाख विद्यार्थी सम्मिलित थे, के लेखों की लेखा परीक्षा संवीक्षा से प्रकाश में आया कि 0.39 लाख विद्यार्थियों (8 प्रतिशत) को 2.48 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित नहीं की गयी थी फिर भी उसे उपलब्धि में सम्मिलित कर लिया गया था।

vYi l d; d

इसी प्रकार, वर्ष 2004-06 की अवधि में 13 जि अ क अधिकारियों ने 16.18 लाख विद्यार्थियों हेतु 73.49 करोड़ रुपये की धनराशि 32296 विद्यालयों/कालेजों को हस्तान्तरित किया तथा तदनुसार ही उपलब्धि दर्शायी। उक्त के सापेक्ष मात्र 17813 विद्यालयों/कालेजों (55 प्रतिशत) ने छात्रवृत्ति लेखा प्रस्तुत किया। उपरोक्त में से 3183 विद्यालयों/कालेजों जिसमें 2.29 लाख विद्यार्थी सम्मिलित थे, के लेखों की संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि 0.32 लाख विद्यार्थियों (14 प्रतिशत) को छात्रवृत्ति वितरित नहीं की गयी थी फिर भी उसे उपलब्धि में सम्मिलित किया गया था।

3-2-7-2- vkonu i =ka dk vi ; klr l R; ki u

शासन के निर्देशों के अनुसार छात्रवृत्ति दावे हेतु लक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को इस हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरना है। आवेदन पत्र के साथ आय एवं जाति प्रमाण पत्र (जहां आवश्यक हो), कक्षा में प्रवेश तिथि एवं स्थायी पता संलग्न होना था। प्रत्येक ग्राम की ग्राम शिक्षा समिति (ग्रा शि स) को, उस ग्राम के शासकीय प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूल विद्यालयों के विद्यार्थियों के आवेदन पत्र छात्रवृत्ति हेतु अग्रसारित करने के पूर्व सम्बन्धित विद्यार्थी की उक्त हेतु पात्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, उनकी संवीक्षा करनी थी। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के अन्य सभी शासकीय एवं निजी विद्यालयों में इस हेतु लक्षित वर्ग के एक सदस्य को सम्मिलित करते हुये एक समिति का गठन होना था। 14 जनपदों में 112 विद्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकाश में आया कि ग्रामीण क्षेत्रों के 28 विद्यालयों जहाँ ग्रा शि स को आवेदन पत्रों की संवीक्षा करनी थी, उनमें से अ पि व के सम्बन्ध में 10 विद्यालयों (36 प्रतिशत) एवं अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में 7 विद्यालयों (25 प्रतिशत) में इस प्रकार की कोई जांच नहीं की गयी। शेष 84 विद्यालयों/कालेजों, जहां आवेदन पत्रों की जांच हेतु समिति का गठन होना था, में से अ पि व छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में 40 विद्यालयों/कालेजों (48 प्रतिशत) में कोई समिति गठित नहीं थी, तथा अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में 34 विद्यालयों/कालेजों (40 प्रतिशत) में समिति गठित हुयी थी परन्तु इनमें लक्षित वर्ग के सदस्य सम्मिलित नहीं थे।

जि पि व क अ/जि अ क अ भी विद्यालयों/कालेजों को छात्रवृत्ति की धनराशि वितरण हेतु हस्तान्तरित करने के पहले, छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों की पात्रता का सत्यापन उपरोक्त मानकों के आधार पर करने हेतु उत्तरदायी थे। 15 जि पि व क/ जि अ क अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घटित हुआ कि 6 जि पि व क अ कार्यालयों¹ एवं तीन जि अ क अ कार्यालयों², जहां छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों

41 ifr'kr ixdj. kka ea
ykhkffkz ka dh ik=rk
dk l R; ki u ugh fd; k
x; k Fkk

¹ अलीगढ़, बस्ती, बिजनौर, झांसी, जे पी नगर एवं मुरादाबाद

² बस्ती, जे पी नगर एवं मुरादाबाद

के आवेदन पत्र विद्यालयों/कालेजों से प्राप्त नहीं किये गये थे, जि पि व क/ जि अ क अधिकारियों ने विद्यालयों/कालेजों द्वारा उपलब्ध करायी गयी विद्यार्थियों की सूची के आधार पर धनराशि हस्तान्तरित कर दिया था। प्रत्येक जनपद में दोनों कार्यालयों में रैन्डम रूप से चुने गये 1000 विद्यार्थियों की सूची की लेखा परीक्षा से उद्घटित हुआ कि उक्त सूचियों के साथ विद्यार्थियों के सम्बन्ध में आवश्यक विवरण/प्रमाण पत्र संलग्न नहीं थे।

अन्य नौ जि पि व क अ कार्यालयों¹ में वर्ष 2004-06 से सम्बन्धित, रैन्डम रूप से उठाये गये 9000 आवेदन पत्रों जिसमें 1.54 करोड़ रुपये सम्मिलित था, की संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि 3678 विद्यार्थियों (41 प्रतिशत) को 38.60 लाख रुपये की छात्रवृत्ति का भुगतान बिना जाति, प्रवेश तिथि, अभिभावकों की आय आदि के समर्थन में दस्तावेजों को सत्यापित किये कर दिया गया था क्योंकि उक्त दस्तावेज आवेदन पत्रों के साथ संलग्न नहीं थे। इसमें जनपद सन्तरविदास नगर के 503 आवेदन पत्र एवं जनपद इलाहाबाद के 30 आवेदन पत्र ऐसे भी सम्मिलित थे जो न तो विद्यार्थियों तथा न ही उनके अभिभावकों द्वारा हस्ताक्षरित थे।

इसी प्रकार अन्य 12² जि अ क अ कार्यालयों में वर्ष 2004-06 से सम्बन्धित रैन्डम रूप से उठाये गये 12000 आवेदन पत्र जिसमें 1.37 करोड़ रुपये की धनराशि सम्मिलित थी, की समीक्षा की गयी। 207 प्रकरणों में अपात्र विद्यार्थियों/अन्य राज्यों के विद्यार्थियों तथा ऐसे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया जिनके अभिभावकों की आय निर्धारित सीमा से अधिक थी।

उपरोक्त निष्कर्ष इंगित करते थे कि आवेदन पत्रों की संवीक्षा करने की पद्धति में गम्भीर कमियाँ थीं जिसके फलस्वरूप छात्रवृत्ति निधियों का दुरुपयोग हो सकता था तथा योजना के मूलभूत उद्देश्य की पूर्ति बाधित हो सकती थी।

3-2-7-3 ykHkkfFkz; ka dk HkkfRd I R; ki u

शासन के निर्देशों के अनुसार सभी लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना था कि छात्रवृत्ति का वितरण वास्तव में हुआ। वर्ष 2001-05 से सम्बन्धित भौतिक सत्यापन के आंकड़े विभाग के पास नहीं थे। वर्ष 2005-06 की अवधि में 1.28 लाख विद्यालयों/कालेजों जिन्हें छात्रवृत्ति हस्तान्तरित की गयी थी, में से मात्र 0.47 लाख (37 प्रतिशत) का ही सत्यापन जनवरी 2006 तक किया गया था। इनमें से 139 विद्यालयों/कालेजों ने 7.06 लाख रुपये की छात्रवृत्ति अपात्र विद्यार्थियों को वितरित कर दी थी। इनके विरुद्ध वसूली/प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की कार्यवाही प्रगति में होना बताया गया था (जुलाई 2006)।

नमूना जांच किये गये जनपदों के अभिलेखों से उद्घटित हुआ कि वर्ष 2001-05 की अवधि में जि पि व क अधिकारियों ने 18 विद्यालय/कालेजों को प्रतिवर्ष की दर से भौतिक सत्यापन किया था जो कि अत्यन्त कम था।

अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में वर्ष 2001-06 की अवधि में भौतिक सत्यापन का कार्य 11 से 67 प्रतिशत विद्यालयों/कालेजों में नहीं किया गया था।

3-2-7-4 vf/kd Hkqarku

शासन के निर्देशों (सितम्बर 2004 एवं अक्टूबर 2004) के अनुसार अ0पि0व0 छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में 15 जुलाई एवं अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में 20 जुलाई के बाद प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को उस माह की छात्रवृत्ति देय नहीं थी। तथापि नौ जि पि क अ कार्यालयों के 9000 प्रकरणों एवं 12 जि अ क अ कार्यालयों के 12000 प्रकरणों

YkHkkfFkz; ka dk
HkkfRd I R; ki u
vR; Ur U; u; Fkk

¹ इलाहाबाद, अम्बेदकरनगर, बहराइच, गाजीपुर, कानपुरनगर, कुशीनगर, सन्तरविदासनगर, शाहजहाँपुर एवं वाराणसी
² इलाहाबाद अम्बेदकरनगर, अलीगढ़, बहराइच, बिजनौर, गाजीपुर, झांसी, कानपुरनगर, कुशीनगर, सन्तरविदासनगर, शाहजहाँपुर एवं वाराणसी

में से 5568 विद्यार्थियों (62 प्रतिशत) एवं 2047 विद्यार्थियों (17 प्रतिशत) ने 16/21 जुलाई तथा जनवरी के मध्य प्रवेश लिया था परन्तु उन्हे पूरी छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया गया था, फलस्वरूप क्रमशः 15.48 एवं 4.23 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ।

3-2-8 vi ; klr tu'kfDr

जनपदीय कार्यालयों में, विद्यालयों/कालेजों से छात्रवृत्ति हेतु प्राप्त मांगों के निपटान तथा सम्बन्धित अभिलेखों के रख-रखाव हेतु कार्मिकों की न्यूनतम आवश्यकता, एक जनपद स्तरीय अधिकारी के पर्यवेक्षण में एक वरिष्ठ लिपिक तथा सहायता हेतु एक कनिष्ठ लिपिक आकलित की गई थी। इसके अतिरिक्त योजनाओं के सूक्ष्म अनुश्रवण हेतु एक मण्डलीय अधिकारी की भी आवश्यकता थी। परन्तु न ही पर्याप्त संख्या में पद स्वीकृत किये गये तथा न ही स्वीकृत पदों को भरा गया था। विवरण निम्नवत था :

I kj .kh&5 %jfDr; ka dh fLFkfr%

% d ; k e%

| lknka dh Js kh | vU; fi NMk oxL | | | | vYi l ; d | | | |
|------------------------------|----------------|----------|------------|--------------------------|-----------|----------|------------|--------------------------|
| | vko'; drk | Lohdr in | Hkjs gq in | deh %LrEHk 3&4% (ifr'kr% | vko'; drk | Lohdr in | Hkjs gq in | deh %LrEHk 7&8% % fr'kr% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| उपनिदेशक/ मण्डलीय अधिकारी | 17 | 6 | 4 | 2(33) | 17 | 7 | शून्य | 7(100) |
| जि पि व क/ जि अ क अधिकारी | 70 | 61 | 55 | 6(10) | 70 | 59 | 50 | 9(15) |
| वरिष्ठ लिपिक | 70 | 61 | 33 | 28(46) | 70 | 59 | 15 | 44(75) |
| कनिष्ठ लिपिक | 70 | 70 | 43 | 27(39) | 70 | 59 | 3 | 56(95) |



ft fi o d v dk; ky; j xkthi g ea vfHky%k

उक्त तालिका में देखा जा सकता है कि 2001-06 के दौरान स्वीकृत पदों के सापेक्ष जनपद/मण्डल स्तरीय अधिकारियों के 10 से 100 प्रतिशत तथा लिपिक वर्ग के 39 से 95 प्रतिशत तक पद रिक्त थे। इसके अतिरिक्त, शासन को प्रेषित 12 उपनिदेशकों, नौ जि पि व क अ तथा सात वरिष्ठ लिपिक के पदों की स्वीकृति का प्रस्ताव वर्ष 2004-05 से ही लम्बित था। वर्ष 2001-06 की अवधि में चार¹ जनपदों के जि पि व क अधिकारियों का पदभार एक से छः अधिकारियों द्वारा अपने मूल पदभार के अतिरिक्त वहन किया गया था जिसकी अवधि तीन माह से पाँच वर्ष तक की रही थी। यह उल्लेखनीय था कि जि पि व क अ, संतरविदास नगर का कार्यालय माह मई 2006 तक अस्तित्व में ही नहीं था तथा यह कार्यालय, भार ग्रहण करने वाले अन्य विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपने मूल कार्यालय परिसर से ही चलाया जा रहा था। इसी प्रकार चार² जि अ क अधिकारियों का कार्यभार अन्य विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने मूल कार्य के अतिरिक्त ढाई वर्ष से साढ़े चार वर्ष की अवधि तक ग्रहण किया गया था। दोनों विभागों में छात्रों से छात्रवृत्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों तथा

¹ अम्बेदकरनगर, जे पी नगर, कुशीनगर तथा सन्तरविदास नगर

² बस्ती, बिजनौर, संतरविदास नगर तथा शाहजहाँपुर

सम्बन्धित अभिलेखों के रख-रखाव की उचित व्यवस्था नहीं थी तथा आवेदन पत्रों को बेकार कागजों के ढेर के रूप में रखा जाता था।

विभागों द्वारा लाभार्थियों के आंकड़ों को कम्प्यूटरीकृत करने की कोई योजना नहीं बनायी गयी थी जो न केवल कर्मचारियों की कमी की समस्या से निपटने में बल्कि छात्रवृत्ति की बेहतर वितरण व्यवस्था में भी सहायक होता।

शासन ने बताया (अक्टूबर 2006) कि रिक्तियों को शीघ्र भरा जायेगा।

3-2-9 Qkdl l eg dh xk'Bh

छात्रवृत्ति योजना की विशिष्टता, लाभार्थियों को इससे प्राप्त लाभ एवं योजना के क्रियान्वयन पर चर्चा के लिए लेखा परीक्षा कार्यालय में लाभार्थियों, योजना क्रियान्वयन अधिकारियों, अशासकीय संगठनों एवं शिक्षाविदों के साथ फोकस समूह की एक गोष्ठी (अगस्त 2006) आयोजित की गयी थी। सभी प्रतिभागियों के मध्य यह सहमति बनी कि विद्यार्थियों के विद्यालय छोड़ कर चले जाने एवं नामांकन पर दृष्टि रखने के लिए विद्यालय स्तर पर प्रत्येक विद्यार्थी की एक पासबुक तैयार करायी जानी चाहिए जिसमें उनकी उपस्थिति एवं छात्रवृत्ति प्राप्त करने का विवरण अंकित रहे।

3-2-10 Nk=kokl ka dk fuekZ k

vU; fi NMk oxL

भारत सरकार ने 1900 विद्यार्थियों के ठहराव हेतु 38 छात्रावासों के निर्माण की वर्ष 2002-06 के दौरान स्वीकृति प्रदान की तथा 6.75 करोड़ रुपये की धनराशि छात्रावास निर्माण लागत के 50 प्रतिशत अंश के रूप में सम्बन्धित वर्षों में अवमुक्त किया था। छात्रावासों के निर्माण की स्थिति नीचे दी गयी है :

l kj . kh&6 Nk=kokl ka ds fuekZ k ea foyEc ½

| Ok"KZ | Yk{; | lkw kZ gksus dh fu/kk'fjr frfFk | LFky , oa fuekZ k bdkbZ ds p; u dh frfFk | fuekZ k bdkbZ dks /ku voeDr djus dh frfFk | lk. kZ Nk=kokl ka dh l a[; k | fo ky; dks gLrkUr'fjr Nk=kokl ka dh l a[; k | lk. kZ gksus dh frfFk | foyEc dh l hek |
|---------|------|---------------------------------|--|---|------------------------------|---|--------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2002-03 | 11 | मार्च 2004 | अगस्त 2003-6 मई 2004-5 | मार्च 2004-5 अप्रैल 2004-1 सितम्बर 2004-5 | 11 | 6 | जनवरी 2005 से मार्च 2006 | 1 से 2 वर्ष |
| 2003-04 | 11 | मार्च 2005 | जून 2004-5 अगस्त 2004-6 | सितम्बर 2004-10 | 10 ¹ | 8 | जुलाई 2005 से मार्च 2006 | 4 माह से 12 माह |
| 2004-05 | 12 | मार्च 2006 | मार्च 2005-12 | जुलाई 2005-6 सितम्बर 2005-6 | शून्य | शून्य | - | - |
| 2005-06 | 9 | मार्च 2007 | सितम्बर 2006 | सितम्बर 2006 तक धन का हस्तान्तरण नहीं | शून्य | शून्य | - | - |
| ; ksx | 43 | | | | 21 | 14 | | |

LFky p; u ea foyEc ds dkj .k Nk=kokl fuekZ k ea foyEc gqk

निर्माण स्थलों/निर्माण इकाईयों के चयन एवं धन अवमुक्त में विलम्ब से छात्रावासों के पूर्ण होने में विलम्ब हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2004-05 में 4.26 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृत 12 छात्रावासों के निर्माण लागत मूल्य में 1.91 करोड़ रुपये (45 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

¹ माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण एक छात्रावास का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ था

lkp Nk=kokl ka
dk fuekZ k
nk'ski w kZ Fkk

आगे, मार्च 2004 तक पूर्ण हुए 21 छात्रावासों में से 2.49 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित सात छात्रावास (2002-03:पांच छात्रावास, 2003-04:दो छात्रावास) निर्माण की गुणवत्ता में कमी/निर्माण में दोष के कारण हस्तान्तरित नहीं हो सके थे। पांच छात्रावासों के सम्बन्ध में निर्माण में दोष के लिए जांच का आदेश दिया जा चुका था तथा शेष दो छात्रावासों के निर्माण में कमियों का पता लगाया जा रहा था (अक्टूबर 2006)।

2005-06 में अनुमोदित नौ छात्रावासों के निर्माण का कार्य सितम्बर 2006 तक, निर्माण इकाई के साथ मेमोरेन्डम आफ अन्डरस्टैन्डिंग की प्रक्रिया प्रगति में होने के कारण प्रारम्भ नहीं किया गया था (सितम्बर 2006)।

अतः अ पि व के विद्यार्थियों को छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराने की योजना की पूर्ति वृहद सीमा तक नहीं की जा सकी थी (अक्टूबर 2006)।

शासन के बताया (अक्टूबर 2006) कि निर्मित छात्रावासों के सम्बन्ध में जांच पूर्ण कर/निर्माण की कमियों को दूर करके यथाशीघ्र उन्हें हस्तान्तरित कर दिया जायेगा।

vYil d; d

भारत सरकार ने अल्पसंख्यक छात्राओं को अनवरत शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उन स्थानों पर जहां पर्याप्त मात्रा में आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं थी, 670 छात्राओं के लिए 3.80 करोड़ रुपये की लागत से 12 छात्रावासों के निर्माण की स्वीकृति (1994-98) प्रदान की थी। इन छात्रावासों के निर्माण का कार्य अगस्त 1997 और सितम्बर 2002 के मध्य पूर्ण करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम को फरवरी 1997 और मार्च 2002 के दौरान धन उपलब्ध कराया गया था। विभाग के पास निर्माण की प्रगति तथा इनमें छात्राओं के रहने सम्बन्धी पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं थी। 11 विद्यालयों, जहां छात्रावास का निर्माण प्रस्तावित था, से एकत्रित सूचना के परीक्षण से उद्घटित हुआ कि :

➤ पांच¹ छात्रावास सितम्बर 2006 तक अपूर्ण थे। विद्यालय जिनमें ये छात्रावास निर्माणाधीन थे, निर्माण में विलम्ब के कारणों से अनभिज्ञ थे क्योंकि वे छात्रावास निर्माण क्रियाकलापों से सम्बद्ध नहीं थे।

➤ आले अहमद बालिका इन्टर कालेज, अमरोहा, जे पी नगर में 10.75 लाख रुपये की लागत से एक छात्रावास का निर्माण मई 2005 में पूर्ण हो गया था, तथापि निर्माण इकाई द्वारा छात्रावास को सितम्बर 2006 तक विद्यालय को हस्तान्तरित नहीं किया गया था।

Rkhu Nk=kokl 1
l s 5 o"kkā rd
[kkyh i Ms Fks

➤ विद्यालय प्राधिकारियों को हस्तान्तरित (सितम्बर 2006) चार छात्रावासों में से दो छात्रावास (नजिबुद्दौला बालिका इन्टर कालेज, नजीबाबाद, बिजनौर तथा अब्दुश सलाम मुस्लिम बालिका इन्टर कालेज मुरादाबाद) 21.50 लाख रुपये की लागत से निर्मित थे तथा विद्यालयों को क्रमशः अगस्त 2001 एवं जून 2002 में हस्तान्तरित किये गये थे परन्तु ये रिक्त थे क्योंकि विद्यालय में अध्ययनरत छात्राये स्थानीय थी। इस्माइल बालिका इन्टर कालेज, मेरठ में निर्मित एक 20 शैय्या वाले छात्रावास (लागत 10.75 लाख रुपये) मई 1999 में विद्यालय को हस्तान्तरित हो गया था परन्तु सुरक्षा कारणों एवं छात्राओं के अभिभावकों द्वारा उन्हें छात्रावास में रखने हेतु उत्सुक न होने के कारण उसमें अत्यन्त कम संख्या (1999 से 2003 के दौरान पाँच से 10 छात्राये) में छात्राये निवास कर रही थीं। वर्ष 2004 से छात्रावास में कोई भी छात्रा नहीं रह रही थी।

¹ (1) अब्दुल कलाम आजाद इन्टर कालेज लखीमपुर खीरी (2) आयसा रसीद बालिका इन्टर कालेज लार रोड, देवरिया (3) रहमानिया बालिका इन्टर कालेज बिजनौर (4) बेगम काजी जलील अब्बासी हायर सेकेन्ड्री स्कूल सिद्धार्थनगर तथा (5) फैयाज बेगम बालिका इन्टर कालेज, बुलन्दशहर

छात्रावासों के निर्माण के लिए धन निर्माण इकाई को हस्तगत कराने के उपरान्त न तो छात्रावासों के निर्माण की प्रगति का आवधिक अनुश्रवण करने हेतु विभाग के पास कोई पद्धति थी और न ही पूर्ण हुये छात्रावासों को हस्तांतरित करने हेतु कोई दृष्टि थी। छात्रावासों में छात्राओं के निवास का भी कोई अनुश्रवण नहीं किया जा रहा था।

शासन ने बताया (नवम्बर 2006) कि छात्रावास निर्माण की प्रगति की सूचना उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम से प्राप्त कर सूचित किया जायेगा।

अतः, भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक छात्राओं को शिक्षा अनवरत रखने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उन्हें छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य चार से नौ वर्षों पश्चात् भी अप्राप्त रहा।

3-2-11 enj l k f'k{k

3-2-11-1 vik= enj l k dk p; u

शासन से मान्यता प्राप्त अरबी एवं फारसी मदरसों का संचालन, उ0प्र0 अशासकीय अरबी एवं फारसी मदरसा मान्यता नियमावली 1987 (मान्यता नियमावली) के द्वारा नियमित किया गया है। इन मदरसों को अनुदान हेतु पात्र होने के लिए नियमावली के साथ-साथ शासन द्वारा मई 2004 में निर्गत अधिसूचना में प्राविधानित शर्तों को पूर्ण करना था। पात्रता की शर्तों में, अन्य के साथ, यह भी सम्मिलित था कि (i) निर्धारित योग्यता रखने वाले अध्यापकों/कर्मचारियों की नियुक्ति समाचार पत्रों में पदों का विज्ञापन करने के पश्चात् ही होनी चाहिए थी; (ii) उनका मदरसों के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य के साथ निकट सम्बन्ध नहीं होना चाहिए था ; (iii) अध्यापकों की संख्या¹, मदरसों में अध्ययनरत छात्रों की संख्या पर आधारित होना चाहिए था ; (iv) आलिया² स्तर तक मान्यता प्राप्त मदरसों के लिए प्रत्येक स्तर पर छात्रों की संख्या 15 होनी चाहिए थी ; तथा (v) विगत वर्ष में आलिया स्तर में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत 50 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए था।

67 मदरसों जिन्हें मार्च 2005 से अनुदान हेतु चयनित किया गया था, में उनके चयन से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 45 मदरसे एक या एक से अधिक शर्तों को पूर्ण नहीं करते थे, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

- 30 मदरसों में समाचार पत्रों में पदों का विज्ञापन किये बिना नियुक्तियां कर ली गई थी;
- छः मदरसों के नौ अध्यापक इस पद हेतु नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं रखते थे;
- दो कर्मचारी एवं एक अध्यापक मदरसे के प्रबन्धक के निकट सम्बन्धी पाये गये थे;
- उन्नीस मदरसों में आलिया स्तर पर 15 छात्र उपलब्ध नहीं थे तथा पांच मदरसों में 2003-04 का आलिया का परीक्षाफल 50 प्रतिशत से कम था;
- नौ मदरसों में छात्रों की संख्या के आधार पर वास्तव में आवश्यक 32 अध्यापकों के विरुद्ध 78 की स्वीकृति कि गयी थी फलस्वरूप 46 अध्यापक अधिक नियुक्त थे।

45 vik= enj l k
dks 5-46
dj kM+: i ; s
i fro"z dh nj
l s vu nku fn; k
x; k

Ekkud l s vf/kd
fu; Or 104 v/; ki dka
ds oru ij 1-01
dj kM+: i ; s i fro"z
l s vf/kd l gk; rk
vu nku dk Hk q rku
fd; k x; k

¹ मदरसों के सभी कक्षाओं के लिए एक प्रधानाचार्य, तहतानिया (1से 5) में 60 छात्रों तक कोई अध्यापक नहीं, 60 छात्रों के ऊपर प्रत्येक 40 या उसके भाग के लिए एक अध्यापक । फौकानिया (कक्षा 6 से 8) के लिए प्रत्येक 35 या उसके भाग के लिए एक अध्यापक । आलिया या उच्च आलिया (कक्षा 9 से स्नाकोत्तर तक) प्रत्येक 20 छात्र या उसके भाग के लिए अरबी फारसी में अलग-अलग एक अध्यापक

² कक्षा 9 एवं 10

उपरोक्त के परिपेक्ष में 45 अपात्र मदरसों जिन पर प्रतिवर्ष 5.46 करोड़ रुपये का आवर्ती भुगतान सम्मिलित था, को सहायता अनुदान हेतु चयन करना न्यायोचित नहीं था।

इसके अतिरिक्त, 45 मदरसों में से 23 मदरसों के विभिन्न कक्षाओं हेतु आवश्यक 341 अध्यापकों के विरुद्ध 31 मार्च 2006 तक 445 अध्यापक नियुक्त किये गये थे। इन अधिक 104 अध्यापकों के वेतन पर सहायता अनुदान से प्रतिवर्ष 1.01 करोड़ रुपये धनराशि का भुगतान किया गया था।

3-2-11-2- futh Hkou jfgr ejnl s

मान्यता नियमावली 1987 के अनुसार मदरसों के पास निर्धारित माप के कमरों से युक्त स्वयं का भवन होना चाहिए। यदि किसी कारणवश, मान्यता के समय मदरसों के पास अपना भवन न हो तो मान्यता प्राप्त होने के पांच वर्ष के अन्दर मदरसों का अपना भवन हो जाना आवश्यक था। जबकि नमूना जांच किये गये 15 जनपदों के 45 मदरसों में से सात (16 प्रतिशत), जो वर्ष 1995-96 में या उससे पूर्व मान्यता प्राप्त एवं अनुदानित थे, के पास मई-जून 2006 तक अपना निजी भवन नहीं था।

3-2-11-3 enj l k vk/kfudhdj .k

jkT; l jdkj }kj k
nk ski wkl i Lrko
i f"kr djus ds
dkj .k enj l k
vk/kfudhdj .k
; kst uk dks
fdz; kflor djus ea
foYkEc gvwk

मदरसों में आधुनिक शिक्षा यथा हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान तथा गणित की शिक्षा प्रदान करना, ताकि मदरसों के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति के समकक्ष शिक्षा प्रदान करायी जा सके, के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) में प्रति मदरसा अधिकतम दो अध्यापकों के वेतन का प्राविधान एवं बुकबैंक की स्थापना हेतु प्रति मदरसा 7000 रुपये की एकमुश्त अनुदान प्रस्तावित किया गया था। राज्य सरकार ने भारत सरकार को फरवरी 2003 एवं अगस्त 2005 के मध्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया परन्तु भारत सरकार ने प्रस्ताव दोषपूर्ण पाया तथा चाहा कि (अप्रैल 2005) प्रत्येक मदरसे के अध्यापकों एवं छात्रों की संख्या के साथ-साथ उनके नाम एवं पते की सूचना सहित, पुनरीक्षित प्रस्ताव भेजा जाये। राज्य सरकार ने अगस्त 2005 में पुनरीक्षित प्रस्ताव भेजा परन्तु प्रस्ताव को इस टिप्पणी के साथ वापस लौटा दिया गया (अगस्त 2005) कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में उल्लिखित आंकड़े, जनपदों के प्राधिकारियों द्वारा प्रेषित आंकड़ों से मेल नहीं खाते थे। जनवरी 2006 में एक नया प्रस्ताव भेजा गया। भारत सरकार ने 1551 मदरसों में दो अध्यापक तथा 318 मदरसों में एक अध्यापक के साथ-साथ बुकबैंक हेतु प्रति मदरसा 7000 रुपये का एकमुश्त अनुदान, कुल 13.62 करोड़ रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत (अगस्त 2006) किया। शासन से इस योजना का क्रियान्वयन अभी (अक्टूबर 2006) अपेक्षित था।

शासन द्वारा प्रस्तुत दोषपूर्ण प्रस्तावों के परिणाम स्वरूप मदरसों की इस योजना को अक्टूबर 2006 तक क्रियान्वित नहीं किया गया था।

3-2-11-4 y?kq vks| kfxd i f' k{k.k l LFkku %vks iz l %

uhfr fu/kkj .k rFkk
i f' k{kdk dh fu; fDr
ea foyEc ds dkj .k
dkQh l f; k ea y?kq
vks iz l LFkku dk
l pkyu foyfEcr Fkk

शासन द्वारा उत्तर प्रदेश मदरसा व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना प्रारम्भ (2003-04) की गयी थी जिसके अन्तर्गत प्रदेश के 61 जनपदों के 140 मदरसों में 140 लघु औ प्र सं स्थापित करने के लिए 2.86 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत (फरवरी 2004) की गयी थी। लघु औ प्र सं की कक्षाएँ जुलाई 2004 से प्रारम्भ होनी थी। स्वीकृत धन को आहरित करके (मार्च 2004) वैयक्तिक बही खाते में रख लिया गया जबकि उनकी स्थापना से सम्बन्धित विस्तृत नीति जनवरी 2005 में बनायी जा सकी। इन मदरसों को धन का हस्तान्तरण जुलाई 2005 तथा अप्रैल 2006 के मध्य किया गया। 81 लघु औ प्र संस्थानों में कक्षाएँ दो वर्ष विलम्ब से जुलाई 2006 से प्रारम्भ की गयी। शेष 59 लघु औ प्र सं (42 प्रतिशत) प्रशिक्षकों की नियुक्ति न होने के कारण प्रारम्भ नहीं

(अगस्त 2006) हुये थे। फलस्वरूप 1.11 करोड़ रुपये की लागत से क़य किये गये यन्त्र/औजार अप्रैल 2006 तक निष्प्रयोज्य थे। विभाग ने बताया (सितम्बर 2006) कि इन मदरसों में प्रशिक्षकों की नियुक्ति का कार्य प्रगति पर था।

लघु औ प्र संस्थानों की स्थापना हेतु बिलम्ब से नीति बनाने तथा प्रशिक्षकों की नियुक्ति न करने के कारण अधिकतर मदरसों में लघु औ प्र सं प्रारम्भ करने में अत्यधिक विलम्ब हुआ।

3-2-12 vuϕo.k , oa eW; kadu

fu; æ.k
fdz; kfof/k
detkj; Fkh

विद्यालयों/कालेजों/मदरसों में वास्तव में वितरित छात्रवृत्ति का अनुश्रवण, किसी भी स्तर पर यथा जि पि व क /जि अ क /निदेशालय/शासन द्वारा सूचना प्रबंधन पद्धति (सू प्र प) के माध्यम से नहीं किया गया था। योजना को लागू करने के पश्चात् विभाग ने न तो विद्यार्थियों का कक्षा से ड्राप आउट अथवा विद्यालयों/कालेजों में नामांकन में वृद्धि की स्थिति का कोई अनुश्रवण किया तथा न ही योजना के मूल्यांकन हेतु कोई दक्षता सूचक निर्धारित किया था।

3-2-13 fu"d"kl

दोनों विभागों में योजना का क्रियान्वयन दोषपूर्ण था। विद्यालयों/कालेजों से उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्ति तथा अवितरित छात्रवृत्ति की वापसी का अनुश्रवण नहीं किया गया था। छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्रों की जांच दोषपूर्ण थी, फलस्वरूप अपात्र लाभार्थियों को भी छात्रवृत्ति का भुगतान हुआ। अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों एवं अल्पसंख्यक छात्राओं को छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराने की योजनाओं के लक्ष्य, निर्माण में विलम्ब एवं निर्माण स्थलों के अनुचित चयन के फलस्वरूप वृहद मात्रा में अप्राप्त रहे। अनुदान हेतु चयनित 67 मदरसों में से 45 मदरसे चयन के निर्धारित मानक पूर्ण नहीं करते थे। मदरसों में लघु औ प्र संस्थानों की स्थापना हेतु वर्ष 2003-04 में प्रारम्भ की गयी योजना दक्षता पूर्ण ढंग से क्रियान्वित नहीं की गयी थी।

3-2-14 l drfr; k

- विद्यालयों/कालेजों द्वारा छात्रवृत्ति की धनराशि के उपयोग एवं अवितरित अवशेष की वापसी के अनुश्रवण के लिए एक पद्धति विकसित करनी चाहिए।
- चिन्हित वर्ग के सदस्यों से युक्त समिति का गठन तथा समितियों द्वारा छात्रवृत्ति भुगतान के पूर्व उक्त हेतु आवेदन पत्रों की जांच किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- जि पि व क/जि अ क अधिकारियों के कार्यालयों में छात्रों से प्राप्त आवेदनों का कम्प्यूटीकरण होना चाहिए। यह कार्य की मात्रा को कम करेगा तथा धन की आवश्यकता के आंकलन में भी सहायक होगा।
- छात्रावास निर्माण स्थलों का चयन न्यायोचित होना चाहिए जिससे ये विद्यार्थियों के अभाव में खाली न पड़े रहे। छात्रावास निर्माण की गति बढ़ायी जानी चाहिए।
- जि पि व क/जि अ क अधिकारियों के कार्यालयों तथा निदेशालय के साथ-साथ शासन स्तर पर योजना के प्रभाव का आंकलन करने के लिए एक कठोर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पद्धति को स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है।
- सहायता अनुदान भुगतान हेतु मदरसों के चयन के लिए दिशानिर्देशों को पालन होना चाहिए।

प्रकरण शासन को सितम्बर 2006 में सन्दर्भित किया गया था। शासन ने अनियमितताओं को स्वीकार (अक्टूबर/नवम्बर 2006) करते हुये सितम्बर/अक्टूबर 2006 में जि पि व क/जि अ क अधिकारियों को सुधारात्मक कदम उठाने के लिए आदेश निर्गत कर दिये थे। शासन ने संस्तुतियों को भी स्वीकार किया।

cf l d f'k{kk foHkkx

3-3 mRrj ins'k ea l oZ f'k{kk vfHk; ku

सर्व शिक्षा अभियान (एस एस ए) केन्द्र सरकार द्वारा पुरोनिधानित योजना के रूप में जनवरी 2001 में प्रारम्भ किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा को समयबद्ध तरीके से सार्वजनीकरण किया जाना था। योजना की वर्ष 2001-06 तक समीक्षा किये जाने पर यह प्रकाश में आया कि योजना की गति आरम्भ में धीमी रही परन्तु जिला स्तरीय अधिकारियों को धनराशियों का इलेक्ट्रानिक हस्तान्तरण, 33000 अध्यापकों की नियुक्ति और 44200 शिक्षा मित्रों की तैनाती तथा निर्माण कार्यों में गतिशीलता लाने के फलस्वरूप योजना के क्रियान्वयन में वर्ष 2004-05 से व्यापक सुधार आया। इन सबके बाद भी कार्यक्रम कई मोर्चों पर जैसे कि अत्यधिक ड्राप आऊट दर, प्राथमिक विद्यालय (पी एस) से उच्च प्राथमिक विद्यालय (यू पी एस) में कम पारगमन, अध्यापकों की गैर आनुपातिक तैनाती, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान (जाइट) के संस्थानिक क्षमता का संवर्धन आदि न किये जाने के कारण प्रभावित हुआ।

ef; vk

okf"kd dk; l ; kstuk , oa ctV dks r\$ kj djus ea ipk; rh jkt l fFkkvkj xke f'k{kk l fefr; ka@Ldwy icU/ku l fefr; ka vfHkHkkod v/; ki d l ?k , oa Lo; a l oh l fFkkvka dks l fefyr ugha fd; k x; kA

(iLrj 3-3-7-1)

; kstuk ds mnns' ; ka ds vuq kj f'k{kd , oa Nk=ka dk vuq kr (Vh , l vkj) 1%40 j [ks tkus Fks ftl ds fo:) i kFkfed fo|ky; ka (ih , l) ea ekp&2006 dks ; g vuq kr 1%4 Fkka M/i vkA/V dh nj vf/kd gkaus ds dkj.k jkT; ds mPp i kFkfed fo|ky; ka (; w ih , l) ea Vh , l vkj 1%45 ik; k x; kA

(iLrj 3-3-8-1)

; | fi l okjr i kFkfed fo|ky; ka ds v/; ki dka dks 20 fnu ds if'k{k.k dh vof/k de djds 11 fnu dh o"kl 2004&05 ea , oa o"kl 2005&06 ea 4 fnu dh dj nh x; h rFkfi l eh{kk vof/k ea v/; ki dka ds if'k{k.k ds okf"kd y{; ka ds l ki \$k ; g deh 42 , oa 40 ifr'kr dh jghA

(iLrj 3-3-9-3)

49 ifr'kr cPpka dk i kFkfed Lrj dh f'k{kk ij h u dj ikuk rFk i kFkfed Lrj l s mPp i kFkfed fo|ky; ka ds ikjxeu ea yxHkx 66 ifr'kr dh deh ; kstuk ds de fu"iknu dk l pd Fkka

(iLrj 3-3-9-5)

, d Lora= l fFk }kj fd; s x; s l okf"kd ds vuq kj i kFkfed Lrj ij f'k{kk dh xqkoRrk n; uh; Fkh rFk jkT; dk LFkku ns'k ds uhps ds i kw jkT; ka ea Fkka

(iLrj 3-3-9-7)

3-3-1 iLrkouk

भारत सरकार द्वारा जनवरी 2001 में सर्व शिक्षा अभियान (एस एस ए) एक समग्र एवं एकीकृत कार्यक्रम के रूप में प्रारम्भ किया गया था जिससे कि 2010 तक 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी और प्रासंगिक प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान की जा सके। एस एस ए योजना का कार्यान्वयन पंचायती राज संस्थाओं (पी आर आई), विद्यालय प्रबन्धक समितियों (एस एम सी), गाँव एवं शहरी मलिन बस्तियों के स्तर पर गठित शिक्षा समितियों, अभिभावक अध्यापक संघों (पी टी ए), माँ शिक्षक संघों और अन्य निचले स्तर की संरचनाओं एवं समुदायों की सक्रिय सहभागिता प्राप्त करके किया जाना था। एस एस ए के मुख्य उद्देश्य निम्नवत् थे :

- वर्ष 2003 तक सभी बच्चों को स्कूल में, शिक्षा गारंटी केन्द्रों, वैकल्पिक स्कूलों, वापस स्कूल चलो शिविर में लाया जाना (2005 तक विस्तारित) ;
- सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों द्वारा 2007 तक पाँच वर्षों की प्राथमिक स्कूली शिक्षा पूरी करें (2010 तक विस्तारित);
- प्राथमिक स्तर पर 2007 तक तथा प्रारम्भिक शिक्षा स्तर पर 2010 तक सभी लैंगिक और सामाजिक विषमताओं को समाप्त करना;
- 2010 तक सार्वभौमिक ठहराव प्राप्त करना।

कार्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनायी जाने वाली योजनाओं में पूर्ति व्यवस्था की दक्षता को अच्छा बनाने के लिए संस्थागत सुधार, शिक्षा के स्तर में सुधार हेतु शैक्षिक संस्थाओं की क्षमता का विकास एवं टिकाऊ वित्त पोषण द्वारा शिक्षण संस्थाओं में मुख्य प्रशासनिक धारा को सम्मिलित किया गया था। योजना 16 जनपदों¹ में प्राथमिक विद्यालय स्तर (पी एस) और 70 जनपदों में यू पी एस स्तर पर राज्य में अगस्त 2001 में लागू की गयी, वर्ष 2003-04 में अवशेष 54 जनपदों को एस एस ए के अंतर्गत लाया गया।

3-3-2 I xBukRed <kBk

उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद् (यू पी ई एफ ए पी बी) जो प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण (यू ई ई) के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्य कार्यान्वयन समिति (एस आई एस) के रूप में कार्य करती है वही राज्य में एस एस ए के क्रियान्वयन की भी देखभाल करती है।

सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद् की साधारण सभा जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं, परियोजना की शीर्ष संस्था है जोकि राज्य स्तर पर परियोजना क्रियाकलापों के क्रियान्वयन के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश और निदेशन प्रदान करती है। राज्य परियोजना निदेशक यू पी ई एफ ए पी बी के सदस्य सचिव है। राज्य परियोजना कार्यालय (एस पी ओ) जिसका प्रमुख राज्य परियोजना निदेशक होता है, राज्य स्तर पर दो अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशकों एवं जिला स्तर पर 70 जिला परियोजना अधिकारी² (डी पी ओ) के माध्यम

¹ अलीगढ़, हाथरस, इलाहाबाद, कौशाम्बी, कानपुर नगर, इटावा, औरया, गोरखपुर, बांदा, चित्रकूट, सीतापुर, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, चन्दौली और भदोही

² बेसिक शिक्षा अधिकारी (बी एस ए) जिला स्तरीय कार्यक्रम का समन्वयक होता है और जिला परियोजना कार्यालय का शीर्ष अधिकारी होता है

से एस एस ए योजना के कार्यान्वयन की देखभाल करता है। राज्य शैक्षिक प्रबन्धन और प्रशिक्षण संस्थान¹ (सीमेट), राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्² (एस सी ई आर टी) राज्य शिक्षण संस्थान³ (एस आई ई) एवं राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान⁴ (एस आई ई टी) राज्य स्तर पर और जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) जिला स्तर पर सहयोगी संस्थाएँ हैं।

3-3-3 ys[kki jh{kk ds mnns ;

लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह आंकलित करना था कि क्या:

- निधियों का प्रभावपूर्ण एवं दक्षतापूर्ण उपभोग किया गया;
- कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के क्रियान्वयन हेतु बनायी गई योजना पर्याप्त थी;
- मुख्य हस्तक्षेपीय उपायों को निर्धारित मानकों के अनुसार संपादित किया गया;
- शैक्षिक मानकों की गुणवत्ता में सुधार हेतु सरकार के प्रयास प्रभावी एवं मितव्ययी थे;
- विशेष आवश्यकताओं वाले वर्ग के बच्चों का आच्छादन बढ़ा; और
- अनुश्रवण प्रणाली मौजूद और प्रभावी थीं।

3-3-4 ys[kki jh{kk ds eki n.M

एस एस ए के निष्पादन समीक्षा में अपनाये गये लेखापरीक्षा के मापदण्ड थे:

- वार्षिक कार्य योजनाएं एवं बजट।
- शैक्षिक प्रबन्ध सूचना प्रणाली (ई एम आई एस) की विश्वसनीयता एवं आधार, स्कूल से बाहर बच्चों की संख्या का बढ़ना/घटना।
- बच्चों के *ड्राप आउट*, ठहराव और नामांकन का आँकड़ा।
- कार्यक्रम के लाभार्थियों पर सर्वेक्षण प्रतिवेदन।

3-3-5 ys[kki jh{kk dk dk; [ks= vk\$ i z kkyh

राज्य परियोजना कार्यालय (एस पी डी) और निदेशक विकलांग कल्याण, एस सी ई आर टी, सीमेट, महिला सामाख्या (एम एस), निदेशक वैकल्पिक शिक्षा (डी ए ई), इत्यादि जो कि राज्य स्तर पर एस एस ए से सम्बद्ध थे; के वर्ष 2001-05 की अवधि के अभिलेखों की नमूना जांच जुलाई से अक्टूबर 2005 के मध्य की गई। इसके अतिरिक्त 70 में से 15⁵ (20 प्रतिशत) डी पी ओ, 43 शिक्षा केन्द्रों⁶ के साथ-साथ 86 पी एस और

¹ शैक्षिक योजना एवं प्रबन्ध क्षेत्र में मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण और वार्षिक कार्य योजना एवं बजट के बनाने में कार्य करता है
² शिक्षा के गुणवत्ता संवर्द्धन हेतु तथा शैक्षिक गतिविधियों में एक नोडल संस्था की तरह कार्य करता है
³ शिक्षण माड्यूल बनाने की जिम्मेवारी
⁴ अध्यापक प्रशिक्षण पर संकेन्द्रण
⁵ आगरा, अलीगढ़, बलिया, बाँदा, बरेली, फर्रुख्खाबाद, गोण्डा, लखनऊ, मिर्जापुर मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रायबरेली, शाहजहाँपुर और सिद्धार्थनगर
⁶ एक शहरी और 2 ग्रामीण प्रत्येक जनपद में, केवल सिद्धार्थनगर जिसमें शहरी खण्ड नहीं था और बाँदा में जिसके द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया

84 यू पी एस¹ तथा उनसे संबंधित पंचायतों², 29 शिक्षा गारंटी योजना (ई जी एस) और वैकल्पिक और नवधानी शिक्षा केन्द्रों (ए आई ई)³ की नमूना जाँच की गयी। सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग और यू पी ई एफ ए पी बी के राज्य परियोजना निदेशक के साथ अगस्त 2005 में लेखापरीक्षा के उद्देश्यों तथा मापदण्डों पर विचारार्थ परिचयात्मक संगोष्ठी की गयी। सरकार द्वारा समीक्षा में वर्णित सभी तथ्यों एवं आंकड़ों एवं संस्तुतियों की पुष्टि समापन संगोष्ठी में की गयी (दिसम्बर 2005)। निष्पादन समीक्षा को वर्ष 2005-06 की वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों की प्राप्तियों, एवं आई एम आर बी अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक एवं ग्रामीण रिसर्च संस्थान (एस आर आई) की एक विशिष्ट यूनिट द्वारा किये गये (जनवरी 2006-फरवरी 2006) लाभार्थियों के सर्वेक्षण के परिणाम को सम्मिलित करते हुए तथा पुनः अद्यतित करते हुए अक्टूबर 2006 में अन्तिम रूप दिया गया। एस आर आई के जाँच परिणामों का सारांश *ifff'k"V&3-3-1* में दिया गया है।

3-3-6 foRrh; iZU/ku

3-3-6-1 foRrh; <kpk

एस एस ए योजना की लागत को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा नवीं पंचवर्षीय योजना काल (1997-2002) में 85:15 के अनुपात में, दसवीं योजना वर्ष (2002-07) के दौरान 75:25 के अनुपात एवं उसके पश्चात 50:50 के अनुपात में रखा जाना था। राज्य सरकार को प्रारम्भिक शिक्षा पर खर्च का वही स्तर बनाए रखना था जोकि 1999-2000 में था। एस एस ए के लिए अंशदान उपरोक्त खर्च के अतिरिक्त था।

भारत सरकार द्वारा निधियों का निर्गमन वर्ष में दो किशतों में सीधे राज्य कार्यान्वयन समिति (एस आई एस) को किया जाना था जिसमें प्रथम किशत अप्रैल में तथा द्वितीय किशत सितम्बर में जारी की जानी थी। सोसायटी को द्वितीय किशत तभी प्रदान की जानी थी जबकि राज्य सरकार द्वारा अपनी अनुपातिक निधियाँ एस आई एस को अन्तरित कर दी गयी हों और इस प्रकार अन्तरण की गई निधियों में से कम से कम 50 प्रतिशत निधियों का उपयोग कर लिया गया हो। विद्यालयों के उच्चीकरण, रख-रखाव, मरम्मत, अध्यापन/ अधिगम सामग्री और स्थानीय प्रबन्धन से सम्बन्धित निधियों का अन्तरण ग्राम शिक्षा समितियों (वी ई सी) स्कूल प्रबन्ध समितियों (एस एम सी), ग्राम पंचायतों को किया जाना था।

3-3-6-2 foRrh; ifj0; ;

एस एस ए का अनुमोदित परिव्यय वर्ष 2001-06 के दौरान 5960.34 करोड़ रुपये था फिर भी भारत सरकार द्वारा केवल 3324.31 करोड़ रुपये (74 प्रतिशत) अपने अंश (4489.05 करोड़ रुपये) में से अवमुक्त किया गया जिसका विवरण *ifff'k"V&3-3-2* में दिया गया है। वर्ष 2001-06 की अवधि में राज्य कार्यान्वयन समिति (एस आई एस) को प्राप्त धनराशि एवं व्यय का विवरण निम्नवत् रहा :

/kujkf'k; ka dks
ngj l sfn; s tkus
ds QyLo#i
muck mi Hkksx
de gqk

¹ दो प्राथमिक और दो उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रत्येक शैक्षिक केन्द्रों से केवल 4 प्राथमिक विद्यालय और 6 उच्च प्राथमिक विद्यालय द्वारा आंकड़ें उनके जनपदों के दौरे के दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया

² सम्बन्धित विद्यालय की 170 पंचायतें

³ प्रत्येक शिक्षा केन्द्र से एक केवल 8 खण्डों में जहाँ इ जी एस/ए आई ई केन्द्र नहीं चल रहे थे और इसके अलावा अन्य 8 के जिनके द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया

I kj .kh&1

| o"KZ | i klr /kujkf'k | mi yC/k /kujkf'k ¹ | 0; ; %i fr'kr½ | vo'k'sk |
|----------------|----------------|-------------------------------|----------------|---------|
| djkM+ #i ; s e | | | | |
| 2001-02 | 90.15 | 90.15 | 35.83 (40) | 54.32 |
| 2002-03 | 268.88 | 323.20 | 184.77 (57) | 138.43 |
| 2003-04 | 453.90 | 592.33 | 478.72 (81) | 113.61 |
| 2004-05 | 1170.15 | 1283.76 | 1251.66 (98) | 32.10 |
| 2005-06 | 2437.32 | 2469.42 | 2233.75 (90) | 235.67 |
| ; ksx | 4420.40 | | 4184.73 | |

धनराशि का उपयोग प्रथम दो वर्षों में कम हुआ। धनराशि के उपयोग में कमी का कारण एस आई एस ने भारत सरकार द्वारा धनराशि विलम्ब से (सामान्यतः प्रत्येक वर्ष के जुलाई माह से प्रारम्भ) निर्गत किया जाना बताया गया (जनवरी 2006)। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि ए डब्लू पी एण्ड बी भारत सरकार को समय से नहीं भेजे गये जिसके कारण धन अवमुक्ति में विलम्ब हुआ जैसाकि आगे के प्रस्तर में दिखाया गया है। वर्ष 2001-06 के मध्य अभिनवीकरण वार किये गये व्यय की समीक्षा में भी देखा गया कि सिविल कार्यों पर (1703.34 करोड़ रुपये) व्यय कुल प्राप्त धनराशि (4420.40 करोड़ रुपये) की निर्धारित 33 प्रतिशत सीमा (1458.73 करोड़ रुपये) से 244.61 करोड़ रुपये अधिक था।

3-3-6-3 /kujkf'k dk nj l s tkjh fd; k tkuk

एस आई एस द्वारा वर्ष 2003-04 की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट (ए डब्लू पी एण्ड बी) मार्च/अप्रैल 2003 में प्रस्तुत किया गया जिसे भारत सरकार ने जुलाई 2003 में अनुमोदित किया। इसी प्रकार वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 का ए डब्लू पी एण्ड बी को मार्च माह में प्रस्तुत किया गया जिसे संबंधित वर्षों के माह जून में अनुमोदित किया गया। इस प्रकार ए डब्लू पी एण्ड बी के अन्तिमीकरण में विलम्ब के कारण वर्ष 2003-05 की अवधि में भारत सरकार द्वारा निधियों के निर्गमन में विलम्ब हुआ। भारत सरकार द्वारा धनराशियाँ छोटे-छोटे भागों में जुलाई से मार्च के मध्य प्रत्येक वर्षों में दी गयी। राज्य सरकार द्वारा भी उसके अनुपातिक अंश को एस आई एस को निर्गत किये जाने में देर की गयी। वर्ष 2002-06 की अवधि में कुल निर्गत धनराशि 4330.25 करोड़ रुपये में से 334.02 करोड़ रुपये² (8 प्रतिशत) माह मार्च में जारी किया गया। राज्य सरकार द्वारा मार्च माह में जारी 259.02 करोड़ रुपये में से 64.97 करोड़ रुपये³ को संबंधित वर्षों के अंतिम कार्य दिवस को दिया गया। धनराशियों के निर्गमन में विलम्ब और विशेष रूप से वित्तीय वर्ष की समाप्ति के समय दिये जाने पर कार्यक्रम के वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में अवरोध उत्पन्न हुआ।

3-3-7 dk; Øe ds dk; kwo; u dk fu; kstu

3-3-7-1 i kj fEHkd r\$ kjh ds fØ; kdyki

क्रियाकलापों के प्रारम्भिक तैयारी में अन्य क्रियाकलापों के अलावा सामुदायिक प्रेरण को प्रभावशील बनाकर एवं 0-14 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों की प्रगति पर निगाह हेतु पारिवारिक सर्वेक्षण पर आधारित सूक्ष्म नियोजन एवं विद्यालय मैपिंग के बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए हैबिटेसन स्तर पर शैक्षिक योजना तैयार की जानी थी। शिक्षा विभाग

¹ पिछले वर्षों के अन्तिम अवशेष को शामिल करके

² केन्द्र का अंश 75 करोड़ रुपये राज्य का अंश 259.02 करोड़ रुपये

³ 31 मार्च 2003: 29.97 करोड़ रुपये, 31 मार्च 2004: 25 करोड़ रुपये और 31 मार्च 2005: 10 करोड़ रुपये

, Mkywih , .M ch
dk nj l s , l
vkbz , l }kjk
i Lr r fd; k x; k

; kstuk i kj fEHk fd; s
tkus l s i o z i kj fEHk d
fdz; kdyki i j s ugh
fd; s x; s

के अधिकारियों एवं सामुदायिक नेताओं का प्रशिक्षण एवं अनुकूलन तथा कार्यालयीय उपस्कर की आपूर्ति एवं कम्प्यूटर सुविधा इत्यादि, विद्यालय स्तर की गतिविधियाँ भी संपादित की जानी थीं। अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि भारत सरकार द्वारा 16 जनपदों¹ के लिए प्रारंभिक क्रियाकलाप हेतु वर्ष 2000-01 में उपलब्ध कराये गये 3.42 करोड़ रुपये में से केवल 78.34 लाख रुपये, (23 प्रतिशत)का उपयोग किया गया और शेष 2.64 करोड़ रुपये जिला एवं एस पी ओ स्तर पर इसलिए पड़ा हुआ था कि 0-14 आयु वर्ग के बच्चों की प्रगति हेबिटेसन स्तर पर निगाह रखने संबंधी कार्यकलापों का संपादन नहीं किया गया। पुनश्च, कानपुर नगर के अतिरिक्त अन्य 15 एस एस ए जनपदों में पारिवारिक सर्वेक्षण नहीं किया गया।

okf"kd ; kst uk dks
gfcv's ku Lrj dh
vko' ; drkvka dk
vkdyu fd, fcuk
r\$ kj fd; k x; k

अभिलेखों में यह भी देखा गया कि 16 में से किसी भी जनपद में सीखने की उपलब्धि, ठहराव, पहुँच, लिंग समता इत्यादि से संबंधित यू पी एस स्तर पर आधार रेखा का निर्धारण, नहीं किया गया। अवशेष 54 जनपदों में भी संदर्श योजना को बनाने के लिए प्रारम्भिक क्रियाकलाप नहीं किये गये। इस प्रकार गाँव शिक्षा रजिस्टर और ठहराव रजिस्टर के माध्यम से हेबिटेसन स्तर पर बच्चों की पहचान और प्रगति पर निगाह नहीं रखी गयी।

एस आई एस ने (जून 2006) बताया कि एस एस ए के प्रथम चरण में आच्छादित 16 जनपदों में से 14 जनपद पूर्व में बेसिक शिक्षा परियोजना से आच्छादित थे। इन जनपदों में वर्ष 1999-2000 में किये गये अंतिम मूल्यांकन अध्ययन को एस एस ए की आधार रेखा के मूल्यांकन (बी ए एस) के रूप में माना गया। यह पुनः कहा गया (जनवरी 2006) कि ग्राम शिक्षा समिति स्तर पर अपर्याप्त क्षमता के कारण हेबिटेसन स्तर पर आधारित योजना बनाने में अधिक समय लगता है। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि आधार रेखा के मूल्यांकन का आंकड़ा केवल 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए था जिसमें 0 से 14 वर्ष के बच्चे आच्छादित नहीं थे। इसके अतिरिक्त, वी ई सी, एस एम सी, पी टी ए इत्यादि की सहभागिता के बिना ए डब्लू पी एण्ड बी का बनाया जाना कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के विपरीत था।

3-3-8 , l , l , ds var xr eq; vfhkuohdj . k mi k;

कार्यक्रम प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्ता जैसे ढाँचागत और सहायता सेवा में सुधार, अध्यापकीय गुण और अध्यापक मोटिवेशन, सेवा से पहले और सेवा अवधि में अध्यापक-शिक्षा, पाठ्यक्रम एवं अध्यापन/सिखाने के अधिगम उपकरण, छात्र शिक्षा, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण इत्यादि पर जोर देता है। इस संबंध में निम्न बिन्दु प्रकाश में आये:

3-3-8-1 v/; ki d Nk= vuq kr

v/; ki dka dh fu; qDr
ea foyEc , oa v/; ki dka
dh vl xr r\$ukrh ds
dkj . k 'k\$kd mi yfc/k
i hkkfor gpl

मानक के अनुसार, प्रत्येक 40 छात्रों पर एक अध्यापक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रभावी अध्यापन हेतु उपलब्ध कराया जाना था। राज्य स्तर पर 2002-06 की अवधि में अध्यापक छात्र अनुपात, (टी एस आर) पी एस एवं यू पी एस में निम्नवत् था:

l kj . kh&2

| o"kl | ih , l ea Vh , l vkj | ; wih , l ea Vh , l vkj |
|---------|----------------------|-------------------------|
| 2002-03 | 1 : 81 | 1 : 38 |
| 2003-04 | 1 : 75 | 1 : 39 |
| 2004-05 | 1 : 76 | 1 : 41 |
| 2005-06 | 1 : 64 | 1 : 45 |

¹ प्रथम फेज में आच्छादित

यू पी एस स्तर पर टी एस आर को कम या ज्यादा बनाये रखा गया किन्तु, प्राथमिक स्तर के टी एस आर में किसी प्रकार का महत्वपूर्ण सुधार वर्ष 2002-06 के दौरान नहीं आया। एस आई एस द्वारा (जून 2006) उत्तर में कहा गया कि टी एस आर में मार्च 2005 के बाद वर्ष 2004-05 के दौरान 33000 अध्यापकों और 44200 शिक्षा मित्रों एवं वर्ष 2005-06 में 65229 शिक्षा मित्रों का नियुक्ति किये जाने के फलस्वरूप महत्वपूर्ण सुधार हुआ।

3-3-8-2 v/; ki dka dh rkrh

एस एस ए दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक पी एस में कम से कम दो अध्यापक और यू पी एस में 3 अध्यापक होने चाहिए। पी एस से संबंधित वर्ष 2004-05 के ई एम आई एस आंकड़े में देखा गया कि अध्यापकों की विभिन्न विद्यालयों में तैनाती एस एस ए मानकों को दृष्टिगत रखते हुए नहीं की गयी। वर्ष 2005-06 में, 5270 पी एस और 6326 यू पी एस में एकल अध्यापक, तथा 130 पी एस और 109 यू पी एस अध्यापक विहीन थे। जबकि, 25718 पी एस और 5800 यू पी एस 4 से 7 अध्यापकों की तैनाती द्वारा चलाये जा रहे थे और 946 पी एस और 521 यू पी एस में 8 से 23 अध्यापक उपलब्ध थे। एस आई एस द्वारा (जून 2006) कहा गया कि जुलाई 2006 से पहले अध्यापकों की तैनाती के पुनर्गठन हेतु प्रयास किया जा रहा था। इस प्रकार विद्यालयों/खण्डों में टी एस आर में एकरूपता लाने के लिए अध्यापकों को तैनात न किये जाने से प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता विपरीत रूप से प्रभावित हुई जो कि जनपद स्तर पर स्कूलों के कमजोर नियोजन और प्रबन्धन को इंगित करती थी।

3-3-8-3 efgyk v/; ki d

कार्यक्रम में 50 प्रतिशत महिला अध्यापकों के रखने पर जोर दिया गया था। किन्तु वर्ष 2005-06 में पी एस एवं यू पी एस में महिला अध्यापकों का प्रतिशत क्रमशः 36 और 22 था। इस प्रकार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन पी ई) 1986 की संस्तुतियों के अंतर्गत महिला अध्यापकों की नियुक्ति द्वारा पुरुष एवं महिला अध्यापकों की नियुक्ति के असंतुलन को दूर करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका (मार्च 2006)। एस आई एस द्वारा कहा गया (जनवरी 2006) कि यह स्थिति धीरे-धीरे सुधरेगी, क्योंकि नई नियुक्तियों में स्वीकृत पदों का 50 प्रतिशत पद महिला अध्यापकों के लिए आरक्षित कर दिया गया था।

3-3-8-4 fo | ky; l s ckgj ds cPpka dk vkPNknu

एस एस ए का पहला और मुख्य उद्देश्य था कि हैबिटेसन जिनमें स्कूल न हो, स्कूल/शिक्षा गारन्टी योजना (ई जी एस) केन्द्र खोलकर सेतु पाठ्यक्रम व्यवस्थित करके, वापस स्कूल चलो शिविर आयोजित करके तथा अत्यन्त विशिष्ट, दुष्कर समूहों के बच्चों एवं मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाने वाले के लिये वैकल्पिक और नवचारी शिक्षा (ए आई ई) केन्द्रों को खोलकर सभी बच्चों को स्कूल में लाया जाय।

जांच में पाया गया कि वर्ष 2001-03 की अवधि में स्कूल से बाहर बच्चों की पहचान नहीं की गयी। किन्तु वर्ष 2003-06 के मध्य पारिवारिक सर्वेक्षण के आधार पर बच्चों की कुल प्रक्षेपित जनसंख्या के विरुद्ध स्कूल से बाहर के बच्चों की चिन्हित, नामांकित और छूटे बच्चों की स्थिति निम्नवत् थी:

fo | ky; l s ckgj
cPpka dks f' k{k
dh e[; /kkjk ea
ykus dh uhfr
i #kkoh ugha Fkh

I kj .kh&3

(I ; k yk[k e)

| o"kl | fpflgr | vkPNkfnr | NW x; s | Mki vkmV | 6&14 vk; q oxl ds cPpka dh tul ; k |
|---------|--------|----------|---------|----------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2003-04 | 40.59 | 35.10 | 5.49 | 19.07 | 348 |
| 2004-05 | 24.56 | 23.05 | 1.51 | 23.68 | 376 |
| 2005-06 | 25.19 | 24.14 | 1.05 | | 381 |

okf"kd ; kst uk
2006&07 e 14-3
yk[k cPpka ds
fo | ky; | l s ckgj
fn[kk; k x; k Fkk

इस प्रकार पूर्व वर्षों में नामांकन के लिए छूट गये बच्चों की संख्या से स्कूल के बाहर 19.07 लाख बच्चों का वर्ष 2004-05 में और 23.68 लाख बच्चों का वर्ष 2005-06 में अधिक नामांकन प्रदर्शित करता है कि या तो स्कूल से बाहर बच्चों की संख्या को कम करके आंकलित किया गया या फिर पर्याप्त संख्या में बच्चे ड्राप आऊट कर गये या फिर दोनों। इस तथ्य की पुष्टि इस बात से होती है कि पी ए बी¹ की 66वीं सभा (अप्रैल 2005) में एस आई एस द्वारा वर्ष 2005-06 के दौरान 56 लाख स्कूल से बाहर बच्चों के आच्छादन की योजना प्रस्तुत की गयी थी। वर्ष 2006-07 की अनुमोदित वार्षिक योजना के अनुसार मार्च 2006 के अंत में 14.30 लाख बच्चे स्कूल से बाहर थे। वर्ष 2003-06 की अवधि में पारिवारिक सर्वेक्षण में स्कूल से बाहर के चिन्हित बच्चों के आच्छादन में भी कमी इन वर्षों में ई जी एस/ए आई ई केन्द्रों के क्रमशः 47 प्रतिशत, 52 प्रतिशत, 22 प्रतिशत कम खोले जाने के कारण थी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

I kj .kh&4

| o"kl | b th , l @, vkb b d nka dks [kksys tkus dh y{; vkj mi yf/k] | | | | ; ksx | | deh |
|---------|--|---------|----------|---------|-------|---------|-----------|
| | b th , l | | , vkb b | | y{; | mi yf/k | |
| | y{; | mi yf/k | y{; | mi yf/k | | | |
| 2003-04 | 6020 | 4589 | 12066 | 4984 | 18086 | 9573 | 8513(47) |
| 2004-05 | 7534 | 4865 | 10375 | 3715 | 17909 | 8580 | 9329 (52) |
| 2005-06 | 6793 | 5697 | 5580 | 4069 | 12373 | 9766 | 2607 (22) |

ई जी एस/ए आई ई केन्द्रों के खोलने की इस हद तक की कमी दर्शाती थी कि विद्यालय से बाहर बच्चों का चिन्हीकरण कर उन्हें मुख्य धारा में लाने की विविधतापूर्ण रणनीति का पूरी तरह पालन नहीं किया गया जबकि एस एस ए का मुख्य उद्देश्य ऐसे बच्चों को 2005 तक आच्छादित करना था। एस आई एस द्वारा कहा गया (जनवरी 2006) कि स्कूल से बाहर बच्चों को ई जी एस/ए आई ई के माध्यम से आच्छादित किया जा रहा था। एस आर आई के सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार 34.10 लाख बच्चे अभी तक (फरवरी 2006) स्कूल से बाहर थे जोकि राज्य की शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के 6 से 14 आयु वर्ग के अनुमानित बच्चों की जनसंख्या के 8.3 प्रतिशत के बराबर थी। इसमें यह भी दर्शित था कि 34.31 प्रतिशत (11.70 लाख) और 45 प्रतिशत (15.36 लाख) स्कूल से बाहर बच्चे एस सी, एस टी और ओ बी सी श्रेणी से संबंधित थे। एस आर आई सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त सामाजिक रिक्तता के होते हुए भी स्कूल वापस चलो शिविर केवल 6.5 प्रतिशत पी एस एवं 11.3 प्रतिशत यू पी एस में आयोजित हुए थे।

¹ मानव संसाधन विकास मंत्रालय (भारत सरकार) के अंतर्गत प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड

3-3-8-5 ih , l @; wih , l dk fuekZk

राज्य सरकार के मानक के अनुसार हैबिटेसन जिसकी जनसंख्या 300 या उससे अधिक हो, पर एक पी एस होना चाहिए यदि 1.5 किमी की परिधि में कोई भी पी एस न हो। 800 या उससे अधिक की जनसंख्या पर एक यू पी एस अनुमन्य था यदि 3 किमी की परिधि में कोई यू पी एस न हो। 280.84 करोड़ रुपये 8957 पी एस और 430.63 करोड़ रुपये 12167 यू पी एस के निर्माण में व्यय किया गया जिसकी स्वीकृति वर्ष 2001-06 के दौरान दी गयी थी। वर्षवार निर्माण कार्यों की स्थिति अप्रैल 2006 को निम्नवत् थी:

l kj . kh&5

| o"Z | i kbejh Ldwy | | | mPp i kFkfed Ldwy | | |
|---------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| | Lohdr | i wZ | viwZ | Lohdr | i wZ | viwZ |
| 2001-02 | 516 | 512 | 4 | 450 | 449 | 1 |
| 2002-03 | 371 | 367 | 4 | 1767 | 1759 | 8 |
| 2003-04 | 3073 | 3046 | 27 | 5229 | 5155 | 74 |
| 2004-05 | 2576 | 2499 | 77 | 2413 | 2265 | 148 |
| 2005-06 | 2421 | 23 | 2398 | 2308 | 5 | 2303 |
| ; kx | 8957 | 6447 | 2510 | 12167 | 9633 | 2534 |

इस प्रकार 217.33 करोड़ रुपये लागत के 2510 पी एस (28 प्रतिशत) और 2534 यू पी एस (21 प्रतिशत) अपूर्ण रहे (अप्रैल 2006)। एस आर आई सर्वे के अनुसार 1.6 प्रतिशत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल कच्ची संरचनाओं में, 1 प्रतिशत प्राइमरी विद्यालय और 6.5 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय अर्ध पक्की संरचनाओं में संचालित थे और लगभग आधा प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों के पास कोई भी भवन नहीं था। ई एम आई एस आंकड़े भी यह परिलक्षित करते थे कि राज्य में कुल 95907 पी एस और 27750 यू पी एस में से 1578 पी एस और 164 यू पी एस बिना अपने भवनों के चल रहे थे जबकि 3495 पी एस (3.6 प्रतिशत) और 438 यू पी एस वर्ष 2005-06 के मध्य जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे।

धनराशि का देरी से निर्गमन, निर्माण स्थल के चयन में विलम्ब इत्यादि के कारण निर्माण कार्यों के वार्षिक लक्ष्य की प्राप्ति में विलम्ब हुआ जिससे बिना पहुँच वाले हैबिटेसन का समयबद्ध आच्छादन अवरुद्ध हुआ। एस आई एस द्वारा कहा गया (जून 2006) कि भारत सरकार द्वारा धनराशियों देर से अवमुक्त होने के फलस्वरूप वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हुयी।

3-3-8-6 i pfuekZk@vfrfjDr d{k fuekZk dk; l

पी एस/यू पी एस में बच्चों के ठहराव को सुधारने के लिए जीर्ण शीर्ण भवनों के पुर्ननिर्माण के साथ-साथ अतिरिक्त कक्षों के निर्माण की स्वीकृति वर्ष 2002-06 के दौरान दी गयी थी। वर्ष 2002-06 की अवधि में लक्ष्य एवं पूर्ति की स्थिति जिसका विस्तृत विवरण *ifj'k"V 3-3-3* में दिया गया है, से दर्शित था कि मार्च 2006 तक भवनों के पुनर्निर्माण में (38 प्रतिशत) और कक्षों के निर्माण में (69 प्रतिशत) की कमी थी।

जबकि, निर्माण कार्यों के पूर्ण/शुरुआत होने में विलम्ब के कारण वर्ष 2010 तक प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण का लक्ष्य प्रभावित रहा; निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखने के लिए किसी तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था न होने से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर कोई नियंत्रण नहीं था। कहीं भी अभिलेखों में यह स्थापित करने के लिए अंकित नहीं

था कि कोई भी तकनीकी व्यक्ति कभी भी निर्माण स्थल पर गया हो एवं कोई टिप्पणी अंकित की गयी हो। एस आई एस ने बताया (जून 2006) कि तीसरी पार्टी द्वारा सिविल कार्यों के पर्यवेक्षण का प्रस्ताव विचाराधीन था।

3-3-8-7 vll; cqu; knh l fo/kk, W

कार्यक्रम में विद्यालय व्यवस्था विकसित करने एवं प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया था। इसलिए, प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्ता प्राथमिकता के तौर पर बुनियादी ढांचो एवं सहायता सेवाओं पर निर्भर थी। फिर भी ई एम आई एस आंकड़ों में वर्ष 2005-06 की अवधि के 95907 पी एस और 27750 यू पी एस में बुनियादी सुविधाओं के अभाव की खामियां निम्नवत पाई गई :

l kj . kh&6

(l d; k e)

| Js kh | ih , l | ; wih , l |
|----------------------------|-------------|------------|
| शौचालय का न होना | 20604 (21%) | 4399 (16%) |
| पानी की अनुपलब्धता | 5168 (6%) | 3384 (12%) |
| भवनविहीन विद्यालय | 442 | 207 |
| ब्लैक बोर्ड विहीन विद्यालय | 466 | 348 |

योजना के कार्यान्वयन के पांच वर्षों के बाद भी पर्याप्त संख्या में पी एस और यू पी एस में शौचालयों और पानी की अनुपलब्धता और भवनविहीन एवं ब्लैक बोर्ड विहीन विद्यालयों का बना रहना एस एस ए के स्कूल वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्यों के लिए एक गंभीर आघात था। इसे इंगित किये जाने पर एस आई एस द्वारा बुनियादी सुविधाओं की रिक्तता को स्वीकार किया गया (जून 2006) और कहा गया कि केन्द्र पुरोनिधानित योजना 'सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम' की सहभागिता से मूलभूत सुविधायें जैसे शौचालय, हैण्डपम्प मुहैया कराने की व्यवस्था की जा रही थी।

3-3-8-8 fu% kYd ikB; i q rda

योजनान्तर्गत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरों पर सभी बालिकाओं और एस सी/एस टी बच्चों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक जिसकी ऊपरी सीमा 150 रुपये प्रति बच्चे थी, बॉटा जाना था। जाँच में पाया गया कि वर्ष 2001-02 के मध्य निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपरोक्त श्रेणी के बच्चों को नहीं बांटी गयी क्योंकि इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था। एस आई एस द्वारा बताया गया (जून 2006) कि बाद के वर्षों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रत्येक पात्र बच्चों को दी गयीं। फिर भी, एस आर आई के सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार केवल 86.8 प्रतिशत पी एस और 91.9 प्रतिशत यू पी एस द्वारा बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण की पुष्टि की गई और केवल 90.1 प्रतिशत पी एस और 90.3 प्रतिशत यू पी एस द्वारा निःशुल्क पुस्तकों को एस सी/एस टी बच्चों में वितरित करने की पुष्टि की गयी। जमीनी स्तर पर एस एस ए की पहुंच के मूल्यांकन के संबंध में सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि केवल 51.2 प्रतिशत बच्चों ने निःशुल्क पुस्तकों की प्राप्ति स्वीकार की तथा लगभग 92.2 प्रतिशत बच्चों ने सभी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की समय से प्राप्ति की पुष्टि की।

3-3-8-9 dEl; Wj f'k{kk ds vflkuo fØ; kdyki

अभिनव क्रियाकलाप के अंतर्गत वर्ष 2001-03 के ए डब्लू पी एण्ड बी में यू पी एस के बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा के लिए प्रत्येक जनपद में 15 लाख की लागत से 10.06 करोड़

dEl; Wj f'k{kk ds
vflkuo fØ; kdyki
; wih , l Lrj ij
eq; #i l sfo | q dh
i frz ea l eL; k gkus ds
dkj . k ugha fd; k tk
l dk

रुपये का प्रावधान किया गया था। फिर भी, अभिनव क्रियाकलापों के लिए कम्प्यूटर का क्रय, क्रय प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में विलम्ब के कारण प्रथम दो वर्षों में नहीं हो सका। परिणामस्वरूप, वर्ष 2001-03 की अवधि में जारी किये गये 10.06 करोड़ रुपये का उपयोग नहीं हो सका। भारत सरकार से वर्ष 2003-04 की अवधि में अभिनव क्रियाकलाप के लिए प्राप्त 35 करोड़ रुपयों में से 10.50 करोड़ रुपये प्रत्येक जनपद के लिए सहायक उपकरणों सहित 15 कम्प्यूटर क्रय करने के लिए 1 लाख रुपये प्रति कम्प्यूटर की एक समान दर से 70 जनपदों को जारी किया गया। जाँच में पाया गया कि यू पी एस के बच्चों हेतु कम्प्यूटर शिक्षा के अभिनव क्रियाकलापों को प्रारम्भ नहीं किया जा सका क्योंकि कम्प्यूटरों के अधिस्थापन हेतु बुनियादी सुविधा एवं विद्युत व्यवस्था नहीं थीं।

एस पी डी ने कहा कि (जनवरी 2006) वैकल्पिक उर्जा विकास एजेन्सी की सहभागिता से विद्युत समस्या का समाधान किया जा रहा था। फिर भी विद्युत आपूर्ति हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गयी (मार्च 2006) बावजूद इसके कि वर्ष 2005-06 में 10.70 करोड़ रुपये के आबंटन के सापेक्ष 4.88 करोड़ रुपये कम्प्यूटर सहायतित शिक्षा पर व्यय किया गया।

3-3-9 'k{k d Lrj dh xqkorrk vkj 'kks/k fodkl

3-3-9-1 l d k/ku l gk; rk , oa {kerk l o/kU

राज्य स्तर पर एस सी ई आर टी एवं जनपद स्तर पर डायट के मुख्य क्रियाकलाप प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता संवर्धन, अध्यापक प्रशिक्षण, बहुस्तरीय शिक्षण हेतु स्वतः अधिगमिय सामग्री का विकास, प्रशिक्षण पैकेजों का विकास, क्षमता संवर्धन, शोध एवं मूल्यांकन/आंकलन का अध्ययन इत्यादि थे। कार्यक्रम के क्रियान्वयन में प्राथमिकता के आधार पर संस्थानिक क्षमता संवर्धन हेतु इन संस्थाओं को पूर्णरूप से संचालित किया जाना था फिर भी, राज्य स्तर पर एस सी आर टी और जिला स्तर पर मौजूद डायट की क्षमता उन्मुखता एवं प्रशिक्षण अधोसंरचना का सर्वे नहीं किया गया।

एस सी ई आर टी को वर्ष 2003-04 में उपलब्ध कराये गये 1.12 करोड़ रुपये में से मात्र 42.70 लाख रुपये (38 प्रतिशत) का उपयोग शोध, मूल्यांकन एवं डायट के विकास को सम्मिलित करते हुए परियोजना पूर्व क्रियाकलाप पर किया गया तथा 69.38 लाख रुपये को समर्पित कर दिया गया। परियोजना प्रारम्भ से पूर्व के क्रियाकलाप, जैसे यू पी एस हेतु विज्ञान और गणित की शिक्षक गाइड (लागत : 22.29 लाख रुपये) की छपाई का कार्य नहीं किया गया तथा डायट के शोध प्रशिक्षण एवं विकास के लिए प्राप्त 31.31 लाख रुपये में से केवल 84000 रुपये का व्यय किया जा सका। एस सी ई आर टी द्वारा बताया गया (जुलाई 2005) कि एस सी ई आर टी और डायट के कर्मचारियों का सरकारी आदेशों के तहत अध्यापकों के चयन प्रक्रिया में व्यस्तता के कारण एस एस ए अंतर्गत निर्दिष्ट क्रियाकलाप निष्पादित नहीं किये जा सके।

3-3-9-2 i f'k{k.k fØ; kdyki

वर्ष 2001-04 के दौरान जबकि, एस सी ई आर टी के कर्मचारियों के अशैक्षिक क्रियाकलाप में तैनात रहने के कारण राज्य स्तर पर कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं कराये जा सके, जनपद स्तर पर डायट ने केवल मास्टर ट्रेनर्स एवं पराशिक्षकों को आंशिक रूप से प्रशिक्षित किया। खण्ड/तहसील स्तर पर अध्यापकों/वी आर सी तथा अन्य का प्रशिक्षण बुनियादी सुविधाओं की पर्याप्तता जैसे-प्रशिक्षण हाल की क्षमता एवं उपलब्धता, प्रशिक्षणार्थियों के ठहरने की सुविधा इत्यादि सुनिश्चित किये बिना आयोजित किया गया।

Mk; Vka ea v/; ki dka dh
deh ds dkj .k i f' k{k.k
fØ; kdyki ea egROI w kZ
deh vkbZ

डायट द्वारा, जो कि प्रशिक्षण एवं पर्यवेक्षण क्रियाकलापों को करती थी, अध्यापन कर्मचारियों की राज्य स्तर पर कमी¹ रहने के कारण अपनी गतिविधियों को केवल पराशिक्षकों और मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के क्रियाकलाप तक सीमित रखी गयी। अतः शैक्षणिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता का स्तर विपरीत रूप से प्रभावित हुआ।

3-3-9-3 f'k{kdk dk i f'k{k.k

शिक्षक शिक्षण योजनान्तर्गत सभी अध्यापकों के लिए प्राविधानित प्रति वर्ष 20 दिन की सेवाकालीन पाठ्यक्रम, अप्रशिक्षित अध्यापकों को 60 दिन का पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और नव प्रशिक्षित भर्ती वाले शिक्षकों के लिए 30 दिन का दिशा-अनुकूलन प्रशिक्षण राज्य स्तर पर एस सी ई आर टी और जिला स्तर पर डायटों द्वारा दिया जाना था। वर्ष 2004-05 के दौरान प्रशिक्षण क्रियाकलापों की वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि निम्नवत् थीं:

l kj . kh&7

| fooj.k | Js kh | o'kz 2003&04 ds 'k'sk l fgr , M Cywih , .M ch | | mi yf/k | |
|---|----------|--|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| | | Hkk&rd (l [; k) | foRrh; (djkM+ #i ; se) | Hkk&rd (Lk [; k) | foRrh; (djkM+ #i ; se) |
| सेवा कालीन अध्यापकों को प्रशिक्षण | पी एस | 326269 | 44.84 | 181895 | 6.36 |
| | यू पी एस | 86969 | 12.18 | 56761 | 12.22 |
| नव प्रशिक्षित भर्ती वाले शिक्षकों का दिशा अनुकूलन प्रशिक्षण | पी एस | 76004 | 14.62 | 50881 | 10.20 |

जॉच में पाया गया कि मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा वर्ष 2004-05 के दौरान मानक के अनुसार 20 दिन की सेवाकालीन प्रशिक्षण के विरुद्ध पी एस एवं यू पी एस अध्यापकों के लिए औसतन 11 दिन का प्रशिक्षण खण्ड स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स द्वारा दिया गया और वर्ष 2004-05 के 4.02 लाख अध्यापकों के प्रशिक्षण के लक्ष्य के विरुद्ध केवल 2.33 लाख पी एस के अध्यापक (58 प्रतिशत) प्रशिक्षित किये गये। राज्य स्तर पर वर्ष 2001-04 की अवधि में भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि सहित प्रशिक्षण क्रियाकलापों का जनपदवार एवं घटकवार विवरण का रख-रखाव नहीं किया गया था। एस आई एस द्वारा कहा गया (जनवरी 2006) कि वर्ष 2005-06 में 20 दिन का सेवा कालीन प्रशिक्षण दिलाने का प्रयास किया जा रहा था। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि वर्ष 2005-06 में भी प्रशिक्षण की अवधि को और घटाकर औसतन केवल 4 दिन करके अध्यापकों के प्रशिक्षण के वार्षिक लक्ष्य क्रमशः पी एस 3.92 लाख एवं यू पी एस 0.82 लाख के विरुद्ध केवल पी एस 2.05 लाख एवं 0.81 लाख यू पी एस के अध्यापकों (60 प्रतिशत) को प्रशिक्षण दिया गया। अतः सहयोगी संस्थाओं का नये भर्ती किये गये अध्यापकों के प्रशिक्षण कार्य में पूर्व से लगे रहने के कारण प्रशिक्षण कार्यक्रम का कम आच्छादन हो सका, जिसके कारण प्रभावी अध्यापन सीखने की पद्धति द्वारा उपयोगी एवं उपयुक्त शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य प्रभावित हुआ।

3-3-9-4 l kenkf; d urkvka dk i f'k{k.k

योजना के अंतर्गत एक गाँव के अधिकतम 8 व्यक्तियों को सामुदायिक नेता के रूप में एक वर्ष में दो दिन का प्रशिक्षण प्रदान किया जाना था। संज्ञान में आया कि मार्च 2005 तक

¹ रिक्त पद प्रधानाचार्य: 32, उप प्रधानाचार्य: 30 और वरिष्ठ प्रवक्ता: 335, स्वीकृत पद संख्या क्रमशः 70,70 और 420 के विरुद्ध

4.64 लाख सामुदायिक नेताओं के प्रशिक्षण के लक्ष्य के विरुद्ध केवल 2.58 लाख सामुदायिक नेताओं को प्रशिक्षण दिया जा सका। प्रशिक्षण मैनुअल के अंतिम रूप देने, शहरी क्षेत्रों में वार्ड शिक्षा समितियों के गठन, वी ई सी के सुदृढीकरण और न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों (एन पी आर सी) के समन्वयक¹ के चयन इत्यादि में विलम्ब होने के कारण 70 जनपदों में से 36 जनपदों (51 प्रतिशत) का वी ई सी प्रशिक्षण नहीं किया जा सका। सामुदायिक नेताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने में कमी के कारण समुदायों के गुणवत्ता उन्मुख सहभागी प्रक्रिया द्वारा विद्यालयों के नियोजन कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण तथा उनके निष्पादन का स्तर प्रभावित हुआ। उत्तर में एस आई एस ने बताया (जनवरी 2006) कि वर्ष 2004-05 में पंचायत चुनावों के कारण सामुदायिक नेताओं को प्रशिक्षण नहीं दिया जा सका। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि पंचायत चुनाव अगस्त 2005 में हुए थे। नये सामुदायिक नेताओं का प्रशिक्षण वर्ष 2005-06 की अवधि में भी पंचायत चुनावों के बाद नहीं हुआ। एस आर आई सर्वे (फरवरी 2006) के भी अनुसार लगभग 60 प्रतिशत स्कूलों में, सामुदायिक सदस्य एस एस ए के अंतर्गत प्रशिक्षित थे।

3-3-9-5 I dy ukekadu vuq kr] 'kq) ukekadu vuq kr vkj Bgjkko nj

ih ,l ea ukekadu
ds mijkr Bgjkko
ea deh vkj ;w
ih ,l ea de
ikj xeu ,d l Ec)
ogr {ks= Fkk

विद्यालय व्यवस्था में बच्चों का सकल नामांकन अनुपात (जी ई आर), शुद्ध नामांकन अनुपात (एन ई आर) और ठहराव दर (आर आर) योजना के परफार्मेन्स सूचक हैं। प्राथमिक/प्रारंभिक विद्यालय पर जनसंख्या के सापेक्ष प्राथमिक/प्रारंभिक शिक्षा स्तर के कुल नामांकन के प्रतिशत को जी ई आर कहते हैं और लक्षित बच्चों की जनसंख्या के सापेक्ष नामांकन के प्रतिशत को एन ई आर कहते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन तथा प्रशासन संस्थान (एन आई ई पी ए) द्वारा भारत की प्रारंभिक शिक्षा पर प्रकाशित राज्य प्रतिवेदन कार्ड (एस आर सी) 2005 के प्रतिवेदन में राज्य की जी ई आर, एन ई आर और ठहराव दर (आर आर) निम्न प्रकार से था :

I kj . kh&8

| | th bl vkj | , u bl vkj | vkj vkj |
|---------------|-----------|------------|----------|
| प्राथमिक | 98.33 | 90 | 51.12 |
| उच्च प्राथमिक | 34.05 | 27.73 | अप्राप्त |

इस प्रकार, पी एस के बच्चों के नामांकन के पश्चात ठहराव में महत्वपूर्ण कमी (49 प्रतिशत) एवं पी एस से यू पी एस में लगभग 66 प्रतिशत पारगमन की कमी एस एस ए के कम निष्पादन को इंगित करती थी।

इंगित करने पर एस आई एस ने कहा (जून 2006) कि ई एम आई एस के आंकड़ों में प्राइवेट विद्यालयों की स्थिति सम्मिलित नहीं थी एवं वास्तविक पारगमन दर ई एम आई एस में प्रदर्शित आंकड़े से अधिक था। किन्तु किसी समानान्तर अध्ययन/प्रतिवेदन के आधार पर वास्तविक पारगमन दर नहीं उपलब्ध करायी गयी। इसके अलावा एस आर आई के सर्वे रिपोर्ट से भी ज्ञात हुआ कि विद्यालय में नामांकन के पश्चात 31.29 लाख बच्चों विद्यालय छोड़ दिये जबकि 2.81 लाख बच्चों का नामांकन कभी हुआ ही नहीं (फरवरी 2006)। प्राथमिक विद्यालय स्तर पर उच्च ड्राप आऊट दर यह प्रदर्शित करती थी कि यू ई ई की लक्ष्य पूर्ति हेतु जमीनी स्तर पर पी आर आई, एस एम सी और सामुदायिक नेताओं की सहभागिता के प्रयास प्रभावी नहीं थे।

¹ बी आर सी को राज्य में एन पी आर सी कहा जाता है

3-3-9-6 I d k/ku xqj ka }kjk 'kks'k] eW; kadu vksj vuqJo.k

सीमेट और एस सी ई आर टी प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, भारत सरकार, विश्वविद्यालयों, स्वयं सेवी संस्थाओं (एन जी ओ) इत्यादि के विशेषज्ञों द्वारा संस्तुति किये गये विषयों पर शोध कार्य हेतु प्राधिकृत संस्थाएं थीं। वर्ष 2004-05 हेतु ए डब्लू पी एण्ड बी में प्रावधानित, 15.62 करोड़ रुपये और वर्ष 2005-06 हेतु 8.91 करोड़ रुपये में से केवल 4.89 करोड़ रुपये¹ (31 प्रतिशत) और 3.59 करोड़ रुपये (40 प्रतिशत) शोध, मूल्यांकन, अनुश्रवण और सर्वेक्षण (आर ई एम एस) पर व्यय किया गया। नमूना जांच के आधार पर शिक्षा मित्रों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं उसके प्रभाव, सहायता एवं सहयोगी सामग्री, नामांकन दर, ड्राप आउट, पहुँच और पी एस और यू पी एस में विद्या अध्ययन की पहुँच एवं गुणवत्ता इत्यादि विषयों से सम्बंधित वर्ष 2004-05 की अवधि में लिये गये दस अध्ययन कार्य फरवरी 2005 तक अपूर्ण रहे। इस लिए वर्ष 2005-06 के ए डब्लू पी एण्ड बी को तैयार करने में इन वृत्तांतों के प्रभाव के मूल्यांकन एवं निष्कर्षों को ध्यान में नहीं रखा गया। इसके बाद, वर्ष 2005-06 में प्रारम्भ किये गये 12 में से 11 अध्ययन वर्ष 2006-07 के ए डब्लू पी एण्ड बी को अंतिम रूप से तैयार किये जाने तक पूर्ण नहीं किये गये। एस आई एस ने बताया (जनवरी 2006) कि आगे के वर्षों के ए डब्लू पी एण्ड बी को जब तैयार किया जायेगा तो उसमें शोध अध्ययनों के निष्कर्षों को ध्यान में रखा जायेगा। इस प्रकार, इन अध्ययनों के आधार पर आवश्यकता आधारित नियोजन तैयार करने के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई।

3-3-9-7 I h[kus dh mi yfC/k dk eW; kadu

एस एस ए का विशेष जोर पाठ्यचर्चा, बच्चों को केन्द्र बिन्दु में रखकर क्रियाकलापों को प्रारम्भ करके तथा शिक्षण से सीखने की प्रभावी रणनीति बनाकर प्रारम्भिक स्तर पर शिक्षा को उपयोगी एवं प्रासंगिक बनाने पर दिया गया है। जाँच में पाया गया कि एस आई एस द्वारा (मार्च 2006) मूल स्तर पर बच्चों के ज्ञानार्जन उपलब्धि का आंकलन स्वतंत्र सर्वेक्षण विशेषज्ञ अभिकरणों/संस्थाओं के माध्यम से नहीं कराया गया। फिर भी, प्रथम रिसोर्स केन्द्र, मुम्बई के एनुअल स्टेट्स आफ एजुकेशनल रिपोर्ट (जनवरी 2006) में प्रकाशित लाभार्थी सर्वेक्षण परिणाम से प्रकाश में आया कि बच्चों के सीखने के स्तर के मामले में राज्य नीचे के पाँच राज्यों में था क्योंकि कक्षा-पाँच के 68.2 प्रतिशत बच्चे अंकगणित में भाग नहीं कर सकते थे जबकि उसी कक्षा के 50.5 प्रतिशत बच्चे लम्बे वाक्य पढ़ने में असमर्थ थे। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा पर अत्यधिक निधि लगाये जाने के बावजूद एस एस ए के अंतर्गत उपयोगी शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य दांव पर लगा हुआ था।

3-3-10 fo'k's'k d'fUnr I epk; ka dk vkPNknu

एस एस ए के अन्तर्गत बालिकाओं की शिक्षा विशेष रूप से जो एस सी, एस टी और अल्पसंख्यकों से संबंधित थी, प्रमुख विषयों में से एक बनाया गया था। इसके अतिरिक्त, योजना के अंतर्गत शैक्षिक प्रक्रिया में एस सी/एस टी, अल्पसंख्यकों, नगरीय क्षेत्र के शिक्षा से वंचित, अन्य लाभ से वंचित समुदायों के और विशेष जरूरत वाले इत्यादि बच्चों को सम्मिलित एवं सहभागी बनाने हेतु भी जोर दिया गया था। विद्यालय पूर्व शिक्षा को सहयोग देने हेतु प्रारंभिक शिशु देखभाल और शिक्षा (ई सी सी ई) को भी एस एस ए का भाग बनाया गया। नवचारी क्रियाकलापों द्वारा बालिका शिक्षा, ई सी सी ई तथा एस सी/एस टी श्रेणी के बच्चों के लिए हस्तक्षेपीय उपायों से आच्छादित किया जाना था।

¹ 2002-03: 1.18 करोड़ रुपये, 2003-04: 0.51 करोड़ रुपये और 2004-05: 3.20 करोड़ रुपये

इसके लिए योजनान्तर्गत प्रत्येक जिले में प्रति हस्तक्षेपीय क्रियाकलाप के लिए प्रति वर्ष 15 लाख रुपये तक का प्रावधान उस वर्ष में 50 लाख रुपये तक की सीमा तक अनुमन्य था।

3-3-10-1 uopkjh dk; ldyki

vud fpr tkfr vkj tutkfr ds cPpka , oa ckfydkvka dh f' k{k

बालिका शिक्षा के अंतर्गत मुख्यतः एस सी/एस टी श्रेणी की बालिकाओं के लिए नवचारी कार्यक्रमों के द्वारा मुख्य रूप से नामांकन और बच्चों को शिक्षा में बनाये रखने का अभियान चलाकर, विशेष शिविर एवं सेतु कार्यक्रम संचालित करके वैकल्पिक स्कूलों के विशेष माडलों की स्थापना करके सामुदायिक गतिशीलता, उपचारात्मक/कोचिंग कक्षाएं इत्यादि, आयोजित करके लिंग भेद की समस्या का निदान करना था। वर्ष 2001-06 की अवधि में शिक्षा से वंचित बालिकाओं को जो मुख्य रूप से एस सी/एस टी श्रेणी की थीं, को केन्द्रित करके न तो कोई रणनीति बनाकर आच्छादित किया गया और न ही कोई कार्यक्रम विशेष रूप से उनके चिन्हीकरण एवं मुख्य धारा में लाने के लिए प्रारंभ किया गया। यद्यपि बालिका शिक्षा हेतु 3.34 करोड़ रुपये मीना मंच¹, कला जत्था² के आयोजन पर व्यय किया गया परन्तु उनके चिन्हीकरण एवं मुख्य धारा में लाये जाने वाले क्रियाकलापों के प्रभावों का मूल्यांकन मार्च 2006 तक नहीं किया गया।

vud fpr tkfr@tutkfr ds cPpka dk eq; /kkjk ea yuk

वर्ष 2002-04 की अवधि में 519 अनावासीय शिविरों के आयोजन द्वारा 20600 एस सी/एस टी बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लक्ष्य के विरुद्ध केवल 15892 बच्चों (77 प्रतिशत) का आच्छादन 397 शिविरों के माध्यम से 2.65 करोड़ रुपये व्यय करके किया गया। फिर भी राज्य स्तर पर वास्तविक रूप से शिक्षा की मुख्य धारा में लाये गये बच्चों की संख्या उपलब्ध नहीं थी। इसी क्रम में वर्ष 2005-06 में इस कार्य के लिए 3.50 करोड़ रुपये के अनुमोदन के बाद भी किसी भी जनपद में कोई क्रियाकलाप नहीं किया गया। नमूना जॉच हेतु चयनित जनपदों में देखा गया कि शिविरों के आयोजन के फलस्वरूप बच्चों को मुख्य धारा में लाने के सूचक संबंधी अभिलेख मौजूद नहीं थे। एस आई एस द्वारा कहा गया (जनवरी 2006) कि शैक्षिक व्यवस्था की मुख्य धारा में लाये गये बच्चों की स्थिति का संकलन किया जा रहा था।

3-3-10-2 fo'k'k t#jr okys cPpa

एस एस ए योजना के ढांचे के अनुसार विशेष आवश्यकताओं वाले प्रत्येक बच्चे (सी डब्लू एस एन) को, भले ही उसकी विकलांगता की किस्म, श्रेणी और मात्रा कितनी भी हो, उपयुक्त वातावरण में शिक्षा प्रदान की जानी थी। एस एस ए को शून्य प्रत्यादेश की नीति का पालन करना था, जिससे कि कोई बच्चा शिक्षा प्रणाली से बाहर न रह जाए। कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शीघ्र खोज एवं पहचान और उनका स्कूलों में संस्थागत स्थापन सहायक उपकरणों की आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष उपकरणों सहित सहायता और उपकरणों के प्रबन्ध के साथ-साथ पठन-पाठन सामग्री इत्यादि उपलब्ध कराना था। एस एस ए के अंतर्गत समेकित रूप से सी डब्लू एस एन बच्चों को लाये जाने हेतु 1200 रुपये प्रति छात्र की दर से प्रावधान था। वर्ष 2002-06 के दौरान एस आई एस द्वारा सी डब्लू एस एन के आच्छादन हेतु अनुमोदित 75.59 करोड़ रुपये में से

¹ लड़कियों के लिए संकेत एवं बालिका शिक्षा हेतु प्रवक्ता

² बालिका शिक्षा एवं उनके ठहराव के विचार पर स्थानीय समूहों द्वारा विकसित कहानी की पटकथा

39.56 करोड़ रुपये का व्यय किया गया। सी डब्लू एस एन के वर्ष 2002-06 के दौरान प्राथमिक विद्यालयों में चिन्हीकरण और अंगीकरण की स्थिति निम्नवत् थी:

rkfydk&9

| o"lz | fpflgr cPpka dh l q; k | i kFkfed f'k{k{kk ea vxhd'r cPps (i fr'kr) |
|---------|------------------------|--|
| 2002-03 | 24560 | 17559 (73.28) |
| 2003-04 | 247063 | 213822 (86.55) |
| 2004-05 | 263060 | 240923 (91.58) |
| 2005-06 | 276560 | 244337 (88.34) |

यद्यपि विद्यालय व्यवस्था में बच्चों के अंगीकरण में वर्ष 2002-03 के 73 प्रतिशत से वर्ष 2004-05 में 92 प्रतिशत का महत्वपूर्ण सुधार हुआ लेकिन वर्ष 2005-06 में यह कम होकर 88 प्रतिशत हो गया। उपलब्धि में दर्शाये गये महत्वपूर्ण बदलाव के बावजूद, इस वर्ग के लिए 426 इटीनरेन्ट अध्यापकों¹ के लक्ष्य के विरुद्ध वर्ष 2005-06 में केवल 243 अध्यापकों की नियुक्ति की गयी। इस प्रकार इटीनरेन्ट अध्यापकों के बिना सी डब्लू एस एन छात्रों का स्कूल व्यवस्था में अंगीकरण कार्यक्रम के उद्देश्य को मुश्किल से पूरित करती थी।

3-3-10-3 i kFkfed Lrj ij ckfydkvka dh f'k{k{kk dk jk"Vh; dk; Øe

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2003-04 में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े खण्डों (ई बी बी) में जहाँ ग्रामीण महिलाओं का साक्षरता दर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम हो, को आच्छादित करने के लिए प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन पी ई जी ई एल) प्रारम्भ किया गया। एन पी ई जी ई एल की धनराशि को जिलों में कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु महिला सामाख्या समिति (एम एस) को दिया जाना था बशर्ते वहां पर ये समितियां संचालित हों और एम एस कार्यक्रम के साथ सम्बद्ध हों। वर्ष 2003-06 के दौरान एन पी ई जी ई एल के लिए अनुमोदित वार्षिक योजना की स्थिति, अवमुक्त धनराशि एवं उसके विरुद्ध वास्तविक व्यय का विवरण निम्नवत् था:

rkfydk&10

| o"lz | vupkfnr ifj0; ; | voeDr /kujkf'k | 0; ; |
|---------|-----------------|----------------|---------------|
| | (djkM+ #i ; se) | | |
| 2003-04 | 36.29 | 9.06 | 4.45 |
| 2004-05 | 137.78 | 40.00 | 38.67 |
| 2005-06 | 184.33 | 184.32 | 151.66 |
| ; ksx | 358.40 | 233.38 | 194.78 |

वर्ष 2003-06 के दौरान भारत सरकार द्वारा 358.40 करोड़ रुपये के अनुमोदित वार्षिक कार्य योजनाओं के विरुद्ध केवल 233.38 करोड़ रुपये एन पी ई जी ई एल के अंतर्गत जारी किया गया। उक्त अवधि में केवल 12 जिलों² में संचालित एम एस कार्यक्रम हेतु 4.67 करोड़ रुपये महिला सामाख्या समिति (समिति) को अवमुक्त किया गया। जाँच में पाया कि वर्ष 2003-05 की अवधि में धनराशि उपलब्ध होते हुए भी समिति द्वारा समुदायों को गतिशील करने में कुछ भी व्यय नहीं किया गया। वर्ष 2005-06 में भी अध्यापकों के प्रशिक्षण, माँ और अध्यापक संघ इत्यादि पर कुछ भी व्यय नहीं किया गया। वर्ष के दौरान 2.25 करोड़ रुपये व्यय करने के बावजूद चिन्हित 118358 बालिकाओं में से केवल 66216

¹ इटीनरेन्ट अध्यापक जिन्हें विकलांग बच्चों को पढ़ाने का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त होता है

² सहारनपुर, चित्रकूट, वाराणसी, इलाहाबाद, सीतापुर, औरैया, गोरखपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, मुजफ्फर नगर, मऊ, और मथुरा

बालिकाओं (56 प्रतिशत) को गणवेश एवं अभ्यास पुस्तकों की आपूर्ति की गई। चिन्हीकृत क्रियाकलापों के विरुद्ध कम निष्पादन होने के बावजूद समिति को कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी नहीं बनाया गया।

fu"iknu ea
deh , oa /kujkf'k
nj l s voePr
fd; s tkus ds
dkj .k ; kst uk
i Hkkfor gpl

58 जिलों के डी पी ओ को ए डब्लू पी एण्ड बी के अंतर्गत अनुमोदित योजना के कार्यकलापों के क्रियान्वयन हेतु धनराशियाँ अवमुक्त की गयी। ये कार्यकलाप आंशिक रूप से क्रियान्वयित किये गये जिसका विवरण *ifff'k"V&3-3-4* में दिया गया है। बच्चों के देखभाल केन्द्र खोलने में वर्ष 2003-04 में 84 प्रतिशत एवं वर्ष 2004-05 में 90 प्रतिशत की कमी पायी गई और वर्ष 2004-06 के दौरान समुदाय की गतिशीलता के लिए कोई कार्यकलाप नहीं किये गये। वर्ष 2004-06 की अवधि में निर्माण कार्यों, एम सी एस का निर्माण और पुस्तकालय इत्यादि को छोड़कर दूसरे कार्यकलापों में उपलब्धि कम रही। पुनश्च, वर्ष 2004-05 के दौरान शहरी क्षेत्रों के 1501 विद्यालयों द्वारा 3.76 लाख बालिकाओं के आच्छादन किये जाने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु योजना प्रारंभ नहीं की जा सकी।

मार्च 2006 तक योजना के कार्यकलापों का आच्छादन 194.78 करोड़ रुपये व्यय करने के उपरान्त भी बुरी तरह प्रभावित रहा। एस आई एस ने माना (जनवरी 2006) कि धनराशि की अपर्याप्तता एवं विलम्ब से निर्गमन के कारण कार्यक्रम प्रभावित हुआ। इस प्रकार उच्च प्राथमिकता वाले क्रियाकलापों के अपर्याप्त निष्पादन के कारण ई बी बी के स्कूल से बाहर बालिकाओं को सतत अध्ययन हेतु समयबद्ध तरीके से मुख्य धारा में लाने का उद्देश्य विफल रहा।

3-3-11 Lo; d dh l lFkkvka ¼, u th vk½ dh Hkfedk

समुदाय एवं संस्थाओं में क्षमता विकास के क्षेत्र में एस एस ए के अंतर्गत एन जी ओ की भागीदारी की अनुनादी कल्पना ध्यान में रखी गयी है। एस एस ए के अन्तर्गत क्रियाकलापों का शोध, मूल्यांकन और अनुश्रवण एन जी ओ के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित था।

जबकि, वर्ष 2001-03 के दौरान ई जी एस/ए आई ई को एन जी ओ द्वारा चलाये जाने का कोई लक्ष्य नियोजित नहीं किया गया था, वर्ष 2003-05 के दौरान एन जी ओ के माध्यम से असेवित बस्तियों के स्कूल से बाहर के बच्चों का शिक्षार्थ समाकलन किये जाने के उद्देश्यों की भी पूर्ति नहीं हो सकी। 1.51 लाख बच्चों के आच्छादन के विरुद्ध केवल 11671 (8 प्रतिशत) का आच्छादन किया गया। उत्तर में एस आई एस द्वारा बताया गया (जून 2006) कि इन क्रियाकलापों के लिए अपर्याप्त प्रतिदान होने के कारण एन जी ओ इन केन्द्रों को चलाने हेतु अनिच्छुक थे। एन जी ओ को न तो सहभागी प्रक्रिया द्वारा हैबिटेसन स्तर की योजना बनाने में सम्मिलित किया गया और न ही स्कूल से बाहर बच्चों के आच्छादन हेतु प्रभावी तरीके से सम्मिलित किया गया। अध्यापन-विद्या, नियोजन एवं क्रियान्वयन हेतु समुदायों का गठन, लिंग विषय, इत्यादि क्रियाकलापों का आच्छादन एन जी ओ के माध्यम से नहीं किये गये थे।

3-3-12 vkUrfjd ys[kki jh{k

एस एस ए के दिशानिर्देशों के अनुसार निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एस आई एस द्वारा उचित आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली विकसित करना और आन्तरिक जाँच को पुष्ट किया जाना था। डी पी ओ और उप जनपदीय यूनिट का चयन प्रतिशत आधार पर इस प्रकार किया जाना था कि सभी जिले एवं उप जनपदीय इकाईयों की कम से कम तीन वर्षों में एक बार अवश्य आन्तरिक लेखा परीक्षा की जा सके। यह

देखा गया कि धनराशियों के उचित उपभोग एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन संस्थाओं को विभिन्न नियंत्रक अभिलेख बनाने में सहायता देने हेतु आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली का विकास एस आई एस द्वारा नहीं किया गया था। उत्तर में एस आई एस ने कहा (जून 2006) कि आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन था।

3-3-13 fu"d"kl

योजना को राज्य में समुदाय की गतिशीलता एवं पारिवारिक सर्वेक्षण द्वारा हैबिटेेशन स्तर पर योजना तैयार किये बिना ही कार्यान्वित किया गया। वार्षिक कार्य योजनाएं एवं बजट को विलम्ब से एवं ग्राम शिक्षा समितियों, विद्यालय प्रबन्धन समितियों और अभिभावक-अध्यापक संघ को सम्मिलित किये बिना बनाये गये थे। प्राथमिक विद्यालय स्तर पर अध्यापक विद्यार्थी अनुपात मानक के अनुसार नहीं प्राप्त किये गये और स्कूल से बाहर बच्चों की संख्या 14.30 लाख थीं जबकि कार्यक्रम 5 वर्ष से संचालित था। अध्यापकों की असंगत तैनाती की गई थी जैसे कुछ विद्यालयों में अधिक अध्यापक थे एवं अन्य में कम अध्यापक थे। प्राथमिक स्तर पर उच्च ड्रॉप आउट दर तथा पी एस से यू पी एस में पारगमन दर में महत्वपूर्ण कमी, योजना के उद्देश्यों के लिए गंभीर खतरा था। विद्यालय स्तर पर बुनियादी सुविधाओं जैसे स्कूल भवन, अतिरिक्त अध्ययन कक्ष, प्रसाधन, जल व्यवस्था इत्यादि की कमी वर्ष 2010 तक यू ई ई प्राप्ति की प्रक्रिया को क्षीण करने वाली थी। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता बहुत ही खराब थी तथा प्रदेश, देश के निचले पांच प्रदेशों में से था। अतः सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन में दुलमुल तरीका अपनाये जाने के कारण राज्य में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता एवं शैक्षिक स्तर पर योजना ऐच्छिक प्रभाव डालने में असफल रही।

3-3-14 l lrf; kw

- पी आर आई, वी ई सी, एस एम सी, पी टी एस और एन जी ओ को कार्यक्रम के क्रियान्वयन और अनुश्रवण तथा नियोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अभिप्रेरित किया जाना चाहिए।
- जनपद के अंतर्गत टी एस आर की असमानता दूर करने के लिए अध्यापकों की युक्तियुक्त नियुक्ति की जानी चाहिए।
- स्कूल से बाहर बच्चों पर ध्यान केन्द्रित किया जाना एवं वास्तविकता के आधार पर उनकी संख्या का अनुमान कर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में लाना आवश्यक था।
- यू पी एस स्तर तक बच्चों के ठहराव एवं पी एस से यू पी एस को पारगमन में भारी ड्रॉप आउट को रोकने के लिए स्टेक होल्डर्स के मध्य जागरूकता पैदा करने को केन्द्र में रखकर रणनीति बनानी चाहिए।
- विशेष फोकस समुदाय के बच्चों के लिए अभिनवी उपायों का लक्ष्य उन्हें समयबद्ध तरीके से शिक्षा की मुख्य धारा में लाना, होना चाहिए।

शासन द्वारा समीक्षा के लिए (2004-05) जनवरी 2006 तथा जून 2006 में उपलब्ध कराये गये उत्तर को उपयुक्त स्थान पर सम्मिलित किया गया। वर्ष 2005-06 तक अद्यतन की समीक्षा शासन को नवंबर 2006 में संदर्भित की गयी। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसंबर 2006)।

[kk | rFkk j | n-foHkkx

3-4 [kk | l j {kk} | fcl Mh , oa [kk | kUu i xU/ku

विकेन्द्रीकृत उद्ग्रहण योजना का क्रियान्वयन राज्य में खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा 1999-2000 से किया गया। भारत सरकार द्वारा इस योजना को वर्ष 1997-98 में लागू किया गया जिसका उद्देश्य अधिकांश स्थानीय खाद्यान्न उद्गृहीत कर कृषकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ प्रदान करना तथा गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना था। वर्ष 2001-06 की अवधि में योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा में पाया गया कि योजना के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुयी जिसका कारण आवश्यकता के सापेक्ष खाद्यान्न का कम वितरण, गेहूँ का कम उद्ग्रहण तथा गरीब परिवारों का समुचित चिन्हीकरण न होना था। समीक्षा के प्रमुख बिन्दुओं का विवरण निम्न प्रकार है :

ef; vdk

समय से प्रोफार्मा लेखे तैयार न किये जाने तथा त्रुटिपूर्ण उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के कारण भारत सरकार द्वारा 468.80 करोड़ रुपये की सब्सिडी रोकी गयी।

¶ Lrj % 3-4-6-2 ½

बाजार भाव से न्यूनतम समर्थन मूल्य कम होने के कारण गेहूँ उद्ग्रहण मात्रा में कमी 3.90 लाख मी टन एवं 21.41 लाख मी टन के मध्य रही।

¶ Lrj % 3-4-7-1½

केन्द्रीय दर के सापेक्ष कस्टम मिल्ड चावल की कम वसूली दर अपनाने के कारण 53.51 करोड़ रुपये का अदेय वित्तीय लाभ नमूना जांच वाले जिलों में मिल मालिकों को प्राप्त हुआ। धान से 15.67 करोड़ रुपये मूल्य के कस्टम मिल्ड चावल की कम मात्रा प्राप्त होने के कारण मिल मालिकों से उसे वसूल किया जाना बाकी था।

¶ Lrj % 3-4-7-3½

गबन, मार्ग हानि एवं भण्डारण हानि के फलस्वरूप 20.74 करोड़ रुपये की क्षति की वसूली नहीं की गयी।

¶ Lrj % 3-4-9-1½

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का वार्षिक सत्यापन न किये जाने का कारण लाभार्थियों के सत्यापन हेतु विभागीय प्रणाली का परिपूर्ण न होना था। पुनश्च, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की विभागीय चिन्हीकृत संख्या तथा ग्राम्य विकास एवं शहरी विकास विभाग की चिन्हीकृत संख्या में दो से 485 प्रतिशत का अन्तर नमूना जांच वाले जिलों में परिलक्षित हुआ।

¶ Lrj % 3-4-10-2 o 3-4-10-3½

गरीबी रेखा के नीचे वाले लाभार्थियों की अधिकतम संख्या को समुचित खाद्य सुरक्षा प्रदान नहीं की गयी क्योंकि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न के कम वितरण का कारण रोस्टर प्रणाली का समुचित क्रियान्वयन न किया जाना था।

¶ Lrj % 3-4-10-4½

उचित दर की दुकानों के सत्यापन में 97 प्रतिशत तक की कमी थी।

¶ Lrj % 3-4-13½

3-4-1 iLrkouk

लाभार्थियों के वहन करने योग्य लागत पर खाद्यान्न उपलब्धता सुनिश्चित करने की व्यापक रणनीति में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी डी एस) है। गरीबी रेखा के नीचे (बी पी एल) के परिवारों की ओर अधिक ध्यान केन्द्रित करने के लिये 1997 में इसे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी पी डी एस) के रूप में पुनः नियोजित एवं पुनः नामांकित किया गया।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 1997-98 में विकेन्द्रीकृत उद्ग्रहण योजना (डी सी पी) को लागू किये जाने तथा राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1999-2000 से क्रियान्वित किये जाने का उद्देश्य था कि खाद्यान्न का अधिकतम स्थानीय उद्ग्रहण विभाग तथा अन्य संस्थाओं¹ द्वारा करके किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम एस पी) का लाभ प्रदान करने के साथ लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाये। भारतीय खाद्य निगम (एफ सी आई) पर निर्भरता समाप्त करने के लिये पी डी एस हेतु आवश्यक मात्रा के अनुरूप खाद्यान्न को राज्य पूल के भण्डार में रोककर शेष खाद्यान्न को केन्द्रीय पूल में भण्डारण हेतु एफ सी आई को समर्पित किया जाना था। योजना का वित्त पोषण खाद्यान्न विक्रय से आय, भारत सरकार से प्राप्त सब्सिडी एवं अधिसूचित बैंकों से ऋण द्वारा होना था। खाद्यान्नों का वितरण 70293 उचित दर दुकानों (उ द दु) से सब्सिडाइज्ड केन्द्रीय निर्गम मूल्यों (सी आई पी) पर करके जनता को उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्धता सुनिश्चित किया गया। खाद्यान्न उद्ग्रहण की मितव्ययी लागत एवं केन्द्रीय निर्गम मूल्य (सी आई पी) के अन्तर की पूर्ति के लिये भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को सब्सिडी प्रदान की गयी। खाद्य एवं रसद विभाग (विभाग) ने राज्य में योजना को 1999-2000 में लागू किया।

राज्य में कुल 257.57 लाख परिवारों में से बी पी एल परिवार 106.79 लाख (41 प्रतिशत) भारत सरकार द्वारा 2001 में चिन्हित किये गये थे।

3-4-2 I xBukRed <kpk

राज्य स्तर पर योजना के अनुश्रवण का उत्तरदायित्व प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग का था। आयुक्त, खाद्य एवं रसद, विभागाध्यक्ष थे जिन्होंने खाद्यान्न उद्ग्रहण एवं वितरण का प्रबन्ध किया। विभाग द्वारा नीतियाँ बनाई गईं, इनके क्रियान्वयन का अनुश्रवण किया गया एवं बजट नियन्त्रण का कार्य 17 क्षेत्रीय खाद्य नियन्त्रक (आर एफ सी) कार्यालयों के माध्यम से किया गया जिनका उत्तरदायित्व खाद्यान्न उद्ग्रहण, सुरक्षित भण्डारण हेतु भण्डारगृह तक परिवहन तथा उचित दर दुकानों तक खाद्यान्न उपलब्ध कराना था जिसमें जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी (डी एफ एम ओ) सहायक थे।

उपायुक्त (आपूर्ति) जिला स्तर पर जिला पूर्ति अधिकारी (डी एस ओ) की सहायता से एवं जिले के राजस्व कर्मचारी लाभार्थियों का चयन एवं उचित दर दुकानों पर वितरण हेतु खाद्यान्न के आबंटन के लिए उत्तरदायी थे।

पुलिस उप-महानिरीक्षक की अध्यक्षता में विभागीय "खाद्य प्रकोष्ठ" कदाचरण इत्यादि की रोकथाम हेतु कार्यरत था।

3-4-3 ys[kk i jh{kk ds mnns ;

लेखा-परीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह आकलित करना था कि क्या :

- विकेन्द्रीकृत उद्ग्रहण योजना का वित्तीय प्रबन्धन सुदृढ़ था;
- खाद्यान्न उद्ग्रहण प्रणाली दक्ष थी;

¹ उ प्र राज्य भण्डार निगम, उ प्र राज्य सहकारी संघ, उ प्र राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, उ प्र उपभोक्ता सहकारी संघ, उ प्र कृषि औद्योगिक निगम, आलू विपणन संघ इत्यादि

- संचालन एवं भण्डारण संक्रिया दक्ष थी;
- लक्षित लाभार्थियों का चिन्हीकरण विश्वसनीय था; एवं
- खाद्यान्न वितरण व्यवस्था यह सुनिश्चित करने में प्रभावी थी कि लक्षित लाभार्थियों की पहुँच खाद्यान्न तक हो।

3-4-4 ys[kk ijh{kk dk eki n.M

योजना की दक्षता के आकलन का आधार निम्न मापदण्ड थे :

- राज्य एवं केन्द्र सरकार के मध्य आपसी सहमति ज्ञापन (एम ओ यू) के प्रावधान
- राज्य सरकार एवं अधिसूचित बैंकों के मध्य अनुबन्ध के प्रावधान
- पी डी एस नियन्त्रण आदेश 2001 के निर्देश
- उप्र चावल एवं धान (उद्ग्रहण और व्यापार विनियम) आदेश, 1985

3-4-5 ys[kk ijh{kk dk vkPNknu , oa iz.kkyh

शासन एवं विभाग के साथ 12¹ आर एफ सी, जिनके प्रशासनिक नियन्त्रण में चयनित जिलों के 16² डी एस ओ तथा 16 डी एफ एम ओ थे, के कार्यालयों के वर्ष 2001-06 की अवधि के अभिलेखों की नमूना जांच माह अगस्त, 2005 से जून, 2006 के मध्य की गयी।

प्रतिदर्श चयन की साधारण रेण्डम चयन बिना पुनरावृत्ति (एस आर एस डब्लू ओ आर) कार्यपद्धति का प्रयोग कर 16 जिलों का चयन किया गया। एस आर एस डब्लू ओ आर पद्धति का प्रयोग 'राज्य में बी पी एल प्रतिशत के ऊपर' एवं 'राज्य में बी पी एल प्रतिशत के नीचे' की सूची में वर्गीकृत जनपदों की सूची पर किया गया। प्रत्येक जिले में तीन विकास खण्ड (एक शहरी एवं दो ग्रामीण) एवं प्रत्येक विकास खण्ड में चार उचित दर दुकानों का चयन वृत्ताकार प्रतिदर्श चयन प्रणाली के अन्तर्गत किया गया।

माह अगस्त 2005 में आहूत परिचयात्मक गोष्ठी में प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद विभाग के साथ लेखापरीक्षा के उद्देश्यों तथा मापदण्डों पर विचार विमर्श किया गया। लेखा परीक्षा में प्रकाश में आये बिन्दुओं, निष्कर्षों एवं संस्तुतियों को शासन/विभाग को भेजा गया एवं समापन गोष्ठी (16 अक्टूबर 2006) में विचार विमर्श भी किया गया।

ys[kk ijh{kk ifj.kke

3-4-6 foRrh; izU/ku

3-4-6-1 Hkq;rku u fd; s x; s __.kka dk i M\$ jguk

खाद्यान्न के उद्ग्रहण, भण्डारण एवं वितरण पर व्यय हेतु विभाग को बैंकों द्वारा नकद साख सुविधा के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया गया। विभाग को यह सुनिश्चित करना था कि नकद साख लेखे के अवशेष राशि के समतुल्य गिरवी खाद्यान्न की लागत होनी चाहिये। लिये गये ऋण, पुर्नभुगतान तथा अवशेष की स्थिति निम्नवत थी :

¹ आगरा, इलाहाबाद, बांदा, बस्ती, फैजाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मेरठ

² आगरा, भदोही, देवरिया, इटावा, फैजाबाद, फिरोजाबाद, गोरखपुर, जालौन, कुशीनगर, लखनऊ, महोबा, मेरठ, प्रतापगढ़, रामपुर, सीतापुर, सिद्धार्थनगर

1/2 dj kM+ : i ; s e#

| Ok"Kz | i kj fEHkd vo' k'sk | i flr | ; ksx | Hkqrku | vflre vo' k'sk |
|---------|---------------------|-------|-------|--------|----------------|
| 2001-02 | 459 | 1000 | 1459 | 700 | 759 |
| 2002-03 | 759 | 472 | 1231 | 900 | 331 |
| 2003-04 | 331 | 580 | 911 | 330 | 581 |
| 2004-05 | 581 | 1880 | 2461 | 925 | 1536 |
| 2005-06 | 1536 | 1480 | 3016 | 1400 | 1616 |

अतः मार्च 2006 के अन्त तक ऋण 1616 करोड़ रुपये और ब्याज 18.22 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया गया था।

ekpl 2006 rd 1616
dj kM+ : i ; s ds .k
dk Hkqrku ugha
fd; k x; k Fkk

शासन ने अवगत कराया (अक्टूबर, 2006) कि ऋण और ब्याज के पुर्नभुगतान में एकरूपता न होने के कारण भारत सरकार द्वारा 300 करोड़ रुपये की सब्सिडी अवरुद्ध रखा जाना और लिये गये ऋण के सापेक्ष 2005-06 के अंत में वितरित न किये गये 1493.37 करोड़ रुपये मूल्य के 19.17 लाख मी टन खाद्यान्न को रोककर रखा जाना था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभागीय असफलता के कारण ही भारत सरकार द्वारा सब्सिडी अवरुद्ध रखी गयी जैसा कि नीचे के प्रस्तर में उल्लिखित किया गया है। साथ ही विभाग द्वारा प्रस्तुत दावे में अवशेष खाद्यान्न की लागत शेष ऋण के सापेक्ष 123 करोड़ रुपये कम थी (1616 करोड़ रुपये-1493 करोड़ रुपये)।

3-4-6-2 vo:) I fcl Mh

भारत सरकार द्वारा राज्य को सब्सिडी प्रदान करने की दर 95 प्रतिशत थी यदि सब्सिडी मांग का आधार वास्तविक रूप में वितरित खाद्यान्न हो और उपभोग प्रमाण पत्र संलग्न हो तथा यदि मांग का आधार केवल उठान होने पर यह दर 90 प्रतिशत थी। अवशेष सब्सिडी की अवमुक्ति लेखापरीक्षित अंतिम लेखों की प्राप्ति और अन्तिम मितव्ययी लागत के निर्धारण के पश्चात होनी थी। वर्ष 2001-06 की अवधि में सब्सिडी मांग एवं भारत सरकार द्वारा अवमुक्ति की स्थिति निम्नवत थी :

1/2 dj kM+ : i ; s e#

| Ok"Kz | foHkx }kj k ekx dh x; h I fcl Mh | | | Hkjr I jdkj }kj k voePr /kuj k' k; ka | vo:) I fcl Mh |
|---------|----------------------------------|----------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | i wZ vo' k'sk | Ok"Kz ea | ; ksx | | |
| 1/1 1/2 | 1/2 1/2 | 1/3 1/2 | 1/4 1/8 1/2 1/8 1/3 1/2 | 1/5 1/2 | 1/6 1/8 1/4 1/8 1/5 1/2 |
| 2001-02 | 165.29 | 686.66 | 851.95 | 521.15 | 330.80 |
| 2002-03 | 330.80 | 1108.10 | 1438.90 | 1159.29 | 279.61 |
| 2003-04 | 279.61 | 1138.67 | 1418.28 | 975.61 | 442.67 |
| 2004-05 | 442.67 | 1457.92 | 1900.59 | 1443.88 | 456.71 |
| 2005-06 | 456.71 | 1744.41 | 2201.12 | 1732.32 | 468.80 |

i kQekZ ys fks u cukus
, oa l gh mi Hkksx
iek.k i= iLr r u
fd; s tkus ds dkj .k
Hkjr I jdkj }kj k
468-80 dj kM+ : i ; s
dh I fcl Mh vo:)
j [kh xbz

भारत सरकार द्वारा 468.80 करोड़ रुपये सब्सिडी अवरुद्ध करने का कारण वर्ष 2003-06 के प्रोफार्मा लेखों को अन्तिम रूप नहीं दिया जाना (303.51 करोड़ रुपये) तथा त्रुटिपूर्ण उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना (165.29 करोड़ रुपये) था। सब्सिडी रोककर रखे जाने के कारण उस सीमा तक अतिरिक्त रोकड़-साख का उपभोग किया गया। वर्ष 2003-04 से लेखों का अन्तिम स्वरूप दिया जाना शेष था (अक्टूबर 2006)।

शासन द्वारा आश्वस्त किया गया (अक्टूबर, 2006) कि लेखों को अन्तिम रूप देने तथा अवरुद्ध सब्सिडी के शीघ्र निर्गमन हेतु प्रयास किया जायेगा।

3-4-7 [kk | klu dk mn×g.k

3-4-7-1 xgll dk mn×g.k

गेहूँ के समग्र रूप से उद्ग्रहण को नियमित करने वाला शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य न तो आवश्यकता और न ही गेहूँ के उत्पादन पर आधारित था। वर्ष 2001-02 के अतिरिक्त इन लक्ष्यों को निम्न विवरण के अनुसार वर्ष 2001-06 की अवधि में प्राप्त नहीं किया गया।

| Ok"Kz | mRi knu | vko'; drk' | y{; | OkkLrfod mn×g.k | Yk{; ds l ki dk vf/kd%\$% @de %&½ | ,e ,l ih : i; s ifr eh Vu | vkj r cktkj Hkko : i; s ifr eh Vu |
|--------------|----------|------------|--------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| %yk[k eh Vu½ | | | | | | | |
| 2001-02 | 254.98 | 19.38 | 20.00 | 24.46 | (+)4.46 | 6100 | 5800-6700 |
| 2002-03 | 237.48 | 29.47 | 25.00 | 21.10 | (-)3.90 | 6200 | 6690-7020 |
| 2003-04 | 263.50 | 27.43 | 25.00 | 12.74 | (-)12.26 | 6300 | 7160-7310 |
| 2004-05 | 225.14 | 23.96 | 25.00 | 17.40 | (-)7.60 | 6300 | 7120-7240 |
| 2005-06 | अनुपलब्ध | 19.02 | 27.00 | 05.59 | (-)21.41 | 6400 | 8350-10150 |
| ; ksx | | 119-27 | 122-00 | 81-29 | %&¼0-71 | | |

अतः, 119.27 लाख मी टन आवश्यकता के सापेक्ष गेहूँ का उद्ग्रहण मात्र 81.29 लाख मी टन किया गया। कम उद्ग्रहण का मुख्य कारण बाजार दर के सापेक्ष एम एस पी दर का कम होना था। शासन द्वारा उद्ग्रहण बढ़ाने के कोई उपाय नहीं किये गये। कम उद्ग्रहण के कारण एफ सी आई पर निर्भरता में वृद्धि हुई जो डी सी पी के प्रावधानों के विपरीत था।

शासन ने अवगत कराया (अक्टूबर, 2006) कि भारत सरकार से अनुरोध किया गया (2006-07) कि एम एस पी के साथ बोनस जोड़ा जाये जिससे उद्ग्रहण में वृद्धि हो सके। एफ सी आई पर निर्भरता कम करने के प्रयास किये जायेंगे।

3-4-7-2 pkoy dk mn×g.k

pkoy mn×g.k ea of) ds cktin d"kdka dks ,e ,l ih dk yk{k ikr ugha gqvk

विभाग द्वारा चावल का उद्ग्रहण दो स्रोतों से किया गया – प्रथम धान का किसानो से उद्ग्रहण तथा मिल-मालिकों को कुटाई हेतु धान भेज कर कस्टम मिल्ड चावल का उत्पादन तथा द्वितीय, उप्र चावल तथा धान (उद्ग्रहण और व्यापार विनियमन) आदेश, 1985 (आदेश) के प्रावधानों के अन्तर्गत मिलों पर लेवी लगाकर उनसे लेवी चावल का उद्ग्रहण। चावल के उत्पादन, आवश्यकता, लक्ष्य तथा कुल चावल उद्ग्रहण (सी एम आर तथा लेवी चावल) की वर्ष-वार स्थिति निम्नवत् थी :

| Ok"Kz | mRi knu | vko'; drk' | Yk{; | dly pkoy mn×g.k | Pkoy mn×g.k | |
|---------------------|---------|------------|--------|-----------------|-------------|--------------------|
| | | | | | Lkh ,e vkj | feyka l s ysh pkoy |
| Ekk=k yk[k eh Vu ea | | | | | | |
| 2001-02 | 128.49 | 9.04 | 17.33 | 18.86 | 5.52 | 13.34 |
| 2002-03 | 95.87 | 15.38 | 14.33 | 14.34 | 2.49 | 11.85 |
| 2003-04 | 124.77 | 19.20 | 19.33 | 30.81 | 6.48 | 24.33 |
| 2004-05 | 95.50 | 20.88 | 21.67 | 29.24 | 4.86 | 24.38 |
| 2005-06 | 111.19 | 26.25 | 29.90 | 31.20 | 6.55 | 24.65 |
| ; ksx | | 90-75 | 102-56 | 124-45 | 25-90 | 98-55 |

अतः वर्ष 2002-03 के अतिरिक्त चावल का उद्ग्रहण आवश्यकता से अधिक था। यह आधिक्य मिल-मालिकों से लेवी चावल के अधिक उद्ग्रहण के कारण था जिससे किसानो को लाभ नहीं मिला। धान के उद्ग्रहण का लक्ष्य तथा किसानों से धान के उद्ग्रहण की वार्षिक स्थिति निम्नवत् थी :

¹ विभाग द्वारा आवश्यकता का आकलन किया गया

| वर्ष | मि.मि. प्रति हेक्टेयर | मि.मि. प्रति हेक्टेयर | प्रति हेक्टेयर |
|---------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 2001-02 | 8.00 | 8.94 | 2.75 |
| 2002-03 | 6.50 | 4.00 | 2.75 |
| 2003-04 | 6.50 | 10.45 | 2.34 |
| 2004-05 | 10.00 | 7.75 | 0.98 |
| 2005-06 | 10.00 | 10.44 | 1.87 |
| औसत | 41.00 | 41.58 | 10.69 |

अतः वर्ष 2003-06 में एम एस पी का लाभ प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या में कमी आयी जबकि मिल मालिकों से चावल उद्ग्रहण में बढ़ोत्तरी हुई, जो योजना के उद्देश्यों के प्रतिकूल था।

विभाग ने अवगत कराया (दिसम्बर 2005) कि भारत सरकार के आदेशों के अनुसार ही मिल-मालिकों पर लेवी लगायी गयी।

3-4-7-3 फेडरेशन द्वारा वित्तपोषण की रणनीति

यू.ए.सी. के मूल्य

वर्ष 2001-06 में वित्तपोषण के लिए 98.55 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय 1543.71 करोड़ रुपये के अन्तर्गत निम्न विवरण के अनुसार आगणित हुआ :

उ प्र चावल और धान (उद्ग्रहण और व्यापार विनियम) आदेश, 1985 की धारा-3 के अनुसार प्रत्येक लाइसेंसधारी मिल-मालिक अपने उत्पादन का 60 प्रतिशत चावल शासन को अनुसूचित दर पर बिक्री करेगा। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत लेवी चावल के मूल्य में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सांविधिक शुल्क जैसे व्यापार कर, बाजार शुल्क आड़तिया कमीशन सम्मिलित था। इसमें कुछ असांविधिक प्रासंगिक प्रभार जैसे मंडी मजदूरी, मिल मालिकों के सन्तुष्टिकारक बोनस आदि भी सम्मिलित था। 98.55 लाख मी टन लेवी चावल के उद्ग्रहण की लेवी लागत एवं थोक बाजार लागत में वर्ष 2001-06 की अवधि में 1543.71 करोड़ रुपये का अन्तर निम्न विवरण के अनुसार आगणित हुआ :

| वर्ष | यू.ए.सी. के मूल्य | यू.ए.सी. के मूल्य | फेडरेशन द्वारा वित्तपोषण के लिए | मि.मि. प्रति हेक्टेयर | वित्तपोषण के लिए |
|---------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 2001-02 | 13.34 | 9031 | 8750 | 281 | 37.49 |
| 2002-03 | 11.85 | 9594 | 7550 | 2044 | 242.21 |
| 2003-04 | 24.33 | 9594 | 7570 | 2024 | 492.44 |
| 2004-05 | 24.38 | 9880 | 8060 | 1820 | 443.72 |
| 2005-06 | 24.65 | 9880 | 8550 | 1330 | 327.85 |
| औसत | 98.55 | | | | 1543.71 |

उक्त बिन्दु के इंगित करने पर शासन ने अवगत कराया (अक्टूबर, 2006) कि लेवी मूल्य की तुलना बाजार भाव से करना उचित नहीं है। चावल का बाजार भाव लेवी मूल्य की तुलना में हमेशा कम होता है क्योंकि किसानों द्वारा चावल के उत्पादन की लागत में उत्तराई-चढ़ाई प्रभार, परिवहन तथा बोरे की लागत सम्मिलित नहीं रहती। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बोरो की आपूर्ति शासन द्वारा मिल-मालिकों को वर्ष 2003-04 तक की गई, बाजार भाव वर्ष 2002-06 की अवधि में लेवी मूल्य के सापेक्ष अत्यधिक कम थे और मण्डी मजदूरी नगण्य थी।

प्रकरण की अग्रिम जांच में ज्ञात हुआ कि मिल मालिकों को सांविधिक शुल्क की प्रतिपूर्ति बिना प्रमाण प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित किये की गई कि मिल-मालिकों द्वारा इनका भुगतान शासन को किया गया था। बाजार शुल्क के संचयन की धनराशि और उसके निर्धारित उद्देश्यों पर उसके उपयोग का विवरण भी उपलब्ध नहीं था। शासन आवश्यक सुधारत्मक कार्यवाही कर सकता है जिससे मिल-मालिकों को वैधानिक शुल्क की प्रतिपूर्ति यह सुनिश्चित करने के बाद ही की जाय कि उनके द्वारा ऐसे प्रभारों का भुगतान शासन को कर दिया गया है। बाजार शुल्क के संचयन और उसके उपयोग के

आवश्यक विवरण का रखरखाव भी किया जाय। दरों में वृहद अन्तर के परिप्रेक्ष्य में मिल-मालिकों से लेवी चावल उद्ग्रहण के साथ-साथ धान के सीधे उद्ग्रहण प्रक्रिया की समीक्षा शासन द्वारा की जा सकती है।

dLve feYM pkoy dh ol ylh nj

Hkkjr l jdkj ds
ekud ds l ki sk de
ol ylh nj ds dkj .k
fey&ekfydka dks vns
foRrh; ykthk 53-51
djkM+: i ; s

केन्द्र तथा राज्य सरकारों के मध्य हुये आपसी सहमति ज्ञापन (एम ओ यू) के प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्र सरकार राज्यों के लिये वर्षवार सी एम आर वसूली दर निर्धारित करती है। केन्द्र सरकार द्वारा सी एम आर तथा लेवी चावल की वसूली दर वर्ष 1998 में 67 प्रतिशत निर्धारित की गयी थी। राज्य सरकार ने यह दर कम कर 63-65 प्रतिशत (1998) और 62-64 प्रतिशत (2001) कर दी जिसके विभिन्न कारण दर्शाये गये जैसे क्षेत्रीय असुन्तलन, चावल मिलों की कुटाई क्षमता, अनियमित मौसम, धान की खराब किस्म इत्यादि। अतः केन्द्र सरकार द्वारा नियत सी एम आर की वसूली दर के सापेक्ष दो से पांच प्रतिशत कम करके वसूली दर निर्धारित किये जाने से समीक्षा अवधि में नमूना जांच के जिलों में 47544 मी टन सी एम आर कम प्राप्त हुआ। इसके परिणामस्वरूप मिल-मालिकों को 53.51 करोड़ रुपये $\frac{1}{2}$ की वित्तीय सहायता प्राप्त हुयी।

शासन द्वारा सी एम आर के कम वसूली दर का निर्णय इन तथ्यों के अधीन युक्तिसंगत नहीं था कि केन्द्रीय वसूली दर 67 प्रतिशत लेवी चावल के लिये राज्य सरकार द्वारा 1999-2000 की अवधि में मान्य थी। दोनों सरकारों द्वारा हस्ताक्षरित एम ओ यू के अनुसार केन्द्रीय मानको का अनुसरण करना राज्य सरकार की वचनबद्धता थी।

सरकार ने अवगत कराया (अक्टूबर, 2006) कि वसूली दर कम निर्धारित किये जाने का कारण क्षेत्रीय असुन्तलन तथा उपलब्ध धान की गुणवत्ता थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि समान स्थितियों में मिल-मालिकों के लिये 67 प्रतिशत वसूली दर लेवी चावल उत्पादन के लिये अनुमन्य की गयी थी।

ol y u dh xbl l h , e vkj

अभिलेखों की जांच से प्रकाश में आया कि वर्ष 2001-06 के मध्य वसूली दर 62 से 65 प्रतिशत पर भी वसूल न किया गया सी एम आर 13958 मी टन मूल्य 15.67 करोड़ रुपये था। शासन ने सूचित किया (अक्टूबर, 2006) कि बकायेदारों के विरुद्ध वसूली प्रमाणपत्र जारी किये गये हैं और 8443.4 मी टन सी एम आर मूल्य 9.48 करोड़ रुपये वसूल कर लिया गया है, शेष 5515 मी टन सी एम आर की वसूली प्रतीक्षित थी।

3-4-8 mn xg.k o forj .k dh xq koRrk fu; U=.k ea deh

xg rFkk /kku ds
uewka dk
i jh{k.k , Q ,
D; w l fuf'pr
djus ds fy; s
ughaf d; k x; k

विभाग द्वारा गेहूँ तथा धान किसानों से तथा चावल मिल-मालिकों से उचित औसत गुणवत्ता (एफ ए क्यू) के अनुरूप उद्ग्रहित किया जाना था। गेहूँ, धान तथा चावल का एफ ए क्यू सुनिश्चित करने के लिये रसायनिक विश्लेषण द्वारा नमूना जांच की आवश्यकता थी। अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि गेहूँ तथा धान की नमूना जांच नहीं की गयी। शासन ने अवगत (अक्टूबर, 2006) कराया कि शासनादेश में क्षेत्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रयोगशालाओं में धान/चावल की नमूना जांच के प्रावधान निहित थे। तदनुसार, चावल की नमूना जांच की गयी। गेहूँ तथा धान का खुली दृष्टि से भौतिक परीक्षण किया गया। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि खुली दृष्टि द्वारा जांच के अतिरिक्त गेहूँ तथा धान की रसायनिक परीक्षण द्वारा नमूना जांच एफ ए क्यू के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जाना चाहिए था।

शासन ने भी लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण हेतु उचित दर की दुकानों को दिये जाने वाले खाद्यान्नों का एफ ए क्यू सुनिश्चित किये जाने के आदेश निर्गत किये थे। परन्तु, अभिलेखों की जांच में यह प्रकाश में आया कि इन खाद्यान्नों के एफ ए क्यू सुनिश्चित करने हेतु नमूना जांच की कोई व्यवस्था नहीं थी। विभाग ने उत्तर (दिसम्बर 2005) में

यह तथ्य स्वीकार किया और बताया कि खाद्यान्नों के नमूना जांच की कोई प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी।

3-4-9 [kk | kUu dk i fjogu , oa Hk. Mkj . k

3-4-9-1 ol iy u dh x; h gkfu; k

xcu] Hk. Mkj . k
, oa i fjogu dh
vof/k ea gg h
20-74 djkm+
: i ; s dh gkfu; k
dh ol iy/h ugha
dh x; h Fkh

सड़क से परिवहन में चोरी, हानि आदि के कारण हुई मार्गगत हानियों की वसूली परिवहकों से खाद्यान्न की लागत से डेढ़ गुनी की जानी थी। रेल परिवहन में हानि की वसूली माल प्राप्त करने वाले व भेजने वाले से बराबर मात्रा में की जानी थी। चोरी, सूखन आदि से हुयी भण्डार हानि और गबन की वसूली गोदामों अथवा सम्बन्धित कर्मचारियों से की जानी थी। वर्ष 2001-06 के मध्य के नमूना जांच के बारह में से छः¹ आर एफ सी में 20.74 करोड़² रुपये की हानि थी जिसकी वसूली नहीं की गई %f f'k"V 3-4-2% शेष आर एफ सी द्वारा इन हानियों का वर्गवार विवरण संकलित नहीं किया गया था। हानियां केन्द्र के मानकों से अधिक थी। शासन ने सूचित किया (अक्टूबर 2006) कि इस प्रकार के प्रकरणों को निस्तारित करना व वसूली करना दीर्घकालिक प्रक्रिया थी एवं जल्द वसूली के प्रयास किये जा रहे थे।

3-4-9-2 Hkkjrh; [kk | fuxe ij fuHk}rk

विकेन्द्रीकृत वितरण प्रणाली के प्रावधानों के अनुसार भा खा नि पर निर्भरता समाप्त करने हेतु लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (ल सा वि प्र) के अन्तर्गत लाभार्थियों के वितरण हेतु आवश्यक खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा का भण्डारण राज्य पूल में किया जाना था। खाद्यान्नों के भण्डारण का विवरण निम्न प्रकार था :

%yk[k eh Vu e%h

| | Xkg | | | | | pkoy | | | | |
|---------|------------|--------|---------|--------------------------------|-----------------------------------|------------|--------|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| o"kl | vko' ; drk | vkca/u | mnxg. k | jkT; & iy ea Hk. Mkj . k | dlnh; & iy ea LFkkukUrj . k | vko' ; drk | vkca/u | mnxg. k | jkT; & iy iy es Hk. Mkj . k | dlnh; & iy ea LFkkukUrj . k |
| 2001-02 | 19.39 | 19.39 | 24.46 | 14.02 | 10.44 | 9.04 | 9.05 | 18.86 | 4.64 | 14.22 |
| 2002-03 | 29.47 | 29.48 | 21.10 | 7.89 | 13.21 | 15.38 | 15.38 | 14.34 | 5.21 | 9.13 |
| 2003-04 | 27.43 | 27.64 | 12.74 | 0.83 | 11.91 | 19.20 | 17.21 | 30.81 | 11.45 | 19.36 |
| 2004-05 | 23.96 | 23.96 | 17.40 | 1.71 | 15.64 | 20.88 | 20.89 | 29.24 | 20.89 | 8.35 |
| 2005-06 | 19.02 | 18.60 | 5.59 | 5.19 | 0.40 | 26.25 | 26.25 | 31.20 | 25.88 | 5.32 |
| ; ksx | 119-27 | 119-07 | 81-29 | 29-64 | 51-60 | 90-75 | 88-78 | 124-45 | 68-07 | 56-38 |

अतः गेहूँ और चावल की आवश्यक मात्रा क्रमशः 119.27 लाख मी टन और 90.75 लाख मी टन के सापेक्ष वर्ष 2001-06 के मध्य मात्र 29.64 लाख मी टन (25 प्रतिशत) गेहूँ और 68.07 लाख मी टन (75 प्रतिशत) चावल राज्य पूल में भण्डारित किया गया एवं शेष केन्द्रीय पूल में आवश्यकता का आकलन किये बिना ही समर्पित किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2001-06 की अवधि में उद्ग्रहण के संदर्भ में गेहूँ का भण्डारण 36 प्रतिशत तथा चावल का 55 प्रतिशत था। इससे इंगित हुआ कि राज्य अपनी खाद्यान्न आवश्यकता के लिये भा खा नि पर निर्भर बना रहा। राज्य पूल में आवश्यकता से कम भण्डारण आपसी सहमत ज्ञापन (एम ओ यू) के प्रावधानों के अनुरूप भी नहीं था। शासन ने यह सूचित किया (अक्टूबर 2006) कि भविष्य में भा खा नि पर निर्भरता कम करने के प्रयास किये जायेंगे।

¹ आगरा, गोरखपुर, लखनऊ, फैजाबाद, बस्ती तथा कानपुर। शेष आर.एफ.सी. ने श्रेणीवार हानियों के अभिलेख नहीं उपलब्ध कराये

² गबन : 5.06 करोड़ रुपये; मार्गगत हानि : 1.20 करोड़ रुपये; भण्डारण हानि : 14.48 करोड़ रुपये

3-4-10 yf{kr ykHkkfFkz; ka dk fplghdj .k

3-4-10-1 'kkl u }kjk dkbz l o{k.k ugh dj; k x; k

'kkl u }kjk
foLr'r l o{k.k
dj; s fcuk
Hkkjr l jdkj ds
ch ih , y
i fjokj ka ds
vkdM\$ vi uk; s
x; s Fks

राशन कार्ड जारी करने और उचित दर दुकानों (एफ पी एस) द्वारा खाद्यान्न का वितरण के अतिरिक्त बी पी एल परिवारों के चिन्हीकरण के लिये शासन उत्तरदायी था जिससे कि लक्षित लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। राज्य में बी पी एल लाभार्थियों के विस्तृत सर्वेक्षण के बजाय, शासन ने भारत सरकार द्वारा राज्य हेतु जून, 1997 में बी पी एल परिवारों की निर्धारित अधिकतम संख्या (95.48 लाख) को अपनाया। जून, 1997 के पूर्व, बी पी एल परिवारों का चिन्हीकरण शासन द्वारा प्रति बी पी एल परिवार 8000 रुपये प्रति वर्ष तक के आर्थिक स्तर के आधार पर 80.91 लाख किया गया था। भारत सरकार की संख्या से परिवारों की संख्या कम होने के कारण, शासन ने आर्थिक स्तर 9000 रुपये प्रति वर्ष तक प्रति परिवार तक बढ़ा (1998) दिया, जिससे बी पी एल परिवारों की संख्या 95.48 लाख तक बढ़ गयी। इसके पश्चात (2001) भारत सरकार ने बी पी एल परिवारों की संख्या बढ़ाकर 106.79 लाख कर दी। शासन द्वारा पुनः जिलेवार बी पी एल परिवारों की अधिकतम सीमा तय कर केन्द्र सरकार की संख्या के समकक्ष (2001) निर्धारित कर दी और जिला स्तरीय अधिकारियों को और अधिक लाभार्थियों के चिन्हीकरण के लिये निर्देशित किया समीक्षा अवधि में वही संख्या बनाई रखी गयी। इसी प्रकार, अन्त्योदय लाभार्थियों की चिन्हीकृत संख्या 16.37 लाख तथा 40.95 लाख के मध्य क्रमबद्ध थी जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित अन्त्योदय, लाभार्थियों की संख्या पर निर्भर थी। अतः शासन ने राज्य में बी पी एल परिवारों का स्वतन्त्र आंकलन नहीं किया।

3-4-10-2 ch ih , y i fjokj ka dh l a; k ea fol xfr

राज्य सरकार द्वारा बी पी एल परिवारों को लाभ पहुँचाने के लिये कई योजनायें क्रियान्वित की गयी। यद्यपि राज्य में बी पी एल परिवारों की संख्या (1998) ल सा वि प्र योजना के लिये 95.48 लाख थी, बी पी एल परिवारों की संख्या (1998) ग्राम्य विकास विभाग तथा राज्य शहरी विकास प्राधिकरण के अनुसार 85.65 लाख थी। इस संख्या में 10 प्रतिशत की विभिन्नता थी। बी पी एल परिवारों की संख्या में भिन्नता जिला स्तर पर अत्यधिक थी, नमूना जांच के 16 में से 13 जिलों में बी पी एल परिवारों की विभिन्नता निम्न प्रकार थी।

| ftys dk uke | tux.kuk ds vuq kj dy i fjokj ka dh l a; k | foHkx }kjk tkjh j'k' kudKMZ | | ch ih , y i fjokj ka dh fplgr l a; k | | ; kx | foHkx ds l ki \$k i fr' kr fHkJurk |
|-------------|---|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------|------------------------------------|
| | | Lk[; k | i fjokj ka dh dy l a; k dk i fr' kr | xkE; fodkl foHkx | jkt; 'kgjh fodkl i kf/kdj .k | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| आगरा | 544463 | 24700 | 5 | 52303 | 92290 | 144593 | 485 |
| देवरिया | 379407 | 274057 | 72 | 100355 | 11433 | 111788 | 59 |
| इटवा | 214222 | 120190 | 56 | 67755 | 3579 | 71334 | 41 |
| फ़िरोजाबाद | 308918 | 83930 | 27 | 27037 | 309 | 27346 | 67 |
| लखनऊ | 644269 | 130700 | 20 | 97453 | 57843 | 155296 | 19 |
| मेरठ | 458106 | 24250 | 5 | 14066 | 66541 | 80607 | 232 |
| फ़ैजाबाद | 303000 | 166170 | 48 | 130031 | 30948 | 160979 | 03 |
| गोरखपुर | 555775 | 329651 | 59 | 152825 | 27185 | 180010 | 45 |
| जालौन | 230664 | 98500 | 43 | 70156 | 252266 | 95422 | 03 |
| महोबा | 118970 | 39300 | 33 | 25557 | 14578 | 40135 | 02 |
| प्रतापगढ़ | 438936 | 193500 | 44 | 185960 | 14859 | 200819 | 04 |
| रामपुर | 288333 | 90400 | 31 | 51507 | 13527 | 65034 | 28 |
| सीतापुर | 596177 | 292300 | 49 | 250809 | 13201 | 264010 | 10 |
| ; kx | 5121240 | 1867648 | 36 | 1225814 | 371559 | 1597373 | 86 |

बी पी एल परिवारों की संख्या में भिन्नता आगरा में 485 प्रतिशत मेरठ में 232 प्रतिशत तक थी। समग्र भिन्नता 86 प्रतिशत आगणित की गयी। इसी प्रकार, उपरोक्त जिलों में बी पी एल राशन कार्ड प्राप्त परिवारों के प्रतिशत में आगरा में 5 प्रतिशत, से देवरिया में 72 प्रतिशत तक की भिन्नता थी।

शासन ने सूचित किया (अक्टूबर 2006) कि यह भिन्नता इन विभागों में क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं में बी पी एल परिवारों के चिन्हीकरण के प्रावधानों के अनुसार थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आर्थिक मापदण्ड ही ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में बी पी एल परिवारों के चिन्हीकरण का आधार था।

3-4-10-3 ch ih ,y ifjokjka dk okfZkd l R; ki u

बी पी एल परिवारों के वार्षिक सत्यापन के मानकों के विरुद्ध विभाग ने सत्यापन का कार्य जनवरी 2005 में शुरू किया। जनवरी 2006 की सत्यापन स्थिति से स्पष्ट हुआ कि बी पी एल अन्त्योदय तथा अन्नपूर्णा योजना में कुल 106.79 लाख राशन कार्डों में से 5.22 लाख कार्ड फर्जी थे। फर्जी राशन कार्डों की अद्यतन स्थिति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2006)।

शासन ने उत्तर (अक्टूबर 2006) में कहा कि राशन कार्डों के वार्षिक सत्यापन किये जाने के प्रयास किये जायेंगे, लेकिन कर्मचारियों की कमी के कारण यह अभी सम्भव नहीं है। फर्जी पाये गये राशन कार्डों को निरस्त कर दिया गया।

3-4-10-4 ch ih ,y ifjokjka dks [kk | klu dk de forj .k

खाद्यान्नों का आवश्यकता के अनुरूप वितरण किया जाना आवश्यक था। इसके लिये विभाग ने खाद्यान्नों के उठान और वितरण के लिये रोस्टर प्रक्रिया लागू की। प्रक्रिया में खाद्यान्नों का गोदाम से उठान, उ द दुकानदारों को निर्गमन तथा लाभार्थियों को उचित दर दुकानों के माध्यम से वितरण की तिथियां स्पष्ट की गयी थीं। खाद्यान्नों की आवश्यकता, आबंटन तथा वितरण का वर्षवार विवरण निम्नानुसार था :

%ek=k yk[k ehfv'd Vu e%

| Ok"lz | Ykf{kr ifjokj %yk[k e% | vko' ; d ek=k' | | | vko fVr ek=k | | | mBku @forfjr ek=k | | |
|---------|------------------------|----------------|-------|--------|--------------|-------|--------|-------------------|-------|--------|
| | | xg | pkoy | dj | xg | pkoy | dj | xg | pkoy | dj |
| 2001-02 | 90.42 | 18.45 | 8.68 | 27.13 | 16.55 | 7.64 | 24.19 | 8.56 | 2.41 | 10.97 |
| 2002-03 | 90.42 | 24.96 | 13.02 | 37.98 | 24.96 | 13.02 | 37.98 | 15.13 | 5.17 | 20.30 |
| 2003-04 | 90.42 से 82.23 | 22.41 | 13.84 | 36.25 | 22.41 | 13.84 | 36.25 | 14.59 | 6.41 | 21.00 |
| 2004-05 | 82.23 से 74.37 | 18.01 | 15.70 | 33.71 | 18.01 | 15.70 | 33.71 | 15.00 | 10.73 | 25.73 |
| 2005-06 | 74.37 से 65.85 | 12.46 | 17.28 | 29.74 | 12.46 | 17.28 | 29.74 | 10.78 | 15.36 | 26.14 |
| ; kx | | 96-29 | 68-52 | 164-81 | 94-39 | 67-48 | 161-87 | 64-06 | 40-08 | 104-14 |

औसत मासिक उठान क्रमशः 0.91 लाख मी टन से 2.18 लाख मी टन के मध्य थी। आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त खाद्यान्न की मात्रा भी वितरित नहीं की गयी। इसका कारण उ द दु द्वारा उठान और वितरण की नियत तिथियों का अनुपालन न करके रोस्टर प्रक्रिया का उचित क्रियान्वयन न होना था। योजना आयोग ने भी पाया (2005) कि औसत मासिक उठान प्रति बी पी एल कार्ड राज्य में 35 किग्रा के स्थान पर 10 किग्रा था।

¹ लेखा परीक्षा द्वारा निकाली गयी खाद्यान्न की आवश्यक मात्रा (निर्गत मानक दर x लक्षित आबादी x 12) खाद्यान्न के निर्गमन की मानक दर 25 किग्रा (गेहूँ : 17 किग्रा + चावल : 08 किग्रा) प्रति परिवार प्रति माह जनवरी, 2001 से था जिसे बढ़ाकर 35 किग्रा (गेहूँ : 23 किग्रा + चावल : 12 किग्रा) खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह अप्रैल, 2002 से कर दिया गया

शासन ने इस सम्बन्ध में सूचित किया (अक्टूबर, 2006) कि फुटकर बाजार भाव, केन्द्रीय निर्गत भाव (सी आई पी) के समान थे। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि फुटकर बाजार भाव, केन्द्रीय निर्गत भाव से अधिक¹ थे। वितरण के कारण कमी से लक्षित समूह को अपर्याप्त खाद्य सुरक्षा प्रदान की गयी।

3-4-11 mfpr nj nqkuka /m n nq dk I pkyu

3-4-11-1 m n nqkuka dk vykHki n I pkyu

5-21 djkm+ : i ; s ds
ekftu euh dk
Hkprku u gkus l s
m n nq dk I pkyu
vykHki n gpk

केन्द्रीय निर्गत मूल्य (सी आई पी) पर खाद्यान्न का वितरण किये जाने के लिये उचित दर दुकानदारों को मार्जिन मनी का भुगतान ग्राम पंचायतों के माध्यम से उचित दर दुकानों द्वारा वितरित खाद्यान्न के सत्यापन के पश्चात् भुगतान किये जाने का प्रावधान था। खाद्यान्न वितरण की मार्जिन मनी 60 रुपये प्रति मी टन की दर से उ द दुकानों की संचालन लागत को पूरा करने के लिए कमीशन के रूप में थी। जिलों की नमूना जांच के दौरान यह प्रकाश में आया कि उ द दुकानदारों को मार्जिन मनी 5.21² करोड़ रुपये का भुगतान ग्राम पंचायतों के माध्यम से मार्जिन मनी वितरण प्रणाली के असफल होने के कारण नहीं किया गया (जून 2006)। इससे उ द दुकानदारों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

यह भी संज्ञान में आया कि उ द दुकानदारों को 13 रुपये से 16 रुपये प्रति कुन्तल उ द दुकानों के संचालन के लिये व्यय करना पड़ा। मार्जिन मनी 6 रुपये प्रति कुन्तल की दर उनके खर्चों के समतुल्य नहीं थी, परिणामतः उ द दुकानदार कदाचरण में लगे रहे। इसकी पुष्टि उ द दुकानदारों द्वारा 1997 और 2006 के मध्य खाद्यान्न कदाचरण के बहुत से प्रकरणों और कालाबाजारी में संलग्नता खाद्य प्रकोष्ठ विभाग में जांच हेतु लम्बित प्रकरणों से होती है।

शासन ने मार्जिन मनी के वितरण न किये जाने के कारणों की पुष्टि की (अक्टूबर 2006) और सूचित किया कि इसके जल्द भुगतान किये जाने के निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं।

3-4-12 ; kst uk ds fØ; kll; u ea dnkpj . k

खाद्य प्रकोष्ठ के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि वर्ष 2001-06 के मध्य कुल 401 जांच प्रकरण प्रकाश में आये। इन प्रकरणों की जून, 2006 में स्थिति निम्नवत् थी :

| Ok"z | Tkpka dh I a[; k | | | fuLrkfjr tkp i zdkj . kka dk C; ksj k | | nkf" k; ka dh I a[; k | | |
|---------|-------------------|------|----------|---|-------|------------------------|--------|-----------|
| | ifrofnr | yfcr | fuLrkfjr | fl) | vfl) | vf/kdkjh | depkjh | m n nq |
| 2001-02 | 96 | 17 | 79 | 42 | 37 | 30 | 42 | 17 |
| 2002-03 | 102 | 14 | 88 | 46 | 42 | 30 | 44 | 27 |
| 2003-04 | 68 | 13 | 55 | 27 | 28 | 21 | 37 | 09 |
| 2004-05 | 80 | 20 | 60 | 20 | 40 | 14 | 19 | 84 |
| 2005-06 | 55 | 10 | 45 | 21 | 24 | 38 | 26 | 86 |
| ; ksx | 401 | 74 | 327 | 156 | 171 | 133 | 168 | 223 |

171 प्रकरणों के कुल 524 (133+168+223) दोषी व्यक्तियों में 301 (57 प्रतिशत) विभागीय अधिकारी/कर्मचारी थे। इससे यह इंगित होता है कि अनियमितता करने में अधिकांश प्रतिशत विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों का हाथ था। दोषी अधिकारियों

¹ केन्द्रीय निर्गत दर 4.65 रुपये प्रति किग्रा के विरुद्ध फुटकर बाजार दर गेहूँ के लिए 6.50 रुपये और 9 रुपये प्रति किग्रा थी। चावल के लिए केन्द्रीय निर्गत दर 6.15 रुपये प्रति किग्रा के विरुद्ध फुटकर बाजार दर 7.50 एवं 10 रुपये प्रति किग्रा के मध्य थी

² अन्योदय : 2001-05 : 4.96 करोड़ रुपये + अन्नपूर्णा योजना : 2001-06 : 2001-06 : 25.31 लाख रुपये

तथा कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रगति में थी और उचित दर दुकानदारों के लाईसेंस निलम्बित/निरस्त किये गये।

शासन ने सूचित किया (अक्टूबर 2006) कि ऐसे प्रकरणों के निस्तारण/जांच में समय लगता है। विभाग ने ऐसे प्रकरणों पर प्रथम दृष्टया कार्यवाही प्रारम्भ कर दी।

3-4-13 vuqJo.k

3-4-13-1 i fr l fujh{kdkk }kjk mfpr nj nqkuka dk vi ; klr fujh{k.k

समुचित क्रियाकलापों को सुनिश्चित करने के लिये पूर्ति निरीक्षकों द्वारा उचित दर दुकानों का प्रत्येक माह एक बार निरीक्षण किया जाना था। परन्तु, नमूना जांच के जिलों में 2001-05 की अवधि में पूर्ति निरीक्षकों द्वारा किया गया वास्तविक निरीक्षण मानक के अनुरूप नहीं था, जैसा कि निम्न विवरण से स्पष्ट है :

| f tyk | mfpr nj nqkuka dh l d; k | fujh{k.k. kka dh l d; k | | Ekkud l s de ¹ | deh dk ifr'kr ² |
|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Ekkud ds vuq kj ³ | okLrfod | | |
| आगरा | 1257 | 60336 | 56121 | 4215 | 7 |
| इटावा ⁴ | 566 | 27168 | 6179 | 20989 | 77 |
| फिरोजाबाद | 808 | 38784 | 9834 | 28950 | 75 |
| लखनऊ | 1209 | 58032 | 93792 | शून्य | शून्य |
| सिद्धार्थनगर | 1207 | 57936 | 20620 | 37316 | 64 |
| सीतापुर | 1468 | 70464 | 10929 | 59535 | 85 |
| गोरखपुर | 1927 | 92496 | 21707 | 70789 | 77 |
| देवरिया | 1339 | 64272 | 13399 | 50873 | 79 |
| कुशीनगर | 1265 | 60720 | 8606 | 52114 | 86 |
| प्रतापगढ़ | 1089 | 52272 | 9685 | 42587 | 81 |
| जालौन | 772 | 37056 | 1047 | 36009 | 97 |
| रामपुर | 784 | 37632 | 8008 | 29624 | 79 |
| महोबा | 374 | 17952 | 5473 | 12479 | 70 |
| ; ksx | 14065 | 675120 | 265400 | 445480 | 66 |

पूर्ति निरीक्षकों द्वारा उ द दुकानों के निरीक्षण में कमी 97 प्रतिशत तक थी। इससे ज्ञात हुआ कि विभाग द्वारा उ द दुकानों के क्रिया कलापों का पर्याप्त अनुश्रवण नहीं किया गया। नमूना जांच जिलों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत पूर्ति निरीक्षकों की संख्या में कमी 39 प्रतिशत थी। निरीक्षणों में कमी से उचित दर दुकानदारों द्वारा कदाचरण किया गया। फिर भी पूर्ति निरीक्षकों द्वारा किये निरीक्षण में दोषी पाये गये उचित दर दुकानदारों के विरुद्ध विभाग द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी। शासन द्वारा अवगत कराया गया (अक्टूबर, 2006) कि उचित दर दुकानदारों को खाद्यान्न निर्गत किये जाने एवं उनके द्वारा खाद्यान्न वितरण का अनुश्रवण, त्रिस्तरीय व्यवस्था के माध्यम से किया गया। उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि वर्तमान व्यवस्था दुकानदारों के कदाचरण रोकने में असफल रही।

¹ लेखा परीक्षा द्वारा निकाली गयी कमी = मानक के अनुसार निरीक्षणों की संख्या - वास्तविक निरीक्षणों की संख्या

² लेखा परीक्षा द्वारा आगणित प्रतिशतता

³ लेखा परीक्षा द्वारा आगणित मानक के अनुसार किये जाने वाले निरीक्षणों की संख्या = उ द दु की संख्या x 12 x अवधि

⁴ 2002-05 की अवधि के आंकड़े

3-4-14 fu"d"kl

योजना का खाद्य सुरक्षा प्रदान करने का उद्देश्य गेहूँ का कम उदग्रहण तथा बी पी एल परिवारों को खाद्यान्न का कम वितरण किये जाने के कारण प्रभावित हुआ। लाभार्थियों का अपर्याप्त एवं अविश्वसनीय चिन्हीकरण तथा उचित दर दुकानों के अलाभकारी परिचालन के कारण भी योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। हानियों एवं सी एम आर की वसूली, राशन कार्ड धारकों के वार्षिक सत्यापन, उचित दर दुकानों का आवधिक निरीक्षण इत्यादि के लिये अपर्याप्त प्रशासनिक व्यवस्था ने योजना के क्रियान्वयन की कमियों में और योगदान किया।

3-4-15 I Lrf;r; ka

- वित्तीय प्रबन्धन को प्रभावी बनाने के लिये ऋण का तथ्यपरक आकलन और बंधक रखी सामग्री का भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिये।
- डी सी पी योजना से सम्बन्धित एम ओ यू के प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिये।
- मिल मालिकों को सांविधिक प्रभारों का भुगतान यह प्रमाण प्रस्तुत करने पर किया जाना चाहिये कि उनके द्वारा इसका भुगतान शासन को किया जा चुका है। बाजार शुल्क के संग्रह एवं उपभोग के विवरण का रख-रखाव भी किया जाना चाहिये।
- विभाग, जिला और विकास खण्ड स्तर पर प्रभावी अनुश्रवण तंत्र के साथ पूर्ति निरीक्षकों द्वारा उचित दर दुकानों के निरीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिये।

उपरोक्त बिन्दुओं को शासन को संदर्भित किया गया (सितम्बर 2006) और आवश्यकतानुसार शासन के उत्तर को समाविष्ट किया गया।

ou foHkkx

3-5 ck?k i fj; kstuk dk fØ; kll; u

वन विभाग ने दो क्षेत्रों, दुधवा बाघ परिक्षेत्र तथा कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग, में केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित बाघ परियोजना का क्रियान्वयन किया। परियोजना का उद्देश्य बाघों की जीवनक्षम जनसंख्या के लिए वैज्ञानिक, आर्थिक, सौन्दर्य, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय मूल्यों को बनाए रखने तथा आने वाले समय में जैव वैज्ञानिक महत्व के क्षेत्रों को, जनता को लाभ, शिक्षा एवं आनन्द प्रदान करने के लिए, राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संरक्षित करना था। परियोजना का क्रियान्वयन भूमि प्रबन्धन के कम प्रभावी होने के कारण बड़े क्षेत्रों को अधिकार में न लिए जाने अथवा उनके अतिक्रमित रहने के कारण कुप्रभावित हुआ। जैविक दबाव का अनुमान नहीं लगाया गया क्योंकि कतर्नियाघाट में तथा दुधवा के किशनपुर उप प्रभाग में बफर जोन उपलब्ध नहीं थे। नियमों को लागू करवाया जाना अप्रभावी रहने के कारण अनिर्णीत वन अपराध प्रकरणों में वृद्धि हुई। राज्य वन्य जीव बोर्ड जुलाई 2005 तक गठित न होने के कारण अनुश्रवण कमजोर रहा। अप्रभावी अनुश्रवण, सुरक्षा, संरक्षण एवं नियमों को लागू न करवाए जाने के कारण बाघ परियोजना अप्रभावी रही।

ef; vdk

okf"kd dk; l ; kstukvka dks foyEc l s iLrqr fd; s tkus l s Hkkjr l jdkj }kjk /kujkf'k dk foyEc l s voefDr ml ds de voefDr@miHkksx dk dkj.k cuka

1/1 Lrj 3-5-7½

Hkfe izU/ku l rks'ktud ugha Fkh D; kfd vU; mi ; ksdrkVka }kjk [kkyh dh x; h Hkfe oki l dCts ea ugha yh x; h] cM; {ks= vfrØfer jgs rFkk iuo] u i w kZ ugha fd; k x; kA

1/1 Lrj 3-5-8½

drfuZ; k?kkV rFkk nq'kok ds fd'kuig mi iHkkx ea cQj tku ds fplgr u fd; s tkus ds dkj.k ^dkj tku** t'od N&NKM+ ds fy, [kyk jgk rFkk jsy ekxka rFkk l Melka ds ck?k i fj {ks= l s xqtjus ds dkj.k ou; thoka dks 'kkUr fuokl mi yC/k ugha djok; k tk l dka

1/1 Lrj 3-5-9½

l j {k.k fØ; k; a iHkkoh ugha Fkh D; kfd taxyh i k'kj yrk, j cya rFkk , dd okuLifrd tho ugha gV; s tk l d; ck<+ vkus , oa feVVh teus dks jksds dh iHkkoh ; kstuk, a ugha cukbz xbz , oa ?kkl ds e'nkuka ds viHkkoh izU/ku ds dkj.k 'kkdkgjh thoka ea l keU; l s de c<f gpl ftl l s ck?kka ds f'kdj dh mi yC/krk iHkkfor gpa

1/1 Lrj 3-5-10 l s 3-5-3½

tux.kuk ea l d fpr ck?kka dh l a; k fo'ol uh; ugha Fkh D; kfd u rks l e'pr Hkfe vkj ugha l e'pr f'kdj mi yC/k Fka nq'kok ea ck?kka dh l a; k 115 1/2 2002½ l s ?kV dj 106 1/2 2005½ rFkk drfuZ; k?kkV ea 50 1/2 2001½ l s ?kVdj 42 1/2 2005½ jg x; h t'fd i fj {ks= l s ckgj ns[ks tkus okys ck?kka dh l a; k 43 1/2 2001½ l s c<dj 51 1/2 2005½ gks xba

1/1 Lrj 3-5-14½

3-5-1 iLrkouk

वन विभाग द्वारा दुधवा बाघ परिक्षेत्र (दुधवा) में वर्ष 1987-88 से तथा कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग (कतर्नियाघाट) में जनवरी 2003 से केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित

“बाघ-परियोजना” क्रियान्वित की जा रही थी। परियोजना का उद्देश्य वैज्ञानिक, आर्थिक, सौंदर्य, सांस्कृति एवं पर्यावरणीय मूल्यों को बनाए रखने तथा आने वाले समय में जैव वैज्ञानिक महत्व के क्षेत्रों को जनता को लाभ, शिक्षा एवं आनन्द प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संरक्षित करना था। भारत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के अतिरिक्त तकनीकी दिशा-निर्देश, समन्वय, अनुश्रवण एवं बाघों तथा अन्य वन्य जन्तुओं की संख्या के आकलन में सहायता प्रदान की जानी थी।

दुधवा बाघ परिक्षेत्र में दो क्षेत्र-दुधवा राष्ट्रीय उद्यान (615 वर्ग किमी) तथा किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य (203 वर्ग किमी) सम्मिलित थे। दुधवा बाघ परिक्षेत्र का क्षेत्रफल, 66 वर्ग किमी “बफर जोन” जुड़ जाने (1994) के पश्चात, 884 वर्ग किमी था। कतर्नियाघाट, (400 वर्ग किमी) के अभयारण्य को जनवरी 2003 से बाघ परियोजना में सम्मिलित किया गया।

3-5-2 I xBkRed <kpk

राज्य सरकार के स्तर पर प्रमुख सचिव, वन विभाग परियोजना हेतु उत्तरदायी थे एवं प्रमुख वन संरक्षक विभागाध्यक्ष थे। मुख्य वन्य जीव, प्रतिपालक, फील्ड डायरेक्टर बाघ परियोजना लखीमपुर खीरी की सहायता से परियोजना के नियोजन, प्रशासन एवं अनुश्रवण हेतु उत्तरदायी थे। उप निदेशक, दुधवा बाघ परिक्षेत्र, पलिया (लखीमपुर खीरी) तथा प्रभागीय वनाधिकारी, कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग, कतर्नियाघाट (बहराइच) इस परियोजना को क्रियान्वित करते थे।

3-5-3 ys[kk i jh{k;k ds mnns

लेखा परीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्या :

- अनुमोदित मैनेजमेन्ट प्लान राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना के अनुरूप थे तथा वार्षिक कार्य योजनाएं मैनेजमेन्ट प्लान के प्राविधानों का पालन करती थी और उनके द्वारा वांछित नतीजे प्राप्त हुए।
- समुचित धन उपलब्ध था तथा वित्तीय प्रबन्धन तर्कपूर्ण तथा प्रभावी था।
- कार्यक्रम प्रबन्धन प्रभावी था तथा विभिन्न संरक्षा¹ सुरक्षा² एवं संजोने³ के क्रियाकलापों ने वांछित फल दिये।
- समुचित जनशक्ति उपलब्ध थी एवं आवश्यक प्रशिक्षण देकर उसका समुचित उपयोग किया गया।
- प्रभावी एवं समुचित अनुश्रवण तंत्र उपलब्ध था।

3-5-4 ys[kk i jh{k;k eki n.M

परियोजना के निष्पादन का मूल्यांकन वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना (2002-16), वार्षिक कार्य योजनाओं, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के निर्देशों तथा राज्य सरकार के वित्तीय नियम एवं कार्य प्रणाली के आधार पर किया गया।

3-5-5 ys[kk i jh{k;k fØ; kfof/k

परियोजना के क्रियान्वयन सम्बन्धी वर्ष 2001-05 के अभिलेखों की जांच मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उ०प्र०, लखनऊ; उप निदेशक दुधवा बाघ परिक्षेत्र, लखीमपुर खीरी तथा प्रभागीय वनाधिकारी, कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग, बहराइच के कार्यालयों में माह जनवरी से मार्च 2006 के बीच की गयी। वर्ष 2005-06 से सम्बन्धित सूचनाएं उपरोक्त

1. संरक्षा प्रक्रियाएं उपलब्ध वन्य जीवों को वृद्धिपरक हालात उपलब्ध कराती हैं
 2. सुरक्षा प्रक्रियाएं वन्य जीवों की अनधिकृत उपयोगकर्ताओं से बचाती हैं
 3. संजोने की प्रक्रियाएं उपलब्ध पशु एवं पादप की अच्छी तन्दुरस्ती बनाए रखती हैं

कार्यालयों तथा प्रमुख वन संरक्षक व मुख्य वन संरक्षक (सामाजिक वानिकी) के कार्यालयों से एकत्र (जून 2006) की गयी।

लेखा परीक्षा के उद्देश्यों एवं लेखा परीक्षा मापदण्डों से शासन को सूचित कर दिया गया था तथा उन पर 19 जनवरी 2006 को 'इन्ट्री कान्फ्रेंस' में विचार भी किया गया। लेखा परीक्षा दल ने चयनित कार्यालयों में उपलब्ध अभिलेखों की स्थानीय जांच के उपरान्त लेखा परीक्षा ज्ञाप निर्गत कर सूचनाएं एकत्र की। लेखा परीक्षा के परिणाम, निष्कर्ष एवं संस्तुतियों पर शासन के साथ 08 सितम्बर 2006 "एक्जिट कान्फ्रेंस" में विचार हुआ तथा प्रबन्धन ने उन्हें स्वीकार किया।

ys[kk i jh{kk ds i fj . kke

3-5-6 i fj ; kst uk dk fu; kst u

3-5-6-1 i zll/ku ; kst uk; a

राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (एन डब्ल्यू ए पी) के प्राविधानों के अनुसार प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र¹ की संपुष्ट वैज्ञानिक एवं जैविकीय आंकड़ों पर आधारित अपनी प्रबन्ध योजना होनी चाहिए तथा वर्तमान प्रबन्ध योजनाओं की समीक्षा कर उन्हें राष्ट्रीय वन्यजीव कार्ययोजना के अनुरूप पुनरीक्षित किया जाना चाहिए। यह पुनरीक्षण 2003 तक पूर्ण कर लिया जाना था।

दुधवा व कतर्नियाघाट की प्रबन्ध योजनाएं वर्ष 2000-01 से 2009-10 तक की अवधि को आच्छादित करती थीं तथा मुख्य वन्य जन्तु प्रतिपालक द्वारा अनुमोदित थीं। इन योजनाओं का पुनरीक्षण जुलाई 2006 तक नहीं किया गया था। विभाग ने बताया (नवम्बर 2006) की प्रबन्ध योजनाओं का मध्यावधि पुनर्वावलोकन जारी था एवं उनके पुनरीक्षण के समय राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना की संस्तुतियों को सम्मिलित कर लिया जायेगा।

3-5-6-2 i zll/ku ; kst uk , oa dk; kll o; u dh okf"kl d ; kst uk dk i fj pkyu

प्रबन्ध योजना में निहित लक्ष्यों पर आधारित वार्षिक कार्य योजनाएं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक द्वारा परियोजना निदेशालय (भारत सरकार) को अनुमोदन एवं धन अवमुक्त करने हेतु प्रस्तुत की जाती थीं। प्रबन्ध योजना में निहित लक्ष्यों एवं वार्षिक कार्य योजना के निर्धारित लक्ष्यों में अन्तर पाया गया।

वर्ष 2001-06 की अवधि में प्रबन्ध योजना में निहित लक्ष्यों एवं वार्षिक कार्य योजना में प्रस्तावित लक्ष्यों की तुलना %jff"kl V 3-5-1% में पाया गया कि हालांकि परिक्षेत्रों ने प्रबन्ध योजना में निहित लक्ष्यों (46.67 करोड़ रुपये) से अधिक धन की मांग की थी, फिर भी रिकरिंग² व्यय का लक्ष्य 36.03 करोड़ रुपये से घटा कर 22.50 करोड़ रुपये कर दिया गया तथा "नान रिकरिंग" व्यय का लक्ष्य 10.64 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 28.27 करोड़ रुपये कर दिया गया। "रिकरिंग" कार्यों के लिए घटी मांगों के कारण घास के मैदानों एवं बाउण्ड्री के अनुरक्षण, अग्निशमन, फील्ड किटों की आपूर्ति तथा अनुश्रवण आदि जैसे कार्यों के लिए कम धन उपलब्ध हुआ। "नान रिकरिंग" मदों पर मांग की वृद्धि इस बात की द्योतक थी कि जैव सम्पत्तियों को सम्मिलित करते हुए, परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण तथा संरक्षण को यथोचित महत्व नहीं दिया गया।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2006) कि स्थाई परिसम्पत्तियों के बनाये जाने के महत्व को ध्यान में रखकर "नान रिकरिंग" व्यय का अनुपात धीमे-धीमे बढ़ाया गया तथा "रिकरिंग" व्यय का घटाया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विभाग द्वारा पूर्व में

fjdfjx f0; k
dyki ka grq de
/ku dh ekx l s
i fj {ks=ka ea
vuj {k. k dk; l
i hkkfor gq/k

¹ संरक्षित क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसे वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 18, 35 तथा 36 ए के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया है

² रिकरिंग व्यय जल छिद्रों के अनुरक्षण, घास के मैदानों का विकास, बाउण्ड्री का अनुरक्षण, अग्निशमन, फील्ड किटों की आपूर्ति तथा अनुश्रवण जैसे कार्यों को आच्छादित करते हैं

स्वीकृत प्रबन्ध योजना का पालन नहीं किया गया। यदि संरक्षित क्षेत्रों की आवश्यकताएं प्रबन्ध योजना के बनाये जाने के पश्चात बदल गई थी तो उसे पुनरीक्षित करवाया जाना चाहिए था।

3-5-7 foRrh; i' kkl u , oa fu; æ . k

3-5-7-1 okf"kd d; l ; kst ukvka rFkk mi Hkks i æk .k&i =ka dks i Lrqr djus ea foyEc

भारत सरकार "नान रिकरिंग" क्रियाकलापों हेतु धन उपलब्ध कराती थी तथा "रिकरिंग" कार्यों पर हुए व्यय का आधा वहन करती थी। "रिकरिंग" कार्यों का शेष आधा व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता था। भारत सरकार दो किशतों में राज्य सरकार को धन अवमुक्त करती थी। इस प्रकार प्राप्त धन, राज्य सरकार के हिस्से के साथ बाघ परिक्षेत्रों को राज्य सरकार द्वारा अवमुक्त किया जाता था। वार्षिक कार्य योजना के प्रस्तुत किये जाने, धन अवमुक्त किये जाने एवं उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने की अनुसूची निम्नवत् थी :

I kj .kh&1

| | |
|--|---|
| ck?k i fj ; kst uk Hkksr I jdkj ½ dh okf"kd d; k; u ; kst uk i Lrqr fd; k tkuk | |
| वित्तीय वर्ष के 15 अप्रैल से पूर्व | |
| Hkksr I jdkj }kj k jkT; I jdkj dks /ku voeDr fd; k tkuk | |
| प्रथम किशत | राज्य सरकार से वार्षिक कार्य योजना प्राप्त होने से चार सप्ताह के भीतर जिसमें वित्तीय वर्ष के मई माह से अधिक विलम्ब न हो। |
| द्वितीय किशत | गत वर्ष के उपभोग प्रमाण पत्र जिसमें गत वर्ष में अवमुक्त प्रथम किशत की साठ प्रतिशत धनराशि का उपयोग प्रमाणित हो, से दो सप्ताह के भीतर जिसमें वित्तीय वर्ष के माह दिसम्बर से अधिक विलम्ब न हो। |
| jkT; I jdkj }kj k ck?k i fj {ks=ka dk /ku dk voeDr fd; k tkuk | |
| भारत सरकार से धन प्राप्ति के 15 दिन के भीतर | |

mi Hkks i æk .k
i =ka dks i Lrqr
djus ea foyEc
ds dkj .k
1-35 djkm+
: i ; s voeDr
ugha gq

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 2001-06 की अवधि में किसी भी वर्ष में वार्षिक कार्य योजना तथा उपभोग प्रमाण पत्र के भारत सरकार को प्रस्तुत किये जाने एवं भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा धन अवमुक्त किये जाने की अनुसूची का अनुपालन नहीं किया गया। वर्ष 2001-06 में भारत सरकार को वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत किये जाने में 12 से 57 दिनों का विलम्ब (2004-05 के अतिरिक्त) किया गया जिसके कारण प्रथम किशत के अवमुक्त किये जाने में विलम्ब हुआ। प्रथम किशत के उपभोग की प्रगति के प्रस्तुत किये जाने में विलम्ब के कारण 1.35 करोड़ रुपये की दूसरी किशत वर्ष 2002-03 (0.36 करोड़ रुपये) तथा वर्ष 2005-06 (0.91 करोड़ रुपये) अवमुक्त नहीं हुई।

विभाग ने उत्तर में बताया (नवम्बर 2006) कि वार्षिक कार्यान्वयन योजनाओं की प्रस्तुति में विलम्ब नगण्य था तथा प्रथम किशत के उपभोग प्रमाण पत्र के प्रस्तुत किये जाने में कठिनाइयां थीं क्योंकि कार्य फरवरी में ही करवाये जाते थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि दूसरी किशत की अवमुक्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रथम किशत के मात्र 60 प्रतिशत का उपभोग किया जाना आवश्यक था तथा क्रियाकलापों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता था कि समुचित उपभोग समय से पूर्ण किया जा सके।

3-5-7-2 /ku dh mi yC/krk rFkk mi Hkks

वर्ष 2001-06 की अवधि में भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि एवं उसके उपभोग का विवरण निम्नवत् था :

I kj.kh & 2

%djkM+: i; se%

| o"kl | jKT; l jdkj ds ikl mi yC/k dlnh; fuf/k | | | ck?k ifj {ks=ka dks jKT; l jdkj }kj voeDr /ku | | jKT; l jdkj }kj ck?k ifj {ks=ka dks de voeDr dlnkd k | | fuf/k dk ifj {ks=ka }kj mi Hkks | |
|---------|---|---------------|------|---|-------------|--|-------------|------------------------------------|--|
| | i kO 'ksk | u; h voeDr | ; ks | dlnkd k | jKT; kd k | dlnkd k | jKT; kd k | | |
| 2001-02 | 0.29 | 0.98 | 1.27 | 0.75 | 0.27 | 0.52 | 0.73 | 0.27 | |
| 2002-03 | 0.52 | 0.33 | 0.85 | 0.33 | 0.11 | 0.52 | 0.32 | 0.11 | |
| 2003-04 | 0.52 | 1.74 | 2.26 | 1.63 | 0.83 | 0.63 | 1.63 | 0.83 | |
| 2004-05 | 0.63 | 1.75 | 2.38 | 1.87 | 0.87 | 0.51 | 1.79 | 0.87 | |
| 2005-06 | 0.51 | 1.63 | 2.14 | 1.63 | 0.80 | 0.51 | 1.63 | 0.80 | |
| ; ks | | 6.43 | | 6.21 | 2.88 | | 6.10 | 2.88 | |

i wkl dlnh;
fuf/k ck?k
ifj {ks=ka dks
voeDr ugha
dh xbl

राज्य सरकार ने केन्द्रांश का 0.51 करोड़ रुपये, आठ प्रतिशत, 2001-06 में परिक्षेत्रों को अवमुक्त नहीं किया। परिक्षेत्र भी 2001-06 में उन्हें अवमुक्त किये गये 6.21 करोड़ रुपये के सापेक्ष मात्र 6.10 करोड़ रुपये का उपभोग कर पाए जबकि उन्होंने इस अवधि में अपनी वार्षिक कार्य योजनाओं के माध्यम से 50.77 करोड़ रुपये की मांग की थी। यह तथ्य इंगित करता था कि परिक्षेत्र मांगी गई धनराशि का उपभोग करने में सक्षम नहीं थे।

विभाग ने उत्तर में बताया (नवम्बर 2006) कि राज्य सरकार द्वारा धन अवमुक्त किये जाने में कुछ प्रक्रियात्मक विलम्ब थे। पार्क भत्ते तथा प्रभावित लोगों को क्षतिपूर्ति का भुगतान न किया जाना बचत का कारण बताया गया (नवम्बर 2006)।

dk; Øe i cl/ku

3-5-8 Hkñe i cl/ku

3-5-8-1 vfpflgr l hek, a

n/kok dh
mRrjh
l hek; a
fplgr ugha
Fkha

दोनों बाघ परिक्षेत्र भारत नेपाल सीमा पर स्थित थे। दुधवा की उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी सीमा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा स्तम्भों द्वारा चिन्हित अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के साथ पड़ती थी $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 3-5-3 $\frac{1}{2}$ सीमा के साथ बहने वाली मोहना नदी दुधवा के काफी अन्दर सरक आई थी जिससे कई सीमा स्तम्भ ध्वस्त हो चुके थे। कुछ स्तम्भ गायब भी थे। उत्तर में बताया गया (नवम्बर 2006) कि जिलाधिकारी, खीरी से सीमा के अंतिम सर्वेक्षण का अनुरोध किया गया था। अग्रेतर प्रगति की सूचना नहीं दी गयी। इस प्रकार दुधवा की सीमा स्पष्ट रूप से चिह्नित नहीं थी जिससे अनाधिकृत शिकारियों आदि को भागने का आसान रास्ता मिलता था तथा जांच कठिन हो जाती थी।

3-5-8-2 Hkñe i fj {ks=ka ds dCts ea ugha

jyos }kj
[kkyh dh
xbl Hkñe
oki l ugha
yh xbl

सरकार ने 125.92 हेक्टेयर वन भूमि दुधवा से रेलवे को लाइन¹ बिछाने हेतु बिना मूल्य के इस शर्त के साथ हस्तान्तरित की (1894) कि यह भूमि आरक्षित वन भूमि रहेगी। दुधवा-गौरीफन्टा तथा दुधवा-चन्दन चौकी लाइने जो दुधवा के "कोर जोन" से गुजरती थीं, बन्द कर उखाड़ ली गई थी (1994) लेकिन भूमि वन विभाग को सौंपी नहीं गई थी। यह भूमि अभी रेलवे श्रमिकों (1994 से) तथा सशस्त्र सीमा बल (अप्रैल 2000 से) के लोगों के अनाधिकृत कब्जे में थी। विभाग ने बताया (नवम्बर 2006) कि रेलवे अधिकारियों के असहयोग के कारण यह भूमि अभी तक उनके कब्जे से बाहर थी तथा प्रकरण में अब कानूनी कार्यवाही पर विचार किया जा रहा था। इस प्रकार, विभाग की अकर्मण्यता के कारण रेलवे द्वारा दस वर्ष से भी अधिक पहले खाली की गयी वन भूमि अभी भी परिक्षेत्र के कब्जे से बाहर थी।

¹ मैलानी-पलिया-दुधवा-बिलराया-गोण्डा, दुधवा-गौरीफन्टा एवं दुधवा चन्दन चौकी

3-5-8-3 vfrØe.k

i fj {ks= ds cM\$
{ks= vfrØfer
jgs

दुधवा में 11 क्षेत्रों में 5.78 किमी भूमि 3725 लोगों एवं उनके 2173 पशुओं द्वारा काफी लंबे समय से अतिक्रमित थी। इसी प्रकार कतर्नियाघाट में गिरजापुरी में 38.42 वर्ग किमी क्षेत्र वर्ष 1975 से राजकीय केन्द्रीय बीज फार्म के अनाधिकृत कब्जे में था। इस प्रकार, दुधवा का काफी क्षेत्र तथा कतर्नियाघाट के "कोर जोन" का नौ प्रतिशत से अधिक (400 वर्ग किमी में से 38.42 वर्ग किमी क्षेत्र) अतिक्रमित रहा। इन अतिक्रमणों से वन सम्पदा, तथा पशु एवं पादप पर पड़ने वाले प्रभाव का आंकलन नहीं किया गया था। विभाग द्वारा दुधवा में अतिक्रमण समाप्त करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। राजकीय केन्द्रीय बीज फार्म का प्रकरण न्यायालय में लम्बित था। विभाग ने बताया (नवम्बर 2006) कि शीघ्र निर्णय हेतु प्रार्थना पत्र दायर किया जायेगा।

3-5-8-4 LFkkukUrj.k , oa i qokl u

i fj {ks= ds vlnj
fuokl dj us okys
ykska , oe i 'kq/ka
dh cMh l ; k ds
fy, i qibklku , oe
i qibl u dk; bde
vHkh cuk, tkus Fks

दुधवा द्वारा जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी को हस्तान्तरित (1975) 66.54 वर्ग किमी वन भूमि में 2.22 वर्ग किमी भूमि सुरमा ग्राम के निवासियों, जिसमें "कोर जोन" में रहने वाले 810 लोग तथा 1153 पशु सम्मिलित थे, के पुनर्स्थापन के लिए चिन्हित थी। उच्च न्यायालय के निर्णय (2003) के बावजूद भी सुरमा ग्रामवासियों को अभी स्थानान्तरित नहीं किया जा सका। ग्रामों के प्रबन्धन को राजस्व अधिकारियों को हस्तान्तरित (1978) कर दिये जाने के कारण उच्च न्यायालय ने जिलाधिकारी को गृह निर्माण आदि के लिए आर्थिक सहायता की व्यवस्था करने हेतु आदेशित किया फिर भी पुनर्वासन योजना तैयार नहीं की गई (नवम्बर 2006)। इसी बीच, उपजिलाधिकारी (एस डी एम) पलिया ने अवगत कराया (सितम्बर 2005) कि क्षेत्र अतिक्रमित हो जाने के कारण ग्रामीणों की पुनर्स्थापना हेतु उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार जिलाधिकारी द्वारा पुनर्वासन कार्यक्रम तैयार करने में विलम्ब के कारण वन क्षेत्र अतिक्रमित रहा। विभाग ने उत्तर में बताया (नवम्बर 2006) कि प्रकरण में कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी से जोरदार अनुरोध किया जा रहा था।

विभाग द्वारा 451 परिवारों एवं 1355 पशुओं वाले तीन ग्रामों हेतु पुनर्स्थापन एवं पुनर्वासन कार्यक्रम अभी तैयार किया जाना था (नवम्बर 2006)। इसी प्रकार, कतर्नियाघाट के "कोर जोन" में पड़ने वाले छः राजस्व ग्रामों एवं चार वन ग्रामों, जिनमें 9534 लोग तथा 6368 पशु निवास करते थे, के लिए भी पुनर्स्थापन एवं पुनर्वासन कार्यक्रम नहीं बनाए गये थे (नवम्बर 2006)। विभाग ने उत्तर में बताया (नवम्बर 2006) कि भारत सरकार को प्रस्तुत किये जाने के लिए पुनर्स्थापन एवं पुनर्वासन कार्यक्रम बनाये जा रहे थे। इस प्रकार पुनर्स्थापन एवं पुनर्वासन का कार्यक्रम न बनाये जाने के कारण, मानव एवं पशु जीवन "कोर जोन" से बाहर नहीं हटाए जा सकने के कारण जैविक दबाव बना रहा।

3-5-9 ck?k i fj {ks= dk i cl/ku

3-5-9-1 cQj tku cuk; k tkuk

जंगल के अन्दर एवं उसके आसपास निवास करने वालों की चराई, ईंधन एवं अन्य आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए तथा इनके कारण जनित जैविक दबाव को कम करने के लिए आरक्षित क्षेत्र में "कोर जोन" से अलग "बफर जोन" बनाया जाता है।

दुधवा बाघ परिक्षेत्र में दो अलग-अलग क्षेत्र, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान तथा किशनपुर अभ्यारण्य थे। मात्र दुधवा राष्ट्रीय पार्क में 190 वर्ग किमी का "बफर जोन" उपलब्ध था। "कोर जोन" में वन्य जीव को सन्तोषप्रद निवास प्रदान करने के लिए न तो किशनपुर में और न ही कतर्नियाघाट में "बफर जोन" चिन्हित किया गया था। विभाग ने उत्तर में बताया (नवम्बर 2006) कि कुछ निकटस्थ रेन्जों, जो "बफर जोन" का कार्य कर रहे थे, को अभी "बफर जोन" के रूप में ज्ञापित किया जाना था।

3-5-9-2 vkj f{kr {ks= l s xqt jus okys jsy o l M d r l = dk i Hkko

“कोर जोन” से गुजरने वाला रेल व सड़क-तंत्र वन्य जीवों के शांत जीवन को प्रभावित करने के अतिरिक्त उन्हें दुर्घटनाओं एवं शिकार के खतरों में भी डालता है। दुधवा एवं कतर्नियाघाट में से गुजरने वाले जनमार्गों की लम्बाई क्रमशः 85 व 48 किमी थी। इन सड़कों के अतिरिक्त, 45 किमी रेल मार्ग भी इन परिक्षेत्रों से गुजरता था। दुधवा में 13 चित्ती वाले हिरन, चार बड़े हिरन, दो घड़ियाल, चार बड़ी बिल्लियां, एक जंगली भालू, चार हाथी एवं दो बाघिने 1993-2006 के बीच रेल दुर्घटनाओं में मर चुके थे। एक बाघ, दो बाघ-शावक, एक नीलगाय, एक जंगली सूअर तथा चार चकत्ते वाले हिरन 2000-05 की अवधि में कतर्नियाघाट में भी मरे थे। विभाग ने कहा (नवम्बर 2006) कि दुधवा से रेलवे लाइन हटाने तथा कतर्नियाघाट में रेलगाड़ियों की गति धीमी करने के प्रस्ताव रेल विभाग के भेजे जा चुके थे। इस प्रकार वन्यजीवन सड़क व रेल यातायात से प्रभावित होता रहा।

3-5-9-3 vfXu l s j {kk

गर्मियों में जंगल में लगने वाली आग प्राकृतिक घटना है। अग्नि रेखा कही जाने वाली पट्टियों से घास एवं अन्य वनस्पतियों हटा दी जाती है जिससे आग अन्य क्षेत्रों में न फैल सके। आरक्षित क्षेत्रों में अग्निकांडों पर निगाह रखने के लिए स्थायी कर्मचारियों के अतिरिक्त निकट के ग्रामवासियों को अग्नि रक्षकों के रूप में नियुक्त किया जाता था। वर्ष 2001-06 में नियुक्त अग्नि रक्षकों एवं आग लगने की घटनाओं का विवरण निम्नवत् था :



drfuł k?kV ea vfXu j{kk; a

l kj . kh&3

| o"kl | vfrfjDr vfXu j {kdka dh l a ; k | | vfXu j {kdka dks nh x; h etnjh | | vkx yxus dh ?kVukvka dh l a ; k | | | vfXu i Hkfor {ks= |
|---------|---------------------------------|-----------|--------------------------------|-------|---------------------------------|------|------------|-------------------|
| | l a ; k | ekuo fnol | %yk [k : i ; se%a | ngkok | drfuł k?kV | ; kx | %gDVsv j % | |
| 2001-02 | 180 | 5787 | 2.72 | 04 | बाघ परियोजना के अंतर्गत नहीं | 04 | 07.00 | |
| 2002-03 | 180 | 6382 | 3.00 | 04 | | 04 | 13.60 | |
| 2003-04 | 180 | 17543 | 10.00 | 36 | 21 | 57 | 17.12 | |
| 2004-05 | 180 | 21614 | 12.32 | 12 | 02 | 14 | 18.20 | |
| 2005-06 | 180 | 21614 | 6.00 * | 12 | 02 | 14 | 44.50 | |

*(2005-06 में धन उपलब्ध न होने के कारण अग्नि रक्षकों को 6.32 लाख रुपये की मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ)

वर्ष 2000-01 में मात्र चार हेक्टेअर क्षेत्र आग से प्रभावित हुआ था। परन्तु, 2001-06 में 180 अतिरिक्त अग्नि रक्षक लगाये जाने के बावजूद यह सात हेक्टेअर (2001-02) से बढ़कर 44.50 हेक्टेअर (2005-06) हो गया। विभाग ने बताया (नवम्बर 2006) कि निकटस्थ क्षेत्रों में खेती के स्वरूप में बदलाव, भूमि उपयोग में बदलाव, यातायात घनत्व में वृद्धि, बदले में लगाई गयी आग तथा वन धरातल में सूखेपन के कारण परिक्षेत्र में वनाग्नि का खतरा बढ़ा था। यह उत्तर परिक्षेत्र प्रबन्धन द्वारा पर्यावरण विकास कार्यक्रमों के माध्यम से निकट के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाये जाने के लिए किये गये प्रयत्नों की कमी का द्योतक था।

3-5-9-4 ou vijk/k idj.k

ou vijk/kkacs
fy, fo'kSk
U; k; ky; ugha
cuk, x,

राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना के प्राविधानों के अनुरूप वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के अन्तर्गत पंजीकृत वन अपराध प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु विशेष न्यायालय स्थापित किये जाने थे। राज्य में इस प्रकार के न्यायालय स्थापित नहीं किये गये थे एवं वन अपराध प्रकरण भी अन्य अपराधिक मामलों के साथ ही देखे जाते थे।

वन अपराध पंजिकाओं के अनुसार परिक्षेत्रों में 2001-06 की अवधि में अवैध शिकार सहित वन अपराध प्रकरणों का विवरण निम्नवत् था:-

I kj . kh&4

| o"z | i f j {ks= dk uke | i k j f e h k d 'k'sk | o"z ea t m s | | o"z ea fu. kh r | | |
|---------|-------------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------------|---------------|-----------|
| | | | i d j . k | i d j . k | ; ksx | j at vk f Q I | U; k; ky; |
| 2001-02 | दुधवा | 507 | 151 | 107 | 551 | 65 | 486 |
| | कतर्नियाघाट | 1770 | 159 | 105 | 1824 | 1607 | 217 |
| 2002-03 | दुधवा | 551 | 146 | 96 | 601 | 82 | 519 |
| | कतर्नियाघाट | 1824 | 164 | 96 | 1892 | 1656 | 236 |
| 2003-04 | दुधवा | 601 | 122 | 82 | 641 | 92 | 549 |
| | कतर्नियाघाट | 1892 | 138 | 48 | 1982 | 1727 | 255 |
| 2004-05 | दुधवा | 641 | 136 | 76 | 701 | 125 | 576 |
| | कतर्नियाघाट | 1982 | 106 | 04 | 2084 | 1799 | 285 |
| 2005-06 | दुधवा | 701 | 130 | 68 | 763 | 180 | 583 |
| | कतर्नियाघाट | 2084 | 102 | 20 | 2166 | 1861 | 305 |

यद्यपि, 2001-06 के मध्य नये प्रकरणों का पंजीकरण दुधवा में 151 से घटकर 130 तथा कतर्नियाघाट में 159 से घटकर 102 हो गया था, वन अपराध प्रकरणों के मंथर निस्तारण के कारण रेंज/प्रभाग स्तर पर 2001-06 में जांच के अन्तर्गत प्रकरणों की संख्या दुधवा में 65 से बढ़कर 180 तथा कतर्नियाघाट में 1607 से बढ़कर 1861 हो गई। इसी अवधि में न्यायालय में लम्बित प्रकरणों की संख्या दुधवा में 486 से बढ़कर 583 तथा कतर्नियाघाट में 217 से बढ़कर 305 हो गई।

3-5-9-5 ol; t h o k a d k v o y k f ' k d k j

अवैध शिकार रोकने के लिए परिक्षेत्रों में पूरे वर्ष सुरक्षा रक्षक नियोजित किये जाते थे। स्थानीय ग्रामीणों को भी अतिरिक्त रक्षकों के रूप में मानसून के दौरान आशंकापूर्ण क्षेत्रों एवं लोगों की सामूहिक पेट्रोलिंग तथा निगाह रखने के लिए नियोजित किया जाता था। अवैध शिकार के प्रकरणों का विवरण निम्नवत् था :

I kj . kh&5

| o"z | n q / k o k | | | | d r f u z ; k ? k k v | | | |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| | i a t h d r i d j . k k a d h I d ; k | f u . k h r i d j . k | y f e c r i d j . k | | i a t h d r i d j . k k a d h I d ; k | f u . k h r i d j . k | y f e c r i d j . k | |
| | | | t k a p t k j h | U; k; ky; ea | | | t k a p t k j h | U; k; ky; ea |
| 2001-02 | 37 | 22 | 2 | 13 | 11 | 6 | 5 | शून्य |
| 2002-03 | 59 | 41 | 6 | 12 | 14 | 7 | 6 | 1 |
| 2003-04 | 45 | 26 | 3 | 16 | 06 | शून्य | 4 | 2 |
| 2004-05 | 37 | 22 | 2 | 13 | 13 | 1 | 5 | 7 |
| 2005-06 | 56 | 27 | 25 | 4 | 26 | 9 | 14 | 3 |
| ; ksx | 234 | 138 | 38 | 58 | 70 | 23 | 34 | 13 |

बाघ के अवैध शिकार के चार प्रकरण (2001-02 व 2003-04 में एक-एक एवं 2002-03 में दो) दुधवा में पंजीकृत अवैध शिकार के 234 प्रकरणों में सम्मिलित थे। इसी प्रकार कतर्नियाघाट में पंजीकृत 70 प्रकरणों में 2004-05 में घटित बाघों के अवैध शिकार के तीन प्रकरण सम्मिलित थे। बाघों के अवैध शिकार के सभी प्रकरण न्यायालयों में लम्बित थे। साथ ही दुधवा में 38 में से आठ प्रकरण (21 प्रतिशत) तथा कतर्नियाघाट में 34 में से 13 प्रकरण (38 प्रतिशत) प्रभागीय स्तर पर जांच हेतु तीन वर्ष से अधिक अवधि से लम्बित रहे।

अवैध शिकार सहित वन अपराध प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में विभाग ने बताया (नवम्बर 2006) कि पिछले कुछ वर्षों में अवैध शिकार एवं अवैध पातन की कड़ी निगरानी के कारण इस अवधि में अधिक प्रकरण प्रकाश में आए। जांच में विलम्ब एवं अवैध शिकारियों को सजा दिलाने में विलम्ब से उन्हें मिलने वाले प्रोत्साहन से वन्यजीवों की अपूरणीय हानि हो रही थी।

3-5-10 yrk&csyka , oa , dd ouLi fr; ka dk gVk; k tkuk

3-5-10-1 yrk] csya , oa vU; t'xyh i'k'ks

yrk csyks rFkk
, dd ouLi fr
ds u gVk,
tkus l ' ?kkI
ds ehku
i Hkkfor gq

दुधवा के उत्तरी बफर के क्षेत्रफल 123.40 वर्ग किमी था वन क्षेत्र में लता-बेलों की 12 प्रजातियों का अनियंत्रित विकास घास के मैदानों को प्रभावित कर रहा था। वर्ष 2001-02 में 119.09 वर्ग किमी (97 प्रतिशत) क्षेत्र में लता-बेलों की घनी चटाई बन जाने के कारण चराई की कम उपलब्धता की वजह से निवास का वन्य जीवों द्वारा समुचित उपभोग बाधित था। प्रबन्ध योजना में दो पंचवर्षीय चक्रों के तीन अनुक्रम के कार्यक्रम प्राविधानित थे। बनकटी, दुधवा तथा उत्तर सोनारीपुर रेंजों में वर्ष 2005-06 तक प्रभावित क्षेत्रों का 46 प्रतिशत क्षेत्र साफ करवा लिया जाना चाहिए था। दुधवा में क्षेत्रों को लता-बेलों से साफ कराने की कोई कार्यवाही नहीं की गयी। 2001-02 के पश्चात लता-बेलों के फैलाव का आंकलन भी नहीं किया गया था।

3-5-10-2 y'V'kuk

दुधवा की प्रबन्ध योजना में दक्षिणी बफर के मोहाली ब्लाक (क्षेत्रफल 1886.24 हे0) के 600 हेक्टेअर (32 प्रतिशत) तथा गुरला ब्लाक (कुल क्षेत्र 2582.82 हे0) के 800 हेक्टेअर (31 प्रतिशत) क्षेत्र में लैन्टाना के फैलाव का उल्लेख था तथा अन्य क्षेत्रों में विशेषकर "कोर जोन" में फैलाव रोकने के लिए इसका उन्मूलन आवश्यक बताया गया था। "कोर जोन" का 10 हेक्टेअर क्षेत्र भी लैन्टाना प्रभावित था। कतर्नियाघाट में लैन्टाना 100 हेक्टेअर क्षेत्र में फैल चुका था। दुधवा में 2001-02 में प्रभावित 1410 हेक्टेअर में से 1310 हेक्टेअर (93 प्रतिशत) क्षेत्र को 2005-06 के अन्त में लैन्टाना मुक्त किया जाना शेष था। हालांकि, कतर्नियाघाट में 2003-06 में पचास प्रतिशत क्षेत्र साफ किया जा चुका था।

3-5-10-3 fl Ecki ksxku rFkk i kFkh'ru; e

दोनों ही परिक्षेत्रों में वन क्षेत्र लैन्टाना के अतिरिक्त अन्य अखाद्य वनस्पति जैसे सिम्बोपोगान व पार्थीनियम से प्रभावित थे। क्रमशः 2001-02 तथा 2003-04 में चिन्हित दुधवा के 2000 में से 1658 हेक्टेअर (83 प्रतिशत) तथा कतर्नियाघाट के 500 में से 200 हेक्टेअर (40 प्रतिशत) क्षेत्र 2005-06 के अंत में साफ किया जाना शेष था। परिक्षेत्रों ने समीक्षागत अवधि में इन जंगली घासों के फैलाव का आकलन भी नहीं किया गया था।

विभाग ने उत्तर में बताया (नवम्बर 2006) कि जंगली घासों की सफाई धन की उपलब्धता के अनुरूप तथा उनके फैलाव के वार्षिक अनुश्रवण के बाद किया जाता था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निकटस्थ ग्रामीणों को वन उपज उपलब्ध करवाने हेतु जंगली घासों का सफाई आवश्यक थी। इनकी सफाई न होने से वनस्पतियों की गुणवत्ता के प्रभावित होने का खतरा था।

3-4-10-4 ; dfyIVl

प्रबन्ध योजना में यूकेलिप्टस के क्रमिक उन्मूलन की व्यवस्था थी क्योंकि इनका ऊर्ध्व विकास तथा बहुत कम और ऊँची पत्तियों के कारण वन्य जीवों को न तो चारा और न ही छाया मिलती थी। उप निदेशक, दुधवा द्वारा 2000-05 की अवधि में चिन्हित 1309.93 हेक्टेअर में से मात्र 158.59 हेक्टेअर (12 प्रतिशत) क्षेत्र सफाई के लिए उप वन निगम को आवंटित किया गया। क्षेत्र की सफाई अभी भी (नवम्बर 2006) शेष थी क्योंकि छपान न होने के कारण वृक्षों को काटा नहीं जा सका था। विभाग ने उत्तर में

बताया (नवम्बर 2006) कि कुछ क्षेत्रों में वृक्ष काटे गये थे परन्तु उच्चतम न्यायालय की सेन्ट्रल एमपावर्ड कमेटी (सी ई सी) के निर्देश (जुलाई 2004) के अनुसार कटान रोक दी गयी थी और सी ई सी की अनुमति के लिए वाद तैयार किया जा रहा था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सी ई सी के निर्देश जुलाई 2004 में जारी हुए थे और प्रबन्ध योजना में निर्धारित समयसारणी के अनुसार मई 2004 तक, अर्थात् उक्त निर्देश जारी होने से पूर्व ही, 1170.49 हेक्टेयर¹ (89 प्रतिशत) क्षेत्र साफ कर लिया जाना चाहिए था। यह भी उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रबन्ध योजनाओं के अनुसार संरक्षात्मक कार्यों के करवाए जाने की अनुमति दे दी गई थी (नवम्बर 2005)।

3-5-11 Hk&l j{k.k

3-5-11-1 ty {ks=ka dh feVWh I Qkbl

feVWh ds
Hkjh teko
I s i Hkfor
ou ouLifr

जल ग्रहण क्षेत्रों में वनस्पतियों के प्राकृतिक प्रजनन के प्रभाव का समयबद्ध आकलन किया जाना चाहिए था क्योंकि वनस्पतियों का प्राकृतिक प्रजनन भू-क्षरण एवं मिट्टी के जमाव को रोककर जल क्षेत्रों के बहाव को बढ़ाता है। हालांकि नेपाल में उद्गम रखने वाली सुहेली, मोहना, डोडा, जोराहा, नगरोल, नकुआ तथा नेवटा नदियां एवं जल धाराएं दुधवा से बहती थीं और नेपाली भाग में वनों के कटाव ने जल में मिट्टी का भाग बढ़ा दिया था, परिक्षेत्र में ऊपर इंगित आकलन नहीं किया गया था। उक्त कारण से होने वाली मिट्टी के जमाव व जल भराव के कारण साल के वृक्ष बड़ी संख्या में किरतपुर ब्लाक (619.57 हेक्टेयर में से 569.57 हेक्टेयर) तथा अमरगढ ब्लाक (992.69 हेक्टेयर में से 223.98 हेक्टेयर) में सूख रहे थे। विभाग ने बताया (नवम्बर 2006) कि मंत्रालय को कठिनाई से अवगत करा दिया गया था। इस प्रकार, नदियों में मिट्टी का जमाव परिक्षेत्रों पर बुरा प्रभाव डाल रहा था।



I ggyh unli feVWh teko

3-5-11-2 c;jkt cuus ds dkj.k ck<+, oa feVWh dk teko

शासन ने नीचे पड़ने वाले क्षेत्रों में बाढ़ एवं जल भराव रोकने के लिए सुहेली नदी पर बैराज बनवाने का निर्णय लिया। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित (1976) एक समिति की बैराज के आरक्षित क्षेत्र पर दुष्प्रभाव के कारण निर्माण न करने की संस्तुति को अनदेखा करते हुए सिंचाई विभाग ने दुधवा से 2.5 किमी दूर एक बैराज का निर्माण करवाया (1983)। इस बैराज का निर्माण दुधवा के सटियाना, कुसुमहा एवं ककरहा क्षेत्रों में बाढ़ व जल भराव बढ़ाने तथा हिरनों से आवासित इस क्षेत्र में नदी की तलहटी में मिट्टी के भारी जमाव साल वृक्षों के सूखने तथा घास के खुरदुरा होने का कारण बना। विभाग ने बैराज निर्माण के कारण होने वाली हानि को स्वीकार किया (नवम्बर 2006) तथा बताया कि उच्च न्यायालय में इस विषय पर एक जनहित याचिका विचाराधीन थी।

3-5-12 ?kkl ds eñkuka dk i;aku

?kkl ds eñkuka dk
i;aku vi;kar Fkk
ftlls 'kkdkgkj
thoka dh of) ij
cjk i Hkko i Mk

दुधवा तथा कतर्नियाघाट की प्रबन्ध योजनाओं में उल्लेख था कि वर्षाकाल में लगभग सम्पूर्ण घास के मैदानों के खुरदुरी एवं अखाद्य घास से भर जाने के कारण शाकाहारी जीव आसपास के क्षेत्रों में जहां बेहतर चारा एवं पर्याप्त प्रश्रय मिलता है, चले जाते थे। इन जीवों को परिक्षेत्र में रोके रहने के लिए घास की लगातार कटान, नियंत्रित जलाना, क्रास हैरोइंग, तथा बीज बुआन आदि प्रस्तावित थे।

¹ 2000-01 : 165.89, 2001-02 : 514.64, 2002-03 : 325.77 तथा अप्रैल मई 2004 बिलकायां ब्लाक के नागरा 6 में 40.47 हे०

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि दुधवा में उपचार हेतु चिन्हित 4705 हेक्टेयर घास के मैदानों में से 2875 हेक्टेअर (60 प्रतिशत) ही उपचारित हो सके और कतर्नियाघाट में 3045 हेक्टेयर के लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 710 हेक्टेयर (23 प्रतिशत) की प्राप्ति रही। दोनों ही परिक्षेत्रों में घास के मैदानों के प्रबन्धन पर कम ध्यान दिये जाने से शाकाहारी जानवरों का विकास प्रभावित हुआ जैसा कि अगले प्रस्तर में वर्णित है। विभाग ने उत्तर में बताया (नवम्बर 2006) कि घास के मैदानों का रखरखाव धन की उपलब्धता के अनुरूप किया जाता था। उत्तर से पुष्टित था कि घास के



nqkok es v f/kd c<h ?kkl a

मैदानों का समग्र प्रबन्धन न कर केवल कुछ ही क्षेत्रों में कार्य किया गया।

3-5-13 'kkdkgkjh tkuojka ds de fodkl l s f'kd kj dh mi yC/krk i Hkkfor jgh

f'kd kj gsrq
mi yC/k tkuojka
dh l a f'pr
l a f'k ck?kka dh
l a f'pr l a f'k
ds fy, dkQh
ugha Fkh

वाइल्डलाइफ इन्स्टीट्यूट आफ इण्डिया, देहरादून के अनुसार शाकाहारी जानवरों की सामान्य वार्षिक वृद्धि दर 30 प्रतिशत थी तथा बाघ उपलब्ध जानवरों के दस प्रतिशत का शिकार प्रति वर्ष कर लेते थे। 2001-05 की अवधि में शाकाहारी जानवरों की संख्या में वृद्धि का विवरण *ifff'k"V 3-5-4* में दिया गया है। इन आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सांभर तथा बारासिंघा के अतिरिक्त समस्त प्रजातियों का विकास या तो सामान्य से कम या फिर ऋणात्मक था। विभाग ने उत्तर में कहा (नवम्बर 2006) कि चार प्रमुख शिकार की प्रजातियों की संख्या या तो बढ़ी या स्थिर रही। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि तीस प्रतिशत की वृद्धि दर में यदि बाघों द्वारा खाए जाने वाले दस प्रतिशत को समायोजित भी कर दिया जाए तो भी उनकी संख्या बढ़नी चाहिए थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि शाकाहारी जानवरों के कम विकास ने बाघों के लिए शिकार की उपलब्धता को प्रभावित किया।

शिकार हेतु उपलब्ध जानवरों की वर्ष 2001, 2003 व 2005 में की गयी गणना के अनुसार दोनों ही परिक्षेत्रों में बाघों की समुचित संख्या को सहारा देने के काबिल शाकाहारी जानवर उपलब्ध नहीं थे। शिकार हेतु उपलब्ध जानवरों के विवरण *W fff'k"V 3-5-4* से स्पष्ट था कि यद्यपि दुधवा में शिकार हेतु उपलब्ध जानवरों की कमी 55 प्रतिशत से घटकर 35 प्रतिशत (2005) रह गई, कतर्नियाघाट में 2001-05 में यह 53 से 55 प्रतिशत के बीच रही। इस प्रकार समुचित वयस्क बाघों की संख्या के आहार के लिए समुचित शिकार के जानवर उपलब्ध नहीं थे।

3-5-14 ck?k dh l j {kk

3-5-14-1 ck?k x.kuk

समीक्षा अवधि में राज्य वन्य जीव गणना 2001, 2003 एवं 2005 में की गयी तथा राष्ट्रीय गणना, 2002 एवं 2006 में हुई। 2001-06 में हुई गत पांच गणनाओं के परिणाम निम्नवत् थे :

l kj.kh & 6

| x.kuk dk o"kl | Ckk?kka dh l a f'pr l a f'k | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|------|-------|-------|---------------|------|-------|-------|
| | nqkok | | | | drfuZ k ?kkV | | | |
| | uj | eknk | 'kkod | ; ksx | uj | eknk | 'kkod | ; ksx |
| 2001 (राज्य) | 31 | 59 | 11 | 101 | 16 | 24 | 10 | 50 |
| 2002 (राष्ट्रीय) | 33 | 76 | 06 | 115 | कोई गणना नहीं | | | |
| 2003 (राज्य) | 26 | 70 | 14 | 110 | 14 | 27 | 04 | 45 |
| 2005 (राज्य) | 32 | 62 | 12 | 106 | 14 | 23 | 05 | 42 |
| 2006 (राष्ट्रीय) | राष्ट्रीय गणना रिपोर्ट प्रतीक्षित | | | | | | | |

दुधवा में बाघों की कुल संख्या 115 (2002) से घट कर 106 (2005) रह गई तथा कतर्नियाघाट में 58 (2001) से घट कर 42 (2005) रह गई। बाघिनों की संख्या भी दुधवा में 76 (2002) से घट कर 62 (2005) रह गई तथा कतर्नियाघाट में 27 (2003) से घट कर 23 (2005) हो गई। संख्या में कमी के कारणों की जांच नहीं की गयी।

वाइल्डलाइफ इन्स्टीट्यूट आफ इण्डिया, देहरादून के अनुसार बाघ शावक स्वतंत्र होने में 20 से 26 माह लेते हैं। इस प्रकार प्रत्येक दो वर्ष बाद शावकों की संख्या वयस्कों में सम्मिलित हो जाती है। जैसा कि *ifff'k"V 3-5-5* में दर्शाया गया, संख्या में बढ़त अनुमानित बढ़त से काफी कम रही।

उपनिदेशक, दुधवा ने बताया (अप्रैल 2006) कि सामान्य नर-मादा अनुपात 1 : 3 था। उपरोक्त सारणी से स्पष्ट था कि दोनों ही परिक्षेत्रों में यह अनुपात नहीं बनाए रखा गया।

बाघिन का गृह क्षेत्र 18 से 40 वर्ग किमी होता है। बाघिन का गृह क्षेत्र 18 वर्ग किमी मानते हुए तथा प्रत्येक बाघ के लिए तीन बाघिन उपलब्ध मानते हुए दुधवा के 694 वर्ग किमी के "कोर जोन" में मात्र 39 बाघिने एवं 13 बाघ रह सकते थे जबकि जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार 62 बाघिनों एवं 32 बाघों की उपलब्धता सूचित की गयी थी। इसी प्रकार कतर्नियाघाट के कोर जोन (400 वर्ग किमी) में सूचित 23 बाघिनों व 14 बाघों के सापेक्ष मात्र 22 बाघिन व सात बाघ रह सकते थे।

उपनिदेशक, दुधवा ने अवगत कराया (अप्रैल 2004) कि वयस्क-शावक अनुपात जैसा कोई विचार नहीं था परन्तु एक प्रसव में सामान्यतया दो शावक उत्पन्न होते थे। पुनः वाइल्डलाइफ इन्स्टीट्यूट आफ इण्डिया के अनुसार एक वयस्क बाघिन दो-तीन वर्ष में एक बार गर्भधारण करती थी। अतः यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष एक तिहाई बाघिनों ने दो शावकों को जन्म दिया, शावकों की संख्या सूचित संख्या से काफी अधिक होनी चाहिए थी, जैसा कि *ifff'k"V 3-5-5* में प्रदर्शित है।

प्रतिकूल नर-मादा अनुपात, शावकों की कम संख्या तथा समस्त शावकों का वयस्कता प्राप्त न करना जनगणना के आंकड़ों का ठीक न होना इंगित करता था। जगह और शिकार के लिए उपलब्ध जानवरों का नाकाफी होना बाघों के सामान्य से कम प्रजनन का एक कारण था।

विभाग ने उत्तर में बताया (नवम्बर 2006) कि परिक्षेत्रों के निकट के क्षेत्रों में बढ़ता जैविक दबाव उनके विकास को प्रभावित कर रहा था तथा गणना की संख्या अंतिम नहीं थी क्योंकि पदचिन्हों के आधार पर की गई गणना सांकेतिक थी एवं अशुद्धि का विस्तार ± 20 प्रतिशत तक रहता था। यह इंगित करता है कि बाघों की गणना के लिए अपनाई गई तकनीक के प्रभावी न होने के तथ्य से अवगत होने के बावजूद विभाग द्वारा अधिक शुद्ध नई तकनीक का प्रयोग नहीं किया जा रहा था।

3-5-14-2 i fj {ks=ka l s ckgj ck?kka dh vkcknh

बाघों की आबादी को अवैध शिकार के जोखिम अथवा निकट की बस्ती के लोगों द्वारा मारे जाने से बचाने के लिए तथा उन्हें स्वस्थ सुरक्षित निवास उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से परिक्षेत्रों में उन्हें समुचित शिकार व सुरक्षा मुहैया करवाई जाती है। तथापि, परिक्षेत्रों से बाहर बाघों के देखे जाने से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 2001-06 में परिक्षेत्रों से बाहर बाघों की संख्या दुधवा के आसपास 26 (2001) तथा 35 (2005) के बीच रही तथा कतर्नियाघाट के आसपास 17 (2001) तथा 16 (2005) के बीच रही। इस अवधि में परिक्षेत्र में अंदर बाघों की सूचित संख्या में कमी आई, जैसा कि गत प्रस्तर में वर्णित है। यह परिक्षेत्रों के अन्दर क्षेत्रफल तथा शिकार की कमी इंगित करता था। विभाग ने उत्तर में बताया (नवम्बर 2006) कि जब परिक्षेत्र में बाघों की संख्या उसकी क्षमता से अधिक हो जाती है तो वह पास के क्षेत्रों में आ जाते हैं।

lfj {ks=ka dk
{ks=Qy ck?kka
dh l a fpr
l a; k ds fy,
vi; klr Fkk

ck?kka dh
tul a; k
dh v'kq
x.kuk

lfj {ks=ka ds ckgj
ck?kka dh l a; k
c<h tcf
i fj {ks= ds
vlnj much
l a; k ?kVh

dkjhMkj u gk.us
ds dkj .k ck?kka
dk fopj.k
l hfer Fkk tks
muds LokLF;
fodkl dks
i Hkkfor dj
l drk Fkk

3-5-14-3 vfrfjDr iztkfr; ka dk pkyu

बाघ केवल समुचित शिकार वाले वन क्षेत्रों द्वारा ही परिचालित हो सकते हैं। वाइल्डलाइफ इन्स्टीट्यूट आफ इण्डिया, देहरादून द्वारा दी गई सूचना (अप्रैल 2006) के अनुसार ऐसी अवस्था में जबकि ऐसे सम्पर्क उपलब्ध न हो, निकट रिश्तेदारों में प्रजनन होता है जो उनकी जनसंख्या की लम्बी जीवितता के लिए नुकसानदेह है।

यद्यपि दुधवा के दोनों कोर जोन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान तथा किशनपुर अभयारण्य एक दूसरे से लगभग 15 किमी दूर थे, दोनों कोर जोनों के बीच पशुधन के चालन की सुविधा प्रदान करने के लिए उनको जोड़ने वाला कोई कारिडोर उपलब्ध नहीं था और न ही नियोजित था। दोनों बाघ परिक्षेत्र, दुधवा और कतर्नियाघाट भी जुड़े हुए नहीं थे। विभाग ने कारीडोर की अनुपलब्धता स्वीकार की (नवम्बर 2006)। कारीडोर की अनुपलब्धता बाघों की जनसंख्या में जैविकी ह्रास की सम्भावना पैदा करती थी।

3-5-15 l j {kk mi k;

3-5-15-1 tkf[ke ; Ør iztkfr; ka dh l j {kk ds fy, depkfj; ka dks i kfj rkf"kd

जैसा कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 में निहित है, कर्मचारियों को पारितोषिक देना, परिक्षेत्रों में परिचालित नहीं थी (नवम्बर 2006)। इस उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि (1.40लाख रुपये)¹ 2001-06 के दौरान अप्रयुक्त रही। विभाग ने उत्तर में बताया (नवम्बर 2006) कि वांछित शासनादेश न होने के कारण इनका भुगतान नहीं किया गया।

3-5-15-2 l puk@vfhkl ipuk l xg.k

वन अपराध प्रकरणों को रोकने के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना में अभिसूचना संग्रहण के लिए "गुप्त कोष" बनाए जाने की, मीटिंग व प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से पुलिस व अर्धसैनिक बलों की पहुँच बढ़ाने, क्षेत्रीय वन्य जीव प्रयोगशाला स्थापित करने, समस्त प्रतिबन्धित वनस्पति तथा जीव प्रजातियों एवं उनके उत्पादों की पहचान सामग्री तैयार करने और निकास बिन्दुओं पर अतिरिक्त व विशिष्टीकृत निगरानी करने की संस्तुति सन्निहित थी। यह संस्तुतियाँ अभी लागू की जानी शेष थी। विभाग ने धन की कमी को इनके लागू न किये जा सकने का कारण बताया (नवम्बर 2006)।

3-5-15-3 ol; tho i ; Mu

राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना के निर्देशानुसार वन्यजीव पर्यटन के अलग दिशा-निर्देश बनने थे, संरक्षित क्षेत्रों में स्थित निवास एवं पर्यटन सुविधाओं का उनके पुनर्स्थापन की दृष्टि से सर्वेक्षण, पर्यटन के कुप्रभाव का आकलन, संरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश करने वाले पर्यटकों एवं पर्यटन वाहनों की सीमा निर्धारित करने तथा वन्य जीव पर्यटन क्रियाकलापों को नियंत्रित करने हेतु राज्य स्तरीय "ईको टूरिजम एडवाइजरी बोर्ड" का गठन किया जाना था। राज्य में वन्य जीव पर्यटन तदर्थ रूप से चलाया जा रहा था क्योंकि अभी उक्त समस्त कार्यवाहियाँ की जानी शेष थी।

पुनश्च, पर्यटन से प्राप्त राशियों का उपयोग पर्यावरण विकास सम्बन्धी कार्यों के लिए "विकास निधि" बनाए जाने हेतु किया जाना था। वर्ष 2001-06 में दुधवा में 24305 पर्यटकों से 36.03 लाख रुपये तथा कतर्नियाघाट में 167 पर्यटकों से 2.23 लाख रुपये प्राप्त हुए। विकास निधि बनाये जाने के स्थान पर इन प्राप्तियों को राज्य के राजस्व के अंतर्गत जमा कर दिया गया। विभाग ने उत्तर में कहा (नवम्बर 2006) कि मुद्दा निरीक्षण में है।

¹ 2001-02 में 0.20 लाख, 2002-03 में 0.20 लाख तथा 2005-06 में 1.00 लाख

3-5-15-4 i fj {ks= i fj | Ei fRr; ka dk okf. kfT; d mi ; ksx

उच्चतम न्यायालय द्वारा आरक्षित क्षेत्रों की परिसम्पत्तियों के वाणिज्यिक एवं अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग पर रोक लगाने/कठोरता से सीमित करने सम्बन्धी आदेश (फरवरी तथा नवम्बर 2000) के विपरीत परिक्षेत्र प्रबन्धन ने दुधवा में स्थित 25 बिस्तरों वाली डारमिटरी तथा 12 थारू झोपड़ियाँ उग्र पर्यटन विकास निगम (निगम) को 15 नवम्बर 2005 से 15 जून 2006 तक की अवधि में "संचालित यात्राओं" के लिए सौंप दी। यह भी निर्णय लिया गया कि इन परिसम्पत्तियों का नियंत्रण प्रतिवर्ष 15 नवम्बर से 15 जून तक की अवधि के लिए, तीन वर्ष (2005-08) तक निगम को सौंप दिया जायेगा। निगम द्वारा परिक्षेत्र की परिसम्पत्तियों के वाणिज्यिक उपयोग की अनुमति देना उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन था। विभाग ने बताया (नवम्बर 2006) कि निगम के साथ व्यवस्था गैर-वाणिज्यिक थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निगम पर्यटन सम्बन्धी कार्य करने वाली एक वाणिज्यिक संस्था थी न कि गैर-वाणिज्यिक।

3-5-15-5 bf.M; k bdk; MoyieV i kstDV dk vi Hkkoh dk; kWo; u

पर्यावरण विकास के कार्यकलाप, जैसे ग्राम स्तरीय "इको डेवलपमेन्ट कमेटी" (ई डी सी) को कृषि-वानिकी माइक्रो प्लान हेतु आर्थिक व तकनीकी सहायता और स्कूल व्यवस्था के माध्यम से पर्यावरण जागरूकता का विकास, मुद्रित एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से जन जागरण अभियान, आसपास के क्षेत्रों में रहने वालों में पर्यावरण जागरूकता का विकास कर जैविक दबाव कम करने के उद्देश्य से परिक्षेत्रों में सामान्य प्रबन्धकीय क्रियाकलापों के रूप में कराये जाने थे। ई डी सी द्वारा परिक्षेत्रों में प्राप्त धनराशि को राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा कर "इको डेवलपमेन्ट फण्ड" बनाया जाना था। इको डेवलपमेन्ट फण्ड पर प्राप्त ब्याज को अनुदान का भाग माना जाना था। ई डी सी के द्वारा उपभोग की गयी धनराशि हेतु उपभोग प्रमाण पत्र परिक्षेत्र प्रबन्धन को प्रस्तुत करना था। इस प्रकार के क्रियाकलापों का सम्पूर्ण व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाना था।

2001-06 के दौरान दुधवा ने आठ इको डेवलपमेन्ट कमेटीज को 30.50 लाख रूपये की धनराशि उपलब्ध करायी। किसी भी ई डी सी ने इको डेवलपमेन्ट फण्ड सृजित नहीं किया। ई डी सीज द्वारा प्राप्त धनराशि को सीधे खर्च कर दिया गया। पुनश्च, किसी भी ई डी सी द्वारा प्राप्त निधि के सापेक्ष उपभोग प्रमाण पत्र अभी तक (नवम्बर 2006) प्रस्तुत नहीं किया गया था। जन जागरण के लिए परिक्षेत्रों ने पास के गांवों में कार्यरत ई डी सी के माध्यमों से भाषणों का आयोजन किया तथा परचे बंटवाए।

इन कार्यकलापों से जैव सम्पदा के दोहन पर प्रभाव का आकलन नहीं किया गया। हालांकि, दुधवा में अनाधिकृत चराई तथा जलौनी लकड़ी बिनाई से सम्बन्धित वन अपराध के प्रकरण, जो 31 (2001-02) तथा 56 (2005-06) के बीच रहे, जागरूकता की कमी तथा नजदीकी जनता के चराई एवं जलौनी लकड़ी के लिए वनक्षेत्रों पर लगातार आश्रित रहने को इंगित करते थे। इस प्रकार, इको डेवलपमेन्ट गतिविधियों का संचालन वन सम्पदा पर जैविक दबाव कम करने से असफल रहा।

3-5-16 tu'kfDr i xU/ku

3-5-16-1 chV j {kdk, oa QkjLVj dh fu; fDr

वाइल्डलाइफ इन्स्टीट्यूट आफ इण्डिया के अनुसार (अप्रैल 2006) एक बीट रक्षक को 20 वर्ग किमी क्षेत्र अच्छादित करना था तथा एक रेन्ज में दो या तीन फारेस्टर नियुक्त किये जाने थे। सम्बन्धित आंकड़े का विश्लेषण बीट रक्षकों एवं फारेस्टरों की अधिक नियुक्ति प्रकाश में लाया क्योंकि परिक्षेत्रों के कुल क्षेत्रफल 1284 वर्ग किमी हेतु 141 बीट रक्षक लगाये गये थे जबकि 64 ही अनुमन्य थे। इसी प्रकार 13 रेन्जों के लिए 54 फारेस्ट नियुक्त थे जबकि मात्र 39 ही अनुमन्य थे।

विभाग ने उत्तर में बताया (नवम्बर 2006) कि राज्य में बीट व्यवस्था बहुत पुरानी थी तथा पुनर्विचार मांगती थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि बदले हालातों में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि, यदि कोई थी तो, विभाग द्वारा प्रस्तावित नहीं था।

3-5-16-2 o) ykxka dh chV j {kdka , oa Qkj lVI l ds : i ea fu; fDr

वाइल्डलाइफ इन्स्टीट्यूट आफ इण्डिया, देहरादून ने उल्लेख किया था कि बीट रक्षकों एवं फारेस्टर्स की आदर्श आयु उनके कार्य में काफी पैदल चलना सम्मिलित होने के कारण 18 से 35 वर्ष तक थी। यह पाया गया कि 141 में से मात्र 31 (22 प्रतिशत) बीट रक्षक तथा 54 में से मात्र 11 (20 प्रतिशत) फारेस्टर इस आयु वर्ग के थे।

3-5-17 defV; ka o ckMkl dk xBu , oa l pkyu

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ, के प्राविधानों के अनुसार परियोजना के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए एक राज्य वन्य जन्तु बोर्ड गठित किया जाना था। इस बोर्ड का गठन एक वर्ष के लिए दिनांक 8 जुलाई 2005 को किया गया और इसकी दिनांक 18 जुलाई 2005 को मात्र एक बैठक हुई। बोर्ड का पुनः गठन अभी होना था (नवम्बर 2006)।

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार ने चाहा था (सितम्बर 2001) कि राज्य में चिन्हित संस्थानों एवं केन्द्रों की सलाह पर एक राज्य स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कमेटी का गठन किया जाय। यह कमेटी अभी भी (नवम्बर 2006) बनाई जानी थी। इसके अतिरिक्त, बाघ परिक्षेत्रों का कोई स्वतंत्र मूल्यांकन भी 2001-06 में नहीं किया गया। इस प्रकार, परियोजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण नहीं हुआ।

3-5-18 fu"d"kl

परिक्षेत्र प्रबन्धन की वार्षिक कार्य योजनाओं एवं उपभोग प्रमाण पत्र समय से प्रस्तुत न कर पाने के कारण भारत सरकार द्वारा धन न अवमुक्त किये जाने से परियोजना के क्रियान्वयन में कठिनाई हुई। भूमि प्रबन्धन उचित नहीं था क्योंकि काफी क्षेत्र वापस नहीं लिए गये तथा काफी क्षेत्र अतिक्रमित रहे। कतर्नियाघाट तथा दुधवा के किशनपुर उप-प्रभाग में बफर जोन न होने के कारण न तो जैविक दबावों को कम किया जा सका और न ही उनका आकलन किया गया। जंगली लता बेलों के साफ न किये जाने, युकेलिप्टस के न हटाये जाने तथा घास के मैदानों का विकास न किये जाने से शाकाहारी जानवरों का विकास प्रभावित हुआ जिससे तदन्तर में बाघों के विकास दर पर प्रभाव डाला और वन्य जीव परिक्षेत्र से बाहर निकल गये। पर्यावरण विकास गतिविधियाँ लक्षित जनता में वांछित जागरूकता लाने में विफल रहीं। अनुश्रवण कमजोर रहा क्योंकि राज्य वन्य जन्तु (स्टेट वाइल्ड लाइफ) बोर्ड का पुनः गठन नहीं हुआ तथा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन इकाइयाँ नहीं बनाई गयी।

3-5-19 l lrf; ki

- प्रबन्ध योजनाओं को पुनरीक्षित कर उन्हें राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2001-2016) के अनुरूप बनाया जाए तथा वार्षिक कार्य योजनाएं प्रबन्ध योजना के प्राविधानों के अनुसार बना कर समय से भारत सरकार को प्रेषित की जाए।
- पुनर्स्थापना/पुनर्वासन के माध्यम से अतिक्रमित क्षेत्र खाली करवाए जाएँ तथा जैविक दबाव घटाने हेतु परिक्षेत्रों के क्षेत्रों का पुनर्गठन किया जाए।
- लता-बेलों तथा एकक वनस्पतियों, जिनका प्रभाव परिक्षेत्रों की वनस्पतियों पर पड़ रहा था, को हटवाया जाए तथा घास के मैदानों के विकास को प्राथमिकता दी जाए।

- गणना द्वारा संख्याओं की पुष्टि के लिए अधिक वैज्ञानिक तकनीकों का विकास किया जाए।
- पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने के लिए अधिक कार्य किया जाए तथा इको डेवलपमेन्ट कमेटियों को अधिक प्रभावी बनाया जाए।
- परियोजना का वांछित प्रभाव प्राप्त करने के लिए अच्छी गुणवत्ता की अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तकनीकों का विकास किया जाए।

प्रकरण को शासन को संदर्भित किया गया (अगस्त 2006) एवं एक्जिट कान्फरेन्स में इस पर वार्ता की गयी (सितम्बर 2006) जिसमें लेखा परीक्षा के निष्कर्ष एवं संस्तुतियां स्वीकार की गईं। शासन से प्राप्त उत्तर (नवम्बर 2006) को जहाँ आवश्यक था सम्मिलित कर लिया गया है।

xtE; fodkl foHkkx

3-6 I Ei wKZ xkeh.k jkst xkj ; kstuk (, I th vkj okbZ)

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों, खाद्य सुरक्षा, स्थाई सामुदायिक सामाजिक एवं आर्थिक अधोसंरचना के निर्माण के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु भारत सरकार ने संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना सितम्बर 2001 में प्रारम्भ किया। वर्ष 2001-06 की अवधि की निष्पादन लेखापरीक्षा में यह ज्ञात हुआ कि एस जी आर वाई के क्रियान्वयन में वित्तीय अनुशासन की कमी थी तथा योजना का नियोजन सही ढंग से नहीं किया गया था। खाद्यान्न का संसाधन के रूप में पूर्ण उपयोग न किये जाने के कारण नकद धनराशि का अधिक उपभोग किया गया तथा मजदूरों को वास्तविक मजदूरी की हानि उठानी पड़ी। संसाधनों के आबंटन में विलम्ब एवं तत्संबंधी संसाधनों के उपयोग न किये जाने के कारण योजना असफल रही। प्रकाश में मुख्य बिन्दु निम्नवत् थे :

eq; vdk

jkt; I jdkj , oa ftyk xtE; fodkl vfHkdj.kka }kjk fuf/k; ka ds foyEc I s voeDr fd; s tkus ds dkj.k fuf/k; ka dk ij k mi Hkksx ugha fd; k tk I dk rFkk ekpZ 2006 ds vUr ea 110-51 djkm+ #i; s dh /kujkf'k viz Dr Fkha bl ds ifj.kkeLo#i] ueuuk tkp ds varxir fy; s x; s 15 ea I s 11 ftyk xtE; fodkl vfHkdj.kka ds vdkka I s Hkkjr I jdkj }kjk 19-56 djkm+ #i; s dh dVksrh dh xba

(iLrj 3-6-6-1 , oa 3-6-6-4)

I Hkkxh; [kk] fu; a-dka ds ikl [kk] kUuka ds mBku] Hk. Mkj.k , oa forj.k ds I d k/kuka dh deh Fkha ftl ds dkj.k Hkkjrh; [kk] fuxe ds xksrkeka I s o"KZ 2001&06 dh vof/k ea 24-91 yk[k ehfVd Vu [kk] kUu dk mBku ugha fd; k x; ka etnijka dks 15 ea I s 9 ftyka ea udn ea Hkxrku fd; k x; k ftl I s fd mlg 1035 dk; ka ea 58-46 yk[k #i; s dh okLrfod etnijh dh gkfu gpa

(iLrj 3-6-8-1 , oa 3-6-8-2)

jkst xkj] [kk] kUu rFkk dhu i ftdk ds vfHkys[kka ds j[k&j] kko u fd; s tkus , oa mfpr nj foDrkvka }kjk 1-36 yk[k eh Vu [kk] kUu em; ds dhu oki I u fd; s tkus ds dkj.k [kk] kUu dk okLrfod forj.k I d k; i wKZ Fkka

(iLrj 3-6-8-7 , oa 3-6-8-8)

, I th vkj okbZ ieqk #i I s I Melka gsrq feVh ds dk; Z rd gh I hfer Fkha D; kfd ueuuk tkp gsrq fy; s x; s ftyk ipk; rkq {ks= ipk; rka , oa xtE; ipk; rka }kjk 157-54 djkm+ #i; s ea I s 99-42 djkm+ #i; s (63 ifr'kr) feVh dk; Z ij gh 0; ; fd; k x; k Fkka

(iLrj 3-6-10-3)

I Melka ds ys u] iyka ds fuekZk t9 s ifrcfu/kr dk; ka ij 6-16 djkm+ #i; s 0; ; fd; k x; k Fkka 1-25 djkm+ #i; s ds vk; I ftr djus okyh ifj I Ei fRr; ka dk forj.k ykHkffkZ; ka dks fpfgr u fd; s tkus ds dkj.k ugha fd; k tk I dk Fkka

(iLrj 3-6-10-4 , oa 3-6-10-5½

3-6-1 iLrkouk

खाद्य सुरक्षा के साथ रोजगार अवसरों को मुहैया कराने तथा टिकाऊ सामुदायिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिसम्पत्तियों एवं ढाँचा के सृजन हेतु भारत सरकार ने केन्द्र पुरोनिधानित एस जी आर वाई योजना सितम्बर 2001 में, सुनिश्चित रोजगार योजना (ई ए एस) तथा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे जी एस वाई) को समाहित कर, प्रारंभ किया था। योजना के अंतर्गत समस्त ग्रामीण निर्धनों विशेषकर महिलाओं, अनुसूचित जाति तथा जनजातियों को श्रम रोजगार मुहैया कराना था। योजनान्तर्गत नकद धनराशि का वहन केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा 75:25 के अनुपात में किया गया था जबकि केन्द्र ने भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया था।

एस जी आर वाई जिला स्तर पर जिला पंचायतों द्वारा, ब्लाक स्तर पर क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यान्वित की गयी थी। राज्य में 70 जिला पंचायतें, 820 क्षेत्र पंचायतें तथा 52000 से अधिक ग्राम पंचायतें थीं।

3-6-2 l xBukRed <kBk

प्रदेश स्तर पर सचिव, ग्राम्य विकास, लखनऊ योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी थे। विभागीय स्तर पर ग्राम्य विकास आयुक्त, लखनऊ नोडल एजेन्सी थे, जबकि जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी तथा परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी थे। अपर मुख्य अधिकारी के अधीनस्थ, जिला पंचायत एवं खण्ड विकास अधिकारी के अधीनस्थ, क्षेत्र पंचायत तथा ग्राम्य विकास अधिकारी के अधीनस्थ, ग्राम पंचायतें कार्यान्वयन संस्थायें थीं।

3-6-3 ys[kki jh{kk ds mnn's ;

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह जाँच करना था कि :

- निधियों का आबंटन एवं उपभोग मानकों के अनुरूप किया गया था।
- नियोजित योजना के अनुसार श्रम परक कार्यों का निष्पादन किया गया था।
- लक्षित जनसंख्या के लिए खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी।
- लक्ष्यों के अनुरूप मजदूरी का भुगतान एवं मानव दिवस सृजित किये गये थे।
- लक्षित लोगों हेतु टिकाऊ, सामाजिक एवं आर्थिक परिसम्पत्तियों का सृजन किया गया था।
- अनुश्रवण की व्यवस्था प्रभावकारी थीं।

3-6-4 ys[kki jh{kk ds eki n.M

- निष्पादन के विवेक संगत एवं प्राप्त करने योग्य मानक।
- संसाधनों के आबंटन एवं उपभोग हेतु गाइड लाइन में निश्चित किये गये मानक।
- शासन द्वारा निर्गत वित्तीय नियम एवं आदेश।

3-6-5 ys[kki jh{kk vkPNknu , oa ys[kki jh{kk i z kkyh

2001-06 की अवधि के एस जी आर वाई के अभिलेखों की नमूना जॉच ग्राम्य विकास आयुक्त, लखनऊ, 15 मुख्य विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक¹, 15 जिला पंचायतों, 74 क्षेत्र पंचायतों, 716 ग्राम्य पंचायतों एवं 6 संभागीय खाद्य नियंत्रकों² के कार्यालयों में माह अप्रैल से अक्टूबर 2006 की अवधि में की गई थी।

समीक्षा हेतु प्रतिदर्श का चयन पूरे राज्य से प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनेट टू साइज विथ रिपिटेशन मेथड (पी पी एस डब्लू आर) द्वारा किया गया था जिसे शासन द्वारा लेखापरीक्षा के मापदण्ड एवं उद्देश्य के साथ परिचयात्मक गोष्ठी (मई 2006) में स्वीकार किया गया था। लेखापरीक्षा के निष्कर्ष भी शासन को सूचित किये गये थे जिस पर शासन से समापन गोष्ठी (नवम्बर 2006) में विचार-विमर्श भी किया गया था।

3-6-6 foRrh; mi yfC/k

3-6-6-1 fuf/k dk mi Hkksx

i kj fEHkd vo' ksk
32-56 dj kM+
#i ; s de n' kKz k
x; k Fkk

भारत सरकार एवं राज्य सरकार ने प्रति वर्ष अपने-अपने अंशों को जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों को सीधे दो किशतों में अवमुक्त किया था। विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के आधार पर वर्ष 2001-06 की अवधि में 5171.04 करोड़ रुपये² की धनराशि के सापेक्ष जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों द्वारा 5027.97 करोड़ रुपये की धनराशि का उपभोग किया गया था एवं मार्च 2006 के अंत में 110.51 करोड़ रुपये की धनराशि उनके बचत खातों में अप्रयुक्त होकर अवशेष थीं (ifff'kV 3-6-1)।

वर्ष 2006 के अन्त में दर्शाये गये अप्रयुक्त धनराशि की गणना अशुद्ध रूप से की गयी थी क्योंकि वर्ष 2003-06 की अवधि में प्रारम्भिक अवशेषों में से 32.56 करोड़ रुपये³ कम करते हुए दर्शाया गया था। कम दर्शाई गई अवशेष धनराशि के विचलन/दुर्विनियोग की संभावना थी। आयुक्त ग्राम्य विकास, लखनऊ द्वारा उत्तर में बताया गया (नवम्बर 2006) कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों द्वारा गलत सूचना दिये जाने के कारण यह विसंगति थी। मुख्य वित्त अधिकारी, ग्राम विकास आयुक्त, लखनऊ ने बताया कि इसकी जॉच की जायेगी एवं सही स्थिति से लेखा परीक्षा को अवगत कराया जायेगा। फिर भी वास्तविकता यह थी कि वर्ष 2003-04 से अवशेषों का मिलान नहीं किया गया था।

वर्ष 2004-05 की अवधि को छोड़कर अन्य वर्षों में व्ययों में उत्तरोत्तर वृद्धि थी। वर्ष 2004-05 की अवधि में व्यय की गयी धनराशि 1064.68 करोड़ रुपये थी जबकि वर्ष 2003-04 की अवधि में यह धनराशि 1105.28 करोड़ रुपये थी। वर्ष 2004-05 में सृजित हुए अधिकतम मानव दिवस (17.50 करोड़ मानव दिवस) एवं अधिकतम वितरित खाद्यान्न (7.12 लाख मी टन) के परिप्रेक्ष्य में व्यय की धनराशि में हुई गिरावट न्यायसंगत नहीं थी।

3-6-6-2 /kujkf'k dh voefDr ea foyEc

ftyk xkE; fodkl
vfHkdj . kka }kj k
fuf/k; ka ds dlnka k
, oa jkT; kd k ftyk
i pk; rkj {ks=
i pk; rka rFkk xke
i pk; rka dks , d l s
l kr ekg ds foyEc
l s voefDr fd; k x; k

शासन ने निर्धारित 15 दिन के अन्दर धनराशि अवमुक्त नहीं किया था। नमूना जॉच के अंतर्गत लिये गये 13 जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों⁴ को धनराशि 47.66 करोड़ रुपये वर्ष 2001-06 की अवधि में एक से नौ माह के विलम्ब से अवमुक्त की गई थी। इसी प्रकार, जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों ने जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम्य पंचायतों को

¹ अलीगढ़, आजमगढ़, अम्बेदकरनगर, बाराबंकी, बहराइच, बिजनौर, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, गाजीपुर, कन्नौज, मथुरा, मिर्जापुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, वाराणसी

² आजमगढ़, बस्ती, फैजाबाद, कानपुर, मिर्जापुर तथा वाराणसी

³ प्रारंभिक अवशेष (2001-02): 113.49 करोड़ रुपये; प्राप्तियों (2001-06): 5057.55 करोड़ रुपये

⁴ 2003-04: 18.06 करोड़ रुपये; 2004-05: 12.84 करोड़ रुपये तथा 2005-06: 1.66 करोड़ रुपये

⁵ अलीगढ़, अम्बेदकरनगर, बहराइच, बाराबंकी, बिजनौर, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र, सिद्धार्थनगर, वाराणसी, मथुरा तथा कन्नौज

धनराशियों के प्राप्ति के पन्द्रह दिन की अवधि में उनका आबंटन/अवमुक्त नहीं किया गया था। 15 में से 8 जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों¹ ने धनराशियों को विलम्ब से (केन्द्रांश: 58.36 करोड़ रुपये एक से तीन माह एवं राज्यांश: 25.72 करोड़ रुपये एक से सात माह) आबंटित/अवमुक्त किया था। मुख्य विकास अधिकारी मथुरा एवं कन्नौज ने धनराशियों को विलम्ब से अवमुक्त किये जाने का कारण पंचायत चुनाव का होना बतलाया जोकि लेखा परीक्षा को मान्य नहीं था क्योंकि धनराशियों के अवमुक्ति में विलम्ब उस अवधि में थी जिस अवधि में चुनाव नहीं था।

परिणामस्वरूप, जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों द्वारा उसी वित्तीय वर्ष में धनराशियों का उपभोग नहीं किया जा सका जिससे प्रत्येक वर्ष भारी मात्रा में धनराशि अप्रयुक्त होकर पड़ी रही।

3-6-6-3 vuq fpr tkfr; ka@tutkfr; ka ij 0; ;

; kst uk ds
fn'kk&fun'k ka ds
vuq kj vuq fpr
tkfr; ka@tutkfr; ka
dk okfNr vkPNknu
ugha fd; k x; k

जिला पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों द्वारा उनके वार्षिक आबंटन का 22.5 प्रतिशत एवं ग्राम पंचायतों द्वारा 50 प्रतिशत अनुसूचित जातियों/जनजातियों पर व्यय किया जाना था। किन्तु नमूना जॉच के अंतर्गत 14 जिला पंचायतों में 13 से 96 प्रतिशत (29.36 करोड़ रुपये), 74 क्षेत्र पंचायतों में 3 से 100 प्रतिशत (24.54 करोड़ रुपये) एवं 716 ग्राम पंचायतों में 37 से 100 प्रतिशत (13.18 करोड़ रुपये) व्यय की कमी पाई गई जिससे यह स्पष्ट था कि अनुसूचित जातियों/जनजातियों का वांछित आच्छादन नहीं किया गया था।

3-6-6-4 dWnk k dh /kujkf'k; ka dk de voeDr fd; k tkuk

fuf/k; ka ds de
mi Hkksx fd; s tkus
ds dkj .k Hkkr
l j dkj us 19-56
dj kM+ #i ; s
voeDr ugha fd; k

15 में से 11 जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों² में वर्ष के अन्त में कुल उपलब्ध धनराशि में से 15 प्रतिशत से अधिक धनराशि अप्रयुक्त रहने के कारण तथा अनुसूचित जातियों/जनजातियों पर वांछित धनराशि से कम व्यय किये जाने के कारण भारत सरकार द्वारा 19.56 करोड़ रुपये की कटौती द्वितीय किशत की धनराशियों से की गई थी। सोनभद्र जिले में 4.64 करोड़ रुपये (70 प्रतिशत) की अधिकतम कटौती लेखा परीक्षा में पाई गयी।

3-6-6-5 , l th vkj okbl ds varxr Lohdr u gq s dk; ka ij 0; ;

सुनिश्चित रोजगार योजना को एस जी आर वाई में समाहित कर दिया गया था एवं इस योजना की अप्रयुक्त धनराशि को एस जी आर वाई के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों पर व्यय किया जाना था। 15 में से पांच जिला पंचायतों³ में 4.88 करोड़ रुपये (अक्टूबर 2001) अवशेष के रूप में पड़ा हुआ था। इसमें से 4.84 करोड़ रुपये का व्यय वर्ष 2001-06 की अवधि में सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत कार्यों पर संबंधित जिला पंचायतों की आम सभा की स्वीकृति/विचार-विमर्श के बिना किया गया था।

3-6-6-6 <nykbl , oa gSUMfyx ij 0; ;

dk'skkxkj l s 12-98
dj kM+ #i ; s
vuko'; d #i l s
vkgfjr fd; k x; k

शासन ने खाद्यान्न की प्राधिकृत मात्रा के आधार पर नमूना जॉच के अंतर्गत लिये गये 14 जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों को 44 रुपये प्रति कुन्तल की दर से ढुलाई एवं हैन्डिलिंग हेतु वर्ष 2002-06 की अवधि में 37.14 करोड़ रुपये स्वीकृत किया था। खाद्यान्न उठान में कमी के कारण 12.98 करोड़ रुपये की बचत हुई जिसे समर्पित किये जाने के बजाय,

¹ अलीगढ़, बुलन्दशहर, आजमगढ़, मिर्जापुर, गाजियाबाद, गाजीपुर, मथुरा तथा कन्नौज

² अलीगढ़: 1.01 करोड़ रुपये; अम्बेदकरनगर: 2.14 करोड़ रुपये; बहराइच: 1.00 करोड़ रुपये; बाराबंकी: 2.35 करोड़ रुपये; गाजियाबाद: 1.04 करोड़ रुपये; मिर्जापुर: 0.44 करोड़ रुपये; सोनभद्र: 4.64 करोड़ रुपये; कन्नौज: 1.86 करोड़ रुपये; मथुरा: 0.57 करोड़ रुपये; गाजीपुर: 1.67 करोड़ रुपये; तथा सिद्धार्थनगर: 2.84 करोड़ रुपये

³ आजमगढ़ (1.41 करोड़ रुपये), बाराबंकी (1.14 करोड़ रुपये), बिजनौर (0.46 करोड़ रुपये), मिर्जापुर (1.29 करोड़ रुपये) तथा वाराणसी (0.58 करोड़ रुपये)

सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारियों ने कोषागार से आहरित कर बैंको में बचत खातों में रखा। आयुक्त, ग्राम्य विकास, लखनऊ ने बताया (नवम्बर 2006) कि रोकी गयी धनराशि कोषागार में जमा की जायेगी।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों द्वारा खाद्यान्न की ढुलाई करने वाली संस्थाओं¹ को उनके द्वारा भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उठाई गई खाद्यान्न की मात्रा एवं प्रदत्त सेवा जैसे डोर स्टेप डेलीवरी सुनिश्चित करने के पश्चात भुगतान किया जाना था। ढुलान करने वाली संस्थाओं को 23.63 करोड़ रुपये का भुगतान, उनके द्वारा उठाई गई खाद्यान्न की मात्रा को सुनिश्चित किये बिना ही किया गया। परिणामस्वरूप दो जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों² ने 0.97 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान परिवहन संस्थाओं को किया तथा 11 अन्य जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों³ ने 4.99 करोड़ रुपये के दायित्व का सृजन किया जिसका भुगतान अक्टूबर 2006 तक नहीं किया गया था। जिलाधिकारी, बुलन्दशहर ने मार्च 2005 में मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर को निर्देशित किया कि ढुलान करने वाली संस्थाओं को भुगतान के पूर्व भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से उठान की गई खाद्यान्न की मात्रा का सत्यापन करा लिया जाए। अतः खाद्यान्न की उठाई गई मात्रा का सत्यापन एवं प्राप्त सेवाओं को सुनिश्चित किये बिना ही भुगतान कर दिया गया।

3-6-7 fu; kst u , oa i c'ku

3-6-7-1 /kuj kf'k; k; , oa [kk | klUka dk vko&u

जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों द्वारा निधियों एवं खाद्यान्न का आवंटन ब्लॉक में अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या एवं जिले में अनुसूचित जाति/जनजाति की कुल जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया जाना था। नमूना जाँच के अंतर्गत लिये गये पाँच जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों⁴ ने 74.65 करोड़ रुपये एवं 56746 मी टन खाद्यान्न का आवंटन 63 विकास खण्डों को अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या के आधार पर नहीं किया। उक्त पाँच जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में से 4 जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों⁵ के पास संबंधित ब्लॉकों की अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। जिला मिर्जापुर, जहाँ अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या उपलब्ध थी, में अनुसूचित जाति/जनजाति की उच्च प्रतिशतता वाले सात ब्लॉकों को 19.53 लाख रुपये की कम धनराशि प्राप्त हुई, जबकि कम प्रतिशतता वाले पाँच ब्लॉकों को समान धनराशि देकर अधिक धनराशि उपलब्ध कराई गयी, अतः धनराशियों एवं खाद्यान्नों का असमान आवंटन किया गया।

3-6-7-2 okf''k'd dk; l ; kst ukvka dks r\$ kj dj us ea foyEc

योजनान्तर्गत जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम्य पंचायतों की आम सभाओं में कार्यों के प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त प्रत्येक वर्ष के माह फरवरी के अन्त में वार्षिक कार्य योजना तैयार की जानी थीं। जिला पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण कार्य योजना एक माह से एक वर्ष तक के विलम्ब से स्वीकृत की गई। इसके अतिरिक्त कार्य योजनायें दो से तीन चरणों⁶ में भी स्वीकृत की

okf''k'd dk; l
; kst uk l e; kuj kj
ugha r\$ kj fd; s
x; s Fks

¹ आर एफ सी, यू पी एफ ई सी कार्पोरेशन तथा यू पी पी सी एफ

² बहराइच, बिजनौर

³ अलीगढ़, आजमगढ़, अम्बेदकरनगर, बाराबंकी, बुलन्दशहर, कन्नौज, गाजीपुर, गाजियाबाद, मिर्जापुर, मथुरा तथा वाराणसी

⁴ अम्बेदकरनगर, बहराइच, बिजनौर, बाराबंकी तथा मिर्जापुर

⁵ अम्बेदकरनगर, बहराइच, बाराबंकी तथा बिजनौर

⁶ जिला पंचायत बाराबंकी: तीन चरणों में जुलाई, अक्टूबर 2002, तथा जनवरी 2003; जिला पंचायत मथुरा: तीन चरणों में जुलाई, अक्टूबर 2002 तथा जनवरी 2003, वर्ष 2003-04 में, दो चरणों में अगस्त 2003-04 तथा 2005-06, दो चरणों में

गयी थीं। क्षेत्र पंचायत, कासीमाबाद, गाजीपुर द्वारा वर्ष 2003-04 एवं 2005-06 की वार्षिक कार्य योजना तैयार किये जाने के बजाए विगत वर्षों¹ के अपूर्ण कार्यों को कराया गया। अतः कार्य स्वीकृत किये जाने वाले वर्षों में पूर्ण नहीं कराए गए।

नमूना जाँच के अंतर्गत लिये गये ग्राम्य पंचायतों में आम सभा के कार्यवृत्त सम्बन्धित कार्यवाही रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था। अतः यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि कराये गये कार्य पर आम सभा में चर्चा एवं अनुमोदन किया गया था अथवा नहीं।

3-6-8 [kk | klu

3-6-8-1 [kk | klu dk mBku

[kk | klu ds de
mBku fd:s tkus
ds ifj.kkeLo#i
okLrfod etnjh
dh gkfu ds l kfk
udn vk dk
vf/kd miHkksx gqvk

अधिकृत संस्थाओं को भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से आवंटन के अनुसार खाद्यान्न का उठान करना था। परन्तु, नीचे दी गई सारणी से स्पष्ट है कि खाद्यान्न का उठान वर्ष 2001-06 की अवधि में निरन्तर 35 से 69 प्रतिशत कम किया गया था:

(ehfVd Vu e)

| o"kl | vko&u | mBku | deh (ifr'kr dk\$Bd e) |
|---------|----------------|----------------|-----------------------|
| 2001-02 | 49634 | 15385 | 34249 (69) |
| 2002-03 | 1325099 | 864463 | 460636 (35) |
| 2003-04 | 1203066 | 643719 | 559347 (46) |
| 2004-05 | 1343640 | 701851 | 641789 (48) |
| 2005-06 | 1225664 | 430769 | 794895 (65) |
| ; ksx | 5147103 | 2656187 | 2490916 (48) |

(l kr & vk; Or xkE; fodkl }kjk mi yC/k djkbz xbz l puk ds vk/kkj ij)

खाद्यान्न की कम उठान के फलस्वरूप अधिक नकद धनराशि का उपभोग किया गया तथा इसके अतिरिक्त मजदूरों को कम खाद्यान्न का वितरण किया गया। नमूना जाँच के अंतर्गत लिये गये 15 में से 9 जनपदों¹ में श्रमिकों को मजदूरी के पूरे अंश का 58 रुपये प्रति मानव दिवस की दर से नकद भुगतान किया गया जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2001-06 की अवधि में 119.42 करोड़ रुपये² का नकद का अधिक उपभोग किया गया एवं खाद्यान्न का वितरण प्रति मानव दिवस औसतन 2.25 किग्रा से 4.16 किग्रा के बीच रहा। अन्य छः जनपदों में आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण अधिक नकद अंश के उपभोग की गणना नहीं की जा सकी।

ग्राम्य विकास आयुक्त, लखनऊ एवं मुख्य विकास अधिकारियों ने बिना किसी अभिलेख के बताया कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्न की अनुपलब्धता के कारण खाद्यान्न के उठान में कमी थी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि शासन के मन्तव्य के परिप्रेक्ष्य (जनवरी 2005) में संभागीय खाद्य नियंत्रकों के पास उठान, भण्डारण एवं वितरण हेतु संसाधनों की कमी थी।

3-6-8-2 Jfedka dks okLrfod etnjh dh gkfu

जून 2005 तथा मार्च 2006; जिला पंचायत कन्नौज: दो चरणों में जून 2005 तथा जनवरी 2006; जिला पंचायत गाजीपुर: दो चरणों में अगस्त 2003 तथा फरवरी 2004 एवं 12 क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2003-04 की अवधि में दो चरणों में

¹ 2003-04: 20 कार्य, 2005-06: 8 कार्य

² अम्बेदकरनगर, आजमगढ़, बहराइच, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र, सिद्धार्थनगर, कन्नौज तथा गाजीपुर

² लेखापरीक्षा में गणना की गई

चावल पर प्रति किय्रा 4.30 रुपये से 7.22 रुपये की दर से एवं गेहूँ पर 3.92 रुपये से 4.35 रुपये की दर से सब्सिडी श्रमिकों को उपलब्ध कराई जानी थी। नमूना जांच वाले जनपदों के चयनित 3455 कार्यों में से 1035 कार्यों (30 प्रतिशत) में 2.12 लाख मानव दिवस सृजित किये जाने हेतु 1.24 करोड़ रुपये की मजदूरी का भुगतान खाद्यान्न की अनुपलब्धता के कारण नगद किया गया था। अतः खाद्यान्न पर 58.46 लाख रुपये की सब्सिडी श्रमिकों को नहीं दी गई जिससे योजना के अनुसार श्रमिकों के परिवार का पोषण स्तर सुधारने का उद्देश्य विफल हुआ।

ग्राम्य विकास आयुक्त, लखनऊ ने स्वीकार किया कि श्रमिकों को खाद्यान्न के एवज् में मजदूरी का नकद भुगतान किया गया।

3-6-8-3 [kk | klu dk ys[kkdu

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से अवमुक्त एवं चयनित संभागीय खाद्य नियंत्रकों के जिला खाद्य विपणन अधिकारियों द्वारा वर्ष 2001-06 की अवधि में उठाये गये खाद्यान्न की स्थिति ifj'k"V 3-6-2 में दर्शाई गई है।

जिला खाद्य विपणन अधिकारी, अम्बेदकरनगर, बाराबंकी एवं मिर्जापुर द्वारा भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से उठाये गये 1.22 लाख मी टन खाद्यान्न (मूल्य : 68.36 करोड़ रुपये) का लेखांकन उनकी भण्डार पंजिका में किया गया था तथा जिला खाद्य विपणन अधिकारी, गाजीपुर ने 5966 मी टन (मूल्य 4.18 करोड़ रुपये) अधिक खाद्यान्न अपने अभिलेखों में अंकित किया था। जिला खाद्य विपणन अधिकारी, सोनभद्र, सिद्धार्थनगर तथा कन्नौज द्वारा भण्डार पंजिका में 15117 मी टन खाद्यान्न (मूल्य 10.42 करोड़ रुपये) कम अंकित किया गया जिसके दुर्विनियोग अथवा कालाबाजारी की संभावना थी।

ग्राम्य विकास आयुक्त, लखनऊ ने बताया (नवम्बर 2006) कि जनपद गोण्डा एवं बलिया में खाद्यान्न के दुरुपयोग की शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिसकी आर्थिक अपराध शाखा द्वारा जाँच की जा रही थी।

3-6-8-4 vforfjr [kk | klu dk gLrklrj.k

संभागीय खाद्य नियंत्रकों के पास खाद्यान्न के उठान, भण्डारण एवं वितरण हेतु संसाधनों की कमी थी जिसके कारण खाद्य एवं रसद आपूर्ति विभाग, लखनऊ ने खाद्यान्न के उठान, भण्डारण एवं वितरण का कार्य उत्तर प्रदेश प्रादेशिक कोआपरेटिव फेडरेशन (फेडरेशन) को जनवरी एवं मार्च 2005 में सौंप दिया था और संभागीय खाद्य नियंत्रकों द्वारा अवितरित खाद्यान्न की मात्रा फेडरेशन को हस्तान्तरित की जानी थी।

छः जनपदों¹ के 25 वितरण केन्द्रों द्वारा 233 मी टन खाद्यान्न (मूल्य: 13.56 लाख रुपये) फेडरेशन को स्थानान्तरित न किये जाने के कारण मार्च 2005 से उनके पास पड़ा हुआ था। संभागीय खाद्य नियंत्रकों ने बताया कि इसे शीघ्र ही फेडरेशन को हस्तान्तरित कर दिया जायेगा।

डेढ़ वर्ष से अधिक अवधि में कोई भी कार्यवाही न किया जाना जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वाह में शिथिलता का सूचक था।

3-6-8-5 [kk | klu dk vioru

¹ आजमगढ़, बस्ती, फैजाबाद, जौनपुर, मिर्जापुर तथा वाराणसी

Hkkjrh; [kk |
fuxe l smBku dh
xbz [kk | klu dh
ek=k dk ys[kkdu
Hk. Mkj iftdk ea
ugha fd; k x; k Fkk

संभागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा अन्य योजनाओं जैसे मध्याह्न भोजन, इत्यादि, के खाद्यान्नों का भी संचालन किया जाता था। नमूना जांच के चार जनपदों² के नौ वितरण केन्द्रों ने वर्ष 2001-05 की अवधि में 713 मी टन खाद्यान्न (मूल्य : 46.47 लाख रुपये) एस जी आर वाई से अन्य योजनाओं में अपवर्तित किया था। उसमें से 349 मी टन (मूल्य: 21.41 लाख रुपये) की भरपाई एस जी आर वाई के भण्डार में कर दी गयी थी (2001-05) फिर भी मार्च 2006 तक 364 मी टन (मूल्य: 25.06 लाख रुपये) खाद्यान्न की भरपाई एस जी आर वाई में नहीं की गयी थी।

वर्ष 2001-05 की अवधि में जनपद गाजीपुर में 65.93 मी टन खाद्यान्न (मूल्य: 4.62 लाख रुपये) दूसरी योजनाओं में अपवर्तित किया गया था जिसका उपभोग श्रमिकों को निर्गत करके किया जा सकता था जहाँ पर 824 मी टन खाद्यान्न की उपलब्धता न होने के कारण मजदूरों में वितरण नहीं किया गया था।

3-6-8-6 [kk|klu {kfr

Hk. Mkj .k {kfr
, oa Hk. Mkj ka dh
deh dh tkp
l gh rjhds l s
ugha dh x; h

नमूना जाँच के अंतर्गत लिए गए 6 संभागीय खाद्य नियंत्रकों के अधीनस्थ छः जिलों में 31.33 लाख रुपये मूल्य के 464.817 मी टन खाद्यान्न की भण्डारण क्षति एवं भण्डार में कमी पाई गई जिसमें से भण्डारण में खाद्यान्न की कमी 452.03 मी टन (मूल्य: 30.44 लाख रुपये) की एवं भण्डारण क्षति 12.79 मी टन (मूल्य : 0.89 लाख रुपये) की थी।

संबंधित संभागीय खाद्य नियंत्रकों ने उत्तर में बताया कि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही एवं जाँच प्रगति में थी। लेखापरीक्षा में देखा गया कि जाँच एवं विभागीय कार्यवाही की गति बहुत धीमी थी क्योंकि भण्डार क्षति एवं भण्डार में कमी 3 वर्ष से अधिक (316.114 मी टन, मूल्य: 20.95 लाख रुपये), 2 वर्ष से अधिक (133.015 मी टन, मूल्य : 9.29 लाख रुपये) तथा 1 वर्ष से अधिक (15.688 मी टन, मूल्य: 1.09 लाख रुपये) पुरानी थी।

3-6-8-7 [kk|klu iftdk rFkk dii u iftdk

[kk|klu , oa dii u ds
vfHkyS{kka dk
j [k&j [kko fu/kkfj r
i fdz k ds vuq kj ugha
fd; k x; k Fkk

खाद्यान्न को चोरी से बचाने हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों, जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों के स्तरों पर खाद्यान्न पंजिका का रख-रखाव किया जाना था जिसमें क्रमशः कार्यवार खाद्यान्न की आवंटित मात्रा, उठान की गई मात्रा एवं वितरित खाद्यान्न की मात्रा तथा कार्यवार कूपन विवरण एवं उसके उपभोग के विवरण अंकित किये जाने थे।

नमूना जाँच के 15 में से 10 जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों¹ द्वारा खाद्यान्न पंजिका का रख-रखाव नहीं किया गया था। 5 जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों² द्वारा खाद्यान्न पंजिका का रख-रखाव तो किया गया था परन्तु कार्यवार नहीं बनाया गया था। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण गाजियाबाद द्वारा वर्ष 2001-03 में इसका रख-रखाव नहीं किया गया था। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा ग्राम्य पंचायत के स्तर पर क्षेत्र पंचायत, इग्लास, अलीगढ़ को छोड़कर, किसी के द्वारा इसका रख-रखाव नहीं किया था। परिणामस्वरूप खाद्यान्न के आवंटन, उठान एवं कार्यवार वितरण को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।

² आजमगढ़, गाजीपुर, कन्नौज तथा सिद्धार्थनगर

¹ अलीगढ़, आजमगढ़, बहराइच, बुलन्दशहर, कन्नौज, मथुरा, मिर्जापुर, सोनभद्र, सिद्धार्थनगर तथा वाराणसी

² अम्बेडकरनगर, बाराबंकी, बिजनौर, गाजीपुर तथा गाजियाबाद

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण स्तर पर बनाए गये कूपन रजिस्टर में मात्र मुद्रित कूपन पुस्तिकाओं की संख्या तथा जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों को केवल उनके निर्गमन का विवरण दर्ज किया गया था। केवल जिला ग्राम्य विकास अभिकरण बुलन्दशहर स्तर पर वर्ष 2003-06 की अवधि का कार्यवार विवरण सहित कूपन रजिस्टर का रख-रखाव किया गया था। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम्य पंचायत स्तर पर 805 में से 795 जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम्य पंचायतों द्वारा इसका रख-रखाव नहीं किया गया था। 10 क्षेत्र पंचायतों द्वारा इसका रख-रखाव किया गया था परन्तु कार्यवार विवरण अंकित नहीं था। परिणामस्वरूप, कार्यवार कूपनों का निर्गमन एवं उसके उपभोग को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम्य पंचायतों की वास्तविक आवश्यकता को सुनिश्चित किये बिना ही कूपनों का निर्गमन किया गया। नमूना जॉच के अंतर्गत लिये गये 74 में से 72 क्षेत्र पंचायतों के पास 90432 कूपन बुकों में से 13455¹ कूपन बुक लेखापरीक्षा माह तक अप्रयुक्त पड़े थे (अक्टूबर 2006)। क्षेत्र पंचायत बसखारी, अम्बेदकरनगर तथा लोनी, गाजियाबाद द्वारा संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया।

ग्राम्य विकास आयुक्त, लखनऊ ने उत्तर में बताया कि खाद्यान्न तथा कूपन पंजिकाओं का रख-रखाव किया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवार उपभोग किये गये खाद्यान्नों एवं कूपनों के विवरण के साथ पंजिकाओं का रख-रखाव नहीं किया गया था।

3-6-8-8 [kk | klu dk l UngkLi n forj .k

जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम्य पंचायतों द्वारा मजदूरों को खाद्यान्न कूपन निर्गत किया जाना था जिससे कि वह उचित दर विक्रेता से खाद्यान्न प्राप्त कर सकें। उचित दर विक्रेता द्वारा इन कूपनों को मार्जिन मनी² की मांग हेतु खण्ड विकास अधिकारी के पास जमा किया जाना था। खण्ड विकास अधिकारी के पास कूपनों का जमा करना इस तथ्य का प्रमाण था कि खाद्यान्न का वितरण मजदूरों को कर दिया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित बिन्दु संज्ञान में आये:

15 जिला पंचायतों में से 13 ने 76557 मी टन (मूल्य : 44.43 करोड़ रुपये) खाद्यान्न के कूपन वर्ष 2001-06 की अवधि में मजदूरों को वितरित किये थे परन्तु उचित दर विक्रेताओं द्वारा इन कूपनों को संबंधित खण्ड विकास अधिकारी के पास जमा नहीं किया गया था। दो जिला पंचायतों³ ने कूपन से संबंधित अभिलेखों को लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया।

74 क्षेत्र पंचायतों ने 87646 मी टन खाद्यान्न (मूल्य : 51.63 करोड़ रुपये) के कूपन वर्ष 2001-06 की अवधि में मजदूरों को वितरित किया था परन्तु उचित दर विक्रेताओं द्वारा मात्र 28526 मी टन खाद्यान्न (मूल्य: 16.08 करोड़ रुपये) के कूपन संबंधित खण्ड विकास अधिकारियों के पास जमा किया गया तथा 59120 मी टन (मूल्य 35.55 करोड़ रुपये, 67 प्रतिशत) के कूपन जमा नहीं किया गया। 28526 मी टन खाद्यान्न के कूपन के विरुद्ध, खण्ड विकास अधिकारी ने देय 17.12 लाख रुपये के विरुद्ध मात्र 6.28 लाख रुपये मार्जिन मनी का भुगतान किया था।

mfpr nj fodarkvka }kjk
fuxr [kk | klu l s l r/kr
di u [k.M fodkl
vf/kdkjh ds ikl tek u
fd; s tkus ds l kfk&l kfk
mfpr nj fodarkvka }kjk
ekftu euh dh ekx u
djus ds dkj .k forj .k
l ngkLi n Fkk

¹ प्रत्येक कूपन बुक में 50 कूपन

² मार्जिन मनी उचित दर विक्रेताओं का कमीशन है

³ आजमगढ़ तथा अम्बेदकरनगर

39 खण्ड विकास अधिकारियों ने जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों से उचित दर विक्रेताओं को मार्जिन मनी भुगतान हेतु 3.84 लाख रुपये की मांग नहीं की थी तथा 25 खण्ड विकास अधिकारियों ने देय धनराशि का केवल 6 से 98 प्रतिशत का ही भुगतान किया था। इसके विरुद्ध जिला ग्राम्य विकास अभिकरण कन्नौज एवं बुलन्दशहर ने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारियों को धनराशि उपलब्ध कराने के स्थान पर 21.16 लाख रुपये का भुगतान क्रमशः जिला पंचायत, कन्नौज (2.04 लाख रुपये) तथा डी एफ एम ओ, बुलन्दशहर (19.12 लाख रुपये) को वर्ष 2001-05 की अवधि में किया था।

नमूना जॉच के अंतर्गत लिये गये 3455 कार्यों में से 2757 कार्यों में (80 प्रतिशत) मस्टर रोल में उचित दर विक्रेताओं के नाम, कूपन नम्बर के संदर्भ के साथ अंकित नहीं थे। परिणामस्वरूप यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि कूपन मजदूरों को मजदूरी भुगतान के रूप में निर्गत किए गए।

खाद्यान्न एवं कूपन पंजिकाओं का रख-रखाव न किया जाना, उचित दर विक्रेताओं द्वारा कूपन कम/न जमा किया जाना तथा जिन उचित दर विक्रेताओं द्वारा कूपन जमा किए गए थे उन्हें मार्जिन मनी का भुगतान न किया जाना इस तथ्य का सूचक था कि निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया था जिससे मजदूरों को वास्तविक खाद्यान्न वितरण (1.36 लाख मी टन) में गंभीर संदेह उत्पन्न हुआ।

ग्राम्य विकास आयुक्त, लखनऊ ने उत्तर में यह बताया कि खाद्यान्न का वितरण न होने तथा मार्जिन मनी का भुगतान न होने की शिकायतें प्राप्त नहीं हुई थीं। उत्तर लेखा परीक्षा में मान्य नहीं था क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में मजदूरों को खाद्यान्न वितरित नहीं किए गए थे जैसाकि आगे के प्रस्तरो में वर्णित किया गया है।

3-6-8-9- [kk | klu dk vforj .k

99-27 yk[k #i ; s
eW; ds [kk | klu
Jfedka dks forfjr
ugha fd; s x; s

जिला पंचायत बाराबंकी, गाजीपुर, वाराणसी तथा क्षेत्र पंचायत करण्डा, गाजीपुर ने 4.96¹ लाख मानव दिवसों (2001-06) का सृजन वर्ष 2001-06 की अवधि में किया था और 2513 मी0टन (मूल्य: 1.70 करोड़ रुपये) के कूपन मजदूरों को निर्गत किए गए थे जिससे कि वह खाद्यान्न उचित दर के विक्रेताओं से प्राप्त कर सकें। परन्तु खाद्यान्न की अनुपलब्धता के कारण, उचित दर विक्रेताओं ने मजदूरों को खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं की। जिला पंचायत बाराबंकी ने 14.12 लाख रुपये तथा जिला पंचायत गाजीपुर ने 81.58 लाख रुपये की नकद धनराशि का भुगतान मजदूरों को खाद्यान्न के स्थान पर एक वर्ष से अधिक समय के उपरान्त किया गया। जिला पंचायत वाराणसी (9.96 लाख रुपये) तथा गाजीपुर (57.68 लाख रुपये) एवं क्षेत्र पंचायत करण्डा, गाजीपुर (6.48 लाख रुपये) ने अवशेष धनराशि 74.12 लाख रुपये का भुगतान संबंधित जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों द्वारा नकद धनराशि उपलब्ध न कराये जाने के कारण अक्टूबर 2006 तक नहीं किया था।

जिला पंचायत कन्नौज ने 25.15 लाख रुपये (लगभग) मूल्य के खाद्यान्न के कूपन वर्ष 2005-06 की अवधि में मजदूरों को निर्गत किए थे। उचित दर विक्रेताओं के पास खाद्यान्न उपलब्ध न होने के कारण श्रमिकों ने कूपनों को जिला पंचायत को वापस कर दिये थे। जिला पंचायत, कन्नौज के पास ये कूपन बिना लेखांकन एवं भुगतान के पड़े हुए थे।

प्रधान सचिव, ग्राम्य विकास, ने समापन गोष्ठी में विभाग के विशेष सचिव को इन प्रकरणों की जॉच हेतु निर्देशित किया था।

¹ बाराबंकी: 56471 मानव दिवस, वाराणसी: 23115 मानव दिवस, गाजीपुर: 397880 मानव दिवस तथा क्षेत्र पंचायत, करण्डा, गाजीपुर: 18500 मानव दिवस

3-6-9 ekuo fnol dk l'tu rFkk etnijh dk Hkqrku

3-6-9-1 jkstxkj i ftdk dk j [k&j [kko u fd; k tkuk

Jfedka grq
jkstxkj i ftdk
dk j [k&j [kko
ugha fd; k x; k

प्रत्येक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा ग्राम्य पंचायत को श्रमिकों की पहचान हेतु एक रोजगार पंजिका का रख-रखाव किया जाना था, जिसकी जनता द्वारा जांच की छूट प्रदान की गयी थी तथा उनकी मांग पर उन्हें उपलब्ध कराया जाना था। फिर भी, नमूना जाँच किये गये जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों तथा जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों ने उसका रख-रखाव नहीं किया था। लिखित आंकड़ों के अभाव में योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति तथा महिला श्रमिकों सहित रोजगार पाए श्रमिकों की वास्तविक संख्या सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

3-6-9-2 eLVj jkYl

वर्ष 2001-06 की अवधि में नमूना जाँच के अंतर्गत लिए गए 805 जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों द्वारा 44907 कार्य कराये गये थे। इनमें से रैण्डम सैम्पल जाँच के आधार पर लेखापरीक्षा में 3455 कार्य¹ (8 प्रतिशत) की संवीक्षा की गई थी जिसमें 18.33 लाख मानव दिवसों (मजदूरी: 10.95 करोड़ रुपये) का सृजन किया गया था। एक जिला पंचायत, चार क्षेत्र पंचायतों एवं 88 ग्राम पंचायतों ने 1.01 करोड़ रुपये² (449 कार्य, 1.22 लाख मानव दिवस) की मजदूरी भुगतान संबंधी मस्टर रोल लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया था। परिणामस्वरूप, 1.01 करोड़ रुपये की मजदूरी के भुगतान को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।

प्रस्तुत मस्टर रोल की संवीक्षा में प्रकाश में आया कि महिलाओं तथा अनुसूचित जातियों/जनजातियों द्वारा केवल क्रमशः 1899 तथा 7128 मानव दिवसों का सृजन किया गया था जो कि योजना के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं था जिसके अंतर्गत महिलाओं एवं अनुसूचित जातियों/जनजातियों की श्रमपरक रोजगार मुहैया कराने पर विशेष जोर था। 144 कार्यो के मस्टर रोल छोड़कर, अन्य मस्टर रोल में मजदूरों के पिता का नाम एवं उनके ग्राम का नाम का विवरण भी अंकित नहीं था।

3-6-9-3 etnijh ds Hkqrku ea foyEc

etnijh ds
Hkqrku ea , d
l s us ekg dk
foyEc gqmk Fkk

योजनान्तर्गत मजदूरी का साप्ताहिक भुगतान सुनिश्चित किया जाना था। रैण्डम आधार पर नमूना जाँच में लिए गये 3006 कार्यो में से 351 कार्यो में नकद एवं खाद्यान्न की उपलब्धता होते हुए भी, मजदूरी भुगतान (2.44 करोड़ रुपये) में 15 दिन से नौ माह³ का विलम्ब पाया गया। 545 कार्यो (18 प्रतिशत; मजदूरी : 1.54 करोड़ रुपये) के मस्टर रोल में मजदूरी के भुगतान की तिथि अंकित नहीं थीं। जिसके कारण इन कार्यो के सापेक्ष भुगतान में विलम्ब लेखापरीक्षा में निश्चित नहीं किया जा सका।

3-6-10 dk; kdk l Eiknu

3-6-10-1 Lohdr dk; kdk l Eiknu u fd; k tkuk

¹ 15 जिला पंचायतें: 165 कार्य 2.61 लाख सृजित मानव दिवस (मजदूरी: 1.41 करोड़ रुपये), 74 क्षेत्र पंचायतें: 738 कार्य 9.87 लाख सृजित मानव दिवस (मजदूरी: 6.03 करोड़ रुपये) तथा 716 ग्राम पंचायतें: 2552 कार्य 5.85 लाख सृजित मानव दिवस (मजदूरी 3.51 करोड़ रुपये)

² मिर्जापुर: 18 ग्राम पंचायतें 23.02 लाख रुपये, गाजियाबाद: 21 ग्राम पंचायतें 8.84 लाख रुपये, बाराबंकी: जिला पंचायत, 1.51 लाख रुपये तथा 7 ग्राम पंचायतें 56.09 लाख रुपये, सोनभद्र: 1 क्षेत्र पंचायत, 0.83 लाख रुपये, बुलन्दशहर: 1 क्षेत्र पंचायत, 0.69 लाख रुपये तथा 8 ग्राम पंचायतें, 1.95 लाख रुपये, गाजीपुर: 34 ग्राम पंचायतें 7.14 लाख रुपये, तथा कन्नौज: 2 क्षेत्र पंचायतें, 1.04 लाख रुपये

³ 15 दिन तक: 73 कार्य, 16-30 दिन: 108 कार्य, 31-60 दिन: 77 कार्य, 61 दिन एवं उससे ज्यादा: 93 कार्य

नमूना जॉच के अंतर्गत लिए गए 805 जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों की आम सभाओं ने वर्ष 2001-06 की अवधि में 70597 कार्यों का अनुमोदन किया गया था जिसमें से 25690 (36 प्रतिशत) कार्य सम्पादित नहीं कराए गए। उत्तर में यह बताया गया कि योजनान्तर्गत धन की कमी के कारण ये कार्य नहीं कराये गये। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि मार्च 2006 तक योजना निधि में 37.70 करोड़ रुपये एवं बैंकों में जमा योजना की धनराशि से अर्जित ब्याज की धनराशि 3.40 करोड़ रुपये अप्रयुक्त पड़ी हुई थी।

3-6-10-2 dk; k; ds vkdyu

कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व कार्य का आकलन तैयार करना आवश्यक था। 716 ग्राम पंचायतों के 2552 कार्यों के अभिलेखों की संवीक्षा में यह प्रकाश में आया कि किसी अवर अभियंता की ग्राम पंचायतों के साथ तैनाती/सम्बद्धता न होने के कारण/कार्यों का आकलन तैयार किये बिना ही कार्य सम्पादित कराये गये थे। कार्यों का आकलन तैयार किये बिना कार्यों के सम्पादन में सामग्री की मात्रा एवं मूल्य, परिसम्पत्तियों एवं सृजित होने वाले रोजगार से प्राप्त होने वाले लाभ का आकलन संभव नहीं था।

3-6-10-3 , l th vkj okbz ds varxr dk; k; dk l Ei knu

जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों द्वारा सामाजिक आर्थिक परिसम्पत्तियों हेतु श्रम परक कार्यों का सम्पादन किया जाना था जिसमें कृषि क्रियाकलापों जैसे मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण, जल संरक्षण संरचना इत्यादि को सहयोग देने हेतु अधोसंरचना को वरीयता दी जानी थी।

नमूना जॉच के अंतर्गत ली गयी जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों में वर्ष 2001-06 की अवधि में सम्पादित कार्यों का विवरण निम्न तालिका में वर्णित है :

| ipk; rh jkt l l Fkkvka dk uke | l Mda | | | fuokl bdkbz; kw | | v/; | | dy 0; ; |
|-------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|---------------|
| | Lk[; k | fd0eh0 | eW; (djkm+ #i; se) | Lk[; k | eW; (djkm+ #i; se) | Lk[; k | eW; (djkm+ #i; se) | |
| ftyk ipk; r | 5131 | 2766 ¹ | 83.96 | शून्य | शून्य | 1965 | 15.42 | 99.38 |
| {ks= ipk; r | 5327 | 2447 | 67.98 | 786 | 2.80 | 2002 | 19.34 | 90.12 |
| xke ipk; r | 4146 | 224 | 5.60 | शून्य | शून्य | 849 | 1.47 | 7.07 |
| ; ksx | 14604 | 5437 | 157.54 | 786 | 2.80 | 4816 | 36.23 | 196.57 |

14604 सड़कों के निर्माण पर हुये 157.54 करोड़ रुपये के व्यय में से जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों द्वारा 99.42 करोड़ रुपये (63 प्रतिशत) का व्यय सड़कों के मिट्टी कार्यों पर किया गया था। योजनान्तर्गत कृषि के क्रियाकलापों पर कोई कार्य सम्पादित नहीं कराया गया था।

3-6-10-4 l kexh ijd dk; l , oa v; kx; i fj l Ei fRr; ka dk l `tu

योजनान्तर्गत श्रमपरक ग्रामीण परिसम्पत्तियों का सृजन किया जाना था। 15 जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के मजदूरी एवं सामग्रियों के व्यय के विश्लेषण में यह तथ्य प्रकाश में आया कि योजनान्तर्गत श्रम परक कार्यों को नहीं कराया गया था। वर्ष 2001-06 की अवधि में मजदूरी एवं सामग्री अंश में अनुपात 1.52:1 था। वर्ष 2002-06 की अवधि में 6.16

¹ केवल 3697 सड़कों की लम्बाई है

, l th vkj okbz
fo'ksk #i l s
l Mda fuekZk rd
l ffer jgh

करोड़ रुपये¹ के मूल्य के सड़कों का लेपन एवं पुलों का निर्माण जैसे अयोग्य कार्य भी सम्पादित कराये गये।

3-6-10-5 vuq fpr tkfr@tutkfr oxl ds varxr vk; l ftr djus okyh i fj l Ei fRr; ka dk forj .k

जिला पंचायत, बाराबंकी, बहराइच एवं मिर्जापुर ने वर्ष 2003–06 की अवधि में 400 पम्प सेट्स, 1500 सिलाई मशीन, 100 लाउडस्पीकर तथा 50 तिपहिया साईकिल का क्रय 1.74 करोड़ रुपये में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लाभार्थियों की पहचान किये बिना ही किया जिसके परिणामस्वरूप 1.25 करोड़ रुपये मूल्य के 342 पम्पसेट्स (86 प्रतिशत),

713 सिलाई मशीन (48 प्रतिशत), 100 लाउडस्पीकर (100 प्रतिशत) तथा 50 तिपहिया साईकिल (100 प्रतिशत) मार्च 2006 तक अवितरित पड़े रहे।

3-6-10-6 i fj l Ei fRr; ka dk j [k&j [kko , oa fooj .k

योजना के अंतर्गत सृजित परिसम्पत्तियों के रख-रखाव पर आबंटन का 15 प्रतिशत व्यय करना था। संवीक्षा में यह प्रकाश में आया कि जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत द्वारा रख-रखाव पर व्यय किये जाने वाले 73.07 करोड़ रुपये में से मात्र 5.15 करोड़ रुपये का व्यय वर्ष 2001–06 की अवधि में किया गया था।

नमूना जाँच में लिए लिये गये किसी भी जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा ग्राम पंचायत द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों का विवरण, जैसे उनके छायाचित्र अभिलेख, जैसा कि प्रावधानित था, नहीं रखा गया था। परिणामस्वरूप योजना के अंतर्गत वास्तविक सृजित परिसम्पत्तियों का आकलन नहीं किया जा सका।

3-6-11 vuqJo.k , oa eW; kdu

कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता का अनुश्रवण करने हेतु अनुश्रवण समिति का गठन नहीं किया गया था। 15 जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में से आठ ने अधिकारियों द्वारा की गई निरीक्षण के अभिलेखों को सम्प्रेक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये थे जबकि सात जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में अधिकारियों द्वारा निरीक्षणों में 69 प्रतिशत कमी वर्ष 2005–06 की अवधि में संज्ञान में आई। अधिकारियों की 171 कार्यों की निरीक्षण आख्याओं से कार्य की खराब गुणवत्ता, अनुपयुक्त आकलन, गलत माप, अभिलेखों का रख-रखाव न किया जाना, इत्यादि तथ्य प्रकाश में आए। निरीक्षण आख्याओं पर कोई भी सुधारात्मक कार्यवाही के अभिलेख उपलब्ध नहीं थे।

राष्ट्रीय स्तर की अनुश्रवण समिति ने बुलन्दशहर के अपने जुलाई 2006 में किये गये निरीक्षण में यह पाया कि सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना खड़जा एवं नाली तक ही सीमित रही। बाइस प्रतिशत कार्य अधूरे थे। श्रमिक 58 रुपये प्रति दिन की मजदूरी पर कार्य करने हेतु अनिच्छुक थे जिसके कारण अधिकारी मस्टर रोल में हेरा फेरी कर रहे थे। मजदूरी का भुगतान नगद धनराशि में किया गया था एवं महिला मजदूरों की भागीदारी भी कम थी। राज्य नियोजन संस्थान, लखनऊ ने भी चार जिलों¹ में योजना का मूल्यांकन वर्ष 2004–05 की अवधि में किया था। मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार न तो जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों

¹ जिला पंचायत अलीगढ़ (9 सड़कें, 2002–03, लागत: 57.52 लाख रुपये), बहराइच (11 सड़कें, 2002–06, लागत: 62.63 लाख रुपये), मिर्जापुर (68 सड़कें, 2002–04, 338 लाख रुपये), गाजीपुर (21 सड़कें, 2002–04, 68.04 लाख रुपये) एवं मथुरा (7 सड़कें, 2001–05, 37.24 लाख रुपये) में सड़कों का लेपन, तथा जिला पंचायत बहराइच में वर्ष 2005–06 की अवधि में 9 पुलों के निर्माण पर व्यय 52.52 लाख रुपये

¹ संत रविदास नगर, सीतापुर, जालौन तथा बागपत

ने जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों को मानक के अनुरूप धनराशियों का आबंटन किया था न ही इन कार्यदायी संस्थाओं ने अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए निर्धारित धनराशि का उपभोग किया था। संस्थान द्वारा यह भी बताया गया कि 10 प्रतिशत मजदूरों ने नकद में, 2 प्रतिशत ने नियत मजदूरी से कम मजदूरी प्राप्त की थी, मस्टर रोल्स में श्रमिक अनुसूचित जाति/जनजाति या भूमिहीन या महिलाएँ थीं वर्णित नहीं था तथा 43 प्रतिशत श्रमिक गाँव से बाहर के थे एवं 33 प्रतिशत कार्य मरम्मत करने योग्य थे।

3-6-12 fu"d"kl

रोजगार के अवसरों का सृजन करना, खाद्य सुरक्षा प्रदान करना तथा उपयोगी परिसम्पत्तियों का सृजन करना, जोकि योजना के उद्देश्य थे, पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किये जा सके। मानकों के अनुसार न तो निधियों का आबंटन किया गया था और न ही उनका उपभोग किया गया था जिसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय अंशों में कटौतियाँ हुई। लक्षित जनसंख्या के खाद्य सुरक्षा हेतु मजदूरी को खाद्यान्न के रूप में सुनिश्चित न करने से उनके वास्तविक मजदूरी की हानि के अतिरिक्त नकद धनराशि का अधिक उपभोग किया गया। केन्द्रीय अंशों में कटौतियों के कारण बड़ी संख्या में स्वीकृत कार्य नहीं कराये जा सके। खाद्यान्न के वितरण संबंधी अभिलेख का रख-रखाव उचित रूप में न करने से काला बाजारी/अपवर्तन के अवसर बने हुए थे। मानव दिवस के सृजन के लक्ष्य प्राप्त नहीं किये गये थे क्योंकि सम्पादित कार्य श्रमपरक नहीं थे। श्रमिकों को देय मजदूरी समय से वितरित नहीं की गयी थी। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में श्रमिकों को कई वर्षों तक मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया था। जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों ने न तो रोजगार पंजिका न ही परिसम्पत्तियों के विवरण का रख-रखाव किया था।

3-6-13 l lrf;r; kll

- शासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कुल उपलब्ध खाद्यान्न की मात्रा का उठान एवं उपभोग हो तथा जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम्य पंचायतों को समय से धनराशियाँ अवमुक्त की जायें।
- प्रत्येक गाँव में ग्राम पंचायत के सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया जाये। मजदूरी का वितरण कमेटी की उपस्थिति में ही किया जाये जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान मानक अनुरूप किया गया है।
- उपरोक्तानुसार गठित कमेटी को यह भी दायित्व सौंपा जाय कि वह गांव के श्रमपरक रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों की एक सूची तैयार करें एवं रोजगार पंजिका में उनकी पहचान का विवरण अंकित करें।
- निर्धारित खाद्यान्न, कूपन, रोजगार पंजिका, परिसम्पत्तियों का विवरण, आय एवं व्यय के अभिलेखों को कम से कम क्षेत्र पंचायत स्तर पर कम्प्यूटराइज्ड किया जाना चाहिए।

प्रकरण शासन को (सितम्बर 2006) संदर्भित किया गया था। शासन ने ग्राम्य विकास आयुक्त, लखनऊ के उत्तर को अग्रसारित (नवम्बर 2006) किया, जिसे कि जहाँ उचित था, सम्मिलित किया गया है।

v/; k; & 4

yunsuka dh ys[kki jh{kk

शासकीय विभागों तथा स्वायत्त निकायों के लेनदेनों की लेखापरीक्षा, उनकी क्षेत्र रचनाओं के साथ-साथ संसाधनों के प्रबन्धन एवं नियमितता, उपयुक्तता एवं मितव्ययिता के मानकों के अनुपालन में असफलता के विभिन्न उदाहरणों को उजागर करती है। इन्हें वृहत् उद्देश्य शीर्षों के अन्तर्गत अनुवर्ती प्रस्तरों में वर्गीकृत किया गया है :

4-1 di Vi w kZ vkgj .k@nfofu; kstu@xcu@gkfu@vf/kd Hkqarku

fpfdRI k , oa LokLF; foHkkx

4-1-1 'kkl dh; /ku dk xcu

N% Qthz fpfdRI k vf/kdkfj; kq tks eq[; fpfdRI kf/kdkjh] jk; cjsyh dk; kZy; I s I Ec} ugha Fkq ds oru HkRrka ds di Vi w kZ vkgj .k ds }kjk 53-42 yk[k : i ; s dk xcuA

forrh; fu; eka¹ ds vuq kj iR; od dk; kZy; k/; {k Lo; a vFkok vU; 0; fDr ftI s ml us vkgj .k forj .k vf/kdkj ifrfu/kkfur fd; k gq vkgj .k , oa forj .k vf/kdkjh 1/2 vk fo v 1/2 dh 'kfDr; ka dk iz; ksx djrs I e; vi us dk; kZy; I s I Ec) depkfj; ka ds oru , oa HkRrka ds vkgj .k , oa forj .k] mfpr , DohVll jksy ea , s Hkqarkuka dk vfHkys[k j [ks tkus , oa bu I Hkh yu&nuks dks vi uh jksdM+ cgh² ea LFkkbz : i I s ifof"V gsrq mRrjnk; h gA i q'p] tui n ds dks'kkf/kdkjh dks uo fu; Or I jdkjh I odka dks NkM+dj] vU; fdl h I jdkjh I od ds fdl h Js kh ea igyh ckj oru fcy i kfj r djus ds i od I oZ Fke ml ds vfre oru i ek .k i = dh fo'ol uh; rk dh tkp djuh pkfg, A

eq[; fpfdRI kf/kdkjh 1/2 eq fp v 1/2 jk; cjsyh ds vfHkys[kka dh ueuk tkp 1/2 DVicj , oa uoEcj 2005 1/2 ea ns[kk x; k fd mi eq fp v] i pe us vi sy 1999 I s tuw 2004 dh vof/k ea vi us v/khu dk; jr depkfj; ka ds oru , oa HkRrka dks dks'kkxkj I s vkgfj r djus gsrq 2-43 djkm+ : i ; s ds oru fcy eq fp v jk; cjsyh dks i Lrrq fd; ka bu ekfl d oru fcyka ea mDr vof/k ea 1/2 ekg Qojh dks NkM+dj 1/2 N% Qthz fpfdRI kf/kdkfj; ka ds uke ftI ea 53-42 yk[k : i ; s dh /kujkf' k I flufgr Fkh] tkM+ fn; s x; A eq fp v ds iz kkl fud vf/kdkjh ftlga vkgj .k , oa forj .k dk vf/kdkj Fkk] us bu N% Qthz ukeka dh okLrfodr dh i fke ckj , oa vkxs tkp fd, fcuk dks'kkxkj jk; cjsyh dks oru fcy i Lrrq fd; k , oa 2-43 djkm+ : i ; s ds pd Hkh i klr dj fy; ka iz kkl fud vf/kdkjh I s pd i klr gkus ij mi eq fp v i pe us I Ecfl/kr depkfj; ka dh I ph ds I kfk muds [kkrka ea OfMV fd; s tkus gsrq bu pdka dks funZV cAd ea u Hkstdj cAd vkQ cMknk ea [kksys x; s vi us 'kkl dh; cpr [kkrs ea blga tek dj fn; ka bl [kkrs I s mi eq fp v i pe us pd }kjk depkfj; ka ds oru , oa HkRrka dks muds cAd [kkrka ea LFkkukUrfj r dj fn; k , oa 53-42 yk[k : i ; s jksd dj cAd I s foHkUUK ekgka ea 1/2 ebz 1999 I s tuw 2004 1/2 Lo; a ds uke fuxr foHkUu pdka }kjk vkgfj r djrs gq xcu dj fy; ka

vk fo v ftlga m eq fp v }kjk vi us depkfj; ka dh i fjyfc/k; ka ds vkgj .k gsrq vk fo v dks vxfl r oru ns dka dh I R; rk dks I fuf' pr djus gsrq nkonjka dh

¹ i Lrj&131%3 1/2 rFkk 138&forrh; gLr i fLrdk [k.M&5
² i Lrj&27% 1/2 y[kk fu; e 1/2 v/; k; &8%

fo'ol uh; rk dh tkp djuj 0; fDrxr : lk l s l UrqV gkuj fd Hkqxrku mfpr
 0; fDr dks gh fd; k x; k gS , oa eq fp v dh eq; jksdM+ cgh l s l EcfU/kr mi eq
 fp v dh l gk; d jksdM+ cgh l s gj eghus feyku djus , oa l R; kfi r djus dk
 nkf; Ro l ksa k x; k Fkk] foHkkx ea oru nkoka ds l Ecak ea bu l ko/kkuhij d tkp
 fclnqka dk iz; ks djus ea foQy jgA dkskkf/kdkjh }kjk l EcfU/kr fu; eka ds
 l pk: : i l s vuj kyu ea vl Qyrk ds dkj .k Hkh 53-42 yk[k : i ; s ds xcu djus
 dk ekxZ iz kLr gqka izdj .k 'kkl u ds l kku ea yk; k x; k 1/4tuojh 20061/4
 'kkl u us fopkj foe'kz 1/4DVicj 20061/2 ea 53-42 yk[k : i ; s ds xcu dks Lohdkj
 djrs gq l fpr fd; k fd pkj depkfj; ka ds fo: } ifyl ea i Fke l puk fjiksVZ
 nk; j dj nh x; h 1/4nl Ecj 20051/2 Fkh , oa iz kkl fud vf/kdkjh l fgr N% vU;
 vf/kdkfj; ka ds fo: } pktz 'khV ns nh x; h FkhA
 4-1-2 di Vi w kZ Hkqxrku

Qthz LFkkukUrj .k vkns kka ij 42 depkfj; ka dh rskrh l s 35-24 yk[k : i ; s
 dk di Vi w kZ HkqxrkuA

mRrj ins k 'kkl dh; depkjh ofj "Brk fu; e 1991 ea depkfj; ka dh igpku LFkfi r
 djus ds mnns ; l s fu; fDr i kf/kdkjh }kjk muds fu; fDr ds rjUr ckn 0; fDr; ka dh
 ofj "Brk l ph rS kj fd, tkus dk i ko/kku gA bl ds vrfjDr] egkfun's kd fpdfRI k
 , oa LokLF; l sok mOi D y[kuA 1/4egkfun's kd½ us vkrfjd fu; U=.k dne ds : i ea
 funz k 1/4tu 2001 vksj ekpl 20041/2 fuxzr fd, fd Qthz LFkkukUrj .k vkns kka ds pyu
 l s cpus ds fy, l R; rk dh tkp funs kky; l s fo'ksk l Uns k okgd funs kky; Hkst dj
 LFkkukUrj .k vkns kka dh i zekf .kdrk dks LFkk; h : lk l s l R; kfi r dja , oa LFkkukUrfj r
 depkfj; ka dh l sok i fLrdkvka vksj fu; fDr i =ka l s muds fu; fDr l EcfU/kh
 i zekf .kdrkvka dk l R; ki u fd, fcuk LFkkUUrj .k vkns k ykxw u fd, tk; A
 eq; fpdfRI k vf/kdkjh] bykgkckn] fQjstckkn] xks-recq-uxj] gkFkj l , oa ejknkckn
 ds vfHkys[kka dh ueuk tkp 1/4nl Ecj 2005&ekpl 20061/2 , oa egkfun's kd fpdfRI k , oa
 LokLF; l sok, a l s , d= dh x; h l pukvka 1/4ebz 20061/2 l s Kkr gqk fd 42 0; fDr; ka us
 Qthz LFkkukUrj .k vkns kka dk tgykz 1999 l s Qjoj 2005 ds e/; izU/k fd; k
 , oa bu fu; fDr vkns kka dks Qthz vflre oru i zek .k i =ka 1/4, y ih l h½ ds l kfk
 l EcfU/kr eq; fpdfRI k vf/kdkfj; ka dks izLrq fd; kA eq; fpdfRI k vf/kdkfj; ka
 us ofj "Brk l ph l s foj .k] LFkkukUrj .k vkns kka dh fo'ol uh; rk] fu; fDr i =ka
 dh i zekf .kdrk rFkk l sok i fLrdkvka dh oyrk dk l R; ki u fd, fcuk mlgs
 l kepkf; d LokLF; dlnka 1/4 h , p l h½ vksj i kFfed LokLF; dlnka 1/4 h , p l h½ ea
 foHkku inks ds fo: } fu; fDr dj fn; kA l Ecf/kr eq; fpdfRI k vf/kdkfj; ka }kjk
 fu/kkfj r ekudka ds 0; ogj .k dh f'kfkfyrk uj 4 l s 52 ekgka dh vof/k ds fy; s Qthz
 0; fDr; ka dh 'kkl dh; oru fpVBka ea i fo"V dks l pxe cuk fn; kA mlgs oru , oa
 HkRrka ds : lk ea 35-24 yk[k : i ; s dk Hkqxrku fd; k x; k Fkka xks-recq-uxj]
 fQjstckkn] gkFkj l vksj bykgkckn ds eq; fpdfRI kf/kdkfj; ka }kjk tuojh 2003 l s
 ekpl 2006 ds chp 24 0; fDr; ka ds fo:) ifyl foHkkx ea i Fke l puk fjiksVZ ntz
 djkus ds vrfjDr l Ecf/kr eq; fpdfRI k vf/kdkfj; ka }kjk u rks dkbz foHkxh;
 dk; bkgh fu; r dh x; h vksj u gh ifyl ea i Fke l puk fjiksVZ gh ntz dj; h
 x; h FkhA 'ksk 18 izdj .kka ea i Fke l puk fjiksVZ ntz u fd, tkus ds dkj .kka dks
 l fpr ugh fd; k x; kA egkfun's kd] fpdfRI k , oa LokLF; us crk; k 1/4ekpl 20061/2 fd

¹ funs kd] fpdfRI k mi pkj] mOi D y[kuA ds tkyh gLrk[kj l s fuxzr
² yk rduhf'k; u % 9] Qkekf l LV % 18] yk l gk; d % 13 o okMZ Cok; % 02

vU; 24 tuinka¹ ea Hkh bl rjg ds vksj idj.k ik; s x, A foRrh; fu; eka ds v/khu vko'; d gkfu@/kks[kk/kMh ds ekeyka dh egkys[kkdkj , oa 'kkl u dks Hkh tkudkjh ugh nh x; h FkhA

vr% de[pkfj; ka dh ofj"Brk@in0e l pph r\$ kj u fd, tkus ds l kFk gh l kFk l EcfU/kr eq; fpdfRI k vf/kdkfj; ka ds Lrj ij LFkkukUrj.k vkn's kka dh ikekf.kdrk ds l R; ki u dh f'kfFkyrk us oru , oa HkRrks ds : i ea 35-24 yk[k : i; s ds diViwkZ Hkqarku dk l qe dj fn; kA drD; ka dh mis[kk grq mRrjnk; h de[pkfj; ka ds fo: } foHkkxh; tkq vkjEHk u djuk , oa 'ks'k idj.k ka ea ikFkfedh iathdr u djuk bl rF; dk l pd Fkk fd idj.k dks gy djus ds ifr foHkkx ea xdkhjrk dk vHkko Fkka

tcfD] uoEcj 2006 rd dbZ ckj fuonuka ds ckotwn 24 tuinka ds bl idkj ds idj.kka ds ikl fxd fooj.k egkfun'skd }kjk miyC/k ugha dj;k; k x; k] 'kkl u }kjk okrkZyki %VDV%j 2006½ ds le; crk; k x; k fd de[pkfj; ka dh ofj"Brk l pph cukbz tk jgh Fkh fdUrq nks'kh de[pkfj; ka ds fo: } dk; bkg h u 'kq fd, tkus ds l Ecu/k ea dkbZ dkj.k ugha crk; k x; kA

4-2 vf/kd Hkqarku@fu"Qy@fujFkd 0; ;

mPp f'k{kk foHkkx

4-2-1 iqrDKa ds 0; ij fujFkd 0; ;

cdnsy[k.M fo'ofok|ky;] >kw h }kjk njLFk f'k{kk dk; 0e dks jksdus l s iqrDKa ds 0; ij 37-53 yk[k : i; s dk fujFkd 0; ; A

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (अधिनियम)² के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा ऐसा कोई भी अध्यादेश, जिससे विश्वविद्यालय की आय-व्यय प्रभावित होती है, नहीं बनाया जा सकता जब तक कि इस आशय का प्रारूप राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित न किया गया हो। अधिनियम में भी दूरस्थ शिक्षा अध्ययन केन्द्रों के खोलने की व्यवस्था नहीं थी।

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी (विश्वविद्यालय) के अभिलेखों की जांच (मार्च 2006) से प्रकाश में आया कि शासन की बिना पूर्वानुमति के ही विश्वविद्यालय द्वारा अगस्त 2000 से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (दू शि का) प्रारम्भ किया गया। वर्ष 2004-05 तक पूरे देश में विश्वविद्यालय द्वारा 60 दूरस्थ शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों की अनुमति प्रदान की गयी। अगस्त 2005 में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति द्वारा दू शि का को बन्द करने का आदेश दिया गया क्योंकि यह अधिनियम के विरुद्ध था। छात्रों से प्राप्त शुल्क भी वापस करने का आदेश दिया गया। वर्ष 2004-05 के दौरान 1.25 करोड़ रुपये की धनराशि शुल्क के रूप में प्राप्त हुई। इसमें से अगस्त 2006 तक 66.25 लाख रुपये की धनराशि वापस की गयी तथा 58.67 लाख रुपये की धनराशि वापस करने हेतु अवशेष थी।

इसके अतिरिक्त, इन्दिरा गाँधी मुक्त विश्वविद्यालय, नयी दिल्ली से दू शि का हेतु क्रय (मार्च 2005) की गयी 37.53 लाख रुपये की पुस्तकें भी कार्यक्रम के बन्द हो जाने तथा

¹ बुलन्दशहर, बदायूँ, जे पी नगर, रामपुर, अलीगढ़, फर्रुख्खाबाद, मैनपुरी, बांदा, बहराइच, आगरा, महामायानगर, बिजनौर, ललितपुर, हमीरपुर, इटावा, मुजफ्फरनगर, बरेली, कन्नौज, सीतापुर, गोरखपुर, झाँसी, सिद्धार्थ नगर, फैजाबाद व प्रतापगढ़ ; ks 24 ftyk

² अनुच्छेद 52 (3) (स)

इन्दिरा गॉधी मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा इनको वापस लेने से इनकार करने के फलस्वरूप भण्डार में बिना प्रयोग के पड़ी थी (फरवरी 2006)।

प्रकरण को ध्यान में लाने पर विश्वविद्यालय ने कहा (मार्च 2006) कि कार्यक्रम को दूरस्थ ग्रामीण छात्रों को शिक्षित करने हेतु प्रारम्भ किया गया था। विश्वविद्यालय का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम को आरम्भ करते समय विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया जिससे 37.53 लाख रुपये की क्रय की गई पुस्तकों पर हुआ व्यय निरर्थक रहा।

uxj fodkl foHkkx

4-2-2 xkerh unh ea vlr% LFkyh; ty ifjogu fodkl ij fujFkd 0; ;

xkerh unh ea vlr% LFkyh; ty ifjogu gsrq [kqkbz , oa fl YV l Qkbz ds dk; k dks i fj; kstuk i kDdyu ds vueknu , oa fuf/k; ka dh mi yC/krk ds fcuk dj; s tkus ds dkj.k dk; l vo:) gkus ds ifj.kkeLo: i 90 yk[k : i; s dk fujFkd 0; ; jgk A

वित्तीय नियमों¹ के प्रावधानों के अनुसार कोई भी कार्य तब तक प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि कार्यस्थल के व्यापक सर्वे के आधार पर विस्तृत डिजाइन एवं प्राक्कलन तथा प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति, धनावंटन तथा सक्षम अधिकारी द्वारा कार्य प्रारम्भ करने हेतु आदेश निर्गत न कर दिया जाय।

अन्तः स्थलीय जल परिवहन सुविधाओं के विकास के उद्देश्य से पर्यटन को आकर्षित करने तथा लखनऊ में गोमती नदी के 12 किमी लम्बाई में प्रदूषण को रोकने हेतु नगर विकास विभाग द्वारा (जनवरी 2003) 24.12 करोड़ रुपये का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसमें केन्द्र एवं राज्य सरकार की 90:10 की हिस्सेदारी थी। भारत सरकार से परियोजना का अनुमोदन प्राप्त किये बिना तथा बिना धन आवंटन के राज्य सरकार द्वारा (जनवरी 2003) कंस्ट्रक्शन एवं डिजाइन सर्विसेज (सी एण्ड डी एस), उत्तर प्रदेश-जल निगम, लखनऊ को कार्य सौंप दिया गया जिसके द्वारा यह कार्य अक्टूबर 2003 तक पूर्ण कर दिया जाना था। राज्यांश के वचन का हिस्सा (2.40 करोड़ रुपये), जिस पर नगर विकास विभाग जनवरी 2003 में सहमत था, को आरम्भ में आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ, विकास प्राधिकरण और नगर निगम लखनऊ द्वारा (प्रत्येक को 80 लाख रुपये) उपलब्ध करायी जानी थी और उसकी प्रतिपूर्ति बाद में होनी थी। 90 लाख रुपये (आवास विकास परिषद:50 लाख रुपये, लखनऊ विकास प्राधिकरण:40 लाख रुपये)की धनराशि सी एण्ड डी एस को अवमुक्त की गयी।

सी एण्ड डी एस के अभिलेखों की जाँच में पाया गया (मई 2005) कि खुदाई एवं सिल्ट सफाई का कार्य कोलकाता की फर्म द्वारा जनवरी 2003 में हाइड्रोग्राफिक सर्वे, तलहटी के सैम्पुल के एकत्रीकरण एवं हाइड्रोलिक डाटा के बिना प्रारम्भ किया गया। इसी बीच 12 किमी चैनेज में 80 मीटर चौड़ाई एवं 2.40 मीटर गहराई में खुदाई एवं सिल्ट सफाई हेतु 27.73 करोड़ रुपये के परियोजना प्राक्कलन को, जिसे भारत के अन्तः स्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण (आई डब्लू ए आई) जहाजरानी मंत्रालय को मई 2003 में भेजा गया था, इस सलाह के साथ वापस (जुलाई 2003) किया गया कि चैनेज की चौड़ाई 80 मी से घटाकर 35 मी (तलहटी) किया जाये। उस समय तक (अगस्त 2003), 3 किमी लम्बाई के 80 मी चौड़े चैनेल में 1.07 लाख घ मी का खुदाई का कार्य किया जा चुका था। बाद में चैनेज की चौड़ाई घटाते हुए कार्य को चालू रखा गया, तथा नवम्बर 2003 में धन की अनुपलब्धता के कारण पूर्णतः बन्द कर दिया गया। कार्य पर कुल 90 लाख रुपये का व्यय करके नदी से 1.29 लाख घ मी खोदी गई मिट्टी नदी के किनारे छोड़ दी गई। इसके अतिरिक्त सी

¹ (क) वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-vi के प्रस्तर 375

एण्ड डी एस को विविध कार्यों हेतु 1.03 करोड़ रुपये भी देय था। आई डब्लू ए आई की टिप्पणी के परिपालन में 16.98 करोड़ रुपये का पुनरीक्षित प्राक्कलन भारत सरकार को मार्च 2005 में प्रस्तुत किया गया, जिसकी स्वीकृति अपेक्षित थी (अक्टूबर 2006)।

अतः, वित्तीय नियमों के विपरीत बिना परियोजना के प्राक्कलन की स्वीकृति तथा बगैर निधियों की उपलब्धता के कार्य कराये जाने एवं ढाई वर्ष से अधिक समय से कार्य बंद पड़े रहने के कारण 90 लाख रुपये का व्यय व्यर्थ गया तथा इसके साथ ही 1.03 करोड़ रुपये की अतिरिक्त देनदारियाँ भी उद्गृहीत हुयी। गत तीन वर्षा ऋतुओं में नदी के किनारे खुदाई किये गये सिल्ट का मलवा पुनः उसी नदी में वापस बह जाने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता।

प्रमुख सचिव नगर विकास ने वार्तालाप (सितम्बर 2006) के दौरान तथ्यों एवं आंकड़ों को स्वीकार करते हुए सूचित किया कि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु उच्च अधिकारियों से आदेश प्राप्त किये जा रहे थे। प्रकरण पर की गई कार्यवाही लेखा परीक्षा में अपेक्षित (अक्टूबर 2006) थी।

4-3 I fonkRed ck/; rk dk mYya?ku@Bsdnkjka dks vufpr ykHk@i fjgk; Z 0; ;

ykrd fuekZk foHkkx

4-3-1 i fjgk; Z vfrfjDr 0; ;

'kkI u ds vkn's kka ds ckot'n ekxZ I q<hdj.k dk; Z ea iz; kx ds fy; s vupekfnr I kexh ds LFkku ij vf/kd dher okyh I kexh ds iz; kx I s 2-42 djkm+ : i ; s dk vfrfjDr i fjgk; Z 0; ; A

केन्द्रीय मार्ग निधि के अन्तर्गत शिकोहाबाद-भोगांव मार्ग (35 किमी से 62 किमी) के चौड़ीकरण तथा सुदृढीकरण के लिये शासन ने 11.27 करोड़ रुपये स्वीकृत किये (फरवरी 2004)। मुख्य अभियन्ता (मु अ) लो नि वि आगरा परिक्षेत्र, आगरा ने (मार्च 2005) कार्य की प्राविधिक स्वीकृति इस शर्त के साथ दी थी कि कार्य शासन की स्वीकृति तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) की विशिष्टियों के अनुरूप संपादित कराये जायें।

अधिशायी अभियन्ता (ई ई) निर्माण खण्ड लो नि वि मैनपुरी के अभिलेखों की जाँच (सितम्बर 2005 तथा जून 2006) में पाया गया कि मोर्थ द्वारा अनुमोदित प्रारम्भिक प्राकलन में सुदृढीकरण कार्य में वाटर मिक्स मैकडम (डब्ल्यू एम एम, 37100 घ मी @ 1420.10 रुपये/घ मी) उक्त सड़क सुदृढीकरण के लिये प्रयोग किया जाना प्राविधानित था। डब्ल्यू एम एम को बिटुमिनस मैकडम (वी एम) से बदले जाने का अधीक्षण अभियन्ता (एस ई) का प्रस्ताव (सितम्बर 2004) शासन द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। फिर भी अधीक्षण अभियन्ता द्वारा शासन के निर्णय की अवहेलना करते हुये माह दिसम्बर 2004 में एक अनुबन्ध¹ गठित किया गया था, जिसमें डब्ल्यू एम एम को बी एम (दर 3364 रुपये प्रति घन मीटर) से बदला गया था।

कार्य दिसम्बर 2004 में प्रारम्भ कर के जून 2005 में पूर्ण किया गया था। दिसम्बर 2004 से जून 2005 के मध्य डाली गई बी एम की कुल मात्रा 22857.119 घनमीटर लागत

¹ अनुबन्ध संख्या-08/एस ई-एटा/2004-05 दिनांक 7.12.2004, 970.33 लाख रुपये

6.61 करोड़ रुपये¹ थी। मोर्थ द्वारा निर्धारित इक्वी वैलेन्सी फैक्टर (डब्लू एम एम : वी एम :: 1.5 : 1) के आधार पर इस कार्य पर डब्लू वी एम की 34285.68 घनमीटर² मात्रा जिसका मूल्य 4.19 करोड़ रुपये³ था, प्रयोग होता।

इस प्रकार खण्ड द्वारा 2.42 करोड़ रुपये (6.61 करोड़ रुपये – 4.19 करोड़ रुपये), शासन द्वारा स्पष्ट रूप से अस्वीकृति वी एम के प्रयोग किये जाने के कारण अतिरिक्त परिहार्य व्यय किया गया।

वार्ता के दौरान (सितम्बर 2006) शासन ने प्रमुख अभियन्ता लो नि वि को आई आई टी रुड़की को डिजाइन तथा अन्य अभिलेख जिसके आधार पर डब्लू एम एम के स्थान पर बी एम प्रयोग किया गया था, सम्प्रेक्षा को उपलब्ध कराने के लिये कहा था जो अक्टूबर 2006 तक उपलब्ध नहीं कराये गये। इसके अतिरिक्त आई आई टी रुड़की की डिजाइन के अनुसार बी एम डाला जाना औचित्यपूर्ण नहीं था क्योंकि डब्लू बी एम के स्थान पर बी एम डाले जाने का एस ई का प्रस्ताव शासन द्वारा पहले ही अस्वीकृति कर दिया गया था।

i Lrj 4-3-2 ekxZ l qkkj dk; Z ij ifjgk; Z vfrfjDr 0; ;

ekfkl dh fo'kf"V; k ds ifrdny fcVfeul efdMe %ch ,e%@iheDI dki fVax %i h l h½ ds igys i fke l rg ys u %i h&A½ Mkyus l s nks ekxka ds l qkkj dk; Z ij 1-07 djkm+: i; s dk ifjgk; Z 0; ; A

मार्ग कार्यों से सम्बन्धित सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ)⁴ की विशिष्टियों वाटर वाउन्ड मेकाडम (डब्लू वी एम) और विटुमिन्स मैकडम (बी एम) के बीच अथवा प्रीमिक्स कार्पेटिंग (पी सी) और डब्लू वी एम के बीच प्रथम सतह लेपन (पी-1) डालने का प्रावधान नहीं था। इन विटुमिनस सतह को डब्लू वी एम की सतह के ऊपर प्राइम कोट डाल कर डाला जाना चाहिए।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कानपुर द्वारा कुन्दरखी डीगरपुर रतनपुर कला, पाकबाड़ा (के डी आर पी) मार्ग लम्बाई 08 किमी के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य अधिशासी अभियन्ता (ई ई) निर्माण खण्ड-1 (सी डी 1) मुरादाबाद को लागत 10 करोड़ रुपये में डिपॉजिट कार्य के रूप में (अक्टूबर 2002) सौंपा गया था। इसी प्रकार, बुलन्दशहर अनूपशहर मार्ग (एम डी आर-58)-लम्बाई 19.87 किमी के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य लागत 5.80 करोड़ रुपये में शासन द्वारा स्वीकृत (नवम्बर 2004) किया गया था जो अधिशासी अभियन्ता (ई ई) प्रान्तीय खण्ड (पी डी) लो नि वि बुलन्दशहर को कराना था। उपरोक्त कार्यों की प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (सी ई) लो नि वि मुरादाबाद और मुख्य अभियन्ता लो नि वि मेरठ द्वारा क्रमशः माह मार्च 2003, एवं मई 2005 में इन निर्देशों के साथ प्रदान की गयी थी कि सभी कार्यों को मोर्थ की विशिष्टियों के अनुसार ही कराया जाय।

अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड बुलन्दशहर एवं अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 1 मुरादाबाद के अभिलेखों की जांच (माह जून 2005 और सितम्बर 2005) से प्रकाश में आया कि सम्बन्धित मुख्य अभियन्ताओं के आदेशों के विपरीत इन कार्यों के विस्तृत आगणन में बी एम/पी सी की सतह डालने के पूर्व डब्लू बी एम की सतह के ऊपर प्रथम सतह (पी-1) लेपन की सतह डालने का प्राविधान किया गया था। यह मोर्थ की विशिष्टियों के प्रतिकूल था परिणाम स्वरूप 1.07 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय हुआ जिसका विवरण निम्नवत था :

¹ डाली गई बी एम 22857.119 घ मी (लागत 22857.119 घ मी दर 3364 रुपये, 7.69 करोड़ रुपये घटायें 14% टेण्डर दर, वास्तविक लागत 6.61 करोड़ रुपये)
² 1 घ मी बी एम = 1.5 घ मी डब्ल्यू एम एम इक्विवैलेंसी फैक्टर के मजबूती दृष्टिकोण से
³ 34285.68 घ मी दर 1420.10 रुपये = 4.87 करोड़ रुपये घटायें 14% = 4.19 करोड़ रुपये
⁴ मोर्थ विशिष्टियों की धारा 501.8.1, 501.8.3.1, 502.1 एवं 504.1

| Øe l 0 | [k.M dk uke | ekxl dk uke | i h&1 Mkys tkus dk {ks=Qy %oxl eh½ | nj %i fr oxl eh½ | Hkqarku dh /kujkf' k %yk[k : i ; s eh½ |
|-----------|----------------------|----------------------------|---|----------------------------------|--|
| 1 | पी डी बुलन्दशहर | बुलन्दशहर अनूपशहर मार्ग | 74530 00 | 42.40 रुपये से 57.70 रुपये | 40.25 |
| 2 | सी डी 1 मुरादाबाद | के डी आर पी मार्ग | 147801.48 | 44.50 रुपये से 45.50 रुपये | 66.91 |
| | ; ksx | | 222331-48 | | 107-16 |

उत्तर में शासन ने कहा (अक्टूबर 2006) कि पी-1 का कार्य शासनादेश (जनवरी 2004) के प्राविधान के अनुसार संपादित कराये गये थे। जिसमें डब्लू बी एम सतह के ऊपर बी एम/पी सी डालने से पहले पी-1 का प्राविधान था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि बी एम/पी सी कार्य के पहले पी-1 डाला जाना मोर्थ के विशिष्टियों के अनुरूप नहीं था। अन्ततः 1.07 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय किया गया।

i Lrj 4-3-3 Bdnkj dks ifjgk; l Hkqarku

[k.Mh; vf/kdkjh }kjk l e; ds vUrxr LFky vojksk dk lkU/ku , oa fu; =a k ea vl Qy jgus ds ifj.kke Lo: lk Bdnkj dks 35-53 yk[k : i ; s dk vufpr , oa ifjgk; l HkqarkuA

भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) द्वारा राष्ट्रीय मार्ग सं 58 के सकौती टाड़ा के समीप किमी 88 में रेल उपरिगामी सेतु (आर ओ बी) पहुंच मार्ग सहित के निर्माण हेतु 4.78 करोड़ रुपये लागत की स्वीकृति (जनवरी 2002) में प्रदान की गयी थी। कार्य क्षेत्र में आर ओ बी का वायाडक्ट स्पान एवं इसके पहुंच मार्ग के निर्माण का कार्य सम्मिलित था जिसको यू पी लो नि वि द्वारा कराया जाना था। उपरोक्त कार्य के लिये सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता (एस ई) द्वारा 5.99 करोड़ रुपये लागत का एक अनुबन्ध दिनांक 22 जून 2002 को गठित किया गया था जिसमें कार्य पूर्ण करने की तिथि 21 दिसम्बर 2003 निर्धारित थी।

अनुबंध में निहित प्राविधानों के अनुसार यदि प्रतिपूर्ति प्रकरण अतिरिक्त लागत का कारण हो अथवा कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के पहले पूर्ण होने से रोकता है, तो अनुबंध की राशि बढ़ा दी जायेगी और/अथवा कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि बढ़ा दी जायेगी। अनुबंध की मूल्य समायोजन धारा में नियत था कि मूल्य समायोजन उन कार्यों पर लागू होगा जो अनुबन्ध में निर्धारित तिथि से प्रारम्भ कर प्रारम्भिक कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि तक अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति बढ़ोत्तरी तिथि तक पूर्ण कर लिया गया हो, और उन कार्यों पर लागू नहीं होगा जो ठेकेदार को दिये गये कारणों से निर्धारित तिथि के बाद पूर्ण किये गये हो।

अधिसासी अभियन्ता (ई ई) निर्माण खण्ड-1 (राष्ट्रीय मार्ग) लो नि वि मेरठ के अभिलेखों की जांच (अगस्त 2006) से प्रकाश में आया कि कार्य के विभिन्न स्तरों को पूर्ण करने के लिए निर्धारित मील पत्थर को प्राप्त करने में ठेकेदार असफल रहा तथा उसके समय वृद्धि प्रार्थना को अधीक्षण अभियन्ता (एस ई) द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था (जुलाई 2003) क्योंकि उनके निर्णय में प्रतिपूर्ति प्रकरण उत्पन्न नहीं हुआ था। मुख्य अभियन्ता/एस ई द्वारा पूर्व में इन्हीं आधारों पर ठेकेदार का समय वृद्धि प्रार्थना स्वीकृति नहीं किया गया था, और कार्य को निर्धारित तिथि के अन्दर पूर्ण करने का निदेश दिया गया था। इस तथ्य के

बावजूद बाद में बार-बार (5 बार) 15 सितम्बर 2005 तक समय वृद्धि स्वीकृत कर ठेकेदार का अनुचित पक्ष लिया गया। अनुचित समय वृद्धि के कारण अनुबन्ध की शर्त के अनुसार मूल्य समायोजन के तहत विभाग को जिन कार्यों का मापन मार्च 2006 (29 वां, के चलित देयक) तक किया गया था, के सापेक्ष 35.53 लाख रुपये¹ का भुगतान करना पड़ा जो परिहार्य था।

इंगित करने पर शासन द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये (अक्टूबर 2006) कहा गया कि मेरठ की तरफ तटबन्ध के लिये भूमि का उपलब्ध न होना, पेड़ कटाने तथा विद्युत खम्भों को हटाने में विलम्ब, प्रतिकूल मौसम की स्थिति, कार्य का अतिरिक्त मद, लोक सभा चुनाव आदि अवरोधों को ध्यान में रख कर समय वृद्धियाँ स्वीकृति की गई थी और अनुबन्ध में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत समायोजित मूल्य का भुगतान किया गया था जो औचित्य पूर्ण था।

शासन का उत्तर इस बात की पुष्टि करता है कि विभाग समय रहते अवरोधों के प्रबन्धन तथा नियंत्रण में असफल रहा अन्ततः जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को 35.53 लाख रुपये के अनौचित्य एवं परिहार्य भुगतान रहा।

4-4 fuf"Ø; fuos k@fuf"Ø; LFkki uk@fuf/k dk vojks/ku@mi dj.kk ds i frLFkki u ea foyEc@vi oRkU@fuf/k; ka dk nq i ; ksx

i fjokj dY; k.k foHkkx

4-4-1- l mkkj ra= l eFkU 0; oLFkk ij vykHkdkjh 0; ;

midj.k dh LFkkiuk o dky l pkyu LVkQ dh rFkrh u gkus ds dkj.k l mkkj ra= l eFkU 0; oLFkk fØ; k'khy ugh gq h ftl l s ml ij fd; k x; k 9-19 djksM+ : i ; s dk 0; ; vykHkdkjh jgkA

शासन ने सेवा वितरण बिन्दुओं पर समय से एवं अबाध रूप से औषधि आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत संभार तंत्र समर्थन व्यवस्था² को स्थापित करने का निर्णय लिया (मई 1999)। राज्य के 11 क्षेत्रों में माल गोदामों का निर्माण कर इन्हें यन्त्र चालित पदार्थ वाहक उपकरणों जैसे दवाओं के कार्टूनों के भण्डारण हेतु हैवी ड्यूटी हाइड्रोलिक/इलेक्ट्रिक पद चालित स्टैक्स, बैट्री चलित स्मोक डिटैक्टर्स, वातानुकूलन व्यवस्था, कम्प्यूटर व्यवस्था, डीजल जनरेटर सेटों की स्थापना एवं व्यवसायिक विशेषज्ञों से सुसज्जित करने की नीति अपनायी गयी थी। महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (महा निदे), व्यवस्था को जून 2002 से संचालित किए जाने हेतु उत्तरदायी थे।

अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण इलाहाबाद और दस अन्य अतिरिक्त निदेशकों के अक्टूबर 2005 से अप्रैल 2006 की अवधि में अभिलेखों की जांच से ज्ञात हुआ कि 7.11 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 11 भण्डार गृहों को निर्माता एजेसियों से मार्च 2002 से सितम्बर 2003 के मध्य हस्तगत कर लिया गया था। इन भण्डार गृहों में संभार तंत्र समर्थन व्यवस्था, कुशल संचालन व्यवस्था, स्टाफ की तैनाती न होने, उपकरण/जनरेटर की स्थापना न होने एवं विद्युत आपूर्ति संयोजन के अभाव में क्रियाशील नहीं हो सकी। 2.08 करोड़ रुपये के उपकरणों में से 1.21 करोड़ रुपये लागत

¹ 29 वां चलित बिल तक (मार्च 2006) कुल भुगतान 50.53 लाख रुपये था जिसमें से 15 लाख रुपये मूल अनुबन्ध की अवधि का था। इस प्रकार परिहार्य भुगतान 50.53(-) 15 लाख रुपये = 35.53 लाख रुपये था

² संभार तंत्र समर्थन व्यवस्था से तात्पर्य क्षेत्रीय भण्डार गृहों के एक नेटवर्क से है जो कम्प्यूटरीकृत सूची व कुशल वितरण प्राणाली पर व्यावसायिक विशेषज्ञों द्वारा चलाया जाता हो

के उपकरण जो संभार तंत्र समर्थन व्यवस्था हेतु अपरिहार्य थे, स्थापना व कुशल संचालन स्टाफ की तैनाती न होने के कारण अक्रियाशील थे (नवम्बर 2006)। इसके अतिरिक्त, इलाहाबाद, फैजाबाद, कानपुर व बांदा जनपदों में वाह्य विद्युत संयोजन प्रदान नहीं किया गया था जबकि बांदा में उपकरण की आपूर्ति भी नहीं हुयी थी। संभार तंत्र समर्थन व्यवस्था को चलाने हेतु संविदा पर कर्मचारियों के नियुक्ति का प्रस्ताव शासन स्तर पर सितम्बर 2003 से लम्बित था।

इस प्रकार, 9.19 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित एवं सुसज्जित संभार तंत्र समर्थन व्यवस्था के अक्रियाशील रहने से उस पर किया गया सम्पूर्ण व्यय अलाभकारी रहा।

शासन द्वारा विचार-विमर्श (नवम्बर 2006) के दौरान बताया गया कि संभार तंत्र समर्थन व्यवस्था को क्रियाशील नहीं किया जा सका क्योंकि भारत सरकार द्वारा अनुरक्षण एवं स्थापना हेतु निधि उपलब्ध नहीं करायी गयी थी। शासन का मन्तव्य स्वीकार नहीं था क्योंकि संभार तंत्र समर्थन व्यवस्था को चलाने हेतु संविदा पर कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव शासन स्तर पर सितम्बर 2003 से लम्बित था और इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

fl pkbZ foHkkx

4-4-2 fl pkbZ l xgky; ifj l j ij vykHkdkjh 0; ;

fl pkbZ l xgky; ifj l j ds fuekZk dk;Z grq vfu;fer ,oa vi; klr /ku 0; oLFkk ds dkj.k v/kj;s <kps ij fd;k x;k 1-90 djKM+ #i ; s dk vYkHkdkjh 0; ; A

मुख्य अभियंता, शारदा सहायक लखनऊ द्वारा सिंचाई संग्रहालय परिसर-गोमती कुंज का निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया था (सितंबर 2001)। परियोजना का उद्देश्य पूर्ण हो चुकी एवं चालू बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जीवन्त माडलों के माध्यम से अभियंताओं एवं जनसामान्य में जागरूकता पैदा करना था। परियोजना की 6.92 करोड़ रुपये की तकनीकी स्वीकृति सितंबर 2001 में प्रदान की गयी थी। परियोजना के अंतर्गत सिंचाई संग्रहालय, सांस्कृतिक संग्रहालय, विभिन्न माडल्स एवं मनोरंजन के साधन जैसे जेट फाउन्टेन, पैडल बोटिंग, गुलाब वाटिका, इत्यादि का निर्माण प्रावधानित था। प्रमुख अभियंता (ई एन सी) सिंचाई विभाग द्वारा आदेशित किया गया (अक्टूबर 2001) कि परियोजना का वित्तपोषण सरयू नहर परियोजना की धनराशि को अपवर्तित कर किया जायेगा।

अधिशाली अभियंता (ई ई), सिंचाई निर्माण खण्ड-2, लखनऊ के अभिलेखों की जांच (नवम्बर/दिसम्बर 2005) में पाया गया कि सिंचाई संग्रहालय एवं सांस्कृतिक संग्रहालय के निर्माण हेतु अधीक्षण अभियंता सिंचाई निर्माण मण्डल, लखनऊ एवं उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड (यू पी पी सी एल) के बीच मई 2003 में क्रमशः 1.36 करोड़ रुपये एवं 1.14 करोड़ रुपये लागत के कार्यों हेतु दो एम ओ यू गठित किये गए थे। कार्य नवम्बर 2003 तक पूर्ण किये जाने थे। कार्य मई 2003 में प्रारंभ कर 1.90 करोड़ रुपये व्यय करने के बाद अक्टूबर 2004 में धन की अनुपलब्धता के कारण बंद कर दिया गया। कार्य सितंबर 2006 तक पुनः प्रारंभ नहीं किया गया था जिससे 1.90 करोड़ रुपये का व्यय जिसमें 7.56 लाख रुपये का दायित्व भी सम्मिलित था, अलाभकारी हो गया। विभाग के तकनीकी कर्मचारियों को जीवन्त माडल्स के माध्यम से प्रशिक्षण देने एवं जनता में सिंचाई विभाग के विकास कार्यों के प्रति जागरूकता पैदा करने के मुख्य उद्देश्य को भी प्राप्त नहीं किया जा सका।



सिंचाई संग्रहालय का अपूर्ण ढांचा

सांस्कृतिक संग्रहालय का अपूर्ण ढांचा

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने (नवंबर 2005) पर शासन द्वारा वार्ता (सितम्बर 2006) के दौरान तथ्यों एवं आंकड़ों को स्वीकार किया गया एवं प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग को कार्य हेतु धन की व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र कराने तथा अवशेष कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

4-4-3 vykHkdj h 0; ;

pk&dfu; k ukys , oa l d okj c/kh ds eq[; ugj ds l js[k.k ea i M&us okyh ou Hk&fe vf/kxg.k fd; s fcuk fuekZk dk; Z djus ds dkj .k buds fuekZk i j fd; k x; k 13-05 dj kM+ #i ; s dk vykHkdj h 0; ; A

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 (अधिनियम) की धारा 4.4 में यह प्रावधान है कि यदि प्रस्तावित कार्य के कुछ भाग में वन भूमि आती है तो गैर वन भूमि पर भी कार्य तब तक प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिये जब तक वन भूमि के गैर वन उद्देश्यों के प्रयोग हेतु भारत सरकार (जी ओ आई) की स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाये। निम्नांकित दो प्रकरणों में कार्य के संरेखण में पड़ने वाली वन भूमि का अधिग्रहण किये बिना कार्य कराये जाने के कारण 13.05 करोड़ रुपये का अलाभकारी व्यय हुआ।

pk&dfu; k M&u

50883 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि को जलभराव एवं डूब से बचाने एवं वर्षा के जल को बाहर निकालने के उद्देश्य से सरयू नहर परियोजना (पुनरीक्षित 1998) के अंतर्गत चौकनिया नाले (लंबाई 78.400 किमी) के निर्माण हेतु मुख्य अभियंता सरयू परियोजना-द्वितीय, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा स्वीकृति दी गयी थी (मार्च 2004)।

अधिशाली अभियंता, सरयू ड्रेनेज खण्ड-2, बस्ती के अभिलेखों की जांच (जून 2006) में परिलक्षित हुआ कि चौकनियां नाले का निर्माण, नाले के शीर्ष पर पड़ने वाली प्रथम 3 किमी की लम्बाई का भाग छोड़कर, अप्रैल 2004 में प्रारम्भ कर अप्रैल 2005 में 11.22 करोड़ रुपये की लागत पर पूरा कर दिया गया। नाले की लम्बाई का यह भाग वन भूमि पर पड़ता था तथा इसके उपयोग किये जाने हेतु भारत सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी। नाले के इस अपूर्ण भाग के कारण वर्षा के जल की निकासी एवं कृषि योग्य भूमि पर जल भराव रोकने के उद्देश्य की पूर्ति न हो सकी जिससे 11.22 करोड़ रुपये का व्यय अलाभकारी रहा।

I d okj calkh i fj; kst uk

'4-बंधी परियोजना' के अन्तर्गत 98.62 लाख रुपये के लागत की सुसवार बंधी परियोजना मिर्जापुर जनपद के सूखा ग्रस्त क्षेत्र के 874 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने हेतु फरवरी 1989 में स्वीकृत की गई थी। वर्ष 1988-89 में प्रारंभ किया गया निर्माण कार्य धनाभाव के कारण 1991-92 में रोक दिया गया था। मई 1999 में मुख्य अभियंता (सोन) वाराणसी द्वारा कार्य हेतु 2.42 करोड़ रुपये का संशोधित परियोजना प्राक्कलन स्वीकृत किया गया था। संशोधित प्राक्कलन के अनुसार कार्य मार्च 2004 तक पूर्ण किया जाना था। कार्य पुनः प्रारंभ किया गया (2003-04) तथा 2.26 करोड़ रुपये का व्यय करने के पश्चात कार्य बन्द कर दिया गया (मार्च 2004)।

अधिशाली अभियंता (ई ई), सिरसी बंधी प्रखण्ड, मिर्जापुर के अभिलेखों की जांच (सितम्बर 2005) में पाया गया कि 9.15 किमी लम्बी मुख्य नहर का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराया जा सका था क्योंकि इसके किमी 4.300 से किमी 4.535 के संरेखण की भूमि अभयारण्य (सैंक्च्यूअरी) वन भूमि के अंतर्गत आती थी जिसके लिये भारत सरकार की वांछित पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की गयी थी। शासन का प्रस्ताव (जून 2000) जो सैंक्च्यूअरी वन भूमि (0.64 हेक्टेयर) पर निर्माण कराये जाने हेतु अनुमति प्राप्त करने के संबंध में था, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया (अप्रैल 2004) क्योंकि यह सैंक्च्यूअरी वन भूमि थी जिसके लिये विभाग द्वारा अधिनियम के अंतर्गत भारतीय वन्य जीव परिषद् (आई बी डब्लू एल) से वांछित पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी। इस प्रकार गैप के कारण नहर द्वारा 874 हेक्टेयर में से 166 हेक्टेयर के अल्प क्षेत्र में ही सिंचाई की जा सकी थी और परियोजना के उद्देश्य की पूर्ण रूप से प्राप्ति नहीं की जा सकी।

अधिनियम के अंतर्गत स्पष्ट प्रावधान होने पर भी विभाग द्वारा वन भूमि का उपयोग किये जाने हेतु पूर्व अनुमति प्राप्त न करके उक्त महत्वपूर्ण योजना का निर्विघ्न पूर्ण हो जाना सुनिश्चित करने एवं पूर्ण रूप से इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में विभाग असफल रहा। सैंक्च्यूअरी वन भूमि के अधिग्रहण की संभावना अत्यंत क्षीण थी क्योंकि इस भूमि के उपयोग हेतु अनुमति प्राप्त करने का सरकार का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा पहले ही अस्वीकार किया जा चुका था जिससे परियोजना पर व्यय का अधिकांश भाग 1.83 करोड़ रुपये (अनुपातिक आधार पर) का व्यय अलाभकारी हो गया।

वार्ता (सितम्बर 2006) के दौरान शासन द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों को स्वीकार किया गया एवं सम्बन्धित मुख्य अभियंता को वांछित भूमि के अधिग्रहण हेतु तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। वन भूमि के हस्तांतरण में प्राप्त की गई प्रगति, यदि कोई सूचित नहीं किया गया (नवंबर 2006)।

4-4-4 ugj , oa ml dh vfyi dkvka ds fuekZk ij vykHkdjkh 0; ;

bfV; kFkkcd cklp ugj ds fdeh 26-804 ij jys fctt , oa flI yos dk fuekZk u gkus ds dkj .k ckp ds fdeh 26-804 l s vksx %kkjk ds cgko dh vkj ½ fd; s x; s fuekZk ij fd; s x; s 8-54 djkm+ #i; s dk 0; ; vykHkdjkh gqvkA

शासन ने सरयू नहर परियोजना के अन्तर्गत 77117 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में सिंचाई उपलब्ध कराने हेतु 45 किमी लम्बी इटियाथोक ब्रान्च नहर के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की थी (जुलाई 1975)।

अधिशाली अभियंता (ईई), सरयू नहर खण्ड-4, गोण्डा के अभिलेखों के जांच (अगस्त 2004 / जुलाई 2005) में पाया गया कि नहर के किमी 26.500 तक का निर्माण कार्य अप्रैल 2003 तक पूर्ण हो चुका था। इस रीच से आगे नहर के किमी 26.804 पर एक रेलवे नहर

सेतु के निर्माण का कार्य होना था जिसके निर्माण हेतु रेलवे विभाग को 1.05 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध करा दी गयी थी (दिसम्बर 1999 से जनवरी 2000)। रेलवे विभाग द्वारा अधिशासी अभियंता को सूचित किया गया (जनवरी 2003) कि जब तक विभाग द्वारा प्रस्तावित रेलवे ब्रिज के अपस्ट्रीम में स्पिलवे का निर्माण नहीं करा दिया जाता रेलवे नहर सेतु का निर्माण सम्भव नहीं था। विभाग द्वारा स्पिलवे का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका था (सितंबर 2006) क्योंकि ईई द्वारा न तो कार्य प्रारंभ करने हेतु औपचारिकताएं पूरी की गई थी और न ही धन हेतु व्यवस्था की गई थी।

इसी बीच विभाग द्वारा प्रस्तावित रेलवे नहर सेतु से डाउनस्ट्रीम में नहर एवं उससे निकलने वाली सात अल्पिकाओं का निर्माण कार्य किया जाता रहा। इटियाथोक ब्रांच नहर के 45 किमी की लम्बाई में से 18.196 किमी एवं इसकी अल्पिकाएं जो प्रस्तावित रेलवे नहर सेतु से डाउन स्ट्रीम में थी, उनका निर्माण कार्य 8.54 करोड़ रुपये की लागत से दिसंबर 2000 से जनवरी 2005 की अवधि में पूर्ण कर लिया गया था, जिससे 52000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई प्रत्याशित थी।

रेलवे नहर सेतु के निर्माण न होने से नहर एवं इसकी प्रणाली किमी 26.500 तक ही कार्यशील था। तीन वर्ष से अधिक अवधि बीत जाने के पश्चात् भी स्पिलवे का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया था जो नहर सेतु निर्माण हेतु रेलवे द्वारा सुसाध्य बताया गया था।

इस प्रकार अधिशासी अभियंता के स्तर पर स्पिलवे के निर्माण हेतु आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने एवं शासन से धन की मांग करने में विलंब के कारण रेलवे ब्रिज के निर्माण के कार्य में विलम्ब हुआ जिससे इटियाथोक ब्रांच नहर के निर्माण कार्य पर किया गया व्यय 8.54 करोड़ रुपया अलाभकारी था क्योंकि नहर के किमी 26.500 से आगे 52000 हेक्टेअर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, 1.05 करोड़ रुपये की धनराशि गत छः वर्षों से रेलवे के पास अवरुद्ध पड़ी थी।

शासन द्वारा वार्ता (सितम्बर 2006) के दौरान तथ्यों एवं आंकड़ों को स्वीकार किया गया एवं बताया गया कि इटियाथोक शाखा के किमी 25.10 पर स्पिलवे के बजाय स्केप चैनल का निर्माण किया जाना है जिसके लिए सर्वे किया जा रहा है। यह भी कहा गया कि रेलवे एवं सिंचाई विभाग की संयुक्त मीटिंग (26 सितंबर 2006) में रेलवे कैनल ब्रिज का निर्माण पूर्ण करने का लक्ष्य 31 जनवरी 2007 निर्धारित किया गया है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि स्केप चैनल जो रेलवे कैनल ब्रिज का निर्माण प्रारंभ होने से पूर्व निर्मित हो जाना आवश्यक था, का निर्माण कार्य अभी प्रारंभ ही नहीं किया गया था (अक्टूबर 2006)।

4-4-5- vykHkdj h 0; ;

fu/kkFjr Ekkud ds fo: } mUgh LFkkuka ij fuekZ kk/khu i kFkfed LokLF; dDnka dks mPphd'r u dj u; s l kepkf; d LokLF; dDnka ds fuekZ k l s 2-36 dj kM+ : i ; s dk vykHkdj h 0; ; gq/kA

वित्तीय नियमों में प्राविधानित है कि कोई कार्य किसी भूमि पर तब तक प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए जब तक उत्तरदायी सिविल अधिकारियों द्वारा विधिवत इसे हस्तगत न करा दी जाय। नियमों में यह भी प्रावधान है कि कार्यपूर्ण की तिथि को इंगित करते हुए, बिना औपचारिक अनुबन्ध पत्र/सहमति ज्ञापन गठित किये, कोई कार्य किसी निर्माण इकाई को नहीं दिया जाना चाहिए।

मुख्य चिकित्साधिकारी प्रतापगढ़ के अभिलेखों की जांच (जनवरी 2006) में पाया गया कि नरायनपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (प्रा स्वा के) जिसकी लागत 37.06 लाख रुपये थी,

का निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश जल निगम को (अप्रैल 2001) और जून 2002 में उसी स्थान पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सा स्वा के) के निर्माण का कार्य फ़ैक्सफेड को जून 2002 में दिया गया। हरिपुर वरदेता में प्रा स्वा के व सा स्वा के का निर्माण कार्य भी क्रमशः अप्रैल 2001 व जून 2004 में जल निगम को दिया गया। हरिपुर में प्रा स्वा के व नरायनपुर में सा स्वा के के निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना तथा शासनादेशों के प्रतिकूल सभी प्रकरणों में कार्यों के पूर्ण करने की समय सीमा के सम्बन्ध में बिना किसी अनुबन्ध पत्र/सहमति ज्ञापन गठित किये निर्माण इकाइयों को धन अवमुक्त¹ किया गया।

हरिपुर वरदेता में प्रा स्वा के (व्यय : 35.53 लाख रुपये) भूमि विवाद के कारण अपूर्ण पड़ा हुआ था जबकि उसी गांव में सा स्वा के (व्यय : 73.60 लाख रुपये) का कार्य, कार्य सम्पादन में विलम्ब के कारण पूर्ण नहीं हुआ था। इसी प्रकार नरायनपुर में प्रा स्वा के (व्यय : 36 लाख रुपये) कार्य सम्पादन में विलम्ब के कारण पूर्ण नहीं हुआ था जबकि सा स्वा के का कार्य (व्यय : 91.15 लाख रुपये) आवासीय भवनों हेतु भूमि की उपलब्धता न होने के कारण पूर्ण नहीं हो सका। प्रा स्वा के/सा स्वा के के पूर्ण न होने के कारण उन पर किया गया 2.36 करोड़ रुपये का व्यय अलाभकारी रहा। इसके अलावा, उन्ही स्थानों पर नये सा स्वा के की स्वीकृति जहाँ प्रा स्वा के स्वीकृति थे, 1987 में निर्धारित शासन के मानकों² के विपरीत थे।

विचार विमर्श के दौरान शासन ने स्वीकार किया (अक्टूबर 2006) कि उन्ही स्थानों पर निर्माणाधीन प्रा स्वा केन्द्रों को उच्चीकृत न कर दो नये सा स्वा केन्द्रों की स्वीकृति दिशा-निर्देशों के विपरीत थी। आगे और बताया कि जिला योजना के अन्तर्गत आये प्रस्तावों के आधार पर ही निर्णय लिया गया था।

अतः, कार्य को निर्माण इकाइयों को आवंटित करते समय वित्तीय नियमों का पालन न होने से ग्रामीण रोगियों को चिकित्सा सुविधा के लाभ से वंचित रखे जाने के अलावा प्रा स्वा केन्द्रों व सा स्वा केन्द्रों के अपूर्ण कार्यों पर 2.36 करोड़ रुपये का अलाभकारी व्यय हुआ।

dkjxkj i' kkl u , oa l qkkj l ok, a foHkkx

4-4-6 eykdkr ?kka ds fuekZk ij vykHkdjh 0; ;

dkjxkj i fjl j ea N% eykdkr ?kka ds fuekZk ij 92-07 yk[k : i ; s dk 0; ; muds mi ; ks u fd, tkus ds QyLo: i vykHkdjh jgka

शासन द्वारा (फरवरी 2000 एवं फरवरी 2001) में केन्द्र पुरोनिधानित योजनान्तर्गत 96.14 लाख रुपये³ में तिहाड़ जेल पैटर्न पर छः मुलाकात घरों⁴ के निर्माण की स्वीकृति केन्द्रीय कारागार आगरा, बरेली, नैनी, व वाराणसी तथा जिला कारागार गाजियाबाद व लखनऊ हेतु प्रदान की गयी। महानिदेशक (कारागार) उप्र, लखनऊ (डी जी पी) ने निर्माण कार्य जिसमें पांच मुलाकात घरों के परिकल्प का कार्य भी सम्मिलित था, कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम लखनऊ (निगम) को (अप्रैल 2000) सौंपा। छठवे मुलाकात घर, नैनी का निर्माण कार्य उसी डिजाइन पर यू पी प्रोजेक्ट एण्ड ट्यूबवेल कारपोरेशन लखनऊ को सौंपा गया (मार्च 2001)। किन्तु, निर्माण इकाइयों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रारम्भिक/विस्तृत आगणन की जांच, प्रस्तावित निर्माणों में प्रकाश, वायुसंचार तथा ध्वनि की उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए कार्य प्रदान करने के पूर्व न तो

¹ फण्ड अवमुक्त: सा स्वा के नरायनपुर 110.65 लाख रुपये, हरिपुर वरदेता 133.26 लाख रुपये प्रा स्वा के नरायनपुर 37.06 लाख रुपये, प्रा स्वा के हरिपुर वरदेता 35.53 लाख रुपये (योग 316.50 लाख रुपये)

² उसी स्थान पर सा स्वा के की स्वीकृति की दशा में, वर्तमान प्रा स्वा के को उच्चीकृत किया जाना था

³ वाराणसी, बरेली, नैनी, गाजियाबाद एवं लखनऊ 17.48 लाख रुपये की दर से एवं आगरा 8.74 लाख रुपये की दर से

⁴ कारागार परिसर में कैदियों को उनके आगतुक सम्बंधियों से मिलने के लिए प्रयोगार्थ संरचना

निदेशालय की तकनीकी शाखा द्वारा की गयी और न ही राज्य लोक निर्माण विभाग से अनुमोदित कराने की व्यवस्था की गयी।

डी जी पी तथा वरिष्ठ अधीक्षक कारागार (एस एस जे) आगरा, बरेली, नैनी, वाराणसी तथा अधीक्षक कारागार (एस जे) गाजियाबाद व लखनऊ के लेखा अभिलेखों की जांच (अप्रैल-मार्च 2006) से पता चला कि पांच मुलाकातघरों जिनके निर्माण पर 78.67 लाख रुपये की लागत आयी थी, को तत्सम्बन्धी एस एस जे/एस जे को मई 2001 से अक्टूबर 2002 के मध्य निगम द्वारा हस्तगत कराये गये। किन्तु, डिजाइन दोष के कारण मुलाकातघरों से अभीष्ट लाभ ध्वनि की समस्याओं, अपर्याप्त प्रकाश तथा अनुपयुक्त वायु संचार की समस्याओं के कारण प्राप्त नहीं हो सका। इन्हीं समस्याओं पर विचार करते हुए नैनी में मुलाकातघर का निर्माण कार्य 13.40 लाख रुपये व्यय के बाद दिसम्बर 2001 में रोक दिया गया। मामला विभाग द्वारा प्रकरण संदर्भित किये जाने पर सेन्ट्रल बिल्डिंग एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट, रूडकी (सी बी आर आई) ने बेहतर ध्वनि, समग्र पर्यावरण जिसमें प्रकाश व वायु संचार भी सम्मिलित था, मुलाकात घर की डिजाइन में कुछ संशोधन का सुझाव दिया (सितम्बर 2002)। इसी के अनुसार, डी जी पी ने निगम को सी बी आर आई के सुझावों पर आधारित पुनरीक्षित आगणन प्रस्तुत करने का परामर्श दिया (मार्च 2003) जिससे सी बी आर आई द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर सुधार किया जा सके, किन्तु अप्रैल 2006 तक पुनरीक्षित आगणन अप्राप्त था। तीन वर्ष से अधिक की देरी के बाद भी डी जी पी द्वारा भवनों में सी बी आर आई के सुझावों पर आधारित ढाँचागत परिवर्तन हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया।

शासन ने उत्तर में कहा (जून 2006) कि मुलाकात घर आगरा, बरेली व लखनऊ को आंशिक संशोधन के बाद चालू करा दिया गया था (तिथि नहीं अंकित) तथा गाजियाबाद और वाराणसी में उन्हें चलाये जाने की प्रक्रिया चल रही थी (जून 2006) निर्माणाधीन नैनी के मुलाकात घर का पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति शासन स्तर पर लम्बित थी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि उद्देश्य की पूर्ति हेतु न तो बजट का कोई प्राविधन किया गया और न ही डिजाइन की कमियों को दूर करने के लिए कोई व्यय किया गया।

इस प्रकार, जैसा कि ऊपर इंगित किया गया है, विभागीय अधिकारियों की असफलता के कारण मुलाकात घरों के निर्माण पर किया गया 92.07 लाख रुपये का सम्पूर्ण व्यय अलाभकारी रहा।

यकद फुकलक फोहकx

4-4-7 l rpkka ds fuekZk i j vYkKHkdjh 0; ;

igpb ekxZ dk fuekZk viwKZ gkus ds dkj.k 3-39 djkm+ : i ; s dh ykxR l s fufefR l rpkka dk mi ; kx u gks l dka

राज्य सड़क विकास नीति 1998 के अनुसार सड़क विस्तार का कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अन्य बातों के साथ-साथ आवृत्त नीति का उद्देश्य यह भी था कि पुल एवम् पहुँच मार्ग का निर्माण इस प्रकार एक दूसरे के सामन्जस्य के पूर्ण किया जाना चाहिए कि बिना एक दूसरे की प्रतीक्षा किये दोनों ही कार्य साथ-साथ पूर्ण किये जा सकें।

तथापि दो पुलों, सीतापुर एवम् अम्बेडकर नगर प्रत्येक जिले में एक को, पहुँच मार्ग के निर्माण न किये जाने के कारण क्रमशः पिछले सात एवम् चार वर्षों से प्रयोग नहीं किया जा सका, जिसका नीचे विवेचन किया गया।

I hrki j dk i y

शासन द्वारा गोमती नदी पर बजीरनगर-दधनामऊ रोड के रामकोट के किमी 23 पर एक पुल 1.04 करोड़ रुपये की लागत का और पहुँच मार्गों (200 मी० प्रत्येक तरफ) 23.70 लाख रुपये की लागत की स्वीकृति प्रदान की गयी (जनवरी 1989)। पुल का निर्माण कार्य उ प्र ब्रिज कारपोरेशन (यू पी एस बी सी) को प्रदान किया गया जबकि पहुँच मार्गों (200 मी प्रत्येक ओर) तथा सुरक्षात्मक कार्य अधिशासी अभियन्ता (ई ई) निर्माण खण्ड-। लो नि वि सीतापुर को प्रदान किया गया।

अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-। लो नि वि सीतापुर के अभिलेखों की जाँच (मार्च 2006) से उद्घटित हुआ कि यू पी एस बी सी द्वारा पुल निर्माण कार्य 2.60 करोड़ रुपये व्यय करके पूर्ण कर लिया गया (जुलाई 1999)। तथापि 700 मीटर लम्बाई में मिट्टी कार्य 34.46 लाख रुपये व्यय के उपरान्त भी पहुँच मार्गों का निर्माण अपूर्ण था। अधिशासी अभियन्ता द्वारा एक पुनरीक्षित आगणन 4.03 करोड़ रुपये (पुल का कार्य 2.60 करोड़ रुपये तथा पहुँच मार्गों का कार्य 1.43 करोड़ रुपये) का शासन को फरवरी 2006 में भेजा गया जिसकी स्वीकृति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2006)। पहुँच मार्ग का निर्माण न किये जाने से 2.60 करोड़ रुपये लागत से निर्मित पुल प्रयोग रहित था।

इंगित किये जाने पर (मार्च 2006) अधिशासी अभियन्ता द्वारा बताया गया कि पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति शासन द्वारा प्रतीक्षित थी जिसके कारण निर्माण कार्य हेतु धन उपलब्ध नहीं था, इसलिए कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका। अधिशासी अभियन्ता का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि पुनरीक्षित आगणन छः वर्ष से भी अत्यधिक बिलम्ब से प्रेषित किया गया। इस प्रकार शासन की नीति का अनुपालन न किये जाने तथा पुनरीक्षित आगणन को विलम्ब से प्रेषित करने के कारण पहुँच मार्ग निर्माण के लिए धन के आवंटन में विलम्ब हुआ जिसके कारण 2.94 करोड़ रुपये का अलाभकारी व्यय हुआ।

vEcMdj uxj dk i y

अम्बेडकर नगर जिले में मझुई नदी के शहरी घाट पर एक पुल (लागत 59.50 लाख रुपये) एवम् पहुँच मार्ग (लागत 28.30 लाख रुपये) के सुरक्षात्मक कार्य सहित निर्माण के लिए शासन द्वारा 87.80 लाख रुपये स्वीकृत किया गया (मार्च 1999) था। निर्माण कार्य उ प्र ब्रिज कारपोरेशन (यू पी एस बी सी) को मार्च 1999 में प्रदान किया गया।

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड और निर्माण खण्ड, लो नि वि अम्बेडकर नगर के अभिलेखों की जाँच (मई 2006) से प्रकाश में आया कि यू पी एस बी सी को 87.80 लाख¹ रुपये कार्य के लिए अवमुक्त किया गया था। पुल का निर्माण यू पी एस बी सी द्वारा 78.83 लाख रुपये की लागत से पूर्ण (मार्च 2002) कर दिया गया था। फिर भी, पहुँच मार्ग एवम् सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किये गये थे। इसी बीच शासन द्वारा एक परिवर्तित नीति (सितम्बर 2004) के तहत यह निर्दिष्ट किया गया कि पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य लो नि वि द्वारा कराया जाय। शासन द्वारा भूमि अर्जन एवम् पहुँच मार्ग के निर्माण हेतु लो नि वि को कोई धन उपलब्ध नहीं कराया, परिणामस्वरूप 78.80 लाख रुपये की लागत से निर्मित पुल मार्च 2002 से असंचालित था। यू पी एस बी सी ने अवशेष धन 8.97 लाख रुपये वापस नहीं किया।

इंगित (मई 2006) किये जाने पर अधिशासी अभियन्ता का कथन था (मई 2006) कि भूमि के साथ-साथ पहुँच मार्ग के निर्माण के लिए धन उपलब्ध नहीं था। 1.19 करोड़ रुपये का पुनरीक्षित आगणन (पुल : 68.79 लाख रुपये, पहुँच मार्ग एवम् सुरक्षात्मक कार्य 50.44 लाख रुपये) शासन को भेजा गया, जिसकी स्वीकृति प्रतीक्षित थी।

वार्ता में शासन द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की गयी (सितम्बर 2006)।

¹ 1998-99 : 75.80 लाख रुपये, 2002-03 : 12 लाख रुपये

iLrj 4-4-8 viwkl ekxl ij vykHkdkjh 0; ;

Hkfe vkj /ku dh miyC/krk l fuf'pr fd; s fcuk viwkl ckbZ kl ds fuekZ k dk; Lij 97-02 yk[k : i; s dk vykHkdkjh 0; ; A

वित्तीय नियमानुसार सक्षम सिविल अधिकारी द्वारा वास्तविक रूप से भूमि हस्तगत कराये बिना उसमें निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, शासनादेश (जुलाई 1999, जुलाई 2002, जनवरी 2005 तथा सितम्बर 2005) के अनुसार प्रशासनिक विभाग/शासन द्वारा अपूर्ण परियोजनाओं का कास्ट एवम टाइम ओवर रन के सापेक्ष मासिक समीक्षा किया जाना था तथा इन अपूर्ण कार्यों के लिये बजट प्राविधान उच्च वरीयता के साथ किया जाना चाहिए।

प्रान्तीय खण्ड लो नि वि बिजनौर एवं निर्माण खण्ड द्वितीय लो नि वि नजीबाबाद के अभिलेखों की जाँच (सितम्बर 2005 एवं जून 2006) से प्रकाश में आया कि हरिद्वार-बरेली राष्ट्रीय मार्ग (एन एच 74) पर नजीबाबाद बाईपास (लम्बाई 5.900 किमी) लागत 97.00 लाख रुपये के निर्माण की शासन द्वारा स्वीकृति (जुलाई 1992) प्रदान की गई थी। स्वीकृत बाई पास की लंबाई 1.85 किमी मेरठ नजीबाबाद कोटद्वार हाईवे के सहभागी संरेखण में था। मुख्य अभियन्ता (मु अ) बरेली क्षेत्र लो नि वि बरेली ने कार्य के विस्तृत आगणन पर तकनीकी स्वीकृति (मार्च 1993) प्रदान की थी। अधिशासी अभियन्ता ने 1992-93 में मार्ग निर्माण प्रारम्भ किया था, परन्तु धन¹ की अल्प उपलब्धता एवं मार्ग के संरेखण में पड़ने वाली आवश्यक भूमि का अधिग्रहण न किये जाने के कारण इसकी प्रगति धीमी थी। धन एवं भूमि की अनुपलब्धता के कारण कार्य आधे अधूरे स्थिति (लेपन स्तर 3 किमी, मिट्टी का कार्य 4.570 किमी तथा सोलिंग कोट 4.400 किमी) में 97.02 लाख रुपये व्यय करने के बाद माह अप्रैल 2004 में रोक दिया गया था। अवशेष कार्यों को पूर्ण करने के लिए तथा भूमि अधिग्रहण करने के लिये (5.82 लाख रुपये) एक पुनरीक्षित आगणन 1.96 करोड़ रुपये का प्रमुख अभियन्ता (प्र अ) उ प्र लो नि वि को स्वीकृत हेतु जुलाई 2004 में प्रस्तुत किया गया था, किन्तु स्वीकृति वांक्षित थी (अक्टूबर 2006)। अवशेष कार्य को पूर्ण करने के लिये धन की व्यवस्था एवम आवश्यक भूमि को अधिग्रहण करने में देरी के कारण 97.02 लाख रुपये का व्यय अलाभकारी रहा।

शासन ने उत्तर में कहा (अक्टूबर 2006) कि धन के उपलब्ध न होने तथा पूरी लम्बाई में भूमि अधिग्रहण न किये जाने के कारण कार्य को पूरा नहीं किया जा सका। यह भी कहा गया कि प्रमुख अभियन्ता लो नि वि द्वारा मुख्य अभियन्ता लो नि वि मुरादाबाद से पुनरीक्षित आगणन की मांग की गई थी जिसे प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति प्रदान की जायेगी। स्पष्ट था कि प्रशासन/शासन द्वारा कार्य को पूर्ण करने के लिये प्राथमिकता के आधार पर बजट आवंटन सुनिश्चित करने के लिये अपूर्ण परियोजनाओं के समय एवं मूल्य वृद्धि सम्बन्धी मासिक समीक्षा नहीं की गई थी।

4-4-9 udn l k[k l hek dk fopyu , oe-cTkV vkoa/u dk nq i; ksx

Bdnlkjka ds fcy l s 0; ki kj dj 1/31-68 yk[k : i; ½ , oa vk; dj 1/21-17 yk[k : i; ½ ds : lk ea dh x; h dVks'h dks dks'kkxkj ea i f'kr dj us ds fy, i kf/kdr udn l k[k l hek dh /kujkf'k dks ekxk ds okf'kd vuj {k.k en ea vuf/kdr fopyu fd; s tkus ds QyLo: i 52-85 yk[k : i; s nunkjh dk l tuA

उ प्र बजट मैनुअल के अनुसार आवंटित धनराशि को उसी उद्देश्य पर व्यय किया जाना चाहिए जिसके लिए वह स्वीकृत की गयी हो। सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किये

¹ 1992-93 : 7.00 लाख रुपये, 1993-94 : 4 लाख रुपये, 1994-95 : 16 लाख रुपये, 1995-96 : 10.50 लाख रुपये, 1996-97 : 2 लाख रुपये

बिना आवंटित नकद साख सीमा (सी सी एल) धन का विचलन वित्तीय अनियमितता मानते हुए तदनुसार कार्यवाही की जानी चाहिए। इस बात को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि विधिक प्राविधान का अनुपालन कड़ाई से हो रहा है, शासन द्वारा यह प्रतिबंध लगाया गया था कि विभाग द्वारा व्यापार कर एवं आयकर के रूप में टेकेदारों के बिल से की गयी कटौती को निर्धारित समय के अन्दर कोषागार के माध्यम से सम्बन्धित विभाग के सुसंगत खाते में प्रेषित कर देना चाहिए, जिसके लिए आहरण वितरण अधिकारी के निस्तारण में उस कार्य के लिए सी सी एल का आबंटन किया गया था। उक्त धनराशि को बिलम्ब से जमा/प्रेषित करने के कारण यदि विभाग को दण्ड अथवा दण्ड की दर से ब्याज के कारण अधिक धनराशि का भुगतान करना पड़े तो इसके लिये उस विभाग के आहरण वितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

अधिकांश अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो नि वि जौनपुर के अभिलेखों की जांच (मार्च 2006) से ज्ञात हुआ कि मार्च 2003 एवं मार्च 2004 के मध्य टेकेदारों के बिल से से व्यापार कर (31.68 लाख रुपये) एवं आयकर (21.17 लाख रुपये) के रूप में की गई कटौती को कोषागार के माध्यम से सम्बन्धित विभागों के सुसंगत लेखों में जमा करने के लिए उपलब्ध सी सी एल को अनाधिकृत रूप से मार्गों आदि के वार्षिक अनुरक्षण कार्यों पर अनाधिकृत रूप से उपयोग किया गया था। इस धनराशि को नवम्बर 2006 तक सम्बन्धित विभाग को प्रेषित नहीं किया गया था। इससे न केवल 52.85 लाख रुपये का दायित्व सृजित हुआ, बल्कि व्यापार कर एवं आयकर विभाग के सम्बन्धित ऐक्ट/नियमों के प्राविधानों के अनुसार मार्च 2006 तक 59.99 लाख¹ रुपये का दण्ड एवं ब्याज का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

वार्ता के दौरान (सितम्बर 2006) शासन ने तथ्यों एवं आंकड़ों को स्वीकार किया एवम् बताया कि संबंधित अधिकांश अभियन्ता एवम् अन्य जिम्मेदार के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

Lkkt dY; k.k foHkx@xg foHkx

4-4-10 depkfj; ka ij vuRi knd 0; ;

Lkkt dY; k.k , oa xg foHkx ds e/; i; klr l elo; u gkus ds ifj .kkeLo: i 'kkl dh; i æf.kd l l Fkkvka ¼ kk iz l ½ ds depkfj; ka ds oru ij 1-25 djkm+ : i; s dk vykHkdjh 0; ; gq/kA

सार्वजनिक स्थानों पर भिक्षावृत्ति को समाप्त करने तथा भिक्षुओं के प्रशिक्षण एवं रोजगार प्रदान के उद्देश्य से शासन ने, उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति निषेध अधिनियम 1975 के अन्तर्गत प्रदेश के सात स्थानों² पर आठ प्रमाणिक संस्थाओं (प्र सं) की स्थापना की थी। इस अधिनियम के अन्तर्गत, पुलिस को अधिकार दिया गया है कि भिक्षुओं को पकड़ कर न्यायालय से आदेश प्राप्त करके कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए, जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, प्रमाणिक संस्थाओं में उन्हें निरुद्ध कर सकती है। अगस्त 1987 में निर्गत शासकीय निर्देशों के अनुसार पुलिस को भिक्षुओं को निरुद्ध करने हेतु हर महीने में कम से कम दो बार छापा मारना चाहिए।

¹ लाख रुपये में

| | मूल धनराशि | ब्याज | दण्ड | योग |
|------------|------------|-------|-------|-------|
| आयकर | 21.17 | 7.10 | 21.17 | 49.44 |
| व्यापार कर | 31.68 | 15.89 | 15.83 | 63.41 |

² आगरा, इलाहाबाद, फैजाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ, मथुरा व वाराणसी

निदेशक, समाज कल्याण विभाग (निदेशक) तथा अधीक्षक, शासकीय प्रमाणिक संस्थाएं (भिक्षुक गृह) फैजाबाद (पुरुष एवं महिला), कानपुर नगर तथा लखनऊ के अभिलेखों की जांच (सितम्बर 2005) में पाया गया कि वर्ष 2001-06 में 1200¹ अन्तःवासियों के ठहरने की क्षमता के विरुद्ध कोई अंतःवासी इन भिक्षुक गृहों में रोके नहीं गए थे। उक्त अवधि में प्रमाणिक संस्थाओं में अंतःवासियों के न होने के कारण निष्क्रिय कर्मचारियों (76) के वेतन पर 1.25 करोड़ रुपये व्यय किया गया। प्र स में कोई भिक्षु निरुद्ध नहीं किया गया क्योंकि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद तथा लखनऊ द्वारा कोई छापा नहीं मारा गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर ने वर्ष 2005-06 में 9 छापे मारे परन्तु कोई भिक्षु पकड़ में नहीं आया। इसके परिणाम स्वरूप प्र सं के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर 2001-06 की अवधि में किया गया 1.25 करोड़ रुपये का व्यय अनुत्पादक रहा।

शासन के गृह विभाग ने विचार विमर्श (सितम्बर 2006) के दौरान तथ्यों व आकड़ों को स्वीकार करते हुए कहा कि समाज कल्याण विभाग जो प्र सं का स्वामी है, को गृह विभाग के साथ नजदीकी समन्वय स्थापित करके भिक्षुओं को पकड़ने का काम कर सकता था। निदेशक समाज कल्याण ने उत्तर में (नवम्बर 2006), कहा कि अन्य कार्यों में व्यस्तता के कारण पुलिस बल की सेवाएं उपलब्ध नहीं हो सकी।

अतः दो विभागों के मध्य अपर्याप्त समन्वय के परिणामस्वरूप प्र सं के कर्मचारियों के वेतन पर 1.25 करोड़ रुपये का अलाभकारी व्यय हुआ।

Rkduhdh f' k{kk foHkx

4-4-11 ikyhVfDud ij vykHkdkjh 0; ;

ikfyVfDud Hkou eÅ ds iwkl djus ea viR; kf'kr foyEc , oa 'k{kf.kd@v'k{kf.kd depkfj; ka dh fu; fDr u gkus ds dkj.k ikfyVfDud ij fd; k x; k 5-63 djkm+: i; s dk 0; ; vykHkdkjh jgkA

शासन द्वारा जनपद मऊ में हथकरघा उद्योग हेतु श्रम शक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्त्र तकनीक एवं वस्त्र रसायन के शिक्षण हेतु 4.15 करोड़ रुपये की लागत से राजकीय पालिटेक्निक के निर्माण की स्वीकृति (फरवरी 1997) दी गई। कार्य अक्टूबर 2001 तक पूर्ण किया जाना था। शासन ने 5.63² करोड़ रुपये अवमुक्त किया एवं निर्माण कार्य हेतु निर्माण एवं परिकल्प सेवाएं उत्तर प्रदेश जल निगम (निगम) को आबंटित (सितम्बर 1998) किया गया।

निदेशक, तकनीकी शिक्षा (निदेशक) के अभिलेखों की जांच (जनवरी 2005) में पाया गया कि 5.63 करोड़ रुपये व्यय के उपरांत भी 10 प्रतिशत कार्य अपूर्ण था। यद्यपि अनावासीय भवन अगस्त 2006 में हस्तगत कर लिया गया था, हॉस्टल सहित आवासीय भवन तब तक पूर्ण किये जाने थे। मूलभूत ढांचागत कमियां जैसे फर्नीचर, स्थाई साज-सज्जा, उपकरण एवं कर्मियों की अत्यधिक कमी के कारण पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ नहीं किया जा सका (अगस्त 2006)। अगस्त 2006 तक 18 शैक्षणिक में से केवल 3 तथा 10 अशैक्षणिक पदों में से 2 ही भरे जा सके थे।

अतः भवन निर्माण में अप्रत्याशित विलम्ब के साथ ही पाठ्यक्रम संचालन में पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती न करने के कारण 5.63 करोड़ रुपये का व्यय अलाभकारी हो गया

¹ कानपुर नगर व लखनऊ प्रत्येक में 200 तथा फैजाबाद के पुरुष व महिला प्रत्येक में 400

² 1996-97 : 110 लाख रुपये, 1997-98 : 25 लाख रुपये, 1998-99 : 24.70 लाख रुपये, 1999-2000 : 25 लाख रुपये, 2000-01 : 73.70 लाख रुपये, 2001-02 : 100 लाख रुपये, 2002-03 : 84.27 लाख रुपये, 2004-05 : 20 लाख रुपये, 2005-06 : 100 लाख रुपये

इसके अतिरिक्त पांच वर्षों से अधिक अवधि से पाठ्यक्रम के अवसर से आकांक्षियों को वंचित होना पड़ा।

पूर्व में शासन ने बताया था कि वर्ष 2006-07 से शिक्षा सत्र प्रारम्भ कर दिया जायेगा। तथापि पर्याप्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों की तैनाती न हाने के कारण पालिटेक्निक अक्रियाशील रहा। विचार विमर्श (अक्टूबर 2006) के दौरान शासन ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की एवं पाठ्यक्रम चलाने हेतु आवश्यक कर्मचारियों की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया।

uxj fodkl foHkkx

4-4-12 ou Hkkfe ij vuf/kdr fueZk

ou l j {k.k vf/kfu; e 1980 dh vogsyuk dj ds ou&Hkkfe ij vuf/kdr fueZk
l s 40 yk[k : i ; s dk vuf/kdr 0; ; A

वित्तीय नियमों में व्यवस्था है कि जब शासकीय प्रयोग हेतु भूमि की आवश्यकता हो तो प्रथमतः विभाग के अधिकारी को जिले के मुख्य राजस्व अधिकारी से परामर्श करना चाहिये एवं उनसे समस्त जानकारी प्राप्त करना चाहिये। इसके अलावा वन संरक्षण अधिनियम 1980 (अधिनियम) के धारा 1.1 (i) भारत सरकार के बिना पूर्व अनुमति के आरक्षित वन-भूमि का उपयोग वन से इतर उद्देश्यों हेतु निषिद्ध करता है। भारत सरकार के निर्देशानुसार (मई 2001), राज्य सरकार को यह भी राय दी गई कि उच्चतम न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि को राष्ट्रीय पार्को या अभ्यारण्य के लिए अनारक्षित करने हेतु उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कोई प्रस्ताव न भेजें।

जिलाधिकारी वाराणसी (डी एम) के अभिलेखों की जांच (मार्च 2005 एवं मई 2006) में देखा गया कि गंगा नदी के बायें किनारे पर कटाव रोकने तथा जिला वाराणसी में रामनगर में घाट का निर्माण हेतु शासन ने 2.28 करोड़ रुपये व्याज मुक्त ऋण नगर पालिका परिषद, रामनगर (एन पी पी) वाराणसी को स्वीकृत (नवम्बर 2004) किया था। जिलाधिकारी तथा अधिशासी अधिकारी, एन पी पी कार्य की गुणवत्ता नियन्त्रण एवं समय पर समापन हेतु उत्तरदायी थे। प्रस्तावित भूमि के स्वामित्व की जांच के बिना, जिलाधिकारी ने 2.28 करोड़ रुपये में से 40 लाख रुपये की धनराशि निर्माण इकाई, बन्धी प्रखण्ड, वाराणसी को अवमुक्त (2005-06) कर दी, जिसने सम्पूर्ण धनराशि निर्माण कार्य¹ पर (अगस्त 2006) व्यय कर ली थी। अप्रयुक्त अवशेष 1.88 करोड़ रुपये जुलाई 2006 तक वापिस कर दिया। मई 2006 में वन विभाग ने कार्यदायी संस्था को सूचित किया कि सम्बन्धित भूमि कछुआ वन्य जीव बिहार, रामनगर (एक वन अभ्यारण) की है तथा वन्य प्राणी सुरक्षा के इतर प्रयोग हेतु भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित समिति तथा संथरापन्न जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अन्तर्गत भारत सरकार से अनुमति वांछित थी।

अतः निर्माण के पूर्व डी एम द्वारा भूमि के स्वामित्व की जानकारी न करने के फलस्वरूप 40 लाख रुपये का अनधिकृत व्यय हुआ।

शासन ने विचार-विमर्श (नवम्बर 2006) के दौरान उक्त अधिनियम का उल्लंघन स्वीकार किया तथा कहा कि समिति से वांछित स्वीकृति हेतु प्रस्ताव विचाराधीन था।

¹ निर्माण कार्य में रेत भराई, नालों का दिशा परिवर्तन एवं चैनलाइजेशन एवं गुलों का निर्माण, एवं अस्थाई ढांचों का निर्माण (मढ़ई) इत्यादि सम्मिलित थे।

4-5 fu; ferrk , oa vU; i dj .k

ou foHkkx

4-5-1 l kekftd okfudh ; kstuk ij vf; fer , oa vuf/kdr 0; ; A

Lkkekftd okfudh ; kstuk gsrq l Lrq Hkfe l s brkj Hkfe ij o{kkjksi .k ds
QyLo: i 59-24 yk[k : i ; s dk vf; fer , oa vuf/kdr 0; ; A

सामान्य जनता के लिए आवश्यक प्रकाष्ठ ईंधन एवं चारा की पूर्ति हेतु सामाजिक वानिकी योजना (एस एफ एस) के अन्तर्गत ग्राम समाज भूमि, सामुदायिक भूमि, सड़कों, नहरों, एवं रेलवे लाईन के किनारे की भूमि तथा अवनत वन भूमि पर विभिन्न प्रजातियों के पौधों का वृक्षारोपण कराया जाना था।

सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अभिलेखों की जाँच (नवंबर 2004 एवं जनवरी/जून 2006) में पाया गया कि वर्ष 2001 से वर्ष 2005 के मध्य विभाग ने प्रसार भारती के परिसर में, जो कि एक सार्वजनिक उपक्रम (पी एस यू) है, 59.24 लाख रुपये की लागत से 121.50 हेक्टेयर भूमि पर 2.44 लाख पौधों का वृक्षारोपण कराया जो सामाजिक वानिकी योजना के प्राविधानों के अनुकूल नहीं था। फलस्वरूप इस कार्य पर किया गया 59.24 लाख रुपये का व्यय न केवल अनियमित एवं अनधिकृत था अपितु इससे अभीष्ट लाभार्थियों को भी ईंधन तथा चारा के लाभ से वंचित होना पड़ा जो इस परियोजना का उद्देश्य था।

उत्तर में शासन ने बताया (अक्टूबर 2005) कि चूंकि वृक्षारोपण हेतु कोई भूमि उपलब्ध नहीं थी अतः निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सार्वजनिक उपक्रम की भूमि पर वृक्षारोपण कार्य कराया गया। वार्ता के दौरान (नवम्बर 2005) शासन ने बताया कि सार्वजनिक उपक्रम परिसर में लगाये गये वृक्ष वन विभाग एवं सार्वजनिक उपक्रम के बीच सम्पादित मेमोरेन्डम आफ अन्डरस्टैंडिंग (एम ओ यू) के प्राविधानों के अन्तर्गत सामान्य जनता को प्रकाष्ठ ईंधन एवं चारा हेतु उपलब्ध कराये जायेंगे। शासन का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि प्रभाग द्वारा कराया गया वृक्षारोपण कार्य सामाजिक वानिकी योजना के दिशा-निर्देशों के विपरीत था। उक्त के अतिरिक्त एम ओ यू में स्पष्ट वर्णित था कि लगाये गये वृक्षारोपण पर सार्वजनिक उपक्रम, अलीगढ़ का पूर्ण अधिकार होगा, न कि वन विभाग का तथा वृक्षारोपण पर हुये व्यय को पेड़ों के अन्तिम पातन से प्राप्त धनराशि वन विभाग को वापस कर दी जायेगी।

जन सामान्य को ईंधन एवं चारा उपलब्ध कराने का कोई भी प्राविधान एम ओ यू में सम्मिलित नहीं था। सितम्बर 2006 में वार्ता के दौरान शासन द्वारा इस तथ्य की पुष्टि भी की गई तथा कहा गया कि उनका पूर्व में दिया गया उत्तर सही नहीं था।

4-5-2 LFkkukUrfjr ou Hkfe dk 'kq) oržku eW; dk ol y u fd; k tkukA

LFkkukUrfjr ou Hkfe ij ikl; 95-73 djksM+ : i ; s dh 'kq) oržku eW; dh
j'k'k mi ; ksdrkz foHkkxks l s ol y ugha dh xbA Hkfe dk LFkkukUrfj.k Hkkjr
l jdkj ds fn'kk&funz kka rFkk l okp u ; k ; ky ; ds fu.kz dk mYyžku djrs
gq fd ; k x ; k FkkA

सर्वोच्च न्यायालय (एस सी) ने भारत सरकार (जी ओ आई) को निर्देश दिया गया (30 अक्टूबर 2002) था कि आठ सप्ताह के अन्दर गैर वानिकी प्रयोजनों के लिए हस्तान्तरित की गई वन भूमि के बदले उसके शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन पी वी)को उपयोगकर्ता विभागों से वसूल करने सम्बंधी निर्देश निर्गत किये जाये। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, वन संरक्षण प्रभाग, भारत सरकार द्वारा निर्गत किये गये (सितम्बर 2003) निर्देशों में सन्निहित था कि उन सभी प्रकरणों में जिनमें सैद्धान्तिक रूप से 30 अक्टूबर 2002 के पश्चात स्वीकृति प्राप्त

हुई थी, वन के किस्म तथा घनत्व के आधार पर 5.80 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर से 9.20 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से शुद्ध वर्तमान मूल्य की वसूली की जानी थी तथा यह वसूली वन भूमि के स्थानान्तरण की अन्तिम स्वीकृति के पूर्व सम्पन्न हो जानी थी। इस रूप में वसूल की गई धनराशि का उपयोग क्षतिपूरक वानिकी में किया जाना था।

नोडल अधिकारी, वन उपयोग, वन विभाग (एफ डी) उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अभिलेखों की जाँच (मार्च 2006) में पाया गया कि वन विभाग ने नवम्बर 2002 से मार्च 2006 की अवधि में 1668.3349 हेक्टेयर वन भूमि उपयोगकर्ता विभागों को गैर वानिकी प्रयोजनों हेतु स्थानान्तरित किया था। एन पी वी की धनराशि 95.73 करोड़ रुपये की वसूली 42 प्रकरणों में वन विभाग द्वारा नहीं की गयी थी जैसा कि *iff'k"V 4-1* में वर्णित है।

वार्ता के दौरान (सितम्बर 2006) शासन ने तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि की और बताया कि आपसी सहमति के आधार पर भूमि उपयोगकर्ता विभागों को स्थान्तरित की गई थी कि वे शुद्ध वर्तमान मूल्य का भुगतान बाद में कर देंगे। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि शुद्ध वर्तमान मूल्य की वसूली के बिना वन भूमि का स्थानान्तरण भारत सरकार के दिशा-निर्देशों तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन था। साथ ही उपयोगकर्ता विभागों से शुद्ध वर्तमान मूल्य की वसूली के अभाव में क्षतिपूरक वानिकी भी कार्यान्वित नहीं हो सकी।

4-5-3 {kfrijd okfudh fuf/k ,oa 'kq) or'eku eW; dk fofu; kx u fd; s tkus ds dkj .k C; kt dh gkfu A

Hkkjr l j dkj }kj k fuxr vkn' kka@fn' k&fun' kka ds vuq kj {kfrijd okfudh fuf/k ,oa 'kq) or'eku eW; dk fofu; kx u fd; s tkus ds dkj .k 12-61 djkm+ : i ; s C; kt dh gkfuA

सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार (जी ओ आई) को आदेश दिया (अक्टूबर 2002) था कि निर्णय के आठ सप्ताह के अन्दर क्षतिपूरक वानिकी निधि (सी ए एफ) के प्रबन्धन के लिए क्षतिपूरक वानिकी प्रबंधन एवं नियोजन अभिकरण (कैम्पा) गठित करने के लिए विस्तृत नियमावली तैयार की जाये। निर्णय में यह भी प्रावधान था कि 30 अक्टूबर 2002 के पश्चात सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृत वन भूमि हस्तान्तरण के सभी प्रकरणों में उपयोगकर्ता विभागों से वन भूमि की किस्म एवं वन के घनत्व के अनुसार 5.80 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर से लेकर 9.20 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से शुद्ध वर्तमान मूल्य की वसूली की जाय। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सी ए एफ एवं एन पी वी के अन्तर्गत प्राप्त की गयी धनराशि के प्रबंधन हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2004 में कैम्पा की स्थापना की गयी। चूंकि कैबिनेट की स्वीकृति के अभाव में माह अप्रैल 2006 तक कैम्पा का परिचालन नहीं हो सका अतः भारत सरकार ने (मार्च 2004) प्रदेश सरकार को कैम्पा के परिचालन शुरू होने तक इस प्रकार से प्राप्त निधि को सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी अथवा नोडल अधिकारी के नाम राष्ट्रीयकृत बैंकों में सावधि जमा खाते में रखने का सुझाव दिया। आवश्यकता होने पर सावधि जमा को भुनाया जा सकता था।

नोडल अधिकारी, वन उपयोग वृत्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अभिलेखों की जाँच (मार्च 2006, जून 2006 एवं अक्टूबर 2006) में पाया गया कि वन विभाग ने नवम्बर 2002 से जुलाई 2006 के मध्य क्षतिपूरक वानिकी निधि तथा शुद्ध वर्तमान मूल्य के मद में प्राप्त धनराशि 166.87 करोड़ रुपये को कैम्पा के परिचालन शुरू होने तक राष्ट्रीयकृत बैंकों के सावधि खाते में जमा करने के स्थान पर वन जमा मद के अन्तर्गत रखा। इस प्रकार भारत सरकार के निर्दिष्ट आदेशों का पालन न करने के कारण प्रदेश सरकार अप्रैल 2004 से जुलाई 2006 के मध्य 5.25 प्रतिशत वार्षिक दर से अर्जित होने वाली 12.61 करोड़ रुपये की ब्याज की धनराशि से वंचित रहीं।

इसे इंगित किये जाने (मार्च 2006) पर नोडल अधिकारी ने बताया (मार्च 2006) कि सी ए एफ/एन पी वी के प्रबन्धन से सम्बन्धित ऐसा कोई भी आदेश या निर्देश उनके संज्ञान में नहीं था। वार्ता के दौरान (सितम्बर 2006) शासन ने बताया कि कैम्पा के माह मई 2006 से परिचालित होने के पश्चात 141 करोड़ रुपये की राशि कैम्पा निधि को हस्तान्तरित की जा चुकी थी (अगस्त 2006)। नोडल अधिकारी के अभिलेखों की जाँच (अक्टूबर 2006) में पाया गया कि सितम्बर 2006 तक वस्तुतः 123.28 करोड़ रुपये की धनराशि ही कैम्पा निधि को हस्तान्तरित की गई थी।

fl pkbZ foHkkx

4-5-4 'kkl dh; fuf/k; ka dk vfU; fer vkGj .k , oa 'kkl dh; ys[k s l s ckgj j [ks jguk

1-55 djkm+ : i ; s ds 'kkl dh; /ku dk vfU; fer vkGj .k fd; k x; k , oa ml s cfd MkQV@cfdl l pd ds : i ea 'kkl dh; ys[k s l s ckgj j [kk x; k Fkk ftl l s 48-30 yk[k #i ; sC; kt dh gkfu gP

भुगतान की तुरन्त आवश्यकता के बिना कोषागार से शासकीय धन का आहरण वित्तीय नियमों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित था। नियमों में यह भी अपेक्षित था कि आहरण अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि जिस धनराशि की वित्तीय वर्ष में आवश्यकता पड़ने की सम्भावना न हो उसे शीघ्र अभ्यर्पित कर दिया जाये ताकि उसका अन्य कार्यों में उपयोग हेतु पुनर्विनियोजन किया जा सके।

अधिशाली अभियंता (ई ई), ज्ञानपुर नहर प्रखण्ड भदोही के अभिलेखों की जाँच (मई 2006) में पाया गया कि अधिशाली अभियंता द्वारा अक्टूबर 2000 एवं मार्च 2002 की अवधि में 1.55 करोड़ रुपये का आहरण किया गया एवं आहरित धनराशि के 11 बैंक ड्राफ्ट एवं 15 बैंकर्स चेक स्वयं के पक्ष में एवं विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (एस एल ए ओ)/जिला न्यायधीशों (जि जज), इलाहाबाद, भदोही, वाराणसी के पक्ष में, ज्ञानपुर पम्प नहर परियोजना हेतु क्रय/अधिगृहीत की गयी भूमि के प्रतिकर भुगतान हेतु बनवा कर रख लिये गये। यद्यपि धनराशि का भुगतान वास्तव में नहीं किया गया था फिर भी इन धनराशियों को अंतिम लेखाशीर्ष में व्यय के रूप में भारित कर दिया गया। उक्त बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक निर्गत नहीं किये गये थे तथा खण्ड में पड़े थे (जून, 2006) यद्यपि इस चूक की ओर सम्प्रेक्षा द्वारा इससे पूर्व (अक्टूबर 2003) में भी इंगित किया गया था किंतु चेक्स/बैंक ड्राफ्ट्स निरस्त करके लेखा से पुनरांकन नहीं किया गया (सितंबर 2006)। इस धनराशि को अनियमित रूप से आहरित कर शासकीय लेखे से बाहर रखे जाने के परिणामस्वरूप ऋण पर सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में व्याज की प्रचलित दर से शासन को 48.30 लाख रुपये व्याज की हानि हुई। दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही भी सितम्बर 2006 तक नहीं की गयी थी।

शासन द्वारा वार्ता (सितम्बर 2006) के दौरान तथ्यों एवं आंकड़ों को स्वीकार किया गया एवं मुख्य अभियंता (सोन), वाराणसी को संबंधित धनराशियों को ट्रेजरी चालान के माध्यम से शासकीय रेवेन्यू को क्रेडिट करके लेखा परीक्षा को इस तथ्य से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया। प्रकरण में की गई कोई निर्णयात्मक कार्यवाही सूचित नहीं की गई (नवंबर 2006)।

4-5-5 i kdZ ds fuekZ k ij vfU; fer 0; ;

foRrh; fu; eka dk ikyu u fd; s tkus ds dkj .k ukjk; uig iEi ugj ds l fludV fufefr l jnkj i Vsy i kdZ ds fuekZ k ij 1-70 djkm+ : i ; s dk vuf/kdr] vfU; fer 0; ; ds vfrfjDr ifj ; kst uk Hkh vi wKZ jghA

वित्तीय नियमों में किसी कार्य पर आबंटित धनराशि का उपयोग अन्य कार्य पर किया जाना प्रतिबन्धित था। शासन ने भी किसी कार्य के नकद साख सीमा (सी सी एल) को अन्य कार्यों हेतु उपयोग पर रोक लगा दी थी (मार्च 1999)।

शासन द्वारा नारायनपुर पम्प नहर के नवीनीकरण एवं पुर्नस्थापना हेतु 17.57 करोड़ रुपये के अनुमानित लागत की परियोजना इस निर्देश के साथ स्वीकृत किया गया (मई 2003) था कि इस कार्य हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि का उपयोग किसी अन्य कार्य पर नहीं किया जायेगा। परियोजना पर होने वाला व्यय नाबार्ड¹ एवं शासन द्वारा 90:10 के अनुपात में वहन किया जाना था। वित्तीय वर्षों 2003-05 में 2.85 करोड़ रुपये की धनराशि मूसा खण्ड बांध खण्ड वाराणसी को परियोजना के सिविल कार्यों हेतु आबंटित की गयी थी। ये कार्य 31 मार्च 2005 तक पूर्ण किये जाने थे।

अधिशाली अभियंता (ई ई), मूसा खण्ड बांध प्रखण्ड, वाराणसी के अभिलेखों की जांच से ज्ञात हुआ (मार्च 2006/मई 2006) कि परियोजना का निर्माण कार्य 2003-04 में प्रारम्भ किया गया था। परियोजना के सिविल कार्यों के लिये आबंटित धनराशि 2.85² करोड़ रुपये में से खण्ड द्वारा 1.75 करोड़ रुपये सरदार पटेल पार्क के निर्माण पर व्यय किया गया था जिसके लिये स्वीकृत प्राक्कलन में मात्र 5.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था। परियोजना का कार्य धन की अनुपलब्धता के कारण रोक दिया गया (अप्रैल 2005)। अधिशाली अभियंता द्वारा 23.63 करोड़ रुपये का एक संशोधित प्राक्कलन व्यय समिति, उत्तर प्रदेश सरकार (ई सी जी ओ यू पी) को प्रेषित किया (2004-05) जिसमें पार्क के निर्माण के कार्य हेतु प्रावधान सम्मिलित था। ई सी जी ओ यू पी द्वारा संशोधित प्राक्कलन इस निर्देश के साथ वापस कर दिया (मार्च 2005) कि पार्क के कार्य को हटाकर प्राक्कलन पुनः प्रेषित किया जाय क्योंकि इस कार्य के लिए नाबार्ड द्वारा धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

ई ई द्वारा धनराशियों का अपवर्तन करने से 1.70 करोड़ रुपये का अनधिकृत व्यय किया गया, इसके अतिरिक्त परियोजना के सिविल कार्यों को उसे पूर्ण करने हेतु धनराशि से भी वंचित किया गया।

शासन द्वारा वार्ता (सितंबर 2006) के दौरान तथ्यों एवं आंकड़ों को स्वीकार किया गया तथा अवगत कराया गया कि पुनरीक्षित परियोजना का प्रस्ताव मुख्य अभियंता (सोन) द्वारा शासन के अनुमोदनार्थ प्रेषित किया गया था। पुनरीक्षित परियोजना का शासन द्वारा अनुमोदन प्रतीक्षित था (नवंबर 2006)।

4-5-6 Økl , oa gM jxqyVj ds fuekZk ij vykHkdKjh 0; ;

, Ldsi pñsy dk fcuk fuekZk djK; s Økl , oa gM jxqyVj dk fuekZk djK; s tkus ds dkj .k fuekZk dk; l ij fd; k x; k 67-71 yk[k #i ; s dk 0; ; vykHkdKjh jgkA

अयोध्या पम्प हाउस को सतत जल की आपूर्ति करने हेतु एक एप्रोच चैनल का निर्माण किया गया था (मई 2003) जो घाघरा नदी को पम्प हाउस से जोड़ता था। अयोध्या मुख्य नहर (ए एम सी) को पम्प हाउस के द्वारा सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया जाता था। एप्रोच चैनल में सिल्ट जमा होने से बचाव के लिये वर्षा ऋतु के समाप्त होने के बाद भी पम्प हाउस को लगातार चलाने की आवश्यकता थी। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभाग ने निर्णय लिया (मई 2003) कि ए एम सी के किमी 0.300 पर एक क्रास एवं हेड रेगुलेटर एवं स्केप चैनल (लम्बाई 1.450 किमी) का निर्माण कराया जाये ताकि कृषकों को

¹ नेशनल बैंक फार एग्रीकल्चर एण्ड रुरल डेवलपमेंट

² 2.08 करोड़ रुपये एवं 76.92 लाख रुपये क्रमशः 2003-04 एवं 2004-05 में आबंटित एवं अवमुक्त किये गये थे तथा वही धनराशियां सम्बन्धित वर्षों में व्यय की गई थीं

जब पानी की आवश्यकता न हो तो पानी को क्रास एवं हेड रेग्युलेटर से नियंत्रित करके पुनः घाघरा नदी में प्रत्यावर्तित किया जा सके।

अधिशाली अभियंता (ई ई), सरयू नहर खण्ड, फैजाबाद के अभिलेखों की जांच में देखा गया (मई 2006) कि अयोध्या मुख्य नहर के किमी 0.300 पर क्रास एवं हेड रेगुलेटर का निर्माण कार्य अगस्त 2003 में प्रारंभ हुआ था एवं मार्च 2005 में लागत 67.71 लाख रुपये में पूर्ण किया गया। तथापि विस्तृत सर्वेक्षण एवं अनुसंधान में विलम्ब होने के कारण एस्केप चैनल के निर्माण का कार्य नहीं प्रारंभ किया जा सका था (सितंबर 2006)। यहां तक कि एस्केप चैनल का लांगीच्यूडीनल सेक्शन/प्राक्कलन भी तैयार नहीं किया गया था (सितंबर 2006)। परिणामस्वरूप ए एम सी के जल को प्रत्यावर्तित करना संभव नहीं था (सितंबर 2006) जिसके कारण एप्रोच चैनल में सिल्ट होने की प्रक्रिया न्यूनतम करने हेतु निर्मित क्रास एवं हेड रेगुलेटर के निर्माण का उद्देश्य पूर्णतः असफल रहा।

इस प्रकार क्रास एवं हेड रेगुलेटर के निर्माण पर किया गया 67.71 लाख रुपये का व्यय, एस्केप चैनल के निर्माण के बिना, अलाभकारी रहा।

शासन द्वारा वार्ता (सितम्बर 2006) के दौरान तथ्यों एवं आंकड़ों को स्वीकार किया गया एवं मुख्य अभियंता (सरयू-प्रथम) को निर्माण कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण कराने तथा अनुपालन से लेखा परीक्षा को अवगत कराने के लिए निर्देशित किया गया। प्रकरण में कृत कार्यवाही प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2006)।

fpfdRI k , oa LokLF; foHkkx

4-5-7 vykHkdj h 0; ;

fpfdRI h; @i jkfpfdRI h; depkfj; ka dh Lohdfr@r fukrh u gkus ds dkj .k Lkepnf; d LokLF; dlnz ds fuekZkj mi dj .k dh ikflr o l kt l Ttk ij 1-26 djkm+ : i ; s dk 0; ; vykHkdj h jgk bl ds vfrfjDr {ks= ds ykx fo' k"V mi pkj dh l fo/kk l sofpr jgA

शासन द्वारा ग्रामीण जनता को विशेष चिकित्सा सुविधायें¹ उपलब्ध कराने हेतु 30 शैया वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सा स्वा के) पर पराचिकित्साकर्मियों के अतिरिक्त चिकित्सक, शल्यक, प्रसूति विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, रेडियो लाजिस्ट, दंत शल्यक एवं पैथालाजिस्ट हेतु प्रत्येक के एक-एक पदों के सृजन का मानक निर्धारित (मई 1999) किया गया था।

मुख्य चिकित्साधिकारी, जौनपुर के अभिलेखों की जांच (फरवरी 2005 से मई 2006) से ज्ञात हुआ कि 1.15 करोड़ रुपये के व्यय हो जाने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बरसठी भवन पूर्ण हुआ एवं विभाग द्वारा दिसम्बर 2002 में हस्तगत किया गया था। पुनः 2003-04 के दौरान 9.55 लाख रुपये² का व्यय उपकरणों एवं रोगीवाहन के क्रय पर तथा 0.80 लाख रुपये का भुगतान विद्युत संयोजन (मार्च 2004) हेतु किया गया था। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रियाशील करने हेतु वांछित आवर्ती/अनावर्ती व्ययों तथा चिकित्सकीय/पराचिकित्सकीय कर्मचारियों³ की स्वीकृति हेतु महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं को जून 2003 में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तथापि महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं ने तीन वर्षों के बाद मई 2006 में प्रस्ताव प्रेषित किया एवं

¹ शल्य चिकित्सा, औषधि, प्रसूति, बाल रोग, दंत, पैथालाजी व रेडियोलॉजी

² उपकरण व फर्नीचर 4.96 लाख रुपये, रोगी वाहन 4.59 लाख रुपये

³ अधीक्षक चिकित्सक, प्रसूति विशेषज्ञ, एनेथेटिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, लैब सहायक एक्सरे तकनीशियन, दन्त हाईजिनिस्ट, फार्मासिस्ट, वरिष्ठ क्लर्क, स्टाफ कार चालक व डार्क रूम सहायक प्रत्येक का एक पद, उपचारिका का तीन पद व वार्ड व्याय/आया का दो पद

उसे जुलाई 2006 में संशोधित किया। इस बीच चिकित्सीकीय व परा चिकित्सीकीय कर्मचारियों के पदों के स्वीकृति के बिना शासन ने सा स्वा के पर एक चिकित्सा अधीक्षक की तैनाती (अक्टूबर 2005) कर दी। क्रय किया गया रोगी वाहन, वाहन चालक की अनुलब्धता के कारण (जुलाई 2005) में मुख्य चिकित्साधिकारी को समर्पित कर दिया गया था। महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा मई 2005 में आपूर्ति की गयी एकसरे मशीन जिसकी लागत 1.41 लाख रुपये थी, रेडियोलॉजिस्ट व तकनीशियन की तैनाती न होने के कारण निष्क्रिय पड़ी थी।

विचार विमर्श के दौरान सा स्वा के के निर्माण व साज सज्जा पर किए गए अलाभकारी व्यय की पुष्टि के अतिरिक्त शासन ने बताया (अक्टूबर 2006) कि उच्चकृत/विशिष्ट सेवायें, चिकित्सीय/परा-चिकित्सीय स्टाफ की तैनाती के बाद प्रदान की जायेगी।

अतः सा स्वा के के निर्माण ,उपकरण की प्राप्ति व साज सज्जा पर किया गया 1.26 करोड़ रुपये का व्यय, ग्रामीण रोगियों को विशिष्ट चिकित्सा सेवा से वंचित रहने के अतिरिक्त, पिछले तीन से अधिक वर्षों से अलाभकारी रहा।

yxrd fuekZk foHkkx

iLrj 4-5-8 ekxZ fuekZk ij vukuekfnr I kexh dk iz; kx

ekxZ ds pkMhdj.k , oa I n<hdj.k dk; I ea vukuekfnr I kexh ds iz; kx I s 1-39 djkm+: i; sykxr dk v/kkekud dk; A

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) की विशिष्टियों तथा विभागीय निर्देशों (जून 1974 तथा फरवरी 1984) के अनुसार मार्ग के सोलिंग कोट में उपयुक्त आकार के पत्थर की गिट्टी का प्रयोग किया जाना चाहिए। सोलिंग कोट में प्रयोग के लिये ईट अनुमोदित सामग्री नहीं है क्योंकि ईट की दबाने की क्षमता (140 किग्रा/वर्ग सेमी) पत्थर गिट्टी की दबाने की क्षमता (650 किग्रा/वर्गसेमी) की तुलना में कम है।

अधिशाली अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो नि वि बागपत की अभिलेखों की जांच (माह अगस्त/सितम्बर 2005) से प्रकाश में आया कि मेरठ बड़ौत मार्ग (35 किमी से 52 किमी कुल 18 किमी) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य अनुमानित लागत 6.92 करोड़ रुपये की स्वीकृति (फरवरी 2004) दी गई थी। तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (सी ई) लो नि वि मेरठ द्वारा प्रदान (जून 2004) की गई थी। कार्य सम्पादन में मार्ग की वर्तमान क्रस्ट मोटाई को 20 सेमी से 46 सेमी बढ़ाया जाना तथा मार्ग की चौड़ाई किमी 35 से 38 और किमी 41 से 45 तक 3.60 मी से 7 मी तथा किमी 39, 40 और किमी 46 से 52 तक मार्ग को 5.50 मी से 7 मी चौड़ा करने के बाद पूरे मार्ग (18 किमी) का वाटर मिक्स मैकडम (डब्लू एम एम) विटुमिनस मैकडम (बी एम) और सेमी डेन्स बिटुमिनस कंक्रीट (एस डी वी सी) द्वारा सुदृढीकरण का कार्य कराया जाना था। चौड़ीकृत वाले मार्ग में भी क्रस्ट की मोटाई 46 सेमी रखनी थी। माह दिसम्बर 2005 में 6.69 करोड़ रुपये की लागत से कार्य पूर्ण किया गया था।

चौड़ीकृत के आधे भाग में (23988.25 वर्ग मी), 7 सेमी की अपेक्षित क्रस्ट मोटाई सोलिंग कोट में विशिष्टियों में निर्धारित उपयुक्त आकार की पत्थर गिट्टी के स्थान पर पट ईट (फ्लेट ब्रिक) (पुराने उखाड़े गये ईट तथा कुछ नये ईट) बिछाकर प्राप्त की गई थी। इस प्रकार, चौड़ीकृत वाले भाग में अनानुमोदित सामग्री के प्रयोग करने से 1.39 करोड़ रुपये

¼i f'f'k"V 4-2½ लागत का कार्य¹ अधोमानक रहा, क्योंकि सोलिंग कोट में पट ईट बिछाने से क्रस्ट की मजबूती अनानुमोदित सामग्री (पत्थर गिट्टी) की तुलना में कम थी।

वार्ता के दौरान (सितम्बर 2006) और उत्तर में शासन द्वारा बताया गया (अक्टूबर 2006) कि आई आर सी (अगस्त 2004) एवम् लोक निर्माण विभाग में ईट सोलिंग का प्राविधान था। यह भी बताया गया कि पुरानी उखाड़ी गयी ईटों का प्रयोग किया गया जिससे कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं थी। उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं था क्योंकि मोर्थ/आई आर सी में इस तरह का कोई प्राविधान कार्य स्वीकृति की तिथि फरवरी 2004 तक नहीं था। केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली ने भी विचार व्यक्त किया (सितम्बर 2005) कि ईट सोलिंग में पर्याप्त क्षमता न होने के कारण लम्बे समय बाद पेवमेन्ट क्षतिग्रस्त हो सकता है। इस प्रकार 1.39 करोड़ रुपये लागत का किया गया चौड़ीकरण एवम् सुदृढ़ीकरण का कार्य अधोमानक था।

i Lrj 4-5-9 ekxZ dk v/kkrekud fuekZ k

ekxZ ds pkMhd'r Hkkx ds rVcU/k ij Mkyh xbZ feV'Vh dh dQ/kbZ u djus l s 6-06 djkm+: i ; sykxr dk feV'Vh , oa cš dks l dk =fVi wkZ dk; A

लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मानक विशिष्टियों एवं निर्गत विभागीय निर्देशों (सितम्बर 1965 एवं मार्च 1982) तथा भूतल एवं परिवहन मंत्रालय के विशिष्टियों (मोर्थ) के अनुसार भी तटबन्ध के आधार पर एवं तटबन्ध की मिट्टी की यांत्रिक कुटाई 95 प्रतिशत शुष्क घनत्व तथा 30 सेमी ऊपरी सतह की मिट्टी की कुटाई 100 प्रतिशत शुष्क घनत्व प्राप्त होने तक की जानी चाहिए ।

अधिशाली अभियन्ता (ई ई) प्रान्तीय खण्ड लो नि वि शाहजहाँपुर के अभिलेखों की जांच (नवम्बर 2005) में पाया गया कि मुरादाबाद-फर्रुखाबाद मार्ग (141 किमी से 177.674 किमी) के चौड़ीकरण हेतु अनुमानित लागत 7.60 करोड़ रुपये की स्वीकृति (नवम्बर 2004) प्रदान की गई थी। मुख्य अभियन्ता लो नि वि बरेली द्वारा कार्य की तकनीकी स्वीकृति (दिसम्बर 2004) में प्रदान की गई थी। मार्ग के चौड़ीकरण में वर्तमान मार्ग को एक से दो लेन (7 मीटर) का निर्माण तटबन्ध पर मिट्टी का कार्य और वाटर वाउन्ड मैकाडम (27.5 सेमी कम्पैक्टेड मोटाई), से बेस कोर्स के साथ प्रथम एवं द्वितीय सतह का लेपन कार्य सम्मिलित था।

मिट्टी कार्य का दर विश्लेषण, अनुबन्धों में बिल आफ क्वांटिटी की मात्रा, वाउचरों की जांच से ज्ञात हुआ कि यद्यपि तटबन्ध की ऊंचाई 60 से 154 सेमी के मध्य थी एवं मिट्टी कार्य की संपादित भराई एवं कुटाई की मात्रा क्रमशः 53789.64 घन मीटर एवं 41289.84 घन मी थी फिर भी विभाग द्वारा मोर्थ और लो नि वि के विशिष्टियों के अनुसार मिट्टी की यांत्रिक कुटाई की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। चूँकि विभाग द्वारा तटबन्ध एवं मिट्टी के कार्य की यांत्रिक कुटाई नहीं की गई थी, अतः तटबन्ध एवं उसके ऊपर निर्मित बेस कोर्स (अप्रैल 2006) लागत 6.06 करोड़ रुपये का कार्य अधोमानक था, क्योंकि प्रश्नगत मार्ग के सब ग्रेड की कुटाई जैसा प्राविधानित था, वांछित स्तर तक नहीं की गई थी।

शासन द्वारा कहा गया (अक्टूबर 2006) कि चौड़ीकृत भाग का सबग्रेड यातायात के चलने के कारण कुटा हुआ था, इसलिए यांत्रिक कुटाई की कोई आवश्यकता नहीं थी। चौड़ीकृत भाग के की कुटाई हेतु शोल्डर रोड रोलर का प्रयोग किया गया था। उत्तर अपवंचनात्मक था क्योंकि तटबन्ध में मिट्टी का कार्य नये सिरे से दिसम्बर 2004 और मार्च 2005 के मध्य किया गया था। सब ग्रेड और तटबन्ध में मिट्टी कार्य की वांछित घनत्व प्राप्त करने हेतु

¹ पलैट ब्रिक सोलिंग के बाद डब्लू बी एम ग्रेड- II, ग्रेड- III, डब्लू एम एम बी एम और एस डी बी सी

यांत्रिक कुटाई के अलावा और कोई तरीका नहीं था। प्रश्नगत मार्ग के आगणन एवम् सुसंगत अभिलेखों की जाँच से कोई ऐसा संकेत प्राप्त नहीं हुआ, जिससे यह आभास हो कि तटबन्ध के मिट्टी की कुटाई वास्तव में की गई हो। ऐसी कोई परीक्षण रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं थी जिससे दावे की पुष्टि हो सकती।

dj , oa fucl/ku foHkkx

4-5-10 okguka dk Ø; vko' ; drkvka ds vuq i u gkuk

{ks= dh vko' ; drkvka dks /; ku ea j [ks fcuk okguka ds Ø; ea 98-11 yk[k : i ; s dk 0; ; mnns' ; ka dh i kflr ea ogn : i ea vykHkdjkh jgkA

आयुक्त, व्यापार कर उ प्र (आ व्या क) ने 34 टाटा स्पेशियो हार्डटाप वाहनों के क्रय हेतु 1.11 करोड़ रुपये का प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत किया (जुलाई 2004 – मार्च 2005)। प्रस्ताव के अनुसार इन वाहनों को सभी सड़कों पर तथा सभी मौसम की दशाओं में करापवंचकों का पीछा करने के लिए तेज चलने वाला, अधिक स्थान युक्त तथा सुरक्षित माना गया।

आ व्या क के अभिलेखों की जांच (जुलाई 2005) से ज्ञात हुआ कि शासन ने टाटा स्पेशियो हार्डटाप के स्थान पर 34 टाटा स्पेशियो साफ्ट टाप वाहनों को 98.11 लाख रुपये की लागत में क्रय की स्वीकृति दी (अगस्त 2004–मार्च 2005)। इन वाहनों को अगस्त 2004 और मार्च 2005 के मध्य में क्रय किया गया तथा क्षेत्रीय कार्यालयों¹ को आबंटित किया गया (सितंबर 2004–मई 2005)। क्षेत्रीय कार्यालयों से सूचना प्राप्त होने पर कि साफ्ट टाप वाहन तीव्रगामी वाहनों के पीछा करने में उपयोगी व सुरक्षित नहीं थे तथा इनका सभी ऋतुओं में प्रयोग असुविधाजनक था, आ व्या क ने इन वाहनों को हार्ड टाप में परिवर्तित करने हेतु 27.20 लाख रुपये के अनुमानित लागत का प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत किया (जुलाई 2005)। परन्तु शासन ने प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया (अक्टूबर 2005)।

उत्तर में 27² वाहन प्रयोक्ताओं ने छापे और करापवंचकों का पीछा करने के दौरान आयी समस्याओं की पुष्टि की (मार्च–अप्रैल 2006)। शेष सात³ प्रयोक्ताओं ने बताया कि वाहनों का प्रयोग किया जा रहा था।

प्रकरण को इंगित किए जाने पर (अगस्त 2005) शासन ने बताया (फरवरी 2006) कि इन वाहनों का पूरी तरह उपयोग किया जा रहा था। यह उत्तर आ व्या क के उन विचारों से अलग था जिसमें शासन को जुलाई 2005 में सूचित किया गया था कि ये वाहन उन उद्देश्यों हेतु उपयोगी नहीं पाये गये, जिनके लिए क्रय किये गये थे। 34 वाहनों में से 27 वाहन प्रयोक्ताओं द्वारा आ व्या क द्वारा लिये गये दृष्टिकोण को पृष्ठांकित किया गया जिन्होंने उत्तर में आ व्या क के विचारों को दोहराया। पुनश्च, शासन ने उत्तर में बताया (जुलाई 2006) कि 2005–06 में हार्डटाप वाहनों के क्रय हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी जो स्वतः साफ्ट टाप वाहनों के क्रय को अविवेकपूर्ण सिद्ध करता है।

इस प्रकार, प्रयोगकर्ता विभाग की विशिष्ट मांग के विरुद्ध 98.11 लाख रुपये की लागत की 34 टाटा साफ्ट टाप वाहनों के अविवेकपूर्ण स्वीकृति/क्रय से वांछित उद्देश्य पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सका।

¹ अलीगढ़(1) अमरोहा(1) बरेली(2) फैजाबाद(2) फतेहपुर(1) झांसी(1) लखनऊ (5) मैनपुरी(1) मथुरा(1) रामपुर(1) गाजियाबाद(7) कानपुर(2) कन्नौज(1) खतौली(2) मेरठ(1) मिर्जापुर (1) गोरखपुर(1) वाराणसी(3) कुल संख्या 34

² अलीगढ़(1) अमरोहा(1) बरेली(2) फैजाबाद(2) फतेहपुर(1) झांसी(1)लखनऊ (5) मैनपुरी(1) मथुरा(1) रामपुर(1) गाजियाबाद(7) कन्नौज(1) तथा वाराणसी(3) कुल संख्या 27

³ कानपुर(2),खतौली(2),मेरठ(1)मिर्जापुर(1) तथा गोरखपुर(1) कुल संख्या 7

v/; k; & 5

fPkdRI k f' k{k k , oa i f' k{k.k foHkkx

5- fPkdRI k f' k{k k , oa i f' k{k.k foHkkx ea vKUrfd fu; æ.k

किसी संगठन के अंतर्गत आंतरिक नियंत्रण वह साधन है जिसके द्वारा कोई संगठन अपने उद्देश्यों को प्रभावी एवं कुशलता पूर्वक प्राप्त करने के लिये अपने क्रियाकलापों को संचालित करता है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के आन्तरिक नियंत्रण के मूल्यांकन में बजट, व्यय, भण्डार प्रबन्धन/चल सम्पत्तियों तथा अनुश्रवण नियन्त्रण की कमियाँ परिलक्षित हुयी। लेखा परीक्षा के महत्वपूर्ण बिन्दु निम्न हैं :

ef; vdk

व्यय अनुश्रवण के लिये बजट नियन्त्रण प्रभावी नहीं थे जिससे धनराशि 38.77 करोड़ रुपये की बचतो का अनुमान नहीं लगाया गया था और वित्तीय वर्ष के अंत में इसे समर्पित किया गया था। इसके अतिरिक्त वित्तीय नियमों के विरुद्ध वर्ष 2003-06 के अंत में 107.99 करोड़ रुपये आहरित किया गया और किंग जार्ज मेडिकल विश्वविद्यालय लखनऊ के वैयक्तिक लेखा खाता में अनुदान को व्यपगत होने से बचाने के लिए जमा कर दिया गया।

¶ Lrj 5-6-2 rFkk 5-6-3½

वित्तीय नियमों की अवहेलना करते हुये विभाग द्वारा वर्ष 2003-06 के दौरान लेखा शीर्ष के अन्तर्गत 51 से 94 प्रतिशत आकस्मिक व्यय मार्च माह में किया गया।

¶ Lrj 5-7-1½

शासन के औषधि क्रय नीति के दिशा-निर्देशों की उपेक्षा करते हुये औषधि निर्माता फर्मों के स्थान पर औषधि अभिकर्ताओं और स्टाकिस्टों को अनियमित रूप से भुगतान किया गया।

¶ Lrj 5-7-3½

शासन की सहमति से चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा 25 परास्नातक पाठ्यक्रमों (113 सीट) को चलाया जा रहा था और संख्या से अधिक छात्रों को प्रवेश दिया जा रहा था, जो कि भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त नहीं थे। महाविद्यालयों/चिकित्सालयों में संकाय सदस्यों और पराचिकित्सकीय कर्मियों की कमी थी।

¶ Lrj 5-9-1 | s 5-9-3½

लेखा परीक्षको की कमी के कारण विभाग का आन्तरिक लेखा परीक्षा सम्भाग दिसम्बर 2003 से अक्रियाशील था।

¶ Lrj 5-10½

5-1 iLrkouk

किसी संगठन के अंतर्गत आन्तरिक नियन्त्रण वह प्रणाली है जो उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये अपनी गतिविधियों को संचालित करती है। एक समुचित आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली विभागीय क्रिया-कलापों में वित्तीय प्रतिवेदनो और प्रभावशीलता तथा साथ ही साथ दक्षता की विश्वसनीयता का युक्ति युक्त आश्वासन विभाग को प्रदान करती है। आन्तरिक लेखा परीक्षा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली का एक भाग है। चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग दिसम्बर 1980 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेक्टर के अंतर्गत एक स्वतंत्र विभाग के रूप में उच्च स्तर की चिकित्सा शिक्षा, जनता को विशिष्ट चिकित्सा उपचार, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिये स्थापित किया गया था।

5-2 l & BukRed <kBk

शासन स्तर पर सचिव, चिकित्सा शिक्षा, विभाग के क्रिया-कलापों की देखरेख करते हैं। महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण (डी जी एम ई टी) विभाग का मुखिया है। डी जी एम ई टी के नियंत्रण में सम्बद्ध चिकित्सालयों सहित छः चिकित्सा महाविद्यालय, आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, मेरठ, झॉंसी एवं गोरखपुर में है तथा इसके अतिरिक्त कानपुर स्थित उपचारिका विद्यालय, हृदय रोग संस्थान एवं जे के कैंसर संस्थान के मुखिया प्रधानाचार्य/निदेशक है। वित्त नियंत्रक जो निदेशालय अथवा महाविद्यालयों में नियुक्त है, वित्तीय प्रबन्धन सहित अनुदान/विनियोजन पर नियन्त्रण के लिये उत्तरदायी है। निदेशालय स्तर पर वित्त नियन्त्रक विभाग का मुख्य आन्तरिक लेखा परीक्षक भी है।

5-3 ys[kk i jh{kk dk mnns ;

लेखा परीक्षा का उद्देश्य यह आंकलित करना था कि :

- व्यय पर उचित नियन्त्रण सुनिश्चित करने के लिये बजटीय और व्यय नियंत्रण प्रभावी और दक्ष थे।
- भण्डार प्रबन्धन और चल सम्पत्तियों पर नियन्त्रण कार्यरत एवं प्रभावी था।
- विभाग को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु अनुश्रवण नियन्त्रण प्रभावी थे।
- आंतरिक लेखा परीक्षा की संरचना प्रभावी थी।

5-4 ys[kk i jh{kk ds eki n.M

आन्तरिक नियन्त्रण की दक्षता और प्रभावशीलता का आंकलन :

- वित्तीय हस्त पुस्तिका;
- बजट मैनुएल; और
- शासनादेशों, परिपत्रों और महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा के अन्य निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में किया गया।

5-5 ys[kk i jh{kk dk vkPNknu , oa fof/k

लेखा परीक्षा में वर्ष 2003-06 की अवधि के लिये शासन द्वारा संचालित कुल छः महाविद्यालयों में से झॉंसी, आगरा, कानपुर स्थित प्रधानाचार्य चिकित्सा महाविद्यालयों और उससे सम्बद्ध चिकित्सालयों, निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर, प्रधानाचार्य,

उपचारिका महाविद्यालय कानपुर और डी जी एम ई टी, लखनऊ के कार्यालयों के अभिलेखों की अप्रैल 2006 से अगस्त 2006 के मध्य नमूना जाँच की गई थी। महत्वपूर्ण बिन्दु जो प्रकाश में आये उन्हें निम्न प्रस्तारों में उल्लिखित किया गया है।

5-6 ys[kk ijh{kk ifj.kke

ctVh; fu; æ.k

वित्तीय वर्ष 2003-06 के अंतर्गत विभागीय बजट आबंटन व व्यय की स्थिति निम्न थी:-

%djkm+: i; se#

| o"l | cktV vkcvu | 0; ; | Lkeizk |
|---------|------------|--------|--------|
| 2003-04 | 130.55 | 119.89 | 10.66 |
| 2004-05 | 135.76 | 132.06 | 3.70 |
| 2005-06 | 288.86 | 264.45 | 24.41 |

निधियों के उपयोग एवं समर्पण से सम्बन्धित अभिलेखों के विश्लेषण में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये :

5-6-1 oru ds fy; sc<k; k gqk ctV ikDdyu

oru ctV c<k; s
tkus ds dkj .k
vR; f/kd cpræ
gpà

बजट मैनुएल के अनुसार कर्मचारियों का वेतन सम्बन्धी बजट प्राक्कलन स्वीकृत पद संख्या के स्थान पर कार्यरत व्यक्तियों के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए। वित्त विभाग ने भी बजट प्राक्कलन तैयार करने में इन प्राविधानों के अनुपालन हेतु निर्देश जारी किये थे (सितम्बर 2004)। तीन चिकित्सा महाविद्यालयों¹, हृदय रोग संस्थान कानपुर और उपचारिका महाविद्यालय, कानपुर के अभिलेखों के अनुसार 2003-06 के मध्य वेतन आदि का प्राक्कलन स्वीकृत पदों की संख्या के आधार पर प्रस्तावित किया गया था जिसमें रिक्त पद भी सम्मिलित थे। ऐसे बढ़ाकर बनाये गये प्राक्कलन डी जी एम ई टी को प्रस्तुत किये गये जिसे बिना उनकी जाँच किये वित्त विभाग को अग्रसारित कर दिया गया। इसके फलस्वरूप बहुत अधिक बचत हुयी (47 प्रतिशत से 74 प्रतिशत) और परिणाम स्वरूप वर्ष 2003-06 के मध्य 22.19 करोड़ रुपये समर्पित कर दिया गया। वेतन मद में वर्ष 2004-06 की अवधि में 16.13 करोड़ रुपये के अनुपूरक अनुदान का प्राविधान, इस शीर्ष के अंतर्गत अनुमानित बचतों का संज्ञान न लेने के परिणाम स्वरूप अंतिम रूप से 17.23 करोड़ रुपये की बचत हुयी। यदि अनुपूरक अनुदान का प्रस्ताव बनाते समय अनुमानित बचतों का संज्ञान लिया गया होता तो इन बचतों एवं परिणाम स्वरूप उसके समर्पण से बचा जा सकता था।

5-6-2 cprks dk l eiZk

foRrh; o"l ds var
%31 ekpòh es 38-77
djkm+: i; s dk
l eiZk

बजट मैनुएल के अनुसार वर्ष के अंतर्गत अनुमानित सभी बचतों को प्रत्येक वर्ष नियंत्रण अधिकारी द्वारा वित्त विभाग को विलम्बतम 25 जनवरी तक सूचित किया जाना चाहिए और समस्त अंतिम बचतों को वित्त विभाग को 25 मार्च तक अवश्य समर्पित कर दिया जाना चाहिए।

¹ झांसी, आगरा, कानपुर

5-6-3 वित्तीय नियमों के अनुसार कोई भी धन तुरन्त आवश्यकता के बिना आहरित नहीं किया जाना चाहिए। इसके विपरीत डी जी एम ई टी द्वारा 13.05 करोड़ रुपये वर्ष 2003-04 में, 15.07 करोड़ रुपये वर्ष 2004-05 में और 79.87 करोड़ रुपये वर्ष 2005-06 में आहरित किया गया जिसे महाविद्यालय/चिकित्सालयों के भवन निर्माण एवं उपकरण क्रय हेतु चिन्हित किया गया था तथा व्यपगत होने से बचाने के लिये सम्बन्धित वित्तीय वर्षों के अंत में किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ, के वैयक्तिक लेखा खाते में जमा कर दिया गया था। इन निधियों को चिकित्सा विश्वविद्यालय, जो डी जी एम ई टी के नियन्त्रण में नहीं था अन्तरित करके, धनराशि शासकीय खाते से बाहर कर दी गई। इन आहरणों ने सम्बन्धित वर्षों के व्यय को बढ़ा दिया। इस प्रकार वित्तीय नियमों की अनदेखी करने से विभाग के वित्तीय प्रतिवेदनों की विश्वसनीयता क्षीण हो गई।

वित्तीय नियमों के अनुसार कोई भी धन तुरन्त आवश्यकता के बिना आहरित नहीं किया जाना चाहिए। इसके विपरीत डी जी एम ई टी द्वारा 13.05 करोड़ रुपये वर्ष 2003-04 में, 15.07 करोड़ रुपये वर्ष 2004-05 में और 79.87 करोड़ रुपये वर्ष 2005-06 में आहरित किया गया जिसे महाविद्यालय/चिकित्सालयों के भवन निर्माण एवं उपकरण क्रय हेतु चिन्हित किया गया था तथा व्यपगत होने से बचाने के लिये सम्बन्धित वित्तीय वर्षों के अंत में किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ, के वैयक्तिक लेखा खाते में जमा कर दिया गया था। इन निधियों को चिकित्सा विश्वविद्यालय, जो डी जी एम ई टी के नियन्त्रण में नहीं था अन्तरित करके, धनराशि शासकीय खाते से बाहर कर दी गई। इन आहरणों ने सम्बन्धित वर्षों के व्यय को बढ़ा दिया। इस प्रकार वित्तीय नियमों की अनदेखी करने से विभाग के वित्तीय प्रतिवेदनों की विश्वसनीयता क्षीण हो गई।

5-6-4 भारतीय चिकित्सा परिषद के मानकों की पूर्ति हेतु चिकित्सा उपकरण क्रय करने के लिये वर्ष 2004-06 के मध्य 7.86 करोड़ रुपये की मांग के विपरीत मेडिकल कालेज, झॉंसी को 7.61 करोड़¹ रुपये का आबंटन प्राप्त हुआ था। मेडिकल कालेज द्वारा उपकरणों के क्रय पर जून 2005 में आबंटित 6.36 करोड़ रुपये में से 2.69 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया था। शेष 3.67 करोड़ रुपये डी जी एम ई टी को वापस कर दिया गया, जिन्होंने उसे डी जी एम यू लखनऊ के पी एल ए में रख दिया। महाविद्यालय द्वारा कहा गया (अप्रैल 2006) कि शेष 3.67 करोड़ रुपये के विपरीत केवल 1.37 करोड़ रुपये मूल्य के उपकरणों की ही आवश्यकता थी और 1.38 करोड़ रुपये की जो पी एम आर यूनिट क्रय करने के लिये स्वीकृत किया गया था, बुनियादी ढांचा एवं कर्मचारियों की कमी के कारण आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार बजट की मांग वास्तविक आवश्यकता का ऑकलन किये बगैर की गई थी और अधिक मांग के फलस्वरूप अप्रयुक्त धनराशि शासकीय खाते से बाहर रही।

भारतीय चिकित्सा परिषद के मानकों की पूर्ति हेतु चिकित्सा उपकरण क्रय करने के लिये वर्ष 2004-06 के मध्य 7.86 करोड़ रुपये की मांग के विपरीत मेडिकल कालेज, झॉंसी को 7.61 करोड़¹ रुपये का आबंटन प्राप्त हुआ था। मेडिकल कालेज द्वारा उपकरणों के क्रय पर जून 2005 में आबंटित 6.36 करोड़ रुपये में से 2.69 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया था। शेष 3.67 करोड़ रुपये डी जी एम ई टी को वापस कर दिया गया, जिन्होंने उसे डी जी एम यू लखनऊ के पी एल ए में रख दिया। महाविद्यालय द्वारा कहा गया (अप्रैल 2006) कि शेष 3.67 करोड़ रुपये के विपरीत केवल 1.37 करोड़ रुपये मूल्य के उपकरणों की ही आवश्यकता थी और 1.38 करोड़ रुपये की जो पी एम आर यूनिट क्रय करने के लिये स्वीकृत किया गया था, बुनियादी ढांचा एवं कर्मचारियों की कमी के कारण आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार बजट की मांग वास्तविक आवश्यकता का ऑकलन किये बगैर की गई थी और अधिक मांग के फलस्वरूप अप्रयुक्त धनराशि शासकीय खाते से बाहर रही।

5-7 व्यय नियन्त्रण यह सुनिश्चित करता है कि व्यय की विषय वस्तु सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित रीति से अधिकृत कर दी गयी है और किया गया व्यय वित्तीय औचित्य के विस्तृत एवं सामान्य सिद्धान्तों के अनुकूल है। विभाग के व्यय नियन्त्रणों की समीक्षा में निम्न तथ्य स्पष्ट हुये :

5-7-1 बजट मैनुएल के प्राविधानों के अनुसार, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में बहुत अधिक व्यय किया जाना, वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन माना जायेगा। चयनित महाविद्यालयों/संस्थानों के अभिलेखों के अनुसार आकस्मिक मद के अंतर्गत वर्ष

¹ 1.25 करोड़ रुपये : मार्च 2004 एवं 6.36 करोड़ रुपये : जून 2005

2003-06 के मध्य किये गये कुल व्यय का 51 से 94 प्रतिशत व्यय मार्च माह में ही किया गया था। $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 5-1 $\frac{1}{2}$

5-7-2 i kfo/kku ds fcuk 0; ;

foRrh; fu; eka ds
fo:) fuf/k; ka dk
foorL

बजट मैनुएल के अनुसार व्यय पर प्रभावी नियन्त्रण के लिये वितरण अधिकारी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि व्यय करने की प्राथमिक शर्तें पूर्ण कर ली गई हैं जैसे सक्षम अधिकारी की स्वीकृति और किसी भी व्यय को करने के पूर्व व्यय की जाने वाली समस्त धनराशि उसके निस्तारण पर रख दी गई हो। मेडिकल कालेज, कानपुर द्वारा वर्ष 2005-06 में एम सी आई उपकरणों के क्रय हेतु शासन द्वारा स्वीकृत 7.69 करोड़ रुपये की धनराशि में से 29.88 लाख रुपये का व्ययवर्तन पुस्तकों एवं जर्नल के क्रय हेतु किया गया। इसी प्रकार मेडिकल कालेज कानपुर एवं नर्सिंग कालेज कानपुर द्वारा उक्त प्रावधानों के विपरीत वर्ष 2003-06 में अन्य कार्यों हेतु आबंटित धनराशि से फर्नीचर, डीजल और डीजल जेनरेटर क्रय कर लिया गया।

5-7-3 vk'Skf/k LVkfdLVka dks vfu; fer Hkqrku

Mx@vk'Skf/k ds
Hkqrku ds l Ecdk
ea 'kk l ukns' kka dk
vuqjkyu u fd; k
tkuk

शासन द्वारा बनाई गई औषधि क्रय नीति (अप्रैल 2004) के अनुसार केवल औषधि निर्माता फर्म ही सीधे अथवा उनके एकल बिक्री प्रतिनिधियों/स्टाकिस्टों के माध्यम से निविदा प्रक्रिया में इस शर्त पर भाग ले सकती थीं कि स्टाकिस्टों द्वारा निर्माता कंपनी का मूल देयक प्रस्तुत किया जायेगा एवं भुगतान भी निर्माता कंपनी को ही किया जायेगा। मेडिकल कालेज आगरा एवं कानपुर से सम्बद्ध चिकित्सालयों तथा हृदय रोग संस्थान कानपुर द्वारा वर्ष 2004-06 की अवधि में क्रमशः 1.46 करोड़ रुपये, 1.52 करोड़ रुपये एवं 14.22 लाख रुपये की औषधियों का क्रय किया गया। यद्यपि दर अनुबंध निर्माता फर्मों से किये गये थे एवं आपूर्ति आदेश भी उन्हीं को दिये गये थे तथापि बिक्री प्रतिनिधियों/स्टाकिस्टों द्वारा औषधियों की आपूर्ति की गई एवं देयकों का भुगतान भी उन्हीं के द्वारा प्राप्त किया गया। महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा ने बताया (अगस्त 2006) कि केवल निर्माता फर्मों को ही भुगतान किये जाने सम्बन्धी शासनादेशों/निर्देशों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

5-7-4 funkku l Ecl/kh mi dj.kka dh LFKki uk o l pkyu gsrq fd; k x; k =fVi wkl vuqcdk

वित्तीय नियमों के अनुसार किसी भी अनुबंध/करार की शर्तों एवं प्रतिबन्धों को संक्षिप्त एवं स्पष्ट होना चाहिये जिससे उसमें संदिग्धता अथवा तोड़ मरोड़ की कोई गुंजाइश न हो। वित्तीय दबाव के परिपेक्ष्य में, राज्य द्वारा संचालित समस्त चिकित्सा महाविद्यालयों में दस वर्षीय पट्टे के आधार पर निजी फर्मों को निदान सम्बन्धी उपकरण जैसे सीटी स्कैन, एम आर आई और कलर डायलर स्थापित और संचालित करने हेतु अनुमति देने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया (जनवरी 2003)। शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार जॉच सम्बन्धी शुल्क, संचालकों द्वारा उन मरीजों से लिया जाना था जिन्हें शासकीय चिकित्सालयों द्वारा भेजा जाय। इस प्रकार लिये गये शुल्क का दस प्रतिशत शासकीय खाते में जमा किया जाना था। इस सुविधा का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने हेतु ऐसे भेजे गये समस्त मरीजों की संख्या सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रेषित करने का निर्देश, सचिव, चिकित्सा शिक्षा द्वारा दिया गया था (सितम्बर 2005)।

funkku mi dj.kka
dh LFKki uk ,oa
l pkyu dh l e;
l kj.kh l fu'fpr
ugh dh x; h

यह देखा गया कि डी जी एम ई टी द्वारा पॉच चिकित्सा महाविद्यालयों¹ में उपकरणों को स्थापित करने हेतु चयनित निजी फर्मों से किये गये अनुबंध (फरवरी से अगस्त 2003) में स्थापना व संचालन हेतु कोई निश्चित समय नहीं दर्शाया गया था। झाँसी

¹ आगरा, इलाहाबाद, गोरखपुर, झाँसी तथा कानपुर

और आगरा में कोई उपकरण स्थापित नहीं किया गया था और गोरखपुर (जुलाई 2005) तथा कानपुर (मार्च 2006) में स्थापना में विलम्ब हुआ। यद्यपि शासन द्वारा आगरा में अनुबन्ध निरस्त करने का आदेश (सितम्बर 2005) दे दिया था, झॉसी के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया था (अगस्त 2006)। इसके अतिरिक्त, जहाँ उपकरण स्थापित भी किये गये थे वहाँ मरीजों को जाँच के लिये नहीं भेजा जा रहा था। व्यवस्था के अनुसार न तो कोई प्रतिवेदन शासन को प्रेषित किया गया था न ही डी जी एम ई टी द्वारा इसके उपयोग की वस्तुस्थिति का अनुश्रवण किया गया। इस प्रकार त्रुटिपूर्ण अनुबंधों और अनुश्रवण न करने के कारण जनता बेहतर चिकित्सकीय जाँच सम्बन्धी सुविधा से वंचित हो गई।

5-7-5 fo | r eW; dh de ol yih

नियंत्रण अधिकारी द्वारा वास्तविक मीटर गणना के आधार पर आबंटियों से विद्युत मूल्य की वसूली हेतु विभागीय आवासों में विद्युत सब-मीटर स्थापित करने का निर्देश (मई 2003) शासन द्वारा दिया गया था। चिकित्सा महाविद्यालय, झॉसी एवं सम्बद्ध चिकित्सालय में न तो सब मीटर ही स्थापित किये गये थे न ही टैरिफ¹ दर के अनुसार वसूली की गई थी। इसके विपरीत नवम्बर 2002 से प्लैट दर जो वास्तविक विद्युत खपत से सम्बन्धित नहीं था, का प्रयोग वसूली के लिये किया गया था। फलस्वरूप आबंटियों² से 10.98 लाख रुपये (मई 2006) कम की वसूली हुयी। प्रधानाचार्य ने संदर्भित शासनादेश के सम्बन्ध में अनभिज्ञता प्रकट की (मई 2006)।

5-8 Hk.Mkj i xU/ku , oa | kexh fu; U=.k

चूँकि क्रय किये गये भण्डार एवं स्कन्ध विभागीय सम्पत्तियों के भाग होते हैं इसलिये उनके समुचित अभिलेखों का रख-रखाव एवं प्रभावी सामग्री नियन्त्रण आवश्यक होता है। निम्न बिन्दु परिलक्षित हुये :

5-8-1 vi ; klr Hk.Mkj i xU/ku

Hk.Mkj dh d'nh;
b'loa/jh dk u cuk; k
t'kuk

मेडिकल कालेज, कानपुर में 2003-06 के मध्य धनराशि 7.93 करोड़ रुपये³ के क्रय किये गये चिकित्सा उपकरणों के लिये केन्द्रीय भण्डार लेखे एवं लेजर का रख-रखाव नहीं किया गया था। प्रधानाचार्य द्वारा उपकरण क्रय किये गये थे और मॉग करने वाले विभाग को सीधे निर्गत कर दिये गये थे, यद्यपि आपूर्ति आदेश से यह स्पष्ट था कि क्रय किये जाने वाले उपकरणों का लेखांकन एवं निर्गमन केन्द्रीय भण्डार के माध्यम से किया जायेगा। इस प्रकार आपूर्ति, निर्गमन एवं शेष सम्बन्धी अभिलेखों का केन्द्रीय भण्डार लेखा न बनाये जाने के परिणाम स्वरूप उचित सामग्री नियंत्रण का अभाव था। प्रधानाचार्य ने बताया (मई 2006) कि केन्द्रीय भण्डार स्तर पर उपकरणों के जांच की सुविधा न होने के कारण इन उपकरणों को जांच, स्थापना एवं संचालन हेतु सीधे विभागों को आबंटित कर दिया गया था। प्रधानाचार्य का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि सम्बन्धित विभाग द्वारा उपकरणों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के उपरांत भण्डार लेखे में आवश्यक अंकन किया जा सकता था।

5-8-2 vfuLrkfjr fu"i t; k'f; @d.Me Hk.Mkj

वित्तीय नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ष भौतिक सत्यापन के समय निष्प्रयोज्य भंडार की पहचान की जानी चाहिये एवं उन्हें नीलामी द्वारा शीघ्रतिशीघ्र निस्तारित किया जाना

¹ टाईप-4(1243 रुपये प्रतिमाह), टाईप-3 (937 रुपये प्रतिमाह), टाईप-2 (537 रुपये प्रतिमाह)

² 41 टाईप-4, 20 टाईप-3, 34 टाईप-2

³ 60.36 लाख रुपये (2003-04), 99.99 लाख रुपये (2004-05) तथा 6.33 करोड़ रुपये (2005-06)

चाहिये। इसके विपरीत चिकित्सा महाविद्यालय, झॉसी में डी जी एम ई टी की स्वीकृति के अभाव में अनुपयोगी एवं निष्प्रयोज्य सामग्रियों (मूल्य 8.62 लाख रुपये) का निस्तारण

नहीं किया गया था। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत वर्ष 1980 में छः चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रयोग हेतु प्रदान की गई तीन बेड फोर्ड चल उपचार वाहन जो वर्ष 1988 से अप्रयुक्त पड़ी हुयी थी, के निस्तारण हेतु शासन की स्वीकृति अपेक्षित थी (अग्रस्त 2006)।

5-9 vuϕo.k fu; U=.k

डी जी एम ई टी द्वारा शैक्षणिक एवं चिकित्सकीय क्रियाकलापों का अनुश्रवण किया जाना था। अनुश्रवण नियन्त्रण के मूल्यांकन से निम्न तथ्य परिलक्षित हुये :

5-9-1 I dk; , oa i jkfpfdRI dh; dfez; ka dh deh

I dk;

I dk; , oa
i jkfpfdRI k dfez; ka
dh deh dk vuϕo.k
ugha fd; k x; k

समीक्षा अवधि में डी जी एम ई टी के नियंत्रणाधीन चिकित्सा महाविद्यालयों/संस्थानों में संकाय यथा आचार्य, सहआचार्य एवं सहायक आचार्य/प्रवक्ता की स्थिति निम्नवत थी :

| Ok"kl | Lohdr in | Hkjs in | fjDr |
|-----------------------|----------|---------|------|
| | vkpk; l | | |
| 2003-04 | 154 | 72 | 82 |
| 2004-05 | 154 | 72 | 82 |
| 2005-06 | 154 | 128 | 26 |
| l g vkpk; l | | | |
| 2003-04 | 220 | 154 | 66 |
| 2004-05 | 217 | 119 | 98 |
| 2005 | 217 | 166 | 51 |
| Lkgk; d vkpk; @i dDrk | | | |
| 2003-04 | 384 | 239 | 147 |
| 2004-05 | 395 | 208 | 187 |
| 2005-06 | 395 | 63 | 332 |

यद्यपि आचार्य एवं सहआचार्य की स्थिति में प्रोन्नति द्वारा सुधार हुआ किन्तु सहायक आचार्य/प्रवक्ता पद की रिक्तियों में वृद्धि हुयी जिससे चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित हुयी। इसी प्रकार उपचारिका महाविद्यालय, कानपुर में प्रवक्ता के सात स्वीकृत पदों में से पाँच एवं उपचार निर्देशकों के छः स्वीकृत पदों में से तीन पद समीक्षा अवधि में रिक्त थे। रिक्तियों को भरने का प्रस्ताव डी जी एम ई टी/शासन स्तर पर लम्बित था।

ijkpfdRI k dehl

छ: चिकित्सा महाविद्यालयों¹ से सम्बद्ध चिकित्सालयों एवं हृदयरोग संस्थान तथा जे के कैंसर संस्थान, कानपुर में पराचिकित्सकीय कर्मियों की मार्च 2006 तक की स्थिति निम्नवत थी :

| lkn dk uke | Lohdr | Hkjs in | fjDr in |
|-----------------|-------|---------|---------|
| लैब टैक्नीशियन | 237 | 207 | 30 |
| अन्य टैक्नीशियन | 53 | 43 | 10 |
| उपचारिकायें | 1117 | 972 | 145 |

उपरोक्त कर्मियों से चिकित्सालय के कार्य सम्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त लैब टेक्नीशियनों की कमी के बावजूद कानपुर एवं आगरा में उनसे लेखाकार का कार्य लिया जा रहा था।

5-9-2 vi ; klr cM vkdi h

35 vkg 61
ifr'kr ds e/;
cM vkdi h Fkh
tks ,e l h vkbz
ekud l s de Fkh

मेडिकल काउन्सिल आफ इन्डिया ने अपनी निरीक्षण आख्या (अक्टूबर-2003) में संकाय/पराचिकित्सा कर्मियों की कमी तथा चिकित्सालयों में विद्यमान अस्वास्थ्यकर स्थितियों का उल्लेख किया था। एम सी आई ने पहले भी वर्ष 1995 में इसी प्रकार की टिप्पणी की थी। इसके परिणाम स्वरूप चिकित्सालय में रोगी शैय्या खाली पड़े थे। एम सी आई मानकों के अनुसार न्यूनतम आवश्यक आक्रूपेंसी दर 60 से 80 प्रतिशत थी। जब कि नमूना जाँच में चयनित मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों एवं जे के कैंसर संस्थान, कानपुर में आक्रूपेंसी दर 35 से 61 प्रतिशत के मध्य पायी गई। प्रसंगवश उल्लेखनीय है कि हृदय रोग संस्थान कानपुर में समीक्षा अवधि में शत प्रतिशत आक्रूपेंसी पंजीकृत की गई थीं। शासन ने बताया (अक्टूबर 2006) कि बेड आक्रूपेंसी सुधारने हेतु चिकित्सकों एवं पराचिकित्सा कर्मियों की रिक्तियों को भरने के प्रयास किये जा रहे थे।

5-9-3 vekl; LukrdkRrj , oa mi kf/k i = i kB; Øe

fpfdRI k egkfo | ky; ka
ea ekU; rk foghu ijk
Lukrd@fMIykek
dkl l pyk; s tk jgs Fks

चिकित्सा महाविद्यालयों एवं डी जी एम ई टी के अभिलेखों से प्रकाश में आया कि विभाग के उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य के विपरीत विभिन्न संवर्गों में अत्यधिक रिक्तियों होने के बावजूद चिकित्सा महाविद्यालयों (चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर के अतिरिक्त) द्वारा 25 स्नातकोत्तर (पीजी) एवं उपाधिपत्र पाठ्यक्रम (113 सीटें), जो एम सी आई से मान्यता प्राप्त नहीं थे $\frac{1}{2}$ चलाये जा रहे थे। इसी प्रकार उपचारिका महाविद्यालय, कानपुर द्वारा द्विवर्षीय पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स (क्षमता 25 सीटें) चलाया जा रहा था जिसकी मान्यता नर्सिंग काउन्सिल आफ इन्डिया से नहीं मिली थी (अगस्त 2006)।

गैर मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त समीक्षा अवधि में चिकित्सा महाविद्यालय, झाँसी ने मान्यता प्राप्त पीजी पाठ्यक्रमों में क्षमता से अधिक प्रवेश दिया था, जो निम्न प्रकार है :

¹ आगरा, इलाहाबाद, गोरखपुर, झाँसी, कानपुर, मेरठ

| Øe l a; k | lkb; Øe dk uke | l hVks dh l a; k | lkoš k i klr Nk=ka dh l a; k | | |
|--------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------|---------|
| | | | 2003&04 | 2004&05 | 2005&06 |
| 1. | एम डी मेडिसिन | 4 | 7 | 7 | 7 |
| 2. | एम एस सर्जरी | 4 | 6 | 6 | 4 |
| 3. | एम डी पीडियाट्रिक्स | 2 | 6 | 6 | 6 |

एम सी आई से गैर मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम चलाना तथा स्वीकृत संख्या से अधिक छात्रों के प्रवेश की अनुमति प्रदान करना विभाग के गुणवत्तापरक चिकित्सा शिक्षा के स्पष्ट उद्देश्य के विपरीत था। शासन ने भी इन गैर मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों को चलाने की अनुमति प्रदान की थी और ऐसे उत्तीर्ण छात्रों की जीवनवृत्ति को संकट में डाल दिया था।

5-9-4 tš&fpfdRI dh; vif'k"V dk vi; klr i cl/ku

i; kbj .k l j {k.k
vf/kfu; e ds
vllrkr tš&
fpfdRI dh;
vif'k"V fu; eka dk
vuqkyu u djuk

विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति के साथ-साथ केन्द्र एवं प्रदेश सरकार के विभिन्न नियमों एवं अधिनियमों के अनुपालन का अनुश्रवण करना डी जी एम ई टी का दायित्व था। चिकित्सकीय महाविद्यालयों में इन्सीनेरेटर की स्थापना हेतु भारत सरकार ने 1.02 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करने की स्वीकृति दी थी (मार्च 2001)। इस धनराशि से प्रदेश सरकार ने आगरा एवं इलाहाबाद चिकित्सा महाविद्यालयों में इन्सीनेरेटर की स्थापना हेतु दिसम्बर 2002 में 96 लाख रुपये की स्वीकृति दी थी और शेष 6 लाख रुपये डी जी एम ई टी के पास अप्रयुक्त पड़ा रहा (अगस्त 2006)।

चूंकि इन्सीनेरेटर से निकलने वाली गैसों ताजमहल के लिये हानिकारक समझी गई अतः स्टेट पाल्यूसन कन्ट्रोल बोर्ड (एस पी सी बी) ने आवश्यक अनुमति नहीं दी जिससे आगरा में इन्सीनेरेटर की स्थापना नहीं की जा सकी। महाविद्यालय के घनी बस्ती में स्थित होने के कारण एस पी सी बी ने इलाहाबाद में भी इन्सीनेरेटर के स्थापना की अनुमति नहीं दी। इसके फलस्वरूप इस उद्देश्य हेतु स्वीकृत राशि मार्च 2003 से बैंक खाते में पड़ी थी (अगस्त 2006)। एस पी सी बी की संस्तुति पर शासन ने आगरा में इन्सीनेरेटर के स्थान पर हाइड्रोक्लेव की स्थापना का निर्णय लिया (नवम्बर 2005)। हाइड्रोक्लेव की भी स्थापना अगस्त 2006 तक नहीं की जा सकी थी।

चिकित्सा महाविद्यालय आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, मेरठ एवं झाँसी के प्रधानाचार्यों ने सम्बन्धित नगर निगमों द्वारा संचालित कामन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट की वैकल्पिक व्यवस्था का अपशिष्ट निस्तारण हेतु अनुसरण किया। तथापि गोरखपुर में अपशिष्ट निस्तारण की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। जैव-चिकित्सकीय अपशिष्ट को ठोस अपशिष्टों से अलग न करने एवं इसको कामन फैसिलिटी केन्द्र तक ले जाने की उपयुक्त सुविधा के अभाव में जैव-चिकित्सकीय अपशिष्ट निस्तारण व्यवस्था संतोषजनक नहीं थी, जिससे पर्यावरण विभाग ने इन वैकल्पिक उपायों को भी पर्याप्त नहीं पाया (मई 2006)।

इस प्रकार निधियों की उपलब्धता के बावजूद डी जी एम ई टी द्वारा समय से वैकल्पिक तकनीकों की स्थापना एवं अनुश्रवण की असफलता के कारण

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्राविधानित जैव-चिकित्सकीय अपशिष्ट (संचालन एवं प्रबंधन) नियमों का अनुपालन नहीं किया गया। लेखा परीक्षा की पहल पर डी जी एम ई टी ने सभी चिकित्सा महाविद्यालयों को जैव-चिकित्सकीय अपशिष्ट निस्तारण हेतु हाइड्रोक्लेव आदि की तत्काल स्थापना करने के निर्देश जारी (सितम्बर 2006) किये थे।

5-10 vkrfjd ys{kk i jh{kk

fnl Ecj 2003 l s
vkrfjd ys{kk
i jh{kk vfØ; k'khy
Fkh

सभी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं संस्थानों की लेखा परीक्षा संपादित करने हेतु विभाग के पास डी जी एम ई टी कार्यालय में वित्त नियंत्रक के पर्यवेक्षण में एक आंतरिक लेखा परीक्षा इकाई (आई ए यू) थी जिसमें शासन द्वारा एक वरिष्ठ लेखा परीक्षक एवं चार लेखा परीक्षकों के पद स्वीकृत थे। लेखा परीक्षकों के चार स्वीकृत पदों के सापेक्ष विभाग ने वर्ष 2003-04 में स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर दो लेखा परीक्षकों की सेवायें ली थीं। इन्हें नवम्बर 2003 में वापस कर दिया गया था और आई ए यू दिसम्बर 2003 से ही अक्रियाशील था।

आंतरिक लेखा परीक्षा व्यवस्था का मुखिया होने के कारण वित्त नियंत्रक विभागीय आन्तरिक लेखा परीक्षा मैनुएल बनाने के लिए उत्तरदायी थे जिसमें लेखा परीक्षा के लिये दिशा निर्देश हों और विभाग के महाविद्यालयों/संस्थानों की लेखा परीक्षा हेतु वार्षिक कैलेन्डर भी बनाने के लिए जिम्मेदार थे। लेखा परीक्षा के सिद्धान्तों और कार्य व्यवहार को निर्धारित करते हुए कोई विभागीय आंतरिक लेखा परीक्षा मैनुएल अथवा लेखा परीक्षा मानक नहीं बनाया गया था (अगस्त 2006)। उच्च जोखिम क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर आच्छादित करने हेतु कोई कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी। सात इकाइयों के आच्छादन हेतु वर्ष 2003-04 के लिए बनाये गये वार्षिक लेखा परीक्षा कैलेन्डर को पूरा नहीं किया गया था क्योंकि मात्र पाँच इकाइयों की ही लेखा परीक्षा की गई थी।

5-11 fu"d"kl

व्यय प्रवाह के अनुश्रवण हेतु बजट नियंत्रण प्रभावी नहीं था जिसके फलस्वरूप वर्ष के अंत में निधियों का समर्पण मार्च माह में व्यय की बहुलता और बजट अनुदानों को व्यपगत होने से बचाने के लिये निधियों को पी एल ए में जमा करना पड़ा। व्यय नियन्त्रण भी शिथिल था जिससे अनियमित भुगतान, निधियों का अपवर्जन तथा शासन के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा सका। सम्पत्ति के समुचित नियन्त्रण हेतु भण्डार लेखा नहीं बनाया गया था। चिकित्सा महाविद्यालयों में संकाय की रिक्तियों तथा चिकित्सालयों में परा-चिकित्सा कर्मियों की रिक्तियों का प्रभावशाली ढंग से अनुश्रवण नहीं किया गया था जिससे बहुत से पद वर्षों तक रिक्त पड़े रहे। इसके साथ ही स्नातकोत्तर एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को बिना एम सी आई की मान्यता के चलाया गया। कर्मचारियों की कमी के कारण विभाग में आन्तरिक लेखा परीक्षा अक्रियाशील थी।

l lrf; kW

- शासन को विभाग में बजट एवं व्यय नियन्त्रण और प्रभावी बनाना चाहिये।
- भण्डार एवं उपकरण पर प्रभावी सम्पत्ति सूची नियन्त्रण हेतु केन्द्रीय भण्डार लेखा बनाया जाना चाहिये।

- चिकित्सा महाविद्यालयों एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों में रिक्तियों का सूक्ष्मता से अनुश्रवण किया जाना चाहिये जिससे कर्मचारियों की कमी के कारण गुणवत्तापरक चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधा प्रभावित न हो ।
- चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा चलाये जा रहे गैर मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की मान्यता मेडिकल कौंसिल ऑफ इन्डिया से प्राप्त कर लेनी चाहिये ।
- नियमों एवं आदेशों के अनुपालन का गहराई से अनुश्रवण सुनिश्चित करने हेतु आन्तरिक लेखा परीक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाना चाहिये ।

उपरोक्त बिन्दुओं को शासन को संदर्भित किया गया था (सितम्बर 2006) एवं एकिजट कान्फ्रेस में (अक्टूबर 2006) विचार विमर्श किया गया जिसमें शासन द्वारा तथ्यों एवं आँकड़ों की पुष्टि की गई तथा संस्तुतियों की प्रशंसा की गई। शासन से उत्तर भी प्राप्त हुआ था (अक्टूबर 2006) और जहाँ उचित था उसे वहाँ सम्मिलित किया गया था।


bykgkckn
fnukd % 16 vi sy] 2007



Principal
प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)
उत्तर प्रदेश

ifrgLrk{kfj r

ubl fnYyh
fnukd % 20 vi sy] 2007



Controller and Principal
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

ifj'k"V&1.1

(1 nHk% iLrj 1-1; i"B 2)

Hkx&v % ljdkjh ys[kka dk <kpk , oa Lo: i

ldkjh ys[kka dk <kpk : राज्य सरकार के लेखों को तीन भागों में रखा गया है—
 $\frac{1}{3}$ समेकित निधि $\frac{1}{3}$ आकस्मिकता निधि तथा $\frac{1}{3}$ लोक लेखा।

Hkx-I l efd r fuf/k

राज्य सरकार की समस्त राजस्व प्राप्तियां, ट्रेजरी बिलों के जरिये उगाहे गये समस्त ऋण, आन्तरिक एवं वाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋणों के भुगतान हेतु प्राप्त समस्त धनराशि एक समेकित निधि का गठन करेगा जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अन्तर्गत गठित 'राज्य की समेकित निधि' नाम से जाना जाता है।

Hkx-II vkdfLedrk fuf/k

संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अन्तर्गत राज्य की आकस्मिकता निधि का गठन होता है जो एक प्रकार का अग्रदाय है जिसमें से अति आवश्यक अनपेक्षित व्यय के पूरा करने हेतु अग्रिम लिया जाता है जो राज्यपाल के अधिकार में है। इस प्रकार के व्यय हेतु तथा बाद में इसी के बराबर की धनराशि के समेकित निधि से आहरण हेतु विधान मण्डल की संस्तुति प्राप्त की जाती है। निधि बाद में प्राप्त की जाती है जिससे आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिमों की प्रतिपूर्ति की जाती है।

Hkx-III ykd ys[kk.

प्राप्तियों एवं वितरणों से सम्बन्धित कुल लेनदेनों यथा लघु बचतों, भविष्य निधि, संचित निधियों, निक्षेपों, उचन्त, प्रेषण इत्यादि जो समेकित निधि के भाग नहीं होते, संविधान की धारा 266(2) के अन्तर्गत लोक लेखा में रखा जाता है एवं वे राज्य विधायिका के द्वारा मतदान का विषय नहीं होते हैं।

Hkkx&c

(InHkZ % iLrj 1-1; i"B 2)

foRr ys[ks dk [kkdk

| fooj.k | [kkdk |
|------------------|---|
| fooj.k I a; k 1 | राज्य सरकार के लेन-देनों के सारांश को प्रदर्शित करता है—राज्य के लोक लेखे, आकस्मिकता निधि तथा समेकित निधि में प्राप्तियों एवं व्यय, राजस्व तथा पूंजी, लोक ऋण प्राप्तियां तथा संवितरण इत्यादि। |
| fooj.k I a; k 2 | में वर्ष 2005-06 के अन्त तक पूंजीगत परिव्यय आगे की ओर बढ़ने वाले व्यय का संक्षिप्त विवरण शामिल है। |
| fooj.k I a; k 3 | सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम, उनकी राजस्व प्राप्तियों, कार्यशील व्यय तथा रखरखाव प्रभारों, पूंजीगत परिव्यय, शुद्ध लाभ अथवा हानि इत्यादि को देता है। |
| fooj.k I a; k 4 | राज्य की ऋण स्थिति को संक्षिप्त में इंगित करता है जिसमें आन्तरिक ऋण, भारत सरकार से कर्ज, अन्य दायित्व एवं ऋण सेवायें शामिल हैं। |
| fooj.k I a; k 5 | सरकार द्वारा वर्ष के दौरान दिये गये ऋण एवं अग्रिमों, किये गये पुनर्भूगतानों लम्बित वसूलियों इत्यादि की संक्षिप्त रूप रेखा देता है। |
| fooj.k I a; k 6 | सांविधिक निगमों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थानों द्वारा लिये गये ऋण इत्यादि के पुनर्भूगतान हेतु सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रत्याभूतियों को संक्षिप्त में प्रस्तुत करता है। |
| fooj.k I a; k 7 | रोकड़ शेष तथा इस तरह के शेषों से निवेश की संक्षिप्त रूपरेखा देता है। |
| fooj.k I a; k 8 | 31 मार्च 2006 को समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अन्तर्गत शेष को प्रदर्शित करता है। |
| fooj.k I a; k 9 | वर्ष 2005-06 के अंतर्गत विभिन्न लेखा शीर्षों के राजस्व एवं व्यय को राजस्व/व्यय के कुल प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। |
| fooj.k I a; k 10 | वर्ष के दौरान किये गये दत्तमत्त एवं प्रभारित व्यय के बीच विभाजन को इंगित करता है। |
| fooj.k I a; k 11 | लघु शीर्षों द्वारा राजस्व प्राप्तियों के विस्तृत लेखे को प्रदर्शित करता है। |
| fooj.k I a; k 12 | पृथक रूप में आयोजनेत्तर, राज्य आयोजनागत तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत राजस्व व्यय को लघु शीर्षों द्वारा तथा पूंजीगत व्यय का मुख्य शीर्षवार लेखा प्रस्तुत करता है। |
| fooj.k I a; k 13 | वर्ष 2005-06 के दौरान एवं अन्त तक किये गये विस्तृत पूंजीगत व्यय को प्रदर्शित करता है। |
| fooj.k I a; k 14 | वर्ष 2005-06 के अन्त तक सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी बैंकों एवं सोसाइटियों में राज्य सरकार के निवेश का विस्तृत विवरण दर्शाता है। |
| fooj.k I a; k 15 | वर्ष 2005-06 के अन्त तक पूंजीगत तथा अन्य व्यय तथा प्रमुख स्रोत जिनसे निधियों को व्यय हेतु प्रदान किया गया, को प्रदर्शित करता है। |
| fooj.k I a; k 16 | ऋण, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के अन्तर्गत सम्बन्धित लेखा शीर्षों के प्राप्तियों, संवितरणों तथा शेषों का विस्तृत लेखा देता है। |
| fooj.k I a; k 17 | उत्तर प्रदेश सरकार के ऋण तथा अन्य ब्याज सम्बन्धी दायित्वों का विस्तृत लेखा प्रदर्शित करता है। |
| fooj.k I a; k 18 | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम वर्ष के दौरान प्रतिदान की राशि, 31 मार्च 2006 का शेष तथा वर्ष के दौरान प्राप्त किये गये ब्याज को दर्शाता है। |
| fooj.k I a; k 19 | रक्षित निधि से रखे गये शेष का विस्तृत विवरण देता है। |

Hkkx&I

(I nHkZ% iLrj 1-3; i" B 5)

v/; k; 1 es iz, Ør 'kCnka dh I ph rFkk mudh x.kuk dk vk/kkj

| 'kCn | x.kuk ds vk/kkj |
|--|---|
| प्राचल की उत्प्लावकता | प्राचल की वृद्धि दर स रा घ उ वृद्धि |
| प्राचल (एक्स) की उत्प्लावकता अन्य प्राचल (वाई) के संदर्भ में | प्राचल (एक्स) की वृद्धि दर प्राचल (वाई) की वृद्धि दर |
| वृद्धि दर (आर ओ जी) | $[(\text{वर्तमान वर्ष की धनराशि} / \text{विगत वर्ष की धनराशि}) - 1] \times 100$ |
| विकास पर व्यय | सामाजिक सेवायें + आर्थिक सेवायें |
| राज्य द्वारा औसत ब्याज भुगतान | ब्याज भुगतान / $[(\text{विगत वर्ष की राजकोषीय देयतायें} + \text{वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयतायें}) / 2] \times 100$ |
| ब्याज विस्तार | स रा घ उ वृद्धि - आंकलित ब्याज दर |
| मात्रा विस्तार | ऋण स्टॉक x ब्याज विस्तार |
| बकाये ऋण से ब्याज प्राप्ति का प्रतिशत | प्राप्त ब्याज $[(\text{प्रारम्भिक अवशेष} + \text{ऋण एवं अग्रिम का अंतिम अवशेष}) / 2] \times 100$ |
| राजस्व घाटा | राजस्व प्राप्तियाँ - राजस्व व्यय |
| राजकोषीय घाटा | राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + शुद्ध ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्तियाँ - विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ |
| प्रारम्भिक घाटा | राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान |
| वर्तमान राजस्व से शेष (बी सी आर) | राजस्व प्राप्तियाँ - लेखा शीर्ष 2048 - ऋण की कमी अथवा परिहार्य हेतु विनियोग के अंतर्गत व्यय को छोड़कर समस्त आयोजनागत अनुदान तथा आयोजनेत्तर व्यय |

i f j f' k" V & 1.2

(l n h k z % i L r j 1-1-4 ; i " B 4)

j k T ; d s v i u s j k t d k s' k h ; l q k k j i F k d s l p d k a d k i f j . k k e

(d j k M + : i ; s e)

| en | 2003-04 okLrfod | 2004-05 i n & okLrfod | 2005-06 ch bl | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2005-10 ; kx |
|--|--------------------|--------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| V- jktLo y f k k | | | | | | | | | |
| 1. स्वयं का कर राजस्व | 13601.22 | 15684.50 | 18290.58 | 19780.00 | 22640.00 | 25913.52 | 29660.36 | 33948.95 | 131942.83 |
| 2. स्वयं का करेत्तर राजस्व | 2282.08 | 2718.86 | 2247.19 | 2247.19 | 2641.90 | 2782.47 | 2931.74 | 3090.27 | 13693.57 |
| 3. स्वयं का कर + करेत्तर राजस्व (1+2) | 15883.30 | 18403.36 | 20537.77 | 22027.19 | 25281.90 | 28695.99 | 32592.10 | 37039.22 | 145636.40 |
| 4. केन्द्रीय कर एवं शुल्क का राज्यांश | 13272.97 | 14724.65 | 17046.23 | 18306.23 | 20167.93 | 23141.59 | 26612.77 | 30671.38 | 118899.90 |
| 5 आयोजनागत अनुदान | 1912.47 | 3721.82 | 3848.46 | 3712.91 | 4046.84 | 4414.17 | 4818.22 | 5262.79 | 22254.83 |
| 6 आयोजनेतर अनुदान | 569.22 | 317.12 | 1235.15 | 2019.45 | 3101.49 | 3232.02 | 3375.57 | 3533.47 | 15262.00 |
| 7 कुल केन्द्रीय हस्तांतरण (4 से 6) | 15754.66 | 18763.59 | 22129.84 | 24038.59 | 27316.26 | 30787.78 | 34806.56 | 39467.54 | 156416.73 |
| 8 कुल राजस्व (3+7) | 31637.96 | 37166.95 | 42667.61 | 46065.78 | 52598.16 | 59483.77 | 67398.66 | 76506.76 | 302053.13 |
| 9 आयोजनागत व्यय | 3275.97 | 5016.97 | 7090.44 | 5641.91 | 6283.03 | 6996.64 | 7791.35 | 8676.71 | 35389.64 |
| 10 आयोजनेतर व्यय | 34667.75 | 39612.59 | 40980.64 | 44021.08 | 47972.97 | 53599.48 | 58408.66 | 64170.77 | 268172.96 |
| 11 वेतन व्यय | 12444.82 | 13679.64 | 16012.45 | 15380.20 | 16303.01 | 17281.19 | 18318.06 | 19417.14 | 86699.59 |
| 12 पेंशन | 2900.10 | 3591.28 | 4149.58 | 4727.53 | 5021.87 | 5336.60 | 5673.30 | 6033.50 | 26792.80 |
| 13 ब्याज भुगतान | 10123.60 | 11865.24 | 10792.08 | 10092.00 | 11299.00 | 12383.00 | 13630.00 | 14888.00 | 62292.00 |
| 14 परिदान-सामान्य | 105.89 | 117.43 | 129.17 | 129.17 | 142.09 | 156.30 | 171.93 | 189.12 | 788.61 |
| 15 परिदान-ऊर्जा | 935.00 | 1001.80 | 1287.00 | 1251.80 | 1501.80 | 1700.00 | 1700.00 | 1700.00 | 7853.60 |
| 16 कुल राजस्व व्यय (9+10) | 37943.72 | 44629.56 | 48071.08 | 49662.99 | 54256.00 | 60596.12 | 66200.01 | 72847.48 | 303562.60 |
| 17 वेतन+ब्याज भुगतान+पेंशन (11+12+13) | 25468.52 | 29136.16 | 30954.11 | 30199.71 | 32623.88 | 35000.79 | 37621.36 | 40338.64 | 175784.39 |
| 18 राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत (17/8) | 80.50 | 78.39 | 72.55 | 65.56 | 62.02 | 58.84 | 55.82 | 52.73 | 58.20 |
| 19 राजस्व अधिशेष/घाटा | -6305.76 | -7462.60 | -5403.47 | -3597.21 | -1657.84 | -1112.35 | 1198.65 | 3659.28 | -1509.47 |
| 20 बकाया ऋण | 106407.04 | 119926.10 | 129154.91 | 132311.50 | 144056.28 | 155781.36 | 166610.87 | 177228.00 | 775988.01 |
| C- l e f d r j k t L o y f k k | | | | | | | | | |
| 1 ऊर्जा क्षेत्र के वास्तविक परिदान हस्तांतरण का शुद्ध घाटा/लाभ | 1083.00 | 2108.00 | 2186.00 | 2186.00 | 2152.00 | 1776.00 | 1208.00 | 418.00 | 7740.00 |
| 2 वर्ष में ऊर्जा उपयोग लेख के कर्जदारों में बढ़ोतरी [बढ़ोतरी(-)] | 1070.00 | 1180.00 | 1170.00 | 1170.00 | 1031.00 | 854.00 | 617.00 | 309.00 | 3981.00 |
| 3 बजट से इतर ऋण पर ब्याज भुगतान एवं पी एस यू/एस पी यू द्वारा बजट से इतर एस पी वी ऋण | 521.77 | 517.26 | 531.12 | 531.12 | 594.18 | 743.00 | 827.14 | 862.77 | 3558.21 |
| 4 ; kx (1 से 3) | 2674.77 | 3805.26 | 3887.12 | 3887.12 | 3777.18 | 3373.00 | 2652.14 | 1589.77 | 15279.21 |
| 5 l e f d r j k t L o ? k k v k (अ 19+ब 4) | 8980.53 | 11267.87 | 9290.59 | 7484.33 | 5435.02 | 4485.35 | 1453.49 | -2069.51 | 16788.68 |
| I - l e f d r _ . k | | | | | | | | | |
| 1 बकाया ऋण एवं देयताएं | 107490.04 | 122034.10 | 131340.91 | 134497.50 | 146208.28 | 157557.36 | 1678183.87 | 177646.00 | 783728.01 |
| 2 कुल बकाया प्रतिभूतियां जिनमें बजट से इतर ऋण की प्रतिभूति एवं एस पी वी ऋण शामिल हैं | 10354.32 | 11154.32 | 11954.32 | 11954.32 | 12754.32 | 13544.32 | 14354.32 | 15154.32 | 67771.60 |
| n- i a t h r y f k k | | | | | | | | | |
| 1 पूंजीगत परिव्यय | 3448.52 | 5652.10 | 7897.91 | 9154.47 | 9769.92 | 10278.31 | 11675.73 | 13905.41 | 54783.84 |
| 2 ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण | 1242.37 | 681.98 | 592.71 | 710.52 | 714.68 | 771.85 | 833.60 | 900.29 | 3930.94 |
| 3 ऋण एवं अग्रिमों की वसूली | 220.36 | 277.63 | 361.51 | 1076.80 | 397.66 | 437.43 | 481.17 | 529.29 | 2922.35 |
| 4 अन्य पूंजीगत प्राप्तियां | 38540.58 | 37688.77 | 24464.98 | 26492.19 | 21818.14 | 21631.10 | 21277.25 | 20834.14 | 112052.82 |
| ; l d y j k t d k s' k h ; ? k k v k (th, QMh) | 10776.29 | 13519.06 | 13532.58 | 12385.40 | 11744.78 | 11725.08 | 10829.91 | 10617.13 | 57301.90 |
| 1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (करोड़ रुपये में) वर्तमान मूल्य पर | 217673.14 | 229413.80 | 256943.46 | 256943.46 | 287776.67 | 322309.87 | 360987.06 | 404305.50 | 1632322.56 |
| 2 वास्तविक/कल्पित सामान्य वृद्धि दर (%) | --- | --- | --- | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | --- |
| d y 0 ; ; | 42414.25 | 50686.01 | 56200.19 | 58451.18 | 64342.94 | 71208.85 | 78228.17 | 87123.89 | 359355.03 |

12277.40 करोड़ रुपये के अतिरिक्त (यू पी एस ई बी के बट्टे खाते की धनराशि)

सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों के अध्यापकों एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों के वेतन (सहायता अनुदान) शामिल हैं।

ऊर्जा बंधपत्र के 5871.83 करोड़ रुपये

| en | 2003-04 okLrfod | 2004-05 iud&okLrfod | 2005-06 ch bl | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2005-10 ; ks |
|---|--------------------|------------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 स्वयं का कर राजस्व की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता | 6.25% | 6.84% | 7.12% | 7.70% | 7.87% | 8.04% | 8.22% | 8.40% | 8.08% |
| 2 स्वयं का करेत्तर राजस्व की सकल राज्यघरेलू उत्पाद से प्रतिशतता | 1.05% | 1.19% | 0.87% | 0.87% | 0.92% | 0.86% | 0.81% | 0.76% | 0.84% |
| 3 स्वयं का कर+करेत्तर राजस्व की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता | 7.30% | 8.02% | 7.99% | 8.57% | 8.79% | 8.90% | 9.03% | 9.16% | 8.90% |
| 4 केन्द्रीय करों के राज्यांश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता | 6.10% | 6.42% | 6.63% | 7.12% | 7.01% | 7.18% | 7.37% | 7.59% | 7.28% |
| 5 आयोजनागत अनुदान की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता | 0.88% | 1.62% | 1.50% | 1.45% | 1.41% | 1.37% | 1.33% | 1.30% | 1.36% |
| 6 आयोजनेतर अनुदान की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता | 0.26% | 0.14% | 0.48% | 0.79% | 1.08% | 1.00% | 0.93% | 0.87% | 0.93% |
| 7 कुल केन्द्रीय हस्तांतरण की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता | 7.24% | 8.18% | 8.61% | 9.36% | 9.49% | 9.55% | 9.64% | 9.76% | 9.58% |
| 8 कुल राजस्व प्राप्तियों की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता | 14.53% | 16.20% | 16.61% | 17.93% | 18.28% | 18.46% | 18.67% | 18.92% | 18.50% |
| 9 आयोजनागत व्यय की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता | 1.50% | 2.19% | 2.76% | 2.20% | 2.18% | 2.17% | 2.16% | 2.15% | 2.17% |
| 10 आयोजनेतर व्यय की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता | 15.93% | 17.27% | 15.95% | 17.13% | 16.67% | 16.63% | 16.18% | 15.87% | 16.43% |
| 11 वेतन व्यय की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता | 5.72% | 5.96% | 6.23% | 5.99% | 5.67% | 5.36% | 5.07% | 4.80% | 5.21% |
| 12 पेंशन की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता | 1.33% | 1.56% | 1.61% | 1.84% | 1.75% | 1.66% | 1.57% | 1.49% | 1.64% |
| 13 ब्याज भुगतान की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता | 4.65% | 5.17% | 4.20% | 3.93% | 3.93% | 3.84% | 3.78% | 3.68% | 3.82% |
| 14 परिदान-सामान्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 15 परिदान-ऊर्जा की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता | 0.43% | 0.44% | 0.50% | 0.49% | 0.52% | 0.53% | 0.47% | 0.42% | 0.48% |
| 16 कुल राजस्व व्यय की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता | 17.43% | 19.45% | 18.71% | 19.33% | 18.85% | 18.80% | 18.34% | 18.02% | 18.60% |
| 17 वेतन+ब्याज भुगतान+पेंशन की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता | 11.70% | 12.70% | 12.05% | 11.75% | 11.34% | 10.86% | 10.42% | 9.98% | 10.77% |
| 18 राजस्व अधिशेष /घाटे की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता | -2.90% | -3.25% | -2.10% | -1.40% | -0.58% | -0.35% | 0.33% | 0.51% | -0.09% |
| 19 पूंजीगत परिव्यय की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता | 1.58% | 2.46% | 3.07% | 3.56% | 3.39% | 3.19% | 3.23% | 3.44% | 3.36% |
| 20 ऋण एवं अग्रिम के संवितरण की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता | 0.58% | 0.30% | 0.23% | 0.28% | 0.25% | 0.24% | 0.23% | 0.22% | 0.24% |
| 21 ऋण एवं अग्रिम की वसूली की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता | 0.10% | 0.12% | 0.14% | 0.42% | 0.14% | 0.14% | 0.13% | 0.13% | 0.18% |
| 22 अन्य पूंजीगत प्राप्तियों की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता | 17.71% | 16.43% | 9.52% | 10.31% | 7.58% | 6.71% | 5.89% | 5.15% | 6.86% |
| 23 सकल राजकोषीय घाटे की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता | 4.95% | 5.89% | 5.27% | 4.82% | 4.08% | 3.64% | 3.00% | 2.63% | 3.51% |
| 24 बकाया लोक ऋण की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता | 48.9% | 52.3% | 50.3% | 51.5% | 50.1% | 48.3% | 46.2% | 43.8% | % |
| 25 समेकित ऋण की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता | 49.4% | 53.2% | 51.1% | 52.3% | 50.8% | 48.9% | 46.5% | 43.9% | 48.0% |

i f j f' k"V&1.3

(l nHkZ % i Lrj 1-3 , oa 1-7 ; i "B 5 , oa 17)

31 ekpl 2006 dks mRrj i ns'k l j d k j dh foRrh; fLFkfr dk l f{klr l k j

(djkM+ #i ; s e)

| 31.3.2005 dks | ns rk; ; | | 31-3-2006 dks |
|------------------|--|-----------|------------------|
| 64591.37 | vkllrfjd __.k | | 74451.96 |
| 26317.84 | ब्याज भारत बाजार ऋण | 28325.44 | |
| 43.07 | ब्याज भार रहित बाजार ऋण | 42.76 | |
| (-)3.57 | जीवन बीमा निगम से ऋण | (-)10.78 | |
| 9329.07 | अन्य संस्थानों से ऋण | 9590.48 | |
| 28910.17 | निर्गत विशेष प्रतियुक्तियां | 36534.75 | |
| (-)5.21 | भारतीय रिजर्व बैंक से अर्धोपाय अग्रिम | (-)30.69 | |
| 24614.05 | dlnz l j d k j l s __.k , oa vfxe | | 23758.57 |
| 519.77 | 1984-85 से पहले का ऋण | 9.96 | |
| 1043.07 | आयोजनेतर ऋण | 145.39 | |
| 22753.26 | राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण | 23298.91 | |
| 1.37 | केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण | 1.26 | |
| 308.03 | केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के लिए ऋण | 301.62 | |
| (-)11.45 | केन्द्र सरकार से अर्धोपाय अग्रिम | 1.43 | |
| 15343.38 | vYi cprj Hkfo"; fuf/k; ka vkfn | | 17230.42 |
| 10750.86 | tek | | 14163.38 |
| 16101.73 | vkj f{kr fuf/k; ka | | 19263.46 |
| 98.02 | fj to l c d e a tek | | ----- |
| 131499.41 | ; kx | | 148867.79 |
| 31 ekpl 2005 dks | i f j l E i f R r ; ka | | 31 ekpl 2006 dks |
| 49509.90 | vpy l E i f R r ; ka i j l d y i n t h x r i f j 0 ; ; | | 58221.13 |
| 12310.47 | कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश | 13174.81 | |
| 37199.43 | पूंजीगत परिव्यय | 45046.32 | |
| 8060.79 | __ .k , oa vfxe | | 8159.58 |
| 3370.51 | विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण | 3125.89 | |
| 4811.95 | अन्य विकास ऋण | 5178.08 | |
| (-)121.67 | सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं विविध ऋण | (-)144.39 | |
| 891.77 | आकस्मिकता निधि | | 776.02 |
| 45.20 | आरक्षित निधियों में निवेश | | 45.20 |
| 5.74 | अग्रिम | | 6.63 |
| 103.87 | उच्चत एवं विविध शेष | | (-)652.47 |
| 625.08 | प्रेषण शेष | | 485.32 |
| 193.36 | j k d M + | | 8494.69 |
| 0.64 | कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण | 1.80 | |
| ----- | रिजर्व बैंक में जमा | 148.74 | |
| 12.37 | विभागीय रोकड़ शेष | 13.77 | |
| 0.34 | स्थायी अग्रिम | 0.34 | |
| 180.01 | रोकड़ शेष निवेश | 8330.04 | |
| 72063.70 | l j d k j h y s k a e a ? k k V k | | 73331.69 |
| 6992.91 | (I) चालू वर्ष का राजस्व घाटा | 1267.99 | |
| 65070.79 | (II) संचित घाटा | 72063.70 | |
| 131499.41 | ; kx | | 148867.79 |

ifj'k"V&1.4

(I nHk% iLrj 1.3; i" B 5)

o"K 2005&06 ds fy, i kflr; ka , oa l forj. ka dk l kj

(djkm+ #i; se)

| i kflr; ka | | | Lforj. k | | | | |
|------------|--|----------|----------|--|-------------|---------------|--------------|
| 2004-05 | [k.M d& jktLo | 2005-06 | 2004-05 | | vk; kst urj | vk; kst uk xr | ; kx 2005-06 |
| 37617.44 | A- jktLo i kflr; ka | 45349.15 | 44610.35 | A- jktLo 0; ; | 40172.33 | 6444.81 | 46617.14 |
| 15692.67 | कर राजस्व | 18858.10 | 22761.43 | I kekl; I dk; 1 | 20875.07 | 44.61 | 20919.68 |
| 2720.29 | करेत्तर राजस्व | 2930.32 | 13089.72 | I kekf t d I dk; 1 | 10878.56 | 4731.14 | 15609.70 |
| 15055.20 | संघीय करों में राज्यांश | 18202.93 | 7272.46 | शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति | 7210.64 | 1579.25 | 8789.89 |
| 334.90 | आयोजनेत्तर अनुदान | 2026.50 | 2037.25 | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 1806.58 | 789.03 | 2595.61 |
| 2399.95 | राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान | 1916.24 | 564.64 | जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास | 79.79 | 673.55 | 753.34 |
| 1414.43 | केन्द्रीय तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं हेतु अनुदान | 1415.06 | 18.31 | सूचना एवं प्रसारण | 19.55 | 4.77 | 24.32 |
| | | | 1370.88 | अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | 583.45 | 883.82 | 1467.27 |
| | | | 115.39 | श्रम तथा श्रमिक कल्याण | 113.07 | 17.51 | 130.58 |
| | | | 1686.90 | समाज कल्याण तथा पोषण | 1039.32 | 779.21 | 1818.53 |
| | | | 23.89 | अन्य | 26.16 | 4.00 | 30.16 |
| | | | 6976.27 | Vkffkd I dk; 1 | 6086.78 | 1669.06 | 7755.84 |
| | | | 1397.11 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध क्रियाकलाप | 1133.48 | 346.92 | 1480.40 |
| | | | 1700.36 | ग्राम्य विकास | 1487.79 | 771.63 | 2259.42 |
| | | | 36.37 | विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम | ----- | 49.50 | 49.50 |
| | | | 1580.34 | सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण | 1141.46 | 249.27 | 1390.73 |
| | | | 189.44 | उद्योग एवं खनिज | 109.80 | 180.94 | 290.74 |
| | | | 1443.89 | ऊर्जा | 1352.95 | 48.10 | 1401.05 |
| | | | 517.41 | परिवहन | 763.75 | 0.78 | 764.53 |
| | | | 5.60 | विज्ञान, तकनीक एवं पर्यावरण | 2.10 | 5.50 | 7.60 |
| | | | 105.75 | सामान्य आर्थिक सेवायें | 95.45 | 16.42 | 111.87 |
| | | | 1782.93 | I gk; d vupku , oa v k nku | 2331.92 | ----- | 2331.92 |
| 6992.91 | II- jktLo ?kV k [k.M [k dks i f'kr | 1267.99 | | II- jktLo vf/ k' k' k [k.M [k dks i f'kr | | | |
| 44610.35 | ; kx [k.M [k& vU; | 46617.14 | 44610.35 | ; kx | | | 46617.14 |
| (-)196.25 | III- i k j f e H k d j k c d M+ ' k s k L F k k ; h v f x e , o a j k c d M+ ' k s k f u o s k l f g r | 95.16 | | III- H k j r h ; f j t o l c d l s i k j f e H k d v r ; k g j . k | | | |
| | IV. fofo/ k i n t h x r i k f l r ; k a | | 5653.35 | IV. i n t h x r i f j 0 ; ; | 539.22 | 8172.01 | 8711.23 |
| | | | 255.43 | I kekl; I dk; 1 | 55.54 | 258.00 | 313.54 |
| | | | 496.22 | I kekf t d I dk; 1 | 16.70 | 1142.13 | 1158.83 |
| | | | 106.62 | शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति | ---- | 322.12 | 322.12 |
| | | | 217.64 | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | ---- | 471.82 | 471.82 |
| | | | 127.77 | जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास | 9.74 | 257.43 | 267.17 |
| | | | ----- | सूचना एवं प्रसार | 6.70 | 2.22 | 8.92 |
| | | | 34.50 | अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | ----- | 78.80 | 78.80 |
| | | | 4.50 | समाज कल्याण तथा पोषण | ---- | 5.34 | 5.34 |
| | | | 5.19 | अन्य | 0.26 | 4.40 | 4.66 |
| | | | 4901.70 | Vkffkd I dk; 1 | 466.98 | 6771.88 | 7238.86 |
| | | | 954.33 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध क्रियाकलाप | 25.21 | 206.34 | 231.55 |
| | | | 508.64 | ग्राम्य विकास | ---- | 663.19 | 663.19 |
| | | | 319.19 | विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम | --- | 546.30 | 546.30 |
| | | | 878.66 | सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण | ----- | 1641.27 | 1641.27 |
| | | | 1046.18 | ऊर्जा | ---- | 760.08 | 760.08 |
| | | | (-)10.38 | उद्योग एवं खनिज | 145.91 | 20.27 | 166.18 |
| | | | 1192.17 | परिवहन | 295.86 | 2891.14 | 3187.00 |
| | | | (-)2.54 | विज्ञान तकनीक एवं पर्यावरण | ---- | ---- | ---- |
| | | | 15.45 | सामान्य आर्थिक सेवायें | ---- | 43.29 | 43.29 |

| 2004-05 | i kflr; ka | | 2004-05 | Lforj .k | | 2005-06 |
|--------------------|--|----------|----------|--|----------|----------|
| 277.63 | V-- .kka , oa vfxeka dh ol nyh | 585.05 | 628.98 | V- l forfjr .k rFkk vfxe | | 683.84 |
| 132.07 | उद्योग एवं खनिज से | 25.89 | 288.34 | उद्योग एवं खनिज को | 112.18 | |
| ----- | विद्युत परियोजनाओं से | 334.53 | | विद्युत परियोजनाओं को | 89.91 | |
| 34.74 | सरकारी कर्मचारियों से | 33.12 | 19.39 | सरकारी कर्मचारियों को | 10.40 | |
| 110.82 | अन्य से | 191.51 | 321.25 | अन्य को | 471.35 | |
| ----- | VI- v/kkuhr jktLo vf/k' ksk | ----- | 6992.91 | VI- v/kkuhr jktLo ?kkVk | | 1267.99 |
| 17463.25 | VII- ykcl .k i kflr; ka | 14257.46 | 9156.70 | VII- ykcl .k dh vnk; xh | | 5252.34 |
| 14596.90 | अर्थोपाय अग्रिमों एवं अत्याहरण से भिन्न आन्तरिक ऋण | 13931.20 | 2902.57 | अर्थोपाय अग्रिम एवं अत्याहरण से भिन्न आन्तरिक ऋण | 4045.12 | |
| 25.48 ¹ | अर्थोपाय अग्रिम के (रिजर्व बैंक) अन्तर्गत शुद्ध लेनदेन | ----- | ----- | अर्थोपाय अग्रिम के अन्तर्गत शुद्ध लेनदेन | 25.48 | |
| 2840.87 | केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम (अर्थोपाय अग्रिम को छोड़कर) | 326.26 | 6254.13 | केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम | 1181.74 | |
| ----- | भारत सरकार से अर्थोपाय अग्रिम | ----- | ----- | भारत सरकार से अर्थोपाय अग्रिम | ----- | |
| ----- | VIII. vkdfLedrk fuf/k dks fofu; ksx | ----- | ----- | VIII. vkdfLedrk fuf/k dks fofu; ksx | | ----- |
| 75.69 | IX. vkdfLedrk fuf/k dks LFkkuklrfrj; jk' k | 298.52 | 43.31 | IX. vkdfLedrk fuf/k l s 0; ; | | 182.77 |
| 45212.58 | X. ykcl ys fki i kflr; ka | 52528.51 | 40262.49 | X. ykcl l dk l forj .k | | 43171.84 |
| 3225.60 | अल्प बचतें एवं भविष्य निधियां इत्यादि | 3605.37 | 1415.72 | अल्प बचतें एवं भविष्य निधियां इत्यादि | 1645.29 | |
| 2710.30 | आरक्षित निधियां | 3181.42 | 458.95 | आरक्षित निधियां | 19.70 | |
| 21787.00 | उचन्त एवं विविध | 20951.61 | 20785.91 | उचन्त एवं विविध | 20195.09 | |
| 5095.29 | प्रेषण | 8240.72 | 5001.06 | प्रेषण | 8100.96 | |
| 12394.39 | जमा तथा अग्रिम | 16549.39 | 12600.85 | जमा तथा अग्रिम | 13210.80 | |
| | XI. Hkkj rh; fjt ol ckl l s vR; kgj .k dk vflre vo' ksk | | 95.16 | XI. vlr ea jkclM+ ' ksk | | 8494.69 |
| | | | 0.18 | कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण | 0.68 | |
| | | | (-98.20) | रिजर्व बैंक में जमा | 148.74 | |
| | | | 12.71 | स्थानीय अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष | 14.11 | |
| | | | 180.01 | रोकड़ शेष निवेश | 8330.04 | |
| | | | 0.46 | लेनदेनों का प्रेषण | 1.12 | |
| 62832.90 | ; ksx | 67764.70 | 62832.90 | ; ksx | | 67764.70 |

¹ शुद्ध 20251 करोड़ रुपये की प्राप्तियों एवं 20225.52 करोड़ रुपये के संवितरण

ifj'k"V&1.5

(1 nHk% iLrj 1.3; i" B 5)

o"kl 2005&06 ds fy, fuf/k; ka ds l kr , oa mi ; ksx

(djkm+ #i ; se9)

| 2004-05 | l kr | 2005-06 |
|------------|--|-----------|
| 37617.44 | jktLo i kflr; ka | 45349.15 |
| 277.63 | _.kka , oa vfxeka dh ol ify; ka | 585.05 |
| 8306.55 | ykd _ .k ea of) | 9005.11 |
| 3293.52 | -ब्याज सहित विपणन ऋण | 2007.61 |
| (-)1.15 | -ब्याज सहित विपणन ऋण | (-)0.31 |
| (-)7.22 | -जीवन बीमा से ऋण | (-)7.22 |
| 8409.17 | -अन्य संस्थाओं से ऋण | 7885.98 |
| 25.48 | -अर्धोपाय अग्रिम (भारतीय रिजर्व बैंक) | (-)25.48 |
| | dlrh: I jdkj I s _ .k , oa vfxe | (-)855.48 |
| (-)134.53 | -1984-85 के पहले के ऋण | (-)509.81 |
| (-)4245.44 | -आयोजनेतर ऋण | (-)897.67 |
| 965.81 | -राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण | 545.65 |
| (-)0.11 | -केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण | (-)0.11 |
| 1.02 | -केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण | (-)6.42 |
| 0.00 | -केन्द्र सरकार से अर्धोपाय अग्रिम | 12.88 |
| 4950.09 | ykd yf'kks I s 'kq) i kflr; ka | 9356.68 |
| 1809.88 | -अल्प बचतों में वृद्धि | 1960.08 |
| (-)206.46 | -जमा और अग्रिमों में वृद्धि | 3338.59 |
| 2251.35 | -आरक्षित निधियों में वृद्धि | 3161.73 |
| 1001.09 | -उचन्त एवं विविध लेनदेनों का शुद्ध प्रभाव | 756.52 |
| 94.23 | -प्रेषण लेनदेनों का शुद्ध प्रभाव | 139.76 |
| 32.38 | &vkdfledr k fuf/k I s I Ec) yunuka dk 'kq) i Hkko | 115.75 |
| 51184.09 | ; ksx | 64411.74 |
| 2004-05 | mi ; ksx | 2005-06 |
| 44610.35 | jktLo 0; ; | 46617.14 |
| 628.98 | fokl , oa vl; mnns' ; ka ds fy, _ .k | 683.84 |
| 5653.35 | i wthxr 0; ; | 8711.23 |
| -- | vkdfledr k fuf/k I s I Ec/kr yunuka dk 'kq) i Hkko | ----- |
| 291.41 | vflre jkclM+ 'k'k ea of) | 8399.53 |
| 51184.09 | ; ksx | 64411.74 |

- 1 पूर्ववर्ती प्रदर्शकों में संक्षिप्त लेखों को वित्त लेख में दिये गये विवरणों एवं टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाय।
- 2 सरकारी लेखे मुख्यतया रोकड़ आधारित होते हैं, सरकारी लेखों में घाटे जैसा कि रोकड़ की स्थिति परिशिष्ट 1.1 में दिखायी गयी है, सम्भूति आधारित वाणिज्यिक लेखाओं से भिन्न है। फलस्वरूप, देय या प्राप्य मद या ह्रास अथवा भण्डार लेखा में विचलन इत्यादि मद लेखे में अंकित नहीं है।
- 3 उचन्त एवं विविध अवशेष में ऐसे निर्गत चेक जिनका भुगतान नहीं किया गया राज्य की ओर से किये गये भुगतान एवं अन्य लम्बित समाधान सम्मिलित हैं।

i f'f' k"V&1.6

(l nhlz % iLrj 1.3 , oa 1.7; i" B 5 , oa 17)

jkT; l jdkj ds foRr ds l e; c) vkadM\$

(dj km# ; s e9)

| | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Hkkx v& i kflr; ka | | | | | | |
| 1- jktLo i kflr; ka | 24743 | 25598 | 27821 | 31638 | 37617 | 45349 |
| (I) कर राजस्व | 10980(44) | 10330(40) | 12767(46) | 13601(43) | 15693(42) | 18858(42) |
| बिक्री कर / व्यापार कर | 6118(56) | 6163(59) | 7124(56) | 7684(56) | 8888(57) | 11285(60) |
| राज्य आबकारी | 2239(20) | 1961(19) | 2555(20) | 2472(18) | 2686(17) | 3089(16) |
| वाहन पर कर | 543(05) | 503(5) | 619(5) | 677(5) | 776(5) | 965(5) |
| मुद्रांक एवं पंजीकरण शुल्क | 1270(11) | 1429(14) | 2079(16) | 2296(17) | 2682(17) | 2997(16) |
| भू-राजस्व | 70(1) | 73(1) | 64(1) | 118(1) | 102(1) | 109(1) |
| अन्य कर | 740(7) | 260(2) | 326(2) | 354(3) | 559(3) | 413(2) |
| (II) करेत्तर राजस्व | 1945(8) | 1787(7) | 1913(7) | 2282(7) | 2720(7) | 2930(6) |
| (III) केन्द्रीय करों में राज्यश | 9045(37) | 10189(40) | 10832(39) | 13273(42) | 15055(40) | 18203(40) |
| (IV) भारत सरकार से सहायक अनुदान | 2773(11) | 3292(13) | 2309(8) | 2482(8) | 4149(11) | 5358(12) |
| 2- fofok i wthxr i kflr; ka | --- | ----- | --- | ----- | ----- | ----- |
| 3- dly jktLo , oa .k jfgr i wthxr i kflr; ka (1\$2) | 24743 | 25598 | 27821 | 31638 | 37617 | 45349 |
| 4- .k , oa vfxeka dh ol yjh | 296 | 366 | 219 | 12498 | 278 | 585 |
| 5- ykcl .k i kflr; ka | 9251 | 11383 | 12390 | 22110 | 17463 | 14257 |
| आन्तरिक ऋण (अर्थापय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट छोड़कर) | 6734(73) | 7936(70) | 9282(75) | 19029(86) | 14597(84) | 13931(98) |
| अर्थापय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत शुद्ध लेनदेन | --- | 690(6) | --- | --- | 25(0) | --- |
| भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम | 2517(27) | 2757(24) | 3108(25) | 3081(14) | 2841(16) | 326(2) |
| 6- l efdR fuf/k ea dly i kflr; ka (3\$4\$5) | 34290 | 37347 | 40430 | 66246 | 55358 | 60191 |
| 7- vkdfLedrk fuf/k i kflr; ka | 92 | 81 | --- | 52 | 76 | 299 |
| 8- ykcl .k i kflr; ka | 37567 | 36965 | 37327 | 46875 | 45213 | 52529 |
| 9- jkT; dh dly i kflr; ka (6\$7\$8) | 71949 | 74393 | 77757 | 113173 | 100647 | 113019 |
| Hkkx c&0; ; | | | | | | |
| 10- jktLo 0; ; | 31030(88) | 31793(89) | 32939(88) | 50221(83) | 44610(88) | 46617(83) |
| आयोजनागत | 3686(12) | 3561(11) | 3575(11) | 3276(7) | 5098(11) | 6445(14) |
| आयोजनेत्तर | 27344(88) | 28232(89) | 29364(89) | 46945(93) | 39512(89) | 40172(86) |
| सामान्य सेवायें (ब्याज भुगतान सहित) | 15155(49) | 16178(51) | 15583(47) | 19540(39) | 22761(51) | 20919(45) |
| आर्थिक सेवायें | 5572(18) | 5350(17) | 5883(18) | 18970(38) | 6976(16) | 7756(17) |
| सामाजिक सेवायें | 9219(30) | 9337(29) | 10308(31) | 10354(21) | 13090(29) | 15610(33) |
| सहायक अनुदान एवं अंशदान | 1084(3) | 928(3) | 1165(4) | 1357(3) | 1783(4) | 2332(5) |
| 11- i wthxr 0; ; | 3268(9) | 3556(10) | 3794(10) | 9320(15) | 5653(11) | 8711(16) |
| आयोजनागत | 2862(88) | 2671(75) | 3361(89) | 3437(37) | 4618(82) | 8172(94) |
| आयोजनेत्तर | 405(12) | 885(25) | 433(11) | 5883(63) | 1035(18) | 539(6) |
| सामान्य सेवायें | 106(3) | 128(4) | 330(9) | 224(2) | 255(4) | 313(4) |
| आर्थिक सेवायें | 2900(89) | 3217(90) | 3176(84) | 8767(94) | 4902(87) | 7239(83) |
| सामाजिक सेवायें | 261(8) | 211(6) | 288(7) | 329(4) | 496(9) | 1159(13) |
| 12- .k , oa vfxeka dk l forj .k | 918(3) | 526(1) | 804(2) | 1242(2) | 629(1) | 684(1) |
| 13- ; kx (10\$11\$12) | 35216 | 35875 | 37537 | 60783 | 50892 | 56012 |
| 14- ykcl .k dk i wthxrku | 2573 | 2942 | 6226 | 8988 | 9157 | 5252 |
| आन्तरिक ऋण (अर्थापय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट छोड़कर) | 509(20) | 1509(51) | 1811(29) | 2300(26) | 2903(32) | 4045(7) |
| अर्थापय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत शुद्ध लेनदेन | 534(21) | --- | 777(12) | --- | --- | 25(0) |
| भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम | 1530(59) | 1433(49) | 3638(59) | 6688(74) | 6254(68) | 1182(23) |
| 15- vkdfLedrk fuf/k l s fofu; kx | --- | ----- | --- | --- | --- | --- |
| 16- l efdR fuf/k l s dly l forj .k (13\$14\$15) | 37789 | 38817 | 43763 | 69771 | 60049 | 61264 |
| 17- vkdfLedrk fuf/k l forj .k | 414 | 10 | 69 | 85 | 43 | 183 |
| 18- ykcl ys'kk l forj .k | 32147 | 35397 | 34359 | 43480 | 40262 | 43172 |
| 19- jkT; }kjk dly l forj .k (16\$17\$18) | 70350 | 74224 | 78191 | 113336 | 100354 | 104619 |

| Hkkx l & ?kV/k | | | | | | |
|---|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 20- jktLo ?kV/k (1&10) | 6287 | 6195 | 5118 | 18583 | 6993 | 1268 |
| 21- jktcdksh; ?kV/k (3\$4\$13) | 10177 | 9911 | 9497 | 16647 | 12997 | 10078 |
| 22- ikjfeHkd ?kV/k (21&23) | 2725 | 1691 | 2437 | 6523 | 1124 | 980 |
| Hkkn n&vU; vkcdMs | | | | | | |
| 23- C; kt Hkqrku (jktLo 0; ; ea l fefyr) | 7452 | 8220 | 7060 | 10124 | 11873 | 9098 |
| 24- jktLo cdk; k (dj , oa djRrj jktLo ikflr; ka dh ifr'krk) | 7152(55) | 6589(54) | 5891(40) ¹ | 6376(40) | 7922(43) | 8772(40) |
| 25- LFkkh; fudk; ka vkfn dks foRrh; l gk; rk | 3839 | 2039 | 759 | 2835 | 3540 | 4960 |
| 26- vFkkk; vfxe , oa vkjMkV (fnol ka dh l ; k) | 312 | 179 | 203 | 247 | 256 | 41 |
| 27- vFkkk; vfxe@ vkjMkV ij t; kt | 40 | 26 | 33 | 44 | 49 | 5 |
| 28- l dy jkt; ?kjsymRi kn (th , l Mh ih) | 173068 | 181303 | 197426 | 217573 ² | 235678 ³ | 259778 ⁴ |
| 29- cdk; k _ . k (o"kkDr) | 80331 | 92982 | 102485 | 119240 | 131401 | 148868 |
| 30- cdk; k ifrHkr; ka (o"kkDr) | 7421 | 6997 | 6270 | 3601 | 10354 | 8433 |
| 31- ifrHkr dh x; h vf/kdre /kujkf'k (o"kkDr) | 16934 | 11013 | 10840 | 10549 | 22770 | 15073 |
| 32- viwkz ifj; kstukvka dh l ; k | 47 | 89 | 27 | 24 | 35 | 27 |
| 33- viwkz ifj; kstukvka ea vo#) i ut h | 6052 | 8053 | 2073 | 2336 | 5804 | 3551 |
| 34- jktLo mRlykodri@jkt; dk viuk dj | 1.457 | (-1.731) | 2.802 | 0.903 | 1.848 | 1.960 |

¹ व्यापार कर एवं मनोरंजन कर शामिल है। अन्य आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं

² वर्ष 2003-04 के स रा घ उ का आंकड़ा अस्थायी है

³ वर्ष 2004-05 के स रा घ उ का आंकड़ा त्वरित है

⁴ वर्ष 2005-06 के स रा घ उ का आंकड़ा अग्रिम है

i fj' k"V&1.7

(l nHkz % iLrj 1.6.5; i"B 17)

mi Hkksx i æk.ki =ka ds iLrj fd; s tkus ea foyEc

(yk[k #i; s e)

| Øe la0 | foHkks dk uke | okfNr mi Hkksx i æk.ki = | | vo'kks mi; kfxrk i æk.ki = (vunku) | | vo'kks mi; kfxrk i æk.ki = (..k) | | dy vo'kks mi; kfxrk i æk.ki = | |
|--------|-------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------|
| | | l d; k | /kujkf'k | l d; k | /kujkf'k | l d; k | /kujkf'k | l d; k | /kujkf'k |
| 1. | निदेशक, तकनीकी शिक्षा उ0प्र0 कानपुर | 25 | 1414.41 | 10 | 327.05 | --- | --- | 10 | 327.05 |
| 2. | निदेशक, खेल, लखनऊ | 5 | 359.08 | 02 | 128.53 | --- | --- | 02 | 128.53 |
| 3. | उच्च शिक्षा | 29 | 5865.29 | 16 | 4812.29 | --- | --- | 16 | 4812.29 |
| 4. | गैर पारम्परिक उर्जा | 21 | 1995.36 | 17 | 1203.10 | --- | --- | 17 | 1203.10 |
| 5. | पर्यावरण | 02 | 12.82 | 02 | 12.82 | --- | --- | 02 | 12.82 |
| 6. | सूडा | 02 | 1308.61 | 01 | 479.72 | --- | --- | 01 | 479.72 |
| 7. | स्थानीय निकाय | 626 | 3418.23 | 134 | 391.61 | --- | --- | 134 | 391.61 |
| 8. | नगर विकास अनुभाग 1 | 01 | 215.00 | 01 | 215.00 | --- | --- | 01 | 215.00 |
| 9. | नगर विकास अनुभाग 5 | 58 | 7993.52 | 55 | 4135.66 | 01 | 302.10 | 56 | 4437.76 |
| 10. | के जी एम यू लखनऊ | 18 | 2240.96 | 10 | 1896.78 | --- | --- | 10 | 1896.78 |
| 11. | चिकित्सा एवं स्वास्थ्य | 28 | 719.95 | 01 | 75.00 | -- | --- | 01 | 75.00 |
| 12. | परिवार कल्याण | 18 | 162.78 | 04 | 26.21 | --- | --- | 04 | 26.21 |
| 13. | अल्पसंख्यक कल्याण | 04 | 134.25 | 02 | 50.00 | --- | --- | 02 | 50.00 |
| 14. | आयुर्वेदिक यूनानी सेवाएँ | 03 | 100 | 01 | 11.03 | --- | --- | 01 | 11.03 |
| 15. | आवास एवं शहरी अनुभाग | 109 | 9224.76 | 109 | 1906.38 | --- | --- | 109 | 1906.38 |
| 16. | निदेशक, उद्योग, कानपुर | 58 | 13182.59 | 22 | 491.22 | --- | --- | 22 | 491.22 |
| 17. | हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग | 438 | 4459.61 | 242 | 2465.53 | 39 | 49.24 | 281 | 2514.77 |
| 18. | सहकारी समितियाँ | 18 | 483.36 | 03 | 54.32 | --- | --- | 03 | 54.32 |
| 19. | दुग्ध विकास | 169 | 1557.54 | 100 | 1131.54 | --- | --- | 100 | 1131.54 |
| 20. | आयुक्त, गन्ना | 6 | 1300.93 | 04 | 126.06 | --- | --- | 04 | 126.06 |
| 21. | आयुक्त, चीनी | 94 | 1510.11 | 88 | 108.97 | --- | --- | 88 | 108.97 |
| 22. | चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण | 1 | 5.00 | 00 | 000 | --- | --- | 000 | 000 |
| 23. | विज्ञान एवं तकनीकी | 4 | 560.00 | 00 | 000 | | | 000 | 000 |
| 24. | बाल विकास एवं पुष्टाहार | 2 | 9839.03 | 00 | 000 | --- | | 000 | 000 |
| 25. | साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा | 3 | 609.21 | 00 | 000 | | | 000 | 000 |
| 26. | उ0प्र0 पावर कारपोरेशन | 2 | 1051.92 | 00 | 000 | | | 000 | 000 |
| 27. | राज्य विद्युत उत्पादन निगम | 3 | 8028.00 | 00 | 000 | | | 000 | 000 |
| 28. | उद्यान एवं प्रसंस्करण | 8 | 482.55 | 00 | 000 | | | 000 | 000 |
| 29. | रामगंगा कमाण्ड | 1 | 2143.00 | 00 | 000 | | | 000 | 000 |
| 30. | मुख्य वन संरक्षक, उ0 प्र0 | 2 | 135.35 | 00 | 000 | | | 000 | 000 |
| 31. | कृषि निदेशालय, उ0 प्र0 | 2 | 24000.00 | 00 | 000 | | | 000 | 000 |
| 32. | आयुक्त, ग्राम्य विकास | 1 | 25748.00 | 00 | 000 | | | 000 | N000 |
| 33. | संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान | 2 | 4489.78 | 01 | 271.99 | | | 1 | 271.99 |
| 34. | राज्य पिछडा वर्ग आयोग | 1 | 75.00 | 00 | 000 | | | 000 | 000 |
| 35. | सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास | 65 | 1004.25 | 00 | 000 | | | 000 | 000 |
| 36. | उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड | 12 | 3644.84 | 00 | 000 | | | 000 | 000 |
| 37. | पशुपालन विभाग | 2 | 115.00 | 00 | 000 | | | 000 | 000 |
| 38. | मत्स्य पालन | 70 | 400.00 | 00 | 000 | | | 000 | 000 |
| 39. | पर्यटन निदेशालय | 13 | 218.50 | 00 | 000 | | | 000 | 000 |
| 40. | संस्कृति निदेशालय | 9 | 183.25 | 00 | 000 | | | 000 | 000 |
| | ; kx | 1935 | 140391.84 | 825 | 20320.81 | 40 | 351.34 | 865 | 20672.15 |

ifj'k"V&1-8

(I nHkz% iLrj 1-6-6; i"B 17)

ys[kka dk viLrqrhdj.k

| Øe l d; k | foHkkx dk uke | o"kl ftl ds fy, ysk iLrqr ugha fd; s x; s |
|--------------|--|--|
| 1 | f'k{k %dkuij fo' ofo ky; ½ | 2003-04, 2004-05 एवं 2005-06 |
| 2 | ifjogu fuxe] y[kuÅ | 2005-06 |
| 3 | ds th , e ; j y[kuÅ | 2004-05, 2005-06 |
| 4 | mn; kx funs'kky;] dkuij | 2005-06 |
| 5 | l gdkfjrk foHkkx | 2005-06 |
| 6 | eRL; foHkkx | 2005-06 |
| 7 | m0i 0 jkT; phuh fuxe fyfeVM | 2005-06 |
| 8 | m0i 0 i koj dkj i kjs'ku] y[kuÅ | 2004-05, 2005-06 |
| 9 | Åtkl %xj i kjEifjd Åtkl fodkl l dFku½ | 2004-05, 2005-06 |

i f'k'V&1.9

(l nHkZ % iLrj 1.6.7; i"B 17)

Lok; Rr fudk; ka ds dk; Z fu"i knu dk l kj

| fudk; dk uke | ys[kkva dh ys[kki jh{kk l h-, -th- dks l k s tkus dh v ru vof/k | o"K tc l s ys[kk okfNr g | o"K tc rd ds ys[kk iLrj fd; s x; s | o"K tc rd dh ys[kki jh{kk fj i kZ fuxr dh x; h | o"K tc rd dh ys[kki jh{kk fj i kZ 'kkI u dks i f'kr dh x; h | vH; (Dr; kW |
|--|---|--------------------------------|---|---|---|---|
| वाराणसी जल संस्थान, वाराणसी अनुच्छेद 20(1) के अधीन लेखापरीक्षा | 2001-2010 | 2005-06 | 2000-01 | 2000-2001 | लागू नहीं | लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ एवं संबंधित इकाई को प्रेषित की जाती है। |
| लखनऊ जल संस्थान लखनऊ अनुच्छेद 20(1) के अधीन लेखापरीक्षा | 2001-2010 | 2005-06 | 2003-04 | 2003-04 | लागू नहीं | तदैव |
| झांसी जल संस्थान, झांसी अनुच्छेद 20(1) के अधीन लेखापरीक्षा | 2001-2010 | 2005-06 | 2002-03 | 2002-03 | लागू नहीं | तदैव |
| इलाहाबाद जल संस्थान, इलाहाबाद अनुच्छेद 20(1) के अधीन लेखापरीक्षा | 2001-2010 | 2005-06 | 1999-2000 | 1999-2000 | लागू नहीं | तदैव |
| आगरा जल संस्थान, आगरा अनुच्छेद 20(1) के अधीन लेखापरीक्षा | 2001-2010 | 2005-06 | 1997-98 | 1997-98 | लागू नहीं | तदैव |
| कानपुर जल संस्थान, कानपुर अनुच्छेद 20(1) के अधीन लेखापरीक्षा | 2001-2010 | 2005-06 | 2000-2001 | 2000-01 | लागू नहीं | तदैव |
| चित्रकूट जल संस्थान, चित्रकूट अनुच्छेद 20(1) के अधीन लेखापरीक्षा | 2001-2010 | 2005-06 | 2001-02 | 2001-02 | लागू नहीं | तदैव |
| उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ अनुच्छेद 19(3) के अधीन | 1999-2005 | 2005-06 | 2003-04 | 2001-02 | 2001-02 | वर्ष 2002-03 की रिपोर्ट संस्तुति की प्रक्रिया में है। |

ijf'k"V&1.10

(InHk% iLrj 1.6.8 ; i" B 17)

foHkxokj@o"kbkj izdj.kk dk fo?kVu ftuea vfre dk; bkgH
vDVWj 2006 rd yfEcr Fkh

(dkSBdk ea l q; k #i; syk[k ea bfxr djrh g)

| foHkx dk uke | 5 o"kk rd | 5 l s 10 o"kz | 10 l s 15 o"kz | 15 l s 20 o"kz | 20 l s 25 o"kz | 25 o"kk l s vf/kd | dy |
|------------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| कृषि | 3 (8.91) | --- | --- | 2 (0.34) | --- | --- | 5 (9.25) |
| पशुधन | 1 (3.20) | 2 (0.56) | 7 (2.12) | 5 (0.66) | --- | 1 (0.02) | 16 (6.56) |
| सहकारिता | --- | 1 (1.68) | 1 (0.17) | 1 (0.44) | --- | --- | 3 (2.29) |
| शिक्षा | --- | 1 (5.00) | --- | --- | --- | --- | 1 (5.00) |
| वित्त | --- | --- | --- | 1 (0.67) | --- | --- | 1 (0.67) |
| मत्स्य | --- | --- | 5 (2.11) | 1 (0.10) | 2 (1.00) | --- | 8 (3.21) |
| खाद्य एवं आपूर्ति | 1 (3.06) | --- | 2 (4.16) | 5 (20.90) | 1 (0.66) | --- | 9 (28.78) |
| सिचाई | --- | 1 (1.60) | --- | --- | --- | --- | 1 (1.60) |
| न्यायिक | --- | --- | --- | 1 (0.66) | --- | --- | 1 (0.66) |
| भूमि अध्याप्ति | --- | --- | --- | --- | --- | 3 (331.44) | 3 (331.44) |
| चिकित्सा एवं स्वास्थ्य | --- | 2 (1.93) | 4 (5.79) | 9 (9.98) | 3 (1.59) | --- | 18 (19.29) |
| पुलिस | --- | --- | 1 (1.21) | --- | 2 (2.50) | 2 (1.04) | 5 (4.75) |
| पी ए सी | --- | 1 (47.48) | --- | 1 (0.51) | --- | --- | 2 (47.99) |
| पी डब्ल्यू डी | 4 (20.32) | 1 (3.23) | --- | --- | --- | --- | 5 (23.55) |
| राजस्व | --- | --- | --- | 2 (1.40) | 1 (0.41) | --- | 3 (1.81) |
| ग्राम्य विकास | --- | --- | 3 (1.65) | 4 (0.73) | 2 (0.42) | 3 (1.04) | 12 (3.84) |
| समाज कल्याण | --- | --- | 1 (0.25) | --- | 1 (0.65) | 1 (0.05) | 3 (0.95) |
| प्राविधिक शिक्षा | --- | 1 (11.59) | --- | --- | --- | --- | 1 (11.59) |
| बॉट एवं माप | --- | --- | --- | 1 (1.01) | --- | --- | 1 (1.01) |
| dy | 9 (35.49) | 10 (73.07) | 24 (17.46) | 33 (37.40) | 12 (7.23) | 10 (333.59) | 98 (504.24) |

i f'f' k"V&1.11

(l nHkZ % iLrj 1.7.3 ; i"B 18)

i kQkekZ ys[k ds dh r\$ kjh dh yfEcr fLFkr

| Øe l ; k | foHkx dk uke | mi Øek d h l ; k | mi Øek dk uke | o"kl tc l s ys[k okfNr g | fVli . kh |
|----------|-------------------------|------------------|--|--------------------------|---|
| 1 | खाद्य एवं आपूर्ति विभाग | 1 | खाद्यान्न की सार्वजनिक वितरण प्रणाली | 2004-05 | वर्ष 2002-03 तक लेखे पूर्ण हैं। वर्ष 2003-04 के लेखे लेखा परीक्षा के अधीन |
| 2 | पशु चिकित्सा विभाग | 1 | राजकीय पशुधन एवं कृषि फार्म का समेकित लेखा | ----- | वर्ष 2003-04 तक लेखे पूर्ण हैं। वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 के लेखे लेखा परीक्षा के अधीन |
| 3 | सिंचाई विभाग | 7 | सिंचाई कार्यशाला खण्ड, मेरठ | ----- | वर्ष 2004-05 तक लेखे पूर्ण हैं। वर्ष 2005-06 के लेखे लेखा परीक्षा के अधीन |
| | | | सिंचाई कार्यशाला खण्ड, झांसी | ----- | वर्ष 2004-05 तक लेखे पूर्ण हैं। वर्ष 2005-06 के लेखे लेखा परीक्षा के अधीन |
| | | | सिंचाई कार्यशाला खण्ड, बरेली | ----- | वर्ष 2004-05 तक लेखे पूर्ण हैं। वर्ष 2005-06 के लेखे लेखा परीक्षा के अधीन |
| | | | सिंचाई कार्यशाला खण्ड, कानपुर | ----- | वर्ष 2003-04 तक लेखे पूर्ण हैं। वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 के लेखे लेखा परीक्षा के अधीन |
| | | | सिंचाई कार्यशाला खण्ड, इलाहाबाद | | वर्ष 2003-04 तक लेखे पूर्ण हैं। वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 के लेखे लेखा परीक्षा के अधीन |
| | | | सिंचाई कार्यशाला खण्ड, गोरखपुर | | वर्ष 2004-05 के लेखे अद्यतन हैं। वर्ष 2005-06 के लेखे लेखा परीक्षा के अधीन। बिना प्रारम्भिक अवशेष के वर्ष 1987-88 से तैयार लेखा |
| | | | उत्थापन खण्ड, फैजाबाद | 1985-86 | सृजन से लेखे तैयार नहीं |
| 4 | समाज कल्याण विभाग | 1 | क्रिमिनल ट्राइब्स सेटलमेंट टेलरिंग फैक्टरी, कानपुर | 1980-81 | |
| 5 | स्वास्थ्य विभाग | 1 | स्टेट फार्मैसी आफ आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी मेडिसिन | 1988-89 | |
| | ; ksx | 11 | | | |

ifj'k"V&1.12

(1 nHkZ % iLrj 1.7.3 ; i"B 18)

'kkl u }kj k foHkxh; okf.kFT; d mi Øeka ea fd; k x; k fuos'k

| Øe l ; k | foHkx dk uke | mi Øeka dh l ; k | mi Øeka dk uke | foxr ys[ks ds vuq kj fuos'k (yk[k : i ; se) | fVli .kh |
|----------|-------------------------|------------------|---|---|---|
| 1 | खाद्य एवं आपूर्ति विभाग | 1 | खाद्यान्न की सार्वजनिक वितरण प्रणाली | 5269.88 | वर्ष 2002-03 तक लेखे पूर्ण हैं। वर्ष 2003-04 के लेखे लेखा परीक्षा के अधीन |
| 2 | पशु चिकित्सा विभाग | 1 | राजकीय पशुधन एवं कृषि फार्म का समेकित लेखा | 659.76 | वर्ष 2003-04 तक लेखे पूर्ण हैं। वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 के लेखे लेखा परीक्षा के अधीन। |
| 3 | सिंचाई विभाग | 7 | सिंचाई कार्यशाला खण्ड, मेरठ | 22.81 | वर्ष 2004-05 तक लेखे पूर्ण हैं। वर्ष 2005-06 के लेखे लेखा परीक्षा के अधीन |
| | | | सिंचाई कार्यशाला खण्ड, झांसी | 52.94 | वर्ष 2004-05 तक लेखे पूर्ण हैं। वर्ष 2005-06 के लेखे लेखा परीक्षा के अधीन |
| | | | सिंचाई कार्यशाला खण्ड, बरेली | 148.22 | वर्ष 2004-05 तक लेखे पूर्ण हैं। वर्ष 2005-06 के लेखे लेखा परीक्षा के अधीन |
| | | | सिंचाई कार्यशाला खण्ड, कानपुर | 12.54 | वर्ष 2003-04 तक लेखे पूर्ण हैं। वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 के लेखे लेखा परीक्षा के अधीन |
| | | | सिंचाई कार्यशाला खण्ड, इलाहाबाद | 189.27 | वर्ष 2003-04 तक लेखे पूर्ण हैं। वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 के लेखे लेखा परीक्षा के अधीन |
| | | | सिंचाई कार्यशाला खण्ड, गोरखपुर | 143.98 | वर्ष 2004-05 के लेखे अद्यतन हैं। वर्ष 2005-06 के लेखे लेखा परीक्षा के अधीन। बिना प्रारम्भिक अवशेष के वर्ष 1987-88 से तैयार लेखा |
| | | | उत्थापन खण्ड, फैजाबाद | 00.00 | सृजन से लेखे तैयार नहीं |
| 4 | समाज कल्याण विभाग | 1 | क्रिमिनल ट्राइब्स सेटलमेंट टेलरिंग फ़ैक्टरी, (कानपुर) | 3.67 | |
| 5 | स्वास्थ्य विभाग | 1 | स्टेट फार्मैसी आफ आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी मेडिसिन | 9.16 | |
| | ; kx | 11 | | 6512.23 | |

i fjf' k"V&1.13

(l anHkz% i Lrj 1.7.3 ; i "B 18)

'kkl dh; mi Øeka ds l f{klr foRrh; i fj.kke

| Øe l q; k | bdkbZ dk uke | ys[kk o"Kz (vflre : i l g) | vkj r i ut hd | vo:) i fj l Ei frR | l fpr gkl | ykHk(+)/ gkfu(-) | 'kkl dh; i ut h ij C; kt | dy' ifrnku | vkj r i ut h ij dy' ifrnku dk ifr'kr |
|-----------------------------|--|----------------------------|----------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| v- fl pkbZ foHkx | | | | | | | | | |
| 1. | आई डब्ल्यू डी, मेरठ | 2004-05 | 247.61 | 36.03 | 22.26 | 4.81 | 13.62 | 18.43 | 7.44 |
| 2. | आई डब्ल्यू डी, झांसी | 2004-05 | (-)724.09 | 60.08 | 34.56 | 8.75 | --- | 8.75 | --- |
| 3. | आई डब्ल्यू डी, बरेली | 2004-05 | (-)15.80 | 189.95 | 68.88 | (-)11.37 | --- | (-)11.37 | --- |
| 4. | आई डब्ल्यू डी, कानपुर | 2003-04 | 437.82 | 13.06 | 11.05 | 2.84 | 26.06 | 28.90 | 6.10 |
| 5. | आई डब्ल्यू डी, इलाहाबाद | 2003-04 | 367.84 | 171.42 | 56.99 | 10.95 | 20.23 | 31.18 | 8.48 |
| 6. | आई डब्ल्यू डी, गोरखपुर | 2004-05 | 746.63 | 283.31 | 47.86 | 5.30 | 41.06 | 46.36 | 6.21 |
| | ; kx | | 1096.01 | 753.85 | 241.60 | 21.28 | 100.97 | 122.25 | 28.23 |
| c- i'kq i ky u foHkx | | | | | | | | | |
| 7. | राजकीय पशुधन एवं कृषि फार्म | 2003-04 | 759.37 | 135.34 | 11.03 | (-) 247.09 | --- | --- | --- |
| | ; kx | | 759.37 | 135.34 | 11.03 | (-) 247.09 | --- | --- | --- |
| l - [kk] , oa vki frZ foHkx | | | | | | | | | |
| 8. | खाद्यान्न की सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना | 2002-03 | 1053.85 | 1059.08 | 56.61 | 2701.89 | 55.85 | 2757.74 | --- |
| | ; kx | | 1053.85 | 1059.08 | 56.61 | 2701.89 | 55.85 | 2757.74 | --- |
| n- LokLF; foHkx | | | | | | | | | |
| 9. | स्टेट फार्मसी आफ आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी मेडिसिन | 1987-88 | 72.11 | 22.96 | 7.59 | (-) 8.46 | 3.83 | (-) 4.63 | --- |
| | ; kx | | 72.11 | 22.96 | 7.59 | (-) 8.46 | 3.83 | (-) 4.63 | --- |
| bZ l ekt dY; k.k foHkx | | | | | | | | | |
| 10. | क्रिमिनल ट्राइब्स सेटलमेंट टेलरिंग फैक्टरी, (कानपुर) | 1979-80 | 4.16 | 0.26 | 0.28 | 0.89 | 0.21 | 1.10 | 26.44 |
| | ; kx | | 4.16 | 0.26 | 0.28 | 0.89 | 0.21 | 1.10 | 26.44 |

स्रोत : राज्य सरकार

¹ औसत पूंजी प्रारम्भिक पूंजी + वर्ष में 50 प्रतिशत पूंजी जमा एवं संयोजनों के पश्चात शुद्ध आहरण को प्रदर्शित करना
² कुल प्रतिफल लाभ + शासकीय पूंजी पर ब्याज को प्रदर्शित करना है

ifj'k"V&2.1

(1 nHk% iLrj 2.2 , oa2.3.2; i "B 29 , oa 31)

fofHkUu vupnkuka ds varxar i ko/kkuka ds fo:) cprka dk foobj.k

(djkm#i; se)

| Øe lã;k | vupku lã;k | vupku dk uke | djy i ko/kku | 0; ; | cpr |
|----------------|---------------|--|--------------|---------|--------|
| v- jktLo&nRrer | | | | | |
| 1. | 1 | आबकारी विभाग | 35.99 | 32.57 | 3.42 |
| 2. | 2 | आवास विभाग | 155.18 | 141.32 | 13.86 |
| 3. | 3 | उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) | 51.98 | 46.46 | 5.52 |
| 4. | 4 | उद्योग विभाग (खनन एवं खनिज) | 19.25 | 18.99 | 0.26 |
| 5. | 5 | उद्योग विभाग (हथकरघा एवं ग्रामीण उद्योग) | 44.71 | 43.24 | 1.47 |
| 6. | 6 | उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) | 53.65 | 33.76 | 19.89 |
| 7. | 7 | उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) | 36.44 | 28.05 | 8.39 |
| 8. | 9 | ऊर्जा विभाग | 1933.17 | 1883.37 | 49.80 |
| 9. | 10 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (उद्यान तथा रेशम विकास) | 71.86 | 60.25 | 11.61 |
| 10. | 11 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) | 870.89 | 827.92 | 42.97 |
| 11. | 13 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) | 1188.65 | 1041.66 | 146.99 |
| 12. | 14 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) | 1303.58 | 1293.20 | 10.38 |
| 13. | 15 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुपालन) | 197.35 | 170.62 | 26.73 |
| 14. | 16 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) | 15.90 | 15.41 | 0.49 |
| 15. | 17 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) | 32.56 | 28.94 | 3.62 |
| 16. | 18 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) | 34.91 | 33.75 | 1.16 |
| 17. | 20 | कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) | 1.51 | 0.90 | 0.61 |
| 18. | 21 | खाद्य एवं रसद विभाग | 137.56 | 122.31 | 15.25 |
| 19. | 22 | खेलकूद विभाग | 21.56 | 18.56 | 3.00 |
| 20. | 23 | गन्ना विकास विभाग (गन्ना) | 68.81 | 65.26 | 3.55 |
| 21. | 24 | गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) | 119.83 | 119.36 | 0.47 |
| 22. | 25 | गृह विभाग (कारागार) | 139.33 | 130.20 | 9.13 |
| 23. | 26 | गृह विभाग (पुलिस) | 2668.51 | 2630.93 | 37.58 |
| 24. | 27 | गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) | 122.70 | 120.90 | 1.80 |
| 25. | 28 | गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन एवं अन्य व्यय) | 61.88 | 57.64 | 4.24 |
| 26. | 30 | गोपनीय विभाग (राजस्व विशेष सतर्कता निदेशालय तथा अन्य व्यय) | 1.34 | 1.22 | 0.12 |
| 27. | 31 | चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) | 760.32 | 685.12 | 75.20 |
| 28. | 32 | चिकित्सा विभाग (एलोपैथी) | 1191.38 | 1003.78 | 187.60 |
| 29. | 33 | चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) | 175.62 | 166.83 | 8.79 |
| 30. | 34 | चिकित्सा विभाग (होमियोपैथी) | 88.88 | 82.15 | 6.73 |
| 31. | 35 | चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) | 503.40 | 441.39 | 62.01 |
| 32. | 36 | चिकित्सा विभाग (लोक स्वास्थ्य) | 228.13 | 186.26 | 41.87 |
| 33. | 37 | नगर विकास विभाग | 513.54 | 367.43 | 146.11 |
| 34. | 38 | नागरिक उद्‌डयन विभाग | 7.00 | 6.97 | 0.03 |
| 35. | 39 | भाषा विभाग | 5.75 | 5.56 | 0.19 |
| 36. | 40 | नियोजन विभाग | 58.06 | 51.35 | 6.71 |
| 37. | 41 | निर्वाचन विभाग | 24.70 | 15.94 | 8.76 |
| 38. | 42 | न्याय विभाग | 343.95 | 309.36 | 34.59 |
| 39. | 43 | परिवहन विभाग | 36.19 | 32.70 | 3.49 |
| 40. | 44 | पर्यटन विभाग | 10.70 | 9.62 | 1.08 |
| 41. | 45 | पर्यावरण विभाग | 82.81 | 2.78 | 80.03 |
| 42. | 46 | प्रशासनिक सुधार विभाग | 1.82 | 1.25 | 0.57 |
| 43. | 47 | प्राविधिक शिक्षा विभाग | 125.94 | 74.31 | 51.63 |
| 44. | 48 | मुस्लिम वक्फ विभाग | 217.96 | 185.75 | 32.21 |
| 45. | 49 | महिला एवं बाल कल्याण विभाग | 857.25 | 819.92 | 37.33 |
| 46. | 50 | राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) | 204.17 | 190.67 | 13.50 |
| 47. | 51 | राजस्व विभाग (देवी आपदाओं के संबंध में राहत) | 303.30 | 77.26 | 226.04 |

| | | | | | |
|-----------------------------|----|--|-----------------|-----------------|----------------|
| 48. | 52 | राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय) | 671.74 | 625.58 | 46.16 |
| 49. | 54 | लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) | 576.12 | 292.28 | 283.84 |
| 50. | 59 | लोक निर्माण विभाग (सम्पत्ति निदेशालय) | 55.06 | 54.58 | 0.48 |
| 51. | 60 | वन विभाग | 142.82 | 140.73 | 2.09 |
| 52. | 61 | वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय) | 3271.54 | 2341.69 | 929.85 |
| 53. | 62 | वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्तें तथा पेंशन) | 3750.04 | 2889.09 | 860.95 |
| 54. | 63 | वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) | 64.85 | 58.70 | 6.15 |
| 55. | 64 | वित्त विभाग (राज्य लाटरी) | 0.81 | 0.68 | 0.13 |
| 56. | 65 | वित्त विभाग (लेखापरीक्षा, अल्प बचतें आदि) | 70.52 | 65.03 | 5.49 |
| 57. | 66 | वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) | 0.99 | 0.92 | 0.07 |
| 58. | 67 | विधान परिषद् सचिवालय | 12.95 | 11.80 | 1.15 |
| 59. | 68 | विधान सभा सचिवालय | 37.09 | 35.93 | 1.16 |
| 60. | 70 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग | 22.62 | 17.14 | 5.48 |
| 61. | 71 | शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) | 5983.91 | 5699.03 | 284.88 |
| 62. | 73 | शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) | 618.31 | 612.98 | 5.33 |
| 63. | 75 | शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षणिक शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्) | 58.90 | 51.12 | 7.78 |
| 64. | 76 | श्रम विभाग (श्रम कल्याण) | 87.66 | 79.44 | 8.22 |
| 65. | 77 | श्रम विभाग (सेवायोजन) | 82.80 | 79.67 | 3.13 |
| 66. | 78 | सचिवालय प्रशासन विभाग | 174.35 | 162.17 | 12.18 |
| 67. | 79 | समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण) | 631.83 | 612.72 | 19.11 |
| 68. | 80 | समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) | 844.71 | 834.76 | 9.95 |
| 69. | 81 | समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) | 18.01 | 10.66 | 7.35 |
| 70. | 82 | सतक्रता विभाग | 12.86 | 12.67 | 0.19 |
| 71. | 83 | समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) | 1700.48 | 1150.30 | 550.18 |
| 72. | 84 | सामान्य प्रशासन विभाग | 0.47 | 0.44 | 0.03 |
| 73. | 85 | सार्वजनिक उद्यम विभाग | 1.97 | 1.72 | 0.25 |
| 74. | 86 | सूचना विभाग | 30.66 | 21.37 | 9.29 |
| 75. | 87 | सैनिक कल्याण विभाग | 25.07 | 21.50 | 3.57 |
| 76. | 88 | संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) | 2.22 | 1.94 | 0.28 |
| 77. | 89 | संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर) | 210.06 | 198.74 | 11.32 |
| 78. | 90 | संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजी कर) | 28.80 | 28.00 | 0.80 |
| 79. | 91 | संस्थागत वित्त विभाग (टिकट एवं पंजीकरण) | 62.88 | 56.72 | 6.16 |
| 80. | 92 | सांस्कृतिक विभाग | 17.13 | 16.29 | 0.84 |
| 81. | 95 | सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) | 599.62 | 564.50 | 35.12 |
| 82. | 96 | सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) | 872.93 | 583.41 | 289.52 |
| | | ; kx (v) | 35872.75 | 31017.49 | 4855.26 |
| c- i wthxr&nRrer | | | | | |
| 83. | 3 | उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) | 6.00 | 3.20 | 2.80 |
| 84. | 4 | उद्योग विभाग (खनन एवं खनिज) | 0.46 | 0.45 | 0.01 |
| 85. | 7 | उद्योग विभाग (भारी तथा मध्यम उद्योग) | 131.67 | 111.32 | 20.35 |
| 86. | 9 | ऊर्जा विभाग | 1310.28 | 1097.70 | 212.58 |
| 87. | 10 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (उद्यान तथा रेशम विकास) | 8.19 | 7.44 | 0.75 |
| 88. | 11 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) | 144.38 | 93.18 | 51.20 |
| 89. | 13 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) | 920.81 | 894.50 | 26.31 |
| 90. | 14 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) | 8.47 | 2.92 | 5.55 |
| 91. | 21 | खाद्य एवं रसद विभाग | 5322.23 | 4915.01 | 407.22 |
| 92. | 22 | खेलकूद विभाग | 78.34 | 77.72 | 0.62 |
| 93. | 25 | गृह विभाग (कारागार) | 71.17 | 51.11 | 20.06 |
| 94. | 26 | गृह विभाग (पुलिस) | 272.11 | 136.56 | 135.55 |
| 95. | 27 | गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) | 6.00 | 0.86 | 5.14 |
| 96. | 31 | चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) | 79.91 | 79.30 | 0.61 |
| 97. | 32 | चिकित्सा विभाग (एलोपैथी) | 309.76 | 303.41 | 6.35 |
| 98. | 35 | चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) | 28.59 | 27.55 | 1.04 |
| 99. | 42 | न्याय विभाग | 31.10 | 14.69 | 16.41 |
| 100. | 43 | परिवहन विभाग | 2.95 | 2.80 | 0.15 |

| | | | | | |
|------------------|----|---|-----------------|----------------|----------------|
| 101. | 44 | पर्यटन विभाग | 69.82 | 65.87 | 3.95 |
| 102. | 45 | पर्यावरण विभाग | 80.00 | 11.30 | 68.70 |
| 103. | 47 | प्राविधिक शिक्षा विभाग | 22.57 | 14.65 | 7.92 |
| 104. | 48 | मुस्लिम वक्फ विभाग | 13.04 | 11.04 | 2.00 |
| 105. | 50 | राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) | 33.79 | 32.37 | 1.42 |
| 106. | 52 | राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) | 0.59 | 0.56 | 0.03 |
| 107. | 53 | राष्ट्रीय एकीकरण विभाग | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 108. | 59 | लोक निर्माण विभाग (सम्पत्ति निदेशालय) | 28.31 | 28.17 | 0.14 |
| 109. | 60 | वन विभाग | 116.28 | 114.22 | 2.06 |
| 110. | 61 | वित्त विभाग (ऋण सेवार्ये तथा अन्य व्यय) | 131.20 | 105.23 | 25.97 |
| 111. | 62 | वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्तें तथा पेंशन) | 100.00 | 38.51 | 61.49 |
| 112. | 63 | वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) | 12.19 | 12.05 | 0.14 |
| 113. | 67 | विधान परिषद् सचिवालय | 0.50 | 0.14 | 0.36 |
| 114. | 68 | विधान सभा सचिवालय | 0.70 | 0.30 | 0.40 |
| 115. | 71 | शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) | 3.28 | 1.53 | 1.75 |
| 116. | 72 | शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) | 24.65 | 24.42 | 0.23 |
| 117. | 77 | श्रम विभाग (सेवायोजन) | 3.52 | 3.29 | 0.23 |
| 118. | 78 | सचिवालय प्रशासन विभाग | 0.27 | 0.25 | 0.02 |
| 119. | 79 | समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछले वर्गों का कल्याण) | 8.30 | 3.94 | 4.36 |
| 120. | 81 | समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) | 3.96 | 0.35 | 3.61 |
| 121. | 83 | समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) | 503.18 | 462.57 | 40.61 |
| 122. | 87 | सैनिक कल्याण विभाग | 1.02 | 1.00 | 0.02 |
| 123. | 89 | संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर) | 3.47 | 2.44 | 1.03 |
| 124. | 92 | सांस्कृतिक विभाग | 12.25 | 11.86 | 0.39 |
| 125. | 95 | सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) | 120.00 | 106.08 | 13.92 |
| | | ; kx (C) | 10025.32 | 8871.86 | 1153.46 |
| l - jktLo&Hkkfjr | | | | | |
| 126. | 2 | आवास विभाग | 15.76 | 13.20 | 2.56 |
| 127. | 3 | उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| 128. | 9 | ऊर्जा विभाग | 23.16 | 16.26 | 6.90 |
| 129. | 10 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (उद्यान तथा रेशम विकास) | 0.40 | 0.36 | 0.04 |
| 130. | 13 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) | 0.80 | 0.67 | 0.13 |
| 131. | 15 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुपालन) | 0.05 | 0.01 | 0.04 |
| 132. | 18 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) | 6.49 | 5.74 | 0.75 |
| 133. | 20 | कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) | 12.05 | 11.31 | 0.74 |
| 134. | 21 | खाद्य एवं रसद विभाग | 190.01 | 0.00 | 190.01 |
| 135. | 22 | खेल विभाग | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 136. | 23 | गन्ना विकास विभाग (गन्ना) | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 137. | 24 | गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 138. | 25 | गृह विभाग (कारागार) | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
| 139. | 26 | गृह विभाग (पुलिस) | 0.52 | 0.01 | 0.51 |
| 140. | 29 | गोपनीय विभाग (राज्यपाल सचिवालय) | 3.33 | 2.98 | 0.35 |
| 141. | 32 | चिकित्सा विभाग (एलोपैथी) | 0.10 | 0.03 | 0.07 |
| 142. | 36 | चिकित्सा विभाग (लोक स्वास्थ्य) | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| 143. | 42 | न्याय विभाग | 63.77 | 59.00 | 4.77 |
| 144. | 47 | प्राविधिक शिक्षा विभाग | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 145. | 48 | मुस्लिम वक्फ विभाग | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 146. | 50 | राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| 147. | 54 | लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| 148. | 55 | लोक निर्माण विभाग (भवन) | 1.66 | 1.30 | 0.36 |
| 149. | 58 | लोक निर्माण विभाग (संचार-सड़क) | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| 150. | 60 | वन विभाग | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
| 151. | 61 | वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) | 13772.80 | 11590.85 | 2181.95 |
| 152. | 62 | वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्तें तथा पेंशन) | 1.01 | 0.88 | 0.13 |

| | | | | | |
|--------------------|----|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 153. | 63 | वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| 154. | 66 | वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) | 108.70 | 105.66 | 3.04 |
| 155. | 67 | विधान परिषद् सचिवालय | 0.39 | 0.36 | 0.03 |
| 156. | 72 | शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 157. | 82 | सतक्रता विभाग | 1.06 | 0.94 | 0.12 |
| 158. | 89 | संस्थागत वित्त विभाग (ब्यापार कर) | 6.42 | 0.67 | 5.75 |
| 159. | 95 | सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| | | ; kx (l) | 14209.79 | 11810.24 | 2399.55 |
| n- i wthxr&Hkkfj r | | | | | |
| 160. | 2 | आवास विभाग | 25.32 | 25.07 | 0.25 |
| 161. | 15 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुपालन) | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 162. | 21 | खाद्य एवं रसद विभाग | 1400.01 | 1400.00 | 0.01 |
| 163. | 24 | गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) | 4.89 | 0.00 | 4.89 |
| 164. | 58 | लोक निर्माण विभाग (संचार-सड़क) | 5.50 | 2.88 | 2.62 |
| 165. | 61 | वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) | 12824.08 | 6894.82 | 5929.26 |
| 166. | 96 | सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) | 4.00 | 3.90 | 0.10 |
| | | ; kx (n) | 14263.82 | 8326.67 | 5937.15 |
| | | dgy ; kx (v) +(c) +(l) +(n) | 74371.68 | 60026.26 | 14345.42 |

i fjf'k"V& 2.2

(lanhkk%ilrj 2.2 o 2.3.4; i"B 29 ,oa32)

vuupkuka@Hkkfjr fofu; ksxka l s vf/kd 0; ;

(djkm+ #i ; se)

| Øe l ; k | vuupku l ; k | vuupku dk uke@Hkkfjr fofu; ksx | dy vuupku@fofu; ksx | 0; ; | vkf/kD; |
|------------------------------|--------------|--|---------------------|-----------------|----------------|
| v- jktLo&nRrer | | | | | |
| 1 | 8 | उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन-सामग्री) | 63.07 | 63.60 | 0.53 |
| 2 | 12 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) | 84.51 | 103.69 | 19.18 |
| 3 | 19 | कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) | 11.04 | 23.86 | 12.82 |
| 4 | 53 | राष्ट्रीय एकीकरण विभाग | 0.16 | 0.64 | 0.48 |
| 5 | 55 | लोक निर्माण विभाग (भवन) | 14.69 | 14.85 | 0.16 |
| 6 | 57 | लोक निर्माण विभाग (संचार-पुल) | 4.00 | 5.33 | 1.33 |
| 7 | 58 | लोक निर्माण विभाग (संचार-सड़क) | 667.65 | 726.28 | 58.63 |
| 8 | 72 | शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) | 2571.95 | 2606.52 | 34.57 |
| ; ksx (v) | | | 3417.07 | 3544.77 | 127.70 |
| c- i n t h x r & n R r e r | | | | | |
| 9 | 15 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुपालन) | 33.37 | 36.59 | 3.22 |
| 10 | 16 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) | 0.00 | 0.55 | 0.55 |
| 11 | 18 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) | 26.96 | 27.06 | 0.10 |
| 12 | 23 | गन्ना विकास विभाग (गन्ना) | 9.75 | 9.79 | 0.04 |
| 13 | 24 | गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) | 26.00 | 170.91 | 144.91 |
| 14 | 33 | चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) | 4.99 | 5.55 | 0.56 |
| 15 | 34 | चिकित्सा विभाग (होमियोपैथी) | 5.60 | 5.66 | 0.06 |
| 16 | 37 | नगर विकास विभाग | 258.01 | 287.15 | 29.14 |
| 17 | 38 | नागरिक उद्‌डयन विभाग | 38.50 | 38.88 | 0.38 |
| 18 | 40 | नियोजन विभाग | 826.14 | 831.85 | 5.71 |
| 19 | 55 | लोक निर्माण विभाग (भवन) | 20.64 | 218.98 | 198.34 |
| 20 | 56 | लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) | 322.50 | 322.69 | 0.19 |
| 21 | 57 | लोक निर्माण विभाग (संचार-पुल) | 300.19 | 308.23 | 8.04 |
| 22 | 58 | लोक निर्माण विभाग (संचार-सड़क) | 2002.28 | 2504.33 | 502.05 |
| 23 | 73 | शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) | 147.79 | 147.85 | 0.06 |
| 24 | 75 | शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) | 7.25 | 7.98 | 0.73 |
| 25 | 96 | सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) | 1805.01 | 1807.85 | 2.84 |
| ; ksx (c) | | | 5834.98 | 6731.90 | 896.92 |
| l - jktLo&Hkkfjr | | | | | |
| 26 | 01 | आबकारी विभाग | 0.25 | 0.31 | 0.06 |
| 27 | 52 | राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) | 0.68 | 2.33 | 1.65 |
| ; ksx (l) | | | 0.93 | 2.64 | 1.71 |
| n- i n t h x r & H k k f j r | | | | | |
| 28 | 52 | राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) | 0.10 | 0.28 | 0.18 |
| 29 | 55 | लोक निर्माण विभाग (भवन) | 1.69 | 1.96 | 0.27 |
| ; ksx (n) | | | 1.79 | 2.24 | 0.45 |
| dy ; ksx | | | 9254.77 | 10281.55 | 1026.78 |

i f j f' k"V&2.3

(l nHkz: iLrj 2.3.2; i"B 31)

iR; d i d j .k ea , d d j k M+ #i ; s l s vf/kd cprka dk foj .k tks d y i ko/kku ds 10 ifr'kr l s Hkh vf/kd Fkha

(d j k M+ #i ; s ea)

| Øe l ; k | vunku l ; k | vunuku dk foj .k | d y i ko/kku | cpr dh /kujk'k (d y i ko/kku dh ifr'krk dk B) |
|-------------|-------------|---|--------------|---|
| jktLo&nRrer | | | | |
| 1. | 3 | उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) | 51.98 | 5.52 (11) |
| 2. | 6 | उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) | 53.65 | 19.89 (37) |
| 3. | 7 | उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) | 36.44 | 8.39 (23) |
| 4. | 10 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (उद्यान तथा रेशम विकास) | 71.86 | 11.61 (16) |
| 5. | 13 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) | 1188.65 | 146.99 (12) |
| 6. | 15 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुपालन) | 197.35 | 26.73 (14) |
| 7. | 17 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) | 32.56 | 3.62 (11) |
| 8. | 21 | खाद्य एवं रसद विभाग | 137.56 | 15.25 (11) |
| 9. | 22 | खेलकूद विभाग | 21.56 | 3.00 (14) |
| 10. | 32 | चिकित्सा विभाग (एलोपैथी) | 1191.38 | 187.60 (16) |
| 11. | 35 | चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) | 503.40 | 62.01 (12) |
| 12. | 36 | चिकित्सा विभाग (लोक स्वास्थ्य) | 228.13 | 41.87 (18) |
| 13. | 37 | नगर विकास विभाग | 513.54 | 146.11 (28) |
| 14. | 40 | नियोजन विभाग | 58.06 | 6.71 (12) |
| 15. | 41 | निर्वाचन विभाग | 24.70 | 8.76 (35) |
| 16. | 45 | पर्यावरण विभाग | 82.81 | 80.03 (97) |
| 17. | 47 | प्राविधिक शिक्षा विभाग | 125.94 | 51.63 (41) |
| 18. | 48 | मुस्लिम वक्फ विभाग | 217.96 | 32.21 (15) |
| 19. | 51 | राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के संबंध में राहत) | 303.30 | 226.04 (75) |
| 20. | 54 | लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) | 576.12 | 283.84 (49) |
| 21. | 61 | वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय) | 3271.54 | 929.85 (28) |
| 22. | 62 | वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्तें तथा पेंशन) | 3750.04 | 860.95 (23) |
| 23. | 70 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग | 22.62 | 5.48 (24) |
| 24. | 75 | शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षणिक शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्) | 58.90 | 7.78 (13) |
| 25. | 81 | समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) | 18.01 | 7.35 (41) |
| 26. | 83 | समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) | 1700.48 | 550.18 (32) |

| | | | | |
|-----------------------|----|---|-----------------|-----------------|
| 27. | 86 | सूचना विभाग | 30.66 | 9.29 (30) |
| 28. | 87 | सैनिक कल्याण विभाग | 25.07 | 3.57 (14) |
| 29. | 96 | सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) | 872.93 | 289.52 (33) |
| | | | 15367.20 | 4031.78 |
| ; kx | | | | |
| i t h x r & n r r e r | | | | |
| 30. | 3 | उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) | 6.00 | 2.80 (47) |
| 31. | 7 | उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) | 131.67 | 20.35 (15) |
| 32. | 9 | ऊर्जा विभाग | 1310.28 | 212.58 (16) |
| 33. | 11 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) | 144.38 | 51.20 (35) |
| 34. | 14 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) | 8.47 | 5.55 (66) |
| 35. | 25 | गृह विभाग (कारागार) | 71.17 | 20.06 (28) |
| 36. | 26 | गृह विभाग (पुलिस) | 272.11 | 135.55 (50) |
| 37. | 27 | गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) | 6.00 | 5.14 (86) |
| 38. | 42 | न्याय विभाग | 31.10 | 16.41 (53) |
| 39. | 45 | पर्यावरण विभाग | 80.00 | 68.70 (86) |
| 40. | 47 | प्राविधिक शिक्षा विभाग | 22.57 | 7.92 (35) |
| 41. | 48 | मुस्लिम वक्फ विभाग | 13.04 | 2.00 (15) |
| 42. | 61 | वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय) | 131.20 | 25.97 (20) |
| 43. | 62 | वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्तें तथा पेंशन) | 100.00 | 61.49 (61) |
| 44. | 71 | शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) | 3.28 | 1.75 (53) |
| 45. | 79 | समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण) | 8.30 | 4.36 (53) |
| 46. | 81 | समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) | 3.96 | 3.61 (91) |
| 47. | 89 | संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार-कर) | 3.47 | 1.03 (30) |
| 48. | 95 | सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) | 120.00 | 13.92 (12) |
| | | | 2467.00 | 660.39 |
| ; kx | | | | |
| j k t l o & h k f j r | | | | |
| 49. | 2 | आवास विभाग | 15.76 | 2.56 (16) |
| 50. | 9 | ऊर्जा विभाग | 23.16 | 6.90 (30) |
| 51. | 21 | खाद्य एवं रसद विभाग | 190.01 | 190.01 (100) |
| 52. | 61 | वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय) | 13772.80 | 2181.95 (16) |
| 53. | 89 | संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार-कर) | 6.42 | 5.75 (90) |
| | | | 14008.15 | 2387.17 |
| ; kx | | | | |

| i wthxr&hkkfjr | | | | |
|----------------|----|--|----------|-----------------|
| 54. | 24 | गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) | 4.89 | 4.89 (100) |
| 55. | 58 | लोक निर्माण विभाग (संचार-सड़क) | 5.50 | 2.62 (48) |
| 56. | 61 | वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय) | 12824.08 | 5929.26 (46) |
| ; kx | | | 12834.47 | 5936.77 |
| dy ; kx | | | 44676.82 | 13016.11 |

ifj'k"V-2.4

(Inhki% iLrj 2.3.4; i" B 31)

1990&91 l s 2004&05 rd l s l Ecfll/kr foxr o"kkā ea i ko/kku ds l ki §k vf/kd 0; ;

(djkm+ #i; se)

| o"kl | vunku@ fofu; kx dh l a; k | vunku@fofu; kx | vkf/kD; dh /kujkf'k | /kujkf'k ftl ds fy, Li "Vhdj.k ih , l h dks iLrq fd; k x; k |
|---------|---------------------------------|--|------------------------|---|
| 1990-91 | 55 | राजस्व-दत्तमत 1,4,10,11,14,15,22,24,26,27,32,33,34,35,36,37,42,43,52, 56,57,63,72,73,74,75,76,77,78,81,82,83,84,93 पूजीगत-दत्तमत 16,42,43,47,59,73,76,79 अगणित अनुदान राजस्व-भारित 2,6,7,21,42,60,62,65,67 पूजीगत-भारित 7,52,55 | 2450.89 | 28.86 |
| 1991-92 | 56 | राजस्व-दत्तमत 8,22,29,33,34,36,37,41,42,44,56,66,71,72,73,74 75,76,78,81,82,83,84,85,88,90,93,94 पूजीगत-दत्तमत 1,8,10,13,23,27,32,35,47,52,63,73,76,79,86, 92 राजस्व-भारित 2,7,11,40,55,59,65,67,74,89 पूजीगत-भारित 52,55 | 1158.06 | 22.37 |
| 1992-93 | 81 | राजस्व-दत्तमत 1,8,9,10,11,12,13,21,23,24,25,35,36,37,38,39,41, 42,43,44,47,48,49,50,51,52,56,57,62,64,67,72, 77,81,83,85,87,89,90,91,93 पूजीगत-दत्तमत 3,12,13,15,16,18,19,21,27,35,38,49,55,58,63 ,73,77,80,94,95 राजस्व-भारित 2,16,24,26,28,37,42,46,52,55,65,66,67,72,78,88,94 पूजीगत-भारित 24,51,52 | 1815.56 | 96.01 |
| 1993-94 | 73 | राजस्व-दत्तमत 10,15,16,17,18,22,23,25,27,28,29,32,33,34,35,36,37,43,5 0,52,53,54,55,56,57,58,70,73,81,83,85,89,90,91,93 पूजीगत-दत्तमत 4,12,15,16,17,18,21,28,33,38,40,43,50,55,58,69, 73,80,94 राजस्व-भारित 7,20,28,29,37,46,47,52,58,65,78,88 पूजीगत-भारित 18,23,26,42,52,61,95 | 930.59 | 207.63 |
| 1994-95 | 58 | राजस्व-दत्तमत 1,5,9,10,23,25,35,41,44,48,50,51,52,56,57,58,59,62,64,67 ,70,73,78,81,83,85,90,91,93 पूजीगत-दत्तमत 3,8,9,12,13,15,20,22,25,26,42,55,57,58,60,69,72, 77,80,94,95 राजस्व-भारित 1,24,29,42,61 पूजीगत-भारित 26,52,58, | 2011.01 | 85.36 |
| 1995-96 | 43 | राजस्व-दत्तमत 2,9,14,16,36,43,47,48,55,58,62,66,70,75,81,83,84,93,94 पूजीगत-दत्तमत 5,7,13,33,49,50,53,55,58,59,72,94 राजस्व-भारित 26,29,42,71,72,73,95 पूजीगत-भारित 2,5,24,26,52 | 621.43 | 247.95 |
| 1996-97 | 27 | राजस्व-दत्तमत 2,35,39,51,56,58,59,62,64,70,83,93,94, पूजीगत-दत्तमत 4,32,40,55,58,60,65,81,94,95 राजस्व-भारित 95 पूजीगत-भारित 26,51,52 | 711.95 | 345.47 |

| | | | | |
|-----------|----|---|-----------------|----------------|
| 1997-98 | 16 | राजस्व-दत्तमत 28,35,56,58,64,66,78,81,90 पूँजीगत-दत्तमत 11,34,42,55 पूँजीगत-भारित 2,52,61 | 590.21 | 203.26 |
| 1998-99 | 27 | राजस्व-दत्तमत 1,4,9,10,27,50,51,58,66,78,81,87,89,90 पूँजीगत-दत्तमत 21,38,45,55,58,65,80,95 राजस्व-भारित 42,66,89 पूँजीगत-भारित 52,61 | 730.56 | 240.66 |
| 1999-2000 | 21 | राजस्व-दत्तमत 4,12,14,23,51,66,78,81,90 पूँजीगत-दत्तमत 10,21,36,55,63,92 राजस्व-भारित 47,73,89 पूँजीगत-भारित 52,61,75 | 8785.95 | 347.56 |
| 2000-2001 | 17 | राजस्व-दत्तमत 12,32,59,62,81,90,93,94 पूँजीगत-दत्तमत 36,55,59,93 राजस्व-भारित 3,48,52,72 पूँजीगत-भारित 61 | 843.87 | |
| 2001-02 | 29 | राजस्व-दत्तमत 90,94 पूँजीगत-दत्तमत 10,21,42,55,73 राजस्व-भारित 2,12,13,17,26,27,28,31,33,34,36,52,55,65,72,75,76,77, 80,91 पूँजीगत-भारित 21,52 | 668.62 | |
| 2002-03 | 27 | राजस्व-दत्तमत 5,27,39,46,51,55,58,62,94 पूँजीगत-दत्तमत 10,21,40,55,58,72,77,92 राजस्व-भारित 2,10,47,48,49,52,78 पूँजीगत-भारित 2,52,61 | 5532.40 | |
| 2003-04 | 16 | राजस्व-दत्तमत 12, 39, 91, 94 पूँजीगत-दत्तमत 3, 10, 21, 23, 32, 34, 35, 55 राजस्व-भारित 52, 55 पूँजीगत-भारित 52, 61 | 3644.99 | |
| 2004-05 | 22 | राजस्व-दत्तमत 2, 3, 9, 22, 25, 55, 58, 85 पूँजीगत-दत्तमत 4, 15, 16, 21, 32, 34, 55, 58, 59, 79 राजस्व-भारित 52, 55, 61 पूँजीगत-भारित 61 | 1899.33 | |
| ; kx | | | 32395.42 | 1825.13 |

ifj'k"V& 2.5

(1 ntk% iLrj 2.3.6; i" B 32)

vupku ftuea iklr vuq'jd iko/kku i wkl% vuko'; d fl) gq s

(djkm+ #i; se)

| Øe l d; k | vupku l d; k | vupku dk uke | iklr vuq'jd iko/kku | cpr |
|-----------|--------------|---|---------------------|----------------|
| | | jktLo&nkrer | | |
| 1. | 1 | आबकारी विभाग | 2.82 | 3.42 |
| 2. | 3 | उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) | 3.92 | 5.52 |
| 3. | 10 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (उद्यान एवं रेशम विकास) | 8.46 | 11.61 |
| 4. | 21 | खाद्य एवं रसद विभाग | 9.58 | 15.25 |
| 5. | 22 | खेलकूद विभाग | 2.33 | 3.00 |
| 6. | 28 | गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन एवं अन्य व्यय) | 2.23 | 4.24 |
| 7. | 30 | गोपनीय विभाग (राजस्व विशेष सतर्कता निदेशालय तथा अन्य व्यय) | 0.07 | 0.12 |
| 8. | 36 | चिकित्सा विभाग (लोक स्वास्थ्य) | 35.58 | 41.87 |
| 9. | 40 | नियोजन विभाग | 4.83 | 6.71 |
| 10. | 41 | निर्वाचन विभाग | 0.77 | 8.76 |
| 11. | 45 | पर्यावरण विभाग | 0.53 | 80.03 |
| 12. | 47 | प्रविधिक शिक्षा विभाग | 6.01 | 51.63 |
| 13. | 48 | मुस्लिम वक्फ विभाग | 18.64 | 32.21 |
| 14. | 49 | महिला एवं बाल कल्याण विभाग | 7.07 | 37.33 |
| 15. | 51 | राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के संबंध में राहत) | 123.79 | 226.04 |
| 16. | 54 | लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) | 40.40 | 283.84 |
| 17. | 61 | वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय) | 0.09 | 929.85 |
| 18. | 62 | वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्तें तथा पेंशन) | 632.50 | 860.95 |
| 19. | 63 | वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) | 5.05 | 6.15 |
| 20. | 64 | वित्त विभाग (राज्य लाटरी) | 0.06 | 0.13 |
| 21. | 70 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग | 2.02 | 5.48 |
| 22. | 76 | श्रम विभाग (श्रम कल्याण) | 7.22 | 8.22 |
| 23. | 78 | सचिवालय प्रशासन विभाग | 11.07 | 12.18 |
| 24. | 79 | समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण) | 5.82 | 19.11 |
| 25. | 81 | समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) | 1.73 | 7.35 |
| 26. | 83 | समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) | 22.60 | 550.18 |
| 27. | 85 | सार्वजनिक उद्यम विभाग | 0.14 | 0.25 |
| 28. | 86 | सूचना विभाग | 1.79 | 9.29 |
| 29. | 87 | सैनिक कल्याण विभाग | 0.95 | 3.57 |
| 30. | 88 | संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) | 0.19 | 0.28 |
| 31. | 90 | संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजी कर) | 0.74 | 0.80 |
| 32. | 91 | संस्थागत वित्त विभाग (टिकट एवं पंजीकरण) | 1.87 | 6.16 |
| 33. | 96 | सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) | 7.76 | 289.52 |
| | | ; kx | 968.63 | 3521.05 |
| | | i tixr&nkrer | | |
| 34. | 11 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) | 41.55 | 51.20 |
| 35. | 13 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) | 11.62 | 26.31 |
| 36. | 14 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) | 2.76 | 5.55 |
| 37. | 21 | खाद्य एवं रसद विभाग | 241.59 | 407.22 |
| 38. | 26 | गृह विभाग (पुलिस) | 126.01 | 135.55 |
| 39. | 42 | न्याय विभाग | 1.00 | 16.41 |
| 40. | 67 | विधान परिषद सचिवालय | 0.14 | 0.36 |
| 41. | 68 | विधान सभा सचिवालय | 0.28 | 0.40 |
| 42. | 79 | समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण) | 2.22 | 4.36 |
| 43. | 83 | समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) | 16.02 | 40.61 |
| 44. | 89 | संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर) | 0.30 | 1.03 |
| | | ; kx | 443.49 | 689.00 |

31 ekpZ 2006 dks l ekIr gq s o"kZ ds fy; s ys[kki jh{k i frou ¼I foy½

| | | | | |
|-----|----|---------------------------------------|----------------|----------------|
| | | jktLo&Hkkfjr | | |
| 45. | 15 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुपालन) | 0.02 | 0.04 |
| 46. | 20 | कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) | 0.05 | 0.74 |
| 47. | 21 | खाद्य एवं रसद विभाग | 65.00 | 190.01 |
| 48. | 29 | गोपनीय विभाग (राज्यपाल सचिवालय) | 0.22 | 0.35 |
| 49. | 42 | न्याय विभाग | 4.32 | 4.77 |
| 50. | 62 | वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन) | 0.01 | 0.13 |
| | | ; kx | 69.62 | 196.04 |
| | | i ut hxr & Hkkfjr | | |
| 51. | 15 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुपालन) | 0.02 | 0.02 |
| | | ; kx | 0.02 | 0.02 |
| | | dy ; kx | 1481.76 | 4406.11 |

ifj'k"V&2.6

(lanHkZ % iLrj 2.3.7; i" B 32)

vkf/kD; 0; ; ds vkPNknu grq vi ; klr vuqj d vupku

(djkm+ #i ; se)

| Øe l d ; k | vupku l d ; k | vupku l d ; k , oavupku dk uke | vuqj d i ko/kku | vf/kd 0 ; |
|---|---------------|---|-----------------|----------------|
| (v) vi ; klr vuqj d vupku | | | | |
| jktLo&nRrer | | | | |
| 1. | 8 | उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन-सामग्री) | 3.47 | 0.53 |
| 2. | 12 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) | 14.52 | 19.18 |
| 3. | 19 | कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) | 0.12 | 12.82 |
| 4. | 58 | लोक निर्माण विभाग (संचार-सडक) | 338.24 | 58.63 |
| 5. | 72 | शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) | 191.19 | 34.57 |
| ; kx | | | 547.54 | 125.73 |
| i wthxr&nRrer | | | | |
| 6. | 15 | कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुपालन) | 3.06 | 3.22 |
| 7. | 18 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) | 22.65 | 0.10 |
| 8. | 23 | गन्ना विकास विभाग (गन्ना) | 3.43 | 0.04 |
| 9. | 24 | गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) | 26.00 | 144.91 |
| 10. | 33 | चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) | 3.77 | 0.56 |
| 11. | 34 | चिकित्सा विभाग (होमियोपैथी) | 2.60 | 0.06 |
| 12. | 37 | नगर विकास विभाग | 145.01 | 29.14 |
| 13. | 40 | नियोजन विभाग | 316.14 | 5.71 |
| 14. | 55 | लोक निर्माण विभाग (भवन) | 9.68 | 198.34 |
| 15. | 56 | लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) | 30.00 | 0.19 |
| 16. | 57 | लोक निर्माण विभाग (संचार-पुल) | 126.33 | 8.04 |
| 17. | 58 | लोक निर्माण विभाग (संचार-सडक) | 435.29 | 502.05 |
| 18. | 73 | शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) | 108.79 | 0.06 |
| 19. | 75 | शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) | 7.25 | 0.73 |
| 20. | 96 | सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) | 134.67 | 2.84 |
| ; kx | | | 1374.67 | 895.99 |
| jktLo&Hkkfjr | | | | |
| 21. | 01 | आबकारी विभाग | 0.22 | 0.06 |
| 22. | 52 | राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) | 0.54 | 1.65 |
| ; kx | | | 0.76 | 1.71 |
| i wthxr&Hkkfjr | | | | |
| 23. | 55 | लोक निर्माण विभाग (भवन) | 1.28 | 0.27 |
| ; kx | | | 1.28 | 0.27 |
| dy ; kx (v) | | | 1924.25 | 1023.70 |
| (c) idj .k tga vuqj d vupkuka ds ekax dh i R; k'kk ugh Fkh | | | | |
| jktLo&nRrer | | | | |
| 1. | 53 | राष्ट्रीय एकीकरण विभाग | शून्य | 0.48 |
| 2. | 55 | लोक निर्माण विभाग (भवन) | शून्य | 0.16 |
| 3. | 57 | लोक निर्माण विभाग (संचार-पुल) | शून्य | 1.33 |
| ; kx | | | ' kll ; | 1.97 |
| i wthxr&nRrer | | | | |
| 4. | 16 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) | शून्य | 0.55 |
| 5. | 38 | नागरिक उद्‌डयन विभाग | शून्य | 0.38 |
| ; kx | | | ' kll ; | 0.93 |
| jktLo Hkkfjr | | | | |
| 6. | 52 | राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) | शून्य | 0.18 |
| ; kx | | | ' kll ; | 0.18 |
| dy ; kx (c) | | | ' kll ; | 3.08 |

i f'k"V&2-7

(I anHkZ % i Lrj 2-3-9; i "B 32)

cprk dk foj .k tks vH; fi r ugha dh xbl

(dkM+ #i ; se)

| Øe I ; k | vunku I ; k | vunuku dk foj .k | cpr | vH; iZk | cpr tks vH; fi r ugha dh xbl | vkf' kd |
|--|----------------|---|-----------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| (v) vkf' kd vH; iZk dk foj .k | | | | | | |
| jktLo&nRrer | | | | | | |
| 1. | 11 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) | 42.97 | 0.75 | | 42.22 |
| 2. | 22 | खेलकूद विभाग | 3.00 | 1.80 | | 1.20 |
| 3. | 35 | चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) | 62.01 | 18.17 | | 43.84 |
| 4. | 37 | नगर विकास विभाग | 146.11 | 119.03 | | 27.08 |
| 5. | 40 | नियोजन विभाग | 6.71 | 2.89 | | 3.82 |
| 6. | 48 | मुस्लिम वक्फ विभाग | 32.21 | 1.71 | | 30.50 |
| 7. | 49 | महिला एवं बाल कल्याण विभाग | 37.33 | 4.31 | | 33.02 |
| 8. | 50 | राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) | 13.50 | 8.02 | | 5.48 |
| 9. | 52 | राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय) | 46.16 | 25.24 | | 20.92 |
| 10. | 54 | लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) | 283.84 | 2.85 | | 280.99 |
| 11. | 61 | वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय) | 929.85 | 906.80 | | 23.05 |
| 12. | 62 | वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेशन) | 860.95 | 845.75 | | 15.20 |
| 13. | 65 | वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचतें आदि) | 5.49 | 0.16 | | 5.33 |
| 14. | 73 | शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) | 5.33 | 2.14 | | 3.19 |
| 15. | 86 | सूचना विभाग | 9.29 | 1.57 | | 7.72 |
| 16. | 95 | सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) | 35.12 | 31.05 | | 4.07 |
| | | | 2519.87 | 1972.24 | | 547.63 |
| i thxr&nRrer | | | | | | |
| 17. | 95 | सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) | 13.92 | 12.12 | | 1.80 |
| | | | 13.92 | 12.12 | | 1.80 |
| jktLo &HkKfjr | | | | | | |
| 18. | 61 | वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय) | 2181.95 | 476.21 | | 1705.74 |
| 19. | 89 | संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार-कर) | 5.75 | 0.06 | | 5.69 |
| | | | 2187.70 | 476.27 | | 1711.43 |
| i thxr&HkKfjr | | | | | | |
| 20. | 58 | लोक निर्माण विभाग (संचार-सड़क) | 2.62 | 0.57 | | 2.05 |
| 21. | 61 | वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय) | 5929.26 | 178.83 | | 5750.43 |
| | | | 5931.88 | 179.40 | | 5752.48 |
| | | | 10653.37 | 2640.03 | | 8013.34 |
| (c) i dj .k t gk cpr vH; fi r ugha dh xbl | | | | | | |
| jktLo&nRrer | | | | | | |
| 1 | 3 | उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) | 5.52 | | 5.52 | |
| 2 | 5 | उद्योग विभाग (हथकरघा एवं ग्रामीण उद्योग) | 1.47 | | 1.47 | |
| 3 | 6 | उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) | 19.89 | | 19.89 | |
| 4 | 7 | उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) | 8.39 | | 8.39 | |
| 5 | 10 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (उद्यान तथा रेशम विभाग) | 11.61 | | 11.61 | |
| 6 | 13 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) | 146.99 | | 146.99 | |
| 7 | 14 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) | 10.38 | | 10.38 | |
| 8 | 15 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुपालन) | 26.73 | | 26.73 | |
| 9 | 17 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) | 3.62 | | 3.62 | |
| 10 | 18 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) | 1.16 | | 1.16 | |
| 11 | 21 | खाद्य एवं रसद विभाग | 15.25 | | 15.25 | |
| 12 | 23 | गन्ना विकास विभाग (गन्ना) | 3.55 | | 3.55 | |
| 13 | 26 | गृह विभाग (पुलिस) | 37.58 | | 37.58 | |
| 14 | 27 | गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) | 1.80 | | 1.80 | |
| 15 | 28 | गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) | 4.24 | | 4.24 | |

| | | | | |
|----|----|--|----------------|----------------|
| 16 | 31 | चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) | 75.20 | 75.20 |
| 17 | 32 | चिकित्सा विभाग (एलोपैथी) | 187.60 | 187.60 |
| 18 | 34 | चिकित्सा विभाग (होमियोपैथी) | 6.73 | 6.73 |
| 19 | 36 | चिकित्सा विभाग (लोक स्वास्थ्य) | 41.87 | 41.87 |
| 20 | 41 | निर्वाचन विभाग | 8.76 | 8.76 |
| 21 | 44 | पर्यटन विभाग | 1.08 | 1.08 |
| 22 | 45 | पर्यावरण विभाग | 80.03 | 80.03 |
| 23 | 47 | प्रविधिक शिक्षा विभाग | 51.63 | 51.63 |
| 24 | 51 | राजस्व विभाग (प्राकृतिक आपदा के सम्बंध में राहत) | 226.04 | 226.04 |
| 25 | 60 | वन विभाग | 2.09 | 2.09 |
| 26 | 71 | शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) | 284.88 | 284.88 |
| 27 | 75 | शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षणिक शोध एवं प्रशिक्षण परिषद) | 7.78 | 7.78 |
| 28 | 76 | श्रम विभाग (श्रम कल्याण) | 8.22 | 8.22 |
| 29 | 77 | श्रम विभाग (सेवायोजन) | 3.13 | 3.13 |
| 30 | 78 | सचिवालय प्रशासन विभाग | 12.18 | 12.18 |
| 31 | 79 | समाज कल्याण विभाग (विकलांगों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण) | 19.11 | 19.11 |
| 32 | 80 | समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) | 9.95 | 9.95 |
| 33 | 81 | समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) | 7.35 | 7.35 |
| 34 | 83 | समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) | 550.18 | 550.18 |
| 35 | 87 | सैनिक कल्याण विभाग | 3.57 | 3.57 |
| 36 | 96 | सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) | 289.52 | 289.52 |
| | | | 2175.08 | 2175.08 |
| | | | | |
| 37 | 3 | उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) | 2.80 | 2.80 |
| 38 | 7 | उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) | 20.35 | 20.35 |
| 39 | 11 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) | 51.20 | 51.20 |
| 40 | 13 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) | 26.31 | 26.31 |
| 41 | 14 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) | 5.55 | 5.55 |
| 42 | 26 | गृह विभाग (पुलिस) | 135.55 | 135.55 |
| 43 | 27 | गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) | 5.14 | 5.14 |
| 44 | 32 | चिकित्सा विभाग (एलोपैथी) | 6.35 | 6.35 |
| 45 | 44 | पर्यटन विभाग | 3.95 | 3.95 |
| 46 | 45 | पर्यावरण विभाग | 68.70 | 68.70 |
| 47 | 47 | प्रविधिक शिक्षा विभाग | 7.92 | 7.92 |
| 48 | 48 | मुस्लिम वक्फ विभाग | 2.00 | 2.00 |
| 49 | 50 | राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) | 1.42 | 1.42 |
| 50 | 60 | वन विभाग | 2.06 | 2.06 |
| 51 | 61 | वित्त विभाग (ऋण सेवार्यें तथा अन्य व्यय) | 25.97 | 25.97 |
| 52 | 62 | वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेशन) | 61.49 | 61.49 |
| 53 | 71 | शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) | 1.75 | 1.75 |
| 54 | 79 | समाज कल्याण विभाग (विकलांगों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण) | 4.36 | 4.36 |
| 55 | 81 | समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) | 3.61 | 3.61 |
| 56 | 83 | समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) | 40.61 | 40.61 |
| | | | 477.09 | 477.09 |
| | | | | |
| 57 | 21 | खाद्य एवं रसद विभाग | 190.01 | 190.01 |
| | | | 190.01 | 190.01 |
| | | | | |
| 58 | 24 | गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) | 4.89 | 4.89 |
| | | | 4.89 | 4.89 |
| | | | 2847.07 | 2847.07 |

i f j f ' k " V & 2.8

(l n H k z % i L r j 2.3.9; i " B 32)

c p r a t k s e k p l 2006 e a v h ; f i r d h x b l

(d j k M + # i ; s e)

| Øe l ; k | vupku l ; k | vupkuk d k f o o j . k | /kujkf' k |
|----------|---------------------------|--|----------------|
| | jktLo&nRrer | | |
| 1. | 1 | आबकारी विभाग | 2.83 |
| 2. | 2 | आवास विभाग | 24.12 |
| 3. | 9 | ऊर्जा विभाग | 50.69 |
| 4. | 19 | कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण एवं अन्य व्यय) | 9.54 |
| 5. | 22 | खेलकूद विभाग | 1.80 |
| 6. | 25 | गृह विभाग (कारागार) | 8.75 |
| 7. | 33 | चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) | 8.68 |
| 8. | 35 | चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) | 18.17 |
| 9. | 37 | नगर विकास विभाग | 119.03 |
| 10. | 40 | नियोजन विभाग | 2.89 |
| 11. | 42 | न्याय विभाग | 36.81 |
| 12. | 43 | परिवहन विभाग | 3.60 |
| 13. | 48 | मुस्लिम वक्फ विभाग | 1.71 |
| 14. | 49 | महिला एवं बाल कल्याण विभाग | 4.31 |
| 15. | 50 | राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) | 8.02 |
| 16. | 52 | राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय) | 25.24 |
| 17. | 54 | लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) | 2.85 |
| 18. | 58 | लोक निर्माण विभाग (संचार-सड़कें) | 4.27 |
| 19. | 61 | वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय) | 906.80 |
| 20. | 62 | वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेशन) | 845.75 |
| 21. | 63 | वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) | 5.66 |
| 22. | 70 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग | 5.78 |
| 23. | 73 | शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) | 2.14 |
| 24. | 86 | सूचना विभाग | 1.57 |
| 25. | 89 | संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर) | 11.03 |
| 26. | 91 | संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) | 9.79 |
| 27. | 95 | सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) | 31.05 |
| | | ; kx | 2152.88 |
| | i n t h x r & n R r e r | | |
| 28. | 9 | ऊर्जा विभाग | 212.58 |
| 29. | 21 | खाद्य एवं रसद विभाग | 551.70 |
| 30. | 25 | गृह विभाग (कारागार) | 20.06 |
| 31. | 42 | न्याय विभाग | 21.62 |
| 32. | 57 | लोक निर्माण विभाग (संचार-पुल) | 8.50 |
| 33. | 58 | लोक निर्माण विभाग (संचार-सड़कें) | 95.39 |
| 34. | 89 | संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार-कर) | 1.03 |
| 35. | 95 | सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) | 12.12 |
| 36. | 96 | सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) | 304.67 |
| | | ; kx | 1227.67 |
| | j k t L o & H k k f j r | | |
| 37. | 2 | आवास विकास | 2.56 |
| 38. | 9 | ऊर्जा विभाग | 6.90 |
| 39. | 20 | कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) | 1.43 |
| 40. | 42 | न्याय विभाग | 5.06 |
| 41. | 61 | वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय) | 476.21 |
| 42. | 66 | वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) | 3.02 |
| | | ; kx | 495.18 |
| | i n t h x r & H k k f j r | | |
| 43. | 61 | वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय) | 178.83 |
| | | ; kx | 178.83 |
| | | d y / ; kx | 4054.56 |

ifj'k"V&2.9

(l nHkz % iLrj 2.5; i" B 34)

0; ; dk ckgY;

(dkM+ #i ; se)

| Øe l d; k | ys'kk 'kh"z | dy i ko/kku | dy 0; ; | ekpl ea 0; ; | dy 0; ; dk ekpl ekg l s 0; ; dk i fr'kr |
|--------------|---|----------------|----------------|-----------------|---|
| 1. | 2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण | 59.76 | 58.71 | 23.61 | 40 |
| 2. | 2217-शहरी विकास | 336.07 | 110.57 | 71.37 | 65 |
| 3. | 2505-ग्राम रोजगार | 689.29 | 403.67 | 159.65 | 40 |
| 4. | 2575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम | 63.00 | 49.50 | 21.00 | 42 |
| 5. | 2810-अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत | 19.03 | 11.19 | 8.00 | 71 |
| 6. | 2852-उद्योग | 133.76 | 133.97 | 110.59 | 83 |
| 7. | 2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग | 13.56 | 18.99 | 8.58 | 45 |
| 8. | 3452-पर्यटन | 10.28 | 9.62 | 3.99 | 41 |
| 9. | 4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय | 272.08 | 133.23 | 118.66 | 89 |
| 10. | 4058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 100 |
| 11. | 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | 82.70 | 51.67 | 43.71 | 85 |
| 12. | 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा सांस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | 339.35 | 305.23 | 134.73 | 44 |
| 13. | 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय | 497.29 | 466.20 | 185.83 | 40 |
| 14. | 4215-जल आपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय | 165.77 | 232.06 | 111.15 | 48 |
| 15. | 4220-सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय | 9.15 | 8.92 | 8.88 | 100 |
| 16. | 4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय | 87.71 | 78.80 | 73.27 | 93 |
| 17. | 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय | 5.51 | 5.34 | 3.71 | 69 |
| 18. | 4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | 4.90 | 4.65 | 2.52 | 54 |
| 19. | 4401-फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय | 3.84 | 17.08 | 13.69 | 80 |
| 20. | 4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय | 33.42 | 32.14 | 12.97 | 40 |
| 21. | 4404-डेरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय | शून्य | 0.10 | 0.08 | 80 |
| 22. | 4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय | 12.75 | 12.75 | 5.07 | 40 |
| 23. | 4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय | 6.94 | 2.62 | 2.41 | 92 |
| 24. | 4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय | 363.27 | 302.50 | 139.06 | 46 |
| 25. | 4858-इंजीनियरिंग उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 100 |
| 26. | 4860-उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय | शून्य | 145.91 | 145.91 | 100 |
| 27. | 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय | 38.50 | 38.49 | 25.20 | 65 |
| 28. | 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय | 69.82 | 42.80 | 27.62 | 65 |
| | ; kx | 3324.57 | 2683.53 | 1468.08 | 55 |

i f j f' k"V&3-1-1

% l UnHkZ % i Lrj 3-1-1 ; i" B 36%

, l l h , oa , l Vh oxl tul d ; k dh l k {kjr k nj n' kkr h l kj . kh

| en | , l l h | , l Vh |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| कुल शैक्षिक दर | 46.3 | 35.1 |
| उच्चतम शैक्षिक दर का जनपद | 62.3 गाजियाबाद | 61.0 महाराजगंज |
| निम्नतम शैक्षिक दर का जनपद | 24.4 बलरामपुर | 17.9 श्रावस्ती |
| उच्चतम पुरुष शैक्षिक दर का जनपद | 75.2 गाजियाबाद | 80.0 महाराजगंज |
| उच्चतम महिला शैक्षिक दर का जनपद | 48.1 कानपुर नगर | 98.68 झाँसी |
| न्यूनतम पुरुष शैक्षिक दर का जनपद | 35.2 बलरामपुर | 29.05 श्रावस्ती |
| न्यूनतम महिला शैक्षिक दर का जनपद | 11.3 श्रावस्ती | 5.69 श्रावस्ती |

i f j f' k"V&3-1-2

% l UnHkZ % i Lrj 3-1-3 ; i" B 36%

i f j Hk k"kk , a

1. ग्रास इनरोलमेण्ट रेशियो (जीईआर) 6 से 11 वर्ष तक के और 11 से 14 वर्ष तक के और/या 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की जनसंख्या में से क्रमशः कक्षा I-V और VI- VII और/या I-VIII में इनरोलमेण्ट का प्रतिशत है।
2. ग्रास ड्राप आऊट रेट (जीडीआर) उन छात्रों का प्रतिशत है जो शिक्षा के दिये गये ग्रेड या चक्र या स्तर से दिये गये चक्र/विद्यालय वर्ष में ड्राप आऊट करते हैं।
3. जेण्डर पेरिटी इण्डेक्स (जीपीआई) शिक्षा में जेण्डर समानता में प्रगति को मापता है और इसकी गणना लड़कियों के जीईआर में लड़कों के जीईआर से भाग देने पर आता है।

i f j f' k"V&3-1-3

% l UnHkZ % i Lrj 3-1-8-1] ; i" B 40 %

= (Vi w kZ Áxfr fji "VZ n' kkr h l kj . kh

| Øe l d ; k | Tkuin dk uke | Okki l i ktr /kujkf" k | L&l Fk k vka ds i kl vo' k'sk /kujkf" k | /kujkf" k ft l dh ; ð h L&l Fk k vka l s Áfr f {kr Fkh |
|------------|--------------|------------------------|---|--|
| 1 | आजमगढ़ | 00 | 27.42 | 00 |
| 2 | बलरामपुर | 00 | 3.63 | 93.97 |
| 3 | बदायूं | 00 | 0.68 | 55.66 |
| 4 | फतेहपुर | 8.85 | 1.05 | 48.91 |
| 5 | हरदोई | 00 | 12.55 | 00 |
| 6 | झाँसी | 15.41 | 00 | 00 |
| 7 | कानपुर देहात | 00 | 00 | 165.27 |
| 8 | कानपुर नगर | 00 | 10.05 | 1159.22 |
| 9 | कुशीनगर | 00 | 7.55 | 361.18 |
| 10 | लखीमपुर खीरी | 10.25 | 00 | 107.01 |
| 11 | लखनऊ | 15.85 | 57.00 | 00 |
| 12 | मुरादाबाद | 0.77 | 00 | 7.91 |
| 13 | मुजफ्फरनगर | 27.32 | 00 | 00 |
| 14 | उरई (जालौन) | 00 | 00 | 394.82 |
| 15 | रामपुर | 24.01 | 6.21 | 9.23 |
| 16 | रायबरेली | 27.58 | 00 | 00 |
| 17 | सीतापुर | 00 | 00 | 380.42 |
| 18 | सुल्तानपुर | 10.14 | 00 | 00 |
| 19 | वाराणसी | 8.28 | 12.01 | 313.88 |
| | ; X | 148-46 | 138-15 | 3097-48 |

lkjf'k"V&3-1-4

¼knkZ % iLrj%3-1-10-1 ; i"B 43½

n'kekRj ; kstuk ea iLrdka dh vki frZ , oa fuxæu ea vfu; ferrkv® dk foaj .k

| Øe l d; k | LkLFkk | fo"k; | vki frZ dh x; h iLrdka | | OkkLrfod vko'; drk | vf/kd vki frZ | | fVli .kh |
|--------------|---|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|--|
| | | | l d; k | ew; %yk[k : i ; se½ | | l d; k | ew; %yk[k : i ; se½ | |
| 1 | पी0जी0कालेज जगतपुर, वाराणसी | बायो—साइंस | 360 | 18.00 | 21 | 339 | 16.95 | एस0सी0 छात्रों को पुस्तकें प्रेषित नहीं की गयी |
| 2 | शिवली नेशनल पी0जी0कालेज, आजमगढ़ | एल.एल.बी. | 215 | 10.75 | 52 | 163 | 8.15 | केवल 3400/— मूल्य की 9 पुस्तकें जमानत राशि लेने के बाद छात्रों को की गयी 20% कटौती के उपरान्त जमानत राशि वापस कर दी गयी। |
| | | बायो साइंस | 47 सेट | 2.35 | — | 47 | 2.35 | तदैव |
| 3 | दयानन्द कानून महाविद्यालय, कानपुर | एल.एल.बी | 100 सेट | 5.00 | — | 174 किताबें | 0.90 | एक समय में केवल 4 पुस्तकें रु0400/— की जमानत राशि उपरान्त निर्गत किया गया |
| 4 | चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय, कानपुर | एग्रीकल्चर | 130सेट | 5.85 | — | 50 किताबें | 0.18 | केवल 2 या 3 पुस्तकें माह में निर्गत की गयी। सामान्य छात्रों को स्थल पर पढ़ने को दिया गया |
| 5 | जय नारायण पी. जी. कालेज, लखनऊ | बायोसाइंस | 761 किताबें | 3.00 | — | 761 किताबें | 3.00 | कालेज द्वारा मांग नहीं की गयी, पुस्तकें विषय के प्रभाव सम्बन्धित नहीं थीं। |
| 6 | राजकीय आयुर्वेद कालेज, लखनऊ | मेडिकल | 41सेट | — | 22 | 19 | 00 | पुस्तकें कभी निर्गत नहीं की गयी केवल लाइब्रेरी में पढ़ने को दी गयी। |
| 7 | बी0एच0यू0 | मेडिकल | 38सेट | 2.85 | 38 | — | 00 | पुस्तकों को सामान्य पुस्तकों के साथ रखा गया तथा एस0सी0 छात्रों को सामान्य |
| 8 | महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी | एल.एल.बी एवं एल.एल.एम. | 138सेट | 2.94 | 138 | — | 00 | प्रक्रिया के अनुरूप दिया गया |
| 9 | डा0बी0आर0 अम्बेदकर विश्वविद्यालय, लखनऊ | — | — | — | — | — | 00 | योजना के बारे में जानकारी नहीं थी तथा कोई भी छात्र वर्ष 2001—06 के मध्य लाभान्वित नहीं हुआ। |
| | | | | | | | 31-53 | |

lkj f' k"V&3-1-5

¼ l UnHKZ % i Lrj 3-1-11-1 ; i" B 44 ½

, l ds, u, u d" voeDr /kujkf' k, oa HkKsrd ixfr dk foofj.k

| Ok"KZ | veDr /kujkf' k | | dy fuf/k | , l ds, u, u d" voeDr /kujkf' k | HkKsrd ixfr | |
|---------|------------------|-------------|----------|---------------------------------|-------------|----------|
| | HkKjr l jckj | jkT; l jckj | | | Yk(; | mi yfC/k |
| | ¼djksM+ #i; se ½ | | | | l a; k | |
| 2001-02 | 2.62 | 2.62 | 5.24 | 7.01 | 18 | 14 |
| 2002-03 | 1.06 | 1.06 | 2.12 | 8.18 | 11 | 9 |
| 2003-04 | 1.57 | 1.57 | 3.14 | 2.87 | 6 | 4 |
| 2004-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 2005-06 | 3.17 | 3.17 | 6.34 | 6.35 | 6 | - |
| ; X | 8.42 | 8.42 | 16.84 | 24.41 | 41 | 27 |

lkj f' k"V&3-1-6

¼ nHKZ % i Lrj 3-1-11-2 ; i" B 47½

tui nokj vl pkfyr Nk=okl ks dh l kj. kh

| Tkui n dk uke | 2001&06 | | 2001 rd | | ; X |
|---------------|---------|--------|---------|--------|-----|
| | ckyd | ckfydk | ckyd | ckfydk | |
| आगरा | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| अलीगढ़ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| इलाहाबाद | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| अम्बेदकरनगर | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| आजमगढ़ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| बहराइच | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| बलिया | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| बांदा | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| बाराबंकी | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| बरेली | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| बदायूं | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| बुलन्दशहर | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| चन्दौली | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| चित्रकूट | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| देवरिया | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| फैजाबाद | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| फतेहपुर | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| गाजियाबाद | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| गाजीपुर | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| गोण्डा | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| गोरखपुर | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| हमीरपुर | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| जालौन | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| जौनपुर | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| जे. पी. नगर | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| कन्नौज | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| कानपुर देहात | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| लखनऊ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ललितपुर | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| मैनपुरी | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| मिर्जापुर | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| मुरादाबाद | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| प्रतापगढ़ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| रायबरेली | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| रामपुर | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| संतकबीरनगर | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| शाहजहाँपुर | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| सुल्तानपुर | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| उन्नाव | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ; X | 5 | 12 | 29 | 23 | 69 |

lkjf'k"V&3-1-7

¼LñHKZ% iLrj % 3-1-12-1 ; i" B 47½

L&LFkkokj ijh{kk i wZ dkspx ; kstuk dk foj.k

| L&LFkk dk uke | vud z'kku , oa i f' k{k.k l .LFku y[kuÄ | jkt dh; i hl h, l %t½ dkfpx dñnj bykgkcn | | | vkn'kz i wZ ijf{kk i f' k{k.k dñnz %efgyk½ y[kuÄ | | | | |
|---------------|--|---|----|------------------------|---|----|------------------------|--------------------------------|---|
| Lohdr | 300 l hV | 50 l hV | | | 150 l hV | | | | |
| Ok"Kz | lkfj{kkvka dh l a; k ftuds fy; s i f' k{k.k i nku fd; k x; k , oa ijh{kkQy | | | | | | | | |
| | ijh{kk dh l a; k | lkj h{kkFkhZ , l l h , l Vh | | ijh{kk dh l a; k | lkj h{kkFkhZ , l l h , l Vh | | ijh{kk dh l a; k | lkj h{kkFkhZ , l l h , l Vh | |
| 2001&02 | 2 | 196 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 | 0 |
| 2002&03 | 3 | 125 | 02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2003&04 | 4 | 154 | 02 | 1 | 49 | 01 | 1 | 49 | 0 |
| 2004&05 | 5 | 193 | 09 | 1 | 45 | 01 | 1 | 68 | 0 |
| 2005&06 | 4 | 121 | 08 | 1 | 09 | 01 | 1 | 65 | 0 |
| ; "x | | 789 | 41 | | 103 | 3 | | 243 | |

ifj'k"V&3-1-8

¼ñHKZ% iLrj % 3-1-13 ; i" B 48½

efjV mPphdj .k dh foRrh; fLFkfr dh l kj .kh

| Ok"Kz | ikj fEHkd vo' ksk | voeDr dñnj; l gk; rk | Dgy | 0; ; ¼i fr' kr½ | ' ksk | Hkkf rd mi yf/ k | |
|---------|----------------------|----------------------------|------|--------------------|-------|------------------|---------------------------|
| | ¼dj kM+ #i ; s e½ | | | | | Yk{ ; * | Yk{ ; Akfir ¼i fr' kr½ |
| 2001&02 | 0.10 | 0.31 | 0.41 | 0.36(88) | 0.05 | 276 | 179(65) |
| 2002&03 | 0.05 | 0.36 | 0.41 | 0.30(74) | 0.11 | 275 | 202(73) |
| 2003&04 | 0.11 | 0.34 | 0.45 | 0.35(78) | 0.10 | 303 | 245(81) |
| 2004&05 | 0.10 | 0.41 | 0.51 | 0.35(69) | 0.16 | 343 | 276(80) |
| 2005&06 | 0.16 | 0.37 | 0.53 | 0.44(83) | 0.09 | 357 | 284(80) |
| ; "x | | 1-79 | | 1-80 | | 1554 | 1186¼76½ |

* लक्ष्य कक्षा-9 के 120 (20 x 6 जी आई सी) एवं विगत वर्ष के कक्षा-9, 10 और 11 के उत्तीर्ण छात्रों के योग पर आधारित था।

lkjf'k"V&3-1-9

¼LñHKZ% iLrj % 3-1-14-1 ; i" B 49½

, l Vh ds , Vh , l ds fy, Hkkjr ljdkj dh ; "tuk dh foRrh; fLFkfr

| Ok"Kz | vkca/u | 0; ; | mi Hkksx dk i fr' kr |
|-------------------|--------|------|----------------------|
| ¼dj kM+ #i ; s e½ | | | |
| 2001&02 | 1.33 | 1.14 | 86 |
| 2002&03 | 1.42 | 1.31 | 92 |
| 2003&04 | 1.45 | 1.36 | 94 |
| 2004&05 | 1.47 | 1.32 | 90 |
| 2005&06 | 1.59 | 1.47 | 92 |
| ; "x | 7-26 | 6-60 | 91 |

i f j f' k" V & 3-1-10

%l anHKZ % i Lrj 3-1-18 ; i "B 51%

, l l h Nk=ka ds l anHKZ ea th bZ vkj] th Mh vkj , oa th ih vkbZ dh fLFkr dh l kj.kh

| vof/k | Lk?k , oa jkT; l jdkj }kjk dlnz i k"kr , oa dlnz i g kfu/kfur ; kstuk ij fd; k x; k 0; ; | jkT; @; wVh }kjk vi us Jks-ka l s i Fkd ; k vfr0; kih ; kstukvka ij fd; k x; k 0; ; | , l l h @ , l Vh dh f'k{kk ij dly 0; ; | 0k"lz 2001&02 l s 2005&06 dh vof/k ea 'kS{kcd l adrdka es l q{kj | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|--|--|--|---------------------------|-------|---------|----------------------|-------|---------|--------|------|
| | | | | 'kS{kcd nj ds c<rs o ?kVrs 'kS'k dk i fr'kr | Mki vkAV nj ds c<rs o ?kVrs Mki dk i fr'kr | Dy ukæadu vuj kr dk l adr | | | fyxkRed nj dk l adrd | | | | |
| %djkM+ #i ; s e% | | | | I-V | I-VII | I-X | I-V | VI-VIII | I-VIII | I-V | VI-VIII | I-VIII | |
| 2001&02 l s 2005&06 | | | | 46.27 | 56.88 | 72.41 | 68.96 | 73.04 | 38.51 | 62.14 | 0.57 | 0.37 | 0.53 |
| 2001-02 | 69.57 | 283.93 | 353.50 | | | | | | | | | | |
| 2002-03 | 98.50 | 382.08 | 480.58 | | 51.02 | 68.77 | 67.40 | 72.50 | 32.77 | 58.60 | 0.65 | 0.42 | 0.61 |
| 2003-04 | 88.51 | 336.28 | 424.79 | | 49.84 | 67.96 | 79.25 | 69.25 | 41.53 | 61.25 | 0.67 | 0.41 | 0.61 |
| 2004-05 | 142.24 | 339.88 | 482.12 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005-06 | 339.62 | 378.46 | 718.08 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ; X | 738-44 | 1720-63 | 2459-07 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

i f j f' k" V & 3-1-11

%l anHKZ % i Lrj 3-1-18 ; i "B 51%

, l Vh Nk=ka ds l UnHKZ ea th vkbZ vkj] th Mh vkj] , oa th ih vkbZ dh fLFkr dh l kj.kh

| vof/k | Lk?k , oa jkT; l jdkj }kjk dlnz i k"kr , oa dlnz i g kfu/kfur ; kstuk ij fd; k x; k 0; ; | jkT; @; wVh }kjk vi us l ks-ka l s i Fkd ; k vfr0; kih ; kstukvka ij fd; k x; k 0; ; | , l l h @ , l Vh dh f'k{kk ij dly 0; ; | 0k"lz 2001&02 l s 2005&06 dh vof/k ea 'kS{kcd l adrdka es l q{kj | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|---------------------------|-------|---------|----------------------|-------|---------|--------|------|
| | | | | 'kS{kcd nj ds c<rs o ?kVrs 'kS'k dk i fr'kr | Mki vkmV nj ds c<rs o ?kVrs Mki dk i fr'kr | dy ukæadu vuj kr dk l adr | | | fyxkRed nj dk l adrd | | | | |
| %djkM+ #i ; s e% | | | | I-V | I-VIII | I-X | I-V | VI-VIII | I-VIII | I-V | VI-VIII | I-VIII | |
| 2001&02 l s 2005&06 | | | | 35.13 | 28.63 | 38.08 | 43.22 | 74.34 | 57.12 | 68.90 | 0.70 | 0.52 | 0.65 |
| 2001-02 | 1.22 | 0.29 | 1.51 | | | | | | | | | | |
| 2002-03 | 1.47 | 0.43 | 1.90 | | 30.69 | 36.75 | 56.36 | 127.5 | 104.1 | 119.6 | 0.95 | 0.91 | 0.94 |
| 2003-04 | 1.49 | 0.44 | 1.93 | | 23.11 | 33.07 | 52.11 | 64.67 | 56.71 | 62.37 | 0.71 | 0.51 | 0.65 |
| 2004-05 | 2.46 | 1.57 | 4.03 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2005-06 | 2.37 | 1.57 | 3.94 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ; X | 9.01 | 4.3 | 13.31 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

ifj'k"V&3.2.1

¼ UnHkz % iLrj 3-2-6-3; i"B 57½

ueuuk tkp fd; s x; s tui nka ea o"kz 2001&06 ds nkjku vl rlr fo | ky; ka dh l a; k dk o"ka&okj foj .k

fi NMk oxl

| o"kz | ueuuk tkp fd; s x; s tui nka ds dy fo ky; @ dkyst | fo ky; ka@dkystka dh l a; k ftUgkua /kujkf'k; ka i klr dh | vl rlr fo ky; @ dkyst ¼i fr'kr½ |
|---------|---|---|-----------------------------------|
| 2001-02 | 36544 | 28752 | 7792(21) |
| 2002-03 | 38891 | 29498 | 9393(24) |
| 2003-04 | 41794 | 32342 | 9452 (23) |
| 2004-05 | 47482 | 39139 | 8343 (18) |
| 2005-06 | 50927 | 34628 | 16299 (32) |

vYi l a; d

| o"kz | ekax iLrj djus okys fo ky; ka@dkystka@ enj l ka dh l a; k | fo ky; ka@ dkystka@enj l ka dh l a; k ftUga /ku i klr gqk | vl rlr fo ky; ka@ dkystka@enj l ka dh l a; k ¼i fr'kr½ |
|---------|---|---|--|
| 2001-02 | 15326 | 13556 | 1770 (12) |
| 2002-03 | 20400 | 16666 | 3734 (18) |
| 2003-04 | 21942 | 17801 | 4141 (19) |
| 2004-05 | 22964 | 20879 | 2085 (9) |
| 2005-06 | 19102 | 15851 | 3251 (17) |

¹ वर्ष 2001-02 से 2003-04 में जि.पि.व.क.अधिकारी, सन्त रविदास नगर को छोड़कर

i fjf' k"V&3.2.2

¼ UnHkZ % i Lrj 3-2-11-1 ; i "B 64½

31 ekpl 2006 dks enj l kã ea vf/kd j [ks x; s v/; ki dka dk foj.j.k

| Øe l 0 | tuin | enj l kã dk uke | LFkfi r v/; ki dks dh l a[; k | ekud ds vuq kj vko' ; d v/; ki dka dh l a[; k | vf/kd LFkfi r v/; ki dks dh l a[; k |
|-----------|---------------|--|-------------------------------------|---|--|
| 1. | झॉसी | इस्लामिया ओरियन्टल निस्वां कालेज छनियापुरा | 20 | 14 | 6 |
| 2. | | इस्लामिया ओरियन्टल कालेज छनियापुरा | 20 | 18 | 2 |
| 3. | | कास्योपोलिटन कालेज भट्टागावं | 21 | 13 | 8 |
| 4. | जे पी नगर | दारुल उलूम इस्लामिया अरेविया चिल्ला, अमरोहा | 11 | 7 | 4 |
| 5. | मुरादाबाद | मदरसा अरविया इमदारीया | 20 | 16 | 4 |
| 6. | अम्बेदनगर | मदरसा कन्जुल-उलूम, टाण्डा | 17 | 15 | 2 |
| 7. | | मदरसा दारुल-उलूम निदा-ए-हक, जलालपूर | 25 | 24 | 1 |
| 8. | | मदरसा नूरुल इस्लाम इल्तिफातगंज | 15 | 14 | 1 |
| 9. | कुशीनगर | कुशीनगर मदरसा अराफिया अहले-सुलत अरवारुल -उलूम, खड्डा | 12 | 10 | 2 |
| 10. | | मदरसा अंजमन इस्लामिया फ़ैजूल- उलूम, धानऊखुर्द, फाजीलनगर | 17 | 14 | 3 |
| 11. | सन्तरविदासनगर | मदरसा दारुल उलूम सईदिया खमरिया, भदोही | 21 | 15 | 6 |
| 12. | | मदरसा अरविया नजीबुल-उलूम ग्यानपुर, भदोही | 16 | 9 | 7 |
| 13. | | दारुल उलूम हविविया रिज्वीया, गोपीगंज | 15 | 14 | 1 |
| 14. | शाहजहांपुर | मदरसा अएनूल-इल्म महमंद हद्दफ | 7 | 5 | 2 |
| 15. | | मदरसा फ़ैज-ए-आम | 10 | 9 | 1 |
| 16. | | मदरसा रहमानिया | 12 | 10 | 2 |
| 17. | गाजीपुर | मदरसा अजीमिया इस्लामिया | 12 | 11 | 1 |
| 18. | इलाहाबाद | मदरसा सिराजुल-उलूम मोहमदिया निजामिया | 11 | 6 | 5 |
| 19. | | मदरसा अन्जूम मोहमदिया अरवी स्कूल | 7 | 5 | 2 |
| 20. | | मदरसा अनवारुल उलूम हटिया | 8 | 5 | 3 |
| 21. | वाराणसी | मदरसा जामिया इस्लामिया मदनपुरा | 56 | 45 | 11 |
| 22. | | मदरसा जामिया रहमानिया | 58 | 35 | 23 |
| 23. | | मदरसा जामिया फारुकिया | 34 | 27 | 7 |
| ; ksx | | | 445 | 341 | 104 |

ijf'k"V&3-3-1


¼ I nHkZ % i Lrj 3-3-5 (i" B 70%

ykhkkfFkZ; ka ds I o{k.k ds ij.kke dk I kjka k

I of' k{kk vfHk; ku dk vuøku



jkT; i fronu% mRrj i ns k



, l v k j v k b

}kjk

, l vkj vkb&vkbz , e vkj ch

सोशल एण्ड रुरल इन्टीट्यूट (एस आर आई) आई एम आर बी इन्टरनेशनल की एक विशिष्ट इकाई है

fu"d"kkz dk | kj'k'k

dk; zdkjh | kjk'k

विद्यालय के आच्छादन के सम्बन्ध में, 5.5 प्रतिशत गांवों और 7.7 प्रतिशत शहरी खण्डों का आच्छादन एस एस ए में अभी भी नहीं किया जा सका था।

राज्य में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के बीच अभी भी 83 बच्चे प्रति 1000 बच्चों में विद्यालय से बाहर थे इसमें से ग्रामीण क्षेत्र में 83 प्रति 1000, और 83 प्रति 1000 शहरी क्षेत्र के, विद्यालय से बाहर थे। इनमें से 90 प्रति 1000 में बालिकाएं और 78 प्रत्येक 1000 में लड़के थे।

उत्तर प्रदेश में अभिभावकों द्वारा बच्चों का नामांकन विद्यालय में न किया जाना और नामांकन के बाद भी विद्यालय न भेजे जाने का मुख्य कारण अभिभावकों का बच्चों को पढ़ाने में समर्थ न होना प्रमुख था।


4.8 प्रतिशत अभिभावकों के विचार से कि वे विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता से सुन्तुष्ट नहीं हैं।

4-1 i "BHKfe

उत्तर प्रदेश के कुल 876 प्राथमिक नमूना इकाई का आच्छादन सर्व शिक्षा अभियान के अनुमान हेतु किया गया उनमें से 298 शहरी और 578 ग्रामीण थे। कुल 81,145 घरों को सूचीबद्ध किया गया जिसमें से 51,932 घरों को उपयुक्त पाया गया और 17542 घरों को अध्ययन हेतु आच्छादित किया गया।

4-2 ?kjka dk foj .k

उत्तर प्रदेश में अच्छादन हेतु चयनित कुल घरों में 97.4 प्रतिशत घरों के मुखिया पुरुष थे और 2.6 प्रतिशत घरों में महिलाएं घरों की मुखिया थीं। अधिकांश घर हिन्दुओं (78.7 प्रतिशत) 20.4 प्रतिशत मुसलमान और 0.1 प्रतिशत इसाई थे। अन्य धर्मों में सिख 0.2 प्रतिशत और जैन 0.2 प्रतिशत थे।



प्रतिशत में

लगभग 23.5 प्रतिशत घर अनुसूचित जातियों और 2.4 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के थे 42.3 प्रतिशत पिछड़े और अन्य पिछड़े वर्गों के थे। 30.8 प्रतिशत सामान्य श्रेणी के थे।

18.9 प्रतिशत घरों के मुखिया मुख्य रूप से आकस्मिक और अन्य मजदूरी के कार्य करते थे जबकि 15.6 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे कृषि मजदूरी का व्यवसाय करते थे कुछ के मुख्य

व्यवसाय जैसे छोटे कृषक/पशुपालक (15.1 प्रतिशत) छोटी दुकान/व्यवसाय (11.5 प्रतिशत) और वेतनभोगी (8.2 प्रतिशत)।


घर के मुखिया की शिक्षा के सम्बन्ध में यह पता चला कि उनमें लगभग 23.1 प्रतिशत अशिक्षित थे केवल 11.8 प्रतिशत ने कहा कि वे शिक्षित हैं लेकिन उनके द्वारा प्राथमिक शिक्षा पूर्ण नहीं की गई।

जबकि 21.4 प्रतिशत घर के मुखिया द्वारा प्राथमिक शिक्षा पूर्ण की गयी उनमें से केवल 18.2 प्रतिशत के द्वारा सेकेन्डरी विद्यालय तक पढ़ा गया और लगभग 16.9 प्रतिशत द्वारा उच्च सेकण्डरी विद्यालय तक पढ़ा गया था। उ०प्र० में अच्छादित घरों में से केवल 8.2 प्रतिशत घरों के मुखिया स्नातक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त होने के बारे में कहा गया।

इन घरों में बच्चों द्वारा आय अर्जन के बारे में पूछे जाने पर पता चला कि 0.3 प्रतिशत घरों के बच्चे जिनकी आयु 15 वर्ष से कम थी घरों की आय अर्जित करने वाले सदस्य थे।

4-3 fo |ky; dk foj.k

उ०प्र० में आच्छादित विद्यालयों में 96.1 प्रतिशत विद्यालय प्राथमिक विद्यालय, 3.6 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय और 0.3 प्रतिशत हाईस्कूल जिनमें उच्च प्राथमिक कक्षाएं भी थी राज्य में आच्छादित विद्यालय में 92.2 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 85.5 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय और 80 प्रतिशत हाईस्कूल जिसमें उच्च प्राथमिक कक्षाएं थी, को सहायता प्राप्त थी।



प्रतिशत में

विद्यालयों में से 1.1 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय और 3.2 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय केवल लड़कों के लिए थे, 2.4 प्रतिशत प्राथमिक, 8.1 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय और 40 प्रतिशत हाईस्कूल जिनमें उच्च प्राथमिक कक्षाएं थी केवल लड़कियों के लिए थे और 96.5 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय 88.7 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय और 60 प्रतिशत हाईस्कूल जिसमें उच्च प्राथमिक कक्षाएं थी, में लड़के और लड़किया दोनों पढ़ते थे


4-4 , l , l , ds vUr xir cPpk dk vkPNknu

एसएसए योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था 6 से 14 आयु वर्गों के सभी बच्चे विद्यालय में हों। कार्यक्रम का मूल्यांकन उपरोक्त उद्देश्यों में यह अनुभाग लगाना था कि 6 से 14 आयु वर्ग के कितने बच्चे स्कूल जा रहे थे और कितने बच्चे स्कूल के बाहर थे।

एक अनुमान के आधार पर 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की कुल संख्या 4108887 थी जिसमें से 22840724 बालक एवं 18248163 बालिकाएँ थी इन बच्चों से अनुमान के अनुसार 3410378 बच्चे स्कूल से बाहर थे जिनमें से 1772068 बालक और 1638310 बालिकाएँ थी।

अनुपात के आधार पर उत्तर प्रदेश में 83 बच्चे प्रति 1000 बच्चों में, 6 से 14 आयु वर्ग के, स्कूल से बाहर थे। 1000 बच्चों में 83 बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में और 1000 बच्चों में 83 बच्चे शहरी क्षेत्र में स्कूल से बाहर थे। लिंगों के अनुसार यह पाया गया कि 90 बालिकाएँ और 78 बालक स्कूल से बाहर थे।

समाजिक श्रेणी के अनुसार स्कूल से बाहर बच्चों को निम्नानुसार बांटा गया।



16 I s 14 vk; qoxZ ds i fr , d gtkj cPPka ea 1/2

4-5 , I , I , ds vUrIkr Ldnyka dk vPNknu

जब किसी गाँव या शहरी क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय 1 किमी की परिधि के क्षेत्र में न हो तो उसे प्राथमिक विद्यालय से आच्छादित नहीं माना जाता है और वह एस एस ए से भी आच्छादित नहीं था।

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय की स्थिति यह प्रकट हुयी कि 5.5 प्रतिशत गांवों और 7.7 प्रतिशत शहरी खण्ड स्कूल से आच्छादित नहीं थे।

अध्ययन के लिए आच्छादित स्कूलों में लगभग 99.8 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 98.4 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय और 100 प्रतिशत हाईस्कूल जिनमें उच्च प्राथमिक कक्षाएं थी जो एस एस ए के अन्तर्गत ग्रांट/सहायता प्राप्त थी।

इन 99.8 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में, 100 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय और 100 प्रतिशत हाईस्कूल जिसमें उच्च प्राथमिक कक्षाएं शहरी क्षेत्र और 99.7 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 97.7 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय और 100 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों के हाईस्कूल जिसमें उच्च प्राथमिक कक्षाएं थी के द्वारा बताया गया कि उन्हें ग्रांट/सहायता एस एस ए के अन्तर्गत प्राप्त थी।

4-5-1 fuekZk dk; Z vkj vU; I fo/kk, a

विद्यालय जिनमें निर्माण कार्य किये गये करीब 30.7 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 43.6 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय और 20 प्रतिशत हाईस्कूल जिसमें उच्च प्राथमिक कक्षाएं थी के द्वारा नये भवनों का बनाया जाना बताया गया लगभग 35.5 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 35.5 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय और 40 प्रतिशत हाईस्कूल विद्यालय उच्च प्राथमिक कक्षाओं के साथ द्वारा बताया गया कि उपलब्ध संरचना के मरम्मत हेतु प्राप्त धनराशि का उपभोग कर लिया गया।

कुछ विद्यालय द्वारा शौचालय सुविधा का लाभ प्राप्त होने के बारे में कहा, 38.1 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों, 1.8 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों और 0.1 प्रतिशत हाईस्कूल जिसमें उच्च

प्राथमिक कक्षाएं थी के द्वारा शौचालयों का निर्माण होना बताया गया। इसके अलावा लगभग 21.5 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों, 0.8 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों और 0.1 प्रतिशत हाईस्कूल जिसमें उच्च प्राथमिक कक्षाएं थी के द्वारा लड़कियों के लिए अलग शौचालय निर्माण करने के बारे में बताया गया।

विद्यालय वातावरण की सुरक्षा एवं बचाव के लिए अतिरिक्त व्यवस्था में पाया कि 12.8 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 0.8 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय और किसी भी हाईस्कूल जिसमें उच्च प्राथमिक कक्षाएं हो के द्वारा चारदिवारी का निर्माण नहीं किया गया। 14.8 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 0.2 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय और 0.1 प्रतिशत हाईस्कूल जिसमें उच्च प्राथमिक कक्षाएं हो के द्वारा दिवाल मरम्मत का कार्य करवाया गया। 12.9 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 0.5 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय और 0.1 प्रतिशत हाईस्कूल जिसमें उच्च प्राथमिक कक्षाएं हो के द्वारा विद्यालयों के मुख्य द्वार हेतु प्राप्त एस एस ए धनराशि का उपभोग किया। लगभग 37.1 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 1.5 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय और 0.1 प्रतिशत हाईस्कूल जिसमें उच्च प्राथमिक कक्षाएं ही के द्वारा पेयजल सुविधा का अधिष्ठापन विद्यालय में उपलब्ध कराने हेतु एस एस ए द्वारा धनराशि का उपभोग किया।

अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराने में लगभग 3.2 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय और 0.1 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों के द्वारा एस एस ए योजना में वाचनालय निर्माण करने के सम्बन्ध में कहा और 7.3 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय और 0.2 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय द्वारा अध्यापको हेतु स्टाफ कक्ष का निर्माण किया। किसी भी हाईस्कूल जिसमें उच्च प्राथमिक कक्षाएं हो के द्वारा वाचनालय एवं स्टाफ कक्ष के निर्माण के सम्बन्ध में नहीं बताया गया। 17.8 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 1.2 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय और 0.1 प्रतिशत हाईस्कूल जिसमें उच्च प्राथमिक कक्षाएं हो के द्वारा प्रधानाध्यापक हेतु अलग कक्ष निर्माण कराने के बावत कहा।

निर्माण कार्यों के अतिरिक्त कई विद्यालयों के द्वारा एस एस ए प्राप्त धनराशियों का उपभोग अच्छे शैक्षिक वातावरण के सज्जन करने के बारे में कहा उनमें से कुछ ने, वाचनालय हेतु पुस्तकें (11.7 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 0.6 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों और किसी भी हाईस्कूल जिसमें उच्च प्राथमिक कक्षाएं हों के द्वारा नहीं बताया गया) कम्प्यूटर (1.8 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय और किसी भी उच्च प्राथमिक विद्यालय और हाईस्कूल जिसमें उच्च प्राथमिक कक्षाएं ही के द्वारा नहीं बताया गया) श्याम पट्ट (78.6 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 3.0 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय और 0.2 प्रतिशत हाईस्कूल जिसमें उच्च प्राथमिक कक्षाएं हो) और विद्युत व्यवस्था (4 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय में, 0.4 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय और किसी भी हाईस्कूल जिसमें उच्च प्राथमिक कक्षाएं हों के द्वारा नहीं बताया गया।

अन्य सामग्री जैसे सन्दर्भ पुस्तकें आदि में एस एस ए धनराशि का उपभोग (19 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 0.9 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय और 0.1 प्रतिशत हाईस्कूल जिसमें उच्च प्राथमिक कक्षाएं हो) कम्प्यूटर प्रशिक्षण (1.7 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों और किसी भी उच्च प्राथमिक विद्यालय और हाईस्कूल जिसमें उच्च प्राथमिक कक्षाएं हों के द्वारा नहीं किया गया) और कुछ विशेष सामग्री जैसे चाक (79.6 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 3.3 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय और 0.2 प्रतिशत हाईस्कूल जिसमें उच्च प्राथमिक कक्षाएं हो) और डस्टर (77.2 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 2.9 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों और 0.2 प्रतिशत हाईस्कूल जिसमें उच्च प्राथमिक कक्षाएं हो)

4-5-2 , l , l , ds vUrxr xkx/ dk mi Hkksx

एसएस ए योजना के अर्न्तगत विभिन्न ग्रांटों का प्रावधान विद्यालय एवं शिक्षकों के लिए अध्यापक शिक्षण सामग्री खरीदने एवं बदलने के लिए, अध्यापक शिक्षण सामग्री बनाने के लिए, ईजीएस को प्राथमिक विद्यालय में बदलने के लिए आवश्यक सामानों का क्रय और विकलांग बच्चों के शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए किया गया था।

यह पाया गया कि 92.6 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय 93.4 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय और 80 प्रतिशत हाईस्कूल जिसमें उच्च प्राथमिक कक्षाएं हो के द्वारा विद्यालय ग्रांट का अनुमान किया

गया और लगभग 95.7 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 96.7 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय और 80 प्रतिशत हाईस्कूल जिसमें उच्च प्राथमिक कक्षाएं हो को अध्यापक ग्रांट प्राप्त हुयी और लगभग 2.6 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय और 4.9 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय और किसी भी हाईस्कूल जिसमें उच्च प्राथमिक कक्षाएं हो के द्वारा विकलांग बच्चो के लिए प्राप्त होने वाले ग्रांट का अनुमान नहीं किया गया।


4-5-3 | enq; dh Hkkxhinkjh

विद्यालय के क्रियाकलाप एवं सम्मिलित विकास का अनुश्रवण करने के लिए समुदाय की भागीदारी एक महत्वपूर्ण घटक था और अन्त में शिक्षण समिति का गठन जिसमें समुदायिक सदस्य थे तथा जिनके बच्चे उन विद्यालयों में पढ़ रहे हो, का गठन करना था। यह पाया गया कि 91.1 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 3.3 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय और 0.2 प्रतिशत हाईस्कूल जिसमें उच्च प्राथमिक कक्षाएं थी के द्वारा शिक्षण समिति का गठन अपने क्षेत्रों में किया गया लगभग 88.1 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 3.2 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय और 0.2 प्रतिशत हाईस्कूल जिसमें उच्च प्राथमिक कक्षाएं थी, समितियों के सयुक्त खाते विद्यालय के प्रधानाचार्य के साथ थे जो कि विद्यालय के विकास हेतु व्यय के सह भागीदार थे लगभग 55.9 प्रतिशत समुदायिक सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया था।

4-5-4 fo | ky; dh cfu; knh | fo/kk

विद्यालय की बुनियादी सुविधा का तात्पर्य भवन संरचना, अधिष्ठापना जो कि शिक्षण संस्था को चलाने में आवश्यक थे। इस सम्बन्ध में विद्यालय भवन का प्रकार एक महत्वपूर्ण सूचक थे जिससे राज्य के विद्यालयों में विद्यमान बुनियादी सुविधा की जानकारी मिलती थी लगभग 1.6 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय और 1.6 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय कच्ची संरचना में चल रहे थे जो कि संरचना की दृष्टिकोण से स्थायी नहीं थे अतः स्कूल चलाने के लिए भी उपयुक्त नहीं थे। 1 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय और 6.5 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों की अर्ध पक्की संरचना देखी गयी। लगभग 97.1 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों, 91.9 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों और सभी हाईस्कूल जिसमें उच्च प्राथमिक कक्षाएं थी, पक्के भवनों में चल रहे थे। इसमें यह भी प्रमुख था कि 0.4 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों के पास कोई भवन नहीं था।

स्कूल के बुनियादी सुविधा के विहंगालोकन की तालिका निम्न अनुसार थी :



प्रतिशत में

बुनियादी सुविधा के अलावा स्कूलों से सम्बन्धित विशेष योजना की रचना की गयी जिससे कि अधिक बच्चे विद्यालय पहुँच सकें। बच्चों के स्कूल जाने पर, जनसंख्या के कुछ उप समुदाय को प्रोत्साहन दिया गया जिससे कि नामांकन एवं उपस्थिति बढ़ सकें। इन योजनाओं में 38.7 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 24.2 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय और 40 प्रतिशत हाईस्कूल जिसमें उच्च प्राथमिक कक्षाएं हो, के द्वारा आपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्रियान्वयन बताया गया। 9.1 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 17.7 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय में महिला सामख्या क्रियान्वित थी किसी भी हाईस्कूल जिसमें उच्च प्राथमिक कक्षाएं हो, क्रियान्वित नहीं की जा रही थी जबकि 86.8 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 91.9 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय और 60 प्रतिशत हाईस्कूल जिसमें उच्च प्राथमिक कक्षाएं हो ने कहा कि बालिकाओं के मुफ्त पुस्तकें दी गयी, लगभग 90.1 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों, 90.3 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय और 80 प्रतिशत हाईस्कूल जिसमें उच्च प्राथमिक कक्षाएं हो के द्वारा मुफ्त पुस्तकें एस सी/एस टी छात्रों को दिया जाना बताया गया।

मध्यहान भोजन योजना जो कि सरकार द्वारा चलायी जा रही थी के क्रियान्वयन के बारे में 95.5 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 74.2 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय और 40 प्रतिशत हाईस्कूल जिसमें उच्च प्राथमिक कक्षाएं हों के द्वारा बताया गया।

निर्धारित योजनाओं के मध्य चलाये जा रहे कार्यक्रम में 4.7 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय और 3.2 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों ने जनशाला कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाना बताया गया जो कि यूनीसेफ द्वारा सहायता प्राप्त था जिससे कि सरकारी स्कूलों में सीखने का अनुभव बढ़ सकें। एन पी इ जी एल, 2 प्रतिशत प्राथमिक और 9.7 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रियान्वयन की जा रही थी जिसका मुख्य ध्येय बालिकाओं की शिक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति करना था।

नियमित स्कूलों के अलावा हस्तक्षेपणीय योजना को भी उन बच्चों के लिए क्रियान्वयन की जा रही थी जो स्कूल से ड्रॉप आऊट हो गये थे, को वापस स्कूल चलो शिविर के अन्तर्गत पुनः स्कूल वापस लाना था। राज्य के लगभग 6.5 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय और 11.3 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों के द्वारा स्कूल चलो शिविर का आयोजन किया जाना बताया गया। किसी भी हाईस्कूल जिसमें उच्च प्राथमिक कक्षाएं हों के द्वारा जनशाला, एन पी इ जी एल और स्कूल चलो शिविर का आयोजन किया जाना, नहीं बताया गया।

शैक्षणिक सिखाने के समानो के अलावा यह भी आवश्यकता अनुभव की गयी कि बच्चों की पढ़ाई के प्रति रुचि जागृत करने के लिए अन्य संसाधन की व्यवस्था की जाए जो कि बच्चों के लिए आनन्ददायक भी हो, शिक्षक सिखाने के समान एवं सीखने का वातावरण बनाने के लिए विद्यालयों को अनुदान दिया गया इसमें देखा गया कि 82.7 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों, 93.6 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों और सभी हाईस्कूल जिसमें उच्च प्राथमिक कक्षाएं ही के द्वारा कहा गया कि, शिक्षक सिखाने का समान (टी एल एम) सभी कक्षाओं को उपलब्ध कराया गया। 5.4 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय ने कहा कि कुछ कक्षाओं को टीएलएम दिया गया, लगभग 11.9 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय और 6.5 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय द्वारा कहा गया कि टीएलएम नहीं दिया गया।

4-6 f'k{k ; kstuk dk i Hkko

विद्यालय में सुविधाएँ मौजूद रहने के अलावा यह भी देखना आवश्यक था कि शिक्षा की गुणवत्ता का प्रबन्ध विद्यालय में था और यह कारण भी जानना था कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे और अभिभावक अपने बच्चों का नामांकन विद्यालय में क्यों नहीं कर रहे थे। अभिभावक विद्यालय से क्या चाहता था और बच्चों के विद्यालय न जाने में मुख्य बाधा आदि के कारको की पहचान करना था राज्य के सन्दर्भ में यह प्रकाश में आया कि बच्चे को पढ़ाने की क्षमता का न होना एक मुख्य कारण था जिस कारणवश बच्चों का नामांकन विद्यालय में नहीं किया गया (53.1 प्रतिशत अभिभावक द्वारा यह कहा गया) इसके अलावा अन्य कारण जैसे स्कूल जाना पसंद नहीं करना (18.8 प्रतिशत) स्कूल जाने के लिए अभी बहुत छोटा है (6.2 प्रतिशत)।

यद्यपि यह राज्य की एक सम्पूर्ण तस्वीर पेश करता है, यह भी आवश्यक है कि जनसंख्या के विभिन्न सभी उप समुदाय पर मौजूद आकाशाओं की समझ, लिंग विभाजन में यह पाया गया कि पढ़ाने की क्षमता का न होना एक मुख्य कारण था जिस कारण से लड़कियों साथ ही साथ लड़कों का नामांकन क्रमशः 53.2 प्रतिशत और 53 प्रतिशत अभिभावकों द्वारा नहीं किया गया। अभिभावकों की बच्चों को पढ़ाने की क्षमता का न होना चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो एक मुख्य कारण था।

4-6-1 f' k{kk dh xqkoRrk

स्कूल में बच्चों का नामांकन/उपस्थित न रहने के कारणों का विश्लेषण करने में यह भी महत्वपूर्ण है कि वह कौन से कारण है कि जो कि विद्यालय के संचालन और शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित करते थे उनमें से कुछ विशिष्टता जैसे विद्यालय के खुलने का समय विद्यालय संचालन के दिवस, अध्यापकों का नियमित विद्यालय आना इत्यादि।

उनमें से जो बच्चे विद्यालय जा रहे थे करीब 0.4 प्रतिशत ने कहा कि विद्यालय समय पर नहीं खुलता था जबकि 0.4 प्रतिशत बच्चे शहरी क्षेत्र ने भी यही कहा। ग्रामीण क्षेत्र में यह अनुपात जरा अधिक था, 0.5 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे ने कहा कि उनका विद्यालय समय से नहीं खुलता था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण था कि 0.7 प्रतिशत बच्चों ने कहा कि उनका स्कूल सभी दिवसों में खुलता ही नहीं था, इसका मतलब था कि अवकाश बिना अनुसूची के दिये जा रहे थे जो कि अन्तिम रूप से बच्चों के विद्यालय आने के दिवसों पर वर्ष में प्रभाव डालते थे। स्कूल के संचालित होने में भी अध्यापक की भूमिका आलोचनात्मक थी। लगभग 0.4 प्रतिशत ने कहा कि अध्यापक विद्यालय में नियमित नहीं आते थे लगभग 3.6 प्रतिशत बच्चों ने कहा कि अध्यापक कक्षाओं के लिए आबटित समय तक नहीं पढ़ाते थे। यह 4.5 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों और 1.9 प्रतिशत शहरी क्षेत्र के बच्चों ने कहा था।

4-6-2 ;kstuk ds ykHk dh ig#

मध्यहान भोजन की व्यवस्था सम्भवतः उन सभी योजनाओं में से जो शासकीय विद्यालयों में क्रियान्वित की रही थी, सबसे महत्वपूर्ण थी इसमें यह प्रावधान किया गया था कि निचले सामाजिक आर्थिक दृष्टि से कमजोर जनसंख्या के बच्चों को आकर्षित कर यह सुनिश्चित करना था कि बच्चे आर्थिक दशा उचित न रहने के कारण विद्यालय आना बन्द न कर दे पूरे राज्य में 50.9 प्रतिशत बच्चों ने कहा कि मध्यहान भोजन उनके विद्यालयों में परोसा जा रहा था। यह 60.7 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में एवं 30.8 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में था।

मध्यहान भोजन के अलावा सरकार द्वारा बहुत सी योजनाओं में अभिभावकों को भी लाभ दिया जा रहा था कि वे अपने बच्चे की स्कूल भेजे लेकिन योजना की पहुँच तभी सुनिश्चित हो सकती थी जब उसका वास्तविक लाभ लक्षित लाभान्वित होने वाले को प्राप्त हो। इस सम्बन्ध में लगभग 51.2 प्रतिशत बच्चे ने कहा कि वे सभी मुफ्त पुस्तकें समय से प्राप्त करते थे। जब इसको ग्रामीण शहरी क्षेत्र में बाँट कर क्षेत्र के प्रकार में देखा गया तो 92.7 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों ने सही समय पर पुस्तकों का प्राप्त होना जबकि 90.2 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों के बच्चों द्वारा बताया गया।

4-6-3 | Ei wkl | Urff"V dk Lrj

अन्ततः लगभग 3.2 प्रतिशत अभिभावकों द्वारा कहा गया कि वे पूर्ण रूप से सन्तुष्ट थे जबकि 4.8 प्रतिशत द्वारा कहा गया कि वे शिक्षा की गुणवत्ता जो कि विद्यालयों में उनके बच्चों द्वारा प्राप्त की जा रही है उससे वह सन्तुष्ट नहीं थे।

i f j f' k"V& 3.3.2

%l nHkZ % i Lrj 3-3-6-2 (i" B 70½

vuøkfnr [kkdk dh fLFkfr , oa fuf/k; ka dh i kflr

%djkm+: i; se½

| o"kl | vuøkfnr i f j 0; ; efpæ vdk ds vuq kj | | | i klr vkca/u | | o"kl ds nkjku |
|---------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Hkkjr ljdkj | jkT; ljdkj | ; ksx | Hkkjr ljdkj | jkT; ljdkj | |
| 2001-02 | 159.85 | 28.21 | 188.06 | 76.63 | 13.52 | 90.15 |
| 2002-03 | 323.07 | 107.69 | 430.76 | 201.66 | 67.22 | 268.88 |
| 2003-04 | 821.35 | 273.78 | 1095.13 | 340.42 | 113.48 | 453.90 |
| 2004-05 | 1203.37 | 401.13 | 1604.50 | 877.61 | 292.54 | 1170.15 |
| 2005-06 | 1981.41 | 660.48 | 2641.89 | 1827.99 | 609.33 | 2437.32 |
| ; ksx | 4489.05 | 1471.29 | 5960.34 | 3324.31 | 1096.09 | 4420.40 |

i f j f' k"V&3.3.3

%l nHkZ % i Lrj 3-3-8-6 (i" B l ; k 75½

fuekZ k dk; kZ dk y{; , oa mi yfc/; kW

| dk; blyki | y{; | mi yfc/k %i fr' kr½ | v/kZ fufet %i fr' kr½ |
|------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| Hkouka dk i qifuekZ k | | | |
| प्राथमिक विद्यालय | 4839 | 3013 (62) | 1826 (38) |
| उच्च प्राथमिक विद्यालय | 1239 | 758 (61) | 481 (39) |
| ; ksx | 6078 | 3771 | 2307 |
| vfrfjDr d{k | 93781 | 29163 (31) | 64618 (69) |
| 'kkfky; | 7338 | 7325 (100) | 13 |

i f j f' k"V&3-3-4

%l UnHkZ % i Lrj 3-3-10-3 ; i" B 83½

, u i h bz th bz , y ds vUrxr y{; , oa mi yfc/k

| Øe l Ø | fØ; kdyki dk uke | 2003&04 | | 2004&05 | | 2005&06 | |
|--------|--|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|----------|
| | | y{; | mi yfc/k | y{; | mi yfc/k | y{; | mi yfc/k |
| 1 | मण्डल कलस्टर स्कूल | 3096 | 782(25%) | 7822 | 6932(89%) | 2991 | शून्य |
| 2 | अध्यापक प्रशिक्षण लिंग सम्बन्धीकरण में | 6192 | शून्य | 15606 | 4476(29%) | 160598 | 11 |
| 3 | समुदाय गतिशीलता | 782 | 782(100%) | 7070 | शून्य | 8206 | 11 |
| 4 | खेल, वाचनालय इत्यादि | 782 | 782(100%) | 7120 | 5932 (83%) | - | - |
| 5 | प्रारम्भिक शिशु देखभाल और शिक्षा | 3575 | 583(16%) | 7058 | 729(10%) | 2294 | 11 |
| 6 | निर्माण कार्य | शून्य | शून्य | 839 | 810(97%) | - | - |
| | ; ksx | 14427 | 2929 | 45515 | 18879 | 174089 | 'kZ; |

i f j f ' k " V & 3 - 4 - 1

¼ nHkZ % i Lrj 3-4-7-3 ; i "B 91½

fey ekfydka l s dLve fey pkoy ¼ h , e vkj ½ dh de ol myh dk fooj .k

¼ dj kM+ : i ; s ea rFkk ek=k eh Vu e½

| o"KZ | feyks dks i nRr /kku | ns l h , e vkj 67 i fr'kr dh nj ij | okLrfod i klr l h , e vkj | l h , e vkj dh de i kflr ¼3¼&¼4¼ | nj ¼ i ; s i fr eh Vu½ | de i klr l h , e vkj dh ykxr |
|---------|----------------------------|--|---------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------------|
| ¼1½ | ¼2½ | ¼3½ | ¼4½ | ¼5½ | ¼6½ | ¼7½ |
| 2001-02 | 164490 | 110208 | 97222 | 12986 | 10787.3 | 14.01 |
| 2002-03 | 68175 | 45677 | 42445 | 3232 | 10772.2 | 3.48 |
| 2003-04 | 210321 | 140915 | 130616 | 10299 | 10861.8 | 11.10 |
| 2004-05 | 189068 | 126676 | 117982 | 8694 | 11646.1 | 10.13 |
| 2005-06 | 208979 | 140016 | 127683 | 14891 | 11922.3 | 14.70 |
| ; ksx | 841033 | 563492 | 515948 | 47544 | | 53-51 |

i f j f ' k " V & 3 - 4 - 2

¼ nHkZ % i Lrj 3-4-9-1 ; i "B 92½

i f j o g u g k f u] x c u d s d k j . k g k f u , o a H k . M k j . k g k f u d k s n ' k k z h l k j . k h

¼ ek=k eh Vu ea rFkk /kujkf'k dj kM+ : i ; s ea½

| Ok"KZ | [kk kJu | i f j o g u | | p k j h @ x c u | | H k . M k j . k | | ; k s x | |
|---------|-----------|-------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|---------|----------|
| | | Ekk=k | /kujkf'k | Ekk=k | /kujkf'k | Ekk=k | /kujkf'k | Ekk=k | /kujkf'k |
| 2001-02 | गेहूँ | 89.50 | 0.09 | 222.10 | 0.16 | 49.60 | 0.03 | 361.20 | 0.28 |
| | चावल | 433.00 | 05.35 | 94.60 | 0.09 | 4222.03 | 2.21 | 4749.63 | 2.65 |
| 2002-03 | गेहूँ | 104.83 | 0.10 | 118.30 | 0.82 | 128.52 | 0.10 | 351.65 | 1.02 |
| | चावल | 229.10 | 0.23 | 845.01 | 0.84 | 3327.42 | 3.49 | 4401.53 | 4.56 |
| 2003-04 | गेहूँ | 59.68 | 0.06 | 2752.80 | 1.99 | 768.64 | 0.49 | 3581.12 | 2.54 |
| | चावल | 77.80 | 0.07 | 305.34 | 0.32 | 3213.96 | 3.29 | 3597.10 | 35.68 |
| 2004-05 | गेहूँ | 122.30 | 0.12 | 567.20 | 0.42 | 99.80 | 0.98 | 1683.30 | 1.52 |
| | चावल | 176.10 | 0.16 | 499.00 | 0.44 | 3699.91 | 3.89 | 4375.01 | 4.49 |
| 2005-06 | गेहूँ | उपलब्ध नहीं | | | | | | | |
| | चावल | उपलब्ध नहीं | | | | | | | |
| ; ksx | xgll | 376-31 | 0-37 | 660-40 | 3-39 | 1940-56 | 1-60 | 977-27 | 5-36 |
| | pkoy | 916-00 | 0-81 | 743-95 | 1-69 | 14463-32 | 12-88 | 7123-27 | 15-38 |

i f j f' k"V&3-5-1

% nhl% i Lrj 3-5-6-2; i "B 100%

i d l / k u ; k s t u k } k j k i L r k o j i f j p k y u d h o k f " k d d k ; L ; k s t u k } k j k e k x , o a H k k j r
l j d k j } k j k 2001&2006 d s e / ; i z k k l f u d v u e k n u d k s n " k k r h l k j . k h

% d % n q k o k j k " V h ; i k d l

| o"kl | Ukku f j d f j a | | | f j d f j a | | |
|-----------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| | , e i h | , i h v k s | L o h d f r | , e i h | , i h v k s | L o h d f r |
| | % y k [k : i ; s e h | | | | | |
| 2001-02 | 304.10 | 234.80 | 56.01 | 486.31 | 218.71 | 113.10 |
| 2002-03 | 249.10 | 344.35 | 50.70 | 518.30 | 219.86 | 36.40 |
| 2003-04 | 100.90 | 353.05 | 63.45 | 555.56 | 234.57 | 92.50 |
| 2004-05 | 59.50 | 568.75 | 64.80 | 597.37 | 579.85 | 144.63 |
| 2005-06 | 29.20 | 504.50 | 79.17 | 644.10 | 523.90 | 214.70 |
| ; k s x % d l % | 742.80 | 2005.45 | 314.14 | 2801.64 | 1776.89 | 601.33 |

एम पी = मैनेजमेन्ट प्लान, ए पी ओ = परिचालन की वार्षिक योजना

% [k % d r f u z k ? k k V o l ; t h o i h k k x

| o"kl | Ukku f j d f j a | | | f j d f j a | | |
|-----------------|---|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | , e i h | , i h v k s | L o h d f r | , e i h | , i h v k s | L o h d f r |
| | % y k [k : i ; s e h | | | | | |
| 2001-02 | बाघ परियोजना के अन्तर्गत आच्छादित नहीं किया गया | | | | | |
| 2002-03 | | | | | | |
| 2003-04 | 126.50 | 196.55 | 27.75 | 242.15 | 81.22 | 73.57 |
| 2004-05 | 108.00 | 299.55 | 23.20 | 266.26 | 134.33 | 29.80 |
| 2005-06 | 86.50 | 325.60 | 26.50 | 293.07 | 257.08 | 98.47 |
| ; k s x % [k % | 321.00 | 821.70 | 77.45 | 801.48 | 472.63 | 201.84 |

एम पी = मैनेजमेन्ट प्लान, ए पी ओ = परिचालन की वार्षिक योजना

% x % j k T ; d k ; k s x

| o"kl | Ukku f j d f j a | | | f j d f j a | | |
|-----------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| | , e i h | , i h v k s | L o h d f r | , e i h | , i h v k s | L o h d f r |
| | % y k [k : i ; s e h | | | | | |
| ; k s x % d l % | 742.80 | 2005.45 | 314.14 | 2801.64 | 1776.89 | 601.33 |
| ; k s x % [k % | 321.00 | 821.70 | 77.45 | 801.48 | 472.63 | 201.84 |
| egk; k s x | 1063.8 | 2827.15 | 391.59 | 3603.12 | 2249.52 | 803.17 |

ifj'k"V&3-5-2

Wl nHkZ % iLrj 3.5.7.1; i" B 10%

i fjpkYu dh okf'kd ; kstuk ds iLrhdj .k] fuf/k; k dks voeDr , oa muds mi ; kx ea foyEc

| o'kZ | okf'kd ; kstuk dk ifjpkYu | | | iFke fd'r dh voeDr | | | | | | miHkx iek.k i= | | | f}rh; fd'r dh voeDr | | | | | |
|---------|---------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|--------------|----------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------|--------|
| | | | | dWnz l s jkT; l jdkj | | | jkT; l jdkj l s ck?k ifj; kstuk | | | | | | dWnz l s jkT; l jdkj | | | jkT; l jdkj l s ck?k ifj; kstuk | | |
| | fu; r frffk | iLr' dh okLrfod frffk | iLr' ea foyEc | fu; r frffk | okLrfod frffk | foyEc | fu; r frffk | okLrfod frffk | foyEc | fu; r frffk | iLr' dh okLrfod frffk | foyEc | fu; r frffk | voeDr dh okLrfod frffk | foyEc | fu; r frffk | voeDr dh okLrfod frffk | foyEc |
| 2001-02 | (!) | 12.06.01 | एक माह 27 दिन | 15.07.01 * | 27.08.01 | एक माह 12 दिन | # 10.09.01 | 19.09.01 10.12.01 | चार दिन से 2 माह 25 दिन | 15 दिसम्बर | 1.01.02 | 17 दिन | \$ 15.1.02 | 19.3.02 | 2 माह 4 दिन (x) | / | अवमुक्त नहीं | |
| 2002-03 | तदैव | 30.05.02 | एक माह 15 दिन | 1.07.02 | 2.08.02 | एक माह | 20.08.02 | 11.09.02 29.03.03 | 22 दिन से 7 माह 9 दिन | तदैव | 9.01.03 | 25 दिन | 25.1.03 | अवमुक्त नहीं | | तदैव | अवमुक्त नहीं | |
| 2003-04 | तदैव | दुधवा 11.06.03 | एक माह 26 दिन | 15.07.03 | 4.12.03 | चार माह 19 दिन | 20.12.03 | 15.12.03 से 9.01.04 | शून्य से 21 दिन | तदैव | 27.02.04 | 2 माह 14 दिन | 15.03.04 | 1.3.04 | शून्य | 15.03.04 | 31.3.04 | 15 कले |
| | | कर्त्तिया 29.08.03 | एक माह 14 दिन | 1.10.03 | | दो माह 04 दिन | | | | | | | | | | | | |
| 2004-05 | तदैव | 16.04.04 | शून्य | 15.05.04 | 25.06.04 | एक माह 10 दिन | 10.07.04 | 15.10.04 | तीन माह से 5 दिन | तदैव | 7.12.04 | शून्य | 25.12.04 | 21.3.05 | 2 माह 28 दिन | तदैव | 31.3.05 | शून्य |
| 2005-06 | तदैव | 27.04.05 | 12 दिन | 1.05.05 | 7.10.05 | चार माह 07 दिन | 25.10.05 | 26.10.05 से 30.03.06 | एक दिन से 5 माह 5 दिन | तदैव | 13.03.06 | 2 माह 28 दिन | 28.03.06 | अवमुक्त नहीं | | तदैव | अवमुक्त नहीं | |

(!) मध्य अप्रैल से पूर्व

* ए पी ओ प्राप्त होने की तिथि से 4 सप्ताह में

केन्द्रीय धनराशि की प्राप्ति से 15 दिनों में

\$ उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त होने से 2 सप्ताह में

@ केन्द्रीय धनराशि की प्राप्ति से 15 दिनों में


(x) आंशिक अवमुक्त

i fjf'k"V&3.5.3

%l nHkZ % iLrj 3.5.8.1; i "B 102h

nq'kok jk"Vh; i kdZ , oe drfuZ; k ?kkV ou; tho i Hkkx dh fLFkfr n' kkr-k Hkkf'rd ekufp=

rjkbZ {ks= dk Hkk&ekufp=



ifj'k"V&3.5.4

%l nHkZ% iLrj 3.5.13; i" B 108%

'kkdkgkj h ol; thok dh tul a; k ea of) dk foj.k

| Ttkuojka dk uke | vH; kj . ; dk uke | 2001 | 2003 | | 2005 | |
|--------------------|----------------------|--------|--------|---------------------------------|--------|------------------------------------|
| | | l a; k | l a; k | 2001 ds l ki s;k i fr'kr of) | l a; k | 2003 ds l ki s;k i fr'kr of) |
| चीतल | दुधवा | 12679 | 12148 | (-) 04 | 12427 | 02 |
| | कतर्निया | 5490 | 5285 | (-) 02 | 4566 | (-) 15 |
| सांभर | दुधवा | 40 | 73 | 83 | 76 | 04 |
| | कतर्निया | 31 | 36 | 16 | 08 | (-) 78 |
| पांडा | दुधवा | 3932 | 3770 | (-) 04 | 4036 | 07 |
| | कतर्निया | 291 | 280 | (-) 04 | 231 | (-) 18 |
| काकड़ | दुधवा | 751 | 941 | 25 | 785 | (-) 17 |
| | कतर्निया | 89 | 79 | (-) 11 | 72 | (-) 09 |
| जंगली सुअर | दुधवा | 5431 | 7411 | 36 | 7355 | (-) 01 |
| | कतर्निया | 5889 | 5875 | (-) 0.5 | 5529 | (-) 06 |
| नील गाय | दुधवा | 944 | 1112 | 18 | 1126 | 01 |
| | कतर्निया | 1132 | 1385 | 22 | 1196 | (-) 14 |
| बारह सिंघा | दुधवा | 1806 | 2477 | 37 | 2854 | 15 |
| | कतर्निया | 21 | 25 | 19 | 17 | (-) 32 |

%l nHkZ% iLrj 3.5.13; i" B 108%

o"kl 2001&05 ea f'kd kj grq mi yC/k ol; tUrpyka dk foj.k

| o"kl vH; kj . ; | 2001 | | 2003 | | 2005 | |
|--|----------------------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|
| | nqkok | drfu; k | nqkok | drfu; k | nqkok | drfu; k |
| | %phry bdkb; ea f'kd kj dh x.kuk% | | | | | |
| वयस्क बाघों की सूचित जनसंख्या | 90 | 52 ¹ | 96 | 55 ¹ | 94 | 48 ¹ |
| 50 किलो औसत भार के 72 चीतलों की दर से कुल शिकार की आवश्यकता | 6480 | 3744 | 6912 | 3960 | 6768 | 3456 |
| आवश्यक जानवर (शिकार के लिए आवश्यक जानवरों का दस गुना) | 64800 | 37440 | 69120 | 39600 | 67680 | 34560 |
| शिकार हेतु उपलब्ध कुल वन्य जन्तु | 28927 | 17514 | 33050 | 17903 | 33977 | 16023 |
| वन्य जन्तुओं की कमी | 35873 | 19926 | 36070 | 21697 | 23703 | 18537 |
| कमी का प्रतिशत | 55 | 53 | 52 | 55 | 35 | 54 |

¹ कतर्निया घाट के सम्बन्ध में सूचित संख्या में मोतीपुर एवं ककरहा रेंजों को भी सम्मिलित किया गया है जो उसी वन प्रभाग का भाग होने के बावजूद बाघ परिक्षेत्र से है

i fjf'k"V&3.5.5

WfI nHkZ % iLrj 3.5.14.1; i"B 109h

o; Ldrk i ktr djus grq I EHkkfor 'kkodks dks tkMdj ck?kka dh vuqfur tul a; k

| tux.kuk dk o"Kz | ck?kka dh I d fpr I a; k | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|---------|----------|-------|-----------------|---------------|---------|----------|-------|------|
| | nqkok | | | | | drfuZ k | | | | |
| | ck?k | Ckkf?ku | dy o; Ld | 'kkod | dy o; Ld vuqfur | ck?k | Ckkf?ku | dy o; Ld | 'kkod | ; ks |
| 1999 | 28 | 64 | 92 | 10 | | 16 | 20 | 36 | 13 | |
| 2001 | 31 | 59 | 90 | 11 | (92+10) 102 | 19 | 33 | 52 | 15 | 49 |
| 2002 | 33 | 76 | 109 | 06 | (90+10) 100 | कोई गणना नहीं | | | | |
| 2003 | 26 | 70 | 96 | 14 | (90+11) 101 | 18 | 37 | 55 | 06 | 67 |
| 2005 | 32 | 62 | 94 | 12 | (96+14) 111 | 17 | 31 | 48 | 10 | 61 |

WfI nHkZ % iLrj 3.5.14.1; i"B 109h

Ckk?k 'kkodks dh I EHkkfor , oe okLrfod I a; k dh rnyuk

| o"Kz | nqkok | | | | drfuZ k | | | |
|------|-----------------------------|-------------------------|---|------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---|------------------------------------|
| | Ckkf?ku dh I d fpr tul a; k | tuuh ckf?kuka dh I a; k | nks 'kkod ifr tuuh ckf?ku dh nj I s 'kkodka dh I a; k | okLro ea I d fpr 'kkodka dh I a; k | ckf?kuka dh I d fpr tul a; k | tuuh ckf?kuka dh I a; k | nks 'kkod ifr tuuh ckf?ku dh nj I s 'kkodka dh I a; k | okLro ea I d fpr 'kkodka dh I a; k |
| 2001 | 59 | 19 | 38 | 11 | 24 | 8 | 16 | 10 |
| 2002 | 76 | 25 | 50 | 06 | कोई गणना नहीं | | | |
| 2003 | 70 | 23 | 46 | 14 | 27 | 9 | 18 | 04 |
| 2005 | 62 | 21 | 42 | 12 | 23 | 8 | 16 | 05 |

ifj'k"V&3-6-1

(l nHk% iLrj 3-6-6-1 ; i" B 116)

jkT; ea dgy fuf/k dk mi Hkksx

| o"kl | i kj fHkd vo' k'sk | i kflr | | | dgy mi yC/k fuf/k | 0; ; | vfire vo' k'sk |
|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|-------------------|
| | | cpr [kkrk ij C; kt | dlnh; voefDr; kW | jkT; voefDr; kW | | | |
| ¼djkM+ #i ; s e½ | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2001-02 | 113.49 ¹ | 23.05 | 663.05 | 219.59 | 1019.18 | 639.90 | 379.28 |
| 2002-03 | 379.28 | 45.71 | 660.92 | 220.31 | 1306.22 | 928.46 | 377.76 |
| 2003-04 | 359.70 | 11.79 | 643.61 | 231.75 | 1246.85 | 1105.28 | 141.57 |
| 2004-05 | 128.73 | 6.40 | 788.56 | 266.58 | 1190.27 | 1064.68 | 125.59 |
| 2005-06 | 123.93 | 4.76 | 955.37 | 316.10 | 1400.16 | 1289.65 | 110.51 |
| ; ksx | | 91.71 | 3711.51 | 1254.33 | | 5027.97 | |
| | | | 4965.84 (dkye 4+5) | | | | |
| | | | 5057.55 (dkye 3+4+5) | | | | |

(स्रोत-आयुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

ifj'k"V&3-6-2

(l nHk% iLrj 3-6-8-3 ; i" B 120)

Hkkjrh; [kk | fuxe fMiks l s voefDr , oa ueuk tkp grpp; fur l Hkkxh; [kk |
fu; a-dka ds var xr ftyk [kk | foi .ku vf/kdkfj; ka }kjk mBku dh xbz [kk | ku dh ek=k

| ftyk | , Q l h vkbz l s voefDr | | ft [kk fo v }kjk mBku dh xbz [kk ku dh ek=k | | vf/kd @deh | |
|---|-------------------------|---------------|--|---------------|-----------------------------------|--------------|
| | Ekk=k | eW; | Ekk=k | eW; | ek=k | eW; |
| ¼ek=k eh Vu ea , oa eW; djkm+ #i ; s e½ | | | | | | |
| आजमगढ़ | 49237 | 34.47 | 49237 | 34.47 | शून्य | शून्य |
| गाजीपुर | 38710 | 27.10 | 44676 | 31.27 | (+)5966 | 4.18 |
| कन्नौज | 20831 | 10.42 | 20025 | 10.01 | (-)806 | 0.40 |
| सिद्धार्थनगर | 28564 | 19.99 | 15809 | 11.07 | (-)12755 | 8.93 |
| सोनभद्र | 60539 | 42.38 | 58983 | 41.29 | (-)1556 | 1.09 |
| अम्बेडकरनगर | 29204 | 14.60 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| बाराबंकी | 55155 | 27.58 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| मिर्जापुर | 37398 | 26.18 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| ; ksx | 319638 | 202.72 | 188730 | 128.11 | (-)15117 (+)5966 | 14.60 |

(स्रोत: भारतीय खाद्य निगम एवं सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों के अंतर्गत जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

¹ ई ए एस एवं जे जी एस वार्ड के अप्रयुक्त अवशेष.

i f j f' k" V&4-1

%l UnHkZ i Lrj 4-5-2 i "B 149½

Hkife gLrka=.k i d j .kka ftuea , u i h oh ol y ugha dh tk l dh

| de l 0 | ifj; kstuk dk uke | Lohdfr i = l d ; k , oa fnukad | LFkkukUrfjr ou Hkife dk {krQy %g0 e½ | tuin | Hkife dk eW; %yk[k : i ; se½ 5-80 yk[k : i ; s i fr g0 U; ure nj ij |
|--------|--|--|--------------------------------------|------------|---|
| 1. | बहराइच-गोंडा-फैजाबाद (कटरा) सड़क के 16 किमी से 40 किमी तक का उच्चीकरण | 8 बी/यूपी/ 06/26/2002/एफसी/72 दिनांक 6.11.02 | 2.2000 | श्रावस्ती | 12.76 |
| 2. | निर्मला कान्वेन्ट स्कूल (कनोरिया) केमिकल इन्डस्ट्रीज | 8 बी/यूपी/ 09/16/2001/एफसी/30 दिनांक 14.11.02 | 1.6194 | सोनभद्र | 9.39 |
| 3. | एन.एम.वाई. सीतापुर से सरसई नदी के डेनेज में एन.एच. 24 के 409 किमी में 22 वृक्षों का पातन | 8 बी/यूपी/ 09/24/2002/एफसी/20 दिनांक 15.11.02 | 0.2150 | सीतापुर | 1.24 |
| 4. | बहराइच-गोंडा-फैजाबाद (कटरा) सड़क के 1 किमी से 15 किमी तक का उच्चीकरण | 8 बी/यूपी/ 06/25/2002/एफसी/35 दिनांक 25.11.02 | 1.5000 | बहराइच | 8.70 |
| 5. | बाण सागर परियोजना का निर्माण | 8-9/94-एफसी दिनांक 23.12.02 | 180.7900 | मिर्जापुर | 945.20 |
| 6. | सीतापुर छावनी में अतिरिक्त लूप हाट एक्सिल साइडिंग के प्राविधान हेतु वृक्षों का पातन | 8 बी/यूपी/ 09/20/2002/एफसी/30 दिनांक 14.01.03 | 1.2700 | सीतापुर | 7.36 |
| 7. | जलालाबाद-बांगरमऊ-विल्लौर सड़क के 97 किमी से 104 किमी तक का उच्चीकरण | 8 बी/यूपी/ 06/5/2003/एफसी/150 दिनांक 6.03.03 | 8.000 | कानपुर | 46.40 |
| 8. | जौनपुर से मुहम्मदपुर सड़क का चौड़ीकरण | 8 बी/यूपी/ 06/30/2002/एफसी/278 दिनांक 1.04.03 | 2.7500 | जौनपुर | 15.95 |
| 9. | पकवदा-दिंगरपुर सड़क के 13.14 किमी से 21.40 किमी तक का चौड़ीकरण एवं 4178 वृक्षों का पातन | 8 बी/यूपी/ 06/25/2003/एफसी/600 दिनांक 06.10.03 | 7.2000 | महोबा | 41.76 |
| 10. | बहराइच-गोंडा-फैजाबाद (कटरा) सड़क के 41 किमी से 108 किमी तक का उच्चीकरण | 8 बी/यूपी/ 06/10/2003/एफसी/631 दिनांक 16.10.03 | 6.7000 | गोंडा | 38.86 |
| 11. | कटरा-जलालाबाद-बांगरमऊ-बिल्लौर सड़क का चौड़ीकरण | 8 बी/यूपी/ 06/38/2003/एफसी/1083 दिनांक 6.11.02 | 5.9000 | हरदोई | 34.22 |
| 12. | भोगनीपुर-घाटमपुर से चौदागढ़ रोड के 1 किमी से 54 किमी तक का उच्चीकरण | 8 बी/यूपी/ 06/15/2003/एफसी/1136 दिनांक 01.01.04 | 54.0000 | कानपुर | 313.20 |
| 13. | पाली सराय चौड़ी सड़क से चरपुरा सम्बद्ध सड़क का निर्माण | 8 बी/यूपी/ 06/01/2004/एफसी/1264 दिनांक 04.02.04 | 0.5400 | इटावा | 3.13 |
| 14. | एन.एच-2 के 38 किमी से 115 किमी तक के चौड़ीकरण के एलाइनमेंट बदलाव के कारण अतिरिक्त 1935 वृक्षों का पातन लेकिन वन क्षेत्र 85.78 हे० में कोई बदलाव नहीं | 8 बी/यूपी/ 06/39/2003/एफसी/1160 दिनांक 25.02.04 | 85.7800 | फतेहपुर | 497.52 |
| 15. | एन.एच. 25 के 7.90 किमी से 11.38 किमी तक के चार लेन का चौड़ीकरण | 8 बी/यूपी/ 06/03/2004/एफसी/53 दिनांक 27.04.04 | 3.9660 | अवध | 23.00 |
| 16. | सोन नदी से बालू-बजरी तथा मोरंग का एकत्रीकरण | 8-97/2003-एफ सी दिनांक 30.04.2004 | 453.5060 | सोनभद्र | 2630.33 |
| 17. | सोन नदी से बालू-बजरी तथा मोरंग का एकत्रीकरण | 8-98/2003-एफ सी दिनांक 30.04.2004 | 280.4800 | सोनभद्र | 1626.78 |
| 18. | कन्हर नदी से बालू-बजरी तथा मोरंग का एकत्रीकरण | 8-99/2003-एफ सी दिनांक 7.05.04 | 102.2470 | सोनभद्र | 593.03 |
| 19. | पीलीभीत में देवहना लिंक सड़क हेतु | 8 बी /यू पी /06 /37 /2000 एफ सी /582 दिनांक 10.08.04 | 0.3200 | पीलीभीत | 1.85 |
| 20. | कटरा-जलालाबाद-बांगरमऊ सड़क का उच्चीकरण एवं 346 वृक्षों का पातन | 8 बी /यू पी /21 /2003 /एफ सी /636 दिनांक 20.08.04 | 6.4000 | शाहजहाँपुर | 37.12 |
| 21. | शहजाद बांध हेतु | 8-80/700-एफ सी दिनांक 12.9.04 | 368.1000 | ललितपुर | 2134.98 |
| 22. | लखनऊ-सीतापुर के मध्य एन.एच-24 के 15 किमी से 16 किमी तथा 21 से 22 पर 132 के.वी. एवं 220 केवीटी/एल तथा 35 वृक्षों का पातन | 8 बी/यूपी/ 09/14/2004/एफसी/768 दिनांक 16.09-04 | 0.1917 | लखनऊ | 1.11 |

| | | | | | |
|------|--|--|-----------|--------------|--|
| 23. | सलेमपुर (पिन्डरा) के नये रिटेल आउटलेट तक पहुंच बनाने हेतु अनुमति | 8 बी/यू पी/09/34/2004/एफ सी दिनांक 21.9.04 | 0.0250 | वाराणसी | 0.14 |
| 24. | एन.एच. 2 के 386 किमी से 393 किमी के मध्य 2से 4 लेन के चौड़ीकरण तथा रिपेलाइनमेंट हेतु 4.05 हे० क्षेत्र तथा अतिरिक्त 401 वृक्षों का पातन | 8 बी/यू पी/06/55/2004/एफ सी/1105 दिनांक 8.12.04 | 8.7000 | कानपुर देहात | 50.46 |
| 25. | कासगंज-गढ़हरा रेलवे लाइन के गेज परिवर्तन कार्य हेतु वन भूमि का विपथन | 8 बी/यू पी/07/96/2004/एफ सी/1497 दिनांक 7.01.05 | 1.5000 | एटा | 8.70 |
| 26. | मैनपुरी से बल्लभगढ़ (हरियाणा) तक 400 के. वी.डी./सी लाईन | 8 बी/यू पी/04/32/2002/एफ सी/1530 दिनांक 17.1.05 | 0.1380 | मैनपुरी | 0.80 |
| 27. | महोबा क्षेत्र के लहचुरा बांध का आधुनिकीकरण | 8-20/2005-एफ सी दिनांक 22.3.05 | 24.4770 | महोबा | 141.96 |
| 28. | तदैव --- झांसी क्षेत्र | 8-20/2005-एफ सी दिनांक 22.3.05 | 23.7350 | झांसी | 137.66 |
| 29. | लखनऊ से मांझीघाट के सड़क नं. 36 में ड्रेन का निर्माण | 8 बी/यू पी/06/10/2004/एफ सी/1968 दिनांक 8.4.05 | 0.7500 | जौनपुर | 4.35 |
| 30. | दुर्जनीपुर गांव के एन.एच.-7 पर नये आउटलेट तक पहुंच बनाने हेतु अनुमति | 8 बी/यू पी/06/23/2005/एफ सी/2023 दिनांक 26.4.05 | 0.0500 | मिर्जापुर | 0.29 |
| 31. | मैनपुरी से बल्लभगढ़ तक 400 केवीडी/सी ट्रान्समीसन लाईन | 8 बी/यू पी/04/97/2004/एफ सी/2038 दिनांक 5.5.05 | 0.2780 | मैनपुरी | 1.61 |
| 32. | मुरादाबाद वाईपास जंक्शन से गगन पुल तक एन.एच. 24 के 149 किमी से 151 किमी में 1688 वृक्षों का पातन | 8 बी/यू पी/06/27/2005/एफ सी/2081 दिनांक 13.5.05 | 4.8000 | मुरादाबाद | 27.84 |
| 33. | ललितपुर में पीएमजीएसवाई कौरियारा-अमौरा लिंक रोड के मध्य ग्रामीण मिलान | 8 बी/यू पी/06/26/2003/एफ सी/2085 दिनांक 13.5.05 | 0.2000 | ललितपुर | 1.16 |
| 34. | देवीजी मन्दिर से नर्वदापुर तक पीएमजीएसवाई सड़क का सुदृढीकरण | 8 बी/यू पी/06/11/2005/एफ सी/2101 दिनांक 20.5.05 | 3.3500 | चन्दौली | 19.43 |
| 35. | रेलवे पुल नं. 82 का निर्माण | 8 बी/यू पी/07/34/2005/एफ सी/2226 दिनांक 15.6.05 | 1.2780 | गाजीपुर | 7.41 |
| 36. | मिर्जापुर औराई एस.एच 5 के 308 किमी से 309 किमी पर रिटेल आउटलेट की स्थापना | 8 बी/यू पी/06/46/2005/एफ सी/2576 दिनांक 25.8.05 | 0.0704 | मिर्जापुर | 0.40 |
| 37. | अपर गंगा ब्लाक के 7.5 वांये स्टीप से 15 माइल राइट स्टीप के बीच 66 केवी डबल सरकिट ट्रान्सलाईन | 8 बी/यू पी/04/03/2003/एफ सी/2209 दिनांक 29.9.05 | 22.6800 | बरेली | 131.54 |
| 38. | कन्हर नदी के चोपन कटरा-कोन सड़क पर पुल का निर्माण | 8 बी/यू पी/06/57/2005/एफ सी/2688 दिनांक 8.12.05 | 0.8400 | सोनभद्र | 4.87 |
| 39. | जमुही-शाहजहाँपुर पर नये रिटेल आउट लेट तक पहुंच बनाने हेतु अनुमति तथा 2 वृक्षों का पातन | 8 बी/यू पी/09/41/2004/एफ सी/2733 दिनांक 23.12.05 | 0.0560 | शाहजहाँपुर | 0.32 |
| 40. | मध्य गंगा नहर परियोजना के आर-पार सड़क तथा 199 वृक्षों का पातन | 8 बी/यू पी/02/69/2005/एफ सी/2734 दिनांक 23.12.05 | 0.6840 | मुरादाबाद | 3.96 |
| 41. | ओगर नाला, राजू अलीगढ़ पर नये रिटेल आउटलेट तक पहुंच बनाने हेतु अनुमति तथा 29 वृक्षों का पातन | 8 बी/यू पी/09/45/2004/एफ सी/2737 दिनांक 23.12.05 | 0.0500 | अलीगढ़ | 0.29 |
| 42. | गोरखपुर तथा पीसीएल सबस्टेशन के बीच केवीडीसीटी/एल | 8 बी/यू पी/04/55/2005/एफ सी/2990 दिनांक 23.02.06 | 0.9984 | गोरखपुर | 5.79 |
| ; kx | | | 1668-3349 | | 9572-87 yk[k : i ; s ; k 95-73 djkM+ : i ; s |

i f j f' k"V&4-2

% UnHkZ i Lrj 4-5-8 i "B 154%

dk; %& ejB cMkfr ekxL dk pKMHdj.k@l n<hdj.k %35 fdeh l s 52 fdeh%

pKMHdj.k dk {ks=Qy

44100 oxL ehVj

%yk[k : i ; s e%

| चौड़ीकरण वाले भाग में पट ईट सोलिंग कार्य की लागत | | लागत | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| 1. | पट ईट सोलिंग | पुराना 23062.55 वर्ग मी @12.50 | 2.88 |
| | | नया 366.71 वर्ग मी @ 66.40 | 0.24 |
| | | पुराना 558.99 वर्ग मी @17.50 | 0.10 |
| 2. | डब्लू वी एम ग्रेड 2(45-63 एमएम) | 1799.09 घ मी @ 1108/घ मी | 19.93 |
| 3. | डब्लू वी एम ग्रेड 3(22-4-53 एम एम) | 1799.09 घ मी @1124/घ मी | 20.22 |
| 4. | डब्लू एम एम 23988.25 वर्ग मी | 4602.11 घ मी @ 1205/घ मी | 55.45 |
| 5. | बी एम 23983.25 वर्ग मी | 1217.64 घ मी @ 345.5/घ मी | 40.74 |
| 6. | एस डी वी सी (25 एम एम) | 23988.25 वर्ग मी @ 116/वर्ग मी | 27.82 |
| 7. | प्राइम कोट | 23988.25 वर्ग मी @ 4.40/वर्ग मी | 3.45 |
| 8. | टैक कोट | 23988.25 वर्ग मी @ 5 प्रति वर्ग मी | 1.20 |
| | | ; ksx | 172-03 |
| | निविदा दर से 19.486% कम | | (-) 33.52 |
| | | ; ksx | 138-51 |
| | | ; k | 1-39 djKM+ |

ijf'k"V&5-1

% nHKZ % iLrj 5-7-1 (i"B 160%

ekpZ ekg es Hkkjh 0; ;

| dkyst@l & Fkku dk uke | Ok"KZ | vkcà/u %dkfUVtšl h gM½ | 0; ; %dkfUVtšl h gM½ | EkkpZ es 0; ; | EkkpZ es 0; ; dk ifr'kr |
|----------------------------|---------|---------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------|
| | | | | | |
| झॉसी | 2003-04 | 3.91 | 2.54 | 1.56 | 61 |
| | 2004-05 | 3.83 | 3.49 | 2.27 | 65 |
| | 2005-06 | 10.17 | 6.48 | 3.85 | 59 |
| आगरा | 2003-04 | 2.71 | 2.66 | 1.92 | 72 |
| | 2004-05 | 6.37 | 6.37 | 4.35 | 68 |
| | 2005-06 | 19.62 | 12.62 | 8.66 | 69 |
| कानपुर | 2003-04 | 4.63 | 4.52 | 2.30 | 51 |
| | 2004-05 | 6.21 | 6.10 | 4.47 | 73 |
| | 2005-06 | 24.19 | 13.50 | 10.16 | 75 |
| हृदय रोग संस्थान कानपुर | 2003-04 | 1.77 | 1.76 | 1.44 | 82 |
| | 2004-05 | 2.57 | 0.86 | 0.57 | 67 |
| | 2005-06 | 6.62 | 6.03 | 4.97 | 82 |
| नर्सिंग कालेज कानपुर | 2003-04 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 94 |
| | 2004-05 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 70 |
| | 2005-06 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 72 |

lkfj f' k"V&5-2

¼ l nHk% i Lrj 5-9-3 (i"B 164½

vekl; i kB; Øeka dh l hv l a; k

| Øekd | fof' k"Vrk i kB; Øe | Xkkj [ki j | >kll h | Ekj B | vtxjk | bykgkckn | ; kx |
|------|----------------------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|
| 1 | एमडी एनेस्थीसिया | 3 | | | | | 3 |
| 2 | एमएस एनाटामी | 1 | 1 | | | | 2 |
| 3 | एमएस ईएनटी | | 1 | | | | 1 |
| 4 | एमडी फार. मेडिसिन | | | | | 1 | 1 |
| 5 | एमएसओबियस एवं गाइनी | 6 | 5 | | | | 11 |
| 6 | एमडी मेडिसिन | 2 | 3 | | | | 5 |
| 7 | एमएस आथेल्मोलाजी | 3 | 3 | | | | 6 |
| 8 | एमएस आर्थोपेडिक्स | | 3 | | 5 | | 8 |
| 9 | एमडी पीडियाट्रिक्स | 2 | 4 | | | | 6 |
| 10 | एमडी पैथोलाजी | 2 | 3 | | | | 5 |
| 11 | एमडी फार्मसी | 1 | 1 | | | | 2 |
| 12 | एमडी फिजियोलॉजी | | 1 | | | | 1 |
| 13 | एमडीआर डायग्नोसिस | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| 14 | एमडी रेडियोथिरेपी | | | | 2 | 1 | 3 |
| 15 | एमडी स्किन | 3 | | 1 | 2 | | 6 |
| 16 | एमडी एसपीएम | | 2 | | | | 2 |
| 17 | एमएस सर्जरी | 2 | 2 | | | | 4 |
| 18 | एमडी टी.बी.एवं चेस्ट | | | | 2 | 2 | 4 |
| 19 | डी.ए. | 1 | | | | | 1 |
| 20 | डी.सी.एच. | 3 | | | | 5 | 8 |
| 21 | डी.जी.ओ | 5 | 3 | | | 6 | 14 |
| 22 | डी.एल.ओ. | | 2 | 3 | 2 | | 7 |
| 23 | डी.एम.आर.डी | | | 1 | | | 1 |
| 24 | डी. आर्थो. | | 3 | | | 3 | 6 |
| 25 | डी.वी.डी. | | | 2 | 1 | | 3 |
| | ; kx | 34 | 38 | 8 | 14 | 19 | 113 |